

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

समाजशास्त्र

(SOCIOLOGY)



वीरन्द्र प्रकाश शर्मा

पंचशील प्रकाशन, जयपुर

© लेखक

प्रकाशक :

पंचशील प्रकाशन

फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता,

जयपुर-302 003

संस्करण : प्रथम, 1999

मूल्य : तीन सौ रुपये मात्र

शब्द-संयोजक :

गीतांजलि कम्प्यूटर्स

19, दाढ़ मार्ग, हरियाणा कॉलोनी,

टोंक फाटक, जयपुर

मुद्रक :

शीतल प्रिन्टर्स

फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता,

जयपुर-302 003

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय समाज और भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास का समाजशास्त्रीय विवेचन किया गया है। यह पुस्तक पाठकों को भारतीय समाज को निकट से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिचित करवाने का अवसर प्रदान करती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तक को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। प्रथम खण्ड भारतीय समाज, संस्कृति, विवाह, परिवार, नगरीय एवं जनजातीय समुदाय तथा भारतीय जाति की सामाजिक प्रस्थिति से परिचित कराता है। साथ ही भारतीय समाज को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों की समस्याओं से भी अवगत कराती है। द्वितीय खण्ड भारतीय समाज के परिवर्तन और विकास की ओर भी सभी का ध्यान आकृष्ट करता है। यह यह एक पाठकों को भारतीय सामाजिक-धार्मिक और राष्ट्रीय आन्दोलनों के समाजशास्त्रीय-सप्रत्ययों से अवगत कराता है। इस खण्ड में स्वातन्त्र्योत्तर भारत के विकास की सम्भावनाओं जैसे पचावती राज, पंचवर्षीय योजनाएँ, एकोकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि की सविस्तार विवेचना की गई है, जिससे पाठक भारत में हो रहे विकास कार्यों का सही आकलन कर सके। अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी हेतु विवाह, परिवार और जाति से सम्बन्धित विधानों का भी ध्यास्थान वर्णन किया गया है।

पुस्तक के प्रस्तुतीकरण में जिन समाजविदों को कृतियों का राहयोग लिया गया है, उनके प्रति लेखक आभार प्रकट करता है। पुस्तक के यथाशक्ति एवं आकर्षक प्रकाशन के लिए श्री भूलचन्द गुप्ता धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके सहयोग और अमृत्यु सुझावों के बिना पुस्तक इस रूप को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाती।

वास्तव में पुस्तक के सही आकलनकर्ता सुविज्ञ पाठकजन हैं। पुस्तक की अधिकाधिक उपादेयता से ही लेखक के श्रम को सफलता प्राप्त होगी। पुस्तक के उत्तरोत्तर विकास के लिए सामाजिक विज्ञानों के विद्वानों, विद्यार्थियों और रुचिशोल पाठकों के सुझावों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. भारतीय समाज एवं संस्कृति : एकता और विविधता	1-12
2. भारत में ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय	13-34
3. भारत में जनजातीय समुदाय	35-50
4. भारत में विवाह	51-82
5. भारत में परिवार	83-106
6. भारत में जाति-व्यवस्था	107-135
7. अनुमूलित जातियाँ	136-155
8. अनुमूलित जनजातियाँ	156-174
9. अन्य पिछड़े वर्ग	175-186
10. भारत में मिशनीय : प्रमुख समस्याएँ	187-206
11. भारत में जनसंख्या समस्या एवं समाज	207-234

द्वितीय खण्ड

12. भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एवं दिशा	235-261
13. सामाजिक परिवर्तन के कारक	262-269
14. भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन	270-290
15. राष्ट्रीय आन्दोलन : समाजशास्त्रीय आशय	291-310
16. ग्रामीण भारत में परिवर्तन और विकास	311-323
17. मर्मान्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम	324-337
18. पंचादशी राज	338-372
19. विवाह, परिवार तथा जाति से सम्बन्धित सामाजिक विधान	373-392
20. पंचवर्षीय योजनाएँ तथा मानविक परिवर्तन	393-412

अध्याय - 1

भारतीय समाज एवं संस्कृति : एकता और विविधता

(Indian Society and Culture : Unity and Diversity)

भारतवर्ष एक विविधतामय समाज है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति और प्रजाति के लोग निवास करते हैं। जलवायु व जनसंख्या के आधार पर लोगों में अनेक भिन्नताएँ मिलती हैं। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, जैन, इसाई, इस्लाम और सिक्ख आदि धर्मों के लोग रहते हैं। इनमें भी अनेक विविधताएँ भाषा, जनसंख्या, प्रजाति और संस्कृति की दृष्टि से दृष्टिगोचर होती हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत के विभिन्न भागों में विवरणीय स्पष्ट विचार देती हैं, किंतु इन विविधताओं के उपरांत भी विभिन्न जातियों, प्रजातियों और समुदायों में राष्ट्रीय एकता के साक्षात् दर्शन होते हैं। वास्तव में भारत एक संगठित इकाई है जहाँ की संस्कृति न केवल भारतवर्ष में अनुजीवित है अपितु बाहर भी, जैसे—साइबेरिया से सिल्वर तक, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रगान्त महासागर के बोर्नियो बाली के द्वीपों तक के विशाल भूभाग पर अपनी अभिट छाप छोड़े हुए है।

भौगोलिक दृष्टि से भी भारत बहुआयामी देश है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार व समुद्रतट, पश्चिम में थार का रैगिस्तान, पूर्व में पहाड़ी भाग और मध्य में मैदानी भाग वहाँ के लोगों के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाजों व सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में विविधता दर्शाती है। भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएँ हैं जिनके कारण वह मानव-समाज की अमूल्य और अमर निधि है। इन अनेक विशेषताओं और विविधताओं के उपरात भी भारत एक संगठित ग्राहृ है। भारत का एक संविधान है जिसमें विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लिए मान्यतापूर्ण स्थान सुरक्षित हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। यह सब भारत की 'अनेकता में एकता' की कहावत को चरितार्थ करते हैं।

भारत की भौगोलिक स्थिति

भारत जैसे विशाल, बहुआयामी देश को जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण को जानना आवश्यक है जिससे भारत की उन सांस्कृतिक विभिन्नताओं वा समझा जा सके जो उसके धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति आदि को प्रभावित करती हैं।

हिमालय से हिन्द महासागर तक लिस्तूत इस उपमहाद्वीप को भारत क्यों कहा जाता है, इसका भी एक इतिहास है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। इसने

चक्रवर्ती राजा बनकर अनेक राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसी के नाम पर इस देश का 'भारत' नाम पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत की महा-नदी 'सिंधु' से 'भारत' नाम की उत्पत्ति हुई है। कुछ के मतानुसार 'भारतखण्ड' नाम से ही यह विष्ण्यात है। कुछ विद्वानों के मतानुसार भारत को 'जम्बूदीप' कहा जाता था जो कि सात द्वीपों में से एक था। आज भी पींडित लोग अपने मंत्रों में 'जम्बूदीपे, आर्यावर्ते, भारतखण्डे.....' जैसा सम्बोधन करते सुनाई पड़ते हैं।

यद्यपि भारत में अनेक प्रकार के भूखण्ड, जलवायु, जीवजन्तु व वनस्पतियाँ आदि हैं, तदोपरांत भी प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। इसके उत्तर में दुर्गम हिमालय एवं दक्षिण में समुद्र की जल सीमा इसे घेरे हुए है। प्रकृति ने इसे एक भौगोलिक इकाई बनाया है, जो देश के आन्तरिक विभाजन को आच्छादित कर देती है। इसी कारण जो भौगोलिक अनेकरूपता दिखाई देती है, उसमें एक ऐसी मौलिक एकरूपता समाहित है जिसके द्वारा हिमालय से कन्याकुमारी तक का भारतीय जीवन एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। स्मिथ जैसे महान इतिहासकार ने भी यह स्वीकार किया, "भारत निःसंदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है, जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक है।" हमारे प्राचीन महाकाव्यों में सम्पूर्ण देश का नामकरण 'भारतवर्ष' ही किया गया है। विष्णुपुराण में स्पष्टतया लिखा गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का सारा प्रदेश 'भारत' है और उसके निवासी भारत की सन्तान है।

भारत की विशालता का परिचय इससे भी होता है कि दक्षिण से उत्तर तक यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और पूरे क्षेत्र में हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई और अन्य धर्मानुयायी रहते हैं। ये अनुयायी शहर, गाँव, कस्तो आदि में साथ-साथ रहते हैं, सामाजिक और सास्कृतिक अवसरों पर परस्पर मिलते हैं और एक-दूसरे की सस्कृति से परिचित होते हैं। यही नहीं, प्रशासनिक और सैधानिक व्यवस्थानुसार भी वे इस एकता को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं।

भौगोलिक हृषि से भारत को पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, (2) गगा-सिन्धु का मैदान, (3) दक्षिण का पठार, (4) राजस्थान का मरुस्थल और (5) समुद्र का तटीय मैदान।

(1) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश— उत्तर में काश्मीर से नेफा तक हिमालय पर्वतमालाएँ फैली हुई हैं। इन पर्वतमालाओं पर अनेक महात्मा तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील सर्वोत्तम पुण्य भूमि है। ब्रह्मीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश यहाँ के प्रमुख तीर्थस्थल हैं जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शनार्थ जाते हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, दर्जालिंग व मसूरी आदि भारत के दर्शनीय स्थल हैं। कैंचाई पर स्थित होने के कारण ये स्थान बर्फ से आच्छादित रहते हैं, इस कारण ग्रीष्म ऋतु में ये पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। हिमालय को गगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र नदियों का जन्मस्थल माना जाता है। इस क्षेत्र में अनेक जड़ी-बूटियाँ व विभिन्न खाद्य-पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अनेक जाजातियाँ— नागा, मारो, मिकर व अवोट आदि इन क्षेत्रों में निवास करती हैं।

(2) गगा-सिन्धु का मैदान— हिमालय से लेकर दक्षिणी पठार के बीच के मैदानी भाग में गगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु और सतलज नदियाँ बहती हैं, जिसके कारण यह भाग अत्यधिक उपज वाला है। यहाँ पर्याप्त खेती होती है। यमुना, चम्बल, नर्मदा और सोन नदियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण के राज्यों में कुछ नदियाँ— कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और मेरियार बहती हैं, जिन्होंने कृषि की उत्पादकता को बहुत बढ़ाया है। अत्यधिक उपज वाला प्रदेश होने के कारण ही बाह्य आक्रमणकारी यहाँ आने के लिए सदैव उत्कीर्त रहे। इस क्षेत्र को बाह्य एवं आनन्दिक सम्पत्ता और संस्कृति का

सांगम-स्थल कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ अनेक वैभवशाली सांग्राह्य उत्पन्न हुए, बड़े-बड़े नगर बने और देश की जनसंख्या का बड़ा भाग यहाँ निवास करता है। हरिद्वार, प्रयाग व वाराणसी जैसे धर्मिक तीर्थ स्थान इसी क्षेत्र में स्थित हैं।

(3) दक्षिण का पठार— भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप एक पठारी प्रदेश है, समुद्र तट पर स्थित होने के कारण यहाँ प्रकृति ने अनेक साधन बिखेर दिए हैं। यह भाग अनेक बहुमूल्य धातुओं में परिषूर्ण है। इस प्रदेश में अनेक धने जंगल हैं, जिनमें विश्व की प्राचीनतम जनजातियाँ— चैचू, ईरुला व कदाई आदि निवास करती हैं। नायर और टोडा जनजातियाँ भी इसी क्षेत्र की हैं। इस क्षेत्र में द्रविड सभ्यता का प्राचार्य है क्योंकि मूल द्रविडों का यही मूल स्थान था। मराठा लोगों की भी यही कर्मभूमि रही है। कपास यहाँ की मुख्य उपज है।

(4) राजस्थान का महस्थल— पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। गण की धाटी के पश्चिम की ओर का शुष्क रेतीला भाग ‘धार का महस्थल’ कहलाता है। वर्षा और जल के अभाव के कारण यहाँ खेती बहुत कम होती है। राजस्थान की प्रसिद्ध नदी ‘बनाम’ है। जयपुर जिले में प्रसिद्ध नमक की झील— ‘सौभर’ में है। विंयाचल का यहाँडी क्षेत्र उत्तर और दक्षिण के बीच की कड़ी माना जाता है। राजपूत राजाओं द्वारा शासित यह प्रदेश अपनी आन-बान-शान और बलिदानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ जौहर, सती-प्रथा ने इतिहास में प्रसिद्ध पाई। यहाँ का खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूपा और भाषा अपनी विशेषता लिए हुए हैं।

(5) समुद्र-तटीय मैदान— दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान स्थित है। इस पश्चिमी तटीय भूग को कोंकण और मालावार कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु और आंध्र-उडीसा तट कहा जाता है। इन तटीय प्रदेशों में बन्दर, सूरत, कालीकट, कोचीन, गोआ, मद्रास और विशाखापट्टनम आदि बन्दरगाह स्थित हैं। जहाँ से भारत के व्यापारिक और मान्यकृतिक सम्बन्ध बर्मा, श्याम, जावा, सुमात्रा, अरब, ईरान और फारस की ओर आदि देशों से बने हुए हैं। हिन्दुओं का पवित्रतम तीर्थस्थल रामेश्वरम् भी यहाँ स्थित है। यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते हैं।

भारतीय समाज में विभिन्नता

भारतीय समाज और उसकी सम्पूर्णता की सम्पूर्णताओं में अपना अक्षुण्ण स्थान बनाए हुए है, इसका ग्रन्थ कारण इसकी सांस्कृतिक परम्परा कही जा सकती है। धर्म, कर्म, जातीयता, वर्ण-व्यवस्था, सहिष्णुता, आनुकूल्यन की विशेषता, आध्यात्मिकता व ग्रहणशीलता आदि अनेक विशेषताओं के कारण यह समाज विशेषी व बाह्य संस्कृतियों का आकर्षण का केन्द्र रहा है। सयुक्त परिवार, जातिगत मूल्य कर्म और धर्म की प्रधानता आज भी हमारे मार्गदर्शन कर रही है। आत्मसात् और सात्मीकरण की विशेषता के कारण ही हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ रहते हैं। आज हिन्दू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई आदि धर्मों के अनुयायी भारत की सबैधानिक-व्यवस्था, शासनतंत्र और अन्य सार्वजनिक जीवन में महभागिता के साथ जीवन-यापन कर रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इन विशेषताओं के परिणामस्वरूप ही भारतीय समाज और संस्कृति में निन्तर एकता पाई जाती है।

इन विशेषताओं के साथ ही भारत को विविधतायुक्त समाज कहा जा सकता है। यहाँ अनेक जातियों-प्रजातियों के लोग साथ-साथ रहते हैं, जिनमें उच्चता-निम्नता का संस्तान पाया जाता है। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, अनेक धर्मानुयायी यहाँ रहते हैं जिनके मन्दिर, मस्जिद,

गुरुद्वारे और चर्च आदि यहाँ स्थित हैं। भीगोलिक दृष्टि से भी यहाँ पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा व आचार-व्यवहार में भी अनेकानेक भिन्नताएँ लोगों में मिलती हैं। नीचे भारत में व्याप्त विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला जाएगा।

1. संजातीयता अथवा नृजातिकी—संजातीयता अथवा नृजातिकी समूह को किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में समझा जा सकता है, जिसकी भाषा, धर्म, संस्कृति एवं प्रथा आदि किसी दूसरे समूह से अलग हों अथवा संजातीयता लोगों का वह समूह होता है जिसके सदस्यों की भाषा, धर्म, प्रजाति, वेश-भूषा, खान-पान, व रहन-सहन आदि समान हों। इन समस्त लक्षणों में से केवल कुछ ही लक्षण किसी समूह में पाए जाने पर उसे एक 'संजाति-समूह' की संज्ञा दी जा सकती है।

यदि किसी समाज के कुछ सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक हितों की अभिव्यक्ति और उसका संरक्षण होता हो तो उसे भी संजातीयता के अन्तर्गत लिया जा सकता है। उसी भाँति जब कोई समूह समाज में किसी विशिष्ट स्थिति और मान्यता को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे संजातीय-चेतना के नाम से अभिहित किया जा सकता है। एक संजातीय समूह की अपनी एक संस्कृति होती है अत संजातीयता को एक सांस्कृतिक-तथ्य के रूप में भी लिया जा सकता है इससे यह अर्थ भी निकलता है कि संजातीयता एक सांस्कृतिक समूह भी है।

कभी-कभी संजातीयता— सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होती है। इस रूप में यह 'उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन' भी मानी जा सकती है। इससे यह अर्थ निकलता है कि संजातीयता को समूह के रूप में, हितों की अभिव्यक्ति के रूप में, उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में और सांस्कृतिक-समूह या तथ्य के रूप में देखा जा सकता है।

एक संजातीय समूह के लोग परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन की भावना से रहते हैं और दूसरे संजातीय समूह से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं। उनमें अहं की भावना पाई जाती है इसलिए वे अपनी वेश-भूषा, भाषा, रहन-सहन, संस्कृति, रीति-रिवाजों और संस्कारों आदि को दूसरे से श्रेयस्कर मानते हैं जिसे 'संजातीय केन्द्रित प्रवृत्ति' कहा जाता है। संजातीयता के आधार पर एक शक्तिशाली समूह दूसरे कमजोर संजातीय-समूह का शोषण करता है, भेदभाव का व्यवहार करता है तो समाज में असमानता, संर्पण व तनाव का बातावरण बनता है। भारत में समय-समय पर भाषा, धर्म, सम्प्रदाय आदि के आधार पर अनेक झागड़े हुए हैं।

कभी सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संजातीय-समूह एक हो जाते हैं और दूसरे समूह के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसी भाँति एक भाषा-भाषी समूह दूसरे भाषा-भाषी समूह से असमानता का व्यवहार करते हैं। परिणामस्वरूप आन्दोलन होते हैं। ग्राम और नगर के आधार पर भी संजातीय समूहों में परस्पर टकराव हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संजातीयता लोगों में प्रेम, सहयोग और संगठन को बढ़ावा देती है और साथ ही दूसरे समूह के साथ भेदभाव की भावना को भी जन्म देती है। आज समाज में भाषा, राज्य और ग्राम, नगर आदि तत्त्वों को लेकर अनेक आन्दोलन हो रहे हैं।

2. धार्मिक विभिन्नताएँ— अनेक शाश्वतविद्यों से 'धर्म' भाग का मूल आदर्श रहा है। सभी जाति, वर्ग के लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं और अपने जीवन में उन धार्मिक आदेशों की पालना करते हैं। भारत धिविध सांस्कृतिक मान्यताओं ना देश है अत यहाँ पर धर्मों की भी विविधता पाई जाती है। मुट्ठरूप से हिन्दू, मुमलगाम, ईसाई, मिथि, बौद्ध और जैन—ये छ पर्म भारत के

प्रमुख धर्म है। इन धर्मों के अंतर्गत भी अनेक मत-मतान्तर और समुदाय मिलते हैं, यथा—हिन्दू धर्म में वैष्णव, शाक्त व शैव, आदि मत वाले मिलते हैं; इस्लाम में शिया और सुन्नी; ईसाइयों में प्रोटोस्टैट्ट और कैथोलिक; सिखों में अकाली और गैर-अकाली; बौद्ध धर्म में जीवनशाम और महायाम और जैनों में श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय प्रचलित हैं। इस प्रकार धर्मों की दृष्टि से भारत में बहुलता पाई जाती है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार है—

क्रम सं.	धर्म	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	हिन्दू	69.74 करोड़	82.63
2.	इस्लाम	9.58 करोड़	11.35
3.	ईसाई	2.05 करोड़	2.43
4.	सिख	1.65 करोड़	1.96
5.	बौद्ध	0.59 करोड़	0.71
6.	जैन	0.41 करोड़	0.48
7.	पारसी एवं अन्य	0.35 करोड़	0.43

उपर्युक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अन्य धर्मों को मानने वालों की तुलना में अत्यधिक है। हिन्दू धर्म में अनेक देवी-देवताओं की आणापना, धार्मिक उत्सव, दान, यज्ञ, ग्रन्थ व तीर्थ-यात्रा आदि का विशेष महत्व है। अन्य धर्मों के अनुयायी अल्प मात्रा में हैं किन्तु सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है जिससे राष्ट्रीय एकता विच्छिन्न होने से बची हुई है। किन्तु कभी-कभी धर्म भी विघटनकारी भूमिका निभाता है। कुछ संस्थान आदि विशिष्ट धर्मों के लिए ही कार्य करते हैं जो कभी-कभी एकता में बाधक होते हैं।

3. भाषा सम्बन्धी विभिन्नताएँ— विचाराभिव्यक्ति का सबसे सशक्त साधन भाषा है। भाषा के ही माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भागत में अनेक भाषा-भाषी लोग रहते हैं। यहाँ 189 भाषाएं तथा 544 बोलियां प्रचलित हैं। भारतीय सविधान द्वारा स्वीकृत 15 भाषाएँ—हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, बगाली, कश्मीरी, तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी, उडिया और असमी हैं जिनमें प्रत्येक की अपनी-अपनी लिपि है। इसके अतिरिक्त अनेक भाषाएँ, जैसे— भोजपुरी, मैथिली, मालबी, राजस्थानी आदि भाषाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। भाषाओं के कारण अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं जिनमें एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र के लोगों से तनाव व मंदर्थ बना रहता है और यह सर्पर्ष राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण बापक तत्व का कार्य करता है।

4. क्षेत्रीय विभिन्नताएँ— भारत में क्षेत्र विशेष के कारण व्यक्तियों के रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान में अंतर आ जाता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए भारत के उत्तर में पहाड़ हैं, दक्षिण में समुद्री तट है, पश्चिम में एक ओर गणा-जमुना का उपजाऊ मैदान है और दूसरी ओर पहाड़ी, पठारी व जंगली प्रदेश है जहाँ लोगों को आजीविका के लिए भी कठिन प्रयास करना पड़ता है।

इसी प्रकार कहीं पर विलासिता व सुख-वैभवमय जीवन है तो कहीं अभावमूर्ग जिन्दगी है; कहीं कृषि, पशुपालन पर जोर है, तो कहीं बड़े-बड़े कल्प-कारखाने जीवन की व्यस्तता को बता रहे हैं। कहीं-कहीं आज भी आदिम, जंगली वं अभावमय जीवन व्यतीत करने के लिए लोग बाध्य हैं। इस प्रकार अनेक थेट्रों में रहने वाले लोगों का जीवन वैविष्यपूर्ण है जो भारतीय समाज व संस्कृति की विविधता को स्पष्ट करता है।

5. मांस्कृतिक विभिन्नताएँ— भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश कहा जाता है। ये सांस्कृतिक विभिन्नताएँ वेश-भूमा, खान-पान, रहन-सहन, संरात, नृत्य, सोक-गीत, विवाह-प्रणाली, जीवन-संस्कार आदि अनेक थेट्रों में दिखाई देती हैं। प्रत्येक क्षेत्र विरोध में रहने वाले लोगों की अपनी-अपनी प्रथाएँ, शैचियाँ, इच्छाएँ, आदि हैं जिनके कारण उनमें अनेक अन्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे— हिन्दू और मुसलमानों की वेशभूमा, खान-पान, विवाह-प्रणाली आदि में पर्याप्त अन्तर है। शाकाहारी व मांसाहारी, लोगों की शैचियों में अन्तर उनकी संस्कृति को प्रभावित करता है।

इसी प्रकार संरात, कला, नृत्य आदि के क्षेत्र में विभिन्नताएँ मिलती हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, वाम्नुकला के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे— मन्दिर, मस्जिद, चर्चों तथा मूर्तियों की कला की भिन्नता उनसे सम्बन्धित धर्मों की संस्कृति को स्पष्ट करती है। लोगों के व्यवहार, नैतिकता, विश्वास, धर्म-त्याग, वैवाहिक तरीके व नियेष आदि में भी अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृतियाँ किम रूप में भिन्नता तिए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अनेक संस्कृतियाँ हैं और सभी की अपनी एक विशेषता है जो उसे अन्य संस्कृतियों से भिन्न करती है।

6. प्रजातीय विभिन्नताएँ— भारतवर्ष में अनेक प्रजातियाँ हैं— द्रविड़ और आर्य प्रजाति के लोग यहीं अधिक मात्रा में हैं लेकिन इनके अतिरिक्त मणिलालायड, ग्रीक, शक, हृण, कुण्डण, यवन आदि प्रजातियों के लोग आक्रमणकारियों के रूप में भारत में आए और धीरे-धीरे भारतीय समाज के एक अंग बनकर यहाँ रह गए। इन प्रजातियों के पास्पर विवाह-सम्बन्ध आदि के कारण प्रजातियों का मिश्रण स्पष्ट दिखाई देता है। कांकेनायड, मणिलालायड, ग्रीगोरायड के ग्राहीरिक तथा यहाँ की जनसंख्या में भी देखे जा सकते हैं, जैसे— पटाई प्रदेश में रहने वाले लोग मणिल प्रजाति के लोगों के समान शारीरिक विरोधताएँ रहते हैं तो कुछ लोग नीत्रों प्रजाति के समान काले धुपगले वालों वाले पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि “भारत प्रजातियों का एक अव्यायवर्ध है।”

7. जनसंख्यात्मक विभिन्नताएँ— भारतीय समाज व संस्कृति में जनसंख्या की दृष्टि से अनेक वैभिन्न दिखाई देते हैं— सन् 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ से कुछ अधिक थी— सन् 1981 में यह बढ़कर 68.52 करोड़ हो गई तथा 1991 में यह जनसंख्या 84.63 करोड़ थी और वर्तमान में यह बढ़कर 89 करोड़ हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जनसंख्या भारत में क्रियानी तीव्र गति से बढ़ रही है। इतनी विस्तृत जनसंख्या में अनेक प्रकार की भिन्नताएँ होना स्वाभाविक है। आधुनिकता व प्राचीन आदिम अवस्था, नगरीय व ग्रामीण सभी प्रकार का जीवन एक समय में लोगों द्वारा व्यतीत किया जा रहा है। जनसंख्या के मात्र-मात्र जनसंख्या घनत्व में भी भिन्नता दिखाई देती है। जैसे देश के किसी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है तो किसी भाग में कम। सम्पूर्ण देश की दृष्टि से जनसंख्या का घनत्व 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में भी और पुरुष के अनुग्रात में भी अन्तर-अलग क्षेत्रों में भिन्नता मिलती है। देश की 1991 की जनगणना के अनुमान 43.923 करोड़ पुरुष और 40.707 करोड़ स्त्रियों हैं अर्थात् जनसंख्या में पुरुओं की तुलना में मियों का अनुग्रात

कम है। ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है। इसी तरह साधारण का अनुपात भी नियशता की तुलना में बहुत कम है। मुल जनसंख्या में 52.21 प्रतिशत साधारण है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से संस्कृतमाला एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन निर्णय हो रहे हैं—निष्कर्ति कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में जनसंख्या की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता दृष्टिशक्ति होती है।

8. जलवायु सम्बन्धी विभिन्नताएँ— जलवायु की दृष्टि से भी भारत में अनेक विभिन्नताएँ मिलती हैं जो संस्कृति की भी प्रभावित करती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत देश को पाँच बड़े पाञ्चाली राष्ट्रों में विभाजित किया गया है—(1) उत्तर का फर्नीय प्रदेश, (2) उत्तरी भारत का नड़ा वैदान, (3) दधिण का पठारी प्रदेश, (4) राजस्थान का मरुस्थल, एवं (5) समुद्री तटीय वैदान। इन राष्ट्रों में जलवायु सम्बन्धी विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे पठारी क्षेत्रों में प्राय छंड अधिक रहती है तो ऐग्निकानी प्रदेशों में गर्भी की मात्रा अधिक रहती है, कहीं पर अधिकांश समय घाँटी होती रहती है, तो कहीं-कहीं पर घर्मी-कानी ही थोड़ी-सी मात्रा में नर्धा हो पाती है। समुद्री तटों पर गोलाम में पाय कोई रिशोप परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो वैदानी प्रदेशों में नन्हा परिवर्तन के साथ-साथ तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह जलवायु सम्बन्धी विभिन्नता के कारण रहा-सहन, लान-पान, देश-भूया आदि में अन्तर आ जाता है जिससे संस्कृति भी प्रभावित हो जाती है। अत यह कहा जा सकता है कि जलवायु सम्बन्धी विभिन्नताएँ भारतीय समाज व संस्कृति में विभिन्नता व विभिन्नता लाने के लिए उत्तरदायी हैं।

9. जातीय विभिन्नता— भारतीय समाज में जाति के आधार पर भी विभिन्नता के दर्शन होते हैं। भारत में अनुमतता तीन हजार जातीय समूह है जिनके विभिन्नता के व्यवसाय, राज-पान, रीति-रिवाज और वैताहिक सम्बन्ध आदि होते हैं। विभिन्न जातियों में परस्पर उन्नता और विमता के आधार पर एक प्रकार का संस्तरण भी पाया जाता है जिसके आधार पर वे एक-दूसरे को नीचा या ऊचा मानती हैं। उनमें हुआदूत की भावना भी पाई जाती है। इसके उपरान्त भी राजी जातियों अपने-अपने कर्तव्यों को ही अपना गर्भ मानकर उनसे परिपालना करती है और अन्य जातियों के साथ अपने सम्बन्ध बनाए रखती है। ग्रामीण व्यवस्था में राजी जातियों, जैसे—गुम्हार, बदई, नाई, गोबी, चिसान और पड़िह—एक-दूसरे के साथ सम्बन्धित रहने सहजोग से जीवन-यापन करते हैं। उनमें विभिन्नता में एकता के माध्यम दर्शन होते हैं। इस प्रकार विभिन्न जातियों के होते हुए भी समाज में साझेदार बना हुआ है।

10. जनजातीय विभिन्नता— रान् 1991 की जनगणना के आधार पर भारतार्थ में 6.78 करोड़ जनजातीय लोग रहते हैं। ये जनजातीय समूह भाजी-अपनी संस्कृति का निर्वाह करते हुए जी-जन जीती है। कुछ जनजातियां आदिम अवस्था में ही रहती हैं जबकि कुछ ने आगुनिक सुधार-सामग्री को थोड़ा-बहुत अपनाया है। मध्य प्रदेश में इन जातीय स्तोंगों का प्रतिशत बारंगिला है, जैसे देश के सभी भागों, जैसे—उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, अन्ध्र प्रदेश और असम आदि में ये स्तोंग नियम संस्कृत करते हैं। इन जनजातियों से व्यवसाय, राज-पान, रहन-सहन, वैदिक-साधान-पूजा और रीति-रिवाजों में अनेक विभिन्नताएँ मिलती हैं—कुछ जनजातियों कुणि-कार्य करती है, तो कुछ पशुपालन, शिकार, फल-फूल एकत्र करने आदि के कार्य करती है। इस प्रकार अनेक जनजातीय-लोग भाजी-अपनी संस्कृति का निर्वाह करते हुए परस्पर समूहों में रहते हैं। इनमें अनेकता वे एकता के दर्शन होते हैं।

11. अभिजात एवं जनसाधारण—भारतवर्ष में दो वर्ग—अभिजात और जनसाधारण—देखे जा सकते हैं, जिनके बीच बहुत बड़ा अन्तर मिलता है। जनसाधारण स्वदेशी संस्कृति का पोषक, सामान्य शिक्षा प्राप्त और परम्परावादी भारतीय शैली को अपनाने वाले होते हैं, जबकि अभिजात वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त विदेशी व अत्याधिक संस्कृति वाले व उच्च व्यवसाय वाले होते हैं। भारत में शिक्षितों का प्रतिशत 52.21 है, जो कम ही है अत अन्य देशों की तुलना में यहाँ जनसाधारण वर्ग का प्रतिशत ऊँचा और अभिजात वर्ग का प्रतिशत निम्न है। इन दोनों की परम्पराओं, व्यवहारों आदि में बहुत अन्तर होता है। इन दोनों के मध्य संचार भी कम ही पाया जाता है, दोनों की जीवन-शैली में बहुत अन्तर होता है। भारतीय समाज में विविधता के दर्शन इन दोनों वर्गों की भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, संस्कृति और शिक्षा आदि द्वारा किए जा सकते हैं।

भारतीय समाज तथा संस्कृति में विविधता में एकता

भारतीय समाज एवं संस्कृति के अन्तर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं के साथ-साथ भारतीय संस्कृति अनेक रूपों में एक है जिसने युगों पूर्व की विशेषताओं को आज तक जीवित रखा है जैसा कि पिछले पृष्ठों में देखा जा चुका है भारत में प्रजाति, संस्कृति, भाषा, धर्म, जलवायु, जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से अनेक भिन्नताएँ हृषिगोचर होती हैं। प्रथाओं, रूढ़ियों, रीति-रिवाज आदि में पर्याप्त भिन्नता हर स्थान पर दिखाई देती है किन्तु इन विविधताओं के पीछे जो आपारभूत एकता है वह विचारणीय है। राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक “फ़न्डामेण्टल यूनिटी ऑफ इण्डिया” में भारत की एकता के सम्बन्ध में पं. नेहरू के विवारों का इस प्रकार उन्नेख किया है—पं नेहरू ने एक बार कहा था “भारत का सिहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं, वे भारत की एकता को साधारणत नहीं देख पाते। यद्यपि युगों-युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसका महान एवं मौलिक तत्व रहा है।”

भारत की एकता के सम्बन्ध में सर हर्बर्ट रिचर्ड्स ने कहा है, “भारत में धर्म, रीति-रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है।” भारतीय संस्कृति की एकता के विषय में सी.ई.एम. जोड़ का मानना है, “जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में ममन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की क्षमता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए इनकी विशिष्ट देन रही है।”

इन कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में अनेकताओं के होते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अब निम्नलिखित रूपों में भारतीय संस्कृति की एकता पर विचार किया जायेगा।

1. भौगोलिक विविधता में एकता— भारत की एकता उसकी भौगोलिक एकता पर आधारित है। वर्षा, तालमान, जलवायु, पृथ्वी की उत्पादन-क्षमता, जीव-जन्म एवं वनस्पतियाँ आदि अनेक विविधताओं के होते हुए भी प्रकृति ने इसे एकता प्रदान की है जो आन्तरिक विभाजनों को प्रचलित कर देती है। भौगोलिक दृष्टि से जो अनेकरूपता है उसमें एक ऐसी एकता दृष्टिगत होती है जिसने भारतीय जीवन व उसकी संस्कृति को हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एकता के मूल में पिरो दिया है। स्मित जैसे आतोचक इतिहासकार का भी यह मानना है कि “भारत निस्सदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक ही है।”

भारतीय समाज एवं संस्कृति : एकता और विविधता

भौगोलिक विषयताओं के होते हुए भी अनेक लक्षण भारत को सर्वांपवर्ती देशों से स्पष्ट रूप से पृथक् कर देते हैं, ऐसा भौगोलिकताओं का मानना है। भारतीयों को प्राचीन काल से ही इस भौगोलिक एकता का ज्ञान है। कोई भी ऐसा कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक वा नीतिकार और राजनीतिज्ञ नहीं हुआ जिसने भारत के किसी भाग को दूसरे देश का समझा हो। हमारे प्राचीनतम महाकाव्यों में भी इस देश का नाम ‘भारतवर्ष’ ही मिलता है। ‘विष्णुपुराण’ के एक श्लोक में तो स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि “समुद्रे के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का सारा प्रदेश ‘भारत’ है और उसके राब निवासी भारत की सन्तान हैं।”¹

तीसरी-चौथी शती से भारत के विद्वाम देश की भौगोलिक एकता से पूर्ण रूप से भिज़ थे और वे यह मानते थे कि देश की एकता एवं अखण्डता भौगोलिक दृष्टि से अक्षुण्ण रहेगी।

2. सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता में एकता—भारत में विभिन्न धर्मविलम्बी, जाति, प्रजाति आदि के लोगों के अनेक धर्म, रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेश-भूषा, विवाह-नियम आदि हैं किन्तु भारतीय संस्कृति की एकता प्रबल रूप से स्पष्ट होती है, इसमें आध्यात्म का विशेष स्थान है। उदाहरणार्थ— भारत के प्रत्येक क्षेत्र में संयुक्त-परिवार प्रणाली, वर्णश्रिम व जाति-व्यवस्था, सामाजिक-धार्मिक उत्सव, त्यौहार आदि समान रूप से मान्य है। होली, दीवाली, एका-बन्धन, राम-नवमी जैसे त्यौहार सर्वत्र समान रूप से मनाए जाते हैं। शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, दुर्गा, सीता, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती आदि की उपासना प्रत्येक क्षेत्र में की जाती है। अनेक प्रथाएं, रुदियाँ आदि वैवाहिक संस्कार, जन्म व मृत्यु संस्कार, भारतीय संस्कृति की एकता के स्वरूप के परिचायक हैं। यम, नियम सदाचार, शील आदि को प्रत्येक सम्प्रदाय महत्वपूर्ण मानते हैं— तीर्थ-स्थानों का महत्व सभी के लिए समान रूप से मान्य है। इन सब को देखते हुए भारतीय-सांस्कृतिक एकता स्वतं स्पष्ट है।

3. राजनैतिक एवं ऐतिहासिक विविधता में एकता— प्राचीन काल से ही भारत में अनेक विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं। आक्रमणकारी भारत की प्राकृतिक वैभव, सम्पदाव प्रसिद्धि से मोहित होकर यहाँ आते रहे व बहुत-सी अनमोल सम्पदा लूट कर ले जाते रहे। अनेक लोग यही आकर बस भी गए जिससे उन्होंने एक समन्वित संस्कृति का निर्माण किया। किन्तु उस समय भी भारत की राजनैतिक ओंग ऐतिहासिक एकता विखंडित नहीं हो सकी क्योंकि प्राचीन समय से ही भिन्न-भिन्न धर्मों व जातियों आदि ने एक समान इतिहास की रचना की है।

राजनैतिक एकता भी प्राचीन काल में देश की विशालता और यातायात के पर्याप्त साधनों के अभाव में यद्यपि पूर्ण रूप से स्थापित न हो सकी किन्तु माप के अजातशत्रु मौर्य, आनन्द और गुरु सग्राटों ने राजनैतिक परम्परा की एकता को बनाए रखा। मध्य युग में भी अकबर, और गङ्गेश व मराठों के पेशवाओं ने भारत को राजनैतिक एकता की दृष्टि से बीधे रखा। उस समय भी केन्द्र से सारे साम्राज्य का शासन संचालित होता था। आधुनिक युग में विदेशी शक्ति से देश को स्वतंत्र कराने के लिए गए आनंदोलनों ने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरात एक-सी शासन व्यवस्था, कानून, संविधान आदि सभी ने राजनैतिक एकता को मुद्रिता प्रदान की है।

1. उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रे श्रेव दण्डिष्माम्।

वर्ण तद् भारत नामा भारती यत् सतकि॥

4. धार्मिक विविधता में एकता— भारत में अनेक धर्मों व सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं। विदेशों से अनेक धर्मों के लोग यहाँ आए किन्तु सभी के सिद्धान्तों में एकता व समानता पाई जाती है। सभी धर्म ईश्वर, आध्यात्मिक शक्ति, सत्य, न्याय, दया, अहिंसा आदि में विश्वास करते हैं। स्नान करते सभी व्यक्ति गण, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों का स्मरण करते हैं। मंदिरों-तीर्थों आदि के प्रति सभी व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं।

यह सब भारतीय संस्कृति की एकता की पहचान है। ब्रदीनाथ, केदारनाथ की यात्रा, द्वारिका, पुष्कर, मानसरोवर आदि में स्नान भारतीय एकता को गहरे सूत्र में बौधे हुए हैं। सभी के लिए भारत एक पुण्य स्थली है।

5. जातीय विविधता में एकता— भारत में अनेक जातियों का सम्मिश्रण हो गया है। सभी जातियों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, किन्तु अनेक विभिन्नताओं के उपरान्त भी अनेक समानताएँ ऐसी हैं जो सम्पूर्ण भारत की सांस्कृतिक एकता को आभासित करती है। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन सभी आधारभूत सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, सस्कार, पुरुषार्थ आदि को सभी जातियाँ किसी न किसी रूप में स्वीकार करती हैं, इसी तरह कला-शैली आदि अनेक रूपों में भारतीय संस्कृति की एकता सभी स्थानों पर दृष्टिगोचर होती है।

6. प्रजातीय विविधता में एकता— प्रजातियों की हट्टि से भी भारत को प्रजातियों का ‘अजायब घर’ कहा जाता है। विश्व की प्रमुख तीन प्रजातियाँ— श्वेत, वीत एवं कृष्ण तथा उसकी उपशाखाएँ भारत में विद्यमान हैं— उत्तरी भारत में आर्य तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति के लोगों का बहुत्व है। प्रजातियों की भिन्नता के उपरान्त भी यहाँ संघर्ष की स्थिति नहीं है। परस्पर सहयोग, मद्भाव की भावना उनमें भारतीय एकता को बनाए रखने में सहायक होती है।

7. भाषाई विविधता में एकता— यह सत्य है कि भारत में भाषा के नाम पर सदैव विवाद रहा है। यहाँ 15 भाषाएँ सविधान द्वारा स्वीकृत हैं तथा अनेक अन्य भाषाएँ भी महत्वपूर्ण हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं, लेकिन भाषाई अनेकरूपता के उपरान्त भी त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शिक्षण-संस्थाओं में जो तीन प्रमुख भाषाएँ (हिन्दी, अंग्रेजी व एक अन्य प्रान्त की भाषा) सिखाई व पढाई जाती है वे विभिन्न भाषा-भाषियों को एकता के सूत्र में बौधे हुए हैं। भारतीय सविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो भाषाई एकता का ही उदाहरण है।

8. मानसिक एकता— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में अनेक जातियाँ, भाषाएँ, धर्म आदि हैं जिनकी अनेक संस्कृतियाँ हैं। प्रत्येक की अपनी-अपनी विशिष्टताएँ हैं जो मानसिक रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, किन्तु इस विविधता में भी मानसिक एकता स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण के लिए यहाँ राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है इसका प्रमाण युद्ध आदि के समय स्पष्ट देखा जा सकता है। सन् 1962 में भारत-चीन व सन् 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के ममत्य सम्पूर्ण भारत की औंडों के समक्ष राष्ट्र की रक्षा का हित स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।

बाह्य रूप से भारतीय समाज, संस्कृति व जन-जीवन में विभिन्नता होते हुए भी भारत मौलिक रूप में एक है। इसी सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनैतिक चेतना के आधार पर ‘राधाकृष्णन’ का कहना उचित ही है कि “भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं यद्यपि परीक्षण करने पर वे विभिन्न प्रकार के रूपों में विखरे हुए दिखते हैं। यद्यपि भिन्नता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकी है। यद्यपि

- (3) प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक किस धर्म के समुदाय हैं। (पारसी/ईसाई)
 (4) हिन्दुओं के बाद देश में सर्वाधिक जनसंख्या की है। (मुसलमानों/बौद्धों)

[उत्तर-(1) 1.96, (2) 0.41करोड़, (3) ईसाई, (4) मुसलमानों]

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

- ‘संज्ञातीय-चेतना’ को स्पष्ट कीजिए।
- भौगोलिक दृष्टि से भारत के पाँच प्राकृतिक भाग कौन-कौन से हैं ?
- ‘संज्ञातीयता’ तनाव और संघर्ष को किस प्रकार जन्म देती है ?
- ‘सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता में एकता’ को स्पष्ट कीजिए।
- क्षेत्रीय विभिन्नताओं का इस देश को विविधता प्रदान करने में क्या योगदान है ?
- ‘भारत’ इस उप-महाद्वीप का नाम क्यों पड़ा ?
- सिद्ध कीजिए कि भारत में विभिन्नता में एकता पाई जाती है। (उत्तर सीमा 1 पृष्ठ)
- भारत में ‘धार्मिक विभिन्नता’ पर प्रकाश डालिए।
- सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट कीजिये।
- भारतीय समाज में एकता उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो तत्त्वों को समझाइए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर मंकिस्ट टिप्पणियाँ लिखिए-

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. भारत में जनसंख्यात्मक भिन्नता। | 5. भारतीय समाज और सस्कृति में विविधता |
| 2. भारत में मानसिक एकता। | में एकता। |
| 3. राजनैतिक और ऐतिहासिक एकता। | 6. सञ्ज्ञातिकी। |
| 4. जातीय एकता | 7. भारत की भौगोलिक एकता। |
| | 8. भाषा सम्बन्धी विभिन्नताएँ। |



अध्याय - 2

भारत में ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय

(Rural and Urban Communities in India)

भारत अनेक समुदायों से मिलकर बना है। इनमें प्रमुख समुदाय ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। नगर और ग्राम दोनों का पर्यावरण पूर्णतया भिन्न है। जहाँ ग्रामीण जीवन प्रकृति के प्रत्यक्ष सम्पर्क का परिणाम है वहाँ नगरीय जीवन प्राकृतिक पर्यावरण का परिणार्जित रूप है। चैकिं पर्यावरण का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है इस कारण ग्रामीण और नगरीय दोनों के सामाजिक, आर्थिक आदि तश्शओं में भी पर्याप्त अंतर होता है। इन भिन्नताओं को जानने के लिए हमे इन दोनों महत्वपूर्ण समुदायों के सामाजिक संगठन को जानना होगा क्योंकि किसी भी समुदाय का सामाजिक संगठन वहाँ पर विद्यमान पर्यावरण और परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। ग्रामीण और नगरीय परिस्थितियाँ—जनसंख्या, रहन-सहन, पान-पान, व्यवसाय और सामाजिक सम्बन्ध आदि अनेक धरों में भिन्नता लिए हुए होती है। इन लक्षणों में भिन्नता होते हुए भी ग्रामीण और नगरीय समुदाय परम्परा एक-दूसरे से सम्बन्धित तथा अन्योन्याधित भी होते हैं। ग्राम अपनी कृषि की पैदायार, खाद्यान्न, सब्जी, दूध और कच्चा माल आदि नगरों को प्रदान करता है तो दूसरी ओर नगर भी ग्रामों को अपने अनेक उत्पाद दवाइयाँ, मरीने, वाटन तथा अन्य उपयोग की वस्तुएँ प्रदान करता है। ग्रामीणों की मुख्य-सुविधाओं से आकर्षित होकर नगरों की ओर प्रवासन करते हैं। इन का समीप से अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों समुदायों का विस्तार से अध्ययन किया जाए। इस अध्याय में भारत के ग्रामीण समुदाय तथा नगरीय समुदाय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।

भारतीय ग्रामीण समुदाय

अनेक विद्वानों का कहना है कि भारत ग्रामों का देश है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 लाख से कुछ अधिक ग्राम हैं। इन ग्रामों में भागतवर्ष की 74.3% जनसंख्या निवारा करती है। औमेलो ने कहा है, "भारत वर्ष ग्रामों का देश कहकर पुकारा जाता है।" जर्मन विद्वान मेस्स वेचर का कथन है, "भारतवर्ष ग्रामों का देश है।" समाजगांव में भारतीय ममाज़ को समझने के लिए ग्रामीण समुदायों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। इस अध्ययन के अभाव में हम भारतीय ममाज़ को नहीं समझ सकते। इसी महत्व के अनुमार अब हम भारतीय ग्रामीण समुदाय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। सर्वांगीन ग्रामीण समुदाय का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे।

ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा— ग्रामीण समुदाय तथा नगरीय समुदाय परस्पर एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी सम्बन्धित है। एक की परिभाषा और अर्थ दूसरे के सापेक्ष है। इनको एक-दूसरे के संदर्भ में ही विद्वानों ने परिभाषित किया है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने ग्रामीण समुदाय की परिभाषाएँ व्यवसाय, जनसंख्या, सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक पर्यावरण आदि के आधार पर दी है। ये परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1. एन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशियल साइंसेज में लिखा है, “एकाकी परिवार से बड़ा सम्बन्धित तथा असम्बन्धित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान या निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ सम्बन्धों में आवद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल में संयुक्त रूप में कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है।”

2. केयर्चाइल्ड ने कहा है, “ग्रामीण समुदाय पड़ीस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने-सामने के सम्बन्ध पाए जाते हैं, जिसमें सार्वहिक जीवन के लिए अधिकाशत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है।”

3. डी. सेण्डर्सन के अनुसार, “एक ग्रामीण समुदाय संघ का वह स्वरूप है जो एक स्थानीय क्षेत्र में जनता एवं उनकी सम्पत्तियों के बीच पाया जाता है जिसमें वे विखरे हुए खेतों की झोपड़ियों में एवं एक ग्राम में रहते हैं, जो ग्राम उनकी सामान्य गतिविधियों का केन्द्र होती है।”

जनसंख्या के आधार पर ग्राम और नगर की परिभाषा अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न है। भारतवर्ष में पांच हजार से कम जनसंख्या वाले आबादी के क्षेत्र को ग्राम कहा गया है तथा पांच हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर कहा गया है। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम निवास करते हैं। व्यवसाय के अनुसार ग्रामीण समुदाय में 75% या इससे अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों को करने वाली होती है। कुछ विद्वानों ने सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर ग्रामीण समुदाय उस समाज को कहा है जिनमें व्यक्तियों में परस्पर आमने-सामने के घनिष्ठ तथा ग्राथमिक सम्बन्ध होते हैं। जहाँ तक प्राकृतिक पर्यावरण का सम्बन्ध है ग्रामीण समुदाय प्रकृति से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते हैं।

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय आकार में छोटे होते हैं। उनकी जनसंख्या तथा जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ये समुदाय कृषि प्रधान होते हैं। विशेष रूप से हलीय कृषि पर आधारित होते हैं। इन समुदायों के लोगों में सामाजिक सम्बन्ध घनिष्ठ तथा आमने-सामने के होते हैं। इनमें ‘हम’ की भावना होती है। इनमें व्यवसाय, खान-पान, घेराभूपा, आचार-विचार, दिनचर्या, धार्मिक-विवाह आदि से समरूपता पाई जाती है।

भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएँ

भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं का वर्णन श्यामा चरण दुबे, ए.आर. देसाई, योगेन्द्र सिंह, एम.एन श्रीनिवास आदि ने किया है जो निम्नलिखित प्रकार है—

1. लघु आकार— सामाजशास्त्रियों ने लिखा है कि भारत के ग्रामीण समुदाय को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखें तो यह समुदाय आकार में छोटा होता है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल नगरों की तुलना में बहुत छोटा होता है। ग्रामीण समुदाय पूर्ण रूप से तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर

होते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन होता है। जिस स्थान पर ग्राम बसा होता है वह तो आकार में छोटा होता है लेकिन खेत, खलिहान आदि दूर तक फैले होते हैं।

2. न्यूज जनसंस्क्या— ग्रामीण समुदाय की जनसंस्क्या बहुत कम होती है प्रति वर्ग किलोमीटर के हाउडिकोण से देखें तो गाँव की जनसंस्क्या का घनत्व भी नगरों की तुलना में कम होता है। ग्रामवासियों के पास प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार कृषि भूमि या खेत होते हैं। सार्वजनिक चरणागह होते हैं। कृषि का व्यवसाय तथा पशुपालन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ग्रामीण समुदायों की जनसंस्क्या तथा जनसंस्क्या का घनत्व न्यून होना है।

3. ग्रामीणिक मन्दवन्धों की प्रधानता— ग्रामीण समुदाय आकार में छोटा तथा कम जनसंस्क्या वाला होने के कारण सभी ग्रामवासी परम्परा एक-दूसरे को निकटता से जानते हैं। सभी जातियों के मदस्य परस्पर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं तथा जजमानी व्यवस्था के कारण एक-दूसरे से पीटी-दर-पीटी अन्योन्याश्रित होते हैं। उनमें परस्पर आमने-सामने के सम्बन्ध होते हैं। उनमें अनौपचारिक सम्बन्ध होते हैं। ग्रामीण समुदाय में पारम्परिक, सामाजिक सम्बन्धों का आधार, परिवार, पड़ोस, जाति-प्रदा तथा जजमानी-प्रथा, और नातेदारी आदि होते हैं। आपस में एक-दूसरे को नातेदारी शब्दावली से सम्बोधित करते हैं, जैसे—काका, बाबा, बुआ आदि। इसलिए इन समुदायों में ग्रामीणिक सम्बन्धों की प्रधानता मिलती है।

4. माल एवं सादा जीवन— सभी ग्रामवासियों का जीवन लगभग एक-मा होता है। दिनचर्या एक-सी होती है। उनका जीवन प्रकृति के निकट एवं प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होता है। इसलिए गुद रक्खा, सादा भोजन, मोटे यथा वाला साधारण जीवन होता है। जो कुछ प्रकृति तथा पशुपन से प्राप्त करते हैं उसी से जीवनयापन करते हैं। उनकी दिनचर्या कृषि के कार्य, पशुपालन तथा जीविका की व्यवस्था करने में ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए सभी ग्रामीण अपना जीवन कुत्रिमता तथा शहरी जीवन से भिन्न सरल, सादा तथा सीधा जीवन व्यतीत करते हैं।

5. प्रकृति पर निर्भरता एवं घनिष्ठता— भारतीय ग्रामीण समुदाय प्रकृति पर अनेक प्रकार से निर्भर होता है। ग्रामवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि का होता है। कृषि का व्यवसाय उपजाऊ भूमि, तर्पी सर्दी, गर्मी, नदी आदि पर निर्भर होता है। ग्रामीण समुदाय की खुशहाली प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित होती है। इनका जीवन कृषि, पशुपालन, खाद्य मक्कलन, मठलां, कन्दगून और फल-फूल से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होता है। ग्रामीणों का इन सब प्राकृतिक सम्पदाओं से सीधा सम्बन्ध होने के कारण वह प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। ग्रामीण जन्म में लेकर मृत्यु तक प्रकृति के बीच रहता है।

6. मुख्य व्यवसाय कृषि— भारतीय ग्रामीण समुदाय की परिभाषा में कृषि के व्यवसाय को प्रधान माना है। जब किमी समुदाय की आपी से अधिक जनसंख्या एक ही प्राप्ति व्यवसाय कृषि का कार्य करने वाली होती है तो उसी को ग्रामीण समुदाय कहते हैं। भारतीय ग्राम की प्रमुख विरोपता कृषि का मुख्य व्यवसाय ही है जिसमें 70 में लेकर 80 प्रतिशत ग्रामीण किमी-न-किमी ग्रामों में सम्बन्धित होते हैं तथा अपनी जीविका अर्जित करते हैं। ग्रामीण समुदाय में अन्य उप-व्यवसाय भी होते हैं, जैसे—पशुपालन, खाद्य सकलन, रस्मी, चट्टां, टोस्मी, कयडा, मिठी और धातु के वर्तन जन्मा आदि। कई जातियां अन्य जातियों की मेवा करती हैं पग्नु वे भी कृषि के व्यवसाय में किसी-न-किसी रूप में सम्बन्धित होती है। इस प्रकार भारतीय ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि प्रधान होते हैं।

7. संयुक्त परिवार— ग्रामीण समाज का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है जिसमें अनेक कार्य होते हैं। इसमें अनेक श्रमिकों की आवंश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार अधिक होते हैं। इस परिवार में तीन थाँ तीन से अधिक पीढ़ियाँ होती हैं। बाल-विवाह अधिक मात्रा में होते हैं। परिवार के सभी सदस्य री-पुरुष, बड़े-बड़े, जवान, बच्चे अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार कृषि कार्य में लगे होते हैं। सभी साथ-साथ एक छत के नीचे रहते हैं। एक चूल्हे पर बना भोजन करते हैं। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। वही संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का नियंत्रण और श्रम-विभाजन करता है। ग्रामीण समुदाय में परम्परागत पितृसत्तात्मक, हलीय कृषि पर आधारित, संयुक्त परिवार अधिक प्रतिशत में होते हैं। अगर कृषि का व्यवसाय ट्रैक्टर तथा अन्य आधुनिक पश्चीमों द्वारा होएगा तो संयुक्त परिवारों का प्रतिशत घट जाएगा। ऐसा परिवर्तन अब देखने में आ रहा है।

8. जाति-प्रथा— भारतीय ग्रामीण समुदाय की सं॒च्वना एवं कार्य जाति-व्यवस्था के द्वारा संचालित, नियन्त्रित एवं निर्देशित होता है। जाति-व्यवस्था के द्वारा भारत के ग्राम विभिन्न जातियों में स्तरित या उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित होते हैं। ग्राम में विभिन्न जातियाँ परम्परागत व्यवसाय करती हैं। ग्रामीण समुदाय में सदस्यता का निर्धारण जन्म के आधार पर जातियाँ करती हैं। ग्रामीणों के विवाह का क्षेत्र जातिगत होता है। जो जिस जाति का होता है उसका अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों का खान-पान, रीति-रिवाज, सामाजिक सहवास, सदस्यता, व्यवसाय, विवाह आदि जाति के द्वारा निर्धारित होते हैं। इनका उल्लंघन करने वाले को जाति, पंचायत अन्तर्जाति-पंचायत तथा ग्राम-पंचायत जुर्माना, बहिकार आदि दण्ड देती है। जाति-पंचायते ग्रामीण समुदाय की विभिन्न जातियों के सम्बन्धों का भी संचालन करती है।

9. जजमानी-प्रथा— जजमानी प्रथा के अनुसार ग्रामों में प्रत्येक जाति अन्य जातियों से किसी-न-किसी रूप में अन्योन्याश्रित होती है। शूद्र वर्ण के स्तर की जातियाँ, धोबी, नाई, बदई, कुम्हार, तुहार आदि अपनी सेवाएँ द्विज वर्ण के स्तर की जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो) को देती हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण अन्य सम्बन्धित जातियों के उत्सव, त्यौहार तथा सास्कार करवाते हैं। प्रत्येक जाति का परिवार अन्य सम्बन्धित जाति के परिवार से सेवा के बदले में कुछ नकद, वस्त्र, भोजन आदि लेता है। किसान फसल में निश्चित हिस्सा नाई, कुम्हार, बदई आदि को देता है। विभिन्न जातियों के परिवार एक-दूसरे से पीढ़ी-दर-पीढ़ी सम्बन्धित रहते हैं। ये सम्बन्ध परम्परागत होते हैं। भारतीय ग्रामों में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि ग्राम का विभाजन जजमानी प्रथा के द्वारा होता रहा है।

10. ग्राम पंचायत— भारत में प्राचीन काल से ग्रामों में ग्राम पंचायत रही हैं। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य परिवारों में भूमि का वितरण, विकास कार्यों को करना, सफाई आदि का ध्यान रखना, ग्रामीणों के झगड़ों को निपटाना, जाति के प्रतिबधों को कार्यान्वित करना आदि था। केन्द्रीय शासक को कर एकत्र करके पहुँचाना तथा ग्राम की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का समय-समय पर समाचार देना था। वर्तमान में भारत के ग्रामों में तीन स्तरीय पंचायती राज-व्यवस्था कार्य कर रही है।

11. जनमत का महत्व— भारतीय ग्राम आकार में छोटे होने के कारण जनमत का विशेष महत्व होता है। आमने-सामने के सम्बन्ध होने के कारण जनमत का कोई विरोध नहीं करता है। सभी

ग्रामीण जनमत का सम्मान करते हैं। पंच को परमेश्वर मानते हैं। जनमत का विरोध करने वाले की निदा की जाती है। उसका समाज में सम्मान घट जाता है। ग्रामीण समुदाय में जनमत के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है।

12. सामुदायिक भावना— भारतीय ग्राम की जनसंख्या इतनी कम होती है कि सभी एक-दूसरे को निकट से जानते हैं। उनमें परस्पर 'हम' की भावना होती है। सभी एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी होते हैं। विवाह, उत्सव, जन्म या मृत्यु संस्कार, अकाल, महामारी, बाढ़ आदि में सामूहिक रूप से एक-दूसरे का साथ देते हैं। सार रूप में कह सकते हैं कि ग्रामों में सामुदायिक भावना बहुत प्रबल होती है।

13. धर्म का महत्व— ग्रामों में धर्म अनेक कार्य करता है। भारतीय ग्रामों में तो प्रात काल से लेकर सोने तक, वर्ष के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक पण-पण पर धर्म ही सब कुछ नियंत्रित तथा सचालित करता है। धर्म सर्वोपरि होता है। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, होली, दीवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, मृत्यु भोज, जातिप्रथा, व्यवसाय, सदस्यता आदि धर्म के अनुसार ही होते हैं। स्वर्ग-नक्क, पाप-पुण्य, अच्छा-बुरा, सुख-दुख सब कुछ धर्म के द्वारा निश्चित होते हैं। अनेक अच्छी-बुरी प्रधारै धर्म के कारण आज भी प्रचलित है। धर्म ने ग्रामीणों को अंधविश्वासी तथा परम्परावादी बना दिया है।

14. भाष्यवादिता, रूढिवादिता एवं अशिक्षा— ग्रामीण समुदायों की अधिकाश जनसंख्या अशिक्षित है। इसी अशिक्षा के कारण ग्रामवासी भाष्यवादी तथा रूढिवादी हैं। अशिक्षा के कारण वे आज भी जादू-टोना, झाड़ा-फूंक आदि में अटूट अधिकारियां रखते हैं। आज भी ग्रामवासी पिछड़ा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस अज्ञानता के कारण उनका शोषण हो रहा है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति तो और भी निम्न है। कन्या-वध, बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, विधवा-पुनर्विवाह पर रोक आदि स्त्रियों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अशिक्षा के कारण इनका विकास भी बहुत पीरे-पीरे हो रहा है।

15. समरूपता— ग्रामवासियों के चीवन स्तर, दैनिक जीवनवर्धन, धेरा-भूषा, छान-पान, रहन-सहन आदि में समानता पाई जाती है। उनके विचार, आदर्श, मानसिकता, विश्वास, धारणाएँ, व्यवहार एक-से होते हैं। सामाजिक चेतना, जनमत, धर्म एवं धर्मिकावाद आदि में एकरूपता मिलती है। इनमें परम्परा का प्रभुत्व मिलता है तथा वैयक्तिकता और व्यक्तिवाद का अभाव होता है। नियकर्त्ता रूप में यह कह सकते हैं कि भारतीय ग्रामों में सामाजिक, पर्मिक, राजनीतिक आदि में समरूपता होती है।


16. आत्मनिर्भरता— भारत के ग्रामों की आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में दो प्रत हैं। सर हेनरी मैन, मुनरेह; फैट लॉफ, मार्क्स और नैटोन-पॉवेल ने भारतीय ग्रामों को पृथक तथा नंद इकाई बताया है। मैटकॉफ ने तो कुछ अधिक ही आत्म-निर्भर, स्वतंत्र और गणतंत्र संगठन बताया है। आपने लिखा है, "ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, उनमें उनकी आवश्यकताओं की जगह सभी वस्तुएँ पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी सम्बन्धों से लगभग स्वतंत्र हैं।" रैडफिल्ड ने लघु-समुदाय की चांग विशेषताएँ-विशिष्टता, लघुता, एकल्पना और आत्मनिर्भरता-बताते हुए लिखा है कि भारतीय ग्रामों और कृषक समुदायों में भी ये विशेषताएँ देखी जा सकती हैं। तेकिन इन उपर्युक्त वैज्ञानिकों के विचारों की कुटु आलोचना दुवे, मैरिट, मजूमदार आदि ने कहते हुए लिखा कि भारतीय ग्रामीण समुदाय पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र गणतंत्र इकाई नहीं है। दुवे ने लिखा है कि भारतीय

ग्रामीण समुदाय को वहू समुदाय (पूर्ण भारत) के संदर्भ में समझना चाहिए। यही विवार मैरिट, मजूमदार, मदन और मैडेल बॉम ने भी व्यक्त किए हैं। दुबे ने भारतीय ग्राम के अध्ययन को निम्न दो संदर्भों में करने का सुझाव दिया है—

- (1) भारतीय ग्राम एक पृथक् इकाई के रूप में, तथा
- (2) भारतीय ग्राम बड़े समुदाय के अंदर एक छोटा समुदाय।

हम भारतीय ग्राम की विवेचना इसी संदर्भ में देखेंगे—

(1) भारतीय ग्राम एक पृथक् इकाई के रूप में— दुबे एवं मैरिट के अनुसार भारतीय ग्राम को एक पृथक् इकाई के संदर्भ में रखकर इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पार्मिक और भौगोलिक संरचना का अध्ययन करना चाहिए। दुबे ने ग्राम की संरचना चित्र-1 के द्वारा स्पष्ट की है। ग्राम की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति, उसके बाद परिवार, निकट बंपुत्व समूह, वंश समूह, रक्त और वैवाहिक सम्बन्धी, उप-जाति और जातियाँ, तथा वर्ण हैं।



7. वर्ण (कम प्रभावी)
- 6 उप-जाति और जातियाँ
- 5 सम्बन्धी (रक्त, वैवाहिक)
- 4 वंश समूह (कम प्रभावी)
- 3 निकट बंपुत्व समूह
- 2 परिवार
- 1 व्यक्ति

चित्र : 1- ग्राम की संरचना बंपुत्व और जाति द्वारा संगठित

स्रोत : श्यामा चरण दुबे . एक भारतीय ग्राम


भारतीय ग्राम में परम्परागत संयुक्त परिवार कृषि पर आधारित होते हैं। ग्राम के विभिन्न कार्य-कलाओं में अधिकाधिक घनिष्ठतया भाग लेते हैं। यह उत्पादन और उपभोग की इकाई होती है। दक्षिण भारत में विवाह निकट सम्बन्धियों में होते हैं। ग्राम में भी विवाह हो जाते हैं परन्तु उत्तर तथा मध्य भारत में गोत्र-बहिर्विवाह तथा ग्राम-बहिर्विवाह होते हैं। दक्षिण भारत के ग्राम विवाह के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हैं परन्तु उत्तर भारत के ग्राम आत्मनिर्भर नहीं हैं।

जाति-व्यवस्था तथा जजमानी व्यवस्था के द्वारा ग्राम की विभिन्न जातियाँ परस्पर आर्थिक रूप से अन्योन्याश्रित होती हैं। जजमानी-प्रथा के द्वारा कृषि सम्बन्धी व्यवसायी सेवाएँ, सामाजिक और पार्मिक जीवन सम्बन्धी सेवाएँ जातियाँ एक-दूसरे को प्रदान करती हैं। आपस में आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारों को जातियाँ आपस में मिलजुल कर सम्पन्न कर लेती हैं। भुगतान नकद, वस्तुओं तथा सेवा के बदले सेवा के रूप में भी होता है।

ग्राम के स्तर पर जाति-पंचायत, अंतर्जाति-पंचायत और ग्राम-पंचायत के द्वारा अनेक स्थानीय

हैं। ग्राम-पंचायत स्थानीय प्रशासन भी देखती है। जाति-पंचायत जाति के लिए कार्य करती है। वह ग्राम के स्तर पर जाति के बंधन, प्रथाओं और जाति के झगड़ों का निपटारा अपनी जाति के पंचों तथा सदस्यों द्वारा पूर्ण करवाती है। भारतीय ग्राम को ग्रामवासियों की दिन-प्रतिदिन की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रिक, आर्थिक आदि आवश्यकताओं को पूर्ण करने के रूप में एक पृथक् आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देख सकते हैं। परन्तु ग्राम वृहद् भारत में भी सम्बन्धित हैं।

(2) भारतीय ग्राम वडे समुदाय के अंदर एक छोटा समुदाय—एक सीमा तक भारतीय ग्रामों को पृथक् आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखने के बाद दुबे ने ग्राम को वृहद् भारतीय समाज के संदर्भ में निम्न रूप में पाया। ग्राम थोनीय दृष्टिकोण से अन्य बड़ी इकाइयों से सम्बन्धित है। आपसे चित्र-2 में विभिन्न इकाइयों स्पष्ट की हैं। व्यक्ति परिवार से, परिवार ग्राम से, ग्राम अंतर्ग्रामीण मंगठन से, फिर प्रदेश तथा राष्ट्र से परस्पर सम्बन्धित होते हैं।



- 6 राष्ट्र
- 5 प्रदेश
- 4 अंतर्ग्रामीण मंगठन
- 3 ग्राम
- 2 परिवार
- 1. व्यक्ति

चित्र : 2- ग्राम की सरचना दैरिक सम्बन्धों से सांगित

धोत : वही

वृहद् स्तर पर ग्राम तथा उसके निवासी देश के साथ विभिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं। समाज की गतिविधियों, चार-धाम की यात्रा, राजनीतिक गतिविधियों, सम्भूता के प्रतिभानो आदि में हिस्सा लेते हैं। गाँव को दो स्तरों तथा सदर्भों में देखना चाहिए। ग्रामों में वहिर्विवाह होते हैं। पास के गाँव में भी विवाह निपिल है। इस प्रकार ग्राम की लड़कियों विवाह के द्वारा गाँव से बाहर चली जाती हैं और उसी प्रकार विवाह के द्वारा बहुओं के रूप में बाहर की बिंदुयां गाँव में आती हैं। उनके साथ बाहर की भाषा, रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन, सास्कृति भी आती है। इस प्रकार भारत के ग्राम वृहद् स्तर के सदर्भ में दूसरे भागों पर आश्रित भी हैं। संगभण 50% जनसंख्या का आगमन और निगमन होता है। धर्म के सदर्भ में चार-धाम की यात्रा प्रत्येक हिन्दू के लिए बताई गई है। ग्रामीण धार्मिक यात्रा के द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं तथा हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं।

ग्राम की जातियाँ अन्य ग्रामों, क्षेत्रों तथा अखिल भारतीय स्तर पर जातीय संगठन से सम्बन्धित होती हैं। ये सम्बन्ध ग्राम की रीमा से बाहर वृहद् स्तर पर होते हैं। मन्महादार ने लिखा है, “भारतीय ग्राम अब चारदिवारी तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वे भारत के बड़े समुदाय से भी सम्बन्धित हैं। ब्रिटानिया शासन ने ग्रामों की आत्मनिर्भता को कम किया तथा भारतीय ग्रामों को अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए बाहर के प्रदेशों और बाजारों पर आश्रित बना दिया। ग्राम

अपना उत्पादन निर्यात करता है तथा बाहर से अनेक वस्तुओं का आयात करता है। फसल बाहर बेचते हैं। पशुओं की खरीद-बेच भी बाहर करते हैं। ग्राम के व्यापारी शहर से वस्तुएँ लाते हैं और अपनी दुकान पर बेचते हैं। राजनैतिक दृष्टिकोण से गांव हमेशा राष्ट्र से सम्बन्धित रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ग्राम भारतीय संविधान से नियंत्रित और संचालित होता है। केंद्र तथा राज्य सरकारें ग्रामों का पंचायत, तहसील, जिला, प्रांत तथा केन्द्रीय स्तरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से शासन करती हैं।

निष्कर्ष — यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ग्राम की संरचना तथा प्रकृति को दो संदर्भों में देखना चाहिए—(1) भारतीय ग्रामों की संरचना एक पृथक् इकाई के दृष्टिकोण से कितनी आत्मनिर्भर है, और (2) ग्राम अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए बृहद् समुदाय, पंचायत, तहसील जिला, राज्य और केन्द्र से कैसे सम्बन्धित है। भारतीय ग्राम एक पृथक् इकाई भी है और एक बृहद् समुदाय में छोटा समुदाय भी है।

भारतीय ग्रामीण समुदायों का विकास

भारत में ग्रामीण समुदायों के विकास को प्रमुख तीन कालों—(1) प्राचीन काल, (2) मध्यकाल और (3) आधुनिक काल में बांट कर देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित प्रकार है—

(1) **प्राचीन काल**—प्राचीन काल में ग्रामीण समुदायों की व्यवस्था तथा संगठनी का वर्णन धर्म- सूत्रों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत ग्रंथों, कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र', बुद्धकाल के ग्रंथों, पाली भाषा के ग्रंथों आदि में मिलते हैं। आपसन्मध्यसूत्र में वर्णन मिलता है कि राजा गाँवों तथा नगरों के लिए राज्य- पदाधिकारियों (अध्यक्ष या अधिपति) की नियुक्ति करते थे। 1, 10 और 100 गाँवों पर अधिकारियों की एक शृंखला की नियुक्ति का वर्णन विष्णु स्मृति में भी मिलता है। रामायण और महाभारत काल में घोष (वालों के छोटे गाँव) तथा ग्राम (किसानों के बड़े गाँव) का उल्लेख मिलता है। गाँवों के मुखिया को 'ग्रामिक', 10 गाँवों के अधिकारी को 'दासी', 20 गाँवों का अधिकारी 'निशानी', 100 गाँवों का 'शती' और 1000 गाँवों के अधिकारी को 'ग्रामाधिपति' कहा जाता था।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में ग्राम और नगर के लिए तीन श्रेणियों के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है—गोप, स्थानिक और समहर्ता या प्रदेशता। 5 से 10 ग्रामों का अधिकारी गोप होता था। कुछ गाँवों से मिलकर जो मण्डल बनता था उसका अधिकारी स्थानिक तथा होता था। चार मण्डलों से मिलकर एक जनपद बनता था जिसका अधिकारी समहर्ता कहलाता था। इन अधिकारियों के कार्य जनता के जान-माल की रक्षा करना, कर एकत्र करना, राजस्व का हिसाब रखना, बकाया तथा घाटे के अंकड़े रखना, दीवानी और फौजदारी झगड़े निपटाना था। इन अधिकारियों या मुखियाओं का एक इंसानुसार शात्रु राजा द्वारा मुष्टि होना अनिवार्य था। एक जातक कथानुसार गाँवों में ग्रामसभाएँ होती थीं जो गाँवों के कार्यों की व्यवस्था करती थीं। पण्डिया और चौल शासन में सुसंगठित ग्रामसभाएँ होती थीं। जनता द्वारा उनका चुनाव होता था। ये सभाएँ ईमानदार और न्यायप्रिय थीं। इसलिए ये बहुत प्रतिष्ठित थीं। ये राजा के संरक्षण में कार्य करती थीं। इनके कार्य मदिरों के कोषों की व्यवस्था करना, झगड़े निपटाना, भूमिदान, अस्पताल, दानरील संस्थाओं की देखभाल करना था।

बुद्ध काल में ग्राम स्वायत्त इकाई के रूप में थे। शिक्षा, झगड़ों का निपटारा, सार्वजनिक कार्य तथा राजस्व-कार्ब ग्राम पंचायतें करती थीं। राजा कर वसूलने के लिए जिसे नियुक्त करता था 'ग्रामभोजक' कहलाता था। यह लोगों को लूटता था तथा उनके जीवन में भी हस्तखेप करता था। इस काल में मेले, नट-वाजी, जादू के खेल, नाच और नाटक, पशुओं की लडाई आदि की व्यवस्था मनोरंजन के लिए की जाती थी। शासक और शासित का भेद स्थृत था। मादिरापन, जुआ और वेश्यावृत्ति की समस्याएँ भी सामान्य रूप में विद्यमान थीं। ग्रामवासियों के राजा के सम्बन्ध शहरियों के साथ थे। ग्रामीणों तथा शहरियों पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों का शासन था।

(2) मध्य काल—मध्यकाल के प्रारंभ में कृषि लोगों का प्रधान व्यवसाय हो गया था। भूमि की बहुता थी। ग्रामीणों को खाद्य सामग्री सही और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। गांव की आर्थिकी आत्मनिर्भर और स्वायत्तसम्बन्धी थी। उनका जीवन सरल, सादा, अप्रगतिरीत तथा विलग था। गांव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, कारीगर, नौकर, पुजारी और साहूकार करते थे। ग्रामीण संयुक्त परिवार में रहते थे।

मध्यकाल में हिन्दू शासक प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य निभाने में उदासीन होते गए। जनता को अपना ध्यान स्वयं रखना आवश्यक हो गया। मंदिर और पंचायतें लोगों का ध्यान रखने लगी। पंचायतें ने राजा के शोषण से जनता को सुरक्षा प्रदान की। जब लोगों की मुख, सुविधा, स्वास्थ्य तथा अन्य जीवन सम्बन्धी वातों का ध्यान पंचायतें और मंदिर रखने लगे। मंदिर ग्रामीण समाज के लिए अनेक वातों के संगठन के केन्द्र बन गए। मंदिर लोगों को व्यवसाय दिलाने, विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने तथा हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन देने का कार्य करने लगे। मंदिर ग्राम के लिए धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि अनेक कार्य करने लगे। धीरे-धीरे मंदिर तथा पंचायतें महत्वपूर्ण संगठन बनते चले गए। जो विज्ञ स्थान राजाओं की उदासीनता से पैदा हुआ था उसका स्थान मन्दिरों तथा पंचायतों ने ले लिया था। इन्होंने भारत की संस्कृति को स्थिता भी प्रदान की थी। बाद में मस्जिदें भी शिक्षा का काम करने लगी थीं तथा इनको सरकार का संरक्षण भी प्राप्त था। इस मध्यकाल में समाज की प्रगति के लिए कोई विशेष कार्य नवाचार या परिवर्तन के रूप में नहीं किए गए।

(3) आधुनिक काल—जब भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया तब ग्रामीण समुदाय में अनेक परिवर्तन आए। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इस अंग्रेजी शासन के बाद ग्रामीण गणराज्य समाप्त होने लगे। मार्क्स, मुनरो, मैटकॉफ, मैन और बैडेन-पॉवेल ने भारतीय ग्रामों का अध्ययन किया और इन्हें बंद और पृथक व्यवस्था कहा। मैटकॉफ का कहना है, "ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी बम्हुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी सम्बन्धों से लापाग स्वतंत्र हैं। एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश बनता-गिंडता रहा, वह बाहा आक्रमणकारी आए, किन्तु भारतीय ग्राम स्थिर, आत्मनिर्भर और अपरिवर्तीय रहे।"

विभिन्न विद्वानों ने इस कथन की आलोचना की है। भारतीय ग्राम बहुत समाज से रद्देशा सम्बन्धित रहे हैं इनमें श्रम-विभाजन, विशेषीकरण और स्तरीकरण था। 1950 से 1960 के दशक में अनेक अप्पयन हुए। इन अप्पयनों ने स्पष्ट किया कि भारतीय ग्राम बहिर्विवाही, बाजारों के लिए नगरों पर निर्भर, अतिथामीण आर्थिकी वातों, विशेषीकृत व्यवसाय, धार्मिक स्थानों की यात्रा वाली विरोधताओं वाले भारतीय ग्राम हैं। विभिन्न गांव अन्य गांवों, कस्बों, नगरों, तीर्थ स्थानों से अनेक प्रकार से सम्बन्धित हैं। दुर्बल, ऐरियट, मैटेल बांग आदि ने लिखा है कि भारतीय ग्राम को हमें दो

संदर्भों में समझना चाहिए—(1) भारतीय ग्रामों की संस्करणा एक पृथक् इकाई के दृष्टिकोण से कितनी आत्मनिर्भर है, और (2) भारतीय ग्राम बड़े समुदाय के अंदर एक छोटा समुदाय किस प्रकार है। ग्राम अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए बड़े समुदायों—जिला, राज्य केन्द्र एवं अन्य देशों से कैसे सम्बन्धित है। भारतीय ग्राम एक पृथक् इकाई भी है और यह एक वृहद् भारतीय समाज का छोटा सम्बन्धित अन्योन्याश्रित समुदाय भी है।

अंग्रेजी शासन ने भारतीय ग्रामों की राजनैतिक शक्ति, झगड़ों का निपटारा, पंचायत के प्रभुत्व को समाप्त किया। अंग्रेजों ने गाँवों में जमींदारी तथा रैयतवाड़ी लागू की। जमींदार अंग्रेजी सरकार के लिए लगान वसूल करते थे तथा कमीशन प्राप्त करते थे। रैयतवाड़ी के अंतर्गत किसान एक निश्चित राशि देकर भू-स्वामी बन जाता था। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी समाप्त की गई तथा सरकारी कर्मचारी लगान वसूल करने लगे। ब्रितानिया शासन काल में ग्रामों पर अनेक नवाचारों का प्रभाव पड़ा, जैसे—औद्योगीकरण, नगरीकरण, नवीन यातायात एवं संचार के साधन आदि। इनसे ग्रामों के गृह एवं कुटीर उद्योग समाप्त हुए, जजमानी-प्रथा समाप्त होने लगी, जाति-प्रथा तथा संयुक्त परिवार में परिवर्तन आए। हलीय-कृषि पर मशीनीकरण तथा यत्रों का प्रभाव पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में प्रम्परागत व्यवसायों पर प्रभाव पड़ा, वस्तु-विनियय का स्थान मुद्रा-विनियय ने लिया। गाँव, नगरों और महानगरों पर अधिक आश्रित होता गया। ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई।

ग्रामीण समुदायों में परिवर्तन

भारतीय ग्रामीण समुदायों के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि ग्रामों की विभिन्न विशेषताओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं तथा इकाइयों में परिवर्तन हो रहे हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों—श्यामा चरण दुबे एक भारतीय ग्राम; मैकम ऐरियट (सम्पादित)-ग्रामीण भारत; श्रीनिवास (सम्पादित)-इडियाज विलेजेज; डी.एन. मनूमदार (सम्पादित) रूल प्रोफाइल्स; के अध्ययनों में भारतीय ग्रामों में निम्नलिखित परिवर्तनों का उल्लेख मिलता है। ये परिवर्तन नगरीकरण, औद्योगीकरण, यातायात तथा संचार के नवीन साधन, पंचवर्षीय तथा सामुदायिक विकास योजनाएँ, शिक्षा के प्रसार आदि के कारण हो रहे हैं।

1. सामाजिक परिवर्तन— ग्रामों के संयुक्त परिवार, विवाह के क्षेत्र, नातेदारी, जाति-प्रथा, जजमानी व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष हैं कि ग्रामों में संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल रहे हैं। नातेदारी के सम्बन्ध पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे हैं। शिक्षा के प्रसार के कारण बाल-विवाहों का प्रतिशत घट रहा है। गोत्र वाहिर्विवाह तथा अपनी ही जाति में विवाह, उत्सवो, त्यौहारों, सामाजिक-सांस्कृतिक समारोहों में आज भी जाति प्रभावशाली है। समाज में सदस्यों का निर्धारण जाति करती है। लोकिन खान-पान के प्रतिबंध, प्रम्परागत व्यवसायों का पालन तथा पारस्परिक सम्बन्धों में रिश्यिलता आई है। इन क्षेत्रों में जाति के प्रतिबंध कमज़ोर पड़ रहे हैं। विष्वका पुनर्विवाह, विवाह-विच्छेद तथा अन्तजातीय विवाहों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक स्तरीकरण के निर्णायक जातिगत लक्षण कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। व्यक्ति के गुण, शिक्षा तथा व्यवसाय का महत्व बढ़ता जा रहा है। जाति पंचायतें भी प्रभावहीन होती जा रही हैं। व्यक्ति जाति के बंधनों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं।

2. आर्थिक परिवर्तन— ग्रामों की आर्थिकी के प्रमुख लक्षणों में अनेक परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों के प्रमुख कारक शिक्षा, मशीनीकरण, विद्युतीकरण, आधुनिक सिचाई के सापेन, शहरी सम्पर्क, प्रवसन, ट्रैक्टर आदि हैं। गाँवों का आर्थिक स्वरूप परम्परागत से आधुनिकता की ओर

तेजी से बदल रहा है। जजमानी-प्रथा टूट गई है। वस्तु-विनियम समाप्त हो गया है। मुद्रा विनियम पूर्ण रूप से छा गया है। पारम्परिक साहकारी का वर्चस्व प्रायः समाप्त होता जा रहा है। कर्बं के नए साधन बैंक तथा सहकारी समितियाँ ग्रामीणों को ऋण देती हैं। कृषक श्रमिकों की सौदा करने की क्षमता बढ़ी है। उनके पारिश्रमिक समय-समय पर बदले रहते हैं। कृषि के नए-नए उपकरण, अधिक उपजाऊ बीज और स्थान के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में हासिल क्रांति हुई है। इससे ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आई है। पहले किसान अपने ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार खेती नहीं थी लेकिन अब वह लाभ के अनुसार नक्द खेती (कैश ब्रॉप) करता है। आज कृषक अपने अनुदाय तक सीमित नहीं है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जुड़ गया है। आज भारतीय ग्रामीण समुदाय की आर्थिकी में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं।

3. राजनैतिक परिवर्तन— स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ग्रामों की राजनैतिक व्यवस्था का नियन्त्रण, निर्देशन तथा सचालन जाति-प्रथा, जाति-पंचायत, ग्राम-पंचायत, न्याय-पंचायत, वर्शानुगत मुखिया तथा सरपंच आदि करते थे। परन्तु अब भारत के ग्रामों की राजनैतिक व्यवस्था में आधूत-चूल परिवर्तन हो गया है। जाति-पंचायतें अब अपने सदस्यों पर पहले जैसा नियंत्रण नहीं रखती हैं। कभी-कभी सम्पूर्ण जाति के गंभीर मामलों में जाति-पंचायत की अनौपचारिक समिति विवाद को निपटाने का प्रयास करती है। चुनाव की राजनीति ने गांव के परम्परागत तथा वर्शानुगत पंचों तथा सरपंचों को हटा दिया है। उनका स्थान युवा फीढ़ी ने ले लिया है। ग्रामीण शक्ति संरचना का रूप प्रजातांत्रिक हो गया है। ग्राम में न्याय-पंचायतें भी परम्परागत नहीं रही हैं। आज नेतृत्व का निर्धारण मतों की संख्या, शिक्षा, वंश, परिवार, जाति, सम्पत्ति, आयु, भू-स्वामित्व तथा नेतृत्व की योग्यता के आधार पर निर्विचित होता है। हियों की राजनीति में सहभागिता में बृद्धि हुई। निम्न-जातियों को मत का अधिकार तथा पदों में आरक्षण के प्रावधान ने ग्रामीण राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। ग्रामों में जातिगत प्रतिवर्द्धों में परिवर्तन हुआ है तथा अस्पृश्यता भी समाप्त हुई है। सभी जातियों को मत वा अधिकार तथा नुनाव लड़ने का अवसर की सुविधा ने भारत के ग्रामों की सरचना को बहुत अधिक परिवर्तित किया है।

4. सांस्कृतिक परिवर्तन— अनेक कारकों के प्रभावों के कारण ग्रामीण संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आए हैं। आधुनिक शिक्षा तथा शहरों के समर्क के कारण उनके खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, जीवन के उद्देश्य आदि में परिवर्तन हुआ है। सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। उनमें निम्न-जातियों तथा अस्पृश्य-जातियों भी शिक्षा प्राप्त करने लगी है। इन जातियों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं जिसके फलस्वरूप ये अनुसूचित-जातियाँ उच्च-जातियों के व्यवसायों तथा नौकरियों में आने लगी हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अनुकरण निम्न-जातियों करके लघु उठ रही हैं। गांवों में आधुनिक मनोरंजन के साधन रोड़ियों, चल-चित्र, टेलीविजन, टेलीरोकार्ह, ट्रांजिस्टर, वीडियो आदि पहुंच गए हैं। आधुनिक खेल-कूद शिक्षण संस्थाओं के प्रायम में ग्रामों में पहुंच गए हैं, जैसे—फुटबाल, बॉलीबाल, ड्रिक्केट, हॉकी, बैडमिंटन आदि। ग्रामों में धार्मिक विश्वास पहले जैसा प्रभावशात्ती नहीं है। धार्मिक तथा अन्य संस्कारों, कर्मकाण्डों, अनुष्ठानों आदि में ग्रामीणों की सुचि घटी है। अब ग्रामीण भौतिकवादी संन्कृति अधिक अपना रहे हैं।

भारतीय ग्रामीण समुदाय का महत्व भारतवर्ष के संदर्भ में अनेक प्रकार से है। इसकी संरचना तथा संगठन के ज्ञान का विशिष्ट स्थान है। इनको अपी और अधिक गहनता से समझना आवश्यक है जिसके लिए विभिन्न ग्रामों का क्षेत्रीय अध्ययन होना चाहिए।

नगरीय समुदाय

(URBAN COMMUNITY)

भारतीय समाज को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसके नगरों को समझना आवश्यक है। नगर का जन्म कब हुआ, निश्चित रूप से बताना बहुत कठिन है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नगरों का जन्म ग्रामों के जन्म के बहुत बाद में हुआ है। नगर प्राचीन काल से विद्यमान हैं। नगरों की उत्पत्ति और विकास का सुनिश्चित इतिहास उपलब्ध नहीं है। गिस्ट और हेलबर्टने कहा है, “सभ्यता के जन्म के समान ही नगरों का जन्म भी भूत के अंधकार में खो गया है।” नगर की अवधारणा ग्रामीण अवधारणा के संदर्भ में देखी जाती है। नगर, नगरीकरण तथा नगरवाद महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं। पहले हम इनका अध्ययन करेंगे।

नगर की परिभाषा एवं अर्थ

1. विलक्षकस की परिभाषा— आपने नगर की परिभाषा कृषि व्यवसाय के आधार पर निम्नलिखित रूप में दी है, “जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है, उसे गौव तथा जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है, उसे नगर कहें।”

2. तुइस वर्थ के अनुसार, “समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े, घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है।”

3. जनसंख्यानुसार परिभाषा— नगर की परिभाषा जनसंख्या के आकार के आधार पर दी गई है और उनको मान्यता भी प्राप्त है। क्रांस में 2,000 या अधिक, मिस्र में 11,000 और अमेरिका में 25,000 या अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर के नाम से परिभाषित किया गया है। भारत में एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहा गया है। पांच हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को कस्बा के नाम से परिभाषित किया गया है। कस्बे के लिए निम्नलिखित तीन आधार भी आवश्यक हैं—(1) पांच हजार से अधिक जनसंख्या, (2) जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक होने पर और (3) कम से कम 75% वयस्क पुरुष जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में कार्यरत होनी चाहिए।

नगरीकरण की अवधारणा— नगरीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का आशय नगरों की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन से सम्बन्धित होता है। बर्गल, डेविस और एण्डरसन ने इसकी निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं—

1. बर्गल— आपने लिखा है, “ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए।”

2. डेविस के अनुसार, “नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक-समाज से औद्योगिक-समाज में परिवर्तित हो जाता है।”

3. नेल्स एण्डरसन— आपने नगरीकरण के निम्नलिखित तीन अर्थ बताए हैं—(1) लोगों का ग्राम से नगर की ओर गमन करना, (2) कृषि के स्थान पर गैर-कृषि कार्यों को अपनाना, और (3) यिन गमन किए अपने विचारों तथा व्यवहारों में नगरीय होना। इस प्रकार नगरीकरण ग्रामीण से नगरीय बनने की एक प्रक्रिया है।

नगरवाद— नगरवाद एक प्रकार की मानसिकता और मनोवृत्ति की अवस्था या दशा है। नगर में रहने वाले लोगों की विशिष्ट प्रकार की भावना तथा चेतना नगरवाद को जन्म देती है। नगरवाद नगर में निवास करने वालों की एक विशिष्ट जीवन-शैली है। नगरवाद को शहर में रहने वाले लोगों की भाषा, रहन-सहन, व्यवसाय, शिष्टाचार, वेश-भूषा, खान-पान आदि के प्रति धृष्टिकोण में देख सकते हैं। नगरवाद के कारण ही शहरी लोग अपने को ग्रामवासियों की तुलना में सुप्रसन्न, सम्पन्न और श्रेष्ठ मानते हैं। ये लोग ग्रामवासियों को गैबार, पिछड़ा हुआ, असम्पन्न तथा हीन मानते हैं। नगरवाद नगरीय-जीवन, व्यवसाय, संस्कृति आदि की श्रेष्ठता के प्रति धृष्टिकोण तथा मनोवृत्ति को कह रखते हैं। नगरवाद जीवन का तरीका तथा व्यवहार करने की विधि है। नगरवाद प्रतिमानों और मनोवृत्तियों की ऐसी व्यवस्था है जो अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के अन्तर्गत व्यक्तिवाद, औपचारिकवाद तथा गुमनामी के रूप में होती है।

नगरीय विकास के कारक

नगर के विकास के अनेक कारक हैं। उनमें प्रमुख कारक कृषि में क्रान्ति, जनसंख्या में वृद्धि, सचार एवं पातायात के साधन, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, सास्कृतिक कारक आदि हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है—

1. कृषि में क्रान्ति— जब से कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार के बीज, छाद, सिंचाई के साधनों में विकास, विजली तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा है तब से खेती के कार्य में श्रमिकों की रक्ष्या घटी है। कुछ व्यक्ति मशीनों द्वारा आपूर्विक उपकरणों तथा साधनों से खेती का कार्य कर लेते हैं। इससे ग्रामों में बेकारी बढ़ी है। इन बेरोजगार लोगों ने नगरों की ओर प्रवासन किया है इससे नगरों की जनसंख्या और जन-धनत्व में वृद्धि हुई है। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है।

2. जनसंख्या में वृद्धि— ग्रामों में जनसंख्या में निम्नता वृद्धि होती रही है। भूमि पर अधिक दबाव पड़ना, खेती की भूमि का जनसंख्या में वृद्धि के कारण कम पड़ना, ग्रामीणों का अपने गाँवों को छोड़ कर नगरों की ओर व्यवसाय की खोज में जाना, आदि कारकों से नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है।

3. उद्योग-धन्ये— उद्योग-धन्यों ने नगरों के विकास को तेज किया है। एक स्थान पर मशीनीकरण के कारण उद्योगों का केन्द्रीयकरण हो गया है। एक स्थान पर अनेक कल-कारणों द्वारा। औद्योगीकरण रहाँ-जहाँ हुए वहाँ-वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ी। धीरे-धीरे ये स्थान कम्बे, नगर और महानगर बन गए।

4. व्यापार और वाणिज्य— प्राचीनकाल और मध्यकाल में नगरीकरण का मुख्य कारण व्यापार और वाणिज्य थे। सिस्तर के अनुसार, “व्यापार नगर के अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्राणी के लिए एक का परिचालन होता है।” नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य के विवास के साथ-साथ हुआ है। जहाँ-जहाँ व्यापार और वाणिज्य बढ़ता गया क्षेत्र-वैसे जनसंख्या तथा जनधनत्व बढ़ा और बढ़े नगर बन गए। इन केन्द्रों में आसपास के गाँवों के लोग आकर बस गए।

5. अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण— जो स्थान मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति संतुलिता से करते हैं, य स्थानवर्पक होते हैं, समतल भूमि होती है; सिंचाई के साधन होते हैं। भर्यात् भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ मानव की सम्पत्ति और संस्कृति का विकास होता है।

मानव वहाँ पर बस जात हैं। धीरे-धीरे ये स्थान नगर का रूप धारण कर लेते हैं। मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि नगर और महानगर वहाँ पर विकसित हुए हैं जहाँ का भौगोलिक पर्यावरण मानव के लिए अनुकूल था।

6. यातायात एवं संचार के साधन— जो स्थान समतल थे; आवागमन के लिए सुगम थे; आसपास के ग्रामों तथा क्षेत्रों से लोग सरलता से आ-जा सकते थे; वह स्थान नगरों में विकसित हो गए हैं। सड़क, मोटर, रेल, वायुयान, जहाज आदि आधुनिक यातायात के साधनों ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया है। इन साधनों से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। लोग विभिन्न स्थानों पर सुगमता से आ-जा सकते हैं। डाक-तार, टेलीफोन, एस.टी.डी. आदि सुविधाओं ने नगरों के विकास में योगदान दिया है।

7. सांस्कृतिक कारक— धार्मिक, शैक्षिक, खेल-कूद आदि के कारण भी नगरों का विवास हुआ है। जब कोई स्थान तीर्थ-स्थल बन जाता है; उसकी धार्मिक महत्वा बढ़ जाती है तो वहाँ पर तीर्थ-यात्री आने लगते हैं, तो वह स्थान धीरे-धीरे नगर में विकसित हो जाता है। भारतवर्ष में काशी, गया, प्रयाग, पुरी, अजमेर आदि इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाएँ भी शिक्षा के महत्व के कारण नगर बन जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, कोलम्बिया, बनारस आदि शिद्धी के केन्द्र के कारण भी महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार खेल-कूद, फिल्म-उद्योग, संगीत, नाटक आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। बम्बई, मद्रास, हॉलीवुड इसके उदाहरण हैं।

8. राजनैतिक कारक— राजा, महाराजा, राज सत्ताधारी अपने केन्द्र सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं। प्रदेश या प्रान्त के बीच मे बनाते हैं। राजनैतिक सत्ता होने के कारण ऐसे स्थानों पर सभी प्रमुख मुख्यालय होते हैं। सेना अधिक सल्या में रही जाती है। वह राजधानी बन जाती है। इन स्थानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ये स्थान अन्य स्थानों की तुलना में तेजी से नगर और महानगर बनते हैं। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ इसके उदाहरण हैं।

9. सुरक्षा की भावना— ग्रामों की तुलना में नगरों में अनेक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। व्यवसायों की बहुत्यता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पुलिस न्यायालय, डाक व तार, बैंक, ब्रैण आदि की सुविधा होने के कारण सभी नगरों में रहना-बसना चाहते हैं। वहाँ व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का अनुभव होता है। ये सुविधाएँ नगरों का विकास करने में विशेष प्रभाव ढालती हैं।

10. मनोवैज्ञानिक कारक— ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो नगरों में होते हैं और व्यक्ति उनसे आकर्षित होकर नगर में बसना चाहता है। ये कारक हैं—पौरिक सुख-सुविधाएँ, आधुनिक फैशन, नवीनतम जीवनशैली, अत्याधुनिक मनोरजन के साथन, होटल, क्लब, सिनेमाघर, बस्त्र, आभूषण, मकान आदि।

भारत में कस्बे और नगर

भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में सन् 1901 से लेकर अब तक परिवर्तन हुआ है। भारत में अन्य देशों की तुलना में नगरीकरण की गति धीमी है। नगरों में जितनी सुविधाएँ हैं उससे कहीं अधिक लोग रहते हैं। पिछले दो दशकों में राजपानियों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

दिल्ली, जयपुर और बगलौर में यह गति अधिक रही है। सन् 1921 से लेकर अब तक नगरों की जनसंख्या में दुगने से कुछ अधिक वृद्धि हुई है। सन् 19. 1 में नगरों में निवास करने वालों का

प्रतिशत 11.27% था जो सन् 1991 में बढ़कर 25.7% हो गया है। यह जनसंख्या का प्रतिशत 1971 में 19.09%, 1981 में 23.31% और 1991 में 25.7% था। भारत में सन् 1991 की जनगणनानुसार नगरों और कस्बों की कुलसंख्या 4,689 तथा नगरीय जनसंख्या 21,17 करोड़ थी। जिसमें एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर 317 तथा जनसंख्या 14 करोड़ थीं और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 23 थे तथा जनसंख्या 7.1 करोड़ थी। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 62.2% जनसंख्या निवास करती थी।

नगरों में जनसंख्या की वृद्धि दर सन् 1971-81 के दशक में 3.83% थी और सन् 1981-91 के दशक में 3.07% हो गई। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा नगर चम्पाई है और इसकी जनसंख्या 1.26 करोड़ है। कलकत्ता 1.09 करोड़, दिल्ली 84 लाख, मद्रास 54 लाख, हैदराबाद 43 लाख तथा बंगलोर 41 लाख जनसंख्या वाले महानगर हैं। विश्व के महानगरों में बम्बई का स्थान उठा, कलकत्ता का दसवां और दिल्ली का बीसवां स्थान है, मैक्सिको का प्रथम स्थान है।

भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों को निम्न 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

प्रकार	जनसंख्या
(1) छोटे कस्बे	5,000-10,000
(2) कस्बे	10,000-20,000
(3) विशाल कस्बे	20,000-50,000
(4) नगर	50,000-1,00,000
(5) महानगर	1,00,000-10,00,000
(6) मैट्रोपॉलिटन नगर	10,00,000-1,00,00,000

भारतीय नगरों को उनमें होने वाले कार्यों या किसी विरोधता के आधार पर निम्न सात प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं—

1. धार्मिक केन्द्र—भारत में अनेक शहर ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान होते हैं। ये धार्मिक गतिविधियों तथा क्रियाकलापों के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। इसके अंतर्गत हरिद्वार, अजमेर, गया, मुमी, काशी, प्रयाग, मधुपुरा आदि आते हैं।

2. राजनीतिक केन्द्र—जो स्थान राजनीतिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण स्थान बन जाते हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा जाता है। ऐसी गतिविधियों में राजपानी का बनना भी एक कारक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक राजधानियों बनाई गई हैं, जो आज बड़े-बड़े नगर बन गए हैं, जैसे—जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ, मद्रास, दिल्ली आदि।

3. व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र—अग्रेजों के भारत में आने के कारण बद्रगाह बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र बन गए। इसके अतिरिक्त अग्रेजों ने कई स्थानों को वाणिज्य का केन्द्र बनाया। इन स्थानों में बस्तुओं का थोक ब्रय-विक्रय होता है। बैक-साख, यातायात के सापन तथा सनार के सापनों की सुविधाएँ होती है। ऐसे नगर इस श्रेणी में रहे जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर आदि इसी प्रकार के नगर हैं।

4. उत्पादन के केन्द्र— ऐसे शहर जो लोहा, इस्पात, कपड़ा, चीनी आदि का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं। जहाँ बड़े-बड़े उद्योग, कारखाने, मिले हैं वे इस वर्ग में आते हैं। दुर्गापुरा, भिलाई, जमशेदपुर, अहमदाबाद आदि ऐसे नगर हैं।

5. शिक्षण केन्द्र— कुछ स्थान शिक्षा और भास्कृति के कारण महत्वपूर्ण होते हैं। लोग वहाँ अध्ययन तथा अध्यापन के लिए जाते हैं। वे धीरे-धीरे नगर में विकसित हो जाते हैं। इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ, नालंदा, तक्षशिला ऐसे नगरों के उदाहरण हैं।

6. सैनिक केन्द्र— जो नगर सैनिक क्रिया के महत्वपूर्ण केन्द्र बन जाते हैं; जहाँ सैनिक छावनियाँ, सेना के प्रशिक्षण केन्द्र, हथियार रखे जाते हैं वे इस प्रकार के नगर कहलाते हैं। इनमें मेरठ, बोली, अम्बाला, देहरादून, जोधपुर आदि नगर आते हैं।

7. स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के केन्द्र— कुछ स्थान मनोरंजन के केन्द्र होते हैं। वहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होती है। ये पर्फटन के केन्द्र भी बन जाते हैं। ऐसे स्थानों को इस वर्ग में रखा गया है। माउण्ट आबू, नेवीताल, मसूरी, शिमला आदि इस प्रकार के नगर हैं।

भारतवर्ष में नगर तीर्थ-स्थान, राजधानियाँ, व्यापारिक केन्द्र, शिक्षण केन्द्र आदि के परिणाम हैं। ये कारण पूर्व-औद्योगिक भी कहे जा सकते हैं। आज तो भारत में अनेक नगरों का विकास नगर से महानगर की ओर अनेक कस्बों के कारण हो रहा है।

भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव

नगरीकरण एक मानसिकता और मनोवृत्ति की परिचायक है जो ग्रामीण जीवन से भिन्न होती है। यह एक प्रकार की जीवन शैली है जिसका प्रभाव विवाह के प्रकारों, मूल्यों, विधियों, स्वरूपों पर पड़ता है। इसी प्रकार परम्परागत संयुक्त परिवार की संरचना, कार्यों तथा मूल्यों पर भी नगरीकरण के प्रभाव पड़े हैं। जाति-व्यवस्था भी इससे अद्भुती नहीं रही है। नगरीकरण के प्रभाव मिमिलिखित है—

1. विवाह पर प्रभाव— नगरीकरण ने हिन्दू विवाह के उद्देश्यों तथा प्रथाओं को बदला है। विवाह का उद्देश्य अब धर्म न होकर रीत हो गया है। प्रेम-विवाहों का प्रचलन पढ़ता जा रहा है। विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अतर्जातीय विवाह अधिक होने लगे हैं। विवाह जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध नहीं रहा। नगरों में विवाह केवल वर-वधु के सम्बन्ध स्थापित करता है। पहले विवाह के द्वारा दो परिवार परस्पर सम्बन्धित होते थे। नगरीकरण ने नातेदारी के सम्बन्धों को शिथिल कर दिया है तथा भिन्नों के परस्पर सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाया है।

2. परिवार पर प्रभाव— नगरीकरण ने परम्परागत समुक्त परिवारों को एकाकी परिवारों में बदला है। नगरों में आवास की समस्या के कारण तीन या तीन पीढ़ी से अधिक के सदस्य एक छत के नीचे नहीं रह पाते हैं। एक कूच्छे सर बना भोजन नहीं करते हैं। नगरों में व्यक्ति की आकाशाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। वे अपना जीवन स्तर उच्च रखना चाहते हैं। शहर की महेंगाई के कारण व्यक्ति अपने एकाकी परिवार तक सिमट कर रह जाता है। शहरी शिक्षा के कारण नगर का वासी व्यक्तिगती हो जाता है। समूहवाद की भावना नष्ट हो जाती है। इस प्रकार नगर, नगरीकरण तथा नगरवाद के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार का ढौंचा और कार्य एकाकी परिवार के ढौंचे और कार्यों में बदल रहे हैं।

3. जाति-प्रथा पर प्रभाव— नगरों में जाति के विभिन्न प्रतिवन्यों में शिथिलता आई है। जाति में सदस्यता, व्यवसाय, विवाह, खान-पान, सामाजिक सम्बन्ध, युआखूत आदि प्रतिवन्य होते

हैं। नगरीकरण के फलस्वरूप छुआँखूत सम्बन्धी नियमों तथा प्रतिवन्धों में उटारता आई है। नगरों में ये प्रतिवन्ध समाप्त से हो गए हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय करता है। विवाह बाहर की जातियों में होने लगे हैं। नगरों में जाति-पंचायत कम महत्वपूर्ण है। खान-पान सम्बन्धी प्रतिवन्ध हो चिल्कुल समाप्त हो गए हैं। नगरों में व्यक्ति की प्रस्त्रियता का निर्णय उसके जन्म द्वारा निर्धारित नहीं होता है। व्यक्ति अपने गुणों के द्वाय प्रस्त्रियता को प्राप्त करता है। नगरीकरण ने प्रस्त्रियता को प्रदर्श से अर्जित में बदल दिया है।

4. जियों की स्थिति में परिवर्तन— नगरीकरण ने जियों की स्थिति को पुस्थों के बगबर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरों में जियों घरों की चारदीवारी से बाहर आ गई हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। स्वयंनौकरी, व्यापार तथा गड़नैतिक होतों में कार्य करती हैं। नगरों में पर्दांध्रिया कानी कम हो गई है। बाल-विवाह की प्रवा नगरों में देखने को कम निलंती है। प्रेम विवाह, विधवा-पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाहों का प्रतिशत दिन-प्रति-दिन नगरों में बढ़ता जा रहा है। परिवास में पति तथा पत्नी की प्रस्त्रियता समाप्त होती जा रही है। नगरों में जियों डॉकर, इंजीनियर, प्रशासक, मंत्री, विधायक, सांसद, प्राच्यापक आदि पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। नगरीकरण के द्वारा जियों की प्रस्त्रियता और भूमिका में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

5. सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन— नगरीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन दिया है। जाति-प्रवा में जो निन्म-जाति में जन्म लेता है आजन्म उसी जाति का सदस्य रहता है। जाति में सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। नगरों में जाति के वधन शियिल हो गए हैं। व्यक्ति अपने गुणों, मेहनत, इमानदारी, शिक्षा, लग्न आदि के द्वारा अपनी स्थिति सुधार कर उच्च वर्ग में जा सकता है। नगरों में व्यक्ति को विकास करने के अवसर प्राप्त हैं। इसलिए नगरीकरण के द्वारा सामाजिक गतिशीलता में बृद्धि हुई है।

6. अन्य परिवर्तन— नगरीकरण के द्वारा समाज के अन्य अनेक होतों में भी परिवर्तन हुए हैं। नगर का व्यक्ति विकास करता है। उच्च शिळ्हा प्राप्त करता है। उनका सोच तार्किक हो जाता है। वह कम अच्छविश्वासी होता है। धार्मिक दृष्टि से भी वह आमिक कर्म और वैज्ञानिक विचारणा पर जाता है। नए-नए परिवर्तनों का म्वागत करता है। समस्याओं के कारणों की खोज करता है। भास्य पर कम विवास रखता है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों में भी नगरों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक, अनौपचारिक तथा प्रत्यक्ष साधनों के स्थान पर नगरों में द्वितीयक, औपचारिक, अप्रत्यक्ष, सर्वांगित साधन होते हैं। धर्म के स्थान पर सरकार, पुलिस, कोतवाली, न्यायालय, सेना आदि के द्वारा नगरों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। नगरीकरण के भारतीय समाज पर अनेक प्रभाव पड़े हैं।

नगरीय सामाजिक संरचना और स्तरीकरण

नगरीय सामाजिक संरचना को समझने के लिए आवश्यक है कि हम नगरों के स्तरीकरण का अध्ययन करें। स्तरीकरण दो प्रकार के होते हैं—(1) बन्द स्तरीकरण, (2) खुला स्तरीकरण। बन्द स्तरीकरण में व्यक्ति जिस श्रेणी या खण्ड में जन्म लेता है आजन्म उसी का सदस्य बना रहता है। उसे अपनी श्रेणी या खण्ड की महत्वता छोड़कर उच्च या निम्न श्रेणी में जाने का अवसर नहीं दिया जाता है। ऐसे स्तरीकरण में व्यक्ति की सदस्यता प्रदर्श (जन्म पर आपातित) होती है। इस प्रकार का स्तरीकरण और सामाजिक संरचना भारतीय ग्रामों में जाति-व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा खुला स्तरीकरण का प्रकार है। इसमें व्यक्ति की सदस्यता अर्जित होती है अर्थात् व्यक्ति

अपनी शिक्षा, व्यवसाय और आय के द्वारा अपनी सदस्यता एक श्रेणी या खण्ड से दूसरी श्रेणी या खण्ड में प्राप्त कर सकता है। सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती है। सदस्यता परिवर्तनीय तथा गतिशील होती है। इस प्रकार का स्तरीकरण वर्ग व्यवस्था है जो परिचय के समाजों तथा भारतीय नगरों में देखी जा सकती है।

भारत के नगरों में दूसरा प्रकार खुला स्तरीकरण मिलता है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रस्थिति शिक्षा, व्यवसाय, आय, सम्पत्ति आदि को कठोर परिश्रम, गुण व योग्यता आदि के द्वारा बदल सकता है। भारत के नगरों में सामाजिक संत्वना का आधार संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार है तथा स्तरीकरण जाति के स्थान पर वर्ग पर आधारित है। ग्रामों में स्तरीकरण अगतिशील और प्रदृढ़ होता है तथा नगरों में गतिशील और अर्जित होता है।

भारतीय नगरीय सामाजिक संत्वना और स्तरीकरण का अध्ययन विद्वानों ने उपर्युक्त संदर्भ में ही किया है। भारत के नगरीय समाजशास्त्री विक्टर एस. डिसूजा ने चण्डीगढ़ शहर के स्तरीकरण का अध्ययन किया। आपने बन्धुता, जाति, वर्ग, धर्म और विस्थापित अवस्थाओं के आधार पर अध्ययन किया। आपने वर्ग की परिभाषा देते हुए लिखा कि सामाजिक वर्ग व्यक्तियों की एक श्रेणी है जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या प्रस्थिति लगभग समान होती है। आपने व्यावसायिक प्रतिष्ठा वर्ग स्थिति को सबसे अधिक विश्वसनीय सूचक माना है। भारत के नगरों को चार प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है—(1) उच्च वर्ग, (2) उच्च-मध्यम वर्ग, (3) मध्यम वर्ग, और (4) श्रमिक वर्ग। ये निम्नलिखित प्रकार है—

1. उच्च वर्ग— समाज में सर्वोपरि स्थान उच्च वर्ग के लोगों का होता है। ये लोग अत्यधिक साधन सम्पन्न होते हैं। इनमें विलासिता की वस्तुओं का अधिकतम उपभोग पाया जाता है। ये लोग उच्च-स्तरीय राजनैतिक अभिजात होते हैं। इस वर्ग के लोग बड़ी-बड़ी मिलों, कारखानों, फर्मों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक होते हैं। राजनैतिक दलों में भी इन धर्मी लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये लोग सभी प्रकार से अर्थिकतम सम्पन्न होते हैं।

2. उच्च-मध्यम वर्ग— इस वर्ग के अतर्गत उच्च आय वाले व्यवसायी, वैज्ञानिक, तकनीकिज्ञ, बड़े सौदागर, उद्योग में व्यावसायिक प्रबंधक, न्यायाधीश आदि होते हैं। इस वर्ग के सदस्य साधन सम्पन्न होते हैं, परन्तु उच्च वर्ग से कुछ कम होते हैं।

3. मध्यम वर्ग— इस वर्ग के सदस्यों में निम्नस्तरीय अधिकारी, स्कूल के अध्यापक, निजी कर्मों में संलग्न लिपिक, छोटे दुकानदार, छोटे स्तर के उद्यमी आदि आते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है।

4. श्रमिक वर्ग— यह वर्ग स्तरीकरण के सोपान में निम्नतम स्तर पर होता है। इस वर्ग के सदस्यों की आय बहुत कम होती है। इस वर्ग में सेवा करने वाले श्रमिक, कारीगर, घेरलू उद्योगों के श्रमिक, अप्रोशिक्षित भजदूर, फैर्म वाले, मकान निर्माण करने वाले श्रमिक आदि होते हैं। इनके जीविकोपार्जन के साधनों की स्थिति अनिश्चित-सी रहती है। कभी-काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इनकी आय निश्चित नहीं होती है।

डिसूजा ने 'उत्तरदाता स्वयं अपने को किस वर्ग का मानते हैं'— को भी वर्ग-निर्माण में ध्यान में रखा है। आपने वर्ग निर्माण में वैज्ञानिक का वस्तुपरक तथा उत्तरदाता का व्यक्तिपरक दोनों ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया है। ये वर्ग हैं—(1) उच्च वर्ग, (2) मध्यम वर्ग, (3)

श्रमिक वर्ग और (4) निम्न वर्ग। आपका मानना है कि नगरों में भाँति-भाँति के व्यवसायिक वर्ग भी होते हैं। इनमें अध्यापन, चिकित्सा और कानून सेवा आदि कार्य आते हैं। भारत में प्रति 10,000 कर्मियों के पीछे 171 ही व्यवसायी कार्यकर्ता हैं। इसकी तुलना में फिलीपीन में 294, मलेशिया में 314, चीन में 349, श्रीलंका में 446 और जापान में सर्वाधिक 489 व्यवसायी कार्यकर्ता प्रति 10,000 हैं। भारत में व्यवसायों में अधिकतर उच्च जातियों तथा नगरों के लोग हैं। पनीकृत उद्योगों के आँकड़ों से यह तथ्य सामने आता है कि तथा भग 70% कर्मचारी नगरों में निवास करते हैं।

ग्राम और नगर में स्तरीकरण के आधार भिन्न हैं। नगरों में स्तरीकरण के आधार शिक्षा, व्यवभाय और आय हैं। गाँवों में जाति प्रथा है। जाति का प्रभाव नगरों में भी है। नगरों में उच्च-जातियाँ उच्च-वर्ग में तथा निम्न-जातियाँ निम्न-वर्ग में पर्यावर्तित हो रही हैं। नगरों में शिक्षा, पद, व्यवसाय जाति से सम्बन्धित हैं। उच्च-जातियों में ही उच्च-शिक्षा, पद, व्यवसाय, आय जिलती है तथा मध्यम एवं निम्न वर्ग में शिक्षा, पद, व्यवसाय, आय आदि का स्तर क्रमशः मध्यम और निम्न मिलता है। आई.पी. देसाई का कहना है कि एक प्रकार से भारत के नगर भारत के ग्रामों के ही विस्तृत रूप हैं। क्योंकि इनकी सामाजिक संरचनाओं में बहुत अधिक अन्दर नहीं मिलता है।

ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में अन्तर

ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में अन्तर विभिन्न वैज्ञानिकों—वोगार्डस, सोरोकिन, जिमरमैन, सिन्म, रॉस, नेट्स एण्डरसन आदि ने बताए हैं जो निम्न तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं—

अन्तर के आधार	ग्रामीण समुदाय	नगरीय समुदाय
1 जनसंख्या	5,000 से कम जनसंख्या।	5,000 या इससे अधिक जनसंख्या।
2. जनसंख्या का घनत्व	400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो-मीटर से कम।	400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक।
3 व्यवसाय	70 से 75 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में सलग।	75 प्रतिशत वयस्क पुरुष जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में सलग।
4 प्रकृति से सम्बन्ध	प्रत्यक्ष और धनिष्ठ सम्बन्ध।	अप्रत्यक्ष और सामान्य सम्बन्ध।
5 आकार	ठोटा आकार, न्यून जनसंख्या, पारस्परिक सम्बन्धों की धनिष्ठता।	विस्तृत आकार, जनसंख्या की अधिकता, औपचारिक सम्बन्धों की प्रधानता।
6 परिवार	कृषि व्यवसाय पर आधारित, पितृवृशीय, पितृस्मारीय परम्परागत समुक्त परिवार, सामान्य निवास, सामूहिक सम्पत्ति एवं समूहवाद की प्रधानता।	एकावी परिवार, पति-पत्नी की समान स्थिति, बच्चों और बच्चों का महत्व, प्रेम एवं बातमत्व पर आधारित व्यक्तिवाद-एवं व्यक्तिगत हितों की प्रधानता।
7. विवाह	परिवारजनों द्वारा विवाह का निर्धारण, अत जातीय-विवाह व बाल-विवाह की अप्रिकता। विवाह एक धार्मिक संस्कार।	प्रेम विवाह, लड़के-लड़की की इच्छा की प्रधानता। तनाक, विधवा-विवाह एवं अलजातीय विवाहों का अधिक प्रतिशत, न्यून बाल-विवाह।

	तलाक एवं विपवा-विवाह की न्यूनता। पर्दा-प्रथा, जीवन पर की चार-दीवारी में सीमित, शिक्षा का अभाव, पुरुषों पर आधिक, अंध विश्वासी, भाष्यवादिता, निम्न-सामाजिक स्थिति।	शिक्षा प्राप्ति की स्वतंत्रता, पर्दा-प्रथा में कमी, आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बनी, न्यून-अंधविश्वास, स्वच्छन्द जीवन, पुरुषों के समान स्थिति।
8. स्थिति	जाति-प्रथा पर आधारित, प्रदृढ़, स्थाई एवं अपरिवर्तनशील प्रस्थिति, न्यून विषमताएँ।	बर्ग पर आधारित, अर्जित, गतिशील, परिवर्तनशील प्रस्थिति, अत्यधिक विषमताएँ, शिक्षा, व्यवसाय एवं आय पर आधारित।
9. सामाजिक	‘घड़े में शांत जल के समान’ स्थायित्व की प्रधानता।	‘केतली में उबलते जल के समान’ गतिशीलता की प्रधानता।
10 स्थायित्व	प्रत्यक्ष एवं धनिष्ठता के सम्बन्ध, अनौपचारिक वैयक्तिक एवं प्राथमिक सम्बन्ध।	अप्रत्यक्ष, औपचारिक, द्वितीयक, एवं अवैयक्तिक सम्बन्ध।
11 सामाजिक सम्बन्ध	अचेतन, प्रत्यक्ष, अनौपचारिक, आपने-सामने के सम्बन्धों पर आधारित।	चेतन, अप्रत्यक्ष, औपचारिक, लिखित, एवं द्वितीयक।
12 सामाजिक नियंत्रण	ईश्वर एवं प्रकृति से अनंत विश्वास, निष्ठा पर आधारित धर्म एवं अतिभाष्यवादी।	विवेक पर आधारित धर्म, भाष्यवादिता का अभाव।
13 धर्म	परम्पराओं का अत्यधिक महत्व, रुद्धिवादिता की प्रधानता, भूत्यों की प्रधानता, कृतिमता का अभाव न्यून श्रम-विभाजन एवं विशेषी-करण, कृषि-प्रधान व्यवसाय, मिट्टिव्यवस्था, उत्पादन व उपभोग की अर्थिकी।	गत्यात्मक एवं परिवर्तनशीलता, नवीनतम फैशन एवं कृतिमता की प्रधानता एवं भौतिकवादी।
14 सांस्कृतिक जीवन	जनसंख्या का अत्यधिक महत्व, पच-करण, गैर-कृषि व्यवसायों की व्यापानता, उद्योग, यात्रा आदि की बहुल्यता।	अधिक श्रम-विभाजन एवं विशेषी-करण, गैर-कृषि व्यवसायों की व्यापानता, उद्योग, यात्रा आदि की बहुल्यता।
15 आर्थिक व्यवस्था	जनसंख्या का अधिक महत्व, पच-करण, गैर-कृषि व्यवसायों की व्यापानता, उद्योग, यात्रा आदि की बहुल्यता।	जनसंख्या का अभाव, कानून का महत्व, पंचों का अभाव, मतदान द्वारा नेतृत्व का चुनाव, राजनैतिक विचार व्यक्तिगत।
16 राजनैतिक व्यवस्था	जनसंख्या का अधिक महत्व, पच-करण, गैर-कृषि व्यवसायों की व्यापानता, उद्योग, यात्रा आदि की बहुल्यता।	व्यक्तिगत विघटन की अधिकता, मानसिक संघर्ष, तनाव तथा निराशा की अधिकता, अपराधों की अधिकता।
17 सामाजिक समस्याएँ	न्यून विपटन, मानसिक संघर्ष, तनाव तथा निराशा की न्यूनता, न्यून अपराध।	

प्रस्तुति

1. ग्रामीण समुदाय की परिभाषा दीजिए। भारतीय ग्रामीण समुदायों की विशेषताएँ बताइये। (उत्तर तीन पृष्ठों से अधिक नहीं)
- (मा शि यो , अजमेर, 1994)
2. भारतीय ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में अन्तर कीजिए।
3. ग्रामीण भारत में ग्रामीण समुदायों का उन्नयन कीजिए।
4. “भारतीय ग्राम एक पृथक इकाई के रूप में” पर निवन्ध लिखिए।
5. “भारतीय ग्राम बड़े भासुदाय के अन्दर एक छोटा भासुदाय” पर निवन्ध लिखिये।
6. नगर और ग्राम के बीच विभेद कीजिए।
7. नगरीकरण किसे कहते हैं? नगरीकरण के लिए उत्तमाधीय कारकों की विवेचना कीजिए।
8. भारतीय ममाज पर नगरीकरण के प्रभावों को बताइए।
9. भारत में ग्रामीण समुदाय के विकास का दृष्टिहास बताइए।
10. ग्रामीण समुदायों में धर्मशर्तनों की विवेचना कीजिए।
11. नगरीय विकास के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए।

बन्दुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर-मैकेन मिट्टि)

1. निम्नलिखित के मही ओड़े बनाइए—

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) नगर | (अ) 6 लाख से कुछ अधिक |
| (2) महानगर | (ब) एक लाख से दस लाख तक |
| (3) ग्रामों की संख्या | (त) 50 हजार से 1 लाख तक |
| (4) कलकत्ता | (द) 1 26 करोड़ जनसंख्या |
| (5) बम्बई | (क) 1 09 करोड़ जनसंख्या |
| (6) जाति | (ख) अर्द्धन |
| (7) वर्ग | (ग) प्रदल |

[उत्तर- 1 (स), 2 (ब), 3 (अ), 4 (क), 5 (द), 6 (ग), 7 (ख)]

2. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए-

- | | |
|---|--|
| (1) भारत का सबसे बड़ा नगर | है। (बम्बई/कलकत्ता) |
| (2) सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में | प्रतिगत लोग गौमो में |
| निवास करते हैं। (80 / 74 3) | |
| (3) नगरों की प्रमुख विशेषता | है। (कृषि/व्यापार) |
| (4) नगरों में स्तरीयकरण | होता है। (प्रदल / अर्द्धन) |
| (5) ग्रामों वा आकांक्षा | होता है। (छोटा / बड़ा) |
| (6) | में नियों की स्थिति पुरुषों के समान होती है। (नगर / ग्राम) |

[उत्तर- (1) बम्बई, (2) 74 3, (3) व्यापार, (4) अर्द्धन, (5) छोटा, (6) नगर]

3. निम्नलिखित प्रश्नों/कथनों के मामने उनके उत्तर के विकल्प दिए गए हैं आगे इनमें से मही विकल्प का चुनाव कीजिए—

- (1) नगरों में किस प्रकार के साधनों की प्रधानता पायी जाती है?

(अनौपचारिक / ग्रामीण / द्वितीय)

(2) नगरों में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार क्या है ?

(जन्म / व्यवसाय / परिवार)

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के सम्बन्धों की प्रधानता पायी जाती है ?

(औपचारिक / कृत्रिम / प्राथमिक)

(4) भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या सन् 1991 की जनगणना के अनुसार कितनी है ?

(10/15 / 12/23)

(5) ऐसे समुदाय को किस नाम से पुकारते हैं जहाँ जीवन-यापन मुख्यतः कृषि पर निर्भर करता है ?

(नगर / कस्ता / ग्राम)

[उत्तर- (1) द्वितीयक, (2) व्यवसाय, (3) प्राथमिक, (4) 23, (5) ग्राम]

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

1 नगरों में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख तीन आधारों को बताइए।

2. नगरीकरण की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

3 ग्रामीण समुदाय की कोई तीन विशेषताएँ बताइए।

4 ग्रामीण परिवार में जो परिवर्तनहो रहे हैं उनको 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए।

5 1981 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरों की कुल कितनी संख्या है ?

6 ग्रामीण समुदाय का अर्थ 30 शब्दों में बताइए।

7. नगरवाद पर 30 शब्दों में टिप्पणी लिखिए।

8 नगर और नगरीकरण में तीन अन्तर बताइए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर एक पृष्ठ में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

1 ग्रामीण समुदाय

2 नगरीकरण

3 नगरवाद

4 भारतीय ग्रामों की विशेषताएँ

5 भारतीय नगरों का वर्गीकरण

6 नगरीय स्तरीकरण का वर्गीकरण

7. ग्राम और नगर में अन्तर

8 नगरों के परिवार

9 नगरों में स्त्री की स्थिति

10 ग्रामों में स्त्री की स्थिति।

अध्याय - 3

भारत में जनजातीय समुदाय (Tribal Community in India)

भारत विविध मान्यताओं का देश है जहाँ अनेक समृद्धि, भाषा, धर्म, प्रजाति एवं समुदाय के लोग बसते हैं। इन विविधताओं का एक कारण भारत की भौगोलिक विशेषता कही जा सकती है। भौगोलिक विशेषता के कारण वहाँ अनेक ऐसे जनजातीय समुदाय बसते हैं, जो आज भी सम्प्रता से अत्यधिक दूर हैं क्योंकि ये लोग सुदूर जंगलों, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में अपना जीवन-यापन करते हैं। इस कारण ये लोग अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। ये लोग खानाबदेशी झुण्ड, कबीले, गोत्र समूह, भ्रातृदल, मोइटी आदि के रूप में रहते हैं। इन्हें जनजाति, आदिवासी अथवा बन्यजाति आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। इन जनजातीय समुदायों को विद्वानों ने विविध नामों से उच्चारित किया है— हट्टस इन्हें आदिम जाति कहते हैं, जिसका अर्थ है देश के वास्तविक निवासी। रिसले, लैसी, ग्रिसन, डक्कर, लविन एवं सोवर्ट आदि विद्वान इन्हे आदिवासी नाम से सम्बोधित करते हैं। टैलेट्स, सैंजनिक तथा मार्टिन ने इन लोगों को सर्वजीववादी कहा है। सर्वेन्स ने इन्हें पर्वतीय-जनजातियों कहा है। येन्स ने इन्हें बन्यजाति नाम दिया है, जबकि जी.एस. घुर्ये ने इन्हें तथाकथित अदिवासी अथवा पिंडडे हुए हिन्दू नाम दिया है। भारतीय सरिधान में इनका नाम अनुसूचित जनजातियाँ दिया गया है। एक नाम इनका गिरिजन भी विद्वानों द्वारा दिया गया है। ये जनजातीय समुदाय सन् 1991 की जनगणनानुसार 560 से कुछ अधिक हैं तथा सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.006% हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में इनकी जनसंख्या 6,77,58,380 है। इनमें से 6,27,51,026 आदिवासी ग्रामों में तथा 50,07,354 नगरों में निवास करते हैं। इनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के पूर्व इनकी परिभाषा जानना आवश्यक है।

जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा

1. गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, “स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह के, जो एक रामान्य क्षेत्र में होता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुराग करता हो, जनजाति कहते हैं।”

2. पञ्चमदार के शब्दों में, “एक जनजाति परिवारों या परिवारों के एक भूमूल का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में रहते हैं, ममान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उदाग के विषय में निश्चित नियमों का पालन करते हैं और पास्पर्यक कहाँव्यों की एक सुविकृसित व्यवस्था को पाने हैं।”

3. राल्फ पिंडिंगटन ने एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या की है, जो एक समान भाषा बोलता हो, समान भू-भाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो।

4. इम्प्रियल गेटियर ऑफ इण्डिया के अनुराग, “एक जनजाति परिवारों का एक सकलन है, जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भू-भाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और प्राय अन्तर्विवाह नहीं करती रही है।”

ई. ई. ईवान्स-प्रिचार्ड का कहना है कि जब मानवशास्त्री, सामाजिक मानवशास्त्री या समाजशास्त्री जनजाति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका सन्दर्भ उस समाज से होता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

1. छोटा आकार— जनजातियों की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र तथा सामाजिक सम्पर्क के दृष्टिकोण से आकार छोटा होता है।

2. सरल तकनीकी— विकसित समाजों की तुलना में इनकी तकनीकी सरल और सादा होती है।

3. सरल आर्थिकी— इन समाजों की आर्थिकी विकसित समाजों की तुलना में सरल तथा सादा होती है। संभरणात्मक आर्थिकी होती है। बचत की आर्थिकी नहीं होती है।

4. न्यून विशेषीकरण— सामाजिक कार्यों में न्यून विशेषीकरण होता है। श्रम का विभाजन न्यून अथवा नहीं के बराबर होता है।

रॉयटर्ट-डेफिल्ड ने इन समाजों की निम्नलिखित विशेषताएँ और बताई हैं—

5. साहित्य का अभाव,

6. व्यवस्थित कला का अभाव,

7. व्यवस्थित विज्ञान का अभाव तथा

8. व्यवस्थित ईश्वरज्ञान / अध्यात्म विद्या का अभाव।

निकर्षत यह कहा जा सकता है कि जनजातियाँ वे मानव समाज हैं जो आकार में छोटे होते हैं तथा विकसित समाज की तुलना में उनकी तकनीकी, आर्थिकी, विशेषीकरण, साहित्य, कला, विज्ञान, ईश्वरज्ञान आदि प्रारम्भिक तथा सरल अवस्था में होते हैं। इनका बहुमुखी विकास होना शेष होता है। जनजातियाँ दुर्गम स्थानों में निवास करती हैं।

जनजातीय समुदाय की विशेषताएँ— भारतीय जनजातीय समुदायों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. सामान्य भाषा— एक जनजाति के लोग सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से वे अपने विवारों का स्पष्टीकरण बरतते हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह भाषा हस्तातिरित होती रहती है। इससे उनकी पारस्परिक एकता एवं सम्पर्क विकसित होता रहता है।

2. सामान्य संस्कृति— एक जनजातीय समुदाय की सामान्य संस्कृति होती है जिसके अनुसार उनके रीति-रिवाज, प्रथा, कानून, नियम, धार-पार, मूल्य, विवास एवं लोकाचारों आदि में

समानता पाई जाती है, सभी इनका समान हृप से पालन करते हैं। जिसमें उनके जीवन के तरीके, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि में एकरूपता नियत्रित और मंचातित होती है।

3. सामान्य भू-भाग— एक जनजाति की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक निश्चित भू-भाग में होती है, जिसके फलस्वरूप इनमें समुदायिकता की भावना विकसित होती है, किन्तु कुछ विद्वानों के मत में जनजाति की यह विशेषता आवश्यक नहीं है। वह सुझन् समाज भी हो सकती है।

4. एक नाम— प्रत्येक जनजातीय समुदाय का कोई न कोई नाम अवश्य होता है जो उस जनजाति की पहचान होता है। उसी नाम के आधार पर उस विशेष जनजाति की विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं।

5. अन्तर्विवाह— जनजातीय समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि एक जनजाति के सदस्य सामान्यतया अपनी जनजाति में विवाह मन्दन्य म्यापित करते हैं। अपेक्षाद रूप में कोई-कोई जनजातियों विवाह ही हो सकती है।

6. सामान्य विशेष— मजूमदार ने जनजातीय समुदाय की यह भी विशेषता बताई है कि एक जनजाति के सदस्य विवाह, व्यवसाय, खान-पान व उद्योग आदि के विषय में सामान्य नियंत्रण का पालन नहीं है। इनके फलस्वरूप उनमें एक मुहृष्ट व्यवस्था विस्तृत होती है।

7. धार्मैकियमंगठन— प्रत्येक जनजातीय समुदाय का एक निश्चित धार्मैकियमंगठन होता है। सनातन का कोई प्रमुख अववाह वयोवृद्ध व्यक्ति उनका मुखिया होता है जिसकी आड़ा का पालन करना सभी दा नहीं होता है। आड़ा का उत्तराधिकार वर्तने पर दण्ड की व्यवस्था रहती है।

8. आर्द्धिक आत्म-निर्भरता— जनजातियों के खान-पान का आपात फल-फूल, जंगली बानवरों का गिकार, अद्यवा पशुओं से प्राप्त दृध एवं कृषि आदि होता है अन्त प्रत्येक जनजाति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवस्था करती है। फल-फूल इकट्ठा करना, गिकार करना, पशु चरणा एवं कृषि आदि साधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती है, मात्र ही कभी-कभी वटोंसियों ने विनियन करके आवश्यकताओं को पूरा कर लेती है। इन सब वाले आत्म-निर्भर होती है।

9. विनृत आकार— जनजातीय समुदाय की एक विशेषता यह भी है कि उनजातियों कई परंपराएँ, गोप्र, भाग्यदल व मोइटी आदि से सुन्क होती हैं। इनमें कई वश समूह होते हैं इन्हीं वशों के आकार संगठन होता है। नानेदारी के आधार पर इनका सामाजिक संगठन उत्तिविनृत होता है।

जनजातीय मामाजिक मंचना तथा वर्गीकरण

भारत में अनेक जनजातीय समुदाय हैं। उनकी सामाजिक संरचना भिन्न-भिन्न है। इन जनजातियों की सामाजिक संरचना तथा संगठन दो ममझने के लिए कोई एक आधार या वर्गीकरण निश्चिन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें व्यवसाय, भाषा, धर्म, पर्यावरण, निवास-स्थल, संस्कृति आदि उनके भिन्नताएँ निती हैं। इन्हीं विशेषताओं के प्रभाव के कारण जनजातीय समुदाय विभिन्न श्रेणियों तथा छन्दों में विभाजित होते हैं जो इनके आन्तरिक विभेदीकरण या स्तरीकरण को स्पष्ट करते हैं। जनजातीय सामाजिक संरचना का वर्गीकरण कुछ महत्वपूर्ण आधार है-

को निश्चित करके किया जा सकता है। ये प्रमुख आधार भौगोलिक पर्यावरण, प्रजातीय भिन्नता, भाषा, संस्कृति और आर्थिकी हो सकते हैं। इन्हीं आधारों के अनुसार गुहा, रिजले, एलविन आदि विद्वानों ने जनजातीय सामाजिक संरचनाओं के वर्गीकरण किए हैं जो निम्नलिखित प्रकार हैं—

(1) भौगोलिक वर्गीकरण— बी.एस. गुहा ने भौगोलिक निवास स्थान के आधार पर भारत की जनजातियों को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है—

1. उत्तर तथा उत्तरी- पूर्वी क्षेत्र— गुहा ने इस क्षेत्र में कश्मीर, पूर्वी पश्चिम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसाम के पहाड़ी भाग को रखा है। भोटिया, थारू, नापा, गारो, खासी आदि इस क्षेत्र के प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं।

2. मध्यवर्ती क्षेत्र— बंगाल, बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग को गुहा ने मध्यवर्ती क्षेत्र में रखा है। सन्ध्याल, मुण्डा, उर्मीव, हो, खरिया, विरहोट, गोड, बेगा, कोही, मीणा, भील आदि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। बिहार तथा उडीसा वीं जनजातियाँ द्यानों, उद्योगों तथा कारखानों में भी काम करती हैं।

3. दक्षिणी क्षेत्र— भारत के शेष क्षेत्र— मैमूर, ट्रावनकोर, कोचीन, हैदराबाद, आन्ध्र, तमिलनाडु, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप इस क्षेत्र में आते हैं। नीलगिरी के टोडा, कोटा, पनियन, कदार, हैदराबाद के चेंचु, कुम्भा उराली तथा अण्डमान तथा निकोबार की जनजातियाँ प्रमुख हैं।

(2) प्रजातीय वर्गीकरण— रिजले का मत है कि भारत की जनजातियों में द्रविड़ और मंगोल प्रजातियों के लक्षण मिलते हैं। लेकिन गुहा नीशिटो, आदि-आनेय, मंगोल आदि विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. नीशिटो— गुहा का कहना है कि भारत की प्राचीनतम प्रजाति नीशिटो है। आपके अनुसार द्रविड़ भारत की जनजातियों में नीशिटो प्रजातीय लक्षण मिलते हैं।

2. आदि-आनेय— आदि-आनेय प्रजातीय तत्त्व भारत की जनजातियों में मुख्य रूप से मिलते हैं। प्रोटो-आनेय प्रजातीय तत्त्व भारत की लगभग सभी जनजातियों में पाए जाते हैं। गुहा के अनुसार भील तथा चेंचु जनजातियों के लोग इसी प्रजाति के हैं।

3. मंगोल— मंगोल प्रजातीय लक्षण प्रमुख रूप से भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों में मिलते हैं।

(3) भाषायी आधार पर वर्गीकरण— भारत की जनजातियों का वर्गीकरण भाषा के आधार पर तीन भाषायी परिवारों में किया गया है जो निम्नलिखित है—

1. द्रविड़-भाषायी-परिवार— दीक्षण भारत की जनजातियों द्रविड़ भाषा बोलती है। मध्य भारत में निवास करने वाली गोंड जनजाति भी यही भाषा बोलती है। ये जनजातियाँ द्रविड़-भाषायी-परिवार में रही गई हैं।

2. आस्ट्रिक-भाषायी-परिवार— इस भाषायी परिवार में मध्य-पूर्वी भारत की कोल, मुण्डा भाषाएँ, आसाम की छासी, निकोबार द्वीप की निकोबारी बोलियाँ तथा मध्य प्रदेश की आस्ट्रिक बोलियाँ आती हैं। आस्ट्रिक-भाषायी परिवार में मध्य-पूर्वी भारत, आसाम की छासी, निकोबार द्वीप तथा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ रही गई हैं।

3. चीनी-तिब्बती-भाषायी-परिवार— सिक्खिम, नेपाल, पूर्वी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, भूटान, पूर्वी पंजाब, आसाम, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तर-पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों की जनजातियाँ चीनी-तिब्बती-भाषायी-परिवार की बोलियाँ बोलती हैं।

भारत में अनेक जनजातियाँ ऐसी हैं जो अपनी भाषा के साथ-साथ अपने पड़ोसी समुदायों की भाषा भी बोलती हैं। इनको द्वि-भाषी जनजातियाँ कहा जा सकता है; जैसे— मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिकतर जनजातियाँ अपनी भाषा के अतिरिक्त हिन्दुस्तानी या बाणी भाषा भी जानती हैं।

(4) सांस्कृतिक वर्गीकरण— वैरियर एलविन ने भारत की जनजातियों को सांस्कृतिक विकास के स्तर, स्थानान्तरित खेती तथा अन्य सांस्कृतिकों के सम्पर्क के आधार पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है—

1. प्रथम श्रेणी— एलविन ने प्रथम श्रेणी में उन जनजातियों को रखा है जो दुर्गम तथा परे जगलो में निवास करती हैं। इनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन सरल, सादा तथा संयुक्त होता है। हर बार नए जंगल को जलाकर खेती करते हैं अर्थात् 'स्थानान्तरित खेती' करते हैं। इसे 'झूम खेती' भी कहते हैं। अधिकतर आदिम जनजातियाँ इस श्रेणी में आती हैं।

2. दूसरी श्रेणी— एलविन ने इस श्रेणी में उन जनजातियों को रखा है जो प्रथम श्रेणी की जनजातियों से कुछ अधिक विकसित अवस्था में पहुँच जाती हैं। ये जनजातियाँ परम्परावादी तो होती हैं परन्तु सामूहिक जीवन के स्थान पर व्यक्तिवादी हो जाती हैं। इनमें गरीबी और अर्हारी का भेदभाव मिलता है। झूम या स्थानान्तरित खेती नहीं करती है।

3. तीसरी श्रेणी— इस श्रेणी में वो जनजातियाँ रखी गई हैं जो सम्प्रता एवं संस्कृति के सम्पर्क में आ चुकी हैं। अपनी मूल संस्कृति को खो चुकी हैं। इनकी अपनी आदिम संस्कृति प्रायः नष्ट हो चुकी है। इनका अपना जनजातीय धर्म, कला, विश्वास, प्रधारा, पारम्परा, सामाजिक संगठन आदि छिन्न-भिन्न हो चुका होता है। इस श्रेणी में उन जनजातियों को रखा जाता है जो अपने मूल स्वरूप को खोकर कहाँ में जीवन-यापन करती हैं।

4. चौथी श्रेणी— चौथी श्रेणी की जनजातियाँ अन्य समाजों और संस्कृतियों के सम्पर्क के कारण बदल तो जाती हैं परन्तु अपनी मौलिकता को बनाए रखती हैं। इनमें भारत की प्राचीन कुस्तीन वर्ग की जनजातियाँ आती हैं। भील और नागा जनजातियाँ इसके उदाहरण हैं। इनमें परिवर्तन होते हुए भी इनकी मौलिकताओं को देखा जा सकता है। टट्टू, एम.सी. राय, मन्जूमदार तथा मदरान ने ऐसी जनजातियों का वर्णन किया है। इन्होंने हिन्दुओं, ईसाई मिशनरियों, ग्राम एवं नगरीय समुदायों की संस्कृतियों के सम्पर्क के फलस्वरूप जनजातियों में आए परिवर्तनों का अध्ययन किया है। इन मानवशास्त्रियों ने पाया है कि इस श्रेणी की जनजातियाँ किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या परेशानियों का अनुभव नहीं कर रही हैं।

(5) आर्थिक वर्गीकरण— आदिम अर्थ-व्यवस्था के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण अनेक मानवशास्त्रियों तथा सामाजिक मानवशास्त्रियों ने किया है। ये प्रमुख आधार— विनिपथ का माध्यम, विकास के स्तर, व्यवसाय, उत्पादन और खाद्य संकलन-आदि हैं। मन्जूमदार, श्यामाचरण दुबे, धर्मवालड, एडम स्मिथ आदि के द्वारा दिए गए आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर भागत की जनजातियों को अग्रलिखित पांच भागों में बांटा जा सकता है—

1. खाद्य संकलन एवं शिकारी जनजातियों— इस प्रथम अवस्था वाली जनजातियों के पास कोई उत्पादन का ज्ञान नहीं होता है। वह शिकार करके तथा कन्दमूल खाकर अपना पेट भरते हैं। ये खाद्य-पदार्थों को एकत्र करते हैं। आदिवासी अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, प्रकृति जो कुछ खाद्य-पदार्थ उन्हें प्रदान करती है, उससे अपना जीवन-यापन करते हैं। पेड़-पौधों पर उगने वाले कन्दमूल, फल-फूल, शहद आदि के द्वारा पेट भरते हैं। थोड़ा-बहुत एकत्र कर लेते हैं। आदिमानव स्वयं कोई भी उत्पादन का कार्य नहीं करता है, जैसे— पेड़-पौधे उगाना, खेती करना आदि। मछली पकड़ना तथा शिकार करके जानवरों को मारकर खाना भी ये जानते हैं, भारत की विरहोर, खरिया, चेंचु, मालपंतारम्, कादर, पलियान, पनियान, गमाडी, कुरुम्बा आदि जनजातियाँ इस प्रथम चरण की अवस्था की आर्थिकी में जीवन-यापन कर रही हैं।

2. पशुपालक जनजातियौ— सामाजिक, मानवशास्त्री पशुपालक आर्थिकी वाली जनजातियों को विकास के क्रम में द्वितीय चरण बताते हैं। आदिमानव को जब पालतू पशुओं, जैसे— कुत्ता, चिल्ली, बकरी, थोड़ा, गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़ आदि का ज्ञान हुआ कि इनको मारने के स्थान पर पालना अधिक उपयोगी है तो उसने इन्हें पालना प्रारम्भ किया। संसार के सभी आदिम समाजों में किसी-न-किसी प्रकार का पशुपालन अवश्य मिलता है। जब मानव पशु पालने लगा तो वह उस स्थान पर रुक कर रहे लगा जहाँ उसे अपने पशुओं के लिए धास तथा चारा मिलता था। भारत की विभिन्न जनजातियाँ अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार भिन्न-भिन्न पशुओं को पालती हैं। रेगिस्तान के आदिवासी ऊंट पालते हैं; टोडा आदिवासी भैंस पालते हैं।

भारत की जनजातियों में नीलगिरी के टोडा तथा हिमालय के गुज्जर पशुपालक हैं। ये अपनी जीविका दूध और दूध उत्पादनों से प्राप्त करते हैं। दूध तथा इसके उत्पादनों का पड़ोसी जनजातियों से विनियम करके अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएँ खरीदते हैं। इसका सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य संगठन भैंसों पर आधारित होता है। भैंसों तथा दुधशालाओं की व्यवस्था, रख-रखाव आदि का कार्य टोडा पुरुष करते हैं। उत्तर प्रदेश के भोटिया लोग पशुपालक एवं कृषि आर्थिकी के मध्य की स्थिति में हैं।

3. कृषक जनजातियौ— जनजातियों के आर्थिक-व्यवस्था के विकास का तीसरा महत्त्वपूर्ण चरण कृषि की आर्थिकी है। जब मानव को बीजों द्वारा पेड़-पौधों को उगाने की कला का ज्ञान हो गया तो उसने फल-फूल देने वाले पेड़-पौधे उगाने प्रारम्भ कर दिए। विद्वानों का मत है कि फल-फूल उगाने का कार्य प्रारम्भ में उत्तर-भारत की घाटियों, दक्षिण-पूर्व एशिया में हुआ। भारत के कई आदिम समाजों में स्थानान्तरित होती भी की जाती है। आदिवासी जंगल को आग लगा कर जला देते हैं, तीन-चार साल वहाँ खेती करते हैं, पैदावार कम होने पर उन स्थानों को छोड़ देते हैं। दूसरे जंगल जला कर खेत तैयार कर लेते हैं; तीन-चार साल वहाँ खेती करते हैं। यह स्थानान्तरित होती कहलाती है।

भृगुदार तथा मदान के अनुसार, भारतवर्ष में उरीव, मुँडा, भील, संथाल, मझवार, खालावार, वैगा, कोरवा, गोड़, हो तथा आसाम की जनजातियाँ प्रमुख हैं जो कृषि का कार्य करती है। इनमें स्त्री-पुण्य समान रूप से भाग लेते हैं। इनका जीवन-स्तर नव-पाठ्याण कालीन आर्थिकी से ऊपर कमी भी नहीं उठ पाया है। कृषि पर आधारित जनजातियों का आर्थिक जीवन भारत की कई अन्य जनजातियों से काफी अविकसित और पिछड़ा हुआ है। स्थानान्तरित होती भारतवर्ष में काफी प्रचलित थी। नागा इसे झूम; बस्तर के मारिया इसे पेंडा; खोड़ इसे पोड़ और वैगा इसे बेवार कहते

हैं। भूड़िया में इसके दो प्रकार—ढाही और कामन—प्रचलित हैं। हल जोत कर स्थाई खेने गोड़, मुंडा, संयाल, खामी, भीत आदि अनेक जनजातियाँ करती हैं।

4. दम्भकारी जनजातियाँ— इस आर्थिकी वाली जनजातियों को विकास का चौथा चरण कहा जा सकता है— टोक्की बनाने, कर्ताई और बुनाई, शहाद बनाना, धातु का कार्य, चेत का काम, चर्तन बनाने, फन्न-वर बनाने, याद्य-उदकरण बनाने, अश्व, रस्मे, चटाइयाँ आदि बनाने; हल, पहिया आदि बनाने का कार्य भारत की विभिन्न जनजातियाँ करती हैं। ये व्यवसाय अधिकतर महापक्ष व्यवसाय के रूप में किए जाते हैं। मारिया गोड़ शराब बनाते हैं। दम्भकारी के कार्य सम्झोरा, कोग्ड, गोड़, कौख, अगारिया, थारू, इरुता आदि जनजातियाँ करती हैं। घासों जनजाति के लोग पशुओं की अंतर्दियों में तीते बनाते हैं।

5. औद्योगिक आर्थिकी वाली जनजातियाँ— इस आर्थिकी वाली जनजातियों को विकास की पौँछवाँ और अंतिम अवस्था कहा जाता है। औद्योगिक आर्थिक स्तर की अव्यवस्था बहुत कम जनजातियों में मिलती है। जनजाति के लोग औद्योगिक व्यवसाय के सम्पर्क में तो आए हैं परन्तु इस प्रकार की आर्थिकी जनजातियों में पनर्हा नहीं है। इनके क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होने के कारण इनकी अर्थ-व्यवस्था बदली है या ये लोग औद्योगिक केन्द्रों में जाकर बस गए हैं। चाय-बागानों में विभिन्न कार्य करने के लिए बंगाल, विहार एवं आसाम की जनजातियों के अनेक सम्झोरा, कोग्ड और गोड़ के आदिवासी चले गए हैं। विहार, उडीसा और मध्य प्रदेश से भी अनेक आदिवासी श्रमिकों के रूप में अनेक औद्योगिक केन्द्रों में जाते रहते हैं। भारत के अनेक जनजातीय क्षेत्रों में कोयला, लोह, इम्पात आदि बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं जहाँ पर सद्याल के आदिवासी कुशल श्रमिक बन गए हैं। मध्य प्रदेश के दैगंगीज उद्योग में लगभग एवांग प्रतिशत श्रमिक जनजातीय क्षेत्रों के हैं। अध्रुक उद्योग में भी इनसी बड़ी सद्या कार्य कर रही है। जनजाति के लोग बन उत्पादनों, तकड़ी कटाई, मड़क निर्माण, विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों, चाय-बागानों, सड़क तथा रेल निर्माण, खानों आदि में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।

भारत की जनजातियों में सामाजिक स्तरीकरण

भारत में अनेक जनजातियाँ हैं। आर्थिकी के आधार पर विद्वानों ने इनके कई प्रकारों का उत्तरेख किया है। कुल जनजातियाँ जो कृषि करती हैं तथा उद्योगों, चाय-बागानों, उन्होंने तथा कारखानों में काम करती हैं उनमें सामाजिक स्तरीकरण भी पनर हा है। आनंदे चिनांड ने भारत की जनजातियों को भारा, धर्म और पृथकता की दाता के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने जनजातियों को जीवन-यापन के आधार पर भी वर्गीकृत किया है। स्यामाचरण दुवे ने उत्तराद्यन और भोजन सकलन के आधार पर जनजातियों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया है— (1) संकलन आघोषक स्तर, (2) पशुपालन स्तर और (3) कृषि स्तर। आपने कृषि के दो उप-प्रकार (i) फलोद्यान आश्रित आर्थिकी और (ii) कृषि आश्रित आर्थिकी बताए हैं। कृषि आर्थिकी के भी निन्ह दो उप-प्रकार निश्चिन किए हैं— (अ) सात कृषि-व्यवस्था और (ब) विश्चिन कृषि-व्यवस्था। एन.के.वोस ने जनजाति के लोगों को— (1) शिक्कारी, मछुआरे और खाद्य संकलन वाले, (2) स्थानान्तरित खेनी करने वाले और (3) स्थायी खेनी करने वाले कृषक— में बांटा है। मजूमदार तथा मदान का कहना है कि भारत की अधिकतर जनजातियाँ खाद्य संकलन तथा पौधे उत्पादक आर्थिकी वाली हैं। बिन जनजातियों में व्यावसायिक समूह पनर गए हैं उनमें स्तरीकरण का प्रारम्भिक रूप ही देखने को मिलता है, जैसे— उर्द्ध जनजाति में व्यावसायिक समूहों

के रूप में स्तरीकरण देखा जा सकता है। इनमें भू-स्वामी, कृषक और रैयत की विभिन्न श्रेणियाँ मिलती हैं। वे जनजातियाँ जो स्थाई रूप से खेती करती हैं उनमें सामाजिक स्तरीकरण भू-स्वामी और भूमिहीन कृषक के रूप में देखा जा सकता है। एफ.जी. बेली ने उडीसा की जनजातियों के अध्ययन में गोंड वासियों आदि को कृषक के रूप में पाया। भारत की अधिकतर जनजातियों में ग्रामों और नगरों जैसा विकसित स्तरीकरण नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर विकसित और विशेषीकृत श्रम-विभाजन का अभाव है। जो जनजातियाँ ग्रामों, उद्योगों, कल-कारखानों, खानों आदि समाजों के सम्पर्क में आई हैं उनमें सामाजिक स्तरीकरण पनप रहा है।

राजस्थान में अनुसूचित जनजातियाँ

राजस्थान सरकार द्वारा सन् 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियाँ की एक सूची प्रकाशित की गई है। उस सूची में लिखित 12 अनुसूचित जनजातियाँ एवं उनकी उप-जनजातियाँ निम्नलिखित प्रकार से वर्णित हैं—

1. भील, भील-गरासिया, ढोली-भील, दूंगरी-भील, दूंगरी-गरासिया, मेवाती-भील, रावल-भील, ताडवी-भील, भागलिया, भिलाल, पातड़ा, बसवा, बसावे।
2. भील-मीणा।
3. डामोर, डामरिया
4. धानका, ताडवी, तेवरिया तालवी।
5. गरासिया (राजपूत गरासिया वो छोड़कर)।
6. काथोड़ी, कथकारी, घोर काथोड़ी, सोन काथोड़ी, सोन कटकड़ी, घोड़ कथकारी।
7. कोकना, कोकनी, कुकना।
8. कोली, घोड़, तोकरे कोली, कोलचा, कोलगा।
9. मीणा।
10. नायक, नायकड़ा, चोलीवाल-नायक, कापड़िया नायका, मोटा नायक, नाना नायक।
11. पटेलिया।
12. सहौरिया, सहारिया।

राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या

जनजातियाँ सम्पूर्ण भारत में पर्याप्त रूप से फैली हुई हैं। सन् 1991 की जनगणनानुसार भारत में कुल 6,77,58,380 आदिवारी लोग हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या (84,63,02,688) का 8.006% है।

1981 की जनगणना के अनुसार भारतीय संविधान में 212 जनजातियों का वर्णन है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करती है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत में इनकी कुल जनसंख्या 6,77,58,380 है। राजस्थान में सन् 1991 के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 54,74,881 है जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या (4,40,05,990) का 12.44 प्रतिशत है। सन् 1981 में यह 12.21 प्रतिशत था। सम्पूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में से इन जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश (1,53,99,039) में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र (73,18,281),

पंजाब-उडीसा (70,32,214), बिहार (66,16,914), गुजरात (61,61,775) एवं राजस्थान (54,74,831) है। राजस्थान जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से सन् 1981 तथा 1991 में छठे स्थान पर ही है। अब इन्होंने में इनकी जनसंख्या भित्र-भित्र है।

राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वोधिक जनजाति के लोग (10,63,071) निवास करते हैं। उसके पश्चात् बांसवाड़ा (8,49,050), हुगली (5,75,805), जद्दुपुर (5,31,652), सर्वाईमाधोपुर (4,43,469), चित्तौड़गढ़ (3,00,971) तथा कोटा (2,88,367) में हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ मीणा, भील, रावल, गरासिया व मेहरात हैं। 1956 के अध्यादेश के अनुसार इनकी जनसंख्या इस प्रकार है— (1) मीणा 7,59,400, (2) भील 7,49,748, (3) रावल 1,13,460, (4) गरासिया 51,440 तथा (5) मेहरात 27,977। समस्त जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत ब्रह्मणा 44.5, 44.0, 6.5, 2.9 और 1.6 है।

राजस्थान की जनजातियों का भौतिक वितरण— भौतिक वितरण की दृष्टि से राजस्थान की जनजातियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) दक्षिणी राजस्थान— दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत हुगली, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ व सिरोही जिले आते हैं। सन् 1991 की जनगणनानुसार राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या का 53.7% भाग इस क्षेत्र में है। भील, मीणा, गरासिया एवं दमोर जनजातियाँ इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ हैं। हुगली, बांसवाड़ा एवं उदयपुर में 70 प्रतिशत भील लोग निवास करते हैं। भील-मीणा जनजाति के 18.07 प्रतिशत लोग बांसवाड़ा जिले में रहा 6.38 प्रतिशत लोग हुगली जिले में निवास करते हैं। दमोर जनजाति का 96.82 प्रतिशत भाग हुगली जिले में निवासित है। इस जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में ये लोग सर्वोधिक मात्रा में रहते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी भील लोग निवास करते हैं। सिरोही जिले में मरासिया जनजाति के लोगों का 19.74 प्रतिशत भाग निवास करता है। सर्वोधिक मात्रा में गरासिया जनजाति के लोग उदयपुर जिले में हैं। वहाँ इन लोगों की संख्या 56.63 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त सिरोही जिले में इन जनजातियों के अतिरिक्त भील-गरासिया, ढोली-भील, पावरा, भारवा, काठौड़िया, कालीयोर, नेक्का, पटिलिया, टाडवी व बालवी आदि जनजातियों का अधिकांश भाग निवास करता है। इस दृष्टि से इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 65.23 प्रतिशत भाग जनजातियों का है। इसी से इनकी निवास-स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

(2) पश्चिमी राजस्थान— राजस्थान का दूसरा भाग पश्चिमी राजस्थान है जिसने— हुंहुरू, सोनर, चूरू, मंगानार, बीकानेर, नागौर, बैसलनेर, जोधपुर, दालों, बाड़मेर तथा बालौर— 21 जिले आते हैं। सन् 1991 के अनुसार इस क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनजातीय संख्या का 8.19 प्रतिशत भाग निवास करता है। भील व मीणा इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ हैं। बालौर जिले में भील-मीणा जनजाति का 61.94 प्रतिशत भाग निवास करता है। गरासिया जनजाति का 20.11 प्रतिशत भाग पाली जिले में निवासित है। इस प्रकार दक्षिणी राजस्थान की तुलना में इस भाग में जनजातियों की संख्या अति-न्यून है।

(3) दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान— इस क्षेत्र के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, सर्वाईमाधोपुर, अबदेर, टोक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा तथा झालावाड़ जिले आते हैं, साथ ही चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं उदयपुर जिलों के कुछ भाग आते हैं। इन क्षेत्र में भील, भील-मीणा, मीणा तथा महरिया जनजातियों निवास करती है। अलवर जिले में मीणा जनजाति का ऊपर भाग रहता है। भील-मीणा

जनजाति का 795 प्रतिशत भाग अजमेर जिले में निवास करता है। जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा व बैंटी ज़िलों में मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। सहरिया जनजाति का 99.47 प्रतिशत भाग कोटा जिले में बसा हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के इस क्षेत्र में भील, मीणा, भील-मीणा व सहरिया जनजाति के लोग प्रमुखतया रहते हैं।

ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या— राजस्थान की जनजातियों अधिकांशत पहाड़ों, ज़ंगलों व दुर्गम स्थानों में निवास करती हैं जो शहरों से दूर होते हैं। इन स्थानों को जनजातीय ग्राम कहते हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार इन ग्रामों में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 52,20,549 निवास करती है। यह जनजातियों की कुल जनसंख्या का 95.4 प्रतिशत है। शहरों में निवास करने वालों की कुल जनसंख्या 2,54,332 है, जो कि जनजातियों की कुल जनसंख्या का 4.64% है। अधिकांशत जनजातियों बौंसवाड़ा व हँगापुर ज़िले में, उदयपुर के 7 ब्लाकों में, चितौड़ के दो ब्लाकों में, व सिरोही ज़िले के एक ब्लाक में बसी है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में 29.41 लाख आदिवासी रहते हैं। यह क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का केवल 5.77% है। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि कुल जनजातियों का लगभग बीसवां भाग ही नगरों में निवास करता है। निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में जनजातियों प्रधानत ग्रामों में निवास कर रही है। संलग्न तालिका में प्रदर्शित सन् 1991 की जनगणना के तथ्यों से भी यही स्पष्ट होता है।

राजस्थान की जनजातियों की जनसंख्या

1991

क्रम संख्या	राज्य/ज़िला	स्थान		योग
		ग्राम	नगर	
	राजस्थान	52,20,549	2,54,332	54,74,881
1.	ग़ुर्गानगर	3,601	5,344	8,945
2.	बीकानेर	1,378	1,817	3,195
3.	चूरू	5,277	2,542	7,819
4.	झुंझुरू	28,164	2,364	30,528
5.	अलवर	1,77,383	7,665	1,85,048
6.	भरतपुर	35,055	3,157	38,212
7.	धौलपुर	33,923	506	34,429
8.	सवाई माधोपुर	4,33,925	9,544	4,43,469
9.	जयपुर	4,67,601	64,051	5,31,652
10.	सीवर	44,919	3,968	48,887
11.	अजमेर	31,378	8,386	39,764
12.	टोंक	1,13,972	1,976	1,15,948
13.	जैसलमेर	14,854	1,843	16,697
14.	जोधपुर	43,292	17,527	60,819
15.	नगौर	4,233	563	4,796
16.	पाली	73,166	7,099	80,265
17.	बांसारी	80,501	3,731	84,232
18.	जातीर	91,704	4,620	96,324

19.	सिरोही	1,42,826	10,179	1,53,005
20.	भीलवाडा	1,32,733	11,015	1,43,748
21.	उदयपुर	10,35,573	27,498	10,63,071
22.	चिन्हौडगढ़	2,93,946	7,025	3,00,971
23.	झंगरपुर	5,65,666	10,139	5,75,805
24.	बौसवाडा	8,40,631	8,419	8,49,050
25.	बूंदी	1,51,213	4,788	1,56,001
26.	कोटा	2,65,863	22,504	2,88,367
27.	झालावाड़	1,07,772	6,062	1,13,834

लिंग अनुपात- अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जनजातियों में पुरुष की तुलना में लिंगों की संख्या कुछ कम है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जनजातियों में पुरुषों की संख्या 28,37,014 है और लिंगों की की संख्या 26,37,867 है। अनुपात राजस्थान में प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे 993 लिंगों हैं। सन् 1971 में झंगरपुर जिले के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य प्रान्तों में पुरुषों की तुलना में लिंगों की संख्या कम थी।

वैदाहिक स्थिति- राजस्थान राज्य में जनजातियों में 46.29 प्रतिशत व्यक्ति विवाहित हैं। 49.30 प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित, 4.31 प्रतिशत व्यक्ति विपुर अथवा विधवा महिलाएँ हैं, और 0.06 प्रतिशत व्यक्ति तत्ताक प्राप्त हैं। कुछ व्यक्तियों की स्थिति अस्पष्ट है। जिलों के आधार पर भी यह संख्या असमान है। उदाहरणार्थ, चूरू जिले में अविवाहित पुरुषों की अधिकता है, जबकि अखंपेर जिले में अविवाहितों की संख्या कम है।

साक्षरता- राजस्थान में जनजातियों में बहुत कम लोग साक्षर हैं। सन् 1991 के अनुसार राजस्थान में 15.3 प्रतिशत जनजाति के लोग साक्षर हैं। सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में 19.07 प्रतिशत साक्षर हैं। जनजाति लोगों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता कम है। सन् 1991 में 7,45,369 पुरुष तथा 91,353 लिंगों साक्षर पाये गए हैं। सन् 1971 में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त जनजाति के लोग 32,887, हाईस्कूल शिक्षा प्राप्त जनजातियों के लोग 3,939 एवं स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त जनजातीय लोग संख्या में मात्र 163 थे। सन् 1981 में सम्पूर्ण राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 24.38 हो गया जिसमें जनजाति लोगों में यह प्रतिशत 7.53 था। सन् 1991 में बढ़कर 15.3% हो गया जिसे देखकर स्पष्ट होता है कि इन जनजातियों में साक्षरता कम है। राज्य के बीकानेर जिले में साक्षरता सर्वाधिक है। वहाँ 34.29 प्रतिशत जनजाति के लोग साक्षर हैं जबकि नामौर दोत्र में शब्द से कम साक्षरता है जो 1.27 प्रतिशत है। सिंघों का साक्षरता प्रतिशत तो बहुत कम है।

व्यवसाय- सन् 1991 की जनगणनानुसार राजस्थान में कुल आदिवासी जनसंख्या के 34.86 प्रतिशत (19,08,531) आदिवासी कार्यरत हैं। 11.56 प्रतिशत (6,33,006) सीमान्त श्रमिक हैं तथा 53.57 प्रतिशत (2,93,334) अश्रमिक है। स्त्री-पुरुषों के आधार पर कुल जनसंख्या में से 28.6 प्रतिशत पुरुष तथा 18.3 प्रतिशत लिंगों किसी-न-किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं तथा 24.9% पुरुष तथा 28.2% लिंगों बेटोजगार हैं।

अधिकांश जनजाति के लोग सुदूर ग्रामों में निवास करते हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। इनमें कुछ लोग खेतिहार मन्दूर हैं। प्रमुखतया ये लोग कृषि द्वारा ही अपना जीवन-यापन करते हैं और

खेती करने का दैंग अन्य कृपक जातियों की तुलना में काफी पिछड़ा है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की 86.6 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या प्रायः कृषि का कार्य करती है। 76.1 प्रतिशत जनजातीय लोग स्वयं की भूमि पर कृषि-कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। 13.54 प्रतिशत जनजातीय कृषि मजदूरी में लगे हैं। पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार आदि में 1.2 प्रतिशत कार्यर्थत हैं। 6.02 प्रतिशत लोग खान, व्यापार, भवन निर्माण, यातायात एवं सचार एवं गृह-उद्योग आदि कार्यों में लगे हैं। 3.12 प्रतिशत जनजातीय लोग सेवा कार्य या अन्य व्यावसायिक कार्यों को करते हैं किन्तु व्यवसाय की दृष्टि से ये बहुत पिछड़े हैं जैसे ये लोग जंगल के एक भाग के पेड़ काटकर और उन्हें जलाकर वहाँ खेती करते हैं। अपनी आय की बुद्धि हेतु ये 1.2% लोग पशु व मुर्गी-पालन, मछली-पालन, शिकार आदि का कार्य भी करते हैं।

संस्कृति— जनजातियों में जादू-टीने पर अधिक विश्वास पाया जाता है। विशेष कार्यों के विशेष परिणामों पर विश्वास रहता है, इस कारण ये तोग विधिवत् अनुष्ठान करते हैं। इनमें लिखित कानून नहीं होता, किन्तु कानून को सामाजिक नियमों से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जनजातियों में बाल-विवाह भी प्रचलित है, किन्तु अधिकांश वर-वधू एक-दूसरे का चयन स्वयं की पसंद से करते हैं। विवाह अपने गोत्र में नहीं होते हैं किन्तु अन्तर्विवाह होते हैं, जैसे—उजले-भील उजले-भीलों में तथा मैले-भील मैले-भीलों में ही विवाह करते हैं—इस प्रकार जनजातियों का सामाजिक संगठन, सम्पत्ति, रीति-रिवाज व आर्थिक व्यवस्था आदि अलग-अलग व अपने दैंग की है।

जनजाति तथा जाति

जनजातियों तथा जातियों में अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक समानताएँ और भिन्नताएँ हैं। जनजातियों एकात्म तथा दुर्गम स्थानों में निवास करती थीं। कठोर जीवन व्यतीत करती थीं। यातायात के साधनों का अभाव था। संचार के साधन नहीं थे। नवीन मंचार, यातायात एवं औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप आधुनिक समय में जनजातियों की सामाजिक व सास्कृतिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन इनका हिन्दूकरण होना है। अनेक लोग हिन्दू जाति में परिवर्तित हो गए हैं। विहार के भुझन्या और मुशार, मिर्जापुर तथा पालायाड के खारवार; कूचयिहार, दीनाजपुर, रंगामुर तथा जलपथाईगुड़ी के पोलिया लोग अब जाति-व्यवस्था में बदल गए हैं। ग्रिफियस के अनुसार कोल जाति का हिन्दूकरण हुआ है। श्रीनिवास के अनुसार कई जनजातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी हुई है। ओरांव लोग हिन्दुओं के देवी-देवताओं को पूजने लगे हैं। छोटा नागामुर के पंच-परणना के मुण्डा लोग अपने संस्कारों को सम्पन्न कराने के लिए ग्रामाणों को बुलाने लगे हैं—इस प्रकार इनका संस्कृतिकरण हुआ है। श्रीनिवास के अनुसार थारू जनजाति (उत्तर प्रदेश) जाति प्रथा में सम्मिलित हो गई है। सुर्जीत सिन्हा ने मध्य भारत की भूमि जनजाति, सहाय ने पालामाउ की पहाड़ी जनजाति एवं राची के आरोंवों का अध्ययन किया है और बताया है कि ये जनजातियां शाराब पीना, गो-मास खाना छोड़ चुकी हैं और हिन्दुओं के समान हनुमान चालीसा का पाठ, सत्यनारायण की कथा आदि धार्मिक संस्कारों को करने लगी हैं तथा ग्रहण के समय पुरोहितों से सम्झकर करती हैं। हिन्दुओं के रामान होती, दीवाली, दराहरा आदि त्यौहार मनाती हैं तथा विवाह आदि के सम्झकर विधिवत् सम्झन करती हैं। पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रिवारात्रि आदि के द्वात करती हैं। अनेक जनजातियां बहुविवाही प्रथा को त्याग रही हैं और एक विवाह को अपना रही है। संयुक्त परिवार के स्थान पर इनमें एकाकी परिवार देखने को मिलते हैं।

हिन्दुओं और ईसाइयों के सम्पर्क के कारण इनमें परिवार, विवाह गोत्र व नातेदारी की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन हो रहे हैं। नमा, गारो, गोंड भीत व छोटा नामपुर एवं उत्तरी, उत्तरी-पूर्वी सीमा प्रान्तों की अनेक जनजातियों ईसाई धर्म स्वीकार कर चुकी हैं। गोत्र-व्यवस्था बो पहले इन जनजातियों के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक व राजनीतिक जीवन का आधार थी अब उसमें भी परिवर्तन आ गया है, जबकि नातेदारी व्यवस्था आज भी सक्रिय है। पलायन-विवाह, हठ-विवाह, विनिमय-विवाह एवं झल्ल-विवाह आदि की प्रथाओं में भी परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार के विवाह अब कम देखने को मिलते हैं।

इन जातियों की सस्कृति के परिवर्तन के साथ इनके सामाजिक स्तरीकरण में भी परिवर्तन हुआ है। पहले इनमें स्तरीकरण प्रस्थिति-प्रदत्त था। अब शिक्षा, योग्यता, घनाड़न व राजनीतिक स्थिति आदि के आधार पर व्यक्ति की स्थिति समाज में उन्नत होने लगी है। पहले कुछ जातियों में युवागृह संस्था का प्रचलन था किन्तु आज उसे पिछड़ेपन का सूखक मानकर त्यागा जा रहा है। जो लोग अच्छे पद-प्रस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं वे अन्य लोगों को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं।

जनजातियाँ धर्म-धर्मी जातियों में परिवर्तित हो रही हैं। रिजले ने भी लिखा है कि मन् 1873 से जनजातियाँ जातियों में बदल रही हैं। जनजातियाँ हिन्दू होना प्रतिश्वाका सूखक तथा गौव की बात मानती हैं। भूमिज तथा भीत जनजातियाँ अन्य जनजातियों की तरह हिन्दू जाति व्यवस्था में आत्मसाद हो गई हैं।

जनजातीय समस्याएँ—सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनजातियों की संख्या 678 करोड़ है तथा 560 से भी अधिक जनजातियाँ हैं। इनमें साक्षरता बहुत कम है। इनकी समस्याओं का समय-समय पर अनेक विद्वानों तथा सगठनों ने अध्ययन किया है। इनकी प्रमुख समस्याएँ दुर्गम स्थानों में निवास होना है। इनकी आर्थिक स्थिति सदैव दयनीय रही है। इनका भौगोलिक पर्यावरण प्रतिकूल होने के कारण कड़ी मेहनत के बाद खाद्य पदार्थ एकत्र बार पाते हैं। धूर्य, मञ्जूमदार और मदन का कहना है कि आदिवासियों की आर्थिक समस्याएँ कृषि तथा औद्योगिक श्रमिकों जैसी हैं। इनका शोषण व्यापारी, सूदखोर, ठेकेदार तथा उद्योगपति करते हैं।

सामाजिक समस्याएँ भी अनेक हैं। नगरीय लोगों के सम्पर्क के कारण बाल-विवाह होने लगे हैं। वेश्यावृत्ति तथा यौन भूषाचार फैल गया है। ये कन्या का मूल्य लेने लगे हैं। ईसाई मिशनरियों के सम्पर्क में आने के कारण कई भारतीय जनजातियों ने अपने रहन-सहन के तरीकों, जीवन-यापन की पद्धति, सामाजिक व्यवहार, भाषा आदि छोड़ कर इन ईसाइयों की संस्कृति को अपना लिया है। इससे सास्कृतिक संतुलन बिगड़ गया है तथा अनेक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। इनकी एक विकट समस्या धर्म-परिवर्तन तथा साम्प्रदायिकता की है। कई जनजातियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इनमें ईसाई, गैर-ईसाई, हिन्दू तथा अहिन्दू के भेदभाव पैदा हो गए हैं। धार्मिक भेदभाव बढ़ गया है।

अनेक जनजातियों में राजनीतिक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। अलग प्रान्त की मौजा करने लगे हैं। गैर-जनजाति लोगों से धूषण करते हैं। ए.ए.जनीतिक अधिकारी, नुवाबों तथा पदों के कारण वशानुगत मुखिया की व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। इससे बड़ी पीढ़ी और युवा नेताओं की दीदी में

संघर्ष पैदा हो गया है। एकीकरण की समस्या, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, भूमि समस्या, आदि अनेक समस्याएँ जनजातियों में पैदा हो गई हैं।

ए.आर. देसाई ने संक्षिप्त में जनजातियों की समस्याओं को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है, “जनजातियों की समस्याएँ आर्थिक और राजनैतिक हैं। उनकी आजीविका की समस्या प्रमुख है। उनकी समस्या रोजगार की सुरक्षा, उच्च जीवन स्तर, आधुनिक जीवन की सुविधाएँ, शिक्षा आदि हैं।” आप ये भी मानते हैं कि जनजातियों की समस्याएँ शोषण के कारण हैं। सभी लोग इनका शोषण कर रहे हैं।

जनजातियों की समस्याओं, परिवर्तन तथा समाधान के प्रयास, आंदोलन आदि वी विस्तार से विवेचना “अनुसूचित जनजातियों” अध्याय में की गई है।

प्रश्न

- 1 जनजाति की परिभाषा दीजिए। जनजाति की विशेषताएँ बताइए।
- 2 भारत की जनजातियों की विशेषताएँ बताइए।
- 3 भारत की जनजातियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या-क्या हैं? उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
- 4 भारत की जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए।
- 5 ‘जनजातियों में सामाजिक स्तरीकरण’ पर निबन्ध लिखिए।
- 6 सामाजिक सरचना के संदर्भ में जनजातियों का महत्व बताइए।
- 7 ‘राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों’ पर लेख लिखिए।
- 8 भारत की जनजातियों के भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी वर्गीकरणों का उल्लेख कीजिए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

- 1 जनजाति की तीन परिभाषाएँ दीजिए तथा उनका अर्थ बताइए।
- 2 जनजाति के प्रजातीय वर्गीकरण पर एक पृष्ठ लिखिए।
- 3 जनजाति की प्रमुख विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं? (एक पृष्ठ में उत्तर दीजिए)
- 4 ‘भारत में जनजातीय समुदाय’ पर एक पृष्ठ लिखिए।
5. ‘भारत की जनजातियों में सामाजिक स्तरीकरण’ पर एक पृष्ठ लिखिए।
- 6 जाति और जनजाति में तुलना कीजिए। (उत्तर एक पृष्ठ में लिखिए)

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

- 1 जनजाति की कोई एक परिभाषा दीजिए। (मा.शि बो., अजमेर, 1994)
- 2 सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या क्या है?
- 3 जनजातियों की चार प्रमुख विशेषताएँ बताइए। (मा.शि बो., अजमेर, 1994)
- 4 जनजाति की चार प्रमुख समस्याएँ बताइए।
- 5 स्थाई छेती करने वाली चार जनजातियों के नाम बताइए।

6. 'झूम-खेती' का अर्थ बताइए।
7. बी.एस. गुहा ने भारत की जनजातियों को किन भौगोलिक क्षेत्रों में बाँटा है ?
8. भारत की जनजातियों के प्रजातीय प्रकार बताइए।
9. भारत की जनजातियों के भाषायी प्रक्रम बताइए।

पर्सनल फ़िल्म

(उत्तर सहित)

1. निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (1) सन् 1991 की जनगणनानुसार भारत की जनजातियों की जनसंख्या करोड है। 109378
- (2) भारत में लगभग जनजातीय समुदाय है।
- (3) सन् 1991 की जनगणनानुसार भारत में करोड आदिवासी ग्रामों में रहते हैं।
- (4) सन् 1991 की जनगणनानुसार भारत में आदिवासी ग्रामों में रहते हैं।
- (5) जनजाति का आकार होता है।
- (6) जनजातियों में विशेषीकरण होता है।
- (7) जनजातियों में लिखित साहित्य का होता है।
- (8) जनजाति के लोग हिन्दू सम्प्र॒ति को अपने से समझते हैं।
- (9) जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत होता है।
- (10) भारत की नीलगिरी की टोडा जनजाति है।

[उत्तर- (1) 6.78 करोड, (2) 560, (3) 6.27 करोड, (4) 50 लाख, (5) छोटा, (6) न्यून, (7) अभाव, (8) श्रेष्ठ, (9) निम्न, (10) पशुधालक]

2. कथनों/प्रश्नों के बाद कोष्ठक में उनके उत्तरों के विकल्प दिए गए हैं, आपको उनमें से सही उत्तर का चयन करना है—

- (1) भारत की जनजातियों की सन् 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या क्या है ? (8.76 करोड / 7.86 करोड / 6.78 करोड)
- (2) भारत की नीलगिरी टोडा जनजाति क्या है ? (शिक्कारी / कृषक / पशुधालक)
- (3) भारत के कितने आदिवासी ग्रामों में निवास करते हैं ? (6.27 लाख / 7.62 लाख / 8.27 करोड)
- (4) जनजाति वी प्रमुख विशेषता क्या है ? (व्यवसाय / सम्प्र॒ति / धर्म / भाषा / निरिखत भू-भाग)

(5) भारत की जनजातियों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किसने किया ?

(मन्त्रमंदार / कार्यालय / मैकाइवर / गुहा)

(6) “स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी मंथ्रह को, जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहते हैं।” यह कथन किस का है ?

(रिवर्स / हॉवल / मजूमदार/ गिलिन एवं गिलिन)

[उत्तर-(1) 6.78 करोड़, (2) पशुपालक, (3) 6.27 करोड़, (4) निश्चित भू-भाग, (5) गुहा, (6) गिलिन एवं गिलिन)]

3. निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए—

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) नीलगिरी टोडा जनजाति | (अ) गुहा |
| (2) सन् 1991 | (ब) मध्य भारत की जनजातियाँ |
| (3) सन् 1981 | (स) 5.16 करोड़ |
| (4) भौगोलिक वर्गीकरण | (द) 6.78 करोड़ |
| (5) आदि-आमेय | (क) पशुपालक |

[उत्तर- (1) क, (2) द, (3) स, (4) अ, (5) ब]



अध्याय - 4

भारत में विवाह (Marriage in India)

समाज में जितनी भी संस्थाएँ और समितियाँ हैं उनका मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई-न-कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य होता है। विवाह भी एक ऐसी ही संस्था है जो विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह स्त्री तथा पुरुष को यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एकमात्र संस्था है। अगर विवाह किये बिना कोई स्त्री-पुरुष साथ-साथ रहते हैं, परम्परा यौन सम्बन्ध रखते हैं, उनके बचे पैदा होते हैं तो ऐसे स्त्री-पुरुष तथा उनकी उत्पन्न सन्तानों को समाज में मान्यता नहीं मिलेगी। सन्तानों को अवैध माना जायेगा। इसलिए सभी समाजों में विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें लड़के-लड़की को वार-वधु के रूप में परिवार स्थापित करने की अनुभित प्रदान की जाती है जिसमें वे पति-पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, यौन सन्तुष्टि करते हैं तथा संभावित बच्चों का पालन-पोषण करते हैं।

विवाह का अर्थ एवं परिभाषा

‘विवाह’ शब्द संस्कृत भाषा के ‘उद्घृ’ शब्द से बना है जिसका अर्थ है वधु को वार के घर पर ले जाना। विवाह की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1. बोगार्डस के अनुसार, “विवाह लियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है।”

2. डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स की परिभाषा— “जिन साधनों द्वारा मानव समाज, यौन सम्बन्धों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की सज्जा दी जाती है।”

3. मद्रूमदार और मदान की परिभाषा— “इसमें (विवाह में) कानूनी या/और धर्मिक आयोजनों के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विभिन्न लिंगियों का यौन क्रिया और उनसे सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है।”

4. वेस्टर्नों की परिभाषा— “विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक मियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच एक-दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाह समाज एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पद्धति है जिसके द्वारा स्त्री-पुरुष परिवार की स्थापना करते हैं तथा पारिवारिक जीवन प्रारंभ करते हैं। यौन इच्छा की पूर्ति करते हैं। सन्तानोत्पत्ति, बच्चों का पालन-पोषण तथा सामाजीकरण करते हैं। पति-पत्नी तथा सन्तानों में परस्पर सामाजिक, आर्थिक, कानूनी अधिकार तथा कर्तव्यों की व्यवस्था होती है।

विवाह के उद्देश्य

भिन्न-भिन्न समाजों में विवाह के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। हिन्दू समाज में विवाह का सर्वोपरि उद्देश्य पार्थिक है। कापड़िया ने लिखा है, “हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है।...जिराके उद्देश्य धर्म, प्रजा (सन्तान) और रति (आनन्द) है।” विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य सभी समाजों में मिलते हैं—

1. यौन-सन्तुष्टि— मुरडॉक ने बताया कि समाजों में विवाह का प्रथम उद्देश्य यौन-इच्छा की पूर्ति करना है। मजूमदार तथा मदान ने भी विवाह का उद्देश्य समाज स्वीकृत विभिन्न लिंगियों को यौन क्रिया करने का अधिकार प्रदान करना बताया है। अगर विवाह द्वारा उस उद्देश्य की व्यवस्था नहीं की जाये तो समाज में कामाचार अथवा व्यभिचार की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए विवाह का यह प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य है जो परिवार की व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है।

2. सन्तानोत्पत्ति— मुरडॉक, लूसी भेयर, वेस्टरमार्क आदि ने विवाह का उद्देश्य स्त्री-पुरुष से जन्मे बच्चों को कानूनी अधिकार तथा वैधता प्रदान करना बताया है। सामाजिक वैज्ञानिकों का कहना है कि समाज की नियंत्रिता के लिए वैध सन्तानोत्पत्ति आवश्यक है जिसे विवाह की संस्था द्वारा समाज में नियमित तथा नियन्त्रित किया जाता है।

3. आर्थिक सहयोग— मुरडॉक ने आर्थिक सहयोग को तीसरे स्थान पर रखा है। आदिप्र समाजों में आर्थिकी बड़ी कष्टदायक स्थिति में होती है। विवाह संस्था के द्वारा पति-पत्नी परस्पर आर्थिक हितों के सम्बन्धों में बन्ध जाते हैं तथा बच्चों का पालन-पोषण भी करते हैं।

4. व्यक्तित्व का विकास— विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष का एक पति अथवा पत्नी के रूप में विकास होता है, उससे व्यक्तित्व भी विकसित होता है। समाज में व्यक्ति के अनेक सामाजिक गुणों का विकास विधाहोपरान्त ही होता है। अविवाहित या तलाक प्राप्त स्त्री-पुरुष समाज में इन्हें व्यवहारकुशल, गम्भीर और समायोजन करने वाले नहीं होते हैं जिन्हें पति, पत्नी, पिता, माता आदि प्रसिद्धियों के व्यक्ति करते हैं। मनुष्य का विवाह के बाद ही पूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है। विवाह से पूर्ण व्यक्ति का निर्माण नहीं हो पाता। पूर्ण व्यक्ति तो तब बनता है जब उसके सन्तान उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण व्यक्ति वही कहलाता है जिसके पत्नी और सन्ताने हो।

5. पारिवारिक उत्तरदायित्व— व्यक्ति की स्थिति परिवार में दो प्रकार की होती है— एक सन्तान के हृष में तथा दूसरी, पिता के रूप में होती है। जब वह छोटा होता है तो उसके माता-पिता तथा अन्य सदस्य उसका पालन-पोषण करते हैं। इस त्रैण को चुकाने के लिए विवाह करके अपने घुर जनों की सेवा पत्नी के साथ करती चाहिए।


6. सामाजिक उत्तरदायित्व— समाज की नियंत्रिता वो बनाये रखने का उत्तरदायित्व समाज के गम्भयों पर होता है। गम्भय नरतार है। इसलिए नये सदस्यों का जन्म, पालन-पोषण, रिश्ता-दीदा,

सामाजीकरण आदि नहीं होगा तो समाज एक दिन नहीं हो जायेगा। इस सामाजिक उत्तराधित्व को व्यक्ति विवाह करके ही सम्पन्न कर सकता है। अगर सदस्य विवाह न करे तो सामाजिक व्यवस्था असनुलित हो जायेगी। भ्रष्टाचार फैल जायेगा।

विवाह के प्रकार— विवाह के द्वारा परिवार की स्थापना होती है। जिस प्रकार का विवाह होगा उसी के अनुसार परिवार की संरचना होगी। यहाँ विवाहों के उन प्रकारों की विवेचना की जाएगी जो पति-पत्नी की संख्या पर आधारित हैं।

विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन विभिन्न वैज्ञानिकों ने किया है जिनको निम्न विवर द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है—

पति-पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार



अब हम इनका क्रम से वर्णन करें।

(1) एक-विवाह

एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो वह 'एक-विवाह' कहलाता है। 'एक-विवाह' सामाजिक और कानूनी आधार पर यह भी कहलाता है जब पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए अथवा उनका विवाह विच्छेद हो जाए, उसके बाद विषु अथवा विधवा अभ्यन्तराल के द्वारा पुरुष या स्त्री पुन ऐसे व्यक्ति से विवाह करे, जो इनके जैसा ही अर्थात् अविवाहित या तलाक शुदा हो तो वह भी 'एक-विवाह' कहलाता है। ऐसे 'एक-विवाह' द्वारा एक-विवाही परिवार उस स्थिति में होगा जब पुन विवाह करने वालों में से किसी के भी पहले से सन्तान नहीं हो। अन्यथा जैसा मुर्डोंका का कहना है कि इनमें से पहले से सन्तान होगी तो ऐसा परिवार 'एक-विवाही परिवार' न कहला कर 'सम्मिश्र परिवार' कहलाएगा।

(2) द्वि-विवाह

जब एक समय में एक पुरुष दो रियों से अथवा एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह करती है तो यह द्वि-विवाह कहलाता है। इस विवाह के निम्नलिखित दो प्रकार हैं— द्विपत्नी विवाह में एक पुरुष दो

स्त्रियों से विवाह करता है तथा द्वि-पति विवाह में एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह करती है। मुरदौंक ऐसे परिवार को सम्मिश्र परिवार कहता है। द्वि-पत्नी विवाह भारत के आदिम, ग्रामीण तथा नगरों में मिलते हैं।

(3) बहु-विवाह

बहु-विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें एक पुरुष अनेक स्त्रियों से या एक स्त्री अनेक पुरुषों से अथवा अनेक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं। इसके अनुसार विवाह के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं— (1) बहु-पत्नी विवाह (2) बहु-पति विवाह और (3) समूह विवाह।

3.1 बहु-पत्नी विवाह— जब एक पुरुष एक समय में दो से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो से बहु-पत्नी विवाह कहते हैं तथा इससे बनने वाला परिवार बहु-पत्नी विवाही परिवार कहलाता है। भारत की नागा, गोंड, बैगा, टीढा, लुशाई, खासी, संयाल, कादर, छोटा नागपुर के 'हों', आदि जनजातियों में ऐसे विवाह मिलते हैं। मुख नमाजों में पुरुष को चार विवाह करने की घर्म के अनुसार अनुमति है। ग्रामीण काल में राजा, महाराजा, जागीरदार, पर्नी कृषक आदि भी ऐसा विवाह करते थे तथा ऐसे परिवार इनमें मिलते थे। अब कानून के अनुसार एक विवाह से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं।

विश्व में सबसे अधिक बहु-पत्नी विवाह अफ्रीका में प्रचलित है। यहाँ पर राजा और अन्य लोग अनेक पत्नियाँ रख माल्ते हैं। विवाह की यह प्रवा कुछ भिन्नताओं के साथ युगांडा, मलेशिया, ओर्मानिया आदि ममाजों में भी पाई जाती है। पर्नी लोगों में यह प्रवा अधिक मिलती है।

बहु-पत्नी विवाह के प्रकार

बहु-पत्नी विवाह के निम्नलिखित दो प्रकार हैं—

(1) भागिनी बहु-पत्नी विवाह— इस विवाह में एक पुरुष दो या दो से अधिक सभी बहिनों से विवाह करता है।

(2) अभागिनी बहु-पत्नी विवाह— इसमें पुरुष बिन दो या अधिक स्त्रियों से विवाह करता है वे आमतः में बहिने नहीं होती हैं।

बहु-पत्नी विवाह के कारण—

1. स्त्रियों का अधिक होना— बिन समाजों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुशास में अधिक होती है उन समाजों में बहु-पत्नी विवाह प्रवा का होना स्वाभाविक है। यह बनसंध्यात्मक काल है।

2. आर्द्धिक कारण— जो समाज प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण में निवास करते हैं। उनका भूमि का अभाव होता है। बीवन-दापन के लिए प्रकृति से कहा सर्वर्ष करना पड़ता है, उनमें अधिक पत्नियों चीजिकोरार्ड में विभिन्न प्रकार से मदद करती हैं। ये मददी, खेती तथा गृह कार्य आदि में सहायक रहती है।

3. सामाजिक प्रतिष्ठा— विद्वानों ने लिखा है कि अधिक पत्नियों होना समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न समाजों में बड़े जर्मांदार, धनवान, राजा आदि समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहु-पत्नियों रखते हैं।

4. नवीनता की दृष्टि— वेस्टर्नर्मार्क ने लिखा है कि बहु-पत्नी विवाह का प्रमुख कारण पुरुषों में विविधता की इच्छा है। पुरुष नवीनता की इच्छा रखने के कारण अधिक स्त्रियों से सम्पर्क करना चाहता है इसलिए वह अनेक स्त्रियों से विवाह करता है।

5. पुत्र प्राप्ति की इच्छा— हिन्दू समाज में पुत्र का होना धार्मिक दृष्टि से मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। जब एक पत्नी के पुत्र नहीं होता है तो पुरुष दूसरा विवाह करता है। पुरुष अधिक सनानों की इच्छा के कारण भी बहु-विवाह करता है।

6. साती-विवाह— कुछ जनजातियों में साती-विवाह की प्रथा है। एक पुरुष को अपनी पत्नी की सभी बहिनों से प्रथानुसार विवाह करना होता है जो इस बहु-विवाह का कारण बन जाता है।

7. देवर विवाह— कई समाजों में भाई की मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से विवाह करना होता है जो बहु-पत्नी विवाह को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से पत्नियों की संख्या बढ़ जाती है।

8. बाधित ब्रह्मचर्य— वेस्टर्नर्मार्क ने बताया कि कुछ बहुत पिछड़े आदिग समाजों में ऐसी धारणा है कि गर्भवती स्त्री तथा बच्चे को दूध पिलाने वाली माता के साथ पुरुष को सहवास नहीं करना चाहिए। समाजों में बाधित ब्रह्मचर्य की प्रथा के कारण पुरुष अधिक पत्नियाँ रखता है।

9. स्त्रियों की बृद्धावस्था— पुरुषों की हुलना में स्त्रियाँ शीघ्र वृद्ध हो जाती हैं। उनका यौवन शीघ्र ढलने के कारण पुरुष दूसरा विवाह कर लेते हैं।

10. युद्ध तथा स्त्रियों का अपहरण— युद्ध बहु-पत्नी विवाह को दो प्रकार से प्रोत्साहित करता है। पहला, पुरुष युद्ध में मारे जाते हैं उससे उनकी संख्या कम हो जाती है तथा स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में बढ़ जाती है। दूसरा, युद्ध में स्त्रियों का अपहरण किया जाता है तथा उनसे विवाह कर लिया जाता है।

11. श्रम-विभाजन— आदिम समाजों में पुरुष धर, खेत तथा अनेक आर्थिक कार्यों के बंटवारे के लिए अनेक स्त्रियों से विवाह करता है। ऐसा भारत की बेगा, तुशाई, गोंड आदि जनजातियों में पाया गया है।

12. स्त्री का अधिक पीहर जाना भी बहु-पत्नी विवाह का कारण अफ्रीका की जनजातियों में मिलता है। स्त्री जब वर्ष में कई बार अपने पिता के पार जाती है तो पीछे से धर की देखभास आदि का प्यान रखने के लिए पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह करके उसे धर से आदा है।

बहु-पत्नी विवाह के लाभ— बहु-पत्नी विवाह के निम्नलिखित लाभ हैं—

1. इसका प्रमुख लाभ आर्थिक द्वेष में है। आदिवासी जीवनस्थान के लिए अनेक स्त्रियों की सहायता से प्रकृति से कठोर संघर्ष कर पाते हैं। अनेक स्त्रियाँ विभिन्न कायदा, खेती, मजदूरी, गृह कार्य आदि में सहायता पहुंचाती हैं।

2. पति की मृत्यु होने पर विश्वा स्त्री का विवाह देवर से हो जाने से उसकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि सुरक्षा प्राप्त हो जाती है।

3. बच्चों का पालन-पोषण सुचारू रूप से हो जाता है।

4. समाज में व्यभिचार को रोकता है। पुरुष अपनी विवाहिता तथा नवीनता की इच्छा परिवार में ही तृप्ति कर लेता है। घर के बाहर भटकता नहीं फिरता है।

5. युद्ध में अपहरण की गई स्त्रियों को पारिवारिक जीवन का पुनः अवसर मिल जाता है। उनका जीवन नष्ट होने से बच जाता है।

6. घर में श्रम विभाजन की व्यवस्था अच्छी हो जाती है।

बहु-पत्नी विवाह की हानियाँ—

1. आर्थिक भार— कई बार प्राकृतिक विपदा के कारण जीविकार्पोर्नें जैसे माध्यम कम पड़ जाते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण आर्थिक भार बहन करना कठिन हो जाता है। आर्थिक भार के कारण समाज में इन विवाहों का लोप होता जा रहा है।

2. गृह-कलह— परिवार में अनेक पत्नियाँ आपस में लड़ती-झगड़ती हैं। उनमें आपस में बात-बात पर तानाकशी, ईर्ष्या, वैमनस्य, मनमुटाव आदि होते रहते हैं। पुरुष के लिए अनेक पत्नियों को नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार से परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाती है।

बहु-पत्नी विवाह अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं तथा उनका स्थान एक-विवाह लेता जा रहा है।

3.2 बहु-पति विवाह

बहु-पति विवाह बहु-विवाह का एक प्रमुख प्रकार है जो भारत तथा विश्व के अनेक समाजों में प्रथा के रूप में प्रचलित है। इसकी निम्नलिखित परिभाषाएँ हैं—

1. खिर्स के अनुसार, “एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह सम्बन्ध बहुपति विवाह कहलाता है।”

2. हॉबल्ट के अनुसार, “एक स्त्री का एक समय में दो या अधिक पुरुषों से विवाह को बहुपति विवाह कहते हैं।”

3. मजूमदार तथा भद्रान के अनुसार, “एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह बहुपति विवाह है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक स्त्री दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह बहुपति विवाह कहलाता है तथा इससे बहु-पति विवाह परिवार का निर्माण होता है। इस प्रकार के विवाह और परिवार भारत तथा विश्व के अनेक समाजों में मिलते हैं। दीक्षण भारत के द्रीवङ्ग सास्कृतिक समूहों में प्रचलन है। मालाबार के लोगों, उत्तर भारत के खस राजपूतों, नायरों, कुर्ग निवासियों आदि में समाज द्वारा बहु-पति विवाह मान्य है। नीलगिरी के टोडा, कोटा जनजातियों, मालाबार के हरावन और कम्पला, तियाना, आसाम, लद्दाख, सिक्किम, तिब्बत, कोचीन और ट्रावनकोर की अनेक जनजातियों, पूर्वी अफ्रीका, एस्ट्रिक्यो, नवादा, शूशान तथा चैंकची आदि भी इसी प्रकार के विवाह वाले समाज हैं।

बहु-पति विवाह के दो उप प्रकार हैं— (1) भ्रातृ-बहु-पति विवाह (2) अभ्रातृ-बहु-पति विवाह। जब सगे भाई एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे भ्रातृ-बहु-पति विवाह कहते हैं। द्वौपदी

बहुपति विवाह के प्रभाव— बहुपति विवाह के प्रभाव निम्नांकित हैं—

(1) कम जन्म दर— ऐसा देखने में आया है कि जिन स्थियों का विवाह अनेक पुरुषों से होता है उनके कम सन्तानें पैदा होती है। इतना ही नहीं, उनके पुत्र अधिक होते हैं।

(2) बौद्धपन— कई बार ऐसी स्थियों के कोई सन्तान नहीं होती हैं जिनके अनेक पति होते हैं। बहुपति विवाह के कारण स्थियों में बौद्धपन में वृद्धि हो जाती है।

(3) नैतिकता का दोहरा मापदण्ड— कुछ जनजातियों में जहाँ बहुपति विवाह की प्रथा है दोहरी नैतिकता का मापदण्ड मिलता है। खस जनजाति में वधुओं को अपने समुराल में वैवाहिक सम्बन्धी नियमों तथा प्रतिबन्धों का कठोरता से प्राप्तन करना होता है। परन्तु अपने पिता के घर उन्हें यौन सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। यह छूट विवाहोत्तर यौन व्यवहार को बढ़ावा देती है।

(4) गुप्त रोगों में वृद्धि— जब एक स्त्री से अनेक पुरुष यौन सम्बन्ध रखते हैं तो उससे दूत की बीमारियाँ फैलती हैं। गुप्त रोग बढ़ जाते हैं। कभी-कभी तलाक तक की स्थिति आ जाती है।

3.3. ममूह विवाह

जब कई पुरुष मिलकर अनेक स्थियों से एक साथ विवाह करते हैं जिसमें प्रत्येक गरुड़ सभी स्थियों का पति तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है तो उसे समूह विवाह कहते हैं। एक पुरुषों का समूह एक स्थियों के समूह से विवाह करता है। इससे जो परिवार स्थापित होगा वह समूह विवाही परिवार होगा। भारत की टोटा जनजाति; तिब्बत, भारत तथा श्रीलंका के समाजों में बहुपति विवाह पाये जाते हैं। आस्ट्रेलिया की जनजातियों में एक वंश की सभी पुत्रियाँ दूसरे वश की भावी पत्नियाँ समझी जाती हैं।

हिन्दू विवाह

अर्थ— अन्य समाजों में विवाह को एक समझीता माना जाता है किन्तु हिन्दू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। मनु ने विवाह के सम्बन्ध में लिखा है कि विवाह इस लोक तथा परलोक के मुख के लिए आवश्यक है। ए.एस. अल्टेकर ने 'द पोजिशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन' में लिखा है कि वेदों में उस व्यक्ति को अपवित्र घोषित करना चाहिए जो विवाहित नहीं है। पर्मशास्त्रों तथा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि व्यक्ति को पत्नी प्राप्त करनी चाहिए तथा सन्तान पैदा करनी चाहिए तभी वह पूर्ण व्यक्ति कहलाएगा।

के.एम. कापड़िया के विचार— के.एम. कापड़िया ने अपनी कृति 'मेरेज एण्ड फैमिली इन इण्डिया' में लिखा है, "हिन्दू विवाह एक संस्कार है।" अन्य समाजों में विवाह विच्छेद का प्रावधान है। परन्तु हिन्दू विवाह को जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध मानते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अन्य समाजों में विवाह को सामाजिक या कानूनी आधार पर समाप्त किया जा सकता है। परन्तु हिन्दू समाज में विवाह एक अदूर सम्बन्ध है। कापड़िया ने कहा है, "विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म है।" हिन्दू विवाह में पर्म का प्रथम स्थान है। पुत्र प्राप्ति का स्थान द्वितीय है तथा रति (काम वासना) का तीसरा और अंतिम स्थान है।

मेपातिथी के अनुसार, "हिन्दू विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चत क्रम में किया जाने वाला, अनेक विधियों से सम्पन्न होने वाला पाणिग्रहण-संस्कार है, जिसकी अतिम विधि सप्तर्षिदर्शन है।"

हिन्दू विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र-प्राप्ति, पितृ-क्रण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकता, परिवारिक सुख, सामाजिक कर्तव्यों की पालना करने के लिए सी और पुरुष का निश्चित विधि-विषयान के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का गापन या धार्मिक संस्कार है।

हिन्दू-विवाह के उद्देश्य एवं महत्व

हिन्दुओं के जीवन में चार आश्रमों में दूसरा आश्रम—गृहस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने सारे क्रणों—देव क्रण, क्रापि क्रण, पितृ क्रण, अतिथि क्रण और भूत क्रण को पूरा करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह संस्कार के द्वारा प्रवेश करता है। उसके बाद ही वह गृहस्थ आश्रम से सम्बन्धित क्रणों को पूरा कर सकता है। इस गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारा अपना जीवन सफल बना सकता है। हिन्दू समाज में विवाह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. धार्मिक उद्देश्य— कापड़िया लिखते हैं, "हिन्दू-विवाह एक सम्कार है। हिन्दू-विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा (मन्तान), और रति (आनंद) माने गए है।" आपका कहना है कि विवाह का प्रथम उद्देश्य धर्म अबाध धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करना है। अन्य उद्देश्य उगके बाद प्रावधिकता के अनुरूप हैं। विवाह के द्वारा पुरुष पत्नी को पाप करता है जिसके साथ वह अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। विवाह तब पूर्ण माना जाता है जब होम (पवित्र अग्नि में आहुति), पाणिग्रहण (वधु का हाथ पकड़ना) और सप्तपटी (पति-पत्नी साथ-साथ सात कदम चलते हैं), ये प्रमुख संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। पति पत्नी के ही साथ यह तथा धार्मिक संस्कार कर सकता है। याद्वावल्य के अनुसार पत्नी की पृथ्यु के बाद पुरुष को धार्मिक संस्कार करने के लिए दूसरा विवाह करना अनिवार्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म है।

2. पुत्र-प्राप्ति— कापड़िया के अनुसार पुत्र की प्राप्ति विवाह का दूसरा उद्देश्य है। मनु सहिता और महाभारत में पुत्र शब्द का अर्थ है वह जो पिता को नक्क में जाने से बचाता है। पवित्र में पुत्र की महिमा इतनी अधिक बताई जाती थी कि सन्तानोत्पत्ति परिवार और समुदाय के लाभ के लिए यह एक कर्तव्य माना जाता था। पुत्र पिता का दाह-संस्कार करके उसे मोक्ष दिलाता है। ऋत्येद में पुत्र प्राप्ति का महत्व अनेक स्थानों पर मिलता है। मुहू, पिता, माता, स्वजन आदि पति-पत्नी या वर-वधु को उत्तम सन्तान का आशीर्वाद देते हैं। व्यक्ति विवाह के बाद सन्तानों को जन्म देकर ही पितृ क्रण से उक्खण होता है। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाय तो अच्छा पुत्र वृद्ध माला-पिना की अच्छी सेवा करता है। समाज की निरन्तरता के लिए भी सन्तानोत्पत्ति आवश्यक है।

3. रति— कापड़िया के अनुसार विवाह का तीसरा उद्देश्य यीन सन्तुष्टि है। विवाह में यीन सम्बन्ध की निम्नतम भूमिका पार बल देने के लिए लिखा है कि गूद के लिए विवाह का उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना है। परन्तु उच्च वर्जी तथा जातियों के लिए रति का उद्देश्य निम्नतम है। ग्राहण विषयवेताओं ने शूद्र पत्नी को केवल आनंद के लिए विवाह द्वारा प्राप्त करने का उद्देश्य बताया है। ऐसे भी वर्जन मिलते हैं जिसमें यीन इच्छाओं की पूर्ति को आपरक माना गया है परन्तु वह

निम्न वर्णों के लिए है। धर्मशास्त्रों में यौन इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है तथा इसको पूर्ण करने का प्रावधान ही विवाह है। वात्स्यायन का कथन है कि रति आनन्द की व्यवस्था समाज में होनी चाहिए कुछ के लिए इन्होंने इसकी तुलना ब्रह्मानन्द से की है।

4. व्यक्तित्व का विकास — विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष का एक पति अथवा पत्नी के रूप में विकास होता है उससे व्यक्तित्व भी विकसित होता है। समाज में व्यक्ति के अनेक सामाजिक गुणों का विकास विवाहोपरान्त ही होता है। अविवाहित या तलाक प्राप्त स्त्री-पुरुष समाज में इन्हें व्यवहार कुशल, गम्भीर और समायोजन करने वाले नहीं होते हैं जिन्हें पति, पत्नी, पिता, माता आदि प्रस्तियों के व्यक्ति होते हैं। मनु का कहना है कि मनुष्य का विवाह के बाद ही पूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है। पूर्ण व्यक्ति यही कहलाता है जिसके पत्नी और संतानें हो।

5. पारिवारिक उत्तरदायित्व — व्यक्ति की स्थिति परिवार में दो प्रकार की होती है— एक सन्तान के रूप में तथा दूसरी पिता के रूप में होती है। जब वह छोटा होता है तो उसके माता-पिता तथा अन्य स्वजन उसका पालन-पोषण करते हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए विवाह करके आपने बुद्धजनों की सेवा पत्नी के साथ करनी चाहिए। अनेक उत्तरदायित्वों को जो परिवार से सम्बन्धित होते हैं वह व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। पति-पत्नी मिलकर ही अपनी सन्तानों का पालन-पोषण अच्छा कर सकते हैं।

6. सामाजिक उत्तरदायित्व — समाज की निरन्तरता को बनाए रखने का उत्तरदायित्व समाज के सदस्यों पर होता है। मानव नश्वर है। इसलिए नए सदस्यों का जन्म, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, सामाजीकरण आदि नहीं होगा तो समाज एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस सामाजिक उत्तरदायित्व को व्यक्ति विवाह करके ही सम्पन्न कर सकता है।

हिन्दू विवाह : एक धार्मिक संस्कार

हिन्दू विवाह की प्रकृति, विशेषताएँ, उद्देश्य आदि का अध्ययन करने के बाद कापड़िया ने हिन्दू विवाह को धार्मिक विशेषताओं का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित हैं-

1. धार्मिक आपार — हिन्दू-विवाह का प्रथम और सर्वोपरि उद्देश्य धार्मिक है। प्रत्येक हिन्दू अपने जीवन में अनेक धार्मिक कार्य करता है जो वह पत्नी के साथ ही कर सकता है अकेला नहीं, जैसे— प्रतिदिन पंच महायज्ञ, पिण्डदान, तर्पण, कन्यादान आदि। इमके अनेक धार्मिक आपार हैं, जैसे— अविच्छेद विवाह, वेदमंत्रों का उच्चारण, अग्नि का साक्षी होना, धार्मिक आदेश एवं निषेध आदि।

2. धार्मिक आदेश तथा निषेध — हिन्दू-विवाह में एक दम्पति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाने से पहले उन्हें अनेक धार्मिक आदेशों तथा निषेधों से अवगत कराया जाता है। इश्वर की पूजा-पाठ करना, पञ्च महायज्ञ करना, दान देना, अतिथि सत्कार करना और समय-समय पर धार्मिक कृत्य करना हिन्दू के लिए आवश्यक है। दम्पति के लिए धर्मशास्त्रों में अनेक निषेधों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हे विवाह के समय और बाद में ध्यान में रखना एवं आचरण करना आवश्यक है।

3. विवाह के लिए धार्मिक अनुष्ठान-और संस्कार— पी.वी. काणे ने हिन्दू-विवाह सम्पन्न होने में 39 अनुष्ठानों तथा संस्कारों का वर्णन किया है। हिन्दू-विवाह तभी सम्पन्न माना जाता है जब

भारत में विवाह

इन धार्मिक कृत्यों को पूर्ण किया जाता है। होम, पाणिग्रहण, सहस्रदी, कन्यादान, अग्निपरिणयन आदि विवाह के प्रमुख संस्कार हैं।

4. वेदमंत्रों का उच्चारण—हिन्दू-विवाह के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों के माध्यम से ईश्वर, देवी-देवताओं का आह्वान विवाह संस्कार के प्रारम्भ में किया जाता है तथा विवाह संस्कार के समाप्त होने पर उन्हें विदा किया जाता है।

5. अग्नि की साक्षी—हिन्दू धर्म में अग्नि को पवित्र तथा पर्मिक माना जाता है। यज्ञ, होम, अनुष्ठान आदि अग्नि को साक्षी करके ही किए जाते हैं। हिन्दू विवाह के समय अग्नि को साक्षी करके वर-वधु से सारे संस्कार करवाए जाते हैं। वर-वधु अग्नि तथा देवी-देवताओं से स्वयं के दाम्पत्य जीवन को सुखी और आनन्दमय होने की प्रार्थना करते हैं।

6. पुरोहित की उपस्थिति—हिन्दू धर्म में जितने भी धार्मिक-कार्य, अनुडान, संस्वार आदि होते हैं उन्हें पुरोहित सम्पन्न करता है। विवाह क्योंकि धार्मिक संस्कार है इसलिए पुरोहित द्वारा सम्पन्न करवाया जाना आवश्यक है। वही वर-वधु को दम्पति के रूप में पारिवारिक जीवन में वेद-मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करता है।

7. कन्यादान—धर्मशास्त्रों के अनुसार दम्पति के लिए कन्यादान एक शेष दान है। अगर कोई अपने जीवन में कन्या का दान नहीं करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कन्या का देना तथा लेना एक आवश्यक धार्मिक कृत्य माना गया है। यह दान दम्पति ईश्वर, अग्नि, ब्राह्मण, सो सम्बन्धियों, मंत्रों आदि की उपस्थिति में किया जाता है।

8. पत्नी के संबोधन शब्द—हिन्दुओं में पत्नी को “धर्म-पत्नी”, सहर्ष्मीचारिणी, सह-धर्मिणी आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। इन शब्दों का अर्थ है धार्मिक कार्यों, संस्कारों, अनुडानों आदि में बराबर का सहयोग करने वाली। पति के लिए पतिदेव शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह इस सत्य के प्रमाण है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है।

9. अविच्छेदक विवाह—हिन्दू-समाज की यह धार्मिक मान्यता है कि पति-पत्नी के सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर के होते हैं जिन्हे तोड़ा नहीं जा सकता है। पिछले जन्मों में जो पति-पत्नी थे वे इस जन्म में पति-पत्नी बने हैं तथा अगले जन्मों में भी पति-पत्नी बनते रहेंगे। इसी मान्यता तथा परम्परा के कारण कोई भी विवाह विच्छेद नहीं कर सकता।

10. स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार—विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जो स्त्री के जीवन में प्रथम और एक मात्र संस्कार है जो वह स्वतंत्र रूप से करती है। विवाह के बाद वह पति के साथ धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करती है। स्त्री का जब तक विवाह संस्कार नहीं होता उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।

11. पतिव्रत धर्म—हिन्दू स्त्री का विवाह होने के बाद पति ही उसका सब कुछ होता है। विवाहित स्त्री का यह धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे। पति उसके लिए ईश्वर और स्वयं है। पतिव्रत धर्म निभाना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पतिव्रत धर्म का अर्थ है कि पत्नी अपना जीवन पति के चरनों में अस्ति कर दे, उसकी सेवा करे।

12. क्रणों से उक्षण— हिन्दू धर्म में व्यक्ति को दैव-क्रण, पितृ-क्रण, ऋषि-क्रण आदि से उक्षण होना होता है। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषाथों की प्राप्ति करनी होती है। यह सब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर ही करता है। गृहस्थ आश्रम में बिना विवाह के प्रवेश करना असम्भव है। विवाह वह धार्मिक संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने सारे जल्दों से उक्षण होता है।

हिन्दू-विवाह की उपयुक्त विशेषताएँ और प्रकृति यह स्पष्ट करती हैं कि हिन्दू-विवाह एक धार्मिक संस्कार रहा है। भारत सरकार ने हिन्दू-विवाह अधिनियम, 1955 पारित करके इसे एक सामाजिक और वैधानिक समझौता मात्र बना दिया है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह के लिए धार्मिक संस्कार करने आवश्यक नहीं हैं। अब विवाह विच्छेद सम्भव है जिससे विवाह को जन्म-जन्मान्तर का अटूट सम्बन्ध नहीं माना गया है। यह बात दूसरी है कि हिन्दू समाज का बड़ा प्रतिशत अभी भी धर्म के द्वारा संचालित है।

हिन्दू-विवाह के स्वरूप (विधियाँ)

हिन्दू-विवाह के स्वरूप से यहाँ पर अर्थ है विवाह करने की वे आठ विधियाँ या पद्धतियाँ जिनका वर्णन मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतिकारों ने किया है। गृहा-सूत्रों तथा धर्म-सूत्रों में भी इनका उल्लेख मिलता है। यह निम्नलिखित हैं—

1. ब्राह्म विवाह— ब्राह्म विवाह सभी प्रकार के हिन्दू विवाहों में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार, “ब्राह्म विवाह वह विवाह है जिसमें वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकृत करके कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र इक्कीस पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है।” मनु ने इस विवाह की व्याख्या मनुस्मृति में निम्न प्रकार की है, “वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र और आभूषणों आदि से अलंकृत कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्राह्म विवाह है।”

2. दैव विवाह— मनुस्मृति के अनुसार, “सदकर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कन्या दी जाती है तो इसे दैव विवाह कहते हैं।” प्राचीनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। जो इन पवित्र कार्यों को करते थे उन यज्ञ करवाने वाले यजमान पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। याज्ञवल्क्य तथा गौतम ने दैव विवाह के सम्बन्ध में लिखा है कि यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके दान कर देना ही दैव विवाह कहलाता है। यज्ञ के तुम होने के साथ दैव विवाह भी तुम हो गया।

3. आर्य विवाह— मनुस्मृति के अनुसार आर्य विवाह में कन्या का पिता विवाह के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। बैल आदि के बारे में शास्त्रकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि ऋषि का विवाह करने का पक्का इरादा मालूम करने के लिए पशु लिए जाते थे। आर्य का सम्बन्ध ऋषि शब्द से होने के कारण इसे आर्य विवाह की सज्जा दी गई। शास्त्रों में धर्म का प्रतीक बैल है तथा पृथ्वी का गाय। इन्हीं को विवाह के समय माँगा जाना हिन्दू धर्म में इनके महत्व को स्पष्ट करता है। याज्ञवल्क्य का कहना है— दो गाय लेकर कन्यादान दिया जाए तो वह विवाह आर्य-विवाह कहलाता है।

4. प्राजापत्य विवाह—प्राजापत्य वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता है, “तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो।” इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न सन्तान अपने बंश की बारह पीढ़ियों को पवित्र करती है, ऐसा याज्ञवल्क्य का मानना है। वशिष्ठ और आपस्तम्ब ने इस विवाह का उल्लेख नहीं किया है। अल्लोकर के अनुमार विवाहों के कराने की विधियों की आठ संस्कार करने के लिए इसे बाद में जोड़ा गया है।

5. आसुर विवाह— यह एक प्रकार से वधु-मूल्य के द्वारा किए गए विवाह का ही एक प्रकार है। मनुस्मृति के अनुसार, “जब कन्या (अथवा उसके पिता) को जानवृद्ध कर यद्यासीक धन देकर उससे स्वच्छन्दतापूर्वक विवाह किया जाए तो वह आसुर विवाह है।” मनुस्मृति के अनुसार यह विवाह निम्न कोटि का है। उच्च बातियों ऐसे विवाह नहीं करती हैं। गौतम एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना आसुर विवाह है। कुछ लोग कन्या को बिना कुछ दिए लेना कन्या का तथा स्वयं का अपमान समझते हैं इसलिए बदले में कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। यह कन्या के परिवार से चले जाने की एक प्रकार से क्षतिपूर्वक का तरीका है।

6. गांधर्व विवाह—प्राग्भूमि में यह विवाह रूपवान गांधर्वों और कामुक किंवरियों में होते थे। मनु के अनुसार, “कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक प्रेम द्वारा काम और मैथुन भावों से जो विवाह किया जाए उसे गांधर्व विवाह कहते हैं।” याज्ञवल्क्य के अनुसार, “प्रेम द्वारा होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं।” आधुनिक समय में इसे प्रेम-विवाह कहते हैं। दुष्यन्त और शकुन्तला का विवाह गांधर्व विवाह था। वौद्धामन और वात्स्यायन इसे आदर्श विवाह मानते हैं। स्पौदीक यह वर और वधु की स्वतंत्र इच्छा तथा पसंद पर आधारित है।

7. राक्षस विवाह— मनु के अनुसार, युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है तो वह विवाह राक्षस-विवाह कहलाएगा। याज्ञवल्क्य के अनुसार, युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाएगा। विभिन्न समाजों में प्राचीन काल में युद्ध अधिक हुआ करते थे तथा स्त्री को पुरस्कार माना जाता था तब ऐसे विवाह अधिक हुआ करते थे। महाभारत काल में ऐसे विवाहों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्रीकृष्ण का रुक्मणी के साथ तथा अर्जुन का मुख्त्रा के साथ जो विवाह हुआ था वह राक्षस विवाह था। भीम ने अपने भाइयों के विवाह के लिए काशी के राजा की पुत्रियों अम्बा, अम्बिका और आम्बालिका का हरण किया था।

8. पैराच विवाह— मनु के अनुसार, “सोई हुई, उन्मत्त, पबराई हुई, परिदा पान की हुई या गह में जाती हुई लड़की के माथ बलपूर्वक कुकूत्य करके बाद में उससे विवाह करना पैराच विवाह है।” इस विवाह को शास्त्रों में सबसे निकृष्ट और अर्थमान है। आपस्तम्ब और वशिष्ठ ने इस विवाह को मान्यता नहीं दी। इस विवाह में कन्या का कोई दोष नहीं होने के कारण तथा उसका जीवन सुरक्षित करने के लिए धर्मशास्त्रकारों ने इस निकृष्ट विवाह को मान्यता देना उचित समझकर मान्यता दी थी। इस मान्यता से कन्या का कोमार्य भग हो जाने के बाद भी सामाजिक अपमान तथा यहिष्कार से सुरक्षा प्रदान करने तथा सम्मान से जीवन व्यक्तित्व करने के लिए अर्थ होते हुए भी यह प्रावधान रखा गया।

निकृष्ट— उपर्युक्त आठ प्रकार के विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्तम, दैव विवाह और प्राजापत्य को मध्यम; आर्य, आसुर और गांधर्व को निकृष्ट तथा राक्षस और पैराच विवाह को महाभृष्ट विवाह

माना गया है। आजकल केवल ब्राह्म विवाह और आसुर विवाह ही अधिक प्रचलित हैं। मजूमदार का कहना है कि ब्राह्म विवाह उच्च जाति के लोगों में तथा आसुर विवाह निम्न जाति के लोगों में होते हैं।

हिन्दू-विवाह के नियम

हिन्दू समाज में विवाह से सम्बन्धित कई नियम देखे जा सकते हैं जो विवाह के विभिन्न प्रकारों को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने हिन्दू विवाह में सम्बन्धित विभिन्न नियेधों, वरीयताओं और भोगाधिकारों को अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रनिलोम विवाहों में वर्णिकृत किया है जो निम्नलिखित प्रकार है—

बहिर्विवाह

बहिर्विवाह अंग्रेजी शब्द Exogamy का हिन्दी अनुवाद है। एंजोगेमी ग्रीक शब्द से बना है। Exo का अर्थ है Outside अर्थात् बाहरी भाग और Gamy का अर्थ है विवाह करना। Exogamy का पूर्ण अर्थ हुआ बाहरी लोगों में विवाह करना। प्रत्येक समाज में निकट सम्बन्धियों के साथ विवाह करना नियेध है, जैसे— भाई-बहिन, माता-पुत्र, पिता-पुत्री आदि। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने निकट सम्बन्धियों के समूह के बाहर विवाह करे। हिन्दुओं में बहिर्विवाह की प्रथा तथा नियेधों के अनुसार व्यक्ति एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश गोत्र, सप्रवर और सप्रिण्ड समूहों से बाहर विवाह कर सकता है। हिन्दुओं में बहिर्विवाह के निम्नलिखित स्वरूप हैं—

1.1. सगोत्र बहिर्विवाह- सगोत्र बहिर्विवाह से तात्पर्य है जो व्यक्ति जिस गोत्र समूह का सदस्य है उस गोत्र समूह के बाहर विवाह करे। हिन्दुओं में सगोत्र विवाह नियेध है। गोत्र एक बड़ा बन्धुत्व समूह होता है। कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त-परिवार, कई संयुक्त-परिवार मिलकर वंश-समूह और कई वंश-समूह मिलकर सगोत्र समूह का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हिन्दू समाज में परिवार, संयुक्त-परिवार, वंश-समूह और गोत्र-समूह बहिर्विवाह-समूह होते हैं जिनमें व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। इनके बाहर विवाह की अनुमति है।

गोत्र की व्याख्याएं गिन्न— गिन्न मिलती है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गो+त्र अर्थात् गायों को बाँधने का स्थान (गौशाला) अथवा गायों का पालन करने वाला समूह है। सामान्य रूप से गोत्र एक व्यक्तियों का समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं। 'सत्याषाढ़ हिरण्यकेशी श्रोतसून्' के अनुसार, आठ ऋषियों—विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, अंजि, कश्यप, जपदग्नि और अगस्त्य की सन्तानों को गोत्र नाम से पहचाना जाता था। गोत्र शब्द को गौशाला, गाय का समूह, विकला या पर्वत अद्वितीय भी प्रयुक्त किया जाता था। लोग गोपालन करते थे। जो लोग परस्पर मित्र, या रक्त सम्बन्धी होते थे तथा अपनी गायों को एक स्थान पर रखते था वांछते थे। उनमें कुछ ऐतिकाता के कर्तव्य विकसित हो गये होंगे। वे लोग आपस में विवाह करना ठीक नहीं समझते होंगे। यही कालांतर में जाकर गोत्र बहिर्विवाह के नियेध में विकसित हो गया होगा। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार गोत्र बहिर्विवाह का नियेध समाप्त घोषित कर दिया गया है फिर भी विवाह निश्चित करते समय गोत्रों का ध्यान रखा जाता है।

समूहों में विवाह करने लगा। इस प्रकार यह समूह अन्तर्विवाह-समूह बन गए तथा वर-वधु के चुनाव का क्षेत्र सीमित तथा संकुचित हो गया।

अन्तर्विवाह के कारण— अन्तर्विवाह के निम्नलिखित कारण बताए गये हैं—

1. प्रजाति— रिजले, धुर्यो और मजूमदार के अनुसार विभिन्न प्रजाति के लोग भारत में आए। यह अपनी रक्त की शुद्धता बनाए रखना चाहते थे। लेकिन इनके साथ दियाँ कम आई थीं। आवश्यकतानुसार इन्होंने स्थानीय स्थियों से विवाह किया तथा बाद में ऐसे विवाहों पर रोक लगा दी। इससे अन्तर्विवाह कां विकास हुआ।

2. सांस्कृतिक भिन्नता— आक्रमणकारियों तथा स्थानीय लोगों की संस्कृति में काफी भिन्नता थी। उनकी शाया, खान-पान, वेशभूषा आदि भिन्न था जिससे विवाहों के सामंजस्य में कठिनाई पैदा होती थी। इससे सुरक्षा का एक ही उपाय था कि आपस में विवाह नहीं करे। इस सांस्कृतिक भिन्नता ने भी अन्तर्विवाह को प्रोत्साहित किया।

3. प्रदत्त सदस्यता— समाज में सदस्यता दो प्रकार की होती है— कर्म पर आधारित और जन्म पर आधारित। वर्ण व्यवस्था में कर्म से व्यक्ति को सदस्यता प्राप्त होती थी। परन्तु धीरे-धीरे जन्म का महत्व बढ़ गया। जो जिस जाति अथवा उपजाति में पैदा होता उसे उसी समूह की सदस्यता मिलती। उसका विवाह भी उसी समूह में होता।

4. व्यावसायिक सुरक्षा— नैसफिल्ड के अनुसार— जातियाँ अपना व्यवसाय सुरक्षित रखने के लिए अन्य समूहों से विवाह नहीं बारती थीं। वे अपनी ही जाति-समूह में विवाह बारतीं तथा वंशजों के लिए व्यवसाय सुरक्षित रखतीं। इसी उद्देश्य से अन्तर्विवाह की ओर आकर्षण बढ़ता गया और धीरे-धीरे यह एक प्रथा बन गई।

5. उपजातियों का क्षेत्रीय केन्द्रीयकरण— विभिन्न उपजातियाँ भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पृथक-पृथक् निवास करती थीं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में यातायात के तथा संचार के साधनों का विशेष अभाव था। इससे विभिन्न उपजातियों में परस्पर सम्पर्क नहीं होने के कारण वे अपने ही क्षेत्रों में बसी उपजातियों में विवाह को प्राथमिकता देते-देते इसे नियम के रूप में मानने लग गए तथा वह अन्तर्विवाह में विकसित हो गया।

6. जैन और बौद्ध धर्म— जैन और बौद्ध धर्म ब्राह्मणबाद के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसने ब्राह्मणों के प्रभाव तथा वर्चस्व को कम कर दिया। बाद में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रभाव कम हो गया। ब्राह्मणों ने भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और प्रभाव को पुन प्राप्त करने के लिए जाति से सम्बन्धित नियमों को विशेष राष्ट्र बनाया, उनमें अन्तर्विवाह सबसे कठोर नियम था; इसका पालन कठोरता से किया गया।

7. मुसलमानों का आक्रमण— मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किए। अपने धर्म को भारत में फैलाया। वे यहाँ की हिन्दू लड़कियों से विवाह करते। इससे सुरक्षा के लिए बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा तथा अनेक अन्य प्रतिबन्ध लगाए गए। उसमें से सबसे कठोर प्रतिबन्ध अपने समूह, जाति, उप-जाति आदि के बाहर विवाह पर नियेथ लगा देना था। हिन्दू समाज अनेक छोटे-बड़े अन्तर्विवाह समूहों में विभाजित हो गया।

अनुतोम विवाह

अनुतोम विवाह अंग्रेजी के मन्द (Hypergamy) हाइपरगेमी का हिन्दी व्याकरण है। हाइपरगेमी ग्रीक मन्द से बना है। Hyper का अर्थ है Over लघु और Gammy का अर्थ है विवाह अनुतोम विवाह के प्रकार में वर और वधु की सामाजिक श्रेणी, जाति, वर्ण, कुल आदि टेक्के जाते हैं। अगर वर वधु से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ण, जाति, वर्ण उच्चवा कुल का है तो ऐसा विवाह अनुतोम विवाह या कुलांत विवाह कहलाता है। इसमें उच्च सामाजिक स्थिति का वर होता है तथा निम्न सामाजिक स्थिति की वधु होती है। द्वाष्टान लड़के का विवाह धर्मिय, वैश्य वा शूद्र लड़की ने होता है जो ऐसा विवाह अनुतोम विवाह अनुतोम विवाह नहीं होता है। ऐसे विवाह प्राचीन भारत में मन्द थे।

मध्यमध्य और मध्यम ने अनुतोम विवाहों का बनाने किया है। यनुतदा यज्ञबलवद भी द्वाष्टान को चार (द्वाष्टान, धर्मिय, धैर्य और शूद्र), धर्मिय को सीम (धर्मिय, धैर्य और शूद्र), धैर्य को दो (धैर्य और शूद्र) और शूद्र जो एक (धैर्य जो से शूद्र वर्ण) विवाह करने की अनुमति दी जाती रही है। शूद्र वर्ण की लड़का ने द्विजों के विवाह दो निम्न कोटि वा माना जाना था। उनमें उनमें वर्ण विभिन्न जातियों और उच्चदर्शियों में विभाजित होते रहे तथा अन्तर्विवाह की प्रथा कैलांती गई पैसे-वैसे अनुतोम विवाह की प्रथा भी माना होती गई।

अनुतोम विवाह के प्रभाव—अनुतोम विवाह के अनेक प्रभाव हिन्दू मनाव में देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित हैं—

1. उच्च कुलों में लड़कों की कमी— सभी माता-पिता और स्वजन अपनी लड़कियों का विवाह उच्च वर्ण, कुल, जाति आदि में होते हैं इसमें उच्च वर्ण, कुल आदि में लड़कों की संख्या दर जाती है। इसमें उच्च जन की लड़कियों की दोष्य दर यहाँ मिल पाना है और उभी-उभी वे अविवाहित भी रह जाती हैं।

2. निम्न कुलों में लड़कियों की कमी— इब निम्न कुल की लड़कियों का विवाह उच्च कुल में होते हैं तो निम्न कुल के लड़कों के तिर्तुलियों की कमी हो जाती है और वे अविवाहित रह जाते हैं।

3. या मूल्य प्रधान— यह हर कोई उच्ची लड़की का विवाह उच्च कुल में करना चाहते हैं तो उच्च कुल के लड़कों की मूल्य हो जम होती है। ददा उनकी सांस दर्दन में या-मूल्य या दंत्र की सांस बढ़ जाती है।

4. वेदेन एवं चान-विवाह—अनुतोम विवाह मानविक उठिडा की बात होती है। प्राचीन माता-पिता उनमें से कुछ जो विवाह उच्च कुल में करने के कारण वहाँ उन्हें धूम्र से दर देते हैं। चान-त और विहार ने ऐसा धूम्र होना चाहा है। अनुतोम विवाह नदा छोटी उड़ी होती है तथा पुरुष वृद्ध, अपेक्षा या द्वाष्टा अदिक् उड़ा जा होता है। चान के माता-पिता वृद्ध वृद्ध उच्चे जन की त्वरण में होते हैं।

5. वस्त्र-विवाहों की मन्दी— वेदेन विवाह में एवं वृद्ध और अपेक्षा उड़े के कारण यहाँ की तुलना में ज़र्दी भर जाते हैं तथा लड़की विवाह हो जाती है। वस्त्र-विवाह में भी एवं होती उड़

का होता है, वह नीमार होकर मर जाता है तो कन्या विधवा हो जाती है। कुल्तीन विवाह से बाल-विवाह, बेमेल-विवाह और फिर विधवा की समस्या का इससे जन्म हुआ है।

6. बहु-विवाह का प्रचलन— अनन्दिवाह ने बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को बढ़ावा दिया है। कन्या के संखक जब उच्च कुल में विवाह करना उद्देश्य बना तेत हैं तो उच्च कुल में सीमित लड़कों का विवाह अनेक कन्याओं से कर दिया जाता है। बंगाल तथा बिहार में ऐसे अनेक उदाहण मिलते हैं जिसमें लड़के का विवाह 50 से 100 कन्याओं तक से हुआ है। पति रजिस्टर रखते हैं उसमें अपनी पत्नियों के नाम-पते लिखकर रखते हैं। इतनी सारी पत्नियों को याद रखना भी कठिन है। विवाह के बाद पत्नियाँ अपने माता-पिता के पास रहती हैं।

सामाजिक बुराइयाँ— अनुलोम विवाह से अनेक सामाजिक बुराइयाँ तथा समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। विलम्ब विवाह, बेमेल विवाह, विधवाओं का बढ़ना, बाल-विवाह, दहेज, कन्या-मूल्य आदि के अतिरिक्त और भी बहुत सी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, जैसे— भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, आत्महत्याएँ आदि। उच्च कुल वे परिवारों में भ्रष्टाचार फैल जाता है।

प्रतिलोम विवाह

प्रतिलोम विवाह अंग्रेजी के शब्द हाइपोगमी (Hypogamy) का अनुवाद है। हाइपोगमी ग्रीक शब्द से बना है। Hypo का अर्थ है Below तथा Gamy का अर्थ है विवाह करना। पूर्ण अर्थ हुआ निम्न वर्ण, जाति, श्रेणी आदि में विवाह करना। अनुलोम विवाह का निपटीत रूप प्रतिलोम विवाह है। यह वह विवाह है जिसमें वधु उच्च श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, कुल या वंश की होती है तथा वधु की तुलना में वर निम्न श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति या कुल या वंश का होता है। कापड़िया के अनुसार— “एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ब्राह्मण लड़की का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़के से; क्षत्रिय लड़की का विवाह वैश्य या शूद्र लड़के से तथा वैश्य लड़की का विवाह शूद्र लड़के से होना प्रतिलोम विवाह कहलाता है।”

प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च-कुल की होती है तथा लड़का निम्न-कुल का होता है। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाहों को कभी भी मान्यता नहीं दी। वे इसकी आलोचना करते थे। प्रतिलोम विवाह अर्थात् उच्च वर्ण की स्त्री तथा निम्न वर्ण के पुरुष से उत्पन्न संतानों को ‘चाण्डाल’ अथवा ‘निपाद’ कहते थे। पहले यह विवाह वैध नहीं थे। परन्तु भारत सरकार ने समय-समय पर नियम पारित करके इन विवाहों को वैध घोषित कर दिया है। यह नियम है— हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, 1949 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 जिनके द्वारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों को कानूनी वैधता प्रदान कर दी गई है।

हिन्दू-विवाह में आधुनिक परिवर्तन

हिन्दू समाज में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं। परिवर्तन समाज की प्रकृति है। हिन्दू-विवाह में भी परिवर्तन तो होते रहे परन्तु इसकी गति कभी बहुत धीरी हो गई तो कभी तेज। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगीकरण, पारचात्य संस्कृति, नवीन कानूनों का प्रभाय, महिला आंदोलन, विज्ञान का प्रसार, धर्म के प्रभाव में कमी, द्वियों की शिक्षण तथा आर्थिक स्वतंत्रता ने विवाह के विभिन्न लक्षणों, लक्ष्यों, स्वरूपों आदि को प्रभावित किया है। विवाह से सम्बन्धित अग्रलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय है जो विगत वर्षों में हुए हैं—

उद्देश्यों में परिवर्तन- धर्मशास्त्रों के अनुमार हिन्दू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा और उति है। पत्नु अब धार्मिक उद्देश्य गौण हो गया है अथवा समाज हो गया है। विवाह का तीसरा उद्देश्य रति-आनन्द (यीन इच्छा की पूर्ति) प्रथम तथा एकमात्र उद्देश्य हो गया है। परिवार नियोजन की आवश्यकता के कारण तथा जनसंख्या की समस्या के समाप्तान के कारण अनेक दप्ति अब पुत्र प्राप्ति को महत्व नहीं देते हैं। पुत्र प्राप्ति को मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। दो पुत्रियों के जन्म के बाद सन्तानोत्पत्ति का विचार नहीं रखते।

2. विवाह आवश्यक संस्कार नहीं रहा- हिन्दुओं की युवा पीढ़ी पहले की तरह विवाह को आवश्यक धार्मिक संस्कार नहीं मानती है। लड़के-लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने को महत्व देते हैं। आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होने के साथ-साथ अच्छी आय कमाना चाहते हैं। इससे विवाह को वे महत्व कम देते हैं। शियाँ शिक्षा प्राप्त करने तथा अच्छे व्यवसाय को पाना ज्यादा पसंद करती हैं। विवाह को एक बन्धन मानते हैं। मुख्योत्तम वर के अभाव में विवाह टलता रहता है और अनेक खी-पुश्य बाद में अविवाहित रहना पसंद करने लग जाते हैं।

3. विवाह के मन्त्रकारात्मक आधार में परिवर्तन- हिन्दू-विवाह का आधार धार्मिक था। विवाह को जन्म-जन्मान्तर का अटूट मन्त्रन्य भानते थे। अब कानूनी आधार पर भी विवाह एक कानूनी समझौता या सविदा है। पहले विवाह विन्देशद की बात कोई सौच भी नहीं मक्ता था। अब न्यायिक पृथक्करण और तलाक होने लगे हैं। धार्मिक आधार घट रहा है और कानूनी समझौते का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सी. शिक्षा का प्रभाव अधिक पड़ा है।

4. रिति-शिवाजों में परिवर्तन- विवाह धार्मिक विधि-विधान से पूर्ण किया जाता था। अब शाश्वतों के अनुमार विवाह पूर्ण विधि-विधान से सम्पन्न नहीं होते हैं। विवाह की रूपें पहित द्वारा कुछ घर्मों में सम्पन्न कर दी जाती हैं। विवाह से सम्बन्धित मन्त्रकारों को केवल मात्र और पचारिका के रूप में पुरोहित जन्मी तथा गृह्य रूप में पूरी करता है नियमका क्या अर्थ है, उद्देश्य है वही जानता है। विवाह होटलों में सम्पन्न होते हैं। रिति-शिवाजों में समयभाव के कारण काफ़ी परिवर्तन आ गया है।

5. नियेषों में परिवर्तन- हिन्दू-विवाह संस्का में मन्त्रन्यित अनेक नियेष थे, जैसे-अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह, मणिष तथा सगोत्र विवाह नियेष तथा अन्तर्जानीय नियेष। अब हिन्दू लोग इन नियेषों का ध्यान नहीं रखते हैं। अन्तर्जानीय विवाह होने लगे हैं। गोत्र और ग्रुप का ध्यान नहीं रखा जाता है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुमार उर्ध्वक नियेष समाप्त घोषित कर दिए गए हैं। हिन्दू विवाह के नियेष शाश्वतों की वस्तु प्राप्त रह गए हैं।

6. बाल और विलम्ब विवाहों में परिवर्तन- नारीकरण, औदोर्गाकरण, आपुनिक शिक्षा, यातायात तथा संचार के माध्यनों ने बाल-विवाह का प्रतिगत घटाया है। पत्नु दूरी ओर विलम्ब विवाहों का प्रतिगत घटा है। प्रत्येक लड़का तथा लड़की विवाह से पहले अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वावलम्बी तथा अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें समय लगता है। इसमें देर से विवाह करने का ग्वाड़-सा होना जा रहा है। शिक्षा पूर्ण करने में समय अधिक लग जाता है। बाल-विवाहों का प्रतिशत घट रहा है तथा विलम्ब-विवाह का प्रतिशत बढ़ रहा है।

7. देह व क्ष प्रभाव बढ़ना- आपुनिक समय में भौतिकवाद की ओर सबका आवर्जन बढ़ रहा है। आपुनिक उपरोग की वस्तुएँ, जैसे- रोगी टेलीविवाह, ऐडिवरेटा, वी.सी.आर., कार, मूत्रा

आदि वस्तुएँ हर कोई चाहता है। लोगों ने इन्हे प्राप्त करने का सरल तरीका दहेज द्वारा पूर्ण करना अपना लिया है। वर पक्ष वाले धन, आंभूषण, मकान तथा वस्तुओं की माँग करते हैं। पहले दहेज वधू पक्ष की इच्छा पर निर्भर करता था परन्तु अब यह व्यापार-सा हो गया है।

8. विधवा पुनर्विवाह का बढ़ना—हिन्दुओं में विधवा पुनर्विवाह नियम था। कोई भी स्त्री पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। भारत सरकान ने हिन्दू विवाह अधिनियम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को सुविधा प्रदान कर दी है। अब कुछ यदा-कदा विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं। विवाह अब जन्म-जन्मान्तर का पवित्र अटूट सम्बन्ध नहीं माना जाता है। इसमें परिवर्तन हो रहा है।

9. वैवाहिक अधिकारों में परिवर्तन—हिन्दुओं में धर्मशास्त्रों के अनुसार पुरुष को स्त्री की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे—पुरुष अनेक विवाह कर सकता था, पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह कर सकता था। स्त्री केवल एक विवाह तथा पति की मृत्यु के बाद पुन विवाह नहीं कर सकती थी। सरकार ने कानून के द्वारा सभी स्त्री-पुरुष के लिए एक-विवाह का कानून बना दिया है।

विवाह विच्छेद सम्भव कर दिया है। विवाह के मामले में स्त्री-पुरुष सब समान हैं। पति-पत्नी कोई भी समानरूप से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।

10. विवाहित और अविवाहित में समानता—पहले हिन्दू के लिए विवाह करना एक आवश्यक संस्कार माना जाता था। अविवाहित को नियम या हेतु देखा जाता था। समाज में उसका सम्मान विवाहित से कम था। स्त्री के लिए तो अविवाहित रहना लागभग असम्भव था। परन्तु अब इनको समान रूप से देखा जाता है। विवाह करना या नहीं करना व्यक्तिगत मामला माना जाने लगा है। अब समाज के प्रतिक्रिया इस मामले में पहले जैसे कठोर नहीं रहे।

11. वैवाहिक साथी के चुनाव में स्वतंत्रता—हिन्दू-विवाह में माता-पिता तथा स्वजन लड़के-लड़कियों के लिए वैवाहिक साथी की खोज करते थे। विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में परिवार तथा खानदान देखा जाता था। विवाह के द्वारा दो परिवार परस्पर सम्बन्धित होते थे। परन्तु अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब लड़के तथा लड़कियाँ भी अपने जीवन साथी चुनने लगे हैं। माता-पिता लड़के तथा लड़की की राय जानकर ही 'हाँ' करते हैं। विवाह की आयु अधिक होने तथा लड़के-लड़कियाँ स्वातंत्र्य होने के कारण स्वयं भी जीवन साथी पसंद कर लेते हैं।

12. वैवाहिक साथी की खोज के तरीकों में परिवर्तन—पहले पुरोहित, नाई तथा सम्बन्धी विवाह के लिए माता-पिता दो लड़के-लड़कियाँ बताया जाते थे। अब सभाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से पत्र-व्यवहार करके विवाह निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार का तरीका धीरे-धीरे बढ़ रहा है। लड़के-लड़कियाँ भी अपना जीवन सार्थी स्वयं पसन्द करके माता-पिता को जला देते हैं।

13. प्रेम-विवाहों में चुनिदि—मगरों तथा महानगरों में लड़के-लड़कियाँ परस्पर सम्पर्क में आते हैं। उनमें रोमांस चलता है तथा प्रेम होने पर विवाह कर लेते हैं। माता-पिता से अनुमति माँगते हैं। जहाँ माता-पिता सहमति दे देते हैं व्यवस्था बनी रहती है। अनुमति नहीं देने पर सम्बन्ध टूट जाते हैं। वर-वधू विवाह कर लेते हैं तथा कुछ वर्षों बाद सब ठीक हो जाता है। इस क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।

14. अन्तर्राष्ट्रीय विवाह— हिन्दू समाज में चाति व्यवस्था के प्रतिबन्ध बहुत कठोर थे। विवाह से सम्बन्धित प्रतिबन्ध, “जो जिस जाति का है वह उसी जाति में विवाह करेगा” भवर्मे कठोर नियम तथा प्रतिबन्ध था। अब यह प्रतिबन्ध शहरों, नगरों तथा महोनगरों में टूट रहे हैं। कल हीर पड़ने जा रहे हैं। शिक्षित लड़के-लड़कियां अपनी पसंद के लड़के-लड़कियों से विवाह करते हैं जाहे वे किसी भी जाति, धर्म या भाषाएँ क्षेत्र के हों। अन्तर्राष्ट्रीय विवाहों की प्रतिशत दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण नगरीकरण, स्कूल-शिक्षा, यात्रावात के मौद्देश्वर व्यवसायों की वाहन्यता आदि हैं।

हिन्दू-विवाह में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन पर्ति-पत्नी, परिवार तथा समाज में सम्बन्धित हैं। विवाह के अनेक संकाय बदले रहे हैं, जैसे—विवाह की आयु, उद्घाटन, प्रकार, नियम, विधि-विधान, रीति-रिवाज, पर्ति-पत्नी के अधिकोर्ता, सम्बालनक प्रकृति आदि। इनमें परिवर्तन होना अवश्यम्भावी है क्योंकि अनेक कारण हैं, जैसे—नगरीकरण, परिवानोकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, मंचर तथा यात्रावात के माध्यम, आधुनिक शिक्षा, व्यवसायों की वाहन्यता आदि। हिन्दू-विवाह धार्मिक सम्बाल से एक सामाजिक और कानूनी समझौता बनता जा रहा है।

मुस्लिम विवाह । ०९९८४

अर्थ— मुमलमानों में विवाह के लिए ‘निकाह’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। निकाह (विवाह) का शास्त्रीय अर्थ है—रर-नारी का विषयी सम्मान। हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है परन्तु मुसलमानों में निकाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है बल्कि एक समझौता है जो निम्नलिखित उद्देशों की पूर्ति के लिए मही-पुरुष के दोनों किया जाता है—धर बनाना, मननानोन्पति बनाना और उन्हें वैधता प्रदान करना। मुस्लिम विवाह की निम्नलिखित कुछ पहचानूर्ण फ़ाइफ़ाएँ हैं जिनमें इन विवाह की विशेषताएँ, उद्देश्य तथा स्वरूप स्पष्ट हो जाएँगी—

1. डॉ. ए.क. मुल्ला के अनुमान, “निकाह (विवाह) एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य वच्चे उन्पत्र करना और उनको वैध घोषित करना है।”

2. मुस्लिम विवाह करनूर के अनुमान, “विवाह मही-पुरुष के दोनों किया गया वह विना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य सन्तानात्पति कर वस्त्रों को वैध स्वयं प्रदान करना है।”

3. अमीर अली के अनुमान, “मुस्लिम विवाह एक कानूनी रूपान्वय है जिसके लिए न हो जिमी मुल्ला (पुरोहित) की आवश्यकता है और न जिसी धार्मिक कर्मचारी की।”

4. हेदया के अनुसार, “मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों मन्दन्यों और वस्त्रों के प्रदान को कानूनी रूप देना है, और समाज के हित में पर्ति-पत्नी और उनमें उनके मननानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को नियंत्रित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है।”

5. करताइया ने लिखा है, “इस्लाम में विवाह एक अनुबन्ध है जिसमें दो मालियां के हस्तान्य होते हैं। इन अनुबन्ध का प्रतिक्रिय उन्हें ‘महर’ वपू जो भेट दी जाती है।”

उन्हें करताइया ने दो नियम लिखा है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जो दो विवाह लिंगों के दोनों होता है। मुस्लिम विवाह में भारतीय समझौता अधिकारियों की नियम सभी गति होती है—(1) समझौता दो पक्षों के दोनों होता है। मुस्लिम विवाह में भी दो पक्ष मही-पुरुष होते

हैं। (2) समझौते में एक पक्ष प्रस्ताव रखता है। मुस्लिम विवाह में वर-पक्ष की ओर से विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। (3) दूसरा पक्ष स्वीकृति देता है। इसमें वधु से स्वीकृति ली जाती है। (4) समझौता करने के लिए दोनों पक्ष सक्षम हो। वर-वधु वयस्क हों। अगर अवयस्क होते हैं तो इस विवाह में संरक्षकों द्वारा विवाह की स्वीकृति दी जाती है। (5) समझौते के प्रतिफल के रूप में धन का लेन-देन होना चाहिए। मुस्लिम विवाह में वर के द्वारा वधु को मेहर देने का वायदा किया जाता है। इस प्रकार मुस्लिम विवाह एक समझौता है और यह विवाह तभी पूर्ण माना जाता है जब उपर्युक्त शर्तें पूरी की जाती हैं। निम्नलिखित मुस्लिम विवाह की शर्तें तथा उद्देश्य इसे और स्पष्ट कर देते हैं कि यह एक सामाजिक और कानूनी समझौता है।

मुस्लिम विवाह के उद्देश्य

1. स्त्री-पुरुष को यौन सम्बन्ध स्थापित करने की वैधता प्रदान करना अर्थात् सामाजिक और कानूनी मान्यता देना।

2. सन्तानों को जन्म देना तथा उनके पालन-पोषण की उचित व्यवस्था करना।

3. 'मेहर' के द्वारा पति-पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान करना।

4. एक संनिदा (समझौता) के रूप में पति-पत्नी को यह अधिकार देना कि किसी भी पक्ष द्वारा सविदा का पालन नहीं करो पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है।

5. बच्चों के उचित पालन-पोषण के लिए मुस्लिम समाज में बहु-पत्नी विवाह प्रथा को मान्यता प्रदान करना।

मुस्लिम विवाह की शर्तें (विशेषताएं)

1. प्रत्येक मुसलमान जो 15 वर्ष का हो चुका हो, पाण्ड न हो और सही भस्तिष्ठक का हो, निकाह कर सकता है।

2. नाबालिग बच्चों का विवाह उनके सरक्षकों (वली) की स्वीकृति से हो सकता है। वर-वधु ऐसे विवाह को बालिग होने पर समाप्त करने का अधिकार रखते हैं। यह अधिकार 'छायार-उल-बुलूग' या बालिग होने का विकल्प कहलाता है। सामान्यतया पिता या दादा द्वारा स्वीकृत विवाह समाप्त नहीं किए जाते हैं।

3. लड़के और लड़की की विवाह की स्वीकृति काजी के समक्ष दी जानी चाहिए। स्वीकृति स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए उसमें घोखा या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।

4. विवाह की स्वीकृति के समय गवाही के रूप में दो पुरुष अथवा एक पुरुष और दो स्त्रियों का होना आवश्यक है।

5. एक मुसलमान एक समय में अधिक से अधिक चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है। मुस्लिम स्त्री एक समय में केवल एक पुरुष से विवाह कर सकती है।

6. विवाह में 'मेहर' की राशि का भुगतान कर दिया गया हो अथवा निश्चित कर ली गई हो।

7. विवाह के समय दोनों पक्ष (वर और वधु) सामान्य स्थिति में होने चाहिए व शराब या किसी नशीली वस्तु के नशे में नहीं हों।

8. दोनों पक्ष नियेधात्मक निकट सम्बन्धी न हों।

मुस्लिम विवाह के नियेध

निम्नलिखित अवस्थाओं में विवाह शून्य या वातिल हो जाता है, विवाह को मनात कर दिना जाता है—

1. अगर कोई स्त्री पहले पति के रहते दूसरा विवाह कर लेती है तो दूसरा विवाह गृह हो जाता है तथा प्रथम विवाह बना रहता है।

2. निकट सम्बन्धियों में विवाह नियेध है। ये सम्बन्धी हैं— माता, दादी, नानी, माम, पुत्र, सारी दहन, 'चाची, भाभी, दोहती आदि। इनमें विवाह होने पर गृह माना जाता है।

3. कोई भी मुसलमान स्त्री या पुरुष किसी भी मूर्तिपूजक से विवाह नहीं कर सकते हैं। मुसलमान पुरुष किसी भी किताबिया धर्मावलम्बी स्त्री से विवाह कर सकता है। परन्तु मुसलमान स्त्री केवल मुसलमान पुरुष में विवाह कर सकती है।

4. तीर्थ-यात्रा के समय वैकाहिक सम्बन्ध स्थापित करना बंजित है।

5. एक मुसलमान पुरुष चार पत्नियों के बाद पाँचवीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है।

6. जब यह इहत की अवधि में होती है तो उससे विवाह करना नियेध है। चार मासिक घण्टों के बीच की तीन की अवधि इहत कहलाती है। यह स्त्री के गर्भवती होने वा पता लगाने के तिए किला जाता है।

7. पाण्डल अथवा अत्प्रवयस्क विद्या संरक्षकों की अनुमति के विवाह करते हैं तो वह विवाह वानित अथवा गैरकानूनी गाना जाता है।

8. गर्भवती स्त्री को तलाक दिए जाने पर वह स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद ही पुनः विवाह कर सकती है।

विवाह से सम्बन्धित अनियमितताएँ

मुस्लिम विवाह से सम्बन्धित कुछ अनियमितताएँ हैं जिनको चाद में भी पूरा किया जाने पर विवाह नियमित हो जाता है। ये अनियमित धारस्थितियाँ निम्नलिखित हैं—

1. पौचवीं स्त्री में विवाह— एक मुसलमान पुरुष को एक समय में चार चियों से विवाह करने की अनुमति है। अगर वह पाँचवीं स्त्री से विवाह कर लेता है तो यह पाँचवीं विवाह अनियमित है। वह पुरुष किसी भी एक पत्नी को तलाक देकर इम पाँचवे विवाह को नियमित कर सकता है।

2. मासियों का अभाव— मुस्लिम विवाह के समय साली के रूप में टो पुरुष अथवा एक पुरुष और दो सियों का होना आवश्यक है। सालियों के अभाव में विवाह अनियमित माना जाता है।

3. विषयियों में विवाह— मुस्लिम विवाह में दूसरे घण्टों की गियों में विवाह करने का भी ग्राह्यान है जिसके अनुसार एक मुसलमान पुरुष किताबिया (जिस घर्म में रिताब की पूजा होती हो) स्त्री से विवाह कर सकता है परन्तु यही केवल मुसलमान पुरुष में ही विवाह कर सकती है। इन

नियमों का उल्लंघन करने पर विवाह अनियमित हो जाता है। ये अग्निपूजक पारसियों से भी विवाह कर सकते हैं।

मुस्लिम विवाह के प्रकार या भेद . .

मुसलमानों में विवाह एक समझौता होता है। विवाह एक अस्थाई बन्धन है। विवाह बन्धन की प्रकृति के आधार पर मुस्लिम विवाहों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये निम्नानुसार हैं—

1. निकाह या वैध विवाह— जब मुस्लिम विवाह उनकी पूर्ण रीति-रिवाजों तथा विधि-विधान के अनुसार किया जाता है। सभी नियेयों तथा बातों का ध्यान रखा जाता है, विवाह की सारी शर्तों का ध्यान रखा तथा पालन किया जाता है और विवाह की प्रकृति स्थाई होती है तो ऐसे विवाह को वैध-विवाह या सही-विवाह अथवा निकाह कहते हैं। यह विवाह पति-पत्नी की स्वतंत्र रूप से सहमति से किया जाता है। मुसलमानों में इस विवाह का प्रचलन सबसे अधिक मिलता है। सुन्नियों में एकमात्र इसी विवाह को मान्यता प्रदान की गई है।

2. मुताह विवाह— शिया मुसलमानों में अस्थाई विवाह भी होते हैं जिसे मुताह विवाह कहते हैं। सुन्नियों में केवल मात्र निकाह अथवा स्थाई विवाह को ही मान्यता है तथा प्रचलन है। मुसलमानों में स्त्री-पुरुष पत्स्पर एक निश्चित तथा विशेष अवधि के लिए वैवाहिक सम्बन्धों का अनुबन्ध करते हैं। अवधि के समाप्त होने पर विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस विवाह की पहली शर्त सहवास की अवधि निश्चित होना है जो एक दिन, एक माह, एक वर्ष या निश्चित वर्षों तक की हो सकती है। मेहर का निश्चित निर्धारण इस विवाह की दूसरी शर्त है। इसमें से कोई एक शर्त के अनिश्चित होने पर विवाह अवैध घाना जाता है। यदि पति अवधि की समाप्ति से पहले विवाह समाप्त करता है तो उसे पूरी मेहर देनी पड़ती है। अगर पत्नी विवाह सम्बन्ध समाप्त करती है तो उसे अवधि के अनुसार मेहर का भुगतान करना पड़ता है। इस विवाह से उत्पन्न सन्नानों का पिता वी सम्पत्ति पर अधिकार होता है। ऐसी पत्नी को पति वी सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। स्त्री को भरण-पोषण का अधिकार भी नहीं होता है। प्रारम्भ में अरबी समाज में यह विवाह प्रचलित था परन्तु इस्लाम धर्म के विकास के साथ-साथ इस विवाह को निन्दा की दृष्टि से देखा जाने लगा। भारतवर्ष के मुसलमानों में इस मुताह विवाह का प्रचलन नहीं है।

3. फासिद अथवा अनियमित विवाह— जब विवाह में कोई कभी अथवा अनियमितता रह जाती है या विवाह में कोई कठिनाई (फसाद) पैदा हो जाती है तो उस विवाह को फासिद विवाह अथवा अनियमित विवाह कहते हैं। जब उस अनियमितता को नियमित कर दिया जाता है तो वह उन नियमित हो जाता है। उदाहरण के रूप में पाँचवाँ विवाह फराद है, कठिनाई है, नियमविरुद्ध है लेकिन विवाह के बाद चार में से किसी एक पत्नी को तलाक देने से यह पाँचवाँ विवाह नियमित हो जाता है। गैर-मुस्लिम स्त्री से विवाह करना अनियमितता है। अगर वह स्त्री मुसलमान धर्म अपना ले तो विवाह नियमित हो जाता है। जब तक शर्त पूरी नहीं की जाती विवाह फासिद अथवा अनियमित कहलाएगा।

मुस्लिम विवाह में मेहर या स्त्री-धन

मुस्लिम विवाह में मेहर अथवा स्त्री-धन का प्रावधान है। विवाह एक दीवानी समझौता है जिसकी एक आवश्यक शर्त यह होती है कि वर के द्वारा वधू को विवाह करने पर धन अथवा सम्पत्ति

सम्मान के रूप में देनी होती है। इस धन या सम्पत्ति को जो वर द्वारा वधू को सम्मान में दी जाती है, मेहर कहते हैं। यह धन अथवा सम्पत्ति जो मेहर है, वर विवाह के समय, विवाह से पूर्व या बाद में भी तय कर सकते हैं। मेहर के द्वारा पति पर तलाक का दुरुपयोग न करने देने का तरीका है। मेहर निम्नांकित चार प्रकार की होती है—

1. सत्त्वर या निश्चित मेहर— जब मेहर की रकम जो पाँच रुपयों से लेकर हजारों रुपयों तक हो सकती है पति द्वारा पत्नी को विवाह से पहले अथवा विवाह के समय दे दी जाती है तो वह निश्चित मेहर कहलाती है। मेहर की राशि के तुन्त भुगतान के कारण इसे 'सत्त्वर मेहर' भी कहते हैं। इस मेहर का प्रचलन बहुत कम है।

2. स्थगित मेहर— जब मेहर की रकम, धन अथवा सम्पत्ति तय तो कर दी जाती है परन्तु भुगतान विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता है तथा विवाह विच्छेद के समय अथवा भविष्य में किसी और सूख्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो ऐसी मेहर 'स्थगित मेहर' कहलाती है। मुसलमानों में जबसे अधिक प्रचलन इस स्थगित मेहर का ही है।

3. उचित मेहर— जब मेहर की राशि, सम्पत्ति अथवा धन विवाह के समय न तो तय ही किया जाता है और न ही भुगतान किया जाता है और बाद में पति द्वारा पत्नी को तलाक दे दिया जाता है अथवा की किसी कारण मांग करती है तब मुस्लिम कानून के अनुसार पति अथवा इवमुर की आर्थिक स्थिति को देख कर जो मेहर तय की जाती है उसे उचित मेहर कहते हैं। इसे पति-पत्नी आपस में भी तय कर सकते हैं। अदालत पत्नी की अन्य वहिनों को कितानी मेहर मिलती है उसके आधार पर भी मेहर की रकम तय कर सकती है।

मेहर के द्वारा पुरुष पर एक से अधिक पत्नी रखने या विवाह करने पर नियत्रण रहता है क्योंकि उसे धन, सम्पत्ति या रकम देनी होती है। पति जल्दी-जल्दी तलाक भी नहीं कर सकता। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वह अधिक पत्नियों और तलाक करेग। ऐसी स्थिति में बाद नाले विवाहों में मेहर की रकम बढ़ी हो जाती है। जिस प्रकार हिन्दुओं में दहेज की मांग दिनो-दिन बढ़ती जा रही है उसी प्रकार मुस्लिम विवाह में मेहर के रूप में रकम मांगी जाने से ममस्या बढ़ती जा रही है।

मुसलमानों में विवाह-विच्छेद

मुसलमानों में विवाह एक सामाजिक और बानूदी समझौता है इसलिए इनमें इस समझौते को समाप्त करने के अनेक तरीके हैं जिसे तलाक तथा उसके प्रकार कहते हैं। मुसलमानों में तलाक अथवा विवाह-विच्छेद के दो प्रकार हैं—(1) विना अदालत भी सहायता में, और (2) अदालत की सहायता से। ये निम्नलिखित हैं—

1. विना अदालत के विवाह विच्छेद— मुसलमान धर्म में विवाह एक समझौता है जो पति-पत्नी के बीच होता है। इस समझौते को पुरुष आमानी से तोड़ मारता है। इसके लिए उसे अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विवाह विच्छेद के मामते में मुस्लिम समाज में गियो झी स्थिति पुरुषों से ज्यादा खराब है। जो तलाक के निम्नलिखित प्रकारों से भी म्पष्ट हो जाएगा—

1. तलाक— मुस्लिम धर्म के अनुसार बोई भी बातिंग और स्वस्त्र मस्तिक बाता पति अकारण अपनी पत्नी को 'तलाक' दे सकता है 'तलाक' शब्द के बोलने मात्र से ही तलाक हो जाता

है चाहे पत्नी सामने भी न हो तथा पति चाहे नशे में ही क्यों न हो। निम्नलिखित मौखिक तलाक के तीन प्रकार हैं—

1.1 तलाके अहसन— तलाके अहसन में पति द्वारा तलाक की घोषणा पत्नी के तुहर (मासिक धर्म) के समय की जाती है। इसके बाद पति-पत्नी इदृत में सहवास नहीं करते हैं। इदृत की अवधि चार मासिक धर्म के बीच के तीन माह को कहते हैं जिसमें पति-पत्नी तलाक के इरादे पर विचार कर के पुनः साथ रहने का निर्णय ले सकते हैं तथा अगर पत्नी गर्भवती है तो इसका भी पता चल जाता है।

1.2 तलाके हसन— इसमें पति तीन तुहरों के समय तलाक देने की घोषणा करता है। इस अवधि में सहवास निषेध होता है। इदृत की अवधि समाप्त होने पर तलाक हो जाता है।

1.3 तलाक उल विद्वत— पति पत्नी के मासिक धर्म के अवसर पर तलाक की तीन बार घोषणा करता है। तलाक की घोषणा के समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। इदृत की अवधि के बाद तलाक हो जाता है।

2. इत्ता— इस तलाक में पति खुदा को हाजिर-नाजिर करके कसम खाकर कहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ चार महीने या अधिक समय तक सहवास नहीं करेगा। अवधि समाप्त होने पर तलाक मंजूर हो जाता है।

3. जिहर— जब पति तलाक चाहता है तो वह पत्नी की तुलना ऐसे सम्बन्धी से करता है जिससे विवाह करना निषेध होता है, पत्नी को जैसे—माँ, बहन, दादी के समान बताना, तो पत्नी अपने पति से प्रायशिचित करने को कहती है। प्रायशिचित नहीं करने पर पत्नी अदालत में जाती है तथा अदालत तलाक की मंजूरी दे देती है और जिहर तलाक हो जाता है।

4. खुला— इस तलाक के लिए आवश्यक है कि पति-पत्नी दोनों बालिग हों, तथा उनकी दिग्माणी हालत अच्छी हो। पत्नी तलाक की इच्छा व्यक्त करती है। मेहर छोड़ने को कहती है। दोनों की सहमति होने पर तलाक हो जाता है।

5. मुबारत— मुबारत तलाक खुले तलाक की तरह होता है। अन्तर केवल यह है कि पत्नी मेहर नहीं लौटाती है। पत्नी इदृत काल में पति के पास रहती है। इसमें दोनों की सहमति या रजामंदी आवश्यक होती है।

6. लियान— इस तलाक में पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है। पत्नी इसका विरोध करती है। अदालत में प्रार्थना करती है। या तो पति आरोप को वापिस ले लेता है अथवा खुदा की कसम खाकर कहता है कि आरोप सही है। आरोप सिद्ध होने पर तलाक हो जाता है। आरोप वापिस लेने पर मुकदमा समाप्त हो जाता है, असत्य सिद्ध होने पर पत्नी को तलाक देने का अधिकार मिल जाता है।

7. तलाके तकरीब— इसमें पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय दिए गए अधिकारों के आधार पर पत्नी तलाक की माँग करती है तथा उसे तलाक मिल जाता है।

11. अदालत द्वारा विवाह विच्छेद— मुस्लिम विवाह में दो अधिनियमों के द्वारा तलाक की व्यवस्था है—

1. शरीरत अधिनियम, 1937 के अनुसार पत्नी को दो आधारों पर तलाक निलंबित सकता है, ये निम्नलिखित हैं—

1.1. पति नपुंसक हो, 1.2. पति ने पत्नी पर व्यभिचार का दूषा आरोप लगाया हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत इता तथा जिहर तलाक भी हो सकता है।

2. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939—इस अधिनियम के अन्तर्गत मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं—

1. यदि पति चार वर्ष से लापता हो।
2. यदि पति अपनी पत्नी का दो बर्षों से भरण-पोषण करने में असमर्थ रहा हो।
3. यदि पति को सात या अधिक बर्षों के लिए बेल हुई हो।
4. यदि पति तीन वर्ष से वैवाहिक कर्तव्यों को बिना किसी कारण के निभाने में असफल रहा हो।
5. यदि पति नपुंसक हो।
6. यदि पति पाण्ठल हो।
7. यदि पति संक्रामक, यौन रोग या कोह द्वारा पीड़ित हो।
8. यदि उसका विवाह पिता या अन्य साक्षको द्वारा 15 वर्ष से कम आयु में किया गया हो और उस अवधि में उनमें यौन सम्बन्ध नहीं हुए हो तथा विवाह के विस्तृ प्रतिवेदन लड़के की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले कर दिया गया हो।
9. यदि पति पत्नी के साथ ब्रूतता का व्यवहार करता हो। चरित्रहीन स्त्रियों से सम्बन्ध रखता हो। पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए दबाव दालता हो।
10. यदि पति पत्नी की सम्पत्ति को बेचता हो। पत्नी के सम्पत्ति के अधिकारों में जागा पहुंचाता हो।
11. यदि पति एक से अधिक पत्नियाँ होने पर समान व्यवहार नहीं करता हो।
12. यदि पति पत्नी के धार्मिक कार्यों में दाधा पैदा करता हो।
13. उन आधारों पर भी तलाक दिया जा सकता है जो ऊपर नहीं आए हों तथा मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक के आधार माने जाते हो।

मुस्लिम समाज में तलाक का प्रावधान है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें विवाह-विच्छेद सखलता से हो जाता है। पति के लिए तलाक देना बहुत असान है। होकिन इतनी सुविधाएँ होते हुए भी मुसलमानों में तलाक अधिक नहीं होते हैं। मुसलमानों में तनाक ने गम्भीर रूप धारण नहीं किया है। इनमें भी अन्य समाजों की तरह आपुनी वैवरण, पश्चिमी इराज, दातायात के साधन

तथा संचार के साधन, शिक्षा आदि के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। इयों की स्थिति में भी सुधार होने प्रारम्भ हो गए हैं।

हिन्दू और मुस्लिम विवाहों में तुलना

भारतवर्ष में हिन्दू और मुसलमान सदियों से साथ रहे हैं। इनमें परस्पर सम्पर्क होने स्वाभाविक हैं। इनकी सामाजिक स्थाओं में कुछ समानताएँ विकसित हो गई हैं। इसी बात को ध्यान में रख कर इनके विवाहों की संस्थाओं की तुलना (समानताओं और भिन्नताओं) का अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ पहले समानताओं का अध्ययन करेंगे—

1. हिन्दू और मुस्लिम विवाह में समानताएँ—

1.1. बहुपत्नी विवाह— हिन्दू समाज में बहुपत्नी विवाह विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रहा है। इसमें पति कितनी ही दियों से विवाह कर सकता है। पत्नियों की संख्या निश्चित नहीं है। मुस्लिम विवाह में बहुपत्नी विवाह की व्यवस्था है। लेकिन इसमें एक पुरुष एक समय में चार से अधिक पत्नियाँ नहीं रख सकता है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार हिन्दू अब केवल एक-विवाह ही कर सकता है, बहु-विवाह नियेष्ठ है।

1.2. बाल-विवाह— हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समाजों में बाल-विवाह प्रथा है। मुसलमानों में पति-पत्नी बालिंग होने पर अपना विवाह रद्द कर सकते हैं। हिन्दुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

1.3. विवाह विच्छेद— मुसलमानों में विवाह विच्छेद की व्यवस्था सदियों से है। अब हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा हिन्दुओं में भी विवाह विच्छेद का प्रावधान हो गया है।

1.4. पुरोहित /मौलवी की उपस्थिति— हिन्दुओं में विवाह को पुरोहित सम्पन्न करवाता है। मुसलमानों में मौलवी की उपस्थिति में विवाह सम्पन्न बरना आवश्यक है।

1.5. बहिर्विवाह— हिन्दुओं में बहिर्विवाह में सम्बन्धियों का क्षेत्र व्यापक है जिसमें विवाह करना नियेष्ठ है। इनमें गोत्र बहिर्विवाह होता है। मुसलमानों में बहिर्विवाह में सम्बन्धियों का क्षेत्र छोटा है जिसमें विवाह करना नियेष्ठ है। माँ, पुत्री, दादी, नानी, पोती, नाती आदि हैं।

1.6. पितॄस्थानीय और पितॄवंशीय— हिन्दू तथा मुसलमानों में विवाह के बाद वर-वधु, वर के माता-पिता के पास जाकर रहते हैं। दोनों में वंश का नाम, पिता से पुत्र को चलता है।

1.7. पर्दा प्रथा— हिन्दुओं ने भी पिछली सदियों में मुसलमानों के सम्पर्क में आकर पर्दा प्रथा अपना ली है। मुसलमानों की तरह हिन्दुओं में स्त्री पति के सम्बन्धियों से पर्दा रखती है।

2. हिन्दू और मुस्लिम विवाह में भिन्नताएँ—

हिन्दू-विवाह में निम्नलिखित कुछ विशेषताएँ पार्श्विक स्वरूप, पुत्र प्राप्ति, कन्या पद्ध की ओर से प्रस्ताव, विवाह का सीमित क्षेत्र, दहेज आदि विधान हैं। मेहर, वर-पक्ष की ओर से प्रस्ताव, विधवा पुनर्विवाह, तत्ताक इदत आदि लक्षण मुस्लिम विवाह के हैं। इनके विवाहों में निम्न अन्तर मिलता है।

2.1. विवाह के उद्देश्य— हिन्दुओं में विवाह का प्रथम उद्देश्य धार्मिक सम्झौता है तथा पुनर्प्राप्ति, जलों से उच्छ्व द्वेषा तथा रति अनित्य उद्देश्य है। परन्तु मुस्लिम विवाह का उद्देश्य शैन-इच्छा की पूर्ति तथा सन्तानोत्पत्ति है। मुसलमानों में विवाह एक समझौता है।

2.2. स्थापित्व— हिन्दू विवाह में पति-पत्नी का सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर का माना जाता है। यह अटूट सम्बन्ध है। विवाह-विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने हिन्दू-विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया है। परन्तु व्यवहार में अभी भी हिन्दू-विवाह अटूट सम्बन्ध है। मुसलमानों में विवाह एक समझौता है। यिथा मुसलमानों में एक दिन की अवधि से लेकर कई सालों तक की अवधि का वैवाहिक समझौता होता है।

2.3. विवाह का स्वरूप— हिन्दुओं में विवाह करने के आठ तरीकों का प्रावधान है। मुसलमानों में केवल तीन प्रकार का प्रावधान है।

2.4. विवाह का धोष— हिन्दुओं में विवाह का धोष बहुत सीमित है। एक हिन्दू वरा, गोप, परग और गणिष्ठ समूह में विवाह नहीं कर सकता तथा अपनी उप-जाति अथवा जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। लेकिन एक मुसलमान मीं की सनानों तथा निःट सम्बन्धियों को छोड़कर कही भी विवाह वर कर सकता है। केवल सूर्ति पूजक री से विवाह नहीं कर सकता। मुसलमानों में विवाह का धोष बहुत बड़ा है।

2.5. विवाह का प्रस्ताव— हिन्दुओं में बन्या-पथ वाले विवाह का प्रस्ताव लेहर वर-पथ वालों के पास जाते हैं। मुसलमानों में वर-पथ वाले प्रस्ताव लेहर बन्या-पथ वालों के पास जाते हैं।

2.6. गवाहों की उपस्थिति— हिन्दुओं में अग्नि का साथी होना, पुरोहित, बन्या दान, राहारी आदि होता है। मुसलमानों में वैवाहिक समझौते के समय दो पुरुष अथवा एक पुरुष और दो मियों का होना आवश्यक है।

2.7. दरेज / मेहर— हिन्दुओं में बन्या-पथ वाले वर-पथ को दरेज देते हैं। मुसलमानों में वर द्वारा वारू को घन, सम्पत्ति या तकम दी जाती है अथवा वादा यिथा जाता है। मुसलमानों में यिना मेहर तय किए विवाह नहीं होता है।

2.8. तलाक— हिन्दुओं में तलाक या विवाह विच्छेद की व्याप्ति परन्तु नहीं थी। अब 1999 के अधिनियम द्वारा तलाक सम्भव हो गया है। मुसलमानों में पुरुष को तलाक के अधिकार आम है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 द्वारा मुसलमान यियों को तलाक के अधिकार प्राप्त हो गए हैं।

2.9. विपवा-पुनर्विवाह— हिन्दुओं में यिना पुनर्विवाह नियोप था। अब हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा यह प्रावधान हिन्दुओं के लिए हो गया है। पान्तु इसका उपयोग बहुत कम हो पहा है। मुसलमानों में यिना पुनर्विवाह की व्यवस्था है; परि भी पूर्ण होने पर समझौता समाप्त हो जाता है तथा यिना सी दुन विवाह वरसे के लिए स्थान हो जाती है।

‘2.10. इदत—मुसलमानों में पति द्वारा तलाक की घोषणा के बाद पत्नी द्वारा इदत अवधि का पालन किया जाता है। हिन्दुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू तथा मुस्लिम विवाह में किन्हीं लक्षणों में तो उल्लेखनीय भिन्नता मिलती हैं।

प्रश्न

1. ‘अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह’ किन्हें कहते हैं? (मा.शि.बो., अजमेर-1994)
2. ‘अन्तर्विवाह और बहिर्विवाह विवाह’ किन्हें कहते हैं?
3. ‘हिन्दू-विवाह एक धार्मिक संस्कार है।’ विवेचना कीजिए।
4. बहुपति विवाह के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
5. बहुपत्नी-विवाह के कारणों तथा लाभों का वर्णन कीजिए।
6. विवाह के प्रमुख प्रकार कौन-कौन-से हैं? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।
7. हिन्दू समाज में विवाह करने की कौन-कौन-सी विधियाँ हैं? बताइए।
8. विवाह किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएँ बताइए।
9. कुलीन विवाह के कारणों पर प्रकाश ढालिए।
10. हिन्दू विवाह की परिभाषा दीजिए। इसके उद्देश्य बताइए।
11. बहिर्विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
12. हिन्दू समाज में विवाह के नियमों की विवेचना कीजिए।
13. हिन्दू समाज में ‘सगोत्र’ तथा ‘सपिण्ड’ के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
14. मुस्लिम विवाह की परिभाषा तथा उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
15. हिन्दू विवाह तथा मुस्लिम विवाह के उद्देश्यों की तुलना कीजिए।
16. मुस्लिम विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. ‘मेहर’ क्या है? (मा.शि.बो., अजमेर, 1994)
2. हिन्दू विवाह के प्रमुख आठ स्वरूप कौन-से हैं? (मा.शि.बो., अजमेर-1994)
[उत्तर- (1) ग्राह विवाह, (2) दैव विवाह, (3) आर्य विवाह, (4) प्राजापत्य विवाह,
(5) आसुर विवाह, (6) गान्धर्व विवाह, (7) राक्षस विवाह और (8) पैशाच विवाह]
3. ‘हाँ’ या ‘नहीं’ में उत्तर दीजिए—
 - (i) हिन्दू विवाह एक समझौता है।
 - (ii) मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार है।
 - (iii) मेहर विवाह के अवसर पर दी जाती है।

(iv) कुलीन-विवाह अनुलोदि-विवाह है।

[उत्तर- (i) नहीं, (ii) नहीं, (iii) हाँ, (iv) हाँ]

4. निम्नलिखित विवाह की विधियों में से हिन्दू गांधी ने किनका बनाए निलंबन है? उनका चरम कीर्तिस्थ-

(i) ग्रामीण विवाह, (ii) सेवा विवाह, (iii) पास्त्रवैविवाह, (iv) इन्द्र विवाह, (v) एकृत विवाह, (vi) पर्णशा विवाह, (vii) पैगाच विवाह, (viii) देव विवाह

[उत्तर- (i), (iii), (v), (vii), (viii)]

5. निम्न में से सत्य कथनों का चरण कीर्तिस्थ-

(i) प्रतिलोम विवाह में वयू उच्च जाति की होती है।

(ii) कुलीन विवाह में वा उच्च जाति का होता है।

(iii) हिन्दू विवाह एक समझौता है।

(iv) वहु-पति विवाह में एक पुरुष अनेक निम्नों से विवाह करता है।

[उत्तर- (i), (ii)]

6. निम्नलिखित में से हिन्दू विवाह के उद्देश्यों का चरण कीर्तिरूप-

(i) धर्म, (ii) अर्थ, (iii) काम, (iv) संस्करण, (v) पुत्र-प्राप्ति, (vi) दर्हन

[उत्तर- (i), (iii) (v)]

7. निम्नलिखित वाक्य विवाह के किन स्वरूप (प्रकार) को सूझ करते हैं? उनको उनके मानने लिखिए-

(i) एक स्त्री अनेक संगे भाइयों से विवाह करती है।

(ii) एक पुरुष अनेक संगी चहनों से विवाह करता है।

(iii) एक पुरुष दो कन्याओं से विवाह करता है।

(iv) एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह करती है।

[उत्तर- (i) ध्रान्-बहुरति विवाह, (ii) भग्निवद्यु-पत्नी विवाह, (iii) द्वि-पत्नी विवाह,

(iv) द्वि-पति विवाह]

8. निम्नलिखित वाक्यों को मर्ही करके निनिष्ट-

(i) बहु-पति विवाह रात्रा लोटा करते थे।

(ii) आजकल बहु-विवाहों का प्रचलन बढ़ रहा है।

(iii) छान जनवानि एक-विवाह करती है।

[उत्तर- (i) बहु-पति के स्थान पर बहु-पत्नी विवाह निउना है। (ii) बहु-विवाहों के स्थान पर एक-विवाह लिउना है। (iii) एक-विवाह के स्थान पर ध्रान्-बहुरति विवाह लिउना है।]

9. निम्नलिखित वाक्यों में निक स्थानों की सूर्णी कीर्तिस्थ-

(i) हिन्दू विवाह का प्रथम उद्देश्य . . . है।

- (ii) मुसलमानों में विवाह एक.....है।
 - (iii) मुसलमानों में अनियमित विवाह को.....विवाह कहते हैं।
 - (iv) मुताह-विवाह.....विवाह होता है।
 - (v) मुस्लिम विवाह के समय जो स्त्री धन दिया जाता है उसे.....कहते हैं।
- [उत्तर- (i) धर्म, (ii) समझौता, (iii) फासिद (iv) अस्थाई, (v) मेहर]

□□□

अध्याय - ५

भारत में परिवार

(Family in India)

परिवार का महत्व अनेक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में है। परन्तु समाजशास्त्रीय अध्ययनों में परिवार के अध्ययन का विशेष स्थान है। परिवार मानव समाज के सगठन की प्राथमिक इकाई है। अगर कोई सामाजिक सगठन, सरचना, व्यवस्था, कार्य आदि को समझना चाहता है तो परिवार को समझना अत्यावश्यक है। आखेटक समाज, बरागाही समाज, आदिम समाज और ग्रामीण समाज की सामाजिक सरचना की मूलभूत इकाई एकाकी परिवार होती है। परिवार से मिलकर अन्य अनेक छोटी-बड़ी उप-सरचनाओं, जैसे— सयुक्त परिवार, वंश समूह, गोत्र समूह, उप-जातियाँ, जनजाति समाज, ग्रामीण समाज आदि का निर्माण होता है। परिवार नए सदस्यों को जन्म देकर उनका सामाजिकण करता रहता है। परिवार आदिम, ग्रामीण और नगरीय समाजों में अनेक सार्वभौमिक और परम्परागत कार्य करता है। परिवार समाज के निर्माण, स्थायित्व, सुरुचि, व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजीकरण, स्तरीकरण, निरतगता आदि के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर समाजशास्त्री किसी समाज को समझना चाहता है तो उसे उस समाज के परिवारों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस समाज के परिवारों को समझना आवश्यक होगा।

परिवार का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते समय परिवार का अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, कार्य, इसकी विशेषताएँ तथा परिवार में परिवर्तन आदि कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम परिवार की अवधारणा को समझने का प्रयास किया जायेगा।

परिवार का अर्थ एवं परिभाषा

अंग्रेजी के शब्द 'Family' का हिन्दी रूपान्तर परिवार है। यह शब्द मिडिल इंग्लिश के शब्द 'Familie' से बना है जिसका उद्गम लैटिन शब्द 'familia' से हुआ है। परिवार के कई अर्थ लगाए जाते हैं। परिवार से अर्थ माता-पिता और उनकी सताने जौ एक स्थान पर अद्वा जला रहते हों, से है। व्यक्तियों का समूह जो रक्त से सम्बन्धित हो, जैसे— माता-पिता, सताने, चाचा-चाची, चचेरे भाई-बहन परिवार में आते हैं। ये परिवार के सम्मान्य अर्थ हैं। समाजशास्त्र में परिवार की अवधारणा का विविध अर्थ लगाया जाता है। परिवार की विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएँ अनुलिखित हैं।

1. मैकाइवर और पेंज की परिभाषा, “परिवार पर्याप्ति निश्चित यौन सम्बन्ध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन-पालन की व्यवस्था करता है।”

2. श्यामाचरण दुबे की परिभाषा, “परिवार मेरी और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है, उनमें से कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन सम्बन्धों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न सन्तान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं।”

3. ए.डी. रॉस की परिभाषा, रॉस ने विभिन्न विद्वानों की परिवार की परिभाषाओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपनी कृति ‘हिन्दू फेमेली इन इट्स अरबन सेटिंग’ में किया है। आपका कहना है कि परिवार की समाजशास्त्रीय परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो एकाकी तथा संयुक्त दोनों ही प्रकार के परिवारों को परिभाषित कर सके। तथ्यों को ध्यान में रखकर रॉस ने परिवार की समाजशास्त्रीय (सामाजिक सम्बन्धों पर आधारित) परिभाषा दी है, “परिवार मनुष्यों का एक समूह है, जो सामान्यतया एक विशेष प्रकार के बन्धुत्व सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं, जो एक गृहस्थी में रह भी सकते हैं और उनकी एकता कर्तव्य और अधिकार, भावना और सत्ता के प्रतिमानों में विद्यमान है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिवार व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट बन्धुत्व सम्बन्धों (विवाह, रक्त और गोद) से सम्बन्धित होते हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, वे साथ-साथ अथवा अलग-अलग भी रह सकते हैं, सदस्यों में परम्परा यौन सम्बन्धों की व्यवस्था, प्रजनन, सामाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, कर्तव्य और अधिकार, भावना एवं सत्ता के प्रतिमान आदि से सम्बन्धित सम्बद्धता होती है।

परिवार की सामान्य विशेषताएँ

मैकाइवर और पेंज ने परिवार की निम्नलिखित पाँच विशेषताएँ बताई हैं—

1. मैथुन सम्बन्ध—स्त्री और पुरुष मिलकर पति-पत्नी के रूप में परिवार की स्थापना करते हैं जहाँ उनके मैथुन सम्बन्ध निश्चित और व्यवस्थित हो जाते हैं।

2. विवाह का स्वरूप—परिवार का निर्माण विवाह के स्वरूप के अनुसार होता है एवं विवाह मेरे एक पुरुष और एक स्त्री विवाह करते हैं, उसे एक विवाही परिवार कहते हैं। इसी प्रकार बहु-पत्नी, बहु-पति आदि विवाह के प्रकार क्रमशः ऐसे ही परिवारों का निर्माण करते हैं तथा पति और पत्नी के मैथुन सम्बन्ध व्यवस्थित होते हैं। परिवार में पति और पत्नी मैथुन सम्बन्ध रखते हैं जिनमें परम्परा विवाह हुआ है।

3. नामायली व्यवस्था—परिवार की नामायली व्यवस्था होती है जिससे तात्पर्य है कि या तो नाम (वश) पिता से पुत्र और उसके पुत्र को चलता है या फिर माता से पुत्री और उसकी पुत्री की दिशा में चलता है। ये क्रमशः पितृवशीय या मातृवशीय कहलाते हैं।

4. आर्थिक व्यवस्था—समाज के सभी परिवारों में सदस्यों के भरण-पोषण के लिए कोई-न-कोई जीविकोपार्जन की व्यवस्था होती है जिससे उच्चों का वालन-पोषण भी किया जाता है।

5. सामान्य आवास—परिवार के सभी सदस्य एक वासस्थान (घर) में विवास करते हैं।

मैकाइवर और पेज का कहना है कि ये उपर्युक्त पाँचों विशेषताएँ सार्वभौमिक हैं तथा परिवार की प्रकृति की विशेषताएँ हैं। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही भिन्न तरीकों से पूँछ हों।

परिवार के संगठन की विशिष्ट विशेषताएँ

मैकाइवर और पेज ने परिवार संगठन की आठ विशिष्ट विशेषताओं की सूची तथा व्याख्या निम्नलिखित दी है-

1. सार्वभौमिकता—संसार में सभी मानव फिसी-न-फिसी परिवार के सदस्य हैं। परिवार सभी समाजों में सभी कालों में सभी अवस्थाओं में रहा है।

2. भावात्मक आधार—परिवार के सदस्यों ने परस्पर प्रेम, सहयोग, साहचर्य, सन्तानोत्पत्ति, मातृसेवा आदि भावात्मकताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भावात्मक आधार, जैसे—घर बसाना, आर्थिक सुरक्षा आदि न हो तो परिवार का संगठन बना नहीं रह सकता। ये आधार परिवार के सदस्यों को परस्पर बोधे रखते हैं।

3. निर्माणशील प्रभाव—परिवार प्रारम्भिक सामाजिक पर्यावरण है जिसमें बच्चे का विकास और उसका सामाजिकरण होता है। परिवार का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में शिशुकाल में निर्णायक का कार्य करता है। परिवार व्यक्ति का मानसिक विकास समाज के प्रतिमानों के अनुसार करता है।

4. सीमित आकार—सामाजिक संरचना के निर्माण के विभिन्न घटकों वे परिवार मबसे छोटी इकाई हैं। सभ्य समाजों में या नगरीय और महानगरीय समाजों में जहाँ परिवार, समुक्त परिवार तथा वरा समूह आदि में पृथक् हो जाता है वहाँ तो इसका महत्व और अधिक हो जाता है। सदस्यों के लिए परिवार बहुत छोटा होते हुए भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है।

5. सामाजिक संरचना में नाभिक स्थान—परिवार अन्य सामाजिक संगठनों में नाभिक स्थान रखता है। सरल समाजों तथा विवरित पितृसत्तात्मक समाजों में सम्पूर्ण सामाजिक संरचना परिवार की इकाइयों से निर्भित होती है। उन बटिल सम्पत्तियों में नगर और महानगरों में समितियों ने इनका स्थान ले लिया है। फिर भी सामाजिक वर्गों का विभाजन परिवारों के योग से ही बनता है।

6. सदस्यों का उत्तरदायित्व—परिवार अपने सदस्यों से अनेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरे करवाता है। इसकी तुलना में समाज का और कोई भी संगठन इन्हें उत्तरदायित्व पूरे नहीं करवाता। यह सत्य है कि व्यक्ति देश के लिए जीवन कुर्बान कर देता है। परन्तु जीवनरथन्त व्यक्ति परिवार के उत्तरदायित्वों को ही पूरा करता रहता है।

7. सामाजिक नियमन—परिवार सामाजिक नियेषों, प्रतिमानों तथा वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित रहता है तथा ये ही इसके स्वल्प को विशित करते हैं। विशार को बहुत स्पष्ट तथा सुनिश्चित रूप से परिभाषित किया गया है। लैकिन परिवार को अन्य सम्पत्तियों की तुलना में विशेष रूप से सामाजिक प्रतिमानों, नियमों कानूनों द्वारा नियंत्रित, नियंत्रित तथा सचानित किया गया है।


8. स्थायी और अस्थायी प्रकृति—जहाँ परिवार एक सम्पत्ति के रूप में बहुत स्थाई और सार्वभौमिक है वहाँ दूसरी ओर एक समिति के रूप में बहुत अस्थाई और परिवर्तनशील है। समाज के अन्य संगठन ऐसे नहीं हैं। परिवार की दृष्टिकोण समाज में अनेक समस्याओं को जन्म देती है इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

भारत में परिवार के प्रकार

परिवार के प्रकारों के वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किए हैं। भारत इनना विशाल देश है कि लगभग सभी प्रकार के परिवार भारत के किसी-न-किसी समाज में मिल ही जाते हैं। परिवारों के वर्गीकरण के आधार अनेक हैं, जैसे— पति-पत्नी की संख्या, परिवारों में सदस्यों तथा पीढ़ियों की संख्या, वैवाहिक दम्पत्तियों की संख्या, स्थान या आवास, अधिकार या सत्ता, वंश परम्परा, विवाह के प्रकार, परिवार में कर्ता की स्थिति और भूमिका आदि-आदि। निम्नलिखित परिवार के प्रमुख वर्गीकरण हैं—

1. सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण—
2. दम्पत्तियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण—
3. कर्ता की स्थिति तथा कर्तव्य के आधार पर वर्गीकरण—
4. निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण—
5. सत्ता के आधार पर वर्गीकरण—
6. वरा नाम के आधार पर वर्गीकरण—
7. उत्तराधिकार के आधार पर वर्गीकरण—
8. बन्धुत्व के आधार पर वर्गीकरण—
9. वैवाहिक साथियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण—

- 1.1 छोटा परिवार
- 1.2 षष्ठ्य परिवार
- 1.3 बड़ा परिवार
- 1.4 बहुत बड़ा परिवार
- 2.1 केन्द्रीय या नाभिक परिवार
- 2.2 संयुक्त परिवार / विस्तृत परिवार
- 3.1 जनन अथवा प्रजनन मूलक परिवार
- 3.2 शलन-पोषण या जन्मित परिवार
- 4.1 पितृ-स्थानीय परिवार
- 4.2 मातृ-स्थानीय परिवार
- 4.3 मामा-स्थानीय परिवार
- 4.4 द्वि-स्थानीय परिवार
- 4.5 नूतन-स्थानीय परिवार
- 4.6 मातृ-पितृ-स्थानीय परिवार
- 5.1 पितृ-सत्तात्मक परिवार
- 5.2 मातृ-सत्तात्मक परिवार
- 6.1 पितृ-वशीय परिवार
- 6.2 मातृ-वंशीय परिवार
- 7.1 पितृ-मार्गी परिवार
- 7.2 मातृ-मार्गी परिवार
- 8.1 रक्त सम्बन्धी परिवार
- 8.2 विवाह सम्बन्धी परिवार
- 9.1 एक-विवाही परिवार
- 9.2 द्वि-विवाही परिवार
- 9.3 बहु-विवाही परिवार



3.2 जन्मित परिवार— जब एकाकी परिवार में कर्ता की स्थिति एक शिशु अथवा सन्तान के रूप में होती है। माता-पिता उसका पालन-पोषण करते हैं तो उस भालक के दृष्टिकोण से ये एकाकी परिवार— जन्मित अथवा पालन-पोषण वाला परिवार कहलाता है। जन्मित परिवार का चिन्ह देखिए।

4. निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण— मुरड़ोंके विवाह के बाद पति-पत्नी का निवास स्थान कहाँ होता है, इसके आधार पर परिवार के निम्नलिखित छ. प्रकारों का वर्णन किया है—

4.1 पितृ-स्थानीय परिवार— विवाह के बाद वधु अपने घर के माता-पिता के यहाँ अथवा उनके पास में जाकर रहती है तो यह आवास व्यवस्था पितृस्थानीय कहलाती है। हिन्दू समाज, मुसलमान समाज तथा भारत की अनेक जनजातियों— भील, खरिया तथा अन्य— में यह व्यवस्था गिरती है।

4.2 मातृ-स्थानीय परिवार— यदि प्रथा के अनुसार घर को अपने माता-पिता का घर विवाह के बाद छोड़ना पड़ता है तथा अपनी वधु के साथ उसके माता-पिता के पार में अथवा उनके पास रहना होता है तो यह आवास का नियम मातृ-स्थानीय कहलाता है। भारत में मालाभार के कुछ समाजों, जैसे—खासी और गारो जनजातियों में मातृ-स्थानीय व्यवस्था है।

4.3 मामा-स्थानीय परिवार— कुछ समाजों में विवाह के बाद विवाहित दम्पति घर के मामा के साथ अथवा उसके पास रहते हैं तथा घर-वधु अपने में से किसी के भी माता-पिता के यहाँ भ्रथवा पास नहीं रहते हैं। आस्ट्रेलिया की मिलानेशिया की ट्रोबिएण्ड जनजाति में यह प्रथा मिलती है।

4.4 द्वि-स्थानीय परिवार— कुछ समाज विवाहित दम्पति को उनके किसी भी साथी (घर नथवा वधु) के माता-पिता के यहाँ अथवा पास में रहने की अनुमति देते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों माता-पिता की प्रस्थिति, धन-दौलत के आधार पर तय करते हैं कि मातृस्थानीय अथवा नूतनस्थानीय में से किसके पास रहें।

4.5 नूतन-स्थानीय परिवार— जब नव-विवाहित दम्पति नया आवास स्थापित करते हैं जो दोनों ही जीवन साधियों के माता-पिताओं के स्थान से स्वतंत्र तथा अलग स्थान पर होता है बल्कि उनसे एक अच्छी दूरी पर स्थित होता है तो ऐसी आवास व्यवस्था को नूतन स्थानीय व्यवस्था कहते हैं।

4.6 मातृ-पितृ-स्थानीय परिवार— कुछ समाजों में नव-दम्पति विवाह के बाद ग्राम्भ के एक साल अथवा प्रथम बच्चे के जन्म तक वधु के माता-पिता के यहाँ अथवा पास रहते हैं और उसके बाद स्थाई रूप से घर के माता-पिता के यहाँ अथवा पास में रहते हैं तो उसे मातृ-पितृ-स्थानीय व्यवस्था कहा है।

5. सत्ता के आधार पर वर्गीकरण— सभी समाजों में सत्ता परिवार के मुखिया को देने की व्यवस्था है। परिवार में यह सत्ता या तो सभ्यों बड़े पुरुष को दी जाती है अथवा स्त्री को दी जाती है। इसके दो प्रकार हैं—

5.1 पितृ-सत्तात्मक परिवार— जब सत्ता परिवार के सबसे बड़े पुरुष में निहित होती है तथा सभी निर्णय पुरुष लेता है तथा सब को उसके निर्णय का पालन करना होता है या मानना होता है तो उसको सत्ता के दृष्टिकोण से पितृ-सत्तात्मक परिवार कहते हैं। विश्व में भारत सहित, समाज तथा परिवार पितृसत्तात्मक है।

भारत में परिवार

5.2 मातृ-सत्तात्मक परिवार— जब परिवार की सबसे बड़ी ही को सत्ता दे दी जाती है तथा वह परिवार के सभी निर्णय लेती है तथा उसके निर्णय को परिवार के सभी सदस्य मानते हैं तो यह सत्ता की व्यवस्था मातृ-सत्तात्मक व्यवस्था कहलाती है तथा परिवार मातृ-सत्तात्मक परिवार कहलाता है। भारत में गांगे, खासी आदि समाजों में ऐसे परिवार मिलते हैं।

6. चंशनाम के आधार पर वर्गीकरण— विद्वानों ने परिवारों का वर्गीकरण वर्ग के आधार पर तीन प्रकारों में बांटा है। ये निम्न हैं—

6.1 पितृवंशीय परिवार— जब वंश परम्परा पिता से पुत्र को चलती है, पुत्रों को पिता का वंश ग्रहण करना होता है, पिता से पुत्र और पौत्र को वंश नाम चलता है तो परिवार पितृवंशीय कहलाता है। हिन्दू समाज में परिवार पितृवंशीय होते हैं।

6.2 मातृवंशीय परिवार— जब वंश परम्परा माता से पुत्री की ओर चलती है। माता का वंश उसकी पुत्रियाँ आगे चलती हैं तथा पुरुष का महल्ल नहीं होता है तो ऐसे परिवारों को मातृवंशीय परिवार कहते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार के नायर समाज के परिवारों में वंश परम्परा माता से पुत्रियों की दिशा में चलती है।

6.3 द्विवंशीय परिवार— जब वंश परम्परा पिता से पुत्रों अथवा पुत्रियों की दिशा में चलती है या माता से पुत्र अथवा पुत्रियों की दिशा में वंश परम्परा चल सकती है, इनमें से कोई भी विकल्प लिया जा सकता है तो ऐसे परिवार द्विवंशीय परिवार कहलाते हैं।

7. उत्तराधिकार के आधार पर वर्गीकरण— परिवार के पुखिया के पास सत्ता, सम्पत्ति, मकान, चल-अचल सम्पत्ति, आदि होती है। उसके पास के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? पिता के बाद पुत्र अथवा माता के बाद पुत्री आदि की व्यवस्था के अनुसार परिवार का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार हो सकता है—

7.1 पितृमार्गी परिवार— जब सम्पत्ति आदि के अधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होते हैं तो वह परिवार पितृ-मार्गी कहलाता है। हिन्दू समाज के परिवार इसी प्रकार के हैं।

7.2 मातृमार्गी परिवार— जब सम्पत्ति, मकान तथा अन्य अधिकार माता से पुत्री को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं तो परिवार मातृमार्गी परिवार कहलाता है। दक्षिण भारत के मालाबार के नायर, मुस्लिमान समाज तथा खासी, गोरा आदि मातृ-मार्गी परिवार के उदाहरण हैं।

8. बन्धुत्व के आधार पर वर्गीकरण— सभी प्रकार के परिवारों का मुख्य आधार बन्धुत्व (नातेदारी) के लक्षण हैं। ये लक्षण मुख्य रूप से दो हैं— (1) विवाह सम्बन्ध तथा (2) एक सम्बन्ध। इनके आधार के रूप में परिवार के विशिष्ट प्रकार कुछ समाजों में मिलते हैं। ये प्रकार निम्न हैं—

8.1 रक्त-सम्बन्धी परिवार— जब परिवार में केवल रक्त-सम्बन्धी स्थायी रूप से साथ-साथ रहते हैं तथा वैवाहिक-सम्बन्धी परिवार में स्थाई रूप से नहीं रहते हैं। वैवाहिक साथी (पति) केवल कपी-कपी अपनी पत्नी के घर जाते हैं। उनका पत्नी के परिवार में किसी प्रकार की कोई आर्थिक वा अन्य विम्बेदारी नहीं होती है। पति केवल आकस्मिक अतिथि होते हैं। ऐसे परिवार में माता, या अन्य विम्बेदारी नहीं होती है। पति केवल आकस्मिक अतिथि होते हैं। ऐसे परिवार में माता, उसकी बहिने भाई, बहिन के पुत्र और पुत्रियाँ तथा पुत्रियों की सन्तानें सब साथ-साथ रहते हैं। इस प्रकार के परिवार को रक्त-सम्बन्धी परिवार कहते हैं। दक्षिण भारत के नायर समाज के ये परम्परागत तीन पीढ़ी के संयुक्त परिवार हैं। इनका नाम उन समाजों में 'धावाड़' परिवार है।

8.2 विवाह-सम्बन्धी परिवार- इस प्रकार के परिवारों से तात्पर्य है कि परिवार के सदस्य विवाह के बन्धन से बंधे होते हैं तथा इसमें रक्त-सम्बन्धी उनकी संतानें होती हैं। विवाह होते ही वर-वधु अपने-अपने माता-पिताओं का परिवार छोड़ देते हैं। उनकी संतानें बड़ी होकर उन्हें छोड़ देती हैं। इस प्रकार परिवार में स्थाई रूप से वैवाहिक सम्बन्धी (पति-पत्नी) ही रहते हैं।

9. वैवाहिक साधियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण- विवाह के द्वारा परिवार की स्थापना होती है। जिस प्रकार का विवाह होगा उसी के अनुसार परिवार की संरचना होगी। विवाह के समय कितने पुरुष कितनी स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं। इसके आधार पर परिवार के निम्नलिखित प्रकार बनते हैं—

9.1 एक-विवाही परिवार- एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो वह एक-विवाह कहलाता है। इससे बनने वाला परिवार एक-विवाही परिवार कहलाएगा। लेकिन एक-विवाह समाजिक और कानूनी आधार पर वह भी कहलाता है जब पति-पत्नी में से किमी एक की मृत्यु हो जाए अथवा उनका विवाह विच्छेद हो जाए। उसके बाद विधुर अथवा विधवा अथवा तत्ताक शुदा पुरुष या स्त्री पुनः ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जो इनके जैसा हो अर्थात् अविवाहित हो तो वह भी एक-विवाह कहलाता है। ऐसे एक-विवाह द्वारा एक-विवाही परिवार उस स्थिति में होगा जब पुन विवाह करने वालों में से किसी के भी पहिले से सन्तान नहीं हो। अन्यथा इनमें पहिले से सन्तान होगी तो ऐसा परिवार एक-विवाही परिवार न कहला कर 'सम्मिश्र' परिवार कहलाएगा।

9.2 द्वि-विवाही परिवार- जब एक समय में एक पुरुष दो रियों से अथवा एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह करती है तो इससे जो परिवार बनेगा वह द्वि-विवाही परिवार होगा। इस विवाह के निम्न दो प्रकार हैं— द्वि-पत्नी-विवाह में एक पुरुष दो रियों से विवाह करता है तथा द्वि-पति-विवाह में एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह करती है। ऐसे परिवार भारत के आदिग, ग्रामीण तथा नागरों में सिलते हैं।

9.3 त्रहु-विवाही परिवार- यहु-विवाही परिवार बहु-विवाह से बनते हैं। यहु-विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें एक पुरुष अनेक रियों से या एक स्त्री अनेक पुरुषों से अथवा अनेक पुरुष अनेक रियों से विवाह करते हैं। इसके अनुसार परिवार के निम्न प्रकार बनते हैं—

9.3.1. बहु-पत्नी-विवाही परिवार- जब एक पुरुष एक समय में दो से अधिक रियों से विवाह करता है तो उसे बहु-पत्नी विवाह कहते हैं तथा इससे बनने वाला परिवार बहु-पत्नी-विवाही परिवार कहलाता है। भारत की नाग, गोंड, टोड़ा, तुशाई, छासी, मध्याल, कादा, छोटा नागपुर के 'हो' आदि जनजातियों में ये परिवार मिलते हैं। मुसलमानों में पुरुष को चार विवाह करने की धर्म के अनुसार अनुमति है। प्राचीन काल में राजा, महाराजा, जागीदार, धनी कृषक आदि भी ऐसा विवाह करते थे।

बहुपत्नी-विवाह के निम्न दो प्रकार हैं—

- (i) भगिनी-बहु-पत्नी-विवाही परिवार— इसमें पत्नियाँ सभी बहिने होती हैं तथा
- (ii) अभगिनी-बहु-पत्नी-विवाही परिवार— इसमें पत्नियाँ सभी बहिनें नहीं होती हैं।

9.3.2. बहु-पति-विवाही परिवार- यहु-पति-विवाही परिवार बहु-पति-विवाह से बनते हैं। जब एक स्त्री दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह बहु-पति-विवाह कहलाता है तथा इससे बहु-पति-विवाही परिवार का निर्णय होता है। इस प्रकार के विवाह और परिवार भारत तथा विश्व के अनेक समाजों में मिलते हैं।

बहु-पति-विवाही परिवार के दो उप-प्रकार हैं। (1) भ्रातु-बहु-पति-विवाही परिवार और (2) अभ्रातु-बहु-पति-विवाही परिवार। जब समे भाई एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उससे भ्रातु-बहु-पति-विवाही परिवार बनते हैं। द्वौपदी का विवाह इसी का उदाहरण है। उत्तीर्ण भारत के देहरादून जिले के जौनसार बाबर परगना तथा टिहरी रान्य के जौनपुर और खाई में सबसे बड़ा भाई विवाह करता है और उसकी पत्नी उसके छोटे भाइयों की भी पत्नी होती है।

दूसरा अभ्रातु-बहु-पति-विवाही परिवार— जिसमें अनेक पुरुष जो परम्परा भाई नहीं होते हैं और वे एक स्त्री से विवाह करते हैं तो वह परिवार अभ्रातु-बहु-पति-विवाही परिवार कहलाता है।

9.3.3. समूह-विवाही परिवार— जब कई पुरुष गिलकर अनेक रियों से एक साथ विवाह करते हैं। जिसमें प्रत्येक पुरुष सभी रियों का पति तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है तो उसे समूह विवाह कहते हैं। जब पुरुषों का एक समूह रियों के एक समूह से विवाह करता है तो इसमें जो परिवार स्थापित होगा वह समूह-विवाही परिवार होगा। भारत की टोडा जनजाति में यह विवाह और परिवार गिलता है।

संयुक्त-परिवार

भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है कि व्य इसकी सबसे छोटी इकाई को समझने का प्रयास करें। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में सामाजिक समाजों की सबसे छोटी इकाई संयुक्त-परिवार है और उसमें भी परम्परागत-संयुक्त-परिवार है। भारत में अप्रेजों के आने से पहिले एकाकी परिवार की अवधारणा अपरिचित बस्तु थी। अनेक इतिहासकारों, दार्शनिकों, विद्वानों आदि ने लिखा है कि भारतीय समाज की विशेषता उसका संयुक्त-परिवार है।

मैक्समूलर का कथन है कि संयुक्त-परिवार भारत की 'आदि परम्परा' है। यह आज भी अनेक समाजों में महत्वपूर्ण है। कर्वे ने महाभारत के संयुक्त-परिवार की बाद दिलाते हुए लिखा है कि भारत में आज भी जहाँ-जहाँ भाई-भाई साथ रहते हैं, महाभारत का युद्ध होता है।

हिन्दू समाज की इकाई व्यक्ति न होकर संयुक्त-परिवार है। भारतीय रास्कृति और समाज में संयुक्त परिवार के महत्व पर ध्वनि लिखा गया है। उसे दोहराने के स्थान पर संयुक्त-परिवार की परिभाषा, अर्थ, प्रकार, कार्य, महत्व आदि का अध्ययन करके स्वयं देखा जा सकता है, जो निम्न प्रकार है।

संयुक्त-परिवार का अर्थ एवं परिभाषा

संयुक्त-परिवार की परिभाषा अनेक विद्वानों, कानून-वेताओं, सामाजिक मानवशास्त्रियों तथा गमाजशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न दी है। इन विद्वानों ने संयुक्त-परिवार के विभिन्न गुणों, तत्त्वों तथा लक्षणों पर प्रकाश डाला है। अब यहीं हम इनकी परिभाषाओं को देखें तथा भारत के संयुक्त परिवार को संख्यनात्मक और प्रकार्यात्मक तथा सम्बन्धनात्मक पक्ष से समझने का प्रयास करेंगे।

1. घरपति की परिभाषा— संयुक्त-परिवार की मुख्य विशेषता है कि वे एक जगह का यन्म भोजन करते हैं।

2. मेन्डलबोम की परिभाषा— संयुक्त-परिवार जिसके सदस्य बन्धुत्व वे: सम्बन्धों से सम्बन्धित होते हैं और साधारणतया एक मकान में रहते हैं।

‘‘ ३. इरावती कर्वे की परिभाषा— एक संयुक्त-परिवार लोगों का एक समूह है, जो सामान्यतया एक छत के नीचे रहते हैं, जो एक रसोई में बना भोजन खाते हैं, जो सामान्य सम्पत्ति रखते हैं, परिवार के सामान्य पूजा-पाठ में भाग लेते हैं और एक-दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बन्धुत्व सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं।

आपने परिभाषा से सम्बन्धित तथ्य, “जो सामान्यतया एक छत के नीचे रहते हैं, और साथ-साथ खाते हैं” की निम्नलिखित व्याख्या की है, “जो कृषि का व्यवसाय करते हैं वे तो साथ-साथ रहते और खाते हैं लेकिन वे लोग जो व्यापार करते हैं अधवा सेना में अधवा सरकारी नौकरियों में हैं, लम्बे समय तक बाहर रहते हैं वे मूल परिवार से बधे रहते हैं तथा उसके अंग हैं, संयुक्त परिवार के अंग कहलाएंगे।”

४.ए.डी. रॉस की परिभाषा— आपका कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों के संर्दभ में विषय का अध्ययन करता है। इसलिए संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक स्थान पर रहना, एक रसोई का भोजन खाना आवश्यक नहीं है। दूर-दूर रहकर भी अगर उनके सामाजिक सम्बन्धों में निरतता है, सत्ता बड़े सदस्य के पास है तो वे परस्पर संयुक्त परिवार में हैं। इसी दृष्टि से आपने संयुक्त परिवार की निम्न परिभाषा दी है— “संयुक्त-परिवार संयुक्तों का एक समूह है जो सामान्यतया एक प्रकार के बन्धुत्व सम्बन्धों से सम्बन्धित होते हैं, जो एक गकान में भी रहते हों और जिनका संगठन एक प्रकार के कर्तव्य और अधिकार, भावना एवं सत्ता के प्रतिमान से संबद्ध हो।” आपने साथ-साथ रहना संयुक्त-परिवार की आवश्यक शर्त नहीं बताई। इन्होने संयुक्त-परिवार के लिए आवश्यक—व्यक्तियों का समूह, बन्धुत्व सम्बन्ध और कर्तव्य और अधिकार, भावना तथा सत्ता—बताए हैं।

५.आई.पी. देसाई की परिभाषा— आपने लिखा है, “छोटे कुटुम्ब (एक छत के नीचे रहने वालों) को नाभिक परिवार जैसा समझना चाहिए जिसमें पति, पत्नी और केवल बच्चे हों तथा बड़े कुटुम्ब को संयुक्त-परिवार जैसा समझना चाहिए जिसमें तीन या तीन पीढ़ी से अधिक के व्यक्ति साथ-साथ रहते हैं।”

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर विद्वानों ने संयुक्त-परिवार की जो परिभाषाएँ दी हैं वे वास्तव में परम्परागत संयुक्त-परिवार की परिभाषाएँ हैं। सामान्यतया संयुक्त-परिवार से तात्पर्य ऐसे परम्परागत संयुक्त-परिवार से लगाया जाता है जिसमें तीन या इससे अधिक पीढ़ियाँ होती हैं जो एक छत के नीचे निवास करती है, जो एक चूल्हे का बना भोजन खाती हैं, जिनकी सम्पत्ति सामान्य होती है, जो परिवार के पूजा-पाठ, उत्सव आदि में सामूहिक रूप से भाग लेती हैं, जो परस्पर निश्चित बन्धुत्व सम्बन्धों से सम्बन्धित होती है और जिनका संगठन एक प्रकार के कर्तव्य और अधिकार एवं सत्ता और भावना के प्रतिमान से संबद्ध होता है।

संयुक्त-परिवार की विशेषताएँ (लक्षण)

संयुक्त-परिवार की विशेषताओं का भौतिक, सत्त्वनात्मक, प्रकार्यात्मक आदि के आधार पर निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है—

१. सामान्य निवास— कुछ विद्वानों— कर्वे, मेण्टलवाम, ब्लैण्ट, जौली आदि ने संयुक्त-परिवार के लिए सामान्य-निवास प्रमुख लक्षण बताया है जिसके अनुसार संयुक्त-परिवार के सभी सदस्य एक मकान में साथ-साथ रहते हैं। रॉस और देसाई का कहना है कि परम्परागत संयुक्त-

परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर साथ-साथ रहते हैं। लेकिन कुछ अन्य प्रकार के संयुक्त परिवारों के लिए सामाजिक सम्बन्धों की संयुक्तता तो आवश्यक है परन्तु एक स्थान पर साथ-साथ रहना आवश्यक नहीं है।

2. सामान्य रमोईथर— संयुक्त-परिवार के सदस्यों के लिए कर्वे और ब्लॉट का कहना है कि इसके सभी सदस्य एक चूल्हे पर बना भोजन खाते हैं। देसाई का कहना है कि परम्परागत-संयुक्त-परिवार के लिए सामान्य स्सोईथर विशिष्ट लक्षण होना आवश्यक नहीं है।

3. सामान्य पूजा-पाठ— नवरात्रि, श्राद्धपक्ष, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली, दशहरा, रक्षा-बधन, होली आदि अनेक पर्वों-उत्सवों में परम्परागत संयुक्त परिवार के सभी सदस्य साथ-साथ भाग लेते हैं। लेकिन परिवार के अनेक सदस्य विज्ञान, नौकरी, व्यापार आदि के कारण मूल निवास स्थान से बाहर रहते हैं, ऐसे अवसरों पर आने का पूरा प्रयास करते हैं तथा सम्मिलित होते हैं। कर्वे तथा देसाई ने स्पष्ट लिखा है कि आवास के आधार पर वे संयुक्त अंग नहीं हैं परन्तु सम्बन्धों के आधार पर वे संयुक्त हैं। इस प्रकार सामान्य पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि संयुक्त-परिवार के विभिन्न प्रकारों की विशिष्ट विशेषता है।

4. बड़ा आकार— देसाई ने बड़े आकार के कुटुम्ब को संयुक्त-परिवार बताया है जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ-साथ रहते हैं। यह परम्परागत-संयुक्त-परिवार भी कहलाता है। दूसरे प्रकार के संयुक्त परिवारों का आकार बड़ा होता है जिसमें एक पीढ़ी में कई विवाहित भाई अपनी पत्नियों के साथ-साथ रहते हैं। संयुक्त-परिवार के लिए बड़े आकार से तात्पर्य सदस्यों की संख्या नहीं है बल्कि एक से अधिक परिवारों का एक कुटुम्ब के रूप में रहना है। एक दम्पत्ति के दम-बाहर बच्चे होने पर आकार बड़ा होने पर भी वह संयुक्त परिवार नहीं कहलाएगा।

5. सामान्य सम्पत्ति— परिवार की संयुक्तता का महत्वर्थी आधार सम्पत्ति भी है। एक पूर्वज की मन्त्राने सामान्य रूप में सम्पत्ति वियासत में प्राप्त करती है। संयुक्त-परिवार के सदस्य अपनी-अपनी आय तथा कर्माई परिवार के मुखिया को दे देते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्यों की आय एक स्थान पर एकत्र की जाती है तथा वहाँ से सबकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती है। विवाह, त्यौहार आदि अवसरों पर मुखिया छर्च करता है।

6. नातेदारी सम्बन्ध— संयुक्त-परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य परम्परा विशिष्ट रूप, विवाह अथवा गोद सम्बन्धों से सम्बन्धित होते हैं। संयुक्त-परिवार में पीढ़ी तथा शैतिज अथवा दोनों आधारों से संयुक्तता होती है। परम्परागत-संयुक्त-परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के सदस्य साथ-साथ रहते हैं। यिन्-म्यानीय में माता-पिता, दादी, बाबा-ताऊ, उनके परिवार, भाई, चचेरे भाई, विवाहित-अविवाहित पुत्र आदि साथ-साथ रहते हैं।

7. अधिकार और दायित्व— योग के अनुसार संयुक्त परिवार के मदस्यों का मंगठन, कर्तव्य और अधिकार एवं सत्ता और भावना के प्रतिमान से सम्बद्ध होता है। देसाई का मानना है कि परिवार की संयुक्तता जहाँ तक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सम्बन्धित है उसके लिए प्रभावशाली सम्बन्धों का होना आवश्यक है जिसमें भाइयों, उनकी सतानो आदि से सम्बन्धित एवम् अनेक कर्तव्य, अधिकार, दायित्व आदि आते हैं। जो जन्म, मृत्यु, विवाह आदि अवसरों पर तथा अन्य सामान्य जीवन में देखे जा सकते हैं।

8. परिवार का मुखिया— परम्परागत-संयुक्त-परिवार का मुखिया कौन होगा? यह सम्बन्धित समाज की प्रथा और परम्परा निर्विवात करती है। यिन्-मत्तात्मक समाज में परिवार भी निन्-मत्तात्मक

होता है जिसका तात्पर्य है परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक आदि सभी क्षेत्रों में वह प्रबंधक, मुखिया, पुरोहित, न्यायाधीश आदि जैसी भूमिकाएं संयुक्त परिवार के स्तर पर करता है। श्रम का विभाजन, पूजा-पाठ, न्याय, आदेश वही अन्य सदस्यों को देता है। अन्य सदस्य उसका पालन करते हैं।

9. सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्य— समाज संयुक्त परिवार के सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक कार्यों के सदर्श में एक इकाई मानता है। गाँव में कोई भी त्यौहार या उत्सव होता है तो संयुक्त परिवार को एक इकाई के रूप में मानते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्य संयुक्त परिवार दो स्तरों पर पूर्ण करता है। पहला, एक इकाई के रूप में ग्राम समुदाय या समाज में जहाँ वह रहता है तथा दूसरा, परिवार के सदस्य परस्पर उन कार्यों को सम्पन्न करते हैं।

10. सहयोगी व्यवस्था— सोरोक्जन, ए.आर. देराई, कर्वे आदि का मानना है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहयोग और समूहवाद की भावना रखते हैं। सदस्य सामूहिक अभियुक्त के अनुसार क्रिया करते हैं उनमें व्यक्तिवाद की भावना नहीं होती है। सदस्य निजी स्वार्थ का परिवार के लिए बलिदान कर देते हैं।

11. उत्पादक इकाई— परम्परागत-संयुक्त-परिवार ग्रामीण समाज में अधिक होते हैं। वहाँ पर ये उत्पादन की इकाई के रूप में कृषि के व्यवसाय में देखे जा सकते हैं। खेती-बाड़ी में प्रत्येक को उसकी क्षमता तथा कार्य-कुशलता के अनुसार कार्य मिल जाता है। सभी अपना-अपना कार्य करके उत्पादन की इकाई के रूप में सहयोग देते हैं। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय में पूरा का पूरा परिवार कार्य करता है तथा उत्पादन का लाभ परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलता है।

12. निश्चित संस्तरण— संयुक्त परिवार में सदस्यों की निश्चित प्रस्थिति और भूमिका होती है। बड़ी पीढ़ी जा छोटी पीढ़ियों सम्मान करती है। परम्परागत पितृसत्तात्मक समाज में पति का स्थान पत्नी से ऊंचा होता है। आयु के आधार पर रक्त-सम्बन्धी बड़े-छोटे, बड़ी आयु-छोटी आयु के ब्रह्म में ही होते हैं। व्यक्ति के जीवन साधी के रक्त सम्बन्धियों से वही उच्च-निम्न प्रस्थिति होती है जैसी उसके बीचन साधी की चाहे उसकी स्वयं की आयु कितनी भी हो। सीतेला बेटा सौतेली माँ में आयु में बड़ा होने पर भी सीतेली माँ को माँ जैसा सम्मान देता है।

13. तुलनात्मक स्थायित्व— एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त-परिवार अधिक स्थाई होते हैं। उनमें 'हम' की भावना, सामूहिक दृष्टिकोण—'एक के लिए सब और एक सबके लिए' वाली भावना रखते हैं। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य मुख-दुख, लाभ-हानि, जीवन-मरण में एक-दूसरे का साथ देते हैं। आर्थिक कष्ट में एक-दूसरे की सहायता सामूहिक सम्पत्ति तथा आय के द्वारा की जाती है। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल संयुक्त-परिवार वैसे ही करता है जैसे पहिले हो गई थी। बीमारी में भव सबका ध्यान रखते हैं। तीन पीढ़ी तक संयुक्त होने से परिवार की निरतता स्थाई रूप से बनी रहती है। नए सदस्यों का जन्म, बृद्ध सदस्यों की मृत्यु से परिवार की सास्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक, व्यावसायिक निरतताएं बनी रहती हैं।

संयुक्त परिवार के प्रकार

भारतवर्ष में संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार हैं। भारतवर्ष में अनेक सामाजिक परम्पराएं विभिन्न क्षेत्रों में मिलती हैं और उन्हीं के अनुसार संयुक्त परिवार के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। संयुक्त परिवार के विभिन्न प्रकारों के वर्णन विद्वानों ने किए हैं, जो अग्रसिद्धि है—

(1) सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार—इन चारों अथवा आधारों पर भारत में संयुक्त परिवार के निम्न दो प्रकार मिलते हैं—

1.1. पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संयुक्त-परिवार—उपर्युक्त तीनों विशेषताएँ परम्परागत-संयुक्त-परिवार में मिलती हैं। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। सभी प्रकार के निर्णय तथा सत्ता पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। भारत में कुछ परिवारों को छोड़कर सभी परिवार पितृसत्तात्मक हैं। भारत के लगभग सभी परिवारों में सत्ता, वंश और स्थान पितृपक्षीय है। वशावली पिता से पुत्र की दिशा में चलती है। विवाह के बाद वर-वधू वर के माता-पिता के पास रहते हैं। सम्पत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है।

1.2. मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय संयुक्त-परिवार—दक्षिण भारत के कुछ समाजों, जैसे—नायर, थरवाड़ परिवार, थियान, मोण्ट, बाण्ट आदि में परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय है। इनके परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय परम्परागत-संयुक्त-परिवार हैं। इन संयुक्त परिवारों में स्त्री का प्रमुख स्थान होता है। वश परम्परा माता 'से पुत्री को चलती है। सम्पत्ति माता से पुत्री को हस्तांतरित होती है। उत्तराधिकारी माता के बाद उसकी पुत्री होती है। विवाह के बाद भी स्त्री माता के पास रहती है। ऐसे परिवार केरल के मालाबार के नायर समाज में मिलते हैं।

(2) थरवाड़ संयुक्त परिवार—मातृवंशीय संयुक्त परिवार थरवाड़ कहलाते हैं। इसमें दो, उसके भाई-बहिन, उसकी स्वयं की बहिन तथा उसके पुत्र तथा उसकी पुत्रियों साथ-साथ रहते हैं। इस कुटुम्ब की विशेषता यह है कि इसमें मकान में कोई वैवाहिक सम्बन्धी नहीं रहता है। इसमें एक स्त्री के नाते-रितेदार दूसरी स्त्रियाँ, जैसे—पुत्री—माता, बहिन, माता की माता, माता की बहिन, बहिन की पुत्री, तथा स्त्री से जो पुरुष तक सम्बन्धी होते हैं वो भाई, पुत्र, पुत्री के पुत्र, बहिन के पुत्र होते हैं। पुरुषों में परस्पर एक-दूसरे भाई, माता के भाई और बहिन के पुत्र के रूप में रितेदार होते हैं। ये दक्षिण भारत के नायर समाज में मिलते हैं। ये थरवाड़ परिवार की कुछ विशेषताएँ हैं। इसे रक्त-सम्बन्धी-संयुक्तपरिवार भी कहते हैं।

एक पुरुष अपनी पत्नी के पास कभी-कभी जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित कुटुम्ब में विवाहित स्त्री का पति कभी-कभी उससे मिलने आता है। इस प्रकार कोई भी वैवाहिक सम्बन्धी परिवार में नहीं रहता है। इसमें पिता, सन्तानें, पति-पत्नी के साथ का जीवन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है।

(3) पीढ़ियों, उनमें दम्पत्तियों की संख्या के आधार पर उद्या, क्षेत्रिक तथा मिश्रित संयुक्त-परिवार—इस प्रकार के वर्गीकरण की व्याख्या विस्तार से परिवार के वर्गीकरण के अन्तर्गत पिछले पृष्ठों में की जा नुकी है।

(4) सम्पत्ति पर अधिकार और संयुक्त परिवार के प्रकार—पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक में सत्ता पर अधिकार पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते हैं। सम्पत्ति पर किन बंगाजों का अधिकार है? और कितना है? के आधार पर हिन्दुओं के सभी संयुक्त परिवारों को दो प्रकारों में बांटा गया है—(1) मिताशारा तथा (2) दायभाग। इन्हीं से सम्बन्धित संयुक्त परिवार को निम्न दो बांगों में विभाजित किया जा सकता है—

4.1. मिताशारा संयुक्त परिवार—विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य पर टीका लिए है उसमें मिताशारा का वर्णन मिलता है। यह भारत के समस्त (आसाम और चान्दा लोड़ कर) हिन्दुओं से

सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत संयुक्त परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैं—

- (1) पुत्र को जन्म से पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है।
- (2) बालक वर्ष में आते ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकारी हो जाता है। उसका जन्म सम्पत्ति के बैटवारे के नौ माह के अन्दर हो जाना चाहिए।
- (3) यदि किसी व्यक्ति के कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र नहीं होता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से की सम्पत्ति उसके भाई आपस में बाँट लेते हैं।
- (4) पुत्र पिता के जीवित रहते हुए भी पैतृक सम्पत्ति में से अपना हिस्सा माँगने का अधिकारी है।
- (5) पिता की सम्पत्ति पर निश्चित और सीमित अधिकार होता है।
- (6) व्यक्ति विशेष कार्यों, जैसे—दहेज, धार्मिक कार्य आदि के लिए संयुक्त सम्पत्ति को साझेदारों की सहमति लेकर विनियोग कर सकता है।
- (7) सम्पत्ति में स्त्री को कोई अधिकार नहीं होता है।
- (8) स्त्री को स्त्री-धन के अतिरिक्त और कोई धन या सम्पत्ति नहीं दी जाती है।

उपर्युक्त सम्पत्ति के अधिकार स्पष्ट करते हैं कि संयुक्त परिवार में पुत्र, पिता, पितामह, पौत्र, प्रपौत्र, उनके भाई आदि संयुक्त होते हैं तथा विना अन्य की सहमति के व्यक्ति विनियोग नहीं कर सकता। दूसरी ओर पुत्र पैतृक सम्पत्ति में से हिस्सा पिता से उसके जीवन काल में भी माँग सकता है तथा अलग हो सकता है।

4.2 दायभाग संयुक्त परिवार— दायभाग संयुक्त परिवार में परस्पर स्त्री-पुरुष के क्या अधिकार तथा स्थिति है, इसका वर्णन जीमूतवाहन ने किया है। उनके अनुसार इस परिवार में निम्नलिखित प्रावधान हैं जो आसाम और बंगाल के हिन्दू परिवारों पर भी लागू होते हैं—

- (1) पुत्र का पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही होता है।
- (2) पुत्र पिता के जीवन काल में उससे अपने हिस्से की सम्पत्ति की माँग नहीं कर सकता।
- (3) पिता का सम्पत्ति पर एकाधिकार होता है। वह सम्पत्ति का अपनी इच्छानुसार उपभोग कर सकता है।
- (4) पुत्रों को पैतृक सम्पत्ति में भरण-पोषण के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं होता है।
- (5) सम्पत्ति में स्त्री को भी अधिकार होता है।
- (6) व्यक्ति के कोई पुत्र न होने पर उसकी मृत्यु के बाद सम्पत्ति उसकी पत्नी को मिलती है। इस प्रावधान के द्वारा संयुक्त परिवार का नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन होता रहा है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था समाप्त कर दी गई है तथा देश में समान व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिसमें सभी स्त्री-पुरुषों को पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त है।

संयुक्त परिवार के लाभ अथवा प्रकार्य

भागतवर्ष में संयुक्त परिवार आदिकाल से विद्यमान है। यह समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य—सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि करता रहा है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. मामार्जीकरण का कार्य—समाज के लिए नए मदम्बों का जन्म, पालन-पोषण तथा मामार्जीकरण का कार्य अत्यावश्यक है। ग्रामीण तथा हिन्दू समाज में संयुक्त परिवार मामार्जीकरण का कार्य मदियों से करता चला आ रहा है। संयुक्त परिवार में बच्चा मामार्जीकरण मूल्यों, व्यवहार करने के तरीके आदि सीखता है। संयुक्त परिवार बच्चे को समाज के उपयोगी मदम्ब के रूप में मामार्जीकरण की प्रक्रिया के द्वारा तैयार करता है। व्यक्ति समाज के प्रतिमान परिवार में महत्व स्वयं में सीख लेता है।

2. मार्ग दर्शन का कार्य—परम्परागत संयुक्त परिवार में युवा-पीढ़ी को बृद्ध-पीढ़ी मरम्य-मदम्य पर अपने अनुबव और ज्ञान से मार्गदर्शन देती रहती है। युवा-पीढ़ी तथा परिवार के मर्मी-पुरुष कोई भी कार्य करते हैं तो उनको तत्काल अन्य बड़े मदम्ब सलाह दे देते हैं। मामृतिक मूल्य और मंग्यागत माध्यों का ज्ञान बुद्धिन अपने अन्य सदम्बों को हम्मानागत करते हैं।

3. धार्मिक कार्य—संयुक्त परिवार का पारिवारिक देवता होता है। उमर्की दूजा की बाती है। समाज में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं परिवार उमर्की वास्तविक इकाई होती है जो उन्हें सम्मन करती है। परिवार के सदम्बों को मुखिया एकत्र करता है तथा निश्चिन मरम्य, स्थान, दिन आदि पर उनमें, ल्पीहांग आदि को सम्पन्न करता तथा करवाता है।

4. मामार्जीकरण आर्थिक सुरक्षा—परिवार की सामान्य समर्पण तथा मामृतिक आप एक स्थान (मुखिया के पास) पर एकत्र होती है। मुखिया संयुक्त परिवार के द्रुतक सदम्ब की आवश्यकता को आय के अनुसार पूरी करने की व्यवस्था करता है। विध्या, बृद्ध इन, अवाधी, पर्सनलिटीओं, अपार्टिंट, बेठेजगार आदि को संयुक्त परिवार में उचित भोजन, वस्त्र और आवास की मुखिया प्रदान की जाती है। सदम्ब परम्परा एक-दूमों की मकटकाल में सदाचाना करते हैं।

5. घन का उचित उपयोग—परम्परागत-मधुक-परिवार में मुखिया के पास आय एवं रक्षा की जाती है। मर्मी सदम्ब एक छत के नीचे रहते हैं। एक चूने का बना भोजन करते हैं। माय-माय रान में कई खुदें जो अलग-अलग रहने पर प्रत्येक परिवार का करने पड़ते हैं वे संयुक्त परिवार में बचत के रूप में बच जाते हैं।

6. मर्मनि के विभाजन में बचाव—संयुक्त परिवार में मर्मनि मर्मी की सामान्य रहता है। यिंग रूप से ऐनों का भी खण्डों तथा उपचारों में विभाजन तथा बैठवाना नहीं होता है। युवा का आज्ञान बढ़ा बना रहता है। उमसे उनमें ऐनी अच्छी होती है। मर्मनि मामृतिक रान में समाज परिवार की आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक प्रभिति अच्छी रही रहती है।

7. श्रम विभाजन—संयुक्त परिवार में श्रम का विभाजन विभिन्न मदम्बों में विभाजन का मुखिया करता है। वह व्यक्ति की आयु, जारीगिक हमता तथा निग भद्र के आधार पर करता है। प्रनाल एवं उमर्की हमता तथा सामाजिक परम्परा के अनुसार कार्य दिया जाता है। युवा पर करता है जाम करते हैं। महिलाएँ भोजन बनाना, बच्चों का पालन-पोषण करता आदि कार्य करती हैं।

8. संकट काल में बीमा— संयुक्त परिवार दुर्घटना, बीमारी, बेरोजगारी, बुद्धापा आदि संकटों में एक बीमा कम्पनी जैसी सुरक्षा प्रदान करता है। एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार का संदर्भ अनेक सम्बन्धियों के बीच अपने को सुरक्षित पाता है।

9. अनुशासन एवं नियंत्रण— संयुक्त परिवार में अनुशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक सदस्य पर उससे बड़ी उम्र तथा पीढ़ी के सम्बन्धी पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। अगर कोई सदस्य अनुशासन अथवा नियम तोड़ता है तो परिवार का मुखिया अथवा बड़े सम्बन्धी उसे समझाते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियन्त्रण का संयुक्त परिवार उत्तम अभिकरण है।

10. संस्कृति की रक्षा— संयुक्त परिवार सदियों से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता आ रहा है। बृद्ध लोग नई पीढ़ी को कथाओं, कहानियों, उत्सव, त्यौहार, गीत आदि के द्वारा संस्कृति को सिखाते हैं। सामाजिकण के द्वारा प्रथाओं, रुदियों तथा परम्पराओं को हस्तांतरित करने का कार्य परिवार करता रहा है। जाति व्यवस्था में तो व्यवसाय को हस्तांतरित करने का कार्य भी परिवार करता है। संयुक्त-परिवार संस्कृति की सुरक्षा तथा सिखाने का काम करता है।

11. राष्ट्रीय एकता— परिवार का सदस्य परिवार के लिए अपना जीवन जीता है। उसमें व्यक्तिगत की भावना नहीं होती है। परिवार, ग्राम और देश के लिए उसमें 'हम' की भावना होती है। वह परिवार और देश के लिए त्याग की भावना रखता है। संयुक्त परिवार व्यक्ति में देशभ्रेम, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा आदि की शिक्षा देता है। संयुक्त परिवार की राष्ट्रीयता की भावना के विकास में विशेष भूमिका रही है।

12. मनोरंजन— इतावती कव्वी का कहना है कि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ-न-कुछ शब्द-कर होता ही रहता है। अब किसी लड़की अथवा लड़के का विवाह है। अब किसी का दीक्षा समारोह है, नए दच्चे का जम हुआ है, नववधु का यौवनारम्भ संस्कार है, परिवार का विशिष्ट संस्कार, ब्रतभोज, और कभी किसी की मृत्यु। परिवार में अतिथियों का आना-जाना लगा रहता है। जीवन शायद ही कभी नीरस होता है। हमउप्र के साथी आपस में हँसी-मजाक बनते रहते हैं, बृद्ध जन बच्चों को कहानियां आदि सुनाते हैं। हर समय चहल-पहल रहती है। संयुक्त परिवार में विभिन्न प्रकार से मनोरंजन होता रहता है।

उपर्युक्त संयुक्त परिवार के कार्यों से समृद्ध हो जाता है कि यह संस्था तथा समिति के रूप में व्यक्ति और समाज के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक और यह व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक कार्य करती है तो दूसरी ओर समाज के संगठन और संतुलन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त परिवार प्राथमिक और अनौपचारिक समूह है जो व्यक्ति, समाज, ग्राम और राष्ट्र के लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सास्कृतिक आदि कार्य सम्पन्न करता है।

संयुक्त परिवार के दोष

संयुक्त परिवार के अनेक लाभ है, लेकिन अनेक कारकों तथा परिस्थितियों के कारण इसमें अनेक दोष भी हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक— संयुक्त परिवार में सदस्यों की आय मुखिया के पास एकत्र हो जाती है तथा सभी सदस्यों का बाहर व्यापार रखा जाता है। जो सदस्य अकर्मण्य हैं उनकी आत्मशक्तियों की पूर्ति बिना श्रम किए ही हो जाती है। जो सदस्य मेहनती है, कुशल है, उनका

विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे बुद्धिमान, मेहनती, व्यवसायी पर विभीत असर पड़ता है। क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। इससे वह भी अपनी कार्यकुशलता तथा आय बढ़ाने के लिए प्रयास करना कम अचूक बन्द कर देता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष को अलग से सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं। इससे अनेक प्रतिभावान चालक तथा अन्य अपना विकास नहीं कर पाते हैं। संयुक्त परिवार व्यक्ति की कार्यकुशलता में एक बाधा है।

2. अकर्मण्य व्यक्तियों की बुद्धि—संयुक्त परिवार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देता है कि उससे अकर्मण्य व्यक्तियों की बुद्धि हो जाती है। सभी की आवश्यकताएँ समान रूप से पूरी की जाती हैं चाहे कोई ज्यादा कमाता हो या कम कमाता हो अथवा बेरोजगार हो। उसके बच्चों का पालन-पोषण भी समान रूप से किया जाता है। व्यक्ति आलादी, अकर्मण्य तथा अनुत्साही बन जाता है। जब विना कुछ किए रहें, कपड़ा और आवास की सुविधा मिल जाती है तो इससे व्यक्ति के जोश, प्रोत्साहन, कार्यकुशलता आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा वह अकर्मण्य बन जाता है।

3. व्यक्ति के विकास में बाधक—व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता है। कोई सदस्य आगे पढ़ना चाहता है इसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाएँ चाहिए तो संयुक्त परिवार में ऐसा करना सभव नहीं है। कोई सदस्य बुद्धिमान है, मेहनती है उसके बच्चे भी ऐसे ही हैं तो उनको विशेष सुविधा नाम भी अलग से व्यवस्था नहीं दी जाएगी। उसी वातावरण में व्यक्ति को विकास करना होगा। परिवार में अलग से प्रोत्साहन किसी को नहीं दिया जाता है। अनेक ऐसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत कारण हैं जो व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक होते हैं और संयुक्त परिवार उन्हे प्रोत्साहित करता है।

4. परिशीलन में बाधक—व्यक्ति परिवार के लिए जीवन जीता है। परिवार से जुड़ा रहता है। परिवार छोड़कर बाहर जाने की बात तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह परिवार के लिए होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार के आदर्श, मूल्य, मान्यताएँ आदि व्यक्ति की गतिशीलता में बाधकता का कार्य करते हैं।

5. सामाजिक समस्याओं का पोषक—परिवार के सदस्य अन्यविश्वासी, परम्परावादी तथा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे अनेक सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने का विरोध करते हैं। पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, जाति-प्रथा आदि का कटूता से पालन करते हैं। संयुक्त परिवार के माध्यम से हिन्दू समाज में अनेक सामाजिक समस्याएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं, जैसे—श्री-अशिक्षा, वैधव्य, रियो का शोषण, चुआदूत, दहेज-प्रथा आदि। अनेक सामाजिक समस्याओं का कारण संयुक्त परिवार है।

6. कलह का केन्द्र—संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर बात-बात पर झगड़ा करते हैं। घर के काम-काज तथा बच्चों को आपार बनावट त्रियाँ आपस में झगड़ती हैं। संयुक्त परिवार में उनकी बातों को सेकर मन-मुठाव होता है। जिस संयुक्त परिवार की आर्थिक स्थिति दुराद दीर्घी होती है, पर छोटा होता है वहाँ—बच्चे, रियों तथा बड़े—सभी तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और अन्त में सम्पत्ति, पक्कां आदि का दैवतवाया हो जाता है।

7. रियों की दुर्दशा—संयुक्त परिवार में रियों का जीवन नाकमय होता है। पर्दा-प्रथा के कारण सराज जीवन घर की चाटदीवारी में व्यतीत करती है। उनका अपना कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। घर-गृहस्थी का काम करना, रसोई में घाना बनाना, बच्चों की देशभाल करना, मास और नन्द

की सेवा करना। उसके लिए मनोरंजन का साधन नहीं होता है। वह अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती। उस पर पिता, पति और पुत्र नियंत्रण रखते हैं।

8. गोपनीय स्थान का अभाव—संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या तो अधिक होती है तथा मकान प्रायः छोटे होते हैं। हर समय चहल-पहल रहती है। शान्ति का अभाव रहता है। पति-पत्नी दिन में बातचीत नहीं कर सकते हैं। बड़े-बूढ़ों का लिहाज करना पड़ता है। कई संयुक्त परिवारों में पुरुष तथा स्त्रियां भवन के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं। बच्चों को डॉट नहीं सकते। प्यार नहीं कर सकते। पति-पत्नी परस्पर स्नेह प्रदर्शित नहीं कर सकते। इससे उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार से उन्हें बड़ा संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

10. शुष्क एवं नीरस वातावरण—संयुक्त परिवार एक बड़ा कुरुम्ब होता है। सम्बन्धियों को आपस में एक-दूसरे को नहीं चाहते हुए भी साथ-साथ रहना पड़ता है। आर्थिक अभाव मेरे तो यह मात्र दिखावा होता है। सम्बन्धियों की आवश्यकता से अधिक संख्या होने के कारण उनके परस्पर सम्बन्ध औपचारिक हो जाते हैं। परिवार का वातावरण बहुत शुष्क तथा नीरस होने से सदस्य खुश नहीं रहते हैं।

11. मुखिया की स्वेच्छाचारिता—संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। परिवार के सभी निर्णय मुखिया करता है। मुखिया को जो उचित लगता है वही करता है। अन्य सदस्य मुखिया से वाद-विवाद नहीं कर सकते। मुखिया का निर्णय अन्तिम होता है। उसे कोई बदल नहीं सकता है। अन्य सम्बन्धियों को मुखिया के समक्ष अपनी इच्छाओं को दबा कर रखना पड़ता है। अन्य सदस्य अपना असन्तोष व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक

संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं। आई.पी. देसाई ने अपने विनिबन्ध में बताया है कि विभिन्न कारणों तथा परिस्थितियों के कारण परम्परागत संयुक्त परिवार बदल रहे हैं। इनको परिवर्तित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं—

1. औद्योगिकण— औद्योगिक क्राति के बाद मानव समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त परिवार भी नाभिक परिवार में परिवर्तित होने लगे। उत्पादन के साधनों का विकास हुआ। संयुक्त परिवार उत्पादन और उपभोग की इकाई था। वह परिवर्तित होकर केवल उपभोग की इकाई बन गया। इससे नाभिक परिवारों का प्रतिशत बढ़ने लगा। उत्पादन औद्योगिक केन्द्र करने लगे। व्यवसायों की बाहुल्यता हो गई। व्यक्ति संयुक्त परिवार छोड़ अन्यत्र व्यवसाय के लिए चला गया। सधार के साधन और यातायात के साधनों से व्यक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने लगा। वर्त्तुल-विनिपाय के स्थान पर नक्कल पुढ़ाये त्रिनिपाय होने लगा। दूसरे संयुक्त परिवार की 'सामान्य सम्पत्ति' विशेषता टूट गई। स्त्रियां कल-कारखानों में काम करने लगीं। संयुक्त परिवार में रहना नापसंद करने लगीं। इन सबका प्रभाव संयुक्त परिवार प्रणाली पर पड़ा। सदम्य ग्राम छोड़ कर औद्योगिक केन्द्रों में जाने लगे जहाँ आवास की समस्या होने से नाभिक परिवार बढ़े, परम्परागत व्यवसाय छोड़कर नए व्यवसाय करने लगे। व्यक्ति अपने को स्वतंत्र महसूस करने लगा। संयुक्त परिवार में रहना उसे दुष्ट लगने लगा। परम्परागत-संयुक्त-परिवार का विभाजन होने लगा। स्त्रियां व्यवसाय करने के फलस्वरूप स्वतंत्रता अनुभव करने लगीं। अलग रहने का प्रयास करने लगीं।

अधिनियम, 1955” ने संयुक्त परिवार को नाभिक परिवार में परिवर्तित करने में प्रभाव डाला है। ऐसे अनेक अधिनियम समय-समय पर पारित होते रहे हैं जिनके कारण संयुक्त परिवारों को नाभिक परिवार में परिवर्तित होना पड़ा। आयकर से बचने के लिए भाइयों में सम्पत्ति का बैटवारा दिखाया जाता रहा और वही बाद में संयुक्त परिवार के विभाजन का सूत्रधार सिद्ध हो गया।

7. परिवार के कार्यों का हस्तांतरण— पहिले संयुक्त परिवार अनेक परम्परागत कार्य करता था। धीरे-धीरे परिवार के परम्परागत कार्य अन्य संस्थाओं तथा समितियों को हस्तांतरित हो गए। इससे संयुक्त परिवार का महत्व घट गया। लोग संयुक्त रहना अनावश्यक समझने लगे। बच्चों का अच्छा पालन-पोषण तथा स्वयं सुख नाभिक परिवार में ज्यादा सुविधाजनक लगने लगे। शिक्षा, मनोरंजन, कपड़ा, भोजन, व्यवसाय, खाने-पीने की सामग्री आदि की व्यवस्था पहिले संयुक्त परिवार करता था। अब अन्यत्र पूरी की जा सकती है। व्यक्ति संयुक्त परिवार पर निर्भर नहीं है। इससे संयुक्त परिवार का विभाजन बढ़ गया।

8. पात्रिवाहिक झगड़े— संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ-साथ रहते हैं। उनमें परस्पर झगड़े होते रहते हैं। कब्जे ने लिखा है कि भाइयों में सम्पत्ति को लेकर आज भी महाभारत का युद्ध होता है। शियों में अनेक बातों पर मन-मुटाव, कहामुनी तथा झगड़े होते रहते हैं। बच्चे आपस में लड़ते हैं और उनके कारण बड़े भी लड़ लेते हैं। संयुक्त परिवार में आए दिन झगड़ों से बचने का एक ही समाधान है नाभिक परिवार। पारिवारिक झगड़ों से बचने के लिए लोग अलग घर बसा कर रहना पसंद करते हैं।

9. महिला आन्दोलन— महिला आन्दोलन ने शियों में जागृति पैदा कर दी है। वे अपने स्वयं के अस्तित्व को समझने लगी हैं। वे शिक्षा ग्रहण करने लगी हैं। व्यवसायों में आने लगी हैं। स्वय के शोषण के प्रति जाग्रत हो गई है। प्रेम-विवाह करने लगी है। घर की चारदीवारी के बाहर जीवन जीने लगी है। शिक्षित तथा व्यवसाय करने वाली शियों संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती है। वे अपने पति को अलग घर बसाने के लिए मजबूर करती हैं। इससे नाभिक परिवारों की संख्या बढ़ी है तथा संयुक्त परिवारों का विभाजन हो रहा है।

संयुक्त और एकाकी परिवार में अन्तर

संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के अन्तर को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—

- (i) संयुक्त परिवार में तीन या उससे अधिक पीढ़ियाँ साथ-साथ रहती हैं, एकाकी अथवा नाभिक परिवार में एक अधिकारी दो पीढ़ी ही साथ-साथ रहती है।
- (ii) संयुक्त परिवार आकार में बड़े होते हैं, एवं एकाकी परिवार छोटे आकार वाले होते हैं।
- (iii) संयुक्त परिवार में मुखिया का सशक्त नियंत्रण रहता है, जबकि एकाकी परिवार में ऐसा नहीं होता है।
- (iv) संयुक्त परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय घर के प्रमुख मुखिया द्वारा लिए जाते हैं; एकाकी परिवार में महत्वपूर्ण निर्णयों में पति-पत्नी और बच्चों की सहमति दी जाती है।

- (v) संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में एक अन्तर यह है कि संयुक्त परिवार में सम्पत्ति सामूहिक होती है और एकाकी परिवार में सम्पत्ति पा एक व्यक्ति का अधिकार होता है।
- (vi) संयुक्त परिवार में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किन्तु एकाकी परिवार में अधिकारों में समानता को महत्व दिया जाता है।
- (vii) संयुक्त परिवार आदिम काल से समाज में विद्यमान है, जबकि एकाकी परिवारों का जन्म आधुनिक समय में हुआ है।
- (viii) संयुक्त परिवार कृषि प्रधान समाजों अर्थात् प्रामों की विशेषता माने जा सकते हैं, जबकि एकाकी परिवार नगरों एवं औद्योगिकरण की विशेषता है।
- (ix) संयुक्त परिवार में परस्पर सहयोग, प्रेम और त्याग की प्रधानता होती है, एकाकी परिवार में सम्बन्ध घनिष्ठ न होकर व्यक्तिगत अधिक होते हैं।
- (x) संयुक्त परिवार में बालकों के व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता जबकि एकाकी परिवार में बालकों के सर्वांगीण विकास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

संयुक्त परिवार में परिवर्तन के अध्ययन एवं निष्कर्ष

संयुक्त परिवार की संरचना और कार्यों में परिवर्तन हुआ है या नहीं? इस पर समाजशास्त्रियों ने अध्ययन करके निष्कर्ष दिए हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और अध्ययन हैं जिनके आधार पर संयुक्त परिवार के परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रकृति और उनकी दिशा और दशा का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।

1. जनगणना रिपोर्ट-गेट ने 1911 की भारतवर्ष की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि संयुक्त परिवारों में विषट्टन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आपका कहना है कि संयुक्त परिवारों की बहुलता केवल उच्च जातियों में ही है तथा जनजातियों और निम्न-जातियों में विचाह के बाद पुरुष अलग पर बना कर रहते हैं। 1911 और 1951 की जनगणना के आँकड़ों से यही निष्कर्ष निकलता है कि छोटे-छोटे परिवारों की संख्या बढ़ रही है। लोगों की प्रवृत्ति अलग धा चासा कर रहने की बढ़ रही है।

2. के.टी. मर्चेन्ट का अध्ययन—इनका अध्ययन “चेन्निंग व्यूज आन मेरेज एण्ड केमिली” है। आपने 1930-32 में 446 स्नातकों का अध्ययन किया था। आपके इस अध्ययन के अनुसार लोग संयुक्त परिवारों में रहना पसन्द करते हैं। स्त्रियों संयुक्त परिवार के विरोध में अधिक पाई गई और पुरुष कम पाए गए। यह अध्ययन पचास साल पुराना है। इसके निष्कर्ष आज के सदर्म में पुन जारी जाने चाहिए।

3. ए.डी. रैस का अध्ययन—इनका अध्ययन “हिन्दू केमिली इन इटम अर्टेन सेटिंग” है। आपने चंगलोर के उच्च एवं मध्यम वर्ग के 157 दी-पुरुषों का अध्ययन किया था। आपने अध्ययन में पाया कि ग्रौद्योगिक काक्क संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रहे हैं।

4. एम.एम. गोरे का अध्ययन—आपका अध्ययन “आबनाइवेशन एण्ड केमिली चेन्नै” है। यह अध्ययन दित्ती और हरियाणा के आस-पास के ग्रामों तथा नगरों के 499 अग्रयात परिवारों

का है। आपने पाया कि लोगों वा झुकाव संयुक्त परिवार के पक्ष में है तथा शिक्षा एवं नगरीय प्रभाव संयुक्त परिवार को बदल रहा है।

5. के.एम. कापड़िया का अध्ययन— आपका अध्ययन “रूल फेमिली पेटर्न : ए स्टडी इन अरबन-रूल रिलेशनशिप” सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, वाल्यूम V, नं 2 (सितम्बर, 1956) है। आपने परिवार के प्रतिमानों का नवासारी कस्बे और 15 गाँवों में तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि कस्बे में ग्रामों की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक हैं तथा इनका आकार भी गाँवों की तुलना में बड़ा है।

6. आई.पी. देसाई का अध्ययन— इनके अध्ययन का शीर्षक “सम आस्पेक्ट्स ऑफ फेमिली इन महुवा” है। आपने सौराष्ट्र के महुवा कस्बे के 423 परिवारों का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में आपने परिवार की संयुक्तता का सम्बन्ध धर्म, जाति, ग्राम, नगर, आय, व्यवसाय तथा शिक्षा के स्तर के साथ देखा। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परिवार की संयुक्तता का धर्म, जाति-भेद, शिक्षा का स्तर और नगरीयकरण के साथ कोई गुण सम्बन्ध नहीं है। व्यापार और कृषि के व्यवसाय और सम्पत्ति परिवार की संयुक्तता का प्रतिशत बढ़ाते हैं। आपने आवास के आधार पर 28 प्रतिशत नाभिक परिवार तथा 72 प्रतिशत संयुक्त परिवार पाए।

7. ची.बी. शाह का अध्ययन— आपका अध्ययन “सोशियल चेन्ज एण्ड कॉलेज स्टूडेण्ट्स ऑफ गुजरात” है। आपने संयुक्त परिवार के प्रति विचार मालूम करने के लिए 200 छात्रों का अध्ययन किया तथा पाया कि 84 प्रतिशत संयुक्त परिवार के प्रति सहमति रखते हैं तथा 16 प्रतिशत विरोध में विचार रखते हैं।

8. ए.एम. शाह का अध्ययन— आपने अपने अध्ययन “बेसिक टर्म्स एण्ड कानसेप्ट्स इन दा स्टडी जॉफ फेमिली इन इण्डिया” में तथ्यों के आधार पर बताया कि संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विशेषता है। के.एम. कापड़िया ने भी इस कथन का समर्थन किया है।

9. योगेन्द्र सिंह का अध्ययन— आपने अपनी कृति “माडनाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन” में गोरे, कापड़िया, आई.पी. देसाई, मुरडाक तथा कर्वे के संयुक्त परिवार की संरचना से सम्बन्धित विचारों, अध्ययनों आदि का विवेचन करने के बाद निम्न निष्कर्ष दिया है— “हालाँकि संयुक्त परिवार की संरचना पूरे भारत में कैली हुई है और संयुक्तता की भावना निरंतर मजबूत है फिर भी इसमें थेट्रीय अन्तर है।”

10. मोरिशन का अध्ययन— मोरिशन ने बादलपुर और तालुका शहर में 85% तथा धूना शहर में 75% नाभिक परिवार पाए। आपके अनुसार भारत के अन्य थेट्रों में भी नाभिक परिवार अधिक हैं।

11. पी.एम. कोलिण्डा का अध्ययन— आपने परिवार के प्रकारों के विवरण का अध्ययन बहीस प्रकाशनों के आधार पर किया है। जो भारतवर्ष के तेरह थेट्रों के परिवार की रचना से सम्बन्धित है। ये विभिन्न थेट्र पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, काशीमीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर और केरल हैं। कोलिण्डा ने इससे सम्बन्धित निम्न सार दिए हैं— गण के मैदानों के ग्रामीण थेट्रों में संयुक्त परिवार अधिक हैं तथा मध्य भारत, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में कम हैं। काशीमीर के ब्राह्मण, गुजरात की उच्च जाति पट्टीदार, उड़ीसा के ब्राह्मण तथा केरल के नायरों में 60 संयुक्त परिवार हैं।

एम.बी. दुबे के विचार— आपका कहना है कि परिवार के प्रकार तथा सरचना में नितर परिवर्तन होते रहते हैं। सरल परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है और फिर सरल परिवार में विस्तृत और फिर विस्तृत परिवार में सरल परिवार का परिवर्तन यूद्ध होता रहता है। पूर्ण तीन पीढ़ी के विस्तृत परिवार बहुत कम हैं तथा अनेक सरल परिवार भी तजनीकी रूप से बहुत समय तक समर्थन नहीं रह पाते हैं। दुबे का उपर्युक्त निष्कर्ष एक वास्तविक तथ्य है। कुछ वर्गों तक परिवार के परिवर्तन की दशा और दिशा यही रहेगी।

प्रसन्न

1. परिवार की परिभाषा दीजिए एवं परिवारों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
2. परिवार किसे कहते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
3. परिवार के संगठन की विशिष्ट विशेषताएँ बताइए।
4. भारत में परिवार के प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए।
5. संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
6. संयुक्त परिवार के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
7. संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए।
8. संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाले मुख्य कारकों की विवेचना कीजिए।
9. संयुक्त परिवार की विशेषताएँ बताइए। क्या आप संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? कारण बताइए।
10. संयुक्त परिवार से सम्बन्धित समाजशास्त्रीय अध्ययनों की समीक्षा कीजिए।
11. संयुक्त परिवार के प्रकार्य (लाभ) पर निवंश लिखिए।
12. संयुक्त परिवार की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
13. संयुक्त परिवार को परिवर्तित करने वाले काकड़, बौन-बौन से हैं? विवेचना कीजिए।
14. 'भारतीय परिस्थितियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं', अपना मत दीजिए।

विस्तृनिष्ठ प्रसन्न

(उत्तर-संकेत सहित)

1. भारत के किन्हीं दो समुदायों के नाम लिखिए जिनमें मातृसत्तात्मक परिवार पाय जाते हैं।
[उत्तर- गारो तथा खारी जनजातियाँ]
2. निम्नलिखित में से सत्य वाक्यों का चयन कीजिए -
 - (i) संयुक्त परिवार की प्रकृति समूहवादी होनी है।
 - (ii) स्त्री शिक्षा ने संयुक्त परिवार को समर्टित किया है।
 - (iii) ग्रामों में संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में नहीं बदल रहे हैं।
 - (iv) औद्योगिकरण और परिवर्चमीकरण संयुक्त परिवार को एकाकी परिवार में बदल रहे हैं।
[उत्तर - (i), (ii)]

3. निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के तीन लक्षणों का चयन कीजिए—

- (i) तीन या तीन से अधिक पीढ़ियाँ, (ii) व्यक्तिवादिता, (iii) सामान्य आवास, (iv) सापूर्हिक सम्पत्ति, (v) एक घरहें का बना भोजन करना, (vi) निजी सम्पत्ति, (vii) साथ-साथ पूजा-पाठ करना।

[उत्तर - (ii), (iii), (iv), (v), (vii)]

4. निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए—

- (i) पुरुष प्रधान परिवार कोपरिवार कहते हैं।
- (ii) संयुक्त परिवार की प्रकृतिहोती है।
- (iii) परम्परागत संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिकहोती है।
- (iv) ग्रामीण समुदायों में नगरीय समुदायों की तुलना मेंपरिवार अधिक होते हैं।

[उत्तर - (i) पितृसत्तात्मक, (ii) समूहवादी, (iii) पीढ़ियाँ, (iv) संयुक्त]

5. निम्न कथन किसका है?

“छोटे कुटुम्ब (एक छत के नीचे रहने वालों) को नाभिक परिवार जैसा समझना चाहिए जिसमें पति, पत्नी और केवल बच्चे हों तथा बड़े कुटुम्ब को संयुक्त परिवार जैसा समझना चाहिए जिसमें तीन या तीन पीढ़ी से अधिक के व्यक्ति साथ-साथ रहते हैं।”

[उत्तर- आई.पी. देसाई]

6. निम्नलिखित में से उन कारकों वाला चयन कीजिए जो संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रहे हैं—

- (i) नगरीकरण, (ii) पश्चिमीकरण, (iii) व्यवसायों की बाहुल्यता, (iv) आधुनिक शिक्षा, (v) कृषि का व्यवसाय, (vi) परम्पराएँ, (vii) व्यापार में वृद्धि।

[उत्तर - (i), (ii), (iii), (iv)]



अध्याय - 6

भारत में जाति-व्यवस्था

(Caste System in India)

जाति का स्वरूप आदिकाल से ही भारत में प्रचलित रहा है क्योंकि वह भारतवर्ष की ही विशेषता मानी जाती है। यद्यपि अन्य देशों में भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है किन्तु यहाँ इसका विस्तृत स्वरूप प्रिलता है। जाति एक ऐसे वर्ग का ग्राम हो सकता है जिसमें जन्म के आधार पर ही एक व्याकुल को दूसरे व्याकुल की तुलना में उच्च अधिवा निम्न मान लिया जाता है। इस प्रकार जाति सामाजिक सरचना का आधार है। भारत में अनेक जातियाँ हैं जिनकी भिन्न-भिन्न जीवन शैली है। हड्डन के अनुसार भारत में 2,993 उपजातियाँ हैं जबकि घुर्ये ने 2,000 उपजातियाँ बताई हैं। जाति क्या है? इसकी क्या विशेषताएँ हैं? स्तरीकरण का आधार किस प्रकार है? आदि प्रश्नों को जानने के लिए जाति की पूर्ण जानकारी अपेक्षित है। इतावती कर्वे ने भी यही माना है कि भारतीय सस्कृति के तत्त्वों को पूर्ण रूप से समझने के लिए जाति का अध्ययन आवश्यक है। अब हम जाति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ आदि की विवेचना करेंगे।

- ✓ जाति का अर्थ एवं परिभाषा— जाति शब्द सस्कृति की "जन्" पातु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ जन्म या उत्पत्ति है। अर्थात् जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही जाति है जिसमें— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र— चार जातियाँ प्रायस्मिक रूप से हिन्दुओं में मानी जाती है।
- ✓ अंग्रेजी भाषा में कास्ट (Caste) का हिन्दी रूपान्तर 'जाति' है जिसको पुर्णगाली भाषा के 'Casta' से व्युत्पन्न माना जा सकता है जहाँ इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जाति की अनेक परिभाषाएँ विद्वानों द्वारा दी गई हैं जिनके आधार पर जाति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

जे.एच. हड्डन के अनुसार, "जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक समाज अनेक आत्म-केन्द्रित एवं एक-दूसरे से पूर्णत पृथक् इकाइयों में विभागित होता है।"

बूल्टे के अनुसार, "जब एक वर्ग पूर्णतया वरानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जा सकता है।"

मद्यमदार तथा धदान के मत में, "जाति एक वन्द कर्ण है।" बेनकर के अनुसार, "जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएँ होती हैं— (1) जाति के सदस्य वही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो और (2) एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।"

ब्लॉण्ट के मत में, “जाति एक अन्तर्विवाही समूह अथवा उनका संकलन है जिनकी सदस्यता आनुवंशिक होती है तथा जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगाता है। इसके सदस्य या तो पारम्परिक व्यवसाय को करते हैं अथवा किसी सामाज्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं।”

उपर्युक्त परीणायाओं में ग्राम सभी विद्वानों ने जाति में जन्म की सदस्यता पर बल दिया है तथा सभी ने धार्मिक विश्वास, खान-पान, संस्कार, कर्मकाण्ड आदि को विशेष महत्व दिया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जाति जन्म से ही व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक स्थिति प्रदान करती है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है तथा इसमें विवाह, व्यवसाय, खान-पान, कर्मकाण्ड, अनुष्ठान आदि पर नियन्त्रण रहता है।

जाति की संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ—एन.के. दत्ता एवं जी.एस. घुर्ये ने जाति की दो प्रकार की विशेषताएँ बताई हैं—(1) संरचनात्मक—जो जाति की संरचना से सम्बन्धित है तथा (2) संस्थात्मक—जो इसके विभिन्न नियंत्रणों को स्पष्ट करती है। ये इस प्रकार है—

1. जाति की संरचनात्मक विशेषताएँ— संरचना के आधार पर जाति की दो विशेषताएँ हैं—

1.1 खण्डनात्मक विभाजन— जाति के आधार पर समाज अनेक खण्डों में विभक्त है और प्रत्येक खण्ड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य जन्म से ही निश्चित हैं। प्रत्येक खण्ड के सदस्य का अपनी जाति के नियमों व पदों के अनुसार कार्य करने का नैतिक दायित्व होता है और जातीय नियमों की अवहेलना करने पर जाति पंचायत की ओर से सामाजिक दण्ड निर्धारित होता है जिसमें जाति से बहिष्कार तक किया जा सकता है।

1.2 संस्तरण— जाति के विभिन्न खण्डों में उच्चता-निम्नता का एक निश्चित सम्तरण होता है जो जन्म के आधार पर होता है जैसे ब्राह्मणों को सर्वोच्च व शूद्रों को निम्नतम् स्थान प्राप्त है। जन्म पर आधारित होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह स्थिर व दृढ़ संस्तरण है।

2. जाति की संस्थात्मक या सांस्कृतिक विशेषताएँ— संस्थात्मक विशेषताएँ विभिन्न नियंत्रणों को स्पष्ट करती हैं। ये निम्नलिखित हैं—

2.1 खान-पान तथा सामाजिक-समागम पर प्रतिबन्ध— जाति-व्यवस्था में सदस्यों के खान-पान व सामाजिक-समागम पर प्रतिबंध रहता है अर्थात् एक जाति के सदस्य अपनी जाति में ही भोजन कर सकते हैं व सामाजिक सर्वान्न स्थापित कर सकते हैं। आज भी ब्राह्मण विशेष रूप से पण्डित वर्ग दूसरी जाति में भोजन नहीं करता, यद्यपि इसमें परिवर्तन भी हुआ है, जैसे फलाहार आदि या पक्का भोजन अन्य जाति में किया जा सकता है लेकिन किसी सीमा तक इन पर प्रतिबन्ध मान्य है। उच्च जाति के सदस्य निम्न जाति के यहाँ न तो सामाजिक-समागम स्थापित करते हैं, न ही भोजन आदि करते हैं।


2.2 व्यवसाय की आनुवंशिक प्रकृति— प्रत्येक जाति का निश्चित व्यवसाय होता है जो उसे वंशानुक्रम से मिलता है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होता है, जैसे- नाई, धोबी, चर्मकार, स्वर्णकार आदि अपना व्यवसाय परम्परागत रूप में करते रहते हैं। यद्यपि अब इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो रहा है, जैसे- कृषि, व्यापार आदि का कार्य सभी जाति के सदस्य कर रहे हैं।

2.3 विवाह से सम्बन्धित प्रतिवन्ध- प्रत्येक जाति के सदम्य अपनी जाति में ही विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यद्यपि यह नियम भी आधुनिक समय में शिथित होता जा रहा है किन्तु सिद्धान्तत जाति या उपजाति के बाहर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर उसे जाति से यहिकृत कर दिया जाता है।

2.4 जातियों की सामाजिक व धार्मिक विशेषताएँ- उच्चता व निम्नता के अनुसार कई ऐसे सामाजिक व धार्मिक विशेषाधिकार हैं जो उच्च जाति को प्राप्त हैं निम्न जाति को नहीं, जैसे आज भी गूढ़ वर्ग को मन्दिर में जाने की अनुमति नहीं है। उसी भाँति अनेक सामाजिक अधिकारों, कुओं, तालाबों आदि सार्वजनिक स्थानों पर जाना मना है। दक्षिण भारत में आज भी अनेक नियोग्यताएँ निम्न जातियों पर आरोपित की गई हैं, जिनके कारण निम्न जातियों में ही व भावना का उदय हो जाता है और प्रत्येक शोषण को वे प्राच्य का फल मानकर सहन कर लेते हैं।

जाति की विशेषताओं को निम्नलिखित चार द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

जाति की विशेषताएँ



जाति की उत्पत्ति

जाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई—इस विषय में भूत वैभिन्न दिखाई पड़ता है। इसका स्वरूप विभिन्नतामय है अत इसकी उत्पत्ति के विषय में अनिचितता है। अनेक विद्वानों ने जाति की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

1. परम्परागत मिदांत- जाति की उत्पत्ति से सम्बन्धित परम्परागत सिद्धान्त का स्वरूप यह, उपनिषद, स्मृति, महाभारत, गीता एव धर्मशास्त्र में स्पष्ट होता है [मिदांत के अनुसार “ग्राहणों का जन्म ब्रह्म के मुपर से, क्षत्रिय बाह से, वैश्य जपा अथवा उदर से तथा शूद पैर से उत्पन्न हुए हैं।”] ग्राहण का कार्य अथवा अप्यापन है जिससे देशों की रक्षा हो सके। बाहु शक्ति की प्रतीक है अत दक्षियों का कार्य अस-शास का प्रयोग करना व जन-धन की रक्षा करना है जिससे राज्य व्यवस्था स्थिर रह सके। जपा अथवा उदर से उत्पन्न होने के कारण वैश्यों का कार्य कृषि, पशुपालन, व्यापार व दान देना है जिससे समाज में घन की समुचित उत्पत्ति व व्यवस्था हो सके। शूदों की उत्पत्ति पौरों से मारी गई है अत शूदों का कार्य उपर्युक्त वर्णित वर्णों की सेवा करना है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में यहिंत है कि जन-वत्याग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों वी पूर्ति के लिए विभिन्न वर्जों की उत्पत्ति हुई है। अत तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था जाति प्रणाली न होकर वर्ज-वात्याग थी।

मनुस्मृति वर्णों की उत्पत्ति के लिए क्रष्णेन के पुरुषमूक को ही स्वीकार करती है। महाभारत के अनुसार उस समय समाज में अनुलोप विवाह (उच्च वर्ण के लड़के का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह) मान्य था और इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतान की उस समय कोई सम्पस्या न थी किन्तु प्रतिलोप विवाह (उच्च वर्ण की लड़की का निम्न वर्ण के लड़के से विवाह) समाज में उस समय अमान्य था- उनको माता-पिता किसी से भी कोई वर्ण नहीं मिल सका अतः ऐसी जातियों को नई जातियों में रखा गया। इस प्रकार वर्ण से माता के आधार पर ही विभिन्न जातियों की उत्पत्ति वर्धित की गई है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, “चारों वर्णों का निर्माण मैंने स्वयं गुण और कर्मों के आधार पर किया है।”

समालोचना- पुरुषमूक के जाति के उत्पत्ति से सम्बन्धित इस सिद्धांत को वैज्ञानिक युग में स्वीकारा नहीं जा सकता है। अनुलोप-प्रतिलोप विवाह की कल्पना भी अमान्य है। यह सिद्धांत वर्ण-व्यवस्था व जाति-व्यवस्था को एक मानकर उसकी उत्पत्ति बताता है। अतः यह सिद्धांत अवैज्ञानिक, अतार्किक व अमान्य है।

2. धार्मिक सिद्धांत—जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति के निम्नलिखित दो धार्मिक सिद्धान्त हैं—

होकार्ट का मत— होकार्ट के मत में सम्पूर्ण जाति व्यवस्था का उद्गम धार्मिक क्रियाओं एवं कर्मकाण्डों से सम्बन्धित है। होकार्ट कर्मकाण्डों से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाओं को प्रवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित करते हैं। आपके अनुसार प्रारम्भ में ही भारत में धर्म का प्रभाव अत्यधिक था, अनेक धार्मिक कृत्यों को करने वाले अनेक समूह थे जैसे पुरोहित यज्ञ-हवन आदि के कार्य करते थे, तथा पुष्पादि लाने का कार्य माली करते थे सामान्य सेवा के लिए कहार आदि थे। होकार्ट ने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि धार्मिक क्रियाओं के आधार पर समाज अनेक समूहों में विभाजित हो गया और फिर उनके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्यों की प्रवित्रता के अनुरूप उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण हुआ जो वंशानुक्रम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तातिरित होने लगा।

सेनार्ट के अनुमार, जाति-व्यवस्था के अंतर्गत भोजन, विवाह व सामाजिक सहवास से सम्बन्धित प्रतिबन्ध जाति की उत्पत्ति के आधार हैं। इनका मानना है कि भारत में आयों के आक्रमण के बाद, प्रजातीय-मिश्रण बढ़ जाने से विशुद्धता का स्तर वर्गों में विभक्त हो गया। एक ओर वे व्यक्ति थे जो अपनी वंश परम्परा के आधार पर विशुद्ध होने का दावा करते थे तो दूसरी ओर कुछ व्यक्ति परम्परागत व्यवसाय को विशुद्धता का आधार मानते थे। सेनार्ट का मत है कि पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति मध्यसे अधिक साठित थे और उन्होंने अपनी नैतिक शक्ति के दबाव से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार धार्मिक प्रवित्रता के अनुसार ही विभिन्न समूहों को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त हुई।

समालोचना— होकार्ट और सेनार्ट जाति-व्यवस्था को केवल धार्मिक आधार पर ही स्पष्ट करते हैं लेकिन यह केवल कर्मकाण्डों से ही सम्बन्धित नहीं है बरूँ सामाजिक-व्यवस्था से भी सम्बन्धित है। होकार्ट के विचारों से सहवास, खान-पान और अन्तर्विवाह सम्बन्धी नियेषों का कोई काण द्वारा नहीं होता। इस प्रकार होकार्ट और सेनार्ट दोनों के मतों के आधार पर धर्म को ही उत्तरदायी घाना गया है जो जाति की उत्पत्ति का एकांगी पक्ष है। अन्य पक्ष भी महत्वपूर्ण हैं जिनकी पूर्ण अवहेलना की गई है।

३. प्रजातीय सिद्धांत- अनेक विद्वान् प्रजातीय मिश्रण को जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। इनमें धुर्यों, रिजले, मजूमदार, एन.ए. दत्ता प्रमुख विचारक हैं।

धुर्यों के अनुसार भारत में आर्य लोग ईसा के करीब २५०० वर्ष पूर्व आए और यहाँ के मूल निवासियों पर विजय प्राप्त करके उन्हें दास या दस्यु कहा तथा स्वयं को धार्मिक पवित्रता व विजय के गर्व के कारण यहाँ के मूल निवासियों से दूर रखा। भारत में आने के पश्चात् आर्य लोगों ने सर्वधैर्यम् यहाँ के अदिवासियों से बने शूद्रों से विवाह करने पर कठोर प्रतिवेप्त लगा दिए और उन्हे धार्मिक पूजा आदि करने की आज्ञा नहीं दी। इस प्रकार जाति व्यवस्था आर्यों के उन प्रथाओं का परिणाम है जिनके द्वारा वे भारत के मूल निवासियों को ब्राह्मण सम्पत्ति के घर्ष तथा सामाजिक समर्पण से अलग रखना चाहते थे। धुर्यों जाति व्यवस्था का प्रारंभिक स्तोत आर्यों और द्रविड़ों की प्रजातीय भिन्नता मानते थे यद्यपि उसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण कारकों को स्वीकार किया गया है।

हबंट रिजले ने प्रजातीय मिश्रण एवं अनुलोद्य विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है। आपके मत में इसका प्रारम्भ आर्यों की उस शाऊ से हुआ जिसने गिलगिट और चिवाल के गास्ते भारत में आकर यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों को परास्त किया था। रिजले का कहना है कि विश्व के इतिहास में जहाँ कहाँ एक जप्तसमूह ने दूसरे जप्तसमूह पर आक्रमण करके उन्हे पराम्भ किया है वहाँ के विजेताओं ने हारे हुए लोगों की तियों को तो पत्नी के हन में स्वीकार कर लिया किन्तु अपने समूह की तियों को हारे हुए लोगों के संपर्क में जाने पर प्रतिवेप्त लगाए हैं। इस प्रकार रक्त की शुद्धता और वर्ग-संकरता के आधार पर विभिन्न समूहों के चीच-डैच-नीच की भावना बन्न लेती रही।

मजूमदार का मानना है कि आर्य जब भारत में आए तो उससे पूर्व हो तीन वर्ग ऐसे थे जो परम्पर विवाह नहीं करते थे। भारत में आने पर द्रविड़ों को उन्होंने नियन्त्रणी में रखा। आर्यों के आगमन के पश्चात् भी समय-समय पर अनेक अन्य प्रजातीय समूह आक्रमणकारी के रूप में आते रहे जिसके परिपासस्वरूप विभिन्न प्रजातीय समूहों के परम्परा सम्बन्धों और सामृद्धिक समर्थों के कारण भारत में अनेक सामाजिक समूह निर्मित हो गए जिन्होंने जातियों का फृप्र प्रदान किया।

समालोचना- प्रजातीय मिश्रण को जाति की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है किन्तु इहने के अनुसार एकमात्र यही कारण नहीं है, अन्य कारक भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, जैसे— खान-पान, खुआगृह से सम्बन्धित नियेष प्रजाति में नहीं है किन्तु इनको जाति में महत्वपूर्ण आपार माना जाता है। अतः वहाँ जा सकता है कि प्रजातिगत आपार ही एक मात्र कारण जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति का नहीं हो सकता।

४. व्यावसायिक सिद्धांत- इस सिद्धांत के जन्मदाता नेमसीन्ड हैं। डालैनैन व ब्लैंट ने भी व्यावसायिक आपार को कारण माना है। नेमसीन्ड के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर विभिन्न जातियों में डैच-नीच का भेदभाव आपारित है। उच्च व्यवसाय करने वाली जातियों को सामाजिक भरनना में डैचा स्थान तथा नियन्त्रण व्यवसाय करने वाली जातियों को नियन्त्रण दिया गया। जिस समूह ने विशेष ज्ञान के आधार पर धर्म से सम्बन्धित कार्य किया वह द्वादश करताएँ। प्रशासन सम्बन्धी कार्य संभालने में लगे रहे समूह उत्प्रिय करताएँ। इनी प्रकार बैरेव और गूर्ह भी व्यवसाय के आधार पर बने। डालैनैन व ब्लैंट के दूसरे भी भारतीय मध्याज्ञ में व्यावसायिक विभाजन के उत्तरान्तर से जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। एक ही व्यवसाय में लगे परिवार सम्मत

हितों के कारण संगठित हो गए और व्यावसायिक संघ बन गए और व्यावसायिक ज्ञान पिता से पुत्र को हस्तांतरित होने लगा। इस प्रकार व्यावसायिक संघों ने जाति-व्यवस्था को जन्म दिया है।

समालोचना— हट्टन इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि व्यावसायिक संघ तो सम्पूर्ण विश्व में बने हैं लेकिन वहाँ इसका आधार जाति नहीं रही। मजूदार का मानना है कि प्रजाति को महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है जिसकी यह सिद्धांत अवहेलना करता है अतः व्यवसाय को जाति की उत्पत्ति का कारण नहीं माना जा सकता।

5. ब्राह्मणों की चतुर युक्ति या राजनीतिक सिद्धांत— धूर्ये और अन्ने दुब्बाय का मानना है कि जाति प्रथा राजनीति एवं ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का परिणाम है। ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए ही जाति प्रथा को जन्म दिया। आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। आर्यों ने जब द्रविड़ों को परास्त किया तब उन्होंने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिये स्वयं को 'द्विज' कहा और यहाँ के मूल निवासियों को 'दास' या 'शूद्र' कहा। बाद में स्वयं को ब्राह्मण कहना प्रारम्भ कर दिया और वैदिक कर्मकाण्डों की पवित्रता को बनाए रखने की इच्छा से अनेक ऐसे नियम बना दिए जिससे शूद्रों के साथ उनका मिश्रण न हो सके। इस प्रकार जाति की उत्पत्ति का श्रेय ब्राह्मणों की चतुरबुद्धि को दिया जा सकता है। आर्य संस्कृति मुख्यतः गंगा के मैदान में पनपी और जाति के मुख्य आधार भी इसी भाग में उदित हुए हैं।

समालोचना— केवल ब्राह्मण वर्ण को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता बल्कि अन्य कारक भी इसके उत्तरदायी हो सकते हैं। यह तो भारत में अति प्राचीन काल से चली आ रही योजना है। बास्तव में जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे केवल एक समूह की संस्कृति के आधार पर नहीं समझा जा सकता है।

6. आदिम संस्कृति या 'माना' का सिद्धांत— इस सिद्धांत के प्रतिपादक हट्टन हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के दीन पक्षो पर विचार किया है— (1) व्यवसाय का आनुवंशिक रूप, (2) विवाह, खान-पान तथा सामाजिक सहवास तथा (3) जातियों में ऊँच-नीच की भावना। हट्टन ने भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति जानने के लिए विभिन्न जातियों में पाए जाने वाले विवाह, खान-पान आदि नियंत्रणों को समझने के लिए 'माना' का सहारा लिया। 'माना' एक अलौकिक रहस्यमयी एवं अवैद्यकिक शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु में भिन्न-भिन्न मात्रा में पाई जाती है। यह वह जीवन शक्ति है जो स्वर्ग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर उसका हित अथवा अहित कर सकती है। अन्य शक्तियों एवं समूहों के 'माना' से बचने के लिए अन्तर्विवाह की प्रथा, सामाजिक सहवास पर रोक, मुआम्हूत, खान-पान आदि पर विवार प्रारम्भ हुए क्योंकि 'माना' में विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श से बचते हैं।

आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव ने ऊँच-नीच के भेदभाव को पनपाया और 'माना' की शक्ति के आधार पर भारत के मूल निवासियों में अनेक नियंत्रण पहले से ही विद्यमान थे। कालातर में भौगोलिक पृथक्करण, खान-पान सम्बन्धी नियंत्रण, 'माना' में विश्वास, विभिन्न प्रजातियों का संघर्ष आदि सभी ने इसमें सहयोग दिया लेकिन जनजातीय समूहों में पाई जाने वाली 'माना' की धारणा और आर्यों का सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव जातीय उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

बार जाति शब्द का प्रयोग मिलता है। जाति का अर्थ वर्ण अथवा वर्णों के उप-समूहों से लगाया जाता था। इस युग में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में बहुत संघर्ष हुआ था। प्रथम बार, उपनिषदों में हिन्दूधर्म के मुह्य तत्वों—कर्म, माया, पुनर्जन्म; आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण विशिष्ट वर्ग बन गए। केवल ब्राह्मणों को ही यज्ञ करने, संस्कार करने तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इनको और भी अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए गए। ब्राह्मणों की हत्या को महापाप कहा गया। ऐसी मान्यता थी कि जो इनकी सम्पत्ति छीनेगा उसका नाश हो जाएगा। धार्मिक कृत्य करने वाले होने के कारण ब्राह्मणों के विशेषाधिकार तथा शक्तियाँ बढ़ती चली गई। क्षत्रियों ने समय-समय पर इनका विरोध किया। बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने विशेषाधिकारों का उपयोग किया तथा वैश्य और शूद्र को इनसे वंचित कर दिया। इससे इनकी स्थिति निम्न हो गई। शूद्रों की स्थिति में अधिक गिरावट आई। शूद्र काले रंग के माने जाते थे। इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। इनको शिक्षा, तपस्या तथा यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। इनका सम्पत्ति रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। शूद्र केवल पैशाच विवाह ही कर सकते थे। शूद्रों को ग्राम के बाहर रखने की व्यवस्था की गई। इनके छू जाने पर द्विज जातियों को स्नान करना आवश्यक हो गया। पवित्रता और अपवित्रता की भावना एवं दुआकूत की पारणा विकसित होने लगी। उच्च जाति के लोग निम्न जातियों में विवाह कर सकते थे। अनुलोप विवाहों का प्रचलन बढ़ा लेकिन प्रतिलोम विवाह (शूद्र जाति का उच्च जाति में विवाह) निषिद्ध था। शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे। जो जिस वर्ण का है वह अपने ही वर्ण का व्यवसाय कर सकता है। दूसरे वर्ण के व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस प्रकार उत्तर-वैदिक काल में जाति के लक्षण-विवाह, व्यवसाय, खान-पान, पवित्रता-अपवित्रता, ऊंच-नीच, दुआकूत आदि परन्परे। जाति प्रथा इस काल में ग्राम्यिक अवस्था में देखी जा सकती है।

3. धर्मशास्त्र काल—पुर्ये ने अपनी पुस्तक “जाति, वर्ण और व्यवसाय” में लिखा है, “‘तीसरा काल धर्म-शास्त्र काल कहा जा सकता है जिसका अन्त ईसा की 10 वीं 11 वीं शताब्दी में होता है।’ पुर्ये के अनुसार धर्मशास्त्र काल ईसा की तीसरी शताब्दी से षाठीवीं शताब्दी तक मान सकते हैं। इस काल में अनेक सहिताएँ और स्मृतियाँ—याज्ञवल्य संहिता, विष्णु संहिता, पाराशार संहिता, नाट श्युति आदि की रचना हुई थी। इन रचनाओं में सभी वर्णों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि कर्तव्यों तथा अधिकारों को निश्चित किया गया है। पुर्ये का निष्कर्ष है कि जो कुछ उत्तर-वैदिक काल में जाति के लक्षण स्पष्ट हुए थे उन्हें इन धर्मशास्त्रों ने स्थायित्व प्रदान किया। इस काल में ब्राह्मणों को दान देने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर जोर दिया गया। इन सिद्धान्तों ने समाज में ब्राह्मणों की स्थिति ऊंची की जिससे जाति-प्रथा भी अधिक कठोर हो गई।

समाजशास्त्रियों ने इस काल के साहित्य का अध्ययन और विश्लेषण करके स्पष्ट किया है कि इस काल में अनेक विधान ऐसे बने हैं जो जाति प्रथा के बन्धनों को कार्यान्वित करने में प्रभावशाली रहे। इन विद्वानों ने उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जाति के लक्षण इस काल में अधिक कठोर रूप में देखे जा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को उच्चतम श्रेणी में स्थापित करने की वकालत की गई है। विष्णु ने इन्हें भगवान् और मानव के बीच की कड़ी बताया है तो मनु ने ब्राह्मणों को सृष्टि का सप्तांश कहा है। ‘सभी वर्णों को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए’ का उल्लेख मिलता है। इस काल में लोगों को अपने जातिगत व्यवसायों को करने का नियम था। फिर भी अन्य जातियों के व्यवसाय भी चुने जाने थे। वर्णों में विवाह का नियम थोड़ा कड़ा हो गया था। सभी वर्ण आपस में विवाह कर सकते थे। परन्तु शूद्र श्री को धार्मिक अधिकार नहीं थे। अन्तर्वर्ण विवाहों के कारण जातियों की

संस्कृता में बढ़ि हुई। एक ओर द्राहणों को भवित्वेत्तु तथा उन्नतम वर्ण का बताया गया है वहाँ पर शूद्र वर्ण को निम्नतम स्थापित किया गया है। शूद्रों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए गए, तथा इनकी स्थिति और निम्न हो गई। स्मृतिकारों ने जैन और बौद्ध धर्मों के कारण शूद्रों के प्रति धोड़ी उदारता अवश्य दिखाई दी। इस काल में जाति से सम्बन्धित नियम तथा विधान अधिकृतम बने थे।

गुप्तकाल में जातियों में भिन्नता स्तर हो गई थी। विवाह, धार्मिक कृत्यों, खान-पान आदि अन्तर्जातीय सम्बन्धों को नियंत्रित और सचालित करने लगे थे। जाति के नियमों को तोड़ने वालों को जाति से निकाल दिया जाता था। स्थियों की स्थिति में गिरावट आना प्रामाण हो गया था। नियाँ पुलायों से निम्न मासी जाने लगी। स्थियों को सम्पत्ति के अधिकार से बंचित कर दिया गया। विष्वाविवाह विवाह नियिद्वयों द्वारा दिया गया तथा सती-प्रथा का प्रवलन प्रामाण हो गया था। प्रस्थिति अर्जित से प्रदत्त तथा जन्म पर आधारित हो गई थी। भारत एक बन्द व्यवस्था याता समाज बन गया था। जाति जन्म के द्वारा निश्चित होने लागी तथा विवाह और सामाजिक सम्बन्धों पर अनेक प्रतिबन्ध लादे गए। इतना सब कुछ होते हुए भी नियमों में गतिशीलता तथा रियलिटा के उदाहरण देते होंगे।

(4) मध्यकाल—यह काल 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। हिन्दू समाज पर मुसलमानों के प्रभाव के कारण जाति-प्रथा के क्षम्यवद्वारा कठोर हो गए थे। क्षत्रियों ने अपनी राजनीतिक तथा शासकीय सत्ता खो दी थी। ब्राह्मण मन्दिरों का संचालन करते थे। धार्मिक उत्सव करते थे, अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य करते थे। अनेक प्रकार से हिन्दू समाज की सेवा करते थे तथा वैदिक कानूनों को लागू करते थे। क्षत्रिय जमीदार थे। अपने हितों, पटों और सम्मान के लिए विदेशियों से युद्ध करते थे। वैराय व्यापार, सेन-देन, और दमतकारी के व्यवसाय से सलग थे। ये लोग सम्पन्न थे। शूद्र सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण पहिले जैसे थे। व्युवसाय, धैशीय भिन्नताओं और विवादों के कारण अनेक जातियाँ, उप-जातियाँ और उप-जातियाँ बन गईं। जाति प्रथा ने किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था को कभी भी उपरोक्त दिया था। समय-समय पर जाति प्रथा ने आवश्यकतामुक्त अपने विधानों तथा नियमों में संशोधन कर के प्रतिस्थितियों से समायोजन भी किया था। इस काल में जाति व्यवस्था के नियम बहुत सुट्ट और कठोर हो गए थे।

5. ब्रिटिश काल—भारत में यह काल ब्रितानिया राज की स्थापना से प्रारम्भ होता है तथा सन् 1947 में गणपति होता है। प्रारम्भ में ब्रितानिया सरकार ने जाति-प्रथा को अनेक प्रकार से समर्थन दिया। इस काल में ब्राह्मणवाद बहुत प्रभावशाली हो गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुसलमानों से राजनीतिक सत्ता छीनी थी। इसलिए वह इंद्रियों का समर्थन चाहते हैं। कारण जाति व्यवस्था के प्रतिबन्धों जूँ ऐड़ना नहीं चाहती थी। वह देश के प्रमुख—‘ब्राह्मणों’ का विश्वास प्राप्त करना चाहती थी। ब्रितानिया सरकार ने आमदनी में दिलचस्पी दिखाई। उसने न्यायपूर्ण शासन तथा नीतियों के बोई सचि नहीं ली। जाति प्रथा के प्रतीक एवं नेत्र फन्दिर थे जहाँ से सरकार को आय भी होती थी। इस प्रकार जाति को विदेशी सरकार का समर्थन मिला और ब्राह्मणों का धार्मिक एवं सामाजिक प्रभुत्व प्राप्त बना रहा। न्यायालीयों और वर्कीजों को ब्राह्मणवादी नियम की जानकारी देने के लिए वोन हेस्टिंग्स ने ब्राह्मण विद्वानों की सहायता से संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर नियमों की एक संहिता तैयार कराई। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी कराया गया। इससे जाति प्रथा को स्थृत आर्थिक और राजनीतिक महत्व मिला।

नमदिवर प्रसाद के अनुसार ब्रिटिश शासन काल में सम्पूर्ण देश में जाति-व्यवस्था की जड़ जम गई थी। आपने एक स्थान पर लिखा है, “वस्तुत समय पाकर ब्राह्मण धर्म पुन इतना प्रबल हो गया कि ब्राह्मण विधान को स्वीकार किए बिना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना असंभव था।” जितने भी सुधार आन्दोलन चले, वे सब अलग जातियों बन गई। अग्रेज अपने साथ नया विज्ञान और नए धर्म और नई उत्पादन प्रणाली लाए। भारत में अनेक धर्म सुधार चले। इनमें प्रमुख ब्रह्मसमाज और आर्य-समाज है। ब्रह्म-समाज सभी प्रकार के जाति भेद तथा प्रतिबन्धों का विरोध करता है। ब्रह्म-समाज ने हिन्दू समाज को अन्यविश्वासी और जाति भेद से बाहर निकालना चाहा। यह आन्दोलन शहर के पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित रहा। आर्य-समाज वेद को स्वीकार करता है। यह मंत्रों को स्वीकार करता है लेकिन कर्मकाण्ड और स्मृति तथा पुराणों की महिमा नहीं मानता। इसका उत्तर भारत में अच्छा प्रभाव पड़ा। यह हिन्दू धर्म को सुधारना चाहता था। रामकृष्ण-आन्दोलन रामकृष्ण के बच्चों पर आधारित है। यह सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जाति-व्यवस्था को स्वीकार भी करते थे और अस्वीकार भी। रानाडे, गोखले, तिलक और गाँधी समाज सुधारकों ने जाति को समाप्त करने का प्रयास किया। रानाडे का मत था कि राजनीतिक आन्दोलन से पहिले समाज-सुधार किया जाना चाहिए जबकि गोखले और तिलक का मत था कि पहिले विदेशी शासन को हटाना चाहिए फिर समाज-सुधार। गाँधीजी ने इन दोनों मतों में समन्वय स्थापित किया। स्वतंत्रता आन्दोलन में जाति का प्रभाव कम था। सब जातियों ने मिलकर विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। सुधार आन्दोलन के कारण जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन हुए हैं।

अनेक नवीन कारकों और आन्दोलनों का प्रभाव जाति प्रथा पर पड़ा। संचार और यातायात के साधन, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि ने व्यवसायों के विकल्प प्रदान किए। इससे जातिगत व्यवसायों के प्रतिबन्ध शिथिल पड़े। लोग जातियों के अपने वंशगत व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय ग्रहण करने लगे। नगरों में अधिक परिवर्तन आए। अन्तर्जातीय विवाह फिर होने लगे। अग्रेजी शासन काल में जाति पचायत के कानूनी उत्तराधित्व को समाप्त किया गया था तथा विवाह, तलाक, न्याय सम्बन्धी कार्य न्यायालय को दे दिए गए। पश्चिमी-रिश्ता, व्यक्तिवाद, उदारता के मूल्यों ने भारत में व्यक्तिवाद तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का प्रसार किया। ब्रिटिश काल के अन्त में जाति प्रथा को अनेक कारकों ने प्रभावित किया तथा जाति के व्यवसाय, खान-पान, विवाह आदि के कारकों में बदलाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी।

6. स्वातन्त्र्योत्तर काल (सन् 1947 के बाद)– भारत सन् 1947 में स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। इस दिन गणराज्य संविधान सारे भारत में लागू हो गया। कानून के आधार पर जातीय भेदभाव समाप्त कर दिए गए। निम्न जातियों तथा अन्य सिलड़े बगों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आदि संरक्षण प्रदान करने के अनेक प्रावधान घोषित किए गए। असुश्रुता को कानून अप्राप्य घोषित कर दिया गया। प्रदल प्रस्थिति को अन्तिम प्रस्थिति में बदल दिया गया। जुझमानी प्रथा समाप्त होने लगी। निम्न जातियां मास्कुलिकरण के द्वारा ऊपर उठने लगी। सभी जातियों के सदस्यों को गतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक संवैधानिक कार्य किए गए हैं। एक-विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह, तलाक, विपवा-पुनर्विवाह आदि के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। ये अधिनियम जाति प्रथा के बग्गों के विरुद्ध हैं। इससे जाति-प्रथा वर्ग-व्यवस्था में बदलने सकती है। नगरों तथा महानगरों में जाति के सम्बन्ध में अधिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

जाति : एक विचारधारा

जाति व्यवस्था को विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से समझने तथा समझाने का प्रयास किया है। एम.एन. श्रीनिवास, मौकम भैरविट, तुइ छूपा, आद्रे चितार्इ आदि ने इसे एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों की मान्यता है कि हमें जाति व्यवस्था की वैचारिक-सांस्कृतिक विशेषताओं तथा आधारों की विवेचना करनी चाहिए। इनका कहना है कि जाति-प्रया एक विचारधारा है। यह एक ऐसी संस्तरण की व्यवस्था है जिसका स्वयं का एक दर्शन है। यहाँ हम जाति व्यवस्था की विचारधारा या सिद्धान्त का विवेचन करेंगे।

छूपा की मान्यता है कि जाति व्यवस्था को आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। आगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है तो हमें इसका आधार वैचारिक-सांस्कृतिक लेना होगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक निबन्ध में सुर्खीत सिंह ने लिखा है कि जाति-व्यवस्था के अध्ययन में 'पवित्रता-अपवित्रता' पर आधारित सोपान की 'अवधारणा' पर विशेष जोर दिया गया है। छूपा लिखते हैं कि जाति-व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु को पवित्र और अपवित्र के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसे छूपा ने 'द्विचर-प्रतिकूलता' कहा है। आप जाति के स्तरीकरण में पवित्रता और अपवित्रता के विचार को प्रमुख मानते हैं। इन्होंने लिखा है कि जाति-व्यवस्था सर्वग्रथम विचारों और मूल्यों की व्यवस्था है। यह औपचारिक, विस्तृत, विवेकपूर्ण एवं बोन्दिक रूप में एक व्यवस्था है। पवित्रता ही अपवित्रता को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है। पवित्रता उच्च, सर्वश्रेष्ठ, पार्थिक एवं पावन है। अपवित्रता निम्न, निष्कृत सापारण और अपावन है। ये दोनों मूल्य पवित्र-अपवित्र सापेक्ष हैं। छूपा की मान्यता है कि जाति व्यवस्था में जातियों के पद सोपान को पवित्र-अपवित्र के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। सर्वाधिक पवित्र होने के कारण ब्राह्मण जाति उच्चतम है तथा सर्वाधिक अपवित्र होने के कारण अमूर्य जातियाँ निम्नतम हैं। जाति प्रया में विद्यमान सदस्यता, विवाह, व्यवसाय, खान-पान आदि प्रतिबन्ध भी युआ-दूत के नियम पर आधारित हैं। ब्राह्मणों का कार्य पूजा-पाठ, प्रार्थना-अर्चना, पार्थिक अनुष्ठान करना आदि होने के कारण उनका स्थान उच्च है तथा निम्नतम जातियों का कार्य माफ-सफाई करना, कूड़ा करकट उठाना, घमडे का काम करना, मरे पशुओं को हटाना, उनका चर्म निकालना आदि होने के कारण वह अपवित्र है तथा पद-सोपान में निम्नतम स्तर पर है।

आद्रे चिनार्इ ने भी जातियों के संस्तरण की व्याख्या पवित्रता और अपवित्रता के सदर्भ में की है। आपका कहना है, "यह कहा गया है कि पवित्रता का सिद्धान्त भारतीय समाज के मूल्यों का और सम्नारण को समझने में चाही का कार्य करता है। वस्तुओं, जीवों, पटनाओं, स्थान, दगाओं, क्रियाओं, व्यक्तियों, तथा समूहों में पवित्रता तथा अपवित्रता की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है और इसी भिन्नता के आधार पर उनमें संस्तरण पनपता है।" हिन्दू समाज में पवित्रता तथा अपवित्रता का उच्चता और निम्नता के साथ सीधा सम्बन्ध है। जो जितना अधिक पवित्र है वह समाज में उतना ही उच्च है तथा जो जितना अपवित्र है समाज में उसका स्थान उतना ही निम्न है।

जाति प्रया भारत के सदर्भ में दो न्तरों पर कार्य करती है। त्रिष्णु न्तर पर विभिन्न जातियों पर स्वरूप-एक-द्वारा भिन्न परन्तु सम्बन्धित है। यह सम्बन्ध पवित्रता के गुण पर आधारित है। जाति-विचार और मूल्य पर आधारित व्यवस्था है। इसी गुण के कारण जाति वृद्धि न्तर पर भारतीय समाज को स्थिर रख सकती है। लेकिन समाज के अन्दर परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जाति एक रिन-ग्रूप भी है। एक जाति के सदर्भ विभिन्न दोनों में असमिति दितों को सम्बन्धित पाने हैं। इसी विचारधारा ने

जातिवाद को बदावा दिया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाति नाम के अनेक समूह हैं। उनकी संस्कृति, भाषा, सीति-रिवाज, खान-पान आदि भिन्न हैं। फिर भी वे अपने को एक पूर्वज की संताने मानते हैं। उनमें अन्य जातियों की तुलना में अधिक सहयोग एवं एकता की भावना पाई जाती है। ब्राह्मण और शक्तियों में विवाह का निरोध अधिक होता है परन्तु एक क्षेत्र के अंत विवाही ब्राह्मण जातियों में विवाह का विरोध कम होता है। अन्ततः यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति प्रथा एक विचारधारा है वह धार्मिक उच्चता-निमत्ता भूल्यों, पवित्रता-अपवित्रता, पाप-पुण्य, कर्म, छुआङ्गूह, आदि पर आधारित है।

जाति के कार्य

हट्टन ने जाति के अनेक कार्यों का वर्णन किया है जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है— (1) व्यक्तिगत जीवन में कार्य, (2) सामाजिक जीवन में कार्य। इन्हें इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है—

1. व्यक्तिगत जीवन में कार्य— इसके अन्तर्गत वे कार्य सम्मिलित हैं जो वैयक्तिक स्तर पर व्यक्ति के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इनमें निम्नलिखित कार्य हैं—

1.1. मानसिक सुरक्षा— जाति के कारण सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में आश्वस्त रहता है कि उसे क्या-क्या धार्मिक कार्य करने हैं? किस समूह में विवाह करना है? किसके साथ सम्बन्ध स्थापित करने हैं? आदि-आदि। इस आश्वस्ति से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। यहाँ तक कि परिवार से सम्बन्धित अनेक नियमों की निश्चितता के कारण वैयक्तिक जीवन शान्तिपूर्ण बना रहता है, क्योंकि जन्म से ही उन्हें स्थिर पर्यावरण प्राप्त होता है।

1.2. सामाजिक सुरक्षा— जाति-प्रथा अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जैसे कभी किसी प्रकार की विपत्ति आमे पर जाति के सदस्य सदैव उसकी सहायता को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार जाति अपने सदस्यों की आकस्मिक विपत्तियों के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही सदस्यों की सामाजिक स्थिति को भी निश्चित करती है। इसी कार्य के आधार पर किंस्ते देविस का मानना था कि, “प्रदत्त पदों की व्यवस्था व्यक्ति में सुरक्षा की वह भावना उत्पन्न करती है जो अर्जित पदों की स्थिति में किसी प्रकार सम्भव नहीं है।”

1.3. व्यवसाय का निर्धारण— व्यवसाय जाति द्वारा निश्चित होते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी दस्तान्तरित भी होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय में निपुणता विकसित होती रहती है। इससे प्रत्येक सदस्य को व्यावसायिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है—मोर्ची, धोबी, कुम्भकार, चर्मकार, स्वर्णकार आदि आर्थिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं।

1.4. व्यवहारों पर नियन्त्रण— जाति द्वारा स्थापित प्रतिबन्ध इतने प्रभावशाली होते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार म्यव्यमेव इनसे नियन्त्रित हो जाते हैं जो बाद में जाति की प्रथा, रूढ़ि आदि का रूप ले लेते हैं। आत्म-नियन्त्रण के क्षेत्र में इसका योगदान इसी कारण प्रभावपूर्ण है।

2. सामाजिक जीवन में कार्य— वैयक्तिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—

2.1 सामाजिक एकता व संरक्षण— जाति-व्यवस्था के कारण ही हिन्दू समाज में एकता व सुरक्षा विद्यमान है। भारत में अनेक प्रजातियाँ व जातियाँ रही हैं लेकिन अनेक जातियों के होते हुए

भी जाति समाज के एकता के सूत्र में बोधने का कार्य करती है, जैसे—हिन्दू धर्म पर मुमलमानों व इंसाइयों द्वारा बाहर से आक्रमण किए गए स्तंखिन हिन्दू समाज की स्थिति उसी रूप में निश्चल रही—इसी से इमंकी प्रशंसनाअनेक विद्वानों ने मुश्केल से की है। गिलबर्ट ने कहा है कि भारतवर्ष की जाति प्रथा योग्य की राष्ट्रीयता के ममान है। हट्टन का भी यही मत है कि जाति-व्यवस्था भारतीय समाज को संर्गान्ति करने का कार्य करती है।

2.2 श्रम-विभाजन— जाति के आधार पर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ग्रेम व निश्चा की भावना रखता है। शुद्ध भी अपने कर्म को पहचानने मानते हैं और अपने उत्तरदायिनों को निभाने हुए आगामी पीढ़ी को उस रूप में तैयार करते हैं। इससे श्रम का विभाजन स्वतं ही हो जाता है और व्यक्तियों में तनाव, कुष्ठा या संघर्ष की स्थिति नहीं आ पाती। इन तरह जाति व्यवस्था 'कर्म' के मिदान्त पर आधारित है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी जाति द्वारा प्रदत्त कार्यों को करके मनोंप्राप्त कर लेते हैं और निश्चा के साथ अपने कर्तव्यों को मम्पत्र करते हैं।

2.3. संस्कृति का हम्मान्तरण— जाति के द्वारा भारतीय संस्कृति की बाह्य प्रभाव से रुदा की गई है। संस्कृति धार्मिक जीवन से सम्बन्धित होती है। जाति-व्यवस्था ने धर्म के परिवर्तन स्वप के साथ बराबर अनुकूलन किया जिसके पारिणामस्वरूप संस्कृति का पहचान बना गया। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के लम्बे जासून के उपरान्त भी भारतीय संस्कृति स्थिर ही रुदा अपनी संस्कृतिक विषयसत् को आगे भी पीढ़ी को हम्मान्तरित करनी गई। पारिणामन संस्कृति स्थापितव्य प्राप्त कर सकी।

2.4. राजनीतिक स्थिरता— जाति प्रथा ने भारतीय समाज की राजनीति को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, यदि आज जाति-प्रथा न होती तो भारतवर्ष ईमाई-धर्मावलम्बी ब्रिटिश राज्य का अग बन गया होता क्योंकि ईगाइयों ने हिन्दू धर्म पर बाहर से आक्रमण किया किन्तु जाति प्रथा ने बड़ों प्रतिवन्दी के कारण राजनीतिक जीवन को सुरक्षित रखा।

2.5. रक्त की विशुद्धता— जाति प्रथा ने अन्तर्विवाह की नीति को महन्त्य दिया है तथा बहिर्गत के साथ विवाह पर प्रतिवन्ध लगाया है जिसके कल्पवन्धपर रक्त की पवित्रता बनी गई है क्योंकि अन्तर्विवाह के कारण एक जाति की मन्त्रानों पे अपने पूर्णों का शुद्ध रक्त पाया जाता है।

2.6. मनो-बनात्मक कार्य— जाति व्यवस्था में परिवार के स्वरूप पर ही स्वव्यं मनोंजन की व्यवस्था की जाती है जिससे सदृश्य अपनी जाति तक ही सीमित रहता है वही उमड़ी महसूसी मत्त्या है जो सभी स्तरों पर उमड़ी महसूसना करती है।

इन प्रकार जाति के अनेक कार्य हैं जो समाज की दृष्टि से व्यक्ति की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। इसे सामाजिक स्वरूप में निम्नलिखित चार्ट द्वारा समृष्ट किया जा सकता है।

जाति के कार्य

व्यक्तिगत जीवन में कार्य		मानविक जीवन में कार्य			
मानविक सुधा	मानविक सुधा	व्यवसाय का व्यवहार पर			
मानविक एकत्र व समाज	श्रम	संस्कृति का हम्मान्तरण	राजनीतिक नियन्ता	रक्त की विशुद्धता	मनो-बनात्मक कार्य
विभाजन	विभाजन	हम्मान्तरण	नियन्ता	विशुद्धता	कार्य

जाति प्रथा से हानियाँ (दोष)

जहाँ एक ओर जाति प्रथा ने व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वहाँ इस प्रथा से कुछ हानियाँ भी समाज को हुई हैं। जाति प्रथा की हानियों के वर्णन अनेक समाजशास्त्रियों ने किए हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. गतिशीलता में बाधक— जाति व्यवस्था में व्यक्ति को सदस्यता जन्म (प्रदत्त) के आधार पर मिलती है। जो जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यन्त उसी का सदस्य बन कर रह जाता है। इसलिए व्यक्ति अपने गुण, शिक्षा, मेहनत के द्वारा स्थिति सुधार नहीं सकता है। वह कितना ही गुणवान, ईमानदार, कर्तव्यपरायण हो लेकिन निम्न जाति से उच्च जाति या वर्ग में सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति, समूह तथा समाज की गतिशीलता में एक हानिकारक बाधा है।

2. कार्यकुशलता में बाधक— जब जाति-प्रथा में व्यक्ति को जन्म के आधार पर उच्च जाति या निम्न जाति की अपीरिवर्तीय तथा स्थाई सदस्यता मिल जाती है तो वह अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि करने का प्रयास नहीं करता है। उच्च जाति का सदस्य तो इसलिए प्रयास नहीं करता है क्योंकि उसे निम्न जाति में जाने का ढार नहीं है तथा निम्न जाति का इसलिए निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि वह उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार जाति प्रथा श्रमिकों, व्यक्तियों तथा समाज के विभिन्न सदस्यों की कार्यकुशलता में बाधा बन जाती है।

3. समाज की प्रगति में बाधक— समाज तभी प्रगति करता है जब उसके सभी सदस्यों को समान रूप से विकास करने, शिक्षा प्राप्त करने, नवीन आविष्कारों को अपनाने तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति जन्म से ही कदम-कदम पर परम्पराओं, रूढ़ियों, धर्म तथा अन्य अनेक प्रतिवन्धों से जकड़ा रहता है। उसे किसी प्रकार की छूट नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति तथा समाज जाति के बन्धनों में बैधे रहने के कारण प्रगतिशील परिवर्तन नहीं कर पाता है। पाप-पुण्य, कर्म, पवित्रता-अपवित्रता आदि प्रतिवन्धों के कारण जाति पर आधारित समाज विकास नहीं कर पाता है। यही कारण है कि भारत ग्राम-विकास के क्रम में पिछड़ रहा है।

4. आर्थिक विकास में बाधक— किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि उस समाज के सभी व्यक्तियों को उच्च शिक्षा, व्यवसायों को चुनने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष नियुक्तियाँ तथा योग्य व्यक्तियों का चयन, सामाजिक तथा क्षेत्रीय गतिशीलता आदि की स्वतंत्रता एवं अधिकार हो। लेकिन जाति प्रथा में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। जन्म के आधार पर व्यक्ति का व्यवसाय निश्चित हो जाता है। व्यक्ति को बंगानुगत व्यवसाय ही अपनाना पड़ता है। ग्रामवासी अपने ग्राम और उसे ऐसे इन्ते जुड़े होते हैं कि ग्राम छोड़ना तथा छोड़ना पाप समझते हैं। इन जातिगत मान्यताओं, प्रतिवन्धों तथा रूढ़ियों के कारण भारत में उद्योगों, कल-कारखानों, मिलों आदि में कुशल श्रमिक नहीं मिलते हैं। उच्च जाति के सदस्य निम्न स्तर का काम करना पसंद नहीं करते हैं और निम्न जाति के सदस्यों को उच्च स्तर के व्यवसाय करने का अवसर नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका शिक्षा का स्तर उस स्तर का नहीं होता है। पदों के चयन में भाई-भतीजावाद होने के कारण अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ होने के कारण कार्यकुशलता तथा आर्थिक विकास में बाधा पड़ जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा के विभिन्न वन्धन तथा लक्षण आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से बाधा उत्पन्न करते रहे हैं।

8. स्थियों की निम्न स्थिति— जाति प्रथा ने समय-समय पर स्थियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा कर इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थिति को निम्नतम बना दिया है। रमी-शिक्षा पर रोक, बाल-विवाह, विधवा पुनर्विवाह नियेध, व्यवसाय पर प्रतिबन्ध, घर की चारदीवारी में बन्द जीवनयापन आदि के कारण जाति प्रथा ने स्थियों का जीवन नरकमय बना रखा है। समाज का लगभग आधा भाग इस जाति प्रथा के कारण निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करने के लिए गाध्य है।

9. विवाह की समस्याएँ— हिन्दू समाज में विवाह की अनेक समस्याएँ, जैसे—बाल-विवाह, बेमेल विवाह, दहेज, विधवा विवाह नियेध, कुलीन विवाह आदि के कारण जाति-व्यवस्था तथा उसके नियम हैं। इसने सदस्यता, व्यवसाय और विवाहों पर प्रतिबन्ध लगाकर विवाह की समस्याओं को जन्म दिया है। अन्त जातीय विवाह के कारण समाज में विवाह की समस्याओं का उग्र रूप बना है।

10. धर्म-परिवर्तन— जाति-प्रथा के दोषों के कारण अनेक जाति के सदस्यों—विशेष रूप से अस्फूर्य जाति के लोगों ने ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाया है। जाति के प्रतिबन्धों—शोषण, निर्याण्यता से दुखी होकर अनेक लोगों ने दूसरे धर्म अपनाए हैं। धर्म-परिवर्तन के बाद शोषित जातियों के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो जाता है। इस प्रकार जाति प्रथा ने निम्न जाति के लोगों को धर्म-परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया है। धर्म-परिवर्तन की प्रक्रिया का मूल कारण जाति है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आज जाति-प्रथा में सुधार लाने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि या तो जाति प्रथा को समाप्त किया जाए अथवा इसमें आमूल्यवूल परिवर्तन किया जाए।

जाति-व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक

जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं जिन्होंने जाति के पाप्यरागत स्वरूप को विघटित किया है। ये कारक निम्नलिखित हैं—

1. औद्योगीकरण— ज्यों-ज्यों उद्योग-धन्यों में बढ़ि होती गई, कल-कालानों का अद्विकार हुआ, अनेक लोगों को नगरों में आकर रहना पड़ा क्योंकि अधिकाधिक समय कल-कालानों में कार्य करते समय लग जाता है। जब एक स्थान पर अनेक लोगों को रहना पड़ता है तो स्वाभाविक है कि उनका रहन-सहन, खान-पान साथ-साथ हो चाहे वे व्यक्ति किसी जाति के हो। औद्योगीकरण व नारीकरण के प्रभाव ने व्यक्ति की योग्यता व तकनीकी जानकारी को प्राथमिकता दी है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो। इससे कुशल व्यक्ति को कार्य मिला, इससे उसकी सामाजिक स्थिति में उत्तरि हुई। इस प्रकार साथ-साथ कार्य करने, भोजन करने, यात्रा करने तथा पाप्यरागत पेशों को त्यागकर किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण लेने के कारण व्यक्ति जाति के प्रभाव से आगे बढ़ गया है। इस तरह औद्योगीकरण के प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था परिवर्तित हुई है।

2. शिक्षा का बढ़ता प्रभाव— यैदिक काल में शिक्षा किसी विशेष (उच्च या ग्राम्य) जाति तक सीमित थी तथा उसका स्वरूप भी धार्मिक ज्यादा था, शेष जातियाँ अपने पाप्यरागत व्यवसायों को करती थीं। आधुनिक समय में शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो गई। विज्ञान के प्रभाव ने उसे और तार्किक बना दिया अत भारत जैसे धर्मनिषेद्ध राज्य

में अनेक शिक्षण संस्थाएं खुलीं जिनमें सभी बालकों को शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है। इसके प्रभाव ने प्राचीन रुद्धियों, परम्पराओं, धार्मिक संकीर्णता से व्यक्ति में वैज्ञानिक, तार्किक दृष्टिकोण विकसित किया है इसमें वह जातीय विद्यन को शिखिल करता जा रहा है। शिक्षा जाति में परिवर्तन का बड़ा सशक्त कारक है।

3. पारचाल्य सम्भवता का प्रभाव— पारचाल्य सम्भवता के प्रभाव के कारण जाति-व्यवस्था अनेक रूपों में परिवर्तित हुई है। भौतिक्वाद, व्यक्तिक्वाद पारचाल्य सम्भवता की देन है जिसमें धन का महत्व बढ़ा है इसी से आज जाति का महत्व कम हो गया है। जिसके पास धन-ममता, आधुनिकताव पारचाल्यता के सभी सुख-माध्यन हैं उस व्यक्ति का समाज आदर करता है। इस तरह भौतिक्वाद ने जाति के महत्व को कम कर दिया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा है जिसने दूसरी जाति में विवाह को प्रोत्साहन दिया है, साथ ही दूसरी जाति में खान-पान, रहन-मृत्यु भी अब प्रचलित हो गया है जिसने जाति व्यवस्था को परिवर्तित किया है।

4. धन का बढ़ता प्रभाव— प्राचीन समय में अलग-अलग जातियों के अलग-अलग व्यवसाय थे वे परस्पर एक-दूसरे की सेवा करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। आधुनिक समय में प्राचीन विनियय प्रणाली में परिवर्तन हो गया, परिणामस्वरूप धन का महत्व बढ़ गया। समाज में धनी व्यक्ति का सम्मान बढ़ा जिसमें धन कमाने के अवसर छोड़े जाने लगे। अत जिन व्यक्तियों को निम्न जाति का समझा जाता था आधुनिक समय में धन की अधिकता ने उन्हें भी सम्माननीय व्यक्ति बना दिया। व्यक्ति का मूल्यांकन धन-ममता के आधार पर होने लगा। इस तरह धन के प्रभाव ने जाति व्यवस्था को शिखिल कर दिया।

5. यातायात एवं संचार के साधनों का प्रभाव— बढ़ते संचार व यातायात के साधनों के परिणाम-स्वरूप आज गतिशीलता बढ़ी है, अनेक कारखानों, उद्योगों की उत्तरित हुई है, विभिन्न जातियों, धर्मों के लोगों के इधर-उधर जाने-आने से परस्पर समर्क, विवार-विनियय आदि के अवसर बढ़े हैं। इससे समाजना की भावना वा प्रारुद्धता हुआ है, जैसे— यात्रा के दोरान सभी समान रूप से मात्र यात्री होते हैं इसी से वे विकट बैठते हैं, खाने-पाने हैं। इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप जातीयता की भावना कम हुई है। आज व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई उद्योग-व्यवसाय कर सकता है। इस प्रकार संचार-साधनों के परिणामस्वरूप भी जातीयता की भावना कम हुई है।

6. स्वतंत्रता आंदोलन— देश की स्वतंत्रता के लिए सभी भारतीय जातीयता की भावना को भुलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक भारतीय जेल गए, सत्याग्रह में भागीदार हुए। इस प्रकार सभी जातियों के व्यक्तियों के सामृद्धिक प्रयास से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसमें जातीयता की भावना निर्गोहित हुई है।

7. धार्मिक व सामाजिक आंदोलन— यादा राममोहन राय ने दयाननद मास्वर्ती, रानाडे, केशव चन्द्र सेन आदि के साथ जाति प्रवाद का विरोध किया और इसके लिए अनेक आंदोलन किए जिनमें भेदभाव, द्वुआधूत, पर्दा-प्रवाद, विषों की शिक्षा, ब्राह्मणवाद आदि का बड़ा विरोध सम्भितिन था। आर्य-समाज ने धार्मिक आधार पर, ब्रह्म-समाज ने समाजना के आधार पर भी आंदोलन किए और जाति व्यवस्था को मुक्ताने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप दूसरी जाति में प्रिंगाह-ममत्य स्थापित किए जाने लगे। महिलाएं भी आंदोलन में भागीदार बनीं और शिक्षा का प्रचार-प्रसार महिलाओं में बढ़ा। पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी राजनीति, मामारिड स्तर पर भी होने लगी। वे पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करने लगीं इन महिलाओं की भागीदारी राजनीति, मामारिड स्तर पर भी होने लगी।

महत्व घटा। इस प्रकार धार्मिक व सामाजिक अंदोलनों के प्रभाव ने भी जाति में परिवर्तन किए हैं।

8. प्रजातंत्र की स्थापना— स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। भारत का नवीन संविधान बना जिसमें जन्म, लिंग, धर्म, रंग आदि के आधार पर कोई भेद-भाव न रखने की बात कही गई है। इसी का परिणाम है कि आज शूद्र जाति का व्यक्ति भी कुण्ड पर चढ़ सकता है, मंदिर में प्रवेश कर सकता है, विद्यालय में पढ़ सकता है आदि। आज सभी देशवासियों को मौलिक अधिकार समान रूप से प्रदान किए गए हैं। इन सबके प्रभाव के कारण जाति प्रथा में भी परिवर्तन आया है।

9. नवीन व्यवसायों का प्रभाव— औद्योगीकरण व नगरीकरण के परिणामस्वरूप अनेक नवीन व्यवसाय विकसित हुए हैं। इससे पूर्व प्रथा (जजमानी प्रथा) जिसमें एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी वित्त होने लगी। अपने परम्परागत व्यवमाय को छोड़कर लोग अध्यापक, इन्जीनियर, प्रशासनिक अधिकारी आदि फिरी भी व्यवसाय को जाति का विचार किए बिना स्वीकारने लगे। परिणामस्वरूप जाति और व्यवसाय के बीच सम्बन्ध हट गया। इस तरह जाति का पक्ष निर्बल हो गया।

10. जाति पंचायतों की समाप्ति— जाति पंचायत ने ज्ञृति व्यवस्था को हटाया प्रदान की थी। जातीय नियमों के उल्लंघन करने पर पंचायतें दण्डित करती। अतः सभी पंचायतों की बातों को मानते थे। जब जाति पंचायतों की समाप्ति हुई तो जाति बंधन नियम भी शिथिल हो गए और जाति निर्बल हो गई।

11. संयुक्त परिवार का विषट्टन— नगरीकरण का परिणाम एकाकी परिवार है। जब ग्रामीण लोग नगरों की ओर व्यवसाय के कारण जाने लगे तो संयुक्त परिवार विषट्टित हो गए और एकाकी परिवार में जाति व्यवस्था के नियम शिथिल हो गए। इस प्रकार ये जाति प्रथा के परिवर्तन के कारण बने।

12. नवीन कानूनों का प्रभाव— अनेक कानून संविधान में जाति प्रथा के विरोधी हैं। हिन्दू विवाह वैधकरण अधिनियम, 1949; हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, देव निरोपक अधिनियम, 1961, अस्पृश्यता अधिनियम, 1955; आदि अनेक अधिनियम हैं जिनसे जाति प्रथा के नियम शिथिल हुए हैं। भारत एक धर्मनिषेध राज्य घोषित किया गया है। इस कारण जाति प्रथा का प्रभाव घटा है।

जाति व्यवस्था में परिवर्तन

उपर्युक्त कारकों के फलस्वरूप जाति व्यवस्था अनेक रूपों में परिवर्तित हुई है। जाति व्यवस्था की वर्तमान समय में स्थिति इस प्रकार है—

1. ग्राहणों की स्थिति में गिरावट— जाति व्यवस्था में ग्राहणों को सदैव श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है किन्तु आज व्यक्तिगत गुणों के महत्वपूर्ण होने से निभ जाति के लोग भी उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आज योष्यता को महत्व दिया जा रहा है। पार्मिक अनुष्ठान आदि का महत्व भी आज नगरों में शील होता जा रहा है। इस कारण ग्राहण वर्ग जो कभी सर्वोच्च स्थान पर था आज अपने प्रमुख को छोता जा रहा है। यह जाति की परिवर्तनशीलता का परिणाम है।

2. जातीय संस्तरण में परिवर्तन— जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र— इस प्रकार का संस्तरण विद्यमान रहा है, किन्तु आज निन्म जाति भी शिक्षा, व्यवसाय, धन के प्रभाव के काले स्वर्यों को श्रेष्ठ मानने लगी है। इस कारण जातीय संस्तरण में परिवर्तन आ गया है। आज किसी को ऊँचा या नीचा जाति के आधार पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से ऊँचा मानता है।

3. दलित जाति की स्थिति में परिवर्तन— जाति व्यवस्था में दलित या अम्बेडकर जातियों को अनेक अधिकारों से बंधित रखा गया था। उन पर अनेक प्रतिबन्ध थे तथा धार्मिक एवं सामाजिक निर्णायकताएँ लागू थीं जिनके कारण वे समाज में निम्न स्थान पाते थे। भारतीय सर्विधान में उनको अनेक अधिकार दिए गए हैं जिससे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हड्डि से नौकरी, व्यवसाय आदि में उनको विशेष सुविधाएँ प्राप्त हैं— सार्वजनिक पूजास्थान पर जाना, विद्यालय में प्रवेश आदि अधिकार मिलने से अनेक निर्णायकताएँ उन पर से हट गई हैं एवं उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।

4. पेशों के चयन में स्वतंत्रता— प्राचीन समय में सभी जातियों के अलग-अलग पेशे थे। आज कोई व्यक्ति किसी पेशों का चयन अपनी योग्यता के आधार पर कर सकता है। शिक्षा, तरफ़ीकी इम के प्रभाव ने निन्म जाति को भी इन्विनियर, हॉकर, प्रशासनिक अधिकारी आदि के चयन की लूट दी है। शूद्रों की आर्थिक स्थिति भी आज बदली है। सरकारी नौकरी आज निम्न वर्ग के लिए आवश्यित है। इस प्रकार किसी विशेष जाति के लिए विशेष व्यवसाय का निर्धारण अब आवश्यक नहीं ऐच्छिक हो गया है।

5. खान-पान सम्बन्धी प्रतिबंधों में शिथिलता— नगरीकरण के प्रभाव के कारण खान-पान के प्रतिबन्ध शिथिल हो रहे हैं जैसे— पहिते त्तोई के बाहर कच्चा याना याना वर्जित था तथा शाकाहारी-मांसाहारी भोजन के भी नियम थे लोकेन आज जब व्यक्ति नौकरी-पेशों के काले सुबह के परचात् रात्रि में ही घर वापिस आ जाता है तो सारा दिन उसका भोजन आदि बाहर ही पूर्ण होता है जहाँ किसी प्रकार के नियम का निर्वाह सम्भव नहीं है अतः किसी भी जाति के व्यक्ति भोजन बनाने वाले होते हैं और खाना भी विभिन्न प्रकार का एक साथ ही बनता है तो भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्धों में दील हो गई है। शिक्षा के प्रसार ने भी तार्किबता को बदावा दिया है साथ ही पौष्टिक भोजन को महत्व दिया जाने लागा है अतः कच्चे-फक्के या शाकाहारी-मांसाहारी भोजन सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रतिबन्धों में अब परिवर्तन हो गया है।

6. जन्म के महत्व का हास— जाति व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता जन्म का महत्व है अर्थात् जन्म के आधार पर ही व्यक्ति की स्थिति निर्धारित होती है, जैसे— ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सर्वोच्च मान जाता है किन्तु शिक्षा के प्रचार ने इसमें परिवर्तन किया है। आज योग्य, कुशल, सक्षम व्यक्ति श्रेष्ठ है भले ही वह किसी भी जाति का हो। इस तरह जन्म की महता का हास हो रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

7. विवाह से सम्बन्धित प्रतिबन्धों में शिथिलता— जाति की एक बड़ी विशेषता अपनी ही जाति में विवाह की मानी गई है जिसमें उल्लंघन के फलस्वरूप व्यक्ति को जाति में बहिष्कृत कर दिया जाता था लेकिन आज इस सम्बन्ध में भी शिथिलता आने लगी है। अब विवाह दूसरी जाति में किया जा सकता है जिसमें पंचायत भी कुछ नहीं कर सकती है। इसी तरह विवाह-विवाह, विवाह-पिच्छेद, देर से विवाह, सभी को समाज की बदती परिस्थिति में प्रोत्साहन मिल रहा है।

8. बदलते संदर्भ समूह—पहले जिन व्यक्तियों के पास शारीर थी वही आदर्शथे। उच्च जातियों का अनुकरण शोष जातियों को करना अनिवार्य था किन्तु आज इस स्थिति को बदला गया है। विभिन्न जातियों ने राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय स्तर पर अपने-अपने संगठन बना लिए हैं जो अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हैं अत अब किसी जाति विशेष का अनुसारण करना, उसे सम्मान व आदर्शात्मक स्थिति प्रदान करना कम हो गया है। इनका स्थान जातीय समितियों ने ले लिया है।

9. बदलते जाति सम्बन्ध—वर्तमान समय में जातियों के सम्बन्ध भी बदले हैं। जजमानी प्रथा का टूटना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजनीतिकरण, प्रजातान्त्रीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आदि के परिणामस्वरूप शक्ति के नवीन सम्बन्धों की उत्पत्ति हुई। पंचायतों के चुनावों ने व्यक्तियों में समाजता का भाव भर दिया। इसी से आज कोई जाति किसी पर आधित नहीं है अत परस्पर जाति सम्बन्धों में बदलाव आ गया है।

इस प्रकार वर्तमान जाति व्यवस्था अनेक रूपों में अनेक कारणों से परिवर्तित हो गई है किन्तु क्या जाति व्यवस्था एक नई व्यवस्था का रूप ले रही है जिसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया जाता है? यह प्रश्न आज मुख्य रूप से प्रकाश में आ रहा है।

जाति और वर्ण में भेद

जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था में अनेक अन्तर है। तेकिन लोग इन्हे एक ही समझते हैं। होकार्ट ने भी यही मत व्यक्त किया है कि सामान्यतया लोग—जाति और वर्ण—को एक ही प्रथा के दो भिन्न नाम समझते हैं। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की सामाजिक स्तरीकरण की सुलभी व्यवस्था थी। इसमें व्यक्ति की सदस्यता कर्म एवं गुणों पर आधारित थी। वर्ण का अर्थ व्यवसाय के वरण से लगाया जाता था। वर्ण का अर्थ त्वचा के रग से भी था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण श्वेत-वर्ण, क्षत्रिय लाल-वर्ण, वैश्य पीत-वर्ण और शूद्र कृष्ण-वर्ण के होते हैं। एक प्रकार के रंग के लोगों को एक वर्ण में रखा जाता था। वर्ण का आधार व्यक्ति के गुण तथा स्वभाव से भी लगाया जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने चारों वर्णों की रचना उनके गुणों के आधार पर की है। चार वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—का वर्णन वेदों तथा अन्य ग्रथों में मिलता है। वर्ण-व्यवस्था जाति की तरह जन्म पर आधारित नहीं होती है। न ही वर्ण व्यवस्था में जाति प्रथा के समान व्यवसाय, विवाह, खान-पान, पवित्रता-अपवित्रता जैसे प्रतिबन्ध होते हैं। जाति प्रदत्त होती है तथा वर्ण अर्जित। इनके अन्तर को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

जाति और वर्ण में अन्तर

आधार	जाति	वर्ण
1. सदस्यता	जाति में सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। जो जिस जाति में जन्म लेता है वह जीवन पर्यन्त उसी जाति का सदस्य रहता है। सदस्यता प्रदत्त होती है।	वर्ण में सदस्यता कर्म एवं गुण पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने गुण, कर्म तथा रुचि के अनुसार वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है।
2. गतिशीलता	जाति एक बन्द वर्ग है। व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में सदस्यता प्राप्त	सदस्यता अर्जित होती है। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त

आधार	जाति	वर्ण
3. व्यवसाय	नहीं कर सकता है। जाति में व्यवसाय वशानुगत होते हैं। जो जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का व्यवसाय करता है।	कर सकता है। यह व्यवस्था गतिशील है। वर्ण में व्यवसाय व्यक्ति की मृचि तथा इच्छा पर निर्भर करता है। अपने गुणों के आधार पर व्यवसाय चुनता है।
4. विवाह	जाति एक अत विवाही समूह होती है। जो जिस जाति में जन्म लेता है वह विवाह भी उसी जाति में करता है।	एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में विवाह कर सकता है। अत्कर्वण-विवाह वर्णों में मान्य है।
5. खान-पान व पारस्यात्मक सम्बन्ध	जाति प्रथा में विभिन्न जातियों के लिए, भोजन, खाद्य, पान, पात्र, पर्क आदि नियेध होते हैं। जातियों में द्वादश उच्चतम तथा अस्त पृथ्य जातियाँ निम्नतम भानी जाती हैं।	वर्ण व्यवस्था में खान-पान, खाद्य, पात्र, पात्र, पंक्ति, हुक्का-पानी नियेध नहीं होते हैं। वर्ण में ऊंच-नीच, जाति-प्रथा जैसी नहीं होती है।
6. प्राचीनता	जाति-प्रथा वर्ण-व्यवस्था के बहुत बाद समाज में प्रचलित हुई है। लगभग प्रथकाल या मुस्लिम काल में जाति प्रथा पूर्ण कठोर रूप में देखी जा सकती है।	वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में ही थी। यह प्राचीनतम प्रथा है। इसका वर्णन वेदों, पुराणों, महाकाव्यों आदि में मिलता है।
7. संख्या	सम्पूर्ण भारत में छोटी-बड़ी जातियों की संख्या अनुमानत 3,000 से अधिक है।	शास्त्रों के अनुमान वर्ण संख्या में चाह ही है- द्वादश, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
8. अस्पृश्यता	जाति प्रथा में अस्पृश्यता की भावना मिलती है तथा अस्पृश्य जाति भी होती है।	वर्ण-व्यवस्था में अस्पृश्य वर्ण नहीं होते हैं तथा अस्पृश्यता की भावना भी नहीं थी।
9. समानता	जाति प्रथा में द्वादश जाति उच्चतम तथा अस्पृश्य जाति निम्नतम होती है। अन्य जातियाँ इनके बीच में स्थित होती हैं।	वर्ण-व्यवस्था में सभी वर्ग समान होते हैं। उनमें उच्चता और निम्नता नहीं होती है।

जाति और वर्ण में विभेद

सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों में व्याप्त है किन्तु भिन्न-भिन्न समाजों में इसका स्वरूप भिन्न-भिन्न है। कुछ समाजों में इसके स्वरूप में भिन्नता व्यक्ति के वगानुक्रम पर आण्वित है जब कि कुछ समाजों में व्यक्ति की योग्यता, कुशलता इसका आधार है। पहली अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं जबकि दूसरी अवस्था में परिवर्तन सम्भव है। प्रथम विभिन्न जातियाँ स्तरीकरण है और दूसरी विभिन्न वर्गीकरण है। इस प्रकार न्यायिक व्यवस्था का प्रथम आधार जाति है तो द्विनीय आधार वर्ग है। जाति और वर्ण में तुलना करने में पहिले वर्ग का अर्थ, विशेषताओं आदि का अध्ययन करें।

वर्ग की परिभाषा— औंगवर्द्ध और निमकॉफ ने सामाजिक वर्गों को इस प्रकार परिभाषित किया है—“एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक प्रस्थिति है।” जिन्सबर्ग के मत में, “वर्ग ऐसे व्यक्तियों वा समूह हैं जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन-यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक-दूसरे के समान होते हैं अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं और इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं।” मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, “एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया है।” वर्ग की भावना प्रत्येक समाज में मिलती है। इनकी कुछ विशेषताएँ हैं जो इनकी प्रकृति को और स्पष्ट करती हैं, वे निम्नलिखित हैं—

सामाजिक वर्गों की विशेषताएँ— वर्ग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं, जिनके आधार पर वर्ग के सम्बन्ध्य को और अधिक रूप से समझा जा सकेगा।

1. एक निश्चित संस्थान— सामाजिक वर्ग श्रेणियों में विभक्त होते हैं। यह उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग हो सकते हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों की संस्था सबसे कम किन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वोधिक होती है। निम्न वर्ग के सदस्यों की संस्था अधिक किन्तु प्रतिष्ठा नागण्य होती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च व निम्न वर्ग के सदस्यों में सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है।

2. वर्ग-चेतनता— सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग-चेतनता पोई जाती है। यही चेतनता मनुष्य के व्यवहार को निश्चित करती है अर्थात् सदस्यों में समानता की भावना दृढ़ होती है लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्द्ध करता रहता है इससे उनमें ‘प्रतियोगी वर्ग-चेतनता’ का भाव आ जाता है यही वर्ग-चेतनता वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा देती है।

3. समान प्रस्थिति— एक ही वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक प्रस्थिति एक जैसी होती है, जैसे—यदि किसी समाज में सम्पत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है तो उसी व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति ऊँची मानी जायेगी जिसके पास अधिक सम्पत्ति है। उसी प्रकार यदि राजनीति को महत्व दिया जाता है तो राजनीति ही प्रस्थिति का आधार होगी। इस प्रकार प्रस्थिति निर्धारण उसके आधार हो सकते हैं। जब कई व्यक्ति एक-सी प्रस्थिति के होते हैं तो वे एक वर्ग के सदस्य माने जाते हैं।

4. श्रेष्ठता व हीनता की भावना— समाज के विभिन्न समूह परस्पर श्रेष्ठ अथवा हीनता की भावना रखते हैं। सभी इस व्यवस्था को स्नीकार करते हैं, जैसे— शासित वर्ग स्वयं को श्रेष्ठ व गरीब वर्ग को स्वयं की तुलना में हीन समझता है।

5. प्रतिबन्धित सामाजिक सम्बन्ध— एक वर्ग के व्यक्ति अन्य वर्गों के व्यक्तियों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। उनके सामाजिक राम्बन्प अपने वर्ग तक ही प्रतिबन्धित अथवा सीमित होते हैं। इसका कारण अर्थिक, सांस्कृतिक एव सामाजिक स्तर होता है जिससे व्यक्ति अपने ही वर्ग के व्यक्तियों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

6. मुक्तज्ञ एवं स्थानांतरण— वर्गों की प्रकृति मुक्त होती है अर्थात् किसी विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेने पर कोई व्यक्ति किसी अन्य वर्ग का सदस्य हो सकता है अथवा एक साथ अनेक वर्गों की सदस्यता ग्रहण वर सकता है। इसके साथ ही स्थानांतरण की स्थिति भी आ सकती है, जैसे— एक व्यक्ति घनी बनकर उच्च दर्जे की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अथवा सम्पत्र व्यक्ति किसी कारण निर्भर बन सकता है और गरीब वर्ग का सदस्य बन सकता है। तात्पर्य यह है कि वर्ग की

सदस्यता मुक्त अथवा खुली होती है। जीवन-पर्यन्त एक ही वर्ग की सदस्यता प्रहर करना आवश्यक नहीं है।

7. वर्ग का वस्तुनिष्ठ पक्ष—एक वर्ग दूसरे वर्ग से अनेक पहलुओं में भिन्नता लिए हुए होता है। अनेक पक्ष विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रकार, शिक्षा, आय, मोहल्ले की प्रतिष्ठा आदि को लिया जा सकता है, जैसे—निम्न वर्ग के लोग गन्दी वस्तियों में रहते हैं, आय व शिक्षा भी कम होती है जबकि उच्च वर्ग शिक्षित, उच्च आय वाला व ऊँची-ऊँची इमारतों में रहता है। इस प्रकार व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर उस वर्ग की पहचान हो जाती है।

8. सम्बन्ध स्थापन—एक वर्ग के सदस्यों के सम्बन्ध उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। मित्रों का चुनाव, विवाह में कन्या-पक्ष व वर-पक्ष का चुनाव आदि आपस में समानता के आधार पर ही किए जाते हैं।

9. उप-संस्कृति—वर्ग की अपनी एक उप-संस्कृति होती है। एक लार्ग के सभी लोगों की एक-सी प्रस्थिति होती है और उस प्रस्थिति के लोगों के साथ ही उनके व्यावहारिक सम्बन्ध होते हैं। उनका रहन-सहन, जीवन-शैली समान होती है। मैक्सवेबर ने ऐसे समूह को प्रस्थिति-समूह कहा है जिनका व्यवहार करने का तरीका, रहन-सहन का स्तर आदि समान प्रकार का हो। इस प्रकार हर वर्ग की अपनी एक उप-संस्कृति होती है।

10. आर्थिक आधार का महत्व—वर्ग का महत्वपूर्ण आधार आर्थिक प्रस्थिति है। प्राक्ष के मत में तो आर्थिक आधार ही एकमात्र वर्ग-निर्माण का कारक है। इसी के आधार पर उच्च, मध्यम व निम्न वर्ग बने हैं और प्रत्येक वर्ग अपनी प्रस्थिति के अनुरूप ही वर्ग की सदस्यता प्राप्त करता है।

11. पूर्णतया अर्जित—वर्ग की सदस्यता पूर्णतया व्यक्ति की योग्यता और कार्य-कुरालता पर निर्भर करती है। यह सदस्यता व्यक्ति को प्रयास से प्राप्त करनी पड़ती है। जिम योग्यता के अनुरूप उसका स्तर होता है। उसी योग्यता के वर्ग की सदस्यता उसे प्राप्त हो जाती है, जैसे—निम्न वर्ग का सदस्य यदि अपने प्रयास से उच्च वर्ग के अनुरूप बन जाता है तो वह उच्च वर्ग की सदस्यता को प्राप्त कर सकता है अर्थात् वर्ग सदस्यता जन्म से नहीं यिलती अपितु यह अर्जित है।

12. सामाज्य जीवन विधि—प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के जीवन जीने की विधि एक जैसी होती है, जैसे—धनाढ़ी वर्ग में धन का अत्यधिक दिखावा, विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करना प्राय उच्चता का प्रतीक माना जाता है जबकि मध्यम वर्ग दृम्पाराओं का निर्धारि करना, समाज-सम्मत तरीके पर चलना अपना कर्तव्य मानते हैं। निम्न वर्ग में केवल भरण-पोषण करना ही उद्देश्य होता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के जीवन-यापन का तरीका एक जैसा ही होता है।

13. वर्गों की अनिवार्यता—प्रत्येक समाज में शिला, व्यवमाय, आय, योग्यता आदि की इष्टि से व्यक्तियों में विभेद नाहीं जाती है। अत इस विभेदता के आधार पर समाज में अनेक वर्ग स्वत ही बन जाते हैं जिनमें उस विशेषता से समुक्त व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार समाज में वर्गों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है।

यह वर्ग-व्यवस्था जाति से अनेक रूपों में भिन्न है। विशेष रूप से जन्म जाति का महत्वपूर्ण आधार है। जाति और वर्ग — दोनों ही स्तरीकरण के आधार हैं लेकिन कुछ भिन्नता लिए हुए। जाति और वर्ग का अन्तर अग्रलिहिन रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—

जाति और वर्ग में विभेद

आधार	जाति	वर्ग
1. बंद/खुला	जाति एक बन्द वर्ग है। जाति का आधार जन्म है अत इसकी सदस्यता जीवन-पर्यन्त होती है। इसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए जाति को बन्द-वर्ग कहा गया है।	वर्ग में खुलापन है। वर्ग का आधार पन, शिक्षा, आय, व्यवसाय आदि हैं जिनमें पन प्राप्ति करके व्यक्ति दूसरे वर्ग में जा सकता है। यही वर्ग का खुलापन है।
2. जन्म/कर्म	जाति जन्म पर आधारित है अर्थात् मृत्यु पर्यन्त व्यक्ति एक ही जाति का सदस्य माना जाता है जिस जाति में उसने जन्म लिया है।	वर्ग कर्म पर आधारित है। अच्छे कर्म व्यक्ति को उच्च वर्ग में ले जा सकते हैं तथा नीच कर्म निम्न वर्ग में ले जा सकते हैं।
3. प्रदत्त/ अर्जित	जाति की सदस्यता प्रदत्त है अर्थात् किसी भी व्यक्ति को जाति की सदस्यता बिना प्रयत्न के स्वत ही प्राप्त हो जाती है।	वर्ग की रादस्यता अर्जित है अर्थात् व्यक्ति के निजी प्रयत्नों का फल होता है कि उसे किस वर्ग की सदस्यता प्राप्त हुई है।
4. व्यवसाय	जाति में व्यवसाय निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय पूर्ण-निर्धारित होता है जिसे अपनाकर व्यक्ति आजीविका प्राप्त कर सकता है।	वर्ग का कोई व्यवसाय नहीं है। व्यक्ति अपनी योगता, क्षमता व कौशल के आधार पर कोई व्यवसाय अपना सकता है।
5. विवाह	जाति अन्तर्विवाही है अर्थात् प्रत्येक सदस्य को अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक होता है।	विवाह करने की स्वतंत्रता होती है। वर्ग में इस प्रकार का कोई नियम नहीं कि वे विवाह-सम्बन्ध बनाएं। वे अपने से उच्च या मध्यम वर्ग में भी विवाह कर सकते हैं।
6. खान-पान	जाति में खान-पान पर प्रतिबन्ध है। प्रत्येक जाति के कुछ नियम होते हैं कि किन-किन जातियों के साथ वे खान-पान के सम्बन्ध रख सकते हैं और किनके साथ नहीं।	वर्ग में खान-पान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्ग में कोई प्रतिबन्ध नहीं कि वे किनके साथ खान-पान करें तथा किनके साथ न करें।
7. उच्चता का आधार	जाति की उच्चता का आधार सामाजिक है। इसमें एक सस्तरण है जो दो जातियों के बीच सामाजिक दूरी को निश्चित करता है—न्यायण, धर्मिय, वैश्य व शूद्र—यह क्रम निश्चित है। यह क्रम उच्च से निम्न वीं ओर है।	वर्ग की उच्चता का आधार आर्थिक है। अर्थात् सभी वर्ग अर्थ के आधार पर उच्च, मध्यम व निम्न हो सकते हैं। किन्तु एक वर्ग का महत्व दूसरे वर्ग की तुलना में कम नहीं माना जा सकता।
8. सदस्यता	जाति की सदस्यता स्थाई है। जाति का आधार जन्म है। अत उसमें किसी प्रकार वा परिवर्तन सम्भव नहीं है।	वर्ग की सदस्यता परिवर्तनीय है। वर्ग व्यक्ति की योगता, क्षमता के अनुरूप परिवर्तित हो सकते हैं।

हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य समुदायों में जाति

हिन्दुओं के अतिरिक्त सुसलमानों, सिखो और ईसाइयों में भी जातियाँ मिलती हैं। उत्तर प्रदेश और कलकत्ता के चैन, सिख, सुसलमानों और यहूदियों में अन्त विवाह और वशानुगत व्यवस्थाय की प्रथा मिलती है। भारत में सुसलमानों में हिन्दुओं की तरह समानान्तर जातियाँ मिलती हैं। जो हिन्दु सुसलमान बने उनकी स्थिति वहाँ नहीं बदलती। भारत में हिन्दू-परिवर्तित-सुसलमानों में चुआइट के लक्षण मिलते हैं। भारत में अशरफ सुसलमान उच्च एवं गौर-अशरफ निम्न माने जाते हैं। सुमलमानों में सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार नाई, जगीदार, भांगी, कमीन, सक्का आदि जातियाँ मिलती हैं। ऐसी जातियों में कछु मात्रा में पवित्रता और अपवित्रता, अम्बुजता आदि जाति की भाँति लक्षण मिलते हैं। भारत के बाहर भी विदेशों में जाति वैसे विभेद मिलते हैं। अश्रुका में कलें लोगों की भारत के अस्तुरों जैसी स्थिति है। श्रीलंका के सिंहली लोग बौद्ध धर्म मानते हैं उनमें जाति सम्बद्धता मिलते हैं। जापान, नर्मा आदि में भी जाति जैसे सम्बूद्ध मिलते हैं। विद्वानों का कहना है कि हिन्दू भगवान के अतिरिक्त अन्य भगवानों तथा धर्मों में जाति में समानान्तर समूह देखे जा सकते हैं बान्नु वे पूर्ण हृष में जाति प्रथा जैसे नहीं होते हैं। उनकी विचारधारा, मूल्य, विशेषताएँ, कार्य तथा पान्त्यताएँ हिन्दू समाज की जाति प्रथा के समान नहीं हैं। भारत में जाति प्रथा एक विशिष्ट स्तरीकरण की व्यवस्था है जो अपने आप में अनोखी है। वह अपनी सांस्कृतिक और सूत्रनात्मक विशेषताओं के कारण विश्व में विद्युत है।

जाति और राजनीति

किसी भी समाज की राजनैतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता उस समाज की सामाजिक व्यवस्था, परम्पराओं, मूल्यों, तथा सम्झौते आदि पर आधारित होती है। अगा सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं के आधारभूत लक्षणों में परम्परा यांत्रिक्य होता है तो दोनों ही व्यवस्थाएँ समाज को संगठित रखती हैं तथा सुट्ट योगदान बना रहता है। जब सामाजिक व्यवस्था के मूल्य, आदर्श, परम्पराएँ, धर्म आदि राजनैतिक व्यवस्था के मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं तथा उनमें परस्पर टकराव होता है तो राजनैतिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था दोनों में ही अमुतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं में टकराव हुए। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को इसने अपना संविधान लागू करके एक सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य की घोषणा की। गणतंत्र भारत के संविधान के अधिनियम, उद्देश्य, आदर्श, मूल्य, विचारधारा आदि समानता, भ्रातुर्लक्ष्मा तथा समान अधिमत पर आधारित है। भारत के सभी राजस्विकों को समानता का दर्जा प्राप्त हो गया। भाषा, धर्म, लिंग, आयु, जन्म, जाति, वर्ग, प्रजाति, आदि के आधार पर चली आ रही असमानता को समाप्त कर दिया गया। इनमें से नहीं अनुमूलिक जातियों-जनजातियों, यिहड़े वर्गों, अत्यमहत्यकों और महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। जाति प्रदा में इनका टकराव होना स्वापाविक है।

जाति-व्यवस्था के आधार जन्म पर आधारित होते हैं। उम्मे उंच-नीच का भेदभाव होता है। जाति व्यवस्था वाले समाज में लोकतंत्र व्यवस्था का भाना एक बड़ा परिवर्तन है। ये दोनों ही व्यवस्थाएँ एक दूसरे के विपरीत हैं। इनमें टकराव हुआ। धीं-धीरों लोकतंत्र और जनि-प्रधा में व्यवस्थाएँ की प्रक्रिया आगे बढ़ी। जर्ति प्रदा की विशेषताओं ने सुनाव प्राविद्या को विशेष रूप में

प्रभावित किया है। बोट की राजनीति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया। जाति प्रथा का मूल तत्व जन्म (प्रदत्त) है वही प्रजातंत्र व्यक्ति के गुणों (अर्जित) पर आधारित होता है। भारतीय समाज प्रदत्त प्रधान हेतु के कारण अर्जित विशेषता पर आधारित प्रजातांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के साथ इराका व्यवस्थापन होना अत्यावश्यक है। जाति प्रथा के कारण प्रजातंत्र में बाधाएँ रही हैं जिन्हें श्रीनिवास ने निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है, “भारत की सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक संस्था में जातिवाद की व्यक्ति और अव्यक्त भूमिका दुर्भायपूर्ण है उसमें देशभक्ति, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद तथा जनतन्त्रवाद को ठेस पहुंची है। निषुणता, योग्यता, कुशलता एवं जनतंत्र के मूल्यों का प्रतन एवं विनाश हो रहा है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को दिया गया आरक्षण असमानता को बनाए हुए है जो लोकतन्त्रात्मक-समाजवाद में नहीं होना चाहिए। भारत में जाति व्यवस्था के प्रतिक्रिया तथा लक्षण जब तक नहीं बदलेंगे तब तक स्वस्य राजनैतिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। जाति-प्रथा वर्ग-व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसके लिए शिक्षा का प्रसार तथा शिक्षा द्वारा समानता, भ्रातृत्व एवं प्रजातांत्रिक विशेषताओं का जितना जल्दी हो सके प्रसार करना चाहिए तभी राजनैतिक क्षेत्र जातिगत प्रभाव में से समाप्त होगे। जाति के प्रभाव चुनावों में प्रत्याशियों के चयन में देखे जा सकते हैं। चुनाव प्रज्ञार तथा गतिवान में तो जातिवाद स्पष्ट रूप से क्रियाशील रहता है। नियुक्तियाँ एवं प्रशासन भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय जनतंत्र को जातितंत्र से जूल्द-से-जूल्द मुक्त कराया दी जाएगा।

प्रसन

- जाति को परिभाषित कीजिए। इसकी विशेषताएँ क्या हैं ?
(उत्तर तीन पृष्ठों से अधिक नहीं) (मा.शि.बो. अजमेर, 1994)
- जाति व्यवस्था के सास्कृतिक और सार्वनात्मक पहलुओं को समझाइए।
- प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था के धार्मिक और आर्थिक (व्यावसायिक) पहलुओं पर प्रकाश ढालिए।
- क्या जाति गैर-हिन्दू समुदायों में भी भारत में पाई जाती है ?
- मध्यकालीन जाति प्रथा और ब्रिटिश काल की जाति प्रथा की समानता और भिन्नता बताइए।
- वर्ण व्यवस्था का अर्थ बताइए। यह जाति प्रथा में किस प्रकार भिन्न है ?
- क्या जाति प्रथा एक विचारधारा है ? स्पष्ट कीजिए।
- जाति और वर्ण में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- क्या जाति में गतिशीलता होती है ? विवेचना कीजिए।
- जाति की विशेषताएँ बताइए।
- जाति की उत्पत्ति के कौन-कौन-से मिटान्त हैं ? किसी एक सिदान्त की विवेचना कीजिए।
- ‘भिन्नता कानों में जाति’ पर एक निबन्ध लिखिए।
- जाति प्रथा के प्रमुख कार्यों का उत्तरण कीजिए।
- जाति प्रथा की हानियों (दोषों) की विवेचना कीजिए।

15. जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले कानून कौन-कौन-से हैं? बताइए।
16. जाति प्रथा के प्रमुख परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।
17. 'जाति और राजनीति' पर लेख लिखिए।
18. प्रदत्त और अर्जित पर सेख लिखिए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

1. जाति की विशेषताएँ।
2. वर्ग की विशेषताएँ।
3. जाति और प्रजातव।
4. हिन्दूओं के अतिरिक्त अन्य समुदायों में जाति।
5. वर्ग की परिभाषा।
6. जाति की परिभाषा।
7. वर्ग की परिभाषा।
8. जाति के लक्षण।
9. वर्ग के लक्षण।

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

1. जाति के प्रतिक्रिय
2. प्रदत्त अवधारणा
3. अर्जित अवधारणा
4. जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले तीन कारकों को बताइए।
5. जाति की एक परिभाषा दीजिए।
6. 'जाति एक बन्द वर्ग है।' विवेचना कीजिए।
7. जाति तथा वर्ग में कोई तीन अन्तर बताइए।
8. जाति तथा वर्ग में कोई तीन अन्तर बताइए।
9. 'परिवर्ता-अपरिवर्ता' की अवधारणा सटू झीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर संकेत सहित)

1. निम्नलिखित जाति की परिभाषाएँ देने वालों के नाम बताइए—
 - (i) "जब एक वर्ग पूर्णतया चशातुङ्गम पा आपारित होता है तो उने जानि कहा जा सकता है।"
 - (ii) 'जाति एक बन्द वर्ग है।'

(उत्तर- (i) कूल्ने, (ii) मजूमदार एवं मदान)
2. निम्नलिखित कथनों में से मत्य-अमत्य कथनों को चुनिए—
 - (i) जाति प्रथा में अर्जित प्रस्तुति होती है।
 - (ii) जाति प्रथा में परिवर्ता-अपरिवर्ता के मूल्य होते हैं।
 - (iii) जाति प्रथा समानता के लक्षणों पर आपारित होती है।
 - (iv) जाति एक हुता वर्ग है।

(v) असूश्य जातियाँ जाति व्यवस्था के मध्य स्थित होती हैं।

[उत्तर-सत्य कथन—(ii), असत्य कथन—(i), (iii), (iv), (v)]

3. निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए—

- | | |
|--------------|-------------------------|
| (1) जाति | (A) चार |
| (2) वर्ग | (B) परम्परागत सिद्धान्त |
| (3) वर्ण | (C) व्यवसायिक सिद्धान्त |
| (4) घुर्झे | (D) अर्जित प्रस्थिति |
| (5) नेसफील्ड | (E) प्रदत्त प्रस्थिति |

[उत्तर-(1) E, (2) D, (3) A, (4) B, (5) C]

4. निम्नलिखित वाक्यों के सामने कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का चयन कर तिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (1) जाति व्यवस्था एक वर्ग है। (बन्द/खुला)
- (2) जाति एक समूह है। (अन्त विवाही/बहिर्विवाही)
- (3) जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सदस्यता होती है। (स्थाई/अस्थाई)
- (4) जाति व्यवस्था प्रजातंत्र की है। (विरोधी/समर्थक)
- (5) जाति प्रथा की उत्पत्ति एव विकास व्यवस्था से हुआ है। (वर्ग/वर्ण)

[उत्तर-(1) बन्द, (2) अन्त विवाही, (3) स्थाई, (4) विरोधी, (5) वर्ण]

5. निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए—

- (1) जाति व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष है।
- (2) भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप है।
- (3) जाति व्यवस्था की सम्पूर्ण सरचना की प्रतिष्ठा पर आधारित है।
- (4) जाति प्रथा की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धान्त के प्रतिपादक.....थे।
- (5) सेनार्ट ने जाति की उत्पत्ति का .. सिद्धान्त दिया।

(मा.शि बो. अजमेर, 1994)

[उत्तर-(1) पवित्रता, (2) जाति-प्रथा, (3) ग्रामणों, (4) नेसफील्ड, (5) धार्मिक]

6. निम्नलिखित में से कौन-कौन से कथन जाति-प्रथा के परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं—

- (1) व्यवसायों के चुनावों की स्वतंत्रता।
- (2) जन्म, लिंग, पर्म, प्रजाति, भाषा, आदि के भेदभाव की समानति की घोषणा।
- (3) सभी को मतदान का अधिकार प्रदान किया जाना।
- (4) अपनी ही जाति समूह में विवाह करना।
- (5) ग्रामणों द्वारा अन्य जातियों का कच्चा भोजन नहीं करना।
- (6) पवित्रता-अपवित्रता के विचारों का शिखित होना।
- (7) अस्पृश्यता निवारण के नियमों का पातन करना तथा कराना।

[उत्तर-(1), (2), (3), (6), (7)]

7. निम्नलिखित में से सही और गलत कथनों का चुनाव कीजिए—

- (1) वर्गों की सहस्रा दस है।
- (2) भारत में लगभग तीन हजार से अधिक जातियाँ हैं।
- (3) जाति प्रथा में व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है।

- (4) जो जिस वर्ग का होता है वह उसी वर्ग में विवाह करता है।
 - (5) जाति प्रथा में अपनी ही जाति के व्यवसाय का चयन करता होता है।
 - (6) जाति प्रथा में खाने-पीने तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिवर्य नहीं होते हैं।
 - (7) जाति प्रथा में व्यक्ति अपनी शिक्षा, व्यवसाय तथा धन के आधार पर दूसरी जाति का सदर्शन नहीं बन सकता है।
- [उत्तर-सही कथन- (2), (5), (7) गलत कथन- (1), (3), (4), (6)]

□□□

अध्याय - 7

अनुसूचित जातियाँ

(Scheduled Castes)

वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। धुर्यों, नम्दिएवर प्रसाद तथा अनेक विद्वानों के अनुसार जाति व्यवस्था का विकास वर्ण व्यवस्था के बाद में हुआ था। मुहूर्य रूप से हिन्दू समाज की सभी जातियों को वर्ण व्यवस्था के सन्दर्भ में पांच श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के स्तर की जातियों को तो समाज में अनेक सुविधाएँ तथा अधिकार प्राप्त थे तथा इन पर न्यूनतम प्रतिबन्ध तथा निर्योग्यताएँ थीं। शूद्र वर्ण के स्तर की जातियों—कुम्हार, बढ़ई, नाई, घोबी आदि को कुछ अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थीं तथा इन पर अनेक प्रतिबन्ध तथा निर्योग्यताएँ थीं। परन्तु अस्पृश्य वर्ण के स्तर की जातियों—हारिजन, चमार आदि को अधिकार और सुविधाएँ तो नहीं के बराबर प्राप्त थीं परन्तु इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे। अधिकतम निर्योग्यताएँ अस्पृश्य जातियों की थीं जिनके अध्ययन से वस्तुस्थिति का कुछ विचार सामने आ जाएगा।

अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताएँ—अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताओं का उल्लेख किसले डेविस ने किया है जो निम्नलिखित प्रकार है—

- (1) अस्पृश्य जाति के लोग अपने जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कार ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा सम्पन्न करवाने में असमर्थ तथा अयोग्य थे।
- (2) ये लोग सर्वज्ञ जातियों की सेवा करने वाले, नाई, घोबी, दर्जा कुम्हार आदि की सेवाएँ प्राप्त करने में असमर्थ तथा अयोग्य थे।
- (3) अन्य हिन्दू जाति के लोगों के साथ इनके सम्पर्कों पर प्रतिबन्ध था क्योंकि वे जातियाँ इनके सम्पर्क से अपवित्र हो जाती थीं। ये लोग द्विज जातियों से सम्पर्क करने में असमर्थ तथा अयोग्य थे।
- (4) ये लोग अन्य जाति के लोगों को पानी पिलाने में असमर्थ तथा अयोग्य थे।
- (5) ये लोग मटक, कुरैं, पाठशाला आदि सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ तथा अयोग्य थे।
- (6) ये लोग हिन्दू-मन्दिर में प्रवेश करने में असमर्थ तथा अयोग्य थे।

(7) पृष्ठित व्यवसाय से अपने को पृथक् करने में अयोग्य तथा अमर्गदर्शी थे। इनका तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज का एक बड़ा भाग जाति-व्यवस्था के अनेक प्रतिवन्धों के कारण अपना जीवन दीदिता और कष्टदायक स्थिति में व्यतीत करता रहा है। इम प्रकार के अभाव का जीवन व्यतीत करने वाली जातियों की अनुमूलित जातियाँ वह जाता है, जिनकी उत्तरी तथा विकास करना प्रत्येक भागीदार का पास कर्तव्य होना चाहिए।

अनुमूलित जाति का अर्थ एवं परिभाषा—अनुमूलित जातियों की परिभाषा अनेक प्रकार से दी गई है। मामान्य स्पष्ट से अनुमूलित जातियों के जातियाँ हैं, जो मटियों से दर्यनीय स्थिति में रही हैं। जिन जातियों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, रीसिक तथा अन्य आपागी या हृषिकोणों से समाज में निम्न स्थिति है, उनका विकास करना आवश्यक है। सामाजिक ने गन्धी स्मार्ग पर ऐसी जातियों की मूची तैयार करवाई है तथा उनके विकास के लिए अनेक योजनाएँ तथा प्रावधान रखे हैं। इन सूचियों में जिन जातियों के नाम सम्मिलित किए गए हैं वे अनुमूलित जातियों कहलाती हैं। अनुमूलित जातियों की मूची के निर्माण का एक इतिहास है जिसकी समझना भी किन्हीं कारणों से आवश्यक है।

आदिकाल में वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत जो किसी भी प्रकार में चार वर्णों—श्रावण, शूर्णिष, वैश्य और शूद्र वर्ण—में नहीं आते थे उन्हे पांचवें और अन्तिम वर्ण ‘अन्यद्व’ कहा जाना था। चार में ये ‘चाण्डाल’ नाम से मध्योपित किए जाते थे। क्योंकि ये समाज में पृष्ठित तथा निहृष्ट व्यवसाय करते थे इसलिए इनका स्वर्ग करना पाप माना जाता था। इन पांच समाज ने सबसे अधिक प्रतिवन्ध लगा दिए थे। इनकी स्थिति सभी प्रकार से दर्यनीय रही है। इसलिए ऐसी जातियों को दलित जाति भी कहा जाता था। सल्कारी रिकाढ़ों में इने इसी नाम से मध्यनियत किया जाता था। इनको प्रधान चार वर्णों से अलग और अमधित्र माना जाता था। धर्मशास्त्र कान में चौथे वर्ण—शूद्र—को भी इनके साथ जोड़ दिया गया था। जब जाति की सम्मता जन्म के द्वारा निश्चित होने लगी तब वर्णमंडल भी इसमें सम्मिलित किए जाने लगे। विशेष स्पष्ट से द्वाराग पुरुष तथा शूद्र स्त्री के द्वारा उन्नत मन्नाने भी चाण्डाल अवधा अमृशय वर्ण में मानी जाती थी।

द्वितीनिया सामाजिक भारतवर्ष में ‘फूट दालो और गन्ध बगो’ के मिदान्त के आधार पा कार्य करती थी। अनुमूलित जातियों भी उगी मिदान्त की एक उपब कर्ती जागरूकी है। मन् 1931 की जनगणना में आमान्य प्रत्यक्ष के जनगणना अधिकारी ने भौंडी सामाज में कोई मुखिया तथा अधिकार प्राप्त नहीं है। इन पर अनेक प्रतिवन्ध तथा नियोग्यताएँ लादी हुई हैं। इनकी दर्यनीय स्थिति है। एक ग्राम से ये जातियों लिन्दु समाज से विच्छिन्न हैं इसलिए इनका नाम ‘चाली जातियों’ गाया जाए। इने लिन्दु के अन्तर्गत नहीं रागा जाए। ये लिन्दुओं से पृथक् हैं। द्वितीनिया सामाजिक लिन्दुओं के दुकड़े करने का तथा फूट दालने का एक दौवा मिल गया। द्वितीनिया सामाजिक इन शूद्र तथा अमृशय वर्ण के स्तर की जातियों को लिन्दु जाति व्यवस्था से अलग करके ईसाई धर्म से पर्याप्ति करना चाहती थी।

महात्मा गांधी द्वितीनिया सामाजिकी की इम गत्रनीति कान की समझ गए तथा उन्होंने इनके गिरोप में आमग्र अनशन किया तथा द्वितीनिया सामाजिक लिन्दुओं के गव्य में गोवा। मन् 1932 में ये पूरा ऐसा हुआ तो उनके अन्तर्गत इन अमृशय, दीलन तथा जांचित जातियों को पुन लिन्दु साम निया गया। महात्मा गांधी ने इनको, विशेष स्पष्ट में अमृशय जाति को, लिन्दु समाज में गिरिप्र नियोग्यताओं से मुक करने तथा अन्य जातियों की तरह समाज विशेषाधिकार दिलगाने के लिए अनेक प्रयास किए। द्विसमे सबसे महत्वार्थी परिस्ता कार्य आगे इनकी भगवान का जन या ही का

जन अर्थात् 'हरिजन' नाम दिया। तब से आज तक इनका नाम हरिजन चल रहा है। ब्रितानिया सरकार ने सन् 1935 में इन दलित जातियों की एक सूची तैयार करवाई थी जिनमें 429 जातियों के नाम है। तब से ऐसी मूची जिसमें दलित जातियों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं, अनुसूचित जातियों कहलाती हैं। इन मूचियों को बनाने का लक्ष्य उन जातियों का पता लगाना है जो विभिन्न दृष्टियों से पिछड़ी है तथा जिनके विकास के लिए सुनियोजित प्रयास करना तथा संखण प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रकार तैयार की गई सूची में वर्णित नामावली सभी जातियों को दैधानिक तथा कानूनी आधार से "अनुसूचित जातियों" कहा जाता है।

जी.एस.घुर्ये—के अनुसार, "अत अनुसूचित जातियों को मैं उन समूहों के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ जिनका नाम इस समय लागू अनुसूचित जातियों के आदेश में है।" घुर्ये की उपर्युक्त परिभाषा धैधानिक है। सरकार समय-समय पर इस सूची में संशोधन तथा पुनर्मूल्यांकन करती रहती है। जो जातियों समाज मुधामको, केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा अन्य प्रयासों से समृद्ध हो जाती हैं उन्हें इस सूची में से निकाल देते हैं तथा वह अनुसूचित जातियों नहीं कहलाती हैं। किन्तु कारणों से किसी जाति की सूचना नहीं मिल पाती है तथा उसकी स्थिति दर्यनीय है तो उसे इस सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान की धारा 34। के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के राज्यपालों से सलाह करके राज्य की अनुसूचित जातियों की घोषणा करे।

अनुसूचित जातियों की जनसांख्यिकीय विशेषताएँ

सन् 1935 में अनुसूचित जातियों की संख्या 227 थी तथा इनकी जनसंख्या 5.01 करोड़ थी। सन् 1981 में इनकी जनसंख्या 10.475 करोड़ थी जो सन् 1991 में 13.623 करोड़ हो गई। सन् 1981 में देश की कुल जनसंख्या का 15.7% भाग अनुसूचित जातियों का था जो 1991 में बढ़ कर 16.73% हो गया। देश में अनुसूचित जातियों की संख्ये अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 23.3% है, इसके बाद पश्चिमी बंगाल में 11.4%, बिहार में 9.6%, आप्रदेश में 9.6%, तमिलनाडु में 8.5%, मध्य प्रदेश में 7.0%, राजस्थान में 5.6%, कर्नाटक में 5.3%, पंजाब में 4.3% और महाराष्ट्र में 4.3% है। अनुसूचित जातियों की 66.4% जनसंख्या देश के उपर्युक्त राज्यों में निवास करती है। इच्छिते दराक में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में 30% की दर से वृद्धि हुई है जबकि देश की जनसंख्या की वृद्धि की दर 23.79 है।

अनुसूचित जाति के लगभग 16.0% लोग नगरों में तथा 84.0% लोग ग्रामों में रहते हैं। सन् 1981 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जातियों में 21.4% साधारण थी। कुल बपुआ मजदूरों में दो-तिहाई भाग अनुसूचित जातियों के बपुआ मजदूर का है। अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग गरीबी रोग से नीचे जीवन व्यर्तीत करते हैं। इसका प्रमुख कारण इनकी सामाजिक और आर्थिक शोरण किया जाना है।

गन् 1981 की जनगणना अनुसार 1,047 लाख अनुसूचित जातियों के लोगों में से 441.8 लाख (42.2%) श्रमिक थे तथा 1991 की जनगणना में 1362 लाख में से 574.76 लाख (42.2%) श्रमिक थे गए। जहाँ तक श्रमिकों के प्रतिशत की यात है वह 1981 और 1991 में बराबर है। अनुग्रहित जाति के बुन्न श्रमिकों में से जापे से कुछ अधिक (53.8%) चमड़े का काम करते थाले होते हैं। जूनारे 12.4%, मध्यभारे 7.9%, ताढ़ी बनाने वाले 6.8%, उत्तरी/रम्पी बनाने वाले 5.2%, पांवी 4.6%, माझाई बरने वाले 3.7% पाए गए। दस्तकार, सम्बी/फत्त बेचने वाले,

दोली, लोहार, खाती आदि अनुसूचित जाति के श्रमिक शेष 10% पाए गए। इनकी दशा सोचनीय है तथा इनको सुरक्षा चाहिए।

अनुसूचित जातियों की समस्याएँ

अनुसूचित जातियों की अनेक समस्याएँ हैं। इनका इतिहास उठाकर देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी प्रमुख समस्याएँ विभिन्न प्रकार के शोषण, प्रतिबन्ध, निर्यायताएँ, प्रदत्त स्थिति तथा परम्परागत अपवित्र व्यवसाय आदि हैं। इनकी समस्याओं का विवेचन निम्नलिखित ग्रन्थ में किया जा सकता है—

(1) धार्मिक समस्याएँ— अनुसूचित जातियों की अनेक समस्याएँ ऐसी हैं जो धर्म भ सम्बन्धित हैं। अनुसूचित जातियों हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था की सरचना में निम्नतम स्थान या श्रेणी के अन्तर्गत आती है। अनुसूचित जातियों पर अनेक धार्मिक प्रतिबन्ध तथा निर्यायताएँ थोड़ी गई थीं जो धार्मिक समस्याओं के रूप में आज भी उग्र रूप धारण किए हुए हैं। ये जातियों तथा इनके सदस्य अपने जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कार उच्चतम जाति ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा सम्पन्न करवाने में असमर्थ तथा अयोग्य थे। धार्मिक स्थलों— मन्दिरों, देवालयों, कीर्तन आदि में नहीं जा सकते थे। प्रार्थना-अर्चना करना तो दूर रहा, ये सोग भजन आदि तक सुन नहीं सकते थे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना तथा सुनना निषेध था। यज्ञोपवीत धारण करना नर्जित था। इनकी परछाई मात्र के स्पर्श से हिज जातियों के सदस्य अपवित्र हो जाते थे। वे तो स्नान आदि से पवित्र हो जाते थे परन्तु अस्पृश्य लोग जन्म-जन्मानन्ता तक पवित्र नहीं हो पाते थे। उनकी सन्ताने भी अपवित्र पैदा होती थीं।

भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित शब्दों में उनकी धार्मिक समस्याओं का विवरण किया है, “...लेकिन यह आठ करोड़ व्यक्तियों का अद्भूतापन जन्म, मृत्यु आदि के अद्भूतेपन से बिलकुल अलग है, यह स्थायी होता है। जो हिन्दू उनको छू लेते हैं वे स्नान इत्यादि करने से पवित्र हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि ‘अद्भूत’ को पवित्र कर सके। वे सोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं। वे जीवनपर्यन्त अपवित्र बने रहते हैं। ये अपवित्र ही बने रहकर मर भी जाते हैं, और ये जिन बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चे भी अपनित्रिता का टीका माये पर सगाए ही जन्म लेते हैं। यह एक स्थायी वंशानुगत कलंक है जो किसी भी प्रकार से हट नहीं सकता है।”

(2) सामाजिक समस्याएँ— अनुसूचित जातियों की अनेक सामाजिक समस्याएँ रही हैं। ये लोग अनेक सामाजिक निर्यायताओं के रिक्तारथे। समाज में विभिन्न मुख्य-सुविधाओं को उपयोग करने में असमर्थ तथा अयोग्य थे जिनको निम्नलिखित उआर्थिकों के अन्तर्गत प्रमुख किया जा सकता है।

1. समाज में निम्न स्थान— अस्पृश्य जातियों की स्थिति भारतीय हिन्दू समाज में सामाजिक सस्तरण में निम्नतम स्थान पर थी तथा शूद्र वर्ण के स्तर की जातियाँ अस्पृश्य जातियों से उच्च पान्तु दैर्य वर्ण के स्तर की जातियों से निम्न श्रेणी में स्थित थीं। के.एम. पण्डिकर ने समीक्षा करते हुए लिप्या है, “विचित्र बात तो यह है कि स्वयं अस्पृश्यों के अन्दर एक पृथक् जाति का जैसा संगठन था। सर्वां हिन्दुओं के समान उनमें भी यह उच्च तथा निष्प स्थिति वाली उप-जातियों का सम्पर्क था, जो एक-दूसरे से थ्रेष होने का दावा करती थीं।”

अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होने के कारण उनमें उच्च जातियाँ पूर्ण करती थीं। यह निम्न स्थिति प्रदत्त थी। अर्थात् जो जिम भनार्घित जाति में जन्म लेता था वह आज्ञा

उसी जाति का सदस्य रहता था। वह अपने परिश्रम, सज्जाई, कार्यकुशलता आदि के द्वारा अपनी निम्न स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकता था। उसकी समाज में प्रस्थिति तथा भूमिका जन्म के काणे निरिखत हो जाती थी जो प्रत्येक धेत्र में दम्भीय, असमर्थ तथा अयोग्यताओं से पूर्ण होती थी।

2. सामाजिक सम्पर्क पर प्रतिबन्ध— अनुसूचित जातियों पर सामाजिक सम्पर्क के सन्दर्भ में अनेक नियेष्ठ थे। ये नियेष्ठ अनुसूचित जाति विशेष के अनुसार अलग-अलग धेत्रों में भिन्न-भिन्न थे। सबसे अधिक प्रतिबन्ध अनुसूचित जातियों में अस्पृश्य जाति तथा चमार जाति पर थे। जैसे-जैसे संस्करण में निम्न से उच्च की ओर जाते हैं प्रतिबन्ध, असमर्थता तथा निर्योग्यताएँ कम होती चली जाती हैं।

इन जातियों को उच्च तथा सर्वांग जातियों के साथ सामाजिक सम्पर्क करना प्रतिबन्धित था। मनुसूति में उल्लेख मिलता है, “चाण्डालो अथवा अस्पृश्यों का निवाह तथा सम्पर्क अपने बराबर वालों के साथ ही हो एवं रात को इन्हें गाँव अथवा शहर में घूमने-फिले का अधिकार नहीं दिया जाना।”

पुर्ये ने बताया है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति ‘महार’ के लोगों के लिए यह आवश्यक था कि लोग घर से बाहर हर समय अपने गले में एक बर्तन लटकाए रखें जिससे जरूरत पड़ने पर यह उसमें धूक सके। कहीं भी जमीन पर धूकना उनके लिए नियेष्ठ था। वह ग्रामण से दूर रहता था। इनकी ग्रामण पर छाया पड़ने से ग्रामण अपवित्र हो जाता था।

भारत के अनेक समाजों, ग्रामों, नगरों तथा वस्तियों में अनेक अनुसूचित जातियों के लोग अपनी गन्दी बस्तियों के बाहर नहीं निकल सकते थे। प्रात काल 9 बजे से पहले तथा साय 3 बजे के बाद उनका सड़क पर चलना याना था क्योंकि इन अवधि में शरीर की परछाई लम्बी बनती है जो गवाणी पर पड़ने पर उन्हें अपवित्र कर देती थी। अनुसूचित जातियों के लोगों से बात करने, देखने, वर लेने से दिज जातियों के लोग अपवित्र हो जाते थे।

3. पृथक् बस्तियाँ तथा आवास— अनुसूचित जातियाँ ग्राम तथा नगर के बाहर तथा दूर नीचे के गढ़ स्थानों में रहती थीं। नगर तथा कस्बों में गन्दी बस्तियों के रूप में इन्हें आज भी देखा जा सकता है। इन निम्न बस्तियों की एक असमर्थता ये थी कि इन लोगों को स्वच्छ तथा साफ-सुथरे स्थलों पर अपनी धोणीदियों बनाने का अधिकार नहीं था। इनको सर्वांग जाति की बस्तियों तथा मोहल्सों में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी, इन्हें को तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

4. मार्दवनिक स्थानों तथा मुविपाओं के उपयोग पर नियेष्ठ— अनेक अनुसूचित जातियों को पाठशाला आदि में प्रवेश नियंत्रण था। सर्वांग जातियों के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। इन पर बस्ती के प्रमुख स्थलों पर प्रवेश पर नियेष्ठ था। पक्के मकान नहीं बनवा सकते थे। तब पर वर पहिनने पर नियेष्ठ था। केवल कमर तक ही रसी-पूर्ण वर धारण कर सकते थे। ऊपर का शरीर नगर रहता था। दुश्मानों से सामान नहीं धरीद सकते थे। मनुसूति के अनुमान, “मृत व्यक्ति के वर या पुराने पिंडही इनके वर तो, पिंडी के दूरे तुए़ दुकड़े इनके बर्तन हों, ये लोग तोहे के आभूषण पहने और रात-दिन पूसते-रिते रहे। तालाबों, कुओं, मन्दिरों, पाठशालाओं, धर्मशालाओं तथा अन्य मार्दवनिक स्थानों वा उपयोग करना इनके लिए प्रतिबन्धित था।

5. शिखा सम्बन्धी नियेष्ठ— लगभग सभी अनुसूचित जातियों पर शिखा ग्राम करने वा नियेष्ठ था। उनकी शिखा ग्राम करने वी आङ्ग नहीं थी। इनकी सतानों के लिए पाठशाला, निधातप आदि में प्रवेश लेना, शिखा ग्राम बनाना भराभर था। उन्हें पर्म पर घतने वा उपदेश दिया जाता था।

पुस्तकों को पढ़ना या सुनना, देखना तथा छूना तक प्रतिबन्धित था। ये लोग निर्धार होते थे।

६. मनोरंजन सम्बन्धी निषेध— अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी प्रकार का मनोरंजन उपलब्ध नहीं था। इन जातियों के सदस्यों को चौपालों, मेलों, रामलीला, खेल-कूद-प्रतियोगिता, मल्ट-मुद्द, हाटों, बाजारों, कठुपुतली का तमाशा आदि को देखना, शामिल होना, भाग लेना आदि का अधिकार नहीं था। कीर्तन आदि की घनि की सीमा से भी इन्हे दूर रखा जाता था।

७. एक पृथक् समाज के रूप में— अनुसूचित जातियाँ एक पृथक् तथा अलग-थलग समाज के रूप में गौव के किसी दूर कोने में जीवन बसार करती थीं। अस्पृश्य जाति की स्थिति तो इतनी दयनीय थी कि कल्पना करना भी मुश्किल है। के.एम. पणिकरन ने लिखा है, “जाति व्यवस्था जब अपनी यौवनवस्था में क्रियाशील थी उस समय इन अस्पृश्यों (पंचम वर्ण) की स्थिति कई प्रकार से दासता से से उतार थी। दास तो कम से कम एक स्वामी के ही अधीन होता था और इसलिए उसके अपने स्वामी के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध होते थे। लेकिन अस्पृश्यों के परिवार पर तो गौव भर की दासता का भार होता था।”

सारांश में यही कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों की अनेक सामाजिक निर्योग्यताएँ और असमर्थताएँ भी जिनकी कल्पना करना भी कठिन है।

(३) आर्थिक समस्याएँ— जाति व्यवस्था के द्वारा अस्पृश्य जातियों का बहुत अधिक आर्थिक शोषण हुआ था। इनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का माझीकरण निम्नलिखित विन्दुओं से और स्पष्ट हो जाएगा—

१. प्रतिबन्धित व्यवसाय— जाति व्यवस्था के अन्तर्गत सबवर्ग जातियों ने अच्छे, पवित्र, कम श्रम वाले व्यवसाय अपने और अपनी सन्नानों के लिए सुरक्षित कर रखे थे। अस्पृश्य जातियों तथा शूद वर्ण की जातियों को निम्न कोटि के व्यवसाय करने के लिए प्रतिबन्धित कर दिया था। व्यवसाय प्रदत्त होते थे। जो निम्न जाति मे जन्म लेता था, आजन्म वह उसी जाति का व्यवसाय करता था। अस्पृश्य लोग सफाई करने, मल-मूँड उठाने, मोहुए, पशुओं को उठाने आदि का कार्य करते थे। कुछ जातियाँ चमड़े का कार्य करती थीं। इनको अन्य कार्य करने नहीं दिया जाता था, जैसे-ऐती करना, दुकानदारी करना, धोरे मे पानी भरना आदि। शूद वर्ण के स्तर की जातियाँ जो अनुसूचित जातियों मे आती हैं वे उनसे कुछ अधिक स्वच्छ प्रकार के व्यवसाय करती थीं। पान्तु आर्थिक लाभ की दृष्टि से उनको पारिश्रमिक कोई विशेष नहीं मिलता था। ये सोग श्रमिक थे। भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे। बन्धुआ श्रमिक भी होते थे।

२. सम्पत्ति सम्बन्धी प्रतिबन्ध—सम्पत्ति नाम की इनके पास कोई वस्तु नहीं होती थी। इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा भूखे-नगे, दर्दिलापूर्ण रही है। मकान नाम की कोई चीज़ इनके पास नहीं होती थी। बस्ती से दूर गन्दे स्थानों पर नाम मात्र की झोलियों में गर्मी, सर्दी और बरसात मे अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग सोना, चीदी, पीजन, फासा आदि धनुर की बन्दूरै अपने पास नहीं रख सकते थे। ऐसा भी उन्तेष्ठि मिलता है कि द्वादश अपनी इच्छा से अपने शूद मेहर की सम्पत्ति जब्त कर सकता था क्योंकि शूद को सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था।

३. भोजन, दस्तर और आवास की समस्या— अस्पृश्य जातियों तथा शूद वर्ण के स्तर की जातियों को खाने को भा पेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। कठोर शारीरिक शम दे वा ड भी ये अपनी तथा परिवार की भोजन व्यवस्था भी नहीं कर पाते थे। ये लोग हमेशा भूखे-नगे रहे थे। रुची-सूची रोटियों के लिए ये उच्च जातियों के आगे हमेशा हाथ फैलाए देते जा सकते थे।

फटे-पुराने-वर, चियडे, मूत शरीर से उतरे कपडे इनको पहिनने को दिए जाते थे। आवास के नाम पर ये टूटी-फूटी झोपड़ियों में, गंदे स्थानों में निवास करते थे।

(4) राजनैतिक समस्याएँ— अनुसूचित जातियों को कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। किसी भी झगड़े, चोरी, नैंमानी, दोगे फसाद में वे लोग गवाही नहीं दे सकते थे। वे लोग पंच और सरपंच नहीं बन सकते थे। इनको मतदान करने का अधिकार स्वतंत्रता प्राप्ति से पहिले किसी भी काल में नहीं था। सामाजिक और राजनैतिक संगठनों में इनको किसी भी सार्वजनिक या प्रशासनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इनको किसी भी राजनैतिक क्रिया तथा कार्यों में भाग लेना नियन्त्रित था। एक ही प्रकार के अपराध के लिए सर्वज्ञ जाति के लोगों को जहाँ साधारण दण्ड या जुर्माना किया जाता था, वहाँ इनके लिए कठोर दण्ड तथा भारी जुर्माने की व्यवस्था थी। इनके पास किसी भी प्रकार के मार्गारक अधिकार नहीं थे। राजनैतिक शासन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती थी, जैसे— सुझाव देने, हम्तथेप करने, सुरक्षा तथा नौकरी प्राप्त करने आदि का कोई अधिकार नहीं था। इसके लिए ये अयोग्य तथा असमर्थ थे।

(5) अन्य समस्याएँ— स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान के द्वारा इन अनुसूचित जातियों को अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि अधिकार प्राप्त हो गए हैं। अधिकतर इनको सिद्धान्त तथा कानून के रूप में अनेक सुविधाएँ तथा अधिकार प्राप्त हो गए हैं पालनु व्यवहार में अभी काफी कुछ करना तथा होना शेष है। कानून द्वारा इनकी सभी नियोग्यताएँ, असमर्थताएँ तथा अयोग्यताएँ समाप्त घोषित कर दी गई हैं। लेकिन कुछ और समस्याएँ उठ रही हुई हैं। सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सुविधाएँ इन तक पूरी नहीं पहुँच पाती हैं। चिंचलिये खा जाते हैं। अनेक दोत्रों में अभी भी अनुसूचित जातियों सदस्यों के ढार के कारण अपनी पूर्व स्थिति में ही जीवन व्यतीत कर रही है। जो अनुसूचित जातियों के परिवार आक्षण, आर्थिक सहायता, शिक्षा आदि के द्वारा ऊपर उठ गये हैं, वे स्वयं अपनी जाति से अलग रहना पसन्द करते हैं। उनमें परस्पर सामाजिक दूरियाँ बढ़ रही हैं। चुनाव के द्वारा जो इन जातियों के सदस्य मन्त्री तथा अन्य राजनैतिक पदों को प्राप्त कर सकते हैं वे अपनी जाति के सदस्यों का ध्यान नहीं रखते हैं केवल अपना ऐसे अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं। दूसरी ओर सदियों से जो शोषण इनका सर्वज्ञ जाति के सदस्य कर रहे थे उनसे भी ये बदला लेने, झगड़ा करने व नीचा दियाने का प्रयास करते हैं। इसरों परस्पर तनाव तथा सर्पर्य की मिलति पैदा हो जाती है। अनुसूचित जातियों का उत्थान बहुत कम हुआ है। अभी इनका विकास होना शेष है।

असमर्थता

असमर्थता जाति-प्रथा का एक प्रमुख दोष रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक नियम इसको समाप्त करने के लिए पारित रिए गए। केन्द्र एवं राज्य के स्तर पर इसको समाप्त करने के लिए भी अनेक लायर रिए गए। जिस अवधि के स्तर पर इसको समाप्त करने के लिए भी अस्पृशता, शविकल तथा अपारिषदा के कठोर नियमों में कमी आई है। जैमा कि यिछले पुष्टों में टेबिस द्वारा वर्णित अस्पृश जातियों की मिलति को उद्दीप्त किया गया है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि इस जाति की वित्ती दूसरी मिलति भी। नारों में तो पारिषदन हो रहा है। पालनु ग्रामों में इसके पारिषदन की गति भी प्रीमी है। उन जातियों अस्पृशता को गर्भार नहीं मानती है। उनके गिरावंतों तथा व्यवहारों में पारिषदन हो रहा है। द्वितीय जातियों अब जन्म, विवाह, मृत्यु तथा गिरोग उत्तरांगों पर परियाना का गिरोग ध्यान नहीं रहा जाता है। गांगे मा रिविर मध्यांगों, बग्गों, रेलों, होटलों, कार्यालयों, मेशानों, चुनाव आदि

में हीड़नों के साथ सर्वर्ण जातियों दैनिक जीवन में दुआदून, अपवित्रता आदि का विशेष ध्यान नहीं रखती है।

समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं कि जाति में उदाहरणीय प्रवृत्ति आ रही है तथा यह एक नोचदार और परिवर्तनशील सामाजिक संस्था बन गई है। ग्रामों में स्थिति कुछ अधिक स्थिरादारी है। वहाँ पर जर्मनीदार, सर्वर्ण हिन्दू, भू-स्वामी, बड़ी जातिवाले कृषक आदि सम्प्रभ्रहोमे के काषाय मिष्ठ जातियों से काम करवाते थे तथा इनका शोषण करते थे। वह अब कुछ कम हुआ है। पानु यह बहना बहुत कठिन है कि अम्बृश्यता पूर्ण रूप से ममास हो गई है। अम्बृश्यता अभी भी गंगा में निर्दमान है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। ग्रामों में ये लोग अभी भी सम्प्रदातों की दया पर आश्रित हैं। अम्बृश्यता लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। अगर ये अम्बृश्यता लोग अपने अपिकारों की मांग करते हैं तो इन पर अत्याचार निए जाते हैं। इन पर सबसे अधिक अन्याचार उत्ता भाग में होते हैं।

अनुमूचित जातियों पर अत्याचार और उनका शोषण

भारतीय जाति एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो धर्म द्वारा अनुग्रहित है। वास्तव में जानि ही अनुसूचित जातियों के शोषण के लिए उत्तरदायी है। ग्रामों में जाति ही सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कृत्यों पर नियंत्रण करती है। श्रम-विभाजन जाति द्वारा नियंत्रित होता है। जाति ने कर्म-चेतना को क्रमनोर बनाया है। यहाँ कृषक और औद्योगिक श्रमिक अधिक हटि से एक दर्गा बना लेते हैं, वहाँ जाति व्यवस्था उन्हें एक नहीं होने देती और धर्म के आधार पर अलग श्रणियों बन जाती है। इस प्रकार जाति ही अनुसूचित जातियों में वर्ता-चेतना लाने में बाधक है। जाति के कारण अनुमूचित जातियों अपना उत्थान नहीं कर पा रही है। आज जब इनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है तो ये जातियाँ अपने निती के लिए संघर्ष करती हैं, जिसपर में प्रतिष्ठितार्थ व्यक्ति काती है। इसमें उच्च जाति से उम्मके सम्बन्ध विकृत होते हैं। क्षीरक हिन्दू जातियाँ इनमें उन प्रस्तुति, अच्छी नौकरी और उन पदों पर देखरेख प्राप्ति होती हैं। इस तरह उच्च जातियों और अनुमूचित जातियों में संघर्ष चलता रहता है। आज अनुमूचित जातियों में भी मालामाल आ गई है, और योग्यता के आधार पर ये उच्च शिक्षा व पढ़ोनेति की मांग करने लगी है, ये अपने निए उम्म मिथिति तक आकर्षण की मांग करने लगी है जब तक ये सर्वर्ण जातियों के न्यून को प्राप्त नहीं कर सकती। इसमें भी संघर्ष की स्थिति बन रही है।

इन अनुगृचित जातियों में भी सम्मालग्नतक मिति उन्नत हो गई है। ये अनुमूचित जातियों जो उच्च दर्गा से जुड़ जाती हैं, अन्याचार और शोषण से मुक्ता पा जाती है, तथा उद्दीपन, मालामाल आदि उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करते। इन्होंने अनुमूचित जातियों को बदला है या मेहनत के अन्य कार्य करती है, उन पर उच्च दर्गा अमानवीय व्यवहार सिख जाते हैं। उन्हें साथ मालामाल करना, आमनग करना, उनकी महिलाओं पर अत्याचार करना आदि दूसरादूसरा व्यवहार किए जाते हैं, और जब ये लोग उन अल्पान्तरों के शिख पर आताज उठाने हैं तो इनका सामाजिक बहिष्ठर रूप स्थिति जाता है। इन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्रम मजदूरी देना, योग्य वरदान, गर्वजनिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिवध लगाना, भूमि सम्बन्धी मरण, व मैरीट दरा के दातन अधिकार आदि होते हैं। इस सामाजिक गतिशीलता का परिणाम ब्राह्मणोंना रहा है और जो

अनुमूलिक जातियों शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है, उनसे उच्च जातियों का टकराव होता रहता है। रामकृष्ण मुकुर्जी ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। आपने जाति-वर्ग सम्बन्धों पर प्रकाश ढालते हुए लिखा है कि जाति-उपद्रव उन स्थानों में बहुत होते हैं जहाँ पर जाति के आपार पर सामाजिक बंचन स्पष्ट रूप से वर्ग पर आधारित बंचन से सह-सम्बन्धित है।

पुलिस द्वारा किए गए दर्ज मामलों से स्पष्ट हो जाता है कि अनुमूलिक जातियों पर अत्याचार घड़े हैं। पुलिस ने 1955 में 180, 1960 में 509, 1972 में 1,515, 1979 में 13,884, 1987 में 19,342 और 1992 में 21,796 मामले अनुमूलिक जातियों से सम्बन्धित दर्ज किए। 1992 में मारे जाने के 712; मारपीट के 1734, बलात्कार के 1042 और आगजनी के 664 मामले दर्ज किए गए। अनुमूलिक जातियों के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। यह तथ्य 1992 में दर्ज किए गए अपराधों से स्पष्ट होता है। इसी वर्ष अनुमूलिक जातियों के विरुद्ध कुल अपराधों का 29.5% उत्तर प्रदेश, 27.8% झज्जरप्रदेश, 15.5% रिहार, 6.4% केन्द्र और 5.5% राजस्थान में दर्ज किए गए। 56% अपराध तो उत्तर प्रदेश और झज्जरप्रदेश में ही दर्ज किए गए। यह एक गंभीर समस्या है। आपे से अधिक अपराध अनुमूलिक जातियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश और झज्जरप्रदेश में ही होते हैं तथा इनके साथ विहार को मिला दें तो देश के कुल अपराधों का लगभग तीन-चौथाई से कुछ कम अपराध इन राज्यों में ही हो जाते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि अनुमूलिक जातियों का सर्वाधिक शोषण एवं इन पर अत्याचार इन तीन प्रान्तों में होता है।

मई 1977 को बिहार के बेलची में 9 हरिजनों को जीवित जला दिया गया था। ऐसा ही नृशस्तार्ण अत्याचार बिहार के अन्य क्षेत्रों धर्मपुर, गोपालपुर, पथड़ा, छोदानों और कर्मधर में भी हआ था। इनके मारे जाने का कारण हरिजन होना तथा धर्मी एवं प्रमुख जमीदारों के खेतों पर बैठाइदारों एवं कृषक श्रमिकों के रूप में काम करने से मना करना था। अनुमूलिक जातियों पर अत्याचार तथा उनका शोषण दिन-प्रतिदिन घड़ रहा है। इसका कारण जमीन के झगड़े, ब्रह्मग्रस्ता, बेगर, निम्नतम भजदूरी और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने देना है। जब जुलाई 1978 में मराठ्याहा विविधालय का नाम बदल कर डॉक्टर शाहा साहेब अध्येत्तर विविधालय नाम रखा जाने की बात आई तो घोर विरोध एवं उपद्रव हुए। उच्च जाति के लोगों ने इसका विरोध इसतिए किया क्योंकि वे हरिजन नेता के नाम के विरोधी थे। अनुमूलिक जातियों के विरुद्ध जब भी टिंग भड़कती है तब इन निम्न जातियों की झोपड़ीयाँ और घर जला दिए जाते हैं, हत्याएँ कर दी जाती हैं। इनकी वस्तियों को लूट लिया जाता है। हरिजनों की रियों की इबत लूट सेते हैं। इनके पशुओं को मार छानते हैं। पीने का पानी नहीं लेने देते हैं। रोजगार से ये रोजगार कर देते हैं। उच्च जाति के प्रमुख लोगों को जब भी कोई निर्णय असमृद्ध जातियों के पश्च में तथा स्वयं के विरुद्ध लगता है तो ये ऐसा ही बरते हैं। इन अन्यायारों के कारण ये निम्न जातियाँ ईसाई और मुगलमान धर्म अपना लेती हैं। 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीमुरम में 1000 हरिजनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। अनुमूलिक जातियों की विद्युति दर्यानीय हो जाती है तब ये धर्म-परिवर्तन को अनियंत्रित न कर सकते हैं।

अनुमूलिक जातियों का कल्याण

अनुमूलिक जातियों की गिभित समस्याओं के समाधान के लिए गैर-सारकारी प्रयास सामाजिक गुरांगों, पर्याय-नियिकों, सारकैरिक नेताओं आदि द्वारा समय-समय पर अनेक व्यक्तिगत तथा गान्धीर रस्ता पर चिए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सारकारी प्रयास चिए गए हैं वे भी विरोग उन्नेश्यारीय हैं।

(1) गैर-सारकारी प्रयास— कबीर, रामलुज, जगद्गुरु आदि शंकराचार्य, दैतन्य, नानक, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानन्द सास्वती, स्वामी विवेकानन्द, केमावचन्द्र सेन, रामाचंद्र शिंदे, राजा रामपोहन राय, महात्मा गांधी आदि ने अपने-अपने समय में विभिन्न अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, जिससे कि उनकी राजनैतिक तथा सार्वजनिक स्थिति भी सुधरे।

अम्मृशयता को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। स्वयं अम्मृशय जातियों द्वारा भी इसके निवारण के लिए आंदोलन किये गये। सर्वप्रथम ज्योति राव फूले के द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में संगठित रूप से असृशयता को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। आपने पूना में 'मत्य शोधक समाज' की स्थापना की थी। इसके द्वारा अम्मृशयों को अनेक अधिकार दिलवाने के लिए प्रयास किये गये। धार्मिक कारणों के आपार पर यह आंदोलन दबा दिया गया जिसे बाद में पुनर अन्वेषकर ने चलाया। आपके द्वारा 'अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ' और 'अखिल भारतीय दलित वर्ग फैडरेशन' सन् 1920 में स्थापित किये गये। असृशय जातियों ने इन सगठनों के द्वारा धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति की थी।

अनुसूचित जातियों को हिन्दू का अधिन्देश अग बनाये रखने तथा इनका बहुमुही विकास करने के लिए महात्मा गांधी का कार्य विशेष उल्लेखनीय है। आपने ब्रितानिया सरकार की चाल को समझा तथा इन जातियों को हिन्दुओं से अलग करने की नीति के विरुद्ध आमरण अनशन किया था। गांधीजी ने अनुसूचित जातियों की विभिन्न समस्याओं के समापन के लिए इसे राजनैतिक कार्यक्रम का एक अधिन्देश अग बनाया था जिसके परिणामस्वरूप आज भारत के सभी राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों का यह एक महत्वपूर्ण अग बन गया है। महात्मा गांधी के प्रयासों से 'हरिजन मेवक संघ' की स्थापना सन् 1932 में की गई। इस संघ के द्वारा किये गये प्रयासों के कालम्बरूप हरिजनों को दक्षिण भारत में मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार मिला। इसने निछड़े बांगों के विकास के अन्वर प्रदान कराए। मानवों के बीच समानता तथा बन्धुत्व की भावना का प्रचार किया गया। अम्मृशयता निवारण के लिए प्रयास किए गए। इस संघ द्वारा हरिजनों में शिक्षा का प्रसार तथा व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए प्रयास किये गये। इसके द्वारा नुटीर उद्योगों की भी स्थापना की गई। सर्वेष्ट्रम और्ह इण्डियन सोसायटी, रामकृष्ण पिथान आदि सम्प्रांतों ने अनुसूचित जातियों के सामाजिक कल्याण तथा विकास के लिए समय-समय पर अनेक कार्य किये।

अनुसूचित जातियों के लिए 'दलित वर्ग संघ', 'अनुसूचित जाति संघ' तथा अन्य अनेक राज्य तथा अखिल भारतीय स्तर के हरिजन सगठनों ने अनेक कार्यक्रम अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निवारण के लिए चला रहे हैं, जैसे— सामृतिक कार्यक्रम, विचागोष्ठियाँ आदि। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए निछले दराक से 'विस्व हिन्दू परिषद' भी कार्य कर रही है।

सरकारी प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा बाद में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रयास किये गये हैं, जो निम्नलिखित प्रकार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अखिल भारतीय काउन्सिल द्वारा ने अग्रेजी सरकार पर समय-समय पर इनके उत्थान तथा प्रतिवन्धों की दृढ़ करने के लिए दबाव दाना था जिसके परिणामस्वरूप अग्रेजी सरकार ने सन् 1930 में अनुसूचित जातियों की सौरक्षी तथा शिक्षा से सम्बन्धित नियोग्यताओं तथा प्रतिवन्धों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाये।

अंग्रे. गरकार ने उन जातियों की सूची तैयार करवाई जो अनेक प्रकार की असमर्थताओं तथा प्रतिबन्धों से पीड़ित थी। इस सूची में सम्मिलित जातियों के उत्थान के लिए इनको विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। सन् 1940 में अंग्रेजी सरकार ने संसद में अनुसूचित जातियों के लिए दो स्थान सुरक्षित किए।

कांग्रेस दल ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व न केवल अंग्रेजी सरकार को इन जातियों के उत्थान के लिए दबाव डाला बल्कि जब भी इनको अवसर मिला स्वयं ने भी इनकी नियोग्यताओं को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। सन् 1936 में भारत के जिन प्रदेशों में कांग्रेस सरकारें सत्ता में आई वहाँ-वहाँ इन्होंने अनुसूचित जातियों की नियोग्यताओं को दूर करने के लिए कानून पारित किए। इन्होंने अनुसूचित जातियों को शिक्षा, नौकरी तथा मन्दिरों में प्रवेश दिलवाने सम्बन्धी कानून बनाये। उन्हें छात्रवृत्तियाँ दिलवाने की व्यवस्था की थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी इस दल ने अनेक कार्य किये।

- (1) संवैधानिक कार्य,
- (2) सहायता कार्य और
- (3) कल्याण कार्य।

(1) संवैधानिक कार्य— भारत के स्वतन्त्र होने के बाद जो संविधान बना उसमें संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों तथा अन्य ऐसे ही वर्गों की नियोग्यताओं, असमर्थताओं तथा प्रतिबन्धों को दूर करने के लिए अनेक अधिनियम बनाये हैं। सभी की विवेचना करना तो यहाँ पर सम्भव नहीं है लौकिक आगे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों का उल्लेख किया जा रहा है—

धारा 15— इस धारा के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान अध्यवा इनमें, किसी भी आधार पर कोई भेद-भाव नहीं बरतेगा। इनमें से किरी आधार पर कोई नागरिक दुकानों, भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरजन के स्थानों में प्रवेश के बारे में किसी भी अंश में राज्य द्वारा पोषित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी नियोग्यता, प्रतिबन्ध या शर्त के अधीन नहीं होगा।

धारा 16— इस धारा के अनुसार राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान, निवास आदि के आधार पर कोई नागरिक सरकारी पदों के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा और न ही कोई भेदभाव किया जाएगा।

धारा 17— इस धारा के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है। अस्पृश्यता का व्यवहार और उससे पैदा हुई नियोग्यता को लागू करना कानूनी अपराध माना जाएगा और ऐसा आचरण दण्डनीय अपराध माना गया है। राज्य की ओर से दण्ड दिया जायेगा।

धारा 25— इस धारा के द्वारा इनको धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्र अधिकार दिए गए हैं। राज्य के हिन्दूओं की सार्वजनिक संस्थाओं को सब वर्गों के लिए खोलने और सामाजिक सुधार के कानून बनाने के अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं।

धारा 29— इस धारा के अनुसार कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्रवेश से बचित नहीं किया जाएगा।

धारा 38— इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और एक करने का भरपूर प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को अनुशासित करके लोक कल्याण की वृद्धि करे।

धारा 46— इस धारा के द्वारा राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुमूलिक जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी विरोध सुविधाएँ देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उत्तरि कर सकें। इस धारा में सामाजिक न्याय एवं शोषण से भी दलित वर्गों के साम्यग की व्यवस्था की गई है।

धारा 330, 332 और 334— इन धाराओं के द्वारा समसद तथा राज्यों के विधान मण्डलों में 20 वर्ष तक अनुमूलिक जातियों और अनुमूलिक जनजातियों को प्रतिनिधित्व की विरोध सुविधा दी गई है। इस अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है तथा आज भी इन्हें यह सुविधा दी जा रही है। इसके अन्तर्गत समसद में अनुमूलिक जातियों के लिए 79 स्थान तथा विधान मण्डलों में 559 स्थान सुरक्षित हैं। यह स्थिति 1982 में थी।

धारा 164— इसके द्वारा जातियों के कल्याणी तथा हितों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य में सलाहकार परिषदों और पृथक् विभागों की व्यवस्था की गई है। इस धारा के द्वारा केन्द्र सरकार में एक नियोग अधिकारी की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है।

धारा 335— इस धारा के द्वारा प्रशासन की कार्यकुलालता को घ्यान में रखते हुए अनुमूलिक जातियों तथा जनजातियों के लोगों को केन्द्र तथा राज्य सेवाओं में स्थान दिया जायेगा। प्रतियोगी सेवाओं में 15% तथा अन्य में 16.66 स्थान सुरक्षित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुमूलिक जातियों के लिए सन् 1957 में 15 स्थान सुरक्षित थे जिसमें से केवल 5 स्थान भर पाये जावाकि सन् 1962 में सभी स्थान भर गये थे। सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व अपी भी काफी कम है।

अस्मृत्या अपराध अधिनियम, 1955— इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के द्वारा अस्मृत्या जातियों की सभी नियोग्यताओं तथा असमर्थताओं को समाप्त कर दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रतिवर्षियों का उल्लेख किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इन जातियों को सार्वजनिक पूजा के स्थानों में जाने की स्वतन्त्रता होती। सभी योग्यताओं की स्वतन्त्रता होती। सभी नौकरी अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार की पूजा-पाठ, प्रार्थना-अर्चना अथवा दूसरे धार्मिक मम्मार करने के लिए मतन्त्र होती हैं। अगर कोई किसी को दोनों या दोनों से नौकरान द्वारा दी गई वित्तीय तथा अन्य महायता बन्द की जा सकती है अथवा उनकी जर्मीन हीनी जा सकती है।

इस अधिनियम के द्वारा अनुमूलिक जातियों को सभी सार्वजनिक स्थानों, रेसे—ट्रान्सों, घरमालाओं, जनजान-गृहो आदि का उपयोग करने का अधिकार देय दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा ये लोग कोई भी व्यवसाय या व्यापार का चयन कर सकते हैं। इन जातियों पर पहले जो सार्वजनिक होतो थे जाने, मकान या जर्मीन उपलिख्य, वर्ग तथा अभूतग पहले के प्रतिक्रिया हैं, इस अधिनियम द्वारा यामान कर दिये गये हैं तथा इनमें अब किसी भी तुरंत, नई आदि का उपयोग करने की स्वतन्त्रता मिल गई है। अब ये कानून के ग्राम्य में कोई भी वाय तथा आभूतग पर्यावरण महसूस है। अगर कोई दुर्घटनार इस जाति के सम्म्यों को तम्हु बेचने या सेवा करने में मता करेगा तो वह

दण्ड का भागीदार होगा। इस प्रकार स्वतन्त्र भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक कानून, अधिनियम तथा धाराएं पारित करके अनुसूचित जातियों के सदस्यों को पूर्ण रूप से समर्थ तथा योग्य बना दिया है। सभी प्रतिवन्य तथा निर्योग्यताएं समाप्त कर दी गई हैं। समय के साथ-साथ सर्व जातियों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है तथा इनकी स्थिति पीरे-पीरे सुधार और विकास की ओर अग्रसर हो रही है।

(2) सहायता कार्य— अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकारों ने आर्थिक, शैक्षणिक तथा अनेक समाज कल्याण कार्यक्रमों को चलाकर इनका तेजी से विकास करने का भी भासक प्रयास किया है तथा कर रही है। सरकार अपने विभागों तथा पैर-सरकारी समाज-कल्याण संगठनों को आर्थिक सहायता देकर अनुसूचित जातियों के लिए सहकारी संगठन स्थापित करती रही है तथा विकास के कार्यक्रम चलावा रही है। प्रारम्भ के 20 वर्षों में कल्याण योजनाओं पर इन जातियों के लिए एक अरब रुपया खर्च किया गया था। शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य मदों पर 69 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। इन लोगों को मकान बनाने के लिए मुक्त अथवा नाममात्र के ब्याज पर सहायता दी जाती है। इनके स्वास्थ्य सुधार के लिए अस्पतालों, बालकों तथा रियों के लिए स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र खोले गये हैं। पीने के पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। 1980-85 के वर्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों आदि के कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों के लिए 2030.30 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया था। सातवीं योजना में कुल परिव्यय का 1.42% तथा आठवीं योजना में 1.36% अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया। इन आर्थिक सहायताओं के द्वारा इन जातियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तथा आगे भी सुधार होने की सम्भावना है।

(3) कल्याण कार्य— भारतीय संविधान की अनेक धाराओं, उप-धाराओं तथा अधिनियमों द्वारा अनुसूचित जातियों की अनेक निर्योग्यताओं को समाप्त किया गया है तथा कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इनकी स्थिति पर नजर रखने, विकास के लिए सुझाव देने आदि के लिए केन्द्र के स्तर पर धारा 338 के अन्तर्गत एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जिसके अधीन उपायुक्त होंगे। इनका कार्य प्रत्येक प्रकार की सलाह देना है। सरकार ने कानून पारित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित ठोस कल्याणकारी कार्य भी किये हैं—

3.1 संसद, विधानमण्डलों तथा पंचायतों में प्रतिनिधित्व— धारा 334 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा, विधानसभाओं तथा पंचायतों में कुल स्थानों में इनकी संख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। प्रारम्भ में ये सुरक्षित स्थान संविधान के लागू होने के 20 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखे गये थे। बाद में यह अवधि दस-दस वर्ष बढ़ा दी जाती रही जो 25 वर्ष है, सन् 1993, मित्र 1998 तक, अर्थ 25 अप्रैल, सन् 2003 तक, ये तिरायदी रहेंगे। लोक सभा में 543 स्थानों में से 79 स्थान तथा राज्य की विधान सभाओं के 4,047 स्थानों में से 557 स्थान इन अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इनके लिए आरक्षित स्थान कुल स्थानों का 15% होता है जो समय-समय पर बदलते रहते हैं। पंचायती राज संघ्याओं में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। इन सब प्रयासों के आधार पर ऐसा पाया गया है कि सरसो अधिक प्रगति अनुसूचित जातियों की राजनैतिक चेतना में हुई है।

3.2 नौकरियों में आरक्षण— धारा 335 के अनुसार प्रशासन की कार्यकुशलता को स्थान में रखते हुए अनुसूचित जातियों के लोगों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों की नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है जो प्रतियोगी नौकरियों में 15% तथा अन्य में $16\frac{2}{3}\%$ है। ठीसरी और छोटी ब्रेणी के कर्मचारियों में सीधी भर्ती में स्थानीय या क्षेत्रीय उम्मीदवार लिये जाते हैं जिसमें राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में इनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किये जाते हैं। पटोत्रिति में भी अनुसूचित जातियों के लिए 15% स्थान सुरक्षित हैं। ऐसा उसी स्थिति में होता है जब सीधी भर्ती 50% से अधिक नहीं होती है।

अनुसूचित जातियों के सदस्यों को योग्यता मानदण्ड में, जैसे आयु सीमा में भी दूर दी जाती है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर स्थिति का सर्वेक्षण, अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जाता है कि वस्तुस्थिति क्या है? इनके उत्थान में कितनी प्रगति हुई है? इन्होंने अपने अधिकारों का कितना उपयोग किया है?

3.3 शिक्षा सम्बन्धी सहायता— स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले निजी समाज सुधार तथा समाज कल्याण संगठनों ने इनकी शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किये थे। ईसाई मिशनारियों ने इसमें काफ़ी काम किया था। अरकोट पिशन, दलित वर्ग पिशन, निर्णन स्कूल सोसायटी आदि उल्लेखनीय संस्थायें हैं जिन्होंने इनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप निम्न चरणों में इनमें विकास की स्थिति देखी गई— (1) प्रथम अवस्था में अनुसूचित जाति के बच्चों को पाठशाला में प्रवेश तो दिया गया परन्तु कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया। (2) दूसरी अवस्था में कक्षा में प्रवेश मिला परन्तु मौतिक रूप से इनको अलग बिठाया गया। (3) तीसरी अवस्था में इनमें तथा सर्वांग जाति के विद्यार्थियों में भेदभाव समाप्त हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इनके लिए अनेक प्रयास सरकारी स्तर पर किये गये हैं। इनके बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं। 1947-48 में 655 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी गई जो 1967-68 में सल्ला बढ़ाकर 1,04,098 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी। सन् 1961-62 में 5 छात्रों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। 1967-68 में ऐसी छात्रवृत्ति 10 छात्रों को दी गई। आजकल तो अनुसूचित जातियों के बच्चों को अनेक सुविधाएँ इनमें शिक्षा के प्रसार के लिए दी जा रही हैं, जैसे— छात्रवास की सुविधा, मुफ्त पुस्तकें, कापियाँ, भोजन, रहने तथा अन्य खर्चों के लिए वित्तीय सहायता आदि दी जाती है।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए अखिल भारतीय तथा अन्य केन्द्रीय सेनाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए अनेक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा गिड़डे वर्गों के 105 लाट छात्रों को माध्यमिक पूर्व स्तर तक तथा 80 लाख छात्रों को माध्यमिक बाद की छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई थी। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए दाँचवाली पचवर्षीय योजना में 197.35 करोड़ रुपया तथा छठी दूसरी पचवर्षीय योजना में 506.50 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा था। इन सब प्रयासों से अनुसूचित जातियों में शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ है। इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरियों ही प्राप्त नहीं वी है बर्तन् इनका सामाजिक और राजनीतिक विकास भी हुआ है।

निकरांत यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिखित प्रकार की सहायता, प्रावधान, धाराओं, अधिनियमों तथा विभिन्न देशों में आरक्षण प्रदान करके 47% अनुसूचित जातियों का बहुमुर्दी विकास करने में कोई करार नहीं उठा रखी है। इन प्रयासों से इनका विकास हो रहा है तथा भविष्य में और तेजी से विकास की सम्भावना दृष्टिगोचर हो रही है।

अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता

जाति प्रथा में सामाजिक गतिशीलता प्रतिबन्धित होती है अर्थात् कोई भी व्यक्ति या जाति समूह अपनी प्रस्थिति परिवर्तित नहीं कर सकता है। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से भारतीय सभिधान लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति, समूह, उप-जाति या जाति अपनी प्रस्थिति बदल सकते हैं। सरकारी प्रधासों के द्वारा अनुसूचित जातियों को ऊंचा उठाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में सफलता भी मिली है। अनेक अनुसूचित जातियों और इन जातियों के लोग ऊपर उठे हैं, इनकी स्थिति सुधरी है। परन्तु यह स्थिति बहुत कम मात्रा में ही सुधर पाई है। श्रीनिवास ने जातियों की गतिशीलता को 'संस्कृतिकरण' की प्रक्रिया के द्वारा समझाया है। आपकी मान्यता है कि निम्न जातियां संस्कृतिकरण के द्वारा जाति संस्तरण में ऊपर उठती हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की निम्नलिखित परिभाषा दी है—

“संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिन्दू जाति या कोई जनजाति अर्थवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति-रिवाज, कर्मकाण्ड, विचारधारा और जीवन-पद्धति को बदलता है। सामान्यत ऐसे परिवर्तनों के बाद वह जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में जो स्थान उसे मिला हुआ है, उससे ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है। भापारणत बहुत दिनों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है।”

जो जाति या समूह संस्कृतिकरण करते हैं वे धर्म, कर्म, पाप-पुण्य, माया-मोह, मोक्ष जैसे शब्दों तथा भाषा का प्रयोग करते हैं। श्रीनिवास ने कहा है कि जो जाति उच्च होने का दावा करती है वह दो-तीन पीढ़ियों में समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेती है। योगेन्द्र सिंह ने भी लिखा है कि, संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से बन्द हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक सामाजिक परिवर्तन का योगत है। आपका यह भी वहना है कि संस्कृतिकरण परिवर्तन का समाज में विद्यमान कारक है। जो संस्कृतिकरण करते हैं वे अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़कर उच्च जाति के व्यवसायों को अपनाते हैं। ऐसी जातियों जो समाज में ऊंचा उठना चाहती है वे उच्च जातियों के जीवन के तरीके, खान-पान रहन-सहन, आचार-विचार, आदि का अनुकरण करते हैं। दूसरी ओर अपनी परम्परा, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज त्याग देते हैं। मन्दिश्वर प्रसाद ने अपने अध्ययन में पाया कि शूद्र एवं अस्पृश्य जातियों ने मासाहारी भोजन त्याग दिया, पर्दा-प्रथा अपना ली, महिलाओं को घर के बाहर व्यवसाय करने से रोक दिया। उच्च एवं पवित्र, साफ-सुधरे पेशे अपनाए और धीरे-धीरे जाति संस्तरण में ऊंचे स्थान प्राप्त करने के लिए दावा किया। उनका समाज में सम्मान तथा प्रस्थिति बढ़ी भी। अनेक अनुसूचित जातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में सामाजिक गतिशीलता को देखा जा सकता है।

हट्टन तथा अन्य समाजशास्त्रियों ने लिखा है कि अनेक निम्न जातियों ने अपने मूल-निवास स्थान को छोड़कर दूर अन्य स्थानों में जाकर पवित्र व्यवसाय अपना कर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाया है, वर्तमान में शिक्षा, व्यवसाय, आय तथा देशागमन के फलस्वरूप भी अनुसूचित जातियों ऊपर उठी हैं। सरकार द्वारा अनेक सुधाराएं प्रदान करने का भी प्रभाव अनुसूचित जातियों की सामाजिक गतिशीलता को गति प्रदान करने पर पड़ा है। अनुसूचित जातियों शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। नौकरियों में 15% आरक्षण का लाभ उठा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उप-राष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री तथा ऐसे ही अनेक पदों पर कार्य किया है और कर रहे हैं। वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों के लोगों में

आक्रमणों का मत्र कान्ही ऊँचा देखा जा सकता है। कानून से अनुमूलिक जातियों के लिए सामाजिक गतिरोधता को वैधानिकता प्रदान कर दी है। जैसे-जैसे इनमें आनंदविश्वाम बढ़ेगा सामाजिक गतिरोधता में गति आएगी।

सामाजिक गतिरोधता के अवसरों के बढ़ने के साथ-साथ अनुमूलिक जातियों में भी प्रतिष्ठानों आ पाई है। आब इनमें विद्यमान प्रतिष्ठानों जो तीन रूपों में देखा जा सकता है—(1) एक अनुमूलिक जाति समूह के रूप में अन्य सर्वनै जातियों के साथ प्रतिष्ठानों करती है तथा सामाजिक साचना में अपना स्थान ऊँचा उठाने का प्रयास करती है। (2) एक अनुमूलिक जाति अन्य अनुमूलिक जातियों पर प्रतिष्ठानों करके समाज में उनसे ऊँचा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है, और (3) एक अनुमूलिक जाति के सदस्य परस्पर एक-दूसरे से ऊँचा उठने का प्रयास करते हैं।

1991 की जनगणना के अनुमान भारत में अनुमूलिक जातियों की कुल जनसंख्या 13.623 करोड़ है। इनमें बड़ी जनसंख्या को कल्याणकारी कार्बिंगों तथा संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा एक साथ ऊँचा उठाना सम्भव नहीं है। जिन सोंगों तक लाभ पहुँचा वे सोंग तो ऊँचे उठ गए तथा अन्य ददावत रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न अनुमूलिक जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता पैदा हो रही है। अनुमूलिक जातियों में जागृति आ राई है। वे अब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सदियों से उच्च जातियों ने उनका धन पूँजीपन किया है और आब भी करने से बाज़ नहीं आए है। इस चेतना ने अनुमूलिक जातियों में उच्च जातियों के विस्तर वैमनन्य, इन्होंने तथा आक्रामक मत्र पैदा कर दिया है। इन परिष्ठियों में उच्च एवं अनुमूलिक जातियों के बीच झगड़े पैदा कर दिए हैं। ग्रामों तथा निछड़े क्षेत्रों में जाति-संघर्ष बढ़ गया है। इसे कुछ सचाइशारी 'वर्ग-युद्ध' तथा 'वर्ग-संघर्ष' की संज्ञा देते हैं। कहाँ नियंत्र जातियों ऊपर उठना चाहती है तो मवने जातियों उनका पोरा विरोध करती है। अनुमूलिक जातियों के उन्द्योग के लिए सामाजिक गतिरोधता की अभी स्वस्थ परम्परा का विकास होना चाहिए। दुख सो इन बातों का भी है कि जो अनुमूलिक जातियों उनके सदस्य सम्बन्ध हो जाते हैं, जिनसी प्रतिष्ठित अच्छी हो जाती है, वे सोंग अपने को मूँन परम्परा तथा जनुदाय में अलग कर लेते हैं।

अनुमूलिक जातियों पर जो परम्परागत प्रतिवन्ध तथा नियोन्यताएँ योगी गई थीं उनमें आब कभी आई है। उच्च जातियों की मानसिकता अभी पूर्ण रूप से नहीं बदली है। इम कारण अनुमूलिक जातियों के कई स्थानों पर कट्टे बढ़े हैं। अनेक स्थानों पर अनुमूलिक जातियों ने अपने अधिकारों की मांग की है तथा मरकार एवं पुलिस के सरदार के अभाव के कारण उन पर अन्यावार हो रहे हैं। नियंत्रण यह कहा जा सकता है कि अनुमूलिक जातियों के लिए सामाजिक गतिरोधता के द्वारा खुले हैं, वे ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। बाधाएँ बहुत साज्जे जा रही हैं जो समयानुसार कम होती और एक स्वन्ध इन्द्रु मनाओ विक्षिप्त होगा, ऐसी सम्भावना है।

अनुमूलिक जातियों में असमानताएँ

हमारे सामने प्रम्य उठते हैं कि—क्या सभी अनुमूलिक जातियों द्वारा मनान है, क्या दवितना-असवितना के आधार पर मनाना है? क्या सभी अनुमूलिक जातियों का अर्द्धिक मन एक-सा है क्या इनका गिराव का मनर समान है? क्या इनमें अपने अधिकार हैं? क्या इनमें जातानुसार मनान रूप से पाई जाती है? जो मरकार द्वारा नीतियों तथा स्वयंभन्न-कार्बिंग चलाए जा रहे हैं, क्या उनके लाभ सभी अनुमूलिक जातियों तथा उनके सदस्यों को स्वयं रूप से विभिन्न किए गए हैं? इन

उपर्युक्त प्रश्नों का विवेचन करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अनुसूचित जातियों में असमानताएँ हैं अथवा नहीं।

जिस प्रकार से जाति प्रथा में सर्वांगीन और अवर्ण जातियों में पवित्रता के आधार पर उच्चता और निम्नता व्याप्त रही है उसी प्रकार से अनुसूचित जातियों में भी परस्पर ऊँच-नीच का आधार पवित्रता और अपवित्रता है। शूद्र वर्ण के स्तर की जातियों अपने को अस्पृश्य जातियों से उच्च मानती हैं। अस्पृश्य जातियों में भी व्यवसाय की प्रकृति, उपकरण, कच्चा माल के उपयोग के आधार पर उच्चता और निम्नता मिलती है। नवा जूता बनाने वाला चमार उच्च है तथा जूतों की मरम्मत करने वाला निम्न। वर्तमान समय में जिन अनुसूचित जातियों का शैक्षिक स्तर ऊँचा उठ गया है, उन्होंने अधिक लाभकारी व्यवसाय पा लिया है। उनकी आप भी बढ़ गई है। इससे कम शिक्षित या अशिक्षित अनुसूचित जाति के सदस्य पिछड़े रह गए हैं। शिक्षा ने नई असमानता इन लोगों में पैदा कर दी है। जिन लोगों तक शिक्षा के लाभ नहीं पहुँच पाए हैं अथवा वे शिक्षा की प्राप्ति जागरूक नहीं थे अपनों से ही निम्न, निर्धन, तथा हीन रह गए हैं। शिक्षा के प्रसार और प्रचार के कारण अनुसूचित जातियों में शिक्षित और अशिक्षित, सम्पन्न और निर्धन जैसे असमान समाजिक झार्ग बनते जा रहे हैं।

अनेक अध्ययन, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि शिक्षा का प्रसार और छात्रवृत्तियों का वितरण अनुसूचित जातियों में समान स्तर से नहीं हुआ है। जिनको वितरण हुआ है उसका भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। उन्हीं अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने तुरंत इन सुविधाओं का लाभ उठाया है जो तुलनात्मक रूप से अन्यों से अधिक जागरूक तथा कम निर्धन थे। शिक्षा ने इन जातियों में पहिले से विद्यमान सामाजिक और आर्थिक असमानता को और बढ़ाया है। जिन अनुसूचित जातियों तथा उनके सदस्यों में अपनी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति के सम्बन्ध में अधिक जागरूकता थी तथा उसको सुधारने के प्रति प्रयत्नशील थे, उन्होंने सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का भरपूर लाभ उठाया। जागरूक लोगों ने ग्राम पंचायत, पचायत समिति, न्याय पंचायत, जिला परिषद, विधान सभा, लोक सभा के आरक्षित स्थानों को प्राप्त किया। अपनी ही अनुसूचित जातीय समुदाय के अभिजात बन गए। अभिजात बनने के बाद उन्होंने अपने ही जातीय भाई-बन्धुओं से दूरी स्थापित करली है। जिन कार्यक्रमों को असमानता को दूर करने के लिए चलाया गया था वे स्वयं इसकी वृद्धि करने के कारक और कारण बन गए। इसका एक कारण कार्यक्रमों का दोषपूर्ण ग्रियान्वित करना भी हो सकता है।

निष्कर्ष—यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों में असमानता विद्यमान है जिसके कारण पवित्रता-अपवित्रता, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्तर, अभिजात सदस्य, अगमान जागरूकता, निर्धनता, नीतियों एवं कल्याण कार्यक्रमों का दोषपूर्ण ग्रियान्वित करना भी हो सकता है।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सुझाव

अनुसूचित जातियों के उत्थान, विकास, सुधार एवं कल्याण के लिए अनेक अधिनियम एवं कल्याणकारी योजनाएँ कार्यान्वित होती रही हैं लेकिन इनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में अप्रतिलिखित कलिपय सुझाव हैं जो अनुसूचित जातियों के विकास में प्रेरक कारकों का कार्य कर सकते हैं—

1. शिक्षा का प्रसार— शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसका प्रसार करके किमी भी रचनात्मक कार्य को सफल बनाया जा सकता है। अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास एवं समस्याओं के निवारण के लिए शिक्षा का दो प्रकार से उपयोग करना चाहिए। (1) समाज के सभी लोगों को, विशेष रूप से सर्वर्ण जातियों को, शिक्षा के माध्यम से यह बताना चाहिए कि अवर्ण जातियाँ भी उनकी ही तरह से मानव हैं, उनका भी अपना जीवन है, वे भी समाज के उतने ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिन्हें कि सर्वर्ण लोग। उनके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझना चाहिए। समाज के सभी सम्पन्न लोगों को इनके विकास और उत्थान में भर-पूर सहयोग देना चाहिए। (2) अनुसूचित जातियों को शिक्षित करके उपर उठाना चाहिए। उन्हें अधिक-से-अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरसम्बद्ध सहायता देनी चाहिए। जब ये शिक्षित हो जाएँगे तो उत्तम व्यवसाय तथा आय प्राप्त करके समृद्ध हो जाएँगे। सर्वर्ण तथा अवर्ण दोनों ही जातियों के व्यक्तियों के शिक्षा द्वारा हृदय पवित्रित करने चाहिए। उच्च जातियों में निम्न जातियों के प्रति प्रेमभाव पैदा करना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों में कुण्ठा की भावनाओं को दूर करके आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। यह शिक्षा के प्रमाण और प्रचार द्वारा ही हो सकता है।

2. कानूनों तथा कल्याण योजनाओं को नियुक्ति में कार्यान्वयित करना— अमृग्रन्थना, दुआदूत, आदि के निवारण के लिए कानून तो बन गए हैं परन्तु इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा रहा है। कल्याण योजनाओं को दोषपूर्ण तरीके से कार्यान्वयित किया जा रहा है। इससे वाहिन ताम्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सर्वर्ण जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच की छाई पट्टें के मध्यम पर अन्तर बढ़ता जा रहा है। दोषपूर्ण कार्यान्वयिति होने से अनुसूचित जातियों में पास्तर भी असमानता बढ़ने लगी है। इसको समाप्त तभी किया जा सकता है जब नियमों का कठोरता से पालन हो तथा योजनाओं को नियुक्ति से लागू किया जाए।

3. आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का निवारण— अनुसूचित जातियों के व्यवसाय गन्दे तथा कम बेतन वाले हैं। गन्दे व्यवसायों का यन्त्रीकरण करना चाहिए। 'काम ही पूजा है' की भावना में सभी पेशों को देखना चाहिए। इन जातियों को आर्थिक सहायता दी जावी चाहिए जिससे ये स्वच्छ व्यवसाय अन्तरा संकेया कर सकें। गन्दे पेशों से इनको दुष्टकार दिलवाना चाहिए। भूमिहीनों को भूमि तथा बेरोजगारों को राबगार दिलवाने चाहिए। कुटीर उद्योगों के लिए क्रप देना चाहिए तथा आरक्षण प्रदान करना चाहिए। नौकरियों में जो आरक्षण का 15% प्रावधान है उसे ईमानदारी से पूरा करना चाहिए।

4. अनुसूचित जाति के आर्थिक तथा गैरकार्यक विकास और दुभासून मिलिति, 1969 के मुद्रावांकों की पालना— इस मिलिति ने नियमानुसूचित मुद्राव दिए थे, उनका कठोरता में पालन करना चाहिए।

- (1) विरामनी पुरोहिती प्रधान को समाप्त किया जाए।
- (2) दुभासून का कानून कठोर बनाया जाए।
- (3) अमृग्रन्थ बरतने वाले को वित्तीय सहायता और सरकारी क्रप नहीं दिए जाएं।
- (4) क्रप देते समय अनुसूचित जातियों को प्रावधानिकरण दी जाए।
- (5) अनुसूचित जातियों को उनके विकास की भूमि या उनका अधिकार दिया जाए।
- (6) वेगांश प्रधान को गैर-कानूनी पोषित किया जाए।
- (7) अन्तर्वासीय विवाहों को प्रोत्तरान दिया जाए, और
- (8) श्रम के प्रति श्रद्धा और समानता के व्यवहार को मरना प्रदान की जाए।

अध्याय - ४

अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes)

भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों, वर्गों एवं समुदायों के लोग निवास करते हैं। इनको प्रमुख दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वे समुदाय अथवा समूह जो खुशहाल हैं, सम्पन्न हैं, सभी सुख-गुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा दूसरे वे समुदाय या समूह जो कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनका जीवन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा जिनका विकास करना आवश्यक है, जैसे कि वे अनुसूचित जातियाँ जिनका हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। इन्ही से मिलती-जुलती समस्याओं से पीड़ित भारतवर्ष में अनेक छोटे-छोटे जनजातीय समुदाय हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से प्रतिकूल पर्यावरण में बसे हुए हैं, दुर्गम स्थानों में रहते हैं, समतल भूमि का अभाव है, जीविकोपार्जन बहुत कठिनाई से कर पाते हैं। इनकी आर्थिकी सम्भारणात्मक है, बचत की नहीं है। गरीबी की रेखा से नीचे का जीवनायापन करते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि समस्याओं से ग्रसित हैं।

चूंकि इन पिछड़े जनजातीय समुदायों का योजनाबद्ध विकास एवं उत्थान करना आवश्यक है इसलिए ऐसे पिछड़े आदिवासियों, गिरिजनों, वन्यजातियों की सूची तैयार की गई जिसे अनुसूचित जनजातियाँ कहते हैं। इन अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न पदों का अध्ययन करने से पहिले हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करें।

अनुसूचित जनजातियों का अर्थ एवं परिभासा

सरल भाषा में साकार द्वारा 'सैयर' की गई पिछड़ी जनजातियों की सूची ही अनुसूचित जनजातियाँ कहलाती हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निरचय किया था कि देश के कमज़ोर या दुर्बल वर्गों, समुदायों, या लोगों का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाये। इसी क्रम में भारत की जनजातियों, जो कि अनेक लक्षणों के कारण कमज़ोर और दुर्बल यानी जाती हैं, का योजनाबद्ध विकास करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए स्वतन्त्र भारतवर्ष के संविधान की पारा 341 और 342 के अन्तर्गत 15 आदेशों में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। इसमें उन जनजातियों का उल्लेख किया जाता है जो अनेक प्रकार से कमज़ोर या दुर्बल हैं जिनके विकास का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

संविधान की थारा 338 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे जनजातियों तथा जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करें जो जनजातियों की अवस्था का विकास करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को मुझाव दे।

घुर्ये का मानना कि अनुसूचित जातियाँ विशिष्ट सामाजिक और सामूहिक इकाइयाँ हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े वर्गों का एक समूह माना गया है तथा इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ रखा गया है। कानून की नजर में अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी या आदिम दोनों ही मर्ही बताया गया है तथा इनको अलग से कोई कोटि भी मर्ही माना गया है। घुर्ये इन्हें 'पिछड़े हिन्दू' अवश्य मानते हैं। परन्तु आप इन्हें एक पुबकु, कोटि में रखना चाहते हैं। आपकी मान्यता है कि इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ जोड़ने से इनको हानि हो सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि अनुसूचित जनजातियों की अवधारणा संवैधानिक अधिक है जिसके अनुसार वे जनजातियाँ ही केवल मात्र अनुसूचित जनजातियाँ कहलाती हैं जो सरकार द्वारा तैयार की गई संविधान की अनुसूची में सम्मिलित हैं।

अनुसूचित जनजातियों की समस्याएँ

भारतीय संविधान के अनुसार कुल 212 अनुसूचित जनजातियों थीं किन्तु भारत के विभाजन अथवा शरणार्थी आदि कारणों के आधार पर इनकी संख्या में नियन्तर वृद्धि हुई है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 560 से कुछ अधिक है तथा इनकी जनसंख्या 6.78 करोड़ तक बढ़ गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले समूह की अनेकानेक समस्याएँ हैं जिनके कारण इनकी जीवन-वर्चाय रहन-सहन आदि प्रभावित हो रहा है।

(1) घुर्ये ने इन जनजातियों की समस्याओं को नियन्त्रिति स्वर में प्रस्तुत किया है—

1. वे जनजातीय समूह, जो एकीकरण की लडाई में सफलतापूर्वक लड़े हैं और जो हिन्दू समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है।
2. वे जनजातीय समूह, जिनका आरिक हिन्दूकरण हुआ है और जो हिन्दुओं के अतिनिकट है।
3. वे जनजातीय समूह, जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिन्होंने किसी बात समूक्ति को स्वीकार नहीं किया है।

(2) मन्त्रीमंत्री व मदान ने जनजातियों से सम्बन्धित समस्याओं को दो रूपों में विभाजित किया है—

1. प्रथम, सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ जो आधुनिक नीतियों एवं कानूनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं अथवा गैर-जनजातियों के सम्पर्क के कारण उत्पन्न हुई हैं, जैसे—भूमि का हस्ताक्षण अथवा कर्ज लेने के कारण जर्मादारी, व्यापारियों अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा झोप्रग आदि।

2. दूसरी, राजस्वाएँ जनजातियों की अपनी गिरिष्ट समस्याएँ हैं, जो अपनी राजस्वापत आर्थिक क्रियाओं के परित्याग के कारण उत्पन्न हुई हैं अथवा भूदान, भू-शोषण आदि से उत्पन्न हुई है।

(3) इण्डियन इनस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला ने भारतीय जनजातियों की स्थिति पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसने इन जनजातियों की निम्नलिखित मात्र समस्याएं बताईं—

1. भारत की जनजातियाँ दुर्गम तथा पृथक् स्थानों में रहती हैं जिसके कारण इनकी संस्कृति, जीवन का तरीका, राजनैतिक व्यवस्था आदि भिन्न-भिन्न है इसलिए इनकी समस्याओं को मालूम करना कठिन कार्य है।

2. उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों की जनजातियाँ स्वायत्त शासन की मौग कर रही हैं जो राष्ट्र के लिए एक जटिल समस्या है।

3. जनजातियों की समस्या सेठ-साहूकारों तथा भू-स्वामियों द्वारा शोषण तथा बेगार से मुक्ति दिलाने की है। अधिकाश जनसंघ्य वनों में रहती है। ये निर्वाह के लिए वन-सम्पदा पर निर्भर हैं इसलिए सरकार को वन-नीति को बदलना होगा।

4. जनजाति जहाँ रह रही है वहाँ पर नये-नये उद्योग, बांधों का निर्माण तथा कारखाने लगाए जा रहे हैं तथा इनको हटाया जा रहा है। एक समस्या इन जनजातियों के विस्थापन तथा पुनर्वास की है।

5. जनजाति के लोग नये-नये व्यवसाय तथा कार्य सीख रहे हैं, कई नए उद्यमकर्ता बन गए हैं तथा अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं तथा बेगार ले रहे हैं।

6. अनुसूचित जनजातियाँ वे होती हैं जिनके नाम इस सूची में सम्मिलित हैं लेकिन कई जनजातियों के नाम आज भी किन्हीं कारणों से इस सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इनकी समस्याएं कैसे दूर हो?

7. अनेक जनजातियाँ राष्ट्रीय धारा से जुड़ी हुई नहीं हैं। इसके लिए दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में सचार तथा यातायात के साधनों का होना आवश्यक है जिसके लिए साधनों का अभाव है तथा यह एक स्वयं अपने आप में समस्या है।

अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के उपर्युक्त अध्ययन से जो चित्र सामने आता है उसे निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किया जा सकता है जो विभिन्न सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा विद्वानों के अध्ययनों पर आधारित है—

(1) दुर्गम निवास स्थान की समस्या—जनजातियों की एक समस्या यह भी है कि ये लोग प्राय पहाड़ी भागों, वनों व दुर्गम स्थलों में निवास करते हैं, जहाँ न तो सड़कें हैं न यातायात के साधन हैं, न ही कोई डाकखाना, तारपर, टेलीफोन, रेडियो, समाचार-पत्रादि की आधुनिक सुविधा उन तक उपलब्ध हो पाती है। यहाँ तक कि ये समाज की अन्य सस्कृतियों से भी अपारिवित हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के सम्बन्ध में ये लोग पिछड़े हुए हैं। इसी से इनका आधुनिकीकरण अभी तक नहीं हो सका है और देश से अलग-धलग अपना एक अलग ही समाज बनाये हुए है। इनका दृष्टिकोण अति संकुचित है। इस दुर्गम निवास-स्थान के परिणामस्वरूप इन जनजातियों में खान-पान, रहन-महन व बसावादि की भी अनेक समस्याएं उपस्थित हो रही हैं।

(2) आर्थिक समस्याएँ—जनजातियों की सदसे महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक है। इन लोगों के पास न तो पर्याप्त भोजन होता है, न पर्याप्त वस्त्र, रहने के लिए उचित स्थान भी नहीं होता—यह सब अर्थ की कमी के कारण है। आर्थिक समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. स्थानानारंतरित खेती सम्बन्धी समस्या—जनजातियों का बहुत बड़ा भाग (अनुमानत 80%) कृषि पर आधारित है। निर्जन बनों व पहाड़ियों पर रहने के कारण वहाँ जीविकोपार्जन के सापेन अति सीमित हैं—कुछ जनजातियाँ पट्टे बनों में आग लगा देती हैं और फिर उस पर कृषि कार्य करती है। जब वह भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती तो उसे ढोड़कर अन्यत्र चली जाती है—इस प्रकार ये लोग आदिम-खेती या 'झूम खेती' कहते हैं। यही स्थानानारंतरित कृषि है। इस प्रकार की खेती से उपज बहुत कम और धनिया होती है, भूमि की बर्बादी होती है और इनकी मेहनत भी बेफ़ार जाती है। जिसके कारण इन्हे अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

2. नवीन-भूमि व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएँ—पहले जनजातियों स्थानानारंतरित कृषि किया करती थी और भूमि पर उनका एकाधिकार होता था, जिसका प्रयोग वे स्वेच्छा से किया करती थी, किन्तु नवीन बानूओं के परिणामस्वरूप उनकी यह स्नततता उनसे छिन गई है। अब उनको सीमित भूमि सरकार द्वारा दी जा चुकी है किन्तु इस भूमि को जोतकर खेती करते हुए ये ढरती हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि चतुर सेठ-महाजन उन्हे कुछ न्यये उपार देकर उनकी जमीन उनसे छीन लेते हैं और ये लोग अपनी ही जमीन पर नौकर बनकर कार्य करते हैं। यह इनकी बड़ी समस्या है।

3. बनों से मध्यनित समस्याएँ—पहले जनजातियों का बनों अथवा बगलों पर पूरा अधिकार होता था। अब इस समस्त बन-सम्पत्ति, जैसे—पशु, दृश्य, भूमि, बगली वस्तुओं आदि पर माकार का नियन्त्रण हो गया है। अतः लकड़ी, कोषला आदि नियन्त्रण का कार्य अब ठेकेदार कर रहे हैं, ये ठेकेदार इन जनजातियों से अधक परिश्रम कराकर उन्हें बहुत कम मजदूरी देते हैं—यह एक महत्वपूर्ण समस्या है।

4. औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ—छानों, चाय-बागानों व काराहाना आदि में कार्यस्त जनजातीय श्रमिकों की समस्याएँ और भी अधिक गम्भीर हैं। अपने गरीब्रान का न तो उन्हे उचित मूल्य दिया जाता है, न रहने के लिए समुचित स्थान। धुआं, गन्दगी व पुटन से भरा यातावरण उन्हे मोरा मिलते ही अपने गाँव की ओर भागने के लिए यित्ता कर देता है। ठेकेदारों द्वाग यहाँ भी उनकी भर्ती और उनसे काम लेने की प्रव्या शोषणयुक्त होती है।

5. क्रष्णग्रन्थना की समस्या—जनजातियों का बीबन जम्म में मृत्यु पर्यंत अभाव में बीतता है। इन्हे अपनी उश-पूर्ति के लिए भी महाजन आदि स ग्रण तेना पड़ता है। बानानारा म उमरी चुक्ती न होने पर इनकी जमीन आदि भी साहूरारों की हो जाती है और कर्ज के भार से यिर भी मुक्ति न मिलने के कारण पीढ़ी-दर-पीढ़ी ये लोग उनके दास बन जाते हैं।

(3) मांस्कृनिक समस्याएँ—जनजातीय लोग भौगोलिक दृष्टि में पहाड़ी इनाऊं, यदों व मीमांसिती स्थानों में रहते हैं। जहाँ समाज की सम्मूलि में इनका समर्पण नहीं हो पाता। जनजातियों की सम्बूतिरुप समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. अन्तर्जनजातीय मांस्कृतिक विभिन्नता वी समस्या—जनजातियों की अन्तर्जनजातीय सम्बूतिरुप विभिन्नता वी समस्या का कारण इमाई निर्गर्वादी तथा हिन्दुओं से उदाहरण माझे

जासकता है। इससे जनजाति के लोगों में ही परस्परतनाव, संघर्ष अथवा विरोध हो गया। इस प्रकार अन्य संस्कृति को अपनाने के कारण ये लोग अपने जनजातीय समूह से अलग हो गये और अपनी संस्कृति को नीचा मानझाने लगे। साथ ही अपनाई गई अन्य संस्कृतियों की भी बराबरी न कर पाने के कारण उनमें सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के विघटन उत्पन्न हो गये।

2. भाषा सम्बन्धी समस्या— बाह्य संस्कृति के सम्पर्क के परिणामस्वरूप जनजातियाँ दूसरी संस्कृति की भाषा को अपनाने लगती हैं और कालान्तर में अपनी भाषा के प्रति उदासीन होने लगती हैं। इसके कारण एक ही जनजाति के लोगों के परस्पर आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न होने लगी है। इससे सांस्कृतिक मूल्यों का भी पतन होने लगा है।

3. जनजातीय ललितकलाओं का हास्प— बाह्य संस्कृति के सम्पर्क के परिणामस्वरूप जनजातियाँ अपनी स्वयं की कलाएँ, जैसे—नृत्य, संगीत, लकड़ी का कार्य व नक्काशी का कार्य आदि को भूलती जा रही हैं। इन रुचियों के विषय में ये उदासीन होती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जनजातियों की ललित कलाएँ समाप्त हो ही जायेंगी। इन कलाओं का पतन भी एक सांस्कृतिक समस्या है।

4. धार्मिक समस्याएँ— इन जनजातियों पर हिन्दू धर्म व ईसाई धर्म का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। भील, गोंड आदि जनजातियों हिन्दू धर्म से प्रभावित हैं तो बिहार और आसाम की जनजातियाँ ईसाई धर्म से प्रभावित हैं। किसी भी समस्या व आपत्ति के समय सभी अपने-अपने धर्म का सहारा लेते हैं। परिणामस्वरूप उनमें असन्तोष की भावना व्याप्त हो गई है। पारिवारिक विघटन, भेद-भाव, लडाई-झगड़े आदि भी उनमें बढ़ने लगे हैं। धर्म से मन्दनित समस्या भी बाह्य संस्कृति के सम्पर्क का ही परिणाम है।

(4) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ— जनजातियों की समस्याएँ स्वास्थ्य सम्बन्धित भी हैं। जहाँ इन्हें दो वक्त आ भोजन भी मुश्किल से ही मिल पाता हो, वहाँ अच्छे व सन्तुलित आहार की तो बात ही अलग है। इन्हे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

1. खान-पान— निर्भंता के कारण जनजातियाँ सन्तुलित भोजन नहीं ले पाती, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य खारब रहता है। अनेक रोग इन्हें सताते हैं। प्राचीन रामय में ये जनजातियाँ ताड़, महुआ अथवा चावल के द्वारा निर्भित भादक द्रवों का सेवन करती थीं। इस पेय में विटामिन 'बी' व 'सी' अधिक होता है, अत तब इनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। धीरे-धीरे सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, किन्तु बाह्य संस्कृति के प्रभाव के कारण शारब का प्रबलन इन लोगों में बढ़ गया है। इससे भी इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।

2. वस्त्र— स्वास्थ्य से सम्बन्धित इन जनजातियों की समस्या वस्त्रों की भी है। पहले ये जनजातियाँ वस्त्र बिहीन रहती थीं, किन्तु अब इन लोगों ने बाह्य संस्कृतियों के प्रभाव में आकर वस्त्र पारण करना प्रारम्भ कर दिया है। एक से अधिक वस्त्र न होने से ये लोग गन्दे रहने लगे हैं, चर्म रोगों के शिकार हो रहे हैं। बरसात में भी कपड़े बदन पर ही भीगते व मुखते हैं, इससे अनेक प्रकार के रोग, गन्दगी आदि हो जाती है।

3. चिकित्सा का अभाव— जनजातियों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप इनमें अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। रोगों की अधिकता होने के साथ उनकी चिकित्सा का अभाव पाया जाता है। इनका डोकटी इलाज में विश्वास नहीं होता है। ये लोग बीमार होने पर

झाड़-फूक, बादू-टोना व जंगली जड़ी-बूटियों का प्रयोग करते हैं, इससे इनकी बीमारी और बढ़ जाती है। ढांकटी महायता भी इन्हें समय रहते उपलब्ध नहीं हो पाती, सारागत मकाई की कमी, पौष्टिक आहार की कमी, दुर्गम स्थलों में निवास तथा चिकित्सा का अभाव आदि अनेक समस्याएँ इन लोगों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं।

(5) शिक्षा मन्दन्यी समस्याएँ—जनजातियों की समस्त समस्याओं का मूल कारण उनकी अशिक्षा ही है। समस्त जनजातियों अशिक्षा व अज्ञानता से ग्रसित है। अशिक्षा के कारण अनेक कुरीतियाँ, अन्यविविधास व कुसंस्कार उनमें व्याप्त है। ऋणग्रस्तता व भूमि-स्वामित्व का स्थानान्तरण अशिक्षा का ही परिणाम है। आज शिक्षा का प्रावधान उनके लिए किया गया है, किन्तु वे उसके प्रति उत्साही नहीं हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनका जीवन-विर्वाह करने में असहमत है, शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर भी वे बेरोजगार ही रहते हैं और जो शिक्षित होकर किसी पद को प्राप्त भी करते हैं, वे अपनी ही संस्कृति से दूर होते जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा उनका बहुत अधिक हित नहीं कर पाती है।

(6) सामाजिक समस्याएँ—शहरी एव सभ्य समाज के सम्पर्क के कारण जनजातियों अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हो गई है। कुछ सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. यात्र विवाह—प्राय जनजातियों में युवावस्था में विवाह होते थे किन्तु अब उनमें यात्र-विवाह होने लगे हैं, जो हिन्दुओं के सम्पर्क का परिणाम है। जनजातियों के लिए यह एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है।

2. कन्या मूल्य—पहिले जनजातियों में कन्या-मूल्य वर्मनुओं के रूप में दिया जाता था, किन्तु वर्तमान समय में अब इसे रूपरेके रूप में सौंपा जाने लगा है और इसकी मात्रा में भी अब इनकी वृद्धि होने लगी है कि सामान्य आदि व्यक्ति इसे कठिनाई से देता है। इसके परिणामस्वरूप जनजातियों में कन्या-हरण की समस्या भी बढ़ रही है।

3. युवागृहों का पतन—जनजातियों में मनोरजन के साधन के रूप में पहले युवागृहों का प्रवर्तन था, जहाँ जाकर युवा लड़के-लड़कियाँ न केवल मनोरजन व आमोद-प्रमोद में सम्मिलित होते थे, अपिनु वहाँ उन्हे सामाजिक, सामूहिक एव उनके कर्तव्यों के विषय में भी शिक्षा मिलती थी। यह एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अब ये लोग युवागृहों को हैय दृष्टि से देखने लगे हैं। इसमें जनजातियों के जीवन में अनेक बदलियाँ दूर हुई हैं।

4. वेश्यावृति की समस्या—इन जनजातियों की एक समस्या अनुचित दौन-सम्बन्ध की भी है। एक ओर ठेकेदार व साहूकार इनका भरपूर शोषण करते हैं और उनकी शिक्षों के गाय अनुचित सम्बन्ध स्थापित करते हैं और दूसरी ओर जो पुरुष छानते व श्रमिक उठानों में काढ़े करते हैं वे एसे दूर रहते हैं, वे वेश्यावृति जैसे प्रलोभनों में फँस जाते हैं। अब तो विवाह-गिर्जे की समस्या भी इन लोगों में होने लगी है। इस प्रकार अनेक प्रथाये, पारम्पराएँ, संदियों आदि भी अब दूर ही हैं, जो अब आप में एक सामाजिक समस्या की जा सकती है।

(7) राजनीतिक समस्याएँ—पहले जनजातियों में एक दास्तावल ग्रान्टेन्ट व्यवस्था प्रवर्तित थी, जिसमें वगानुगत एक मुत्तिया होता था, जो समस्त प्रशासनिक कार्यों को करता था, किन्तु अब उन्हे प्रशासन वीन व्यवस्था को अपनाया दण्डा है। इसका कारण यह है कि प्रशासन

प्राप्ति के अनन्तर देश के सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रजातान्त्रिक अधिकार दिये गये हैं। आज पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव आम जनता द्वारा किये जाते हैं।

प्रजातान्त्रीय व्यवस्था में राजनैतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जनता अपनी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पुरानी व्यवस्था तो अब निष्क्रिय हो गई है और अब जनजाति के लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों की माँग करने लगे हैं, अपने लिए अलग राज्य की माँग की है तथा भूस्वामियों, गैर-जनजाति के लोगों व सरकारी कर्मचारियों से उनके सम्बन्ध तनावपूर्ण हो रहे हैं। अपने प्रति किये गये शोषण के प्रति उनके मन में आक्रोश है। राजनैतिक चेतना आने से जनजातियों में कटुता की भावना आ गई है जो राजनैतिक दृष्टि से एक समस्या है।

(8) सीमा प्रान्त की जनजातियों की समस्याएँ— जो जनजातियाँ उत्तर-पूर्व की सीमाओं पर रह रही हैं, उनकी समस्यायें अत्यधिक हैं। उत्तर-पूर्व की सीमाओं पर चीन, बंगला देश एवं बर्मा जैसे देशों की सीमाएँ भी जुड़ती हैं। चीन व बंगलादेश सदैव से ही भारत के शत्रु हैं। इस कारण ये लोग जनजातियों में विद्रोह की भावनाएँ भड़काते हैं, उन्हे विविध प्रकार से अख-शास्त्रादि देकर, अपने क्षेत्रों में नागा आदि को भूमिगत होने के लिए प्रत्रय देकर इन जनजातियों की सहायता करते हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।

अपने लिए स्वायत्त राज्य की माँग करके ये जनजातियाँ आन्दोलन करती हैं, उसके लिए संघर्ष करती हैं। इस प्रकार आज सीमाप्रान्त की जनजातियों की समस्याएँ विकट हैं जिनसे निपटना आवश्यक है।

(9) एकीकरण की समस्या— जनजातियाँ देश के विभिन्न भागों से संस्कृति, आर्थिक दृष्टिकोण, राजनैतिक व्यवस्था, भाषा, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार से विभिन्नता लिए हुए हैं। वे अपने आपको अलग ही मानती हैं— इनकी समस्याएँ गरीबी, अज्ञानता, शोषण, अरिशाय व स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान तब हो सकता है जब ये जनजातियाँ स्वयं को पृथक् न समझकर देश की एकता से जुड़ें। देश की आर्थिक-राजनैतिक अर्थ-व्यवस्था में इन जनजातियों की भागीदारी आवश्यक है जिससे एकीकरण की समस्या का समाप्त हो सके।

(10) सबसे कमज़ोर कढ़ी— जनजातियों को प्रारम्भ से ही समाज में डोका मिली है, किन्तु उनमें से भी कुछ जनजातियाँ सर्वाधिक उपेक्षित व निर्धन हैं, उस सर्वाधिक निर्धन एवं उपेक्षित जनजाति का पता लगाकर उसके विकास और उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कार्य सन् 1967 में जनजाति आयुक्त द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने सर्वाधिक निर्धन, कमज़ोर और उपेक्षित जनजाति-समूह को नामांकित किया, जिनमें गुजरात के चारण, नारवाड़ा व बरली आदि; मध्य प्रदेश की मारिया, गोड, बैगा, कमार व मवासी आदि; उत्तर प्रदेश की जौनसारी, मौरिया, कन्यास; तथा राजस्थान की भील, ठामोर व सहैरदा सर्वाधिक कमज़ोर मानी जाती हैं।

जनजातियों की समस्याओं के कारण— उपर्युक्त पृष्ठों में जनजातियों की समस्याओं पर विचार किया गया है। इन जनजातियों की समस्याएँ अनेक कारणों से हैं। मुख्य कारण निम्नलिखित माने जा सकते हैं—

1. बाह्य समाजों से सम्पर्क— जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण यह है कि ये लोग अब सभ्य समाज के सम्पर्क में आ गए हैं। इस सम्पर्क के फलस्वरूप इन पर हिन्दू संस्कृति व साथ-

ही पारचालत्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। किन्तु चूंकि दोनों संस्कृतियों से जनजातियों का रहन-सहन, खान-पान, पूर्णरूप से भिजता लिए हुए हैं अतः इस अन्तर के कारण अनेक समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं।

2. ईसाई मिशनरी से सम्पर्क— जनजातियों का सम्पर्क ईसाई मिशनरियों के साथ होने से अनेक समस्याएँ उपस्थित हो गई हैं। वास्तव में ये मिशनरी लोग जनजातियों के लिए अनेक सेवा के कार्यों का आयोजन करते लगे। उनके उत्थान एवं कल्याण के लिए इन्हें अनेक प्रकार से प्रतीभित करने लगे, जिसके पाछे इन मिशनरी लोगों का उद्देश्य इन जनजातियों का धर्म-परिवर्तन करना था। अज्ञानी व भोले जनजाति-लोग इस कूटनीति को समझ नहीं सके। इस अन्य सम्झूलि के प्रभाव से अनेक समस्याओं ने जन्म लिया तथा इन जनजातियों के परिवारों में तनाव व सघर्ष की सुषिटि की है। अपनी लतित कला का हास, ऋणग्रस्ताना, आर्थिक शोषण जैसी समस्याएँ भी बाहु मस्तृति-सम्पर्क का ही परिणाम हैं।

3. नव्य शासन-व्यवस्था— इन जनजातियों की समस्या का एक कारण यह भी है कि पहले इनकी स्वयं की शासन-व्यवस्था थी, जो अपने ही दैंग की धी और सभी को मान्य थी। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचालू लागू इस नव्य शासन-व्यवस्था को अपनाने से अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। अनेक नव अधिकारी व प्रशासक अदालत से सम्बन्धित अधिकारी, पुलिम आदि से इनमें हीन भावना का उदय हुआ, क्योंकि न तो ये लोग इस नवीन व्यवस्था को आत्मसात् कर सके, न त्याग सके— यह समस्या का गम्भीर कारण रहा।

4. जनजातीय क्षेत्रों में वन सम्पत्ति एवं खनिज पदार्थों का होना— जनजातीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार की वन-सम्पत्ति, जैसे— लकड़ी, फल-फूल, जड़ी-बूटियाँ अद्यता सामने आयी हैं, जिनके कारण वहाँ अनेक उद्योग-पथ्ये विकसित हो गए हैं और एक नई नगरीय सम्पत्ति का विकास हो गया है। धरि-धरि ये जनजातियाँ भी इस संस्कृति के सम्पर्क में अनेक लगी हैं किन्तु न तो पूर्णरूप से अपनी संस्कृति को भुला सकी है, न ही दूसरी संस्कृति को अपना मार्दी है। अत एक विषयनात्मक स्थिति आ गई है।

5. पृथक् निवाम— इन जनजातियों की परेशानियों का कारण उनका दुर्गम व पृथक् निवाम स्थान है, जहाँ यातायात के साधनों का अभाव है, सड़कें, रेल, बस, डाक्-तार आदि की भी कोई सुरिधान होने से ये लोग अनेक कठिनाइयों के शिकार होते हैं। यदौं तरु कि जीवन-यात्रा के माध्यम भी कठिनाई से जुटा पाते हैं।

6. बाद लोगों द्वारा शोषण— जनजातियों की समस्याओं का एक कारण यह भी है कि अनेक सात्रकार, व्यापारी, ठेकेदार, प्रशासक व पुलिम अधिकारी वर्ग आदि का सम्पर्क जब इन जनजातियों से हुआ तो उन्होंने इनकी अग्रिमा, अज्ञानता व दलिल आर्थिक दशा का सामने उड़ाया और विविध रूपों में इनका शोषण करना प्रारम्भ किया। इससे इन जनजातियों में क्रमग्रन्थता वी स्थिति आ गई, ये लोग भूमिहीन हो गए व जीमारियों के शिकार हो गए।

सारांश यह कहा जा सकता है कि जनजातियों की अनेक समस्याएँ हैं। इन सभी समस्याओं के मूल में प्रमुख कारण इनकी अग्रिमा व अज्ञानता को माना जा सकता है। अग्रिमा व पर्याप्तामन्यत्व से इन लोगों का शोषण मैदैद होता रहा।

जनजातियों की समस्याओं हेतु सुझाव

उपर्युक्त पृष्ठों में जनजातियों की समस्याओं और उनके कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इनकी मुख्य समस्याएँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए उन कारणों पर ध्यान देना होगा, जिनका परिणाम इन समस्याओं की उत्पत्ति है। अनेक प्रयास इस दिशा में किए गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता अभी तक नहीं मिल सकी है। जनजातीय-समस्या समाधान हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं—

(1) आर्थिक समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव—

आर्थिक समस्याओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं— (1) जनजातियों के परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाए, (2) कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से जनजातियों को अवगत कराया जाए, (3) स्थानांतरीत कृषि की समाप्ति की जाए, (4) सरकार की ओर से कृषि करने वालों को बीज, बैल व कृषि सम्बन्धी अन्य उपकरण खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जाए, (5) बेगार, दासता व कम वेतन जैसी दुर्व्यवस्थाओं की कानून द्वारा समाप्ति की जाए, (6) जहाँ अधिक संख्या में जनजाति के लोग कार्यरत हों, वहाँ श्रमिक कल्याण-कार्य विस्तृत रूप से हों, (7) दस्तकार या गृह-उद्योग जैसे छोटे-छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में जनजातियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, (8) इन लोगों के लिए अच्छे मकान, कार्य के उचित घटे व काम करने की अवस्थाओं आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए, तथा (9) सहकारी समितियों का विकास किया जाए और अधिकाधिक संख्या में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाए।

(2) सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव—

सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु सबसे प्रमुख कार्य—(1) बाल-विवाह की प्रथा को समाप्त करना है, (2) युवा-गृहों का पुनर्स्थान किया जाए, जो उन्हें शिक्षादेने की भी व्यवस्था करें, (3) कन्या-मूल्य की प्रथा का जनमत के द्वारा निराकरण किया जाए, (4) जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, जिससे वेश्यावृति जैसी बुराई को समाप्त किया जा सके।

(3) सांस्कृतिक समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव—

सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहला—(1) प्रमुख कार्य यह किया जा सकता है कि सभी सांस्कृतिक आयोजन उन्हीं की भाषा एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार किए जाएं, (2) एलविन के मतानुसार ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, जो आदिम ललित कलाओं की रक्षा कर सके, (3) शिक्षा के द्वारा उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाए जिससे वे धार्मिक अन्यविश्वासों को हटा सकें।

(4) शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव—

शैक्षिक समस्याओं के हल करने के लिए—(1) जनजातियों को शिक्षा उनकी अपनी भाषा में दी जाए, (2) शिक्षा के साथ-साथ नृत्य, संगीत, खेल आदि मनोरंजनों का ध्यान रखा जाए, (3) विद्यालयों के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं, कृषि, पशुपालन, मुर्गी-पालन, मत्स्य-पालन जैसी व्यावसायिक-शिक्षा उन्हे उपलब्ध कराई जाए जिससे वे बेकारी का सामना कर सकें।

(5) स्वास्थ्य की समस्याओं से सम्बन्धित मुद्राव-

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के हत के लिए— (1) आदिवासी शेषों में चिकित्सालय, चिकित्सक य आधुनिक औषधियों की व्यवस्था की जाए, (2) जनजातीय बालकों के लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियाँ आदि उपलब्ध कराई जाएँ, (3) चेचक, हैजा व अन्य बीमारियों के टीकों की व्यवस्था की जाए तथा जनजातियों को स्वास्थ्य के सामान्य नियमों से अवगत कराया जाए, (4) चलते-फिले अस्पतालों की व्यवस्था की जाए, तथा (5) स्कूलों, पंचायत गृहों व युवाओं में दवाओं आदि का प्रबन्ध किया जाए।

इस प्रकार यदि उपर्युक्त मुद्रावों को कार्यरूप दिया जा सके तो इन जनजातियों की समस्याएँ कम अवश्य की जा सकेगी।

अनुमूलित जनजातियों की समस्याओं का निराकरण— अनुमूलित जनजातियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी तथा अन्य संगठनों ने समय-समय पर अनेक प्रयास किए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(1) सरकारी प्रयास— स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहिले अंग्रेजी सरकार ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम प्रयास किये थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा इनी समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयास निम्नांकित हैं—

(1) संवैषानिक प्रावधान—भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निर्मित मूलन संविधान में अनुमूलित जनजातियों के लिए अनेक प्रावधान घोषित किए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. लोक सभा तथा विधान सभाओं में जनजातियों के लिए क्रमशः 40 तथा 303 स्थान सुरक्षित रखे गये हैं जो 25 जनवरी, 1990 के लिए थे, इसकी अवधि तथा नियित प्रतिशत के अनुसार सुरक्षित स्थान और बढ़ा दिये गये हैं।

2. संविधान की धारा 16(4) तथा 335 के अनुसार सरकारी नौकरियों में अनुमूलित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

3. संविधान की धारा 46 के अनुसार जनजातियों के विकास तथा आर्थिक उप्रति वी सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने का कार्य राज्य सरकारों का कर्तव्य घोषित किया गया है।

4. संविधान की धारा 338 के अनुसार पाण्डूलिंग को यह अधिकार है कि वह अनुमूलित जनजातियों के लिए एक विशेष आधुनिक मियुक्त कोषा जो जनजातियों की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

5. संविधान के 10वें भाग और 5वीं तथा 6ठी अनुमूलियों में जनजातीय शेषों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

6. संविधान के भाग 6 की धारा 164 में असाम के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय बल्यान मन्त्रालय स्थापित करने का नियम है।

7. धारा 244(2) के अन्तर्गत आमाद वी जनजातियों के लिए बित्ता और ग्राहेशिक परिषद् स्थापित करने वी व्यवस्था है।

(2) प्रशासनिक व्यवस्था— धारा 244 एवं संविधान की पांचवीं अनुसूची के द्वारा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र अनुसूचित किए गए हैं। इन राज्यों के राज्यपाल जिनमें ये क्षेत्र आते हैं के प्रशासन की ऐपोर्ट राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष भेजेगी।

(3) कल्याणकारी तथा सलाहकार संस्थाएँ— 1. राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयुक्त तथा 17 सहायक आयुक्तों की नियुक्ति की है।

2. भारत सरकार ने एक जनजातीय कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की है।

3. तीन संसदीय समितियों तथा एक स्थायी संसदीय समिति की स्थापना जो जनजातियों के कल्याण से सम्बद्ध व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की जांच करेगा।

4. पृथक् मन्त्री तथा अलग विभाग खोले गये हैं जो राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था में अनुसूचित जनजातियों के हितों की देख-रेख करते हैं।

(4) विधान मण्डलों तथा संसद में प्रतिनिधित्व— संविधान की धारा 330 और 332 के अन्वर्त राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में इनके स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। लोक सभा में 40 स्थान तथा विधान सभाओं में 303 स्थान सुरक्षित हैं। पंचायती राज के स्तर पर भी इसके लिए स्थान सुरक्षित हैं।

(5) सरकारी नौकरियों में आरक्षण— अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के निए 7.5% स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। स्थायी नौकरियों में भी उनके लिए निश्चित प्रतिशत में स्थान सुरक्षित हैं। इनको आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता मानदण्ड में छूट, पदों के लिए चयन सम्बन्धी अनुपयुक्तता में छूट तथा अन्य छूटें भी दी गई हैं।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के 6,01,327 व्यक्ति । जनवरी, 1981 में केन्द्रीय सरकार में विभिन्न नौकरियों में सेवारात थे।

(II) कल्याण योजनाएँ— केन्द्र तथा राज्य स्तर पर अनेक कल्याणकारी योजनाएँ जनजातियों के लिए चलाई जाती रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनके कल्याण पर 30.04 करोड़ रुपया व्यय किया गया था। दूसरी योजना में 79.41 करोड़ रुपया, तीसरी योजना में 100.40 करोड़ रुपया, चौथी योजना में 172.70 करोड़ रुपया, पांचवीं योजना में 288.88 करोड़ रुपए खर्च किये गये, छठी योजना में 2030.30 करोड़ रुपया तथा जनजातीय उपयोजनाओं पर अलग से 470 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान था।

(III) केन्द्रीय परियोजनाएँ— अनुसूचित जनजातियों तथा जातियों को व्यवसाय तथा रोजगार प्राप्त करने में सहायता के उद्देश्य से परीक्षार्पण प्रशिक्षण केन्द्र और शिक्षण सहित प्रथ-प्रदर्शन केन्द्र भारत में सात नगरों— इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, मद्रास, पटियाला, हैदराबाद और शिलांग में खोले गये हैं। चार शिक्षण सहित पथ-प्रदर्शन केन्द्र भी खोले हैं।

इसके अतिरिक्त उनके लिए मैट्रिकोरत छात्रवृत्तियाँ, बालिका छात्रावास, विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियाँ आदि की भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों के स्तर पर मैट्रिकोरत छात्रवृत्तियाँ, परीक्षा शुल्क में छूट, शिक्षा सम्बन्धी सामग्री की नि शुल्क व्यवस्था, बच्चों को दोपहर में भोजन की व्यवस्था, आश्रम स्कूलों की स्थापना, पाठराला भवनों तथा छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है।

(1) विकास योजनाएँ— केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। इन लोगों के कल्याणार्थ प्रत्येक पचवर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

जनजातियों के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 30.04 करोड़ रुपये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 79.41 करोड़ की राशि, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 100.40 करोड़ रुपये, एवं चार्टर्ड पंचवर्षीय योजना में 1966-69 से 68.50 करोड़ रुपये, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 172.70 करोड़ रुपये तथा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में 288.83 करोड़ की राशि व्यवहार की गई। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों की उपयोजनाओं के लिए 120 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई। 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जनजाति-उपयोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। उपयोजना क्षेत्रों को 180 सामूहिक जनजाति परियोजना में विभाजित किया गया है। इस दृष्टि से जनजातियों पर भूमि, सहकारी कृषि और बन-उपज में होने वाले अत्याचारों वो समाप्त करने के लिये विशेष प्रयास किए गये।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार 16 राज्यों एवं 2 संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या के 63 प्रतिशत भाग के लिए उप-योजनाएँ बनाई गई थीं, जिन पर कुल 644 करोड़ की राशि व्यवहार की गई। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत भाग के लिए उप-योजनाएँ बनाई गई। प्रयास किया गया कि सन् 1985 तक अनुसूचित जातियों व जनजातियों के अनुमानत 105 लाख बच्चे मैट्रिक पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति से लाभान्वित हो सकें और 8 लाख बच्चे मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकें। इन जनजातियों के लिए छात्रावासों की मुविधाएँ, रोजगार के अवसरों में सुधार व सुरक्षित सेवाओं में भर्ती के लिए भारतीय एवं राज्य सेवाओं की परीक्षाओं के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण में स्थान-वृद्धि की गई।

दूसरी घण्टों में ऐसे लोगों के आवास आदि के लिए भी प्रयास किया गया। इस प्रसार छठी योजना में पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याणार्थ 2030 30 करोड़ रु. की राशि राई गई, जिसमें से जनजातीय उपयोजनाओं पर 470 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता उदान की गई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सहायतार्थ केन्द्र द्वारा 756 करोड़ रुपयों की विशेष सहायता देने का प्रमाण रखा गया। जनजातियों की बहुलता वाले राज्यों में 'जनजाति उपयोजन' के तहत 30 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखा गया जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें। गिनों के रिहाइन को दूर करने के लिए 'महिला सशिक्षियों' स्थापित करने एवं उन्हें आर्थिक सहायता देने का भी प्रमाण है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी बहुत बड़ी राशि इनके कल्याणार्थ रखी गई है।

इस प्रकार इन पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय विकास के लिए अन्यायिक राशि व्यवहार का चार ही वर्ष अनेक प्रकार से उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(2) योजना-कार्यक्रम— अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई परियोजनाएँ प्रारम्भ की हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र— अनुसूचित जातियों, जनजातियों के कल्याणार्थ एवं उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने की दृष्टि से दो कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं— (1) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (Pre-Examination Training Centres) तथा (2) शिक्षण सहित पथ-प्रदर्शन केन्द्र (Coaching-Cum-guidance Centres)। पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 केन्द्र— इलाहाबाद, दिल्ली (एक निजी प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से), जयपुर, मद्रास, पटियाला, हैदराबाद और शिलांग में हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देते हैं। उम्मीदवारों को राज्य की सेवाओं के लिए परीक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण देते हैं। उम्मीदवारों को राज्यों की सेवाओं के लिए परीक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व पश्चिमी बंगाल में शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इलाहाबाद और तिरुचिरापल्ली में इन्जिनियरिंग सेवाओं की परीक्षा के लिए दो अन्य प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। दिल्ली, कानपुर, जबलपुर और मद्रास में शिक्षण एवं पथ-प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

2. छात्रवृत्तियाँ— अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियाँ अनेक सरकारों की आय-सीमा के आधार पर दी जाती हैं। इन छात्र-वृत्तियों की दरों में पूर्व की तुलना में अब काफी वृद्धि कर दी गई है। बुक-बैंक की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है तथा अन्य भी सुधार किये गये हैं। छात्रवृत्तियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस हेतु 6 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था।

3. बालिका छात्रावास— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजातियों की बालिकाओं के लिए ‘बालिका छात्रावास’ बनाने एवं उनका विस्तार करने के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर पर्याप्त व्यय किया जा रहा है।

(III) जनजातीय अनुसन्धान संस्थाएँ— जनजातियों के विषय में अध्ययन एवं अनुसन्धान करने के उद्देश्य से वर्तमान में अनेक अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं तथा इनके कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से एक 30 सदस्यीय केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जो अनुसंधान संस्थाओं के नीति-निर्माण में पथ-प्रदर्शक का कार्य करती है। इसमें अनुसूचित जनजातियों की कला, संस्कृति एवं रीति-रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। ये अनुसंधान संस्थान—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम-बंगाल आदि राज्यों में स्थापित किये गए हैं। भारत सरकार द्वारा मानवशास्त्र विभाग में भारत के 153 जिलों में रहने वाली जनजातियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुसंधान-कार्य सम्पन्न किया गया है। ‘उदयपुर का लोक कल्याण मण्डल’, ‘बम्बई की मानवशास्त्र समिति’ तथा ‘पश्चिमी बंगाल का सास्कृतिक अनुसन्धान संस्थान’ आदि महत्वपूर्ण संगठनों ने जनजातीय जीवन के अनेक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य किया है व अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया है।

विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ— सन् 1955 से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जारही हैं। ये छात्र-वृत्तियाँ प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातियों के 6 बच्चों को दी जाती हैं।

(IV) सहकारी समितियों— जनजातियों पर होने वाले शोषण व अत्याचार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा सहकारीता आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है। वन-श्रम, बहुदेशीय श्रम-ठेका एवं निर्माण तथा क्रय-विक्रय एवं शीर्ष सहकारी समितियों का संगठन सरकार की सहायता से किया गया है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य जंगल में होने वाली जनजातियों को ठेकेदारों द्वारा होने वाले शोषण से बचाना तथा जंगल की उपज से होने वाले लाभ को उन तक पहुँचाना है।

राज्य क्षेत्र की योजनाएँ

उपर्युक्त केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना-कार्यक्रमों के साथ राज्य सरकारें भी जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही हैं। इन कार्यक्रमों को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम हैं—

1. शिक्षा—(1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों तथा स्थाई कण्ठ, (2) ट्यूरन एवं परीक्षा शुल्क में छूट, (3) शिक्षा सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था, (4) आश्रम-स्कूलों की स्थापना, व (5) विद्यालयी-भवनों और छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान।

2. आर्थिक विकास—(1) भूमि तथा सिचाई की व्यवस्था, (2) बैल, कृषि-उपकरण, खाद्य तथा दीज की आपूर्ति, (3) कुटीर-उद्योगों का विकास, (4) सचार-व्यवस्था का विकास, (5) सहकारिता, (6) स्थान परीकरण करते होने वाले युवकों को बसाना तथा (7) मुर्गियों, भेड़-बकरियों तथा सूजरों को देने की व्यवस्था बढ़ाना।

3. स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएँ—(1) विकित्सा-सुविधाएँ, (2) देय-जल योजनाएँ, (3) मकान तथा मकान बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था करना, (4) कानूनी सहायता की व्यवस्था तथा (5) राज्य स्तर पर कार्यरत गैर-सरकारी सम्पादों को अनुदान।

उपर्युक्त प्रयासों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएँ बनाई जा रही हैं व उन्हें कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है, किन्तु जनजातीय विकास के लिए इससे भी अधिक प्रयास अपेक्षित है। इसके लिए निश्चावान, सक्रिय एवं निस्वार्थी अधिकारियों की आवश्यकता है, जो इनकी भावनाओं को समझकर इससे सहानुभूतिशूल व्यवहार करे।

भारतीय जनजातियों में सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार समस्त भारत में अनुमानत 6 लाख 70 लाख से अधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं जो भारत के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। प्रमुखत इन जनजातियों के नाम इस प्रकार हैं— मुण्डा, कोल, भील, घस, मोटिया, गारो, सचान, भुखिया, गौड, घार्मी, उरीव, घारू, कूमी, चेचू, कोरवा, बैंगा, गरासिया, लोटार, तुआग व नागा आदि। क्षेत्र वी हाई से ये लोग इमार छोटा नागारु के पठार, राजस्थान की दक्षिणी भीजा, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल व कुपार्यू, असम, विहार के संघात व राजी परानो ऐ, बन्दर ब्रदेश, राजस्थान व विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिमी पर्वत, उडीमा व नालालैण्ड आदि में बहुआयत से निवास करते हैं।

इन लोगों की एक पृथक् संस्कृति है, किन्तु इन्होंने भारतीय सामाजिक-राजनैतिक जीवन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इतिहास साक्षी है कि मीणा, भील आदि जातियाँ, जो आज अनुसूचित जातियों की सूची में आती हैं, कभी राजस्थान की रियासतों की अधिकारी थीं। झूँगपुर, जयपुर, बांसवाड़ा व बूंदी आदि में इन भील-मीणा लोगों का शासन था जिन्हे बाद में राजपूतों ने हराकर अपना शासन स्थापित किया था। कहने का आशय यह है कि भिछले 200 वर्षों से जनजातियों के सामाजिक-राजनैतिक जीवन में अनेक परिवर्तन आये हैं जिन्होंने अनेक आन्दोलनों को जन्म दिया है, जिसे पुनर्जागरण का नाम दिया जा सकता है। धुर्यो, विद्यार्थी, सचिवानन्द, एडवर्ड रॉय, नायक, बेली, मुखर्जी व एन.के. बोस आदि अनेक विद्वानों ने जनजातियों में हुए आन्दोलनों का उल्लेख किया है। वैसे अनेक समाज वैज्ञानिक इन आन्दोलनों के प्रति रुचिशील नहीं रहे हैं, इसका कारण स्टीफेन फेंचस के अनुसार यह हो सकता है कि आन्दोलनों से सम्बन्धित स्त्रोत न मिले हैं। मानवशास्त्रियों की इतिहास में रुचि न रही हो तथा वे स्वयं को राजनीति से अलग मानते रहे हाँ अथवा अन्य विरोध अथवा विवाद रहे हैं। जनजातियों में हुए आन्दोलनों पर निम्नलिखित रूप में प्रकाश ढाता जा सकता है जिसमें आन्दोलनों का क्षेत्र, जनजाति व उद्देश्य आदि को प्रमुख आधार माना गया है।

1. पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों में आन्दोलन— नागा, खासी, गारो, मिजो, मिकर, कूकी, डफला व कच्चारी आदि जनजातियाँ पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। इन जनजातियों में राजनैतिक एवं सांस्कृतिक चेतना अधिक रही है। इस क्षेत्र में अनुमानत-डेट सौ वर्ष पूर्व से धार्मिक एवं राजनैतिक आन्दोलन साथ-साथ चले हैं, वयोंकि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक भाषायी भिन्नता पाई जाती है। अग्रेजों से पूर्व स्थानीय राजाओं के विरोध में तथा अग्रेजों के शासन काल में उनके विरोध में इन लोगों ने राजनैतिक आन्दोलन किये हैं।

ईसाई मिशनारियों के प्रभाव के फलस्वरूप अनेक जनजातियाँ ईसाई धर्म को अपनाने लग गईं, इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ भी जनजातियों में हिन्दूवाद, बुद्धवाद एवं इस्लाम के प्रति राजनैतिक जागृति उत्तरान्त हो गई। वे भारतीय जीवन की मुख्य धारा से कट गईं और अपने-अपने धर्म के अनुसार सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्वायत्तता की माँग करने लगी, जिसके परिणामस्वरूप अनेक आन्दोलन हुए। नागा राष्ट्रवाद के लिए भी यहाँ अनेक आन्दोलन हुए जिनका संचालन नागा क्लब, नागा नेशनल कॉन्सिल, नागा वूमैन सोसायटी व नागा धूथ मूवमेण्ट द्वारा किया गया। राजनैतिक स्वायत्तता की माँग करते हुए नागा क्लब ने साइमन कमीशन से सन् 1929 में कहा कि, “आपने हमे जीता है, अब आप भारत से जाये तो पहले की भाँति हमे स्वतन्त्र कर दे।”

स्वायत्तता की माँग नागाओं की ओर से बराबर होती रही। म्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर भी नागा राष्ट्रीय परिषद, आसाम हिल ट्राइव यूनियन, अॅल पार्टी हिल कॉसिल एवं ईस्टर्न इण्डियन ट्राइबल यूनियन आदि ने अनेक बार हत्या, आगजनी, तौड़फोड आदि को अपनाते हुए राजनैतिक स्वायत्तता की माँग को और तीव्रतर किया। चीन, बर्मा और पाकिस्तान ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इन लोगों को भड़काया, छुपकर अस्त-शास्त्र और धन दिया। पाकिस्तान ने पास होने के कारण यह देश आक्रमण करने के उपरान्त, इन लोगों को छुपा भी देते थे।

इनकी समस्या के शान्ति-पूर्ण हल के लिए अनेक प्रयास किये गये। अशोक मेहता कमीशन, पटासकर कमीशन एवं जय प्रकाश पीस मिशन ने इनके लिए विरोध कार्य किए हैं और फतवारी,

1961 में नागालैण्ड राज्य की स्थापना, त्रिपुरा एवं मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना और 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना इसी का परिणाम है।

2. छोटा नागपुर की जनजातियों में आन्दोलन— इन जनजातियों में अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आन्दोलन हुए हैं, जो स्थानीय शासकों और भू-स्वामियों के विरोध में किये गये हैं। इन आन्दोलनों का कारण विद्रोही जनजाति-नेताओं द्वारा समय-समय पर रखी गई मार्ग को पूरा नहीं करना रहा है इस प्रकार इस क्षेत्र के सभी आन्दोलन क्रान्तिकारी व सुधारावादी पृष्ठभूमि को लेकर हुए हैं और चमत्कारिक नेताओं से सम्बन्धित रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण आन्दोलन इस प्रकार है—

2.1 विरसा आन्दोलन— मुण्डा जनजाति के एक व्यक्ति विरसा ने सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सुधार के लिए यह आन्दोलन किया था। विरसा को मुण्डा लोग भगवान का अवतार मानते थे।

सरदार नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में गरकार के विरुद्ध सन् 1870 में मुण्डा लोगों ने आन्दोलन किया और यह सैनिक विद्रोह सन् 1890 तक चलता रहा। इसे 'सरदार आन्दोलन' कहा जाता है। विरसा ने मुण्डा लोगों को लगान न देने के लिए सुन्ता विद्रोह करने को कहा। इस आन्दोलन ने छोटा नागपुर के अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। विरसा हिन्दूवाद और ईसाइयत दोनों में विश्वास रखता था।

2.2 तनाखगत आन्दोलन— ओराव जनजाति में जागा नामक व्यक्ति ने सन् 1913-14 में बदलते समय के साथ ओराव लोगों के समाज में शुण्ठर लाने की दृष्टि से एक आन्दोलन किया। उसने शराब और मांस का विरोध किया व जादू-टोने व भू-प्रेत की अपेक्षा ईश्वर में विश्वास करने को कहा। सभी तनाखगत खादी वित्तने थे और भूमि का लगान न देकर उन्होंने असह्योग आन्दोलन में भाग लिया था।

2.3 वीरसिंह आन्दोलन— संथातों में वीरसिंह नामक एक व्यक्ति ने सन् 1854 में स्थानीय भू-स्वामियों के विरोध में एक खुला आन्दोलन किया।

2.4 भागीरथ आन्दोलन— सन् 1871 में भागीरथ नामक व्यक्ति ने भागीरथ आन्दोलन चलाया।

2.5 बेनगाव आन्दोलन— सन् 1930 में बेनगाव आन्दोलन चला जो गाँधीजी के विचारों पर आधारित था।

2.6 'हो' आन्दोलन— सन् 1882 में 'हो' लोगों में बुद्धों और भूमित्र लोगों ने गंगा नागदग के नेतृत्व में स्थानीय गजाओं के विरोध में आन्दोलन किया। अमुग जनजाति में जनजाति-विश्वासों और हिन्दू धर्म के मिश्रण के रूप में अनेक धार्मिक आन्दोलन हुए।

इस प्रकार अनेक आन्दोलन—भूमि पर स्वामिलता, बना का उपयोग एवं धार्मिक व सामूहिक सम्पर्क की समस्याओं को सेकर हुए हैं। युवें के अनुसार इनका काल जनजातियों का टिन्डूरण रहा है। एडवर्ड राय ने इन्हे पुनर्जीवित आन्दोलन कहा है। विधार्पि के मत में ये प्रतिरोधात्मक आन्दोलन है, जबकि फौज इन्हे मसीहा आन्दोलन की सज्जा देते हैं, किन्तु सामर रूप में यह कहा जा सकता है कि ये सभी आन्दोलन अपनी सास्कृतिक धरोहर व धूम्यों को प्राप्त करने के लिए किए गये।

3. मध्य भारत की अन्य जनजातियों में आन्दोलन— मध्य भारत की जनजातियों में गौँड़ व भील प्रमुख जनजातियाँ हैं। सन् 1929 में माइसिंग व राज नेगी ने सुधारवादी आन्दोलन चलाए जो गौँड़ लोगों में शराब के गिरेध के उद्देश्य से किए गए थे। 1951 में सरगूजा अकाल से प्रेरित होकर देवी ने गौँड़ लोगों को संगठित किया। यह महात्मा गांधी की अनुयायी थी और इसने गोविन्दपुर में आन्दोलन के संचालन के लिए आश्रम बनाया था।

4. राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश के भीलों में अनेक स्थानीय आंदोलन हुए हैं जिनका उद्देश्य हिन्दूकरण ही है। खानदेश में गुलिया महाराज तथा रेवकन्या में विश्वनाथ द्वारा आन्दोलन किए गये। कई आन्दोलनों का नाम लसोडिया, गोविन्दगिरि, गुलिया, विश्वनाथ तथा मावजी के आधार पर रखा गया। 1933 में भीलों द्वारा मालगढ़ी में पृथक् राज्य के लिए आंदोलन किया गया। अभील नेता मोतीलाल तेजावत एवं भामा भालेश्वर दयाल ने भी भीलों की सामाजिक व राजनैतिक मुक्ति के लिए आन्दोलन का संचालन किया।

इन सबके अतिरिक्त बेली ने उड़ीसा की गौँड़ जनजाति में राष्ट्रीयकरण एवं संस्कृतिकरण के आंदोलनों की चर्चा की है। महायान ने पूर्वी भारत व उड़ीसा की जनजातियों में सामाजिक आन्दोलनों की बात कही है। राघवीया ने आन्ध्रप्रदेश की रामभूषण जनजाति में रामया विद्रोह के विषय में चर्चा की है जिसके कारण सन् 1802 से सन् 1870 तक इन क्षेत्रों में स्थिति सन्तोषप्रद नहीं रही।

5. वर्तमान स्थिति—उपर्युक्त आन्दोलन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के हैं। वर्तमान समय में अब स्थिति में परिवर्तन हुआ है— इस समय जो आन्दोलन हुए हैं उनमें से कुछ निर्माणकारी उद्देश्यों को लेकर हुए हैं व उनका उद्देश्य भी सकारात्मक रहा है। कुछ आन्दोलनों में विद्रोह के स्वर भी उभरे हैं तथा वे नकारात्मक हैं। जनजातियों ने या तो स्वयं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ लिया है, अथवा वे अपने लिए पृथक् राज्य की माँग करने लाए हैं किन्तु इन्हाँ अवश्य कहा जा सकता है कि अपनी निम्नस्तरीय, आर्थिक व सामाजिक स्थिति के लिए वे जागरूक हैं और वे अपनी पृथक् सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहती हैं। सरकार इन जनजातियों के लिए निम्नतर उन्नति के प्रयास कर रही हैं, फिर भी इनमें असन्तोष व्याप्त है। छोटा नागपुर की जनजातियाँ पृथक् राज्य ‘झारखण्ड’ बनाने की माँग कर रही हैं। भीलों ने सदैव स्वायत्त शासन की माँग की है। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में भी पृथक् राज्य की माँग की जा रही है। भीलों ने अलग स्वायत्त शासन की माँग की है। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में भी आन्दोलन हुए हैं। दक्षिणी गुजरात की जनजातियों ने अलग राज्य की माँग के लिए आन्दोलन किए हैं। सन् 1962 में महाराष्ट्र के खण्डारा जिले में भी स्वायत्तता की माँग की जा रही थी।

आन्ध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में नक्सलवादी आन्दोलन ने जनजातियों में असन्तोष को बढ़ावा दिया है। श्रीकाकुलम में असन्तोष के लिए कुशल प्रशासन का अभाव, राज्य व केन्द्र द्वारा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति उपेक्षा भाव, पुलिस की उदासीनता, अधिकारियों द्वारा शोषण, जनजातियों के भूमि-अधिकारों की रक्षा न करना, जनजातियों की भूमि पर अवैध कब्जा करना, व्यापारियों द्वारा इनका शोषण किया जाना आदि कारणों को नायदू ने प्रमुखता प्रदान की है।

प्रश्न

1. अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दीजिए। ये अनुसूचित जातियों से कैसे भिन्न हैं?
2. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए।
3. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के कारणों पर प्रकारा डालिए।
4. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
5. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण की विवेचना कीजिए।
6. भारतीय जनजातियों में सामाजिक-राजनैतिक आन्दोलनों का उल्लेख कीजिए।
7. अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए संवैधानिक उपायों को बताइए।
8. समकालीन भारत में जनजातियों के लोग गैर-जनजातीय लोगों के समीप किस प्रकार आ रहे हैं? बताइए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर मंसिह टिप्पणियाँ लिखिए—

1. झारखण्ड आन्दोलन किस क्षेत्र से सम्बन्धित है? (मा शि बो अब्देर, 1994)
2. तनापगत आन्दोलन।
3. जनजातीय समस्याएँ।
4. जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास।
5. जनजातियों में राजनैतिक आन्दोलन।
6. जनजातियों में सामाजिक आन्दोलन।

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

1. भारत की जनजातियों के कोई तीन आन्दोलन बताइए।
2. जनजाति की सामाजिक समस्याएँ बताइए।
3. जनजातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना है?
4. जनजाति की समस्याओं के समाधान के तीन सुझाव दीजिए।
5. स्थानान्तरित होती।
6. दुर्गम विवास स्थान।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर संकेत सहित)

- (1) शीर्षकुछ प्रश्न दिए गये हैं उनके उत्तरों के विकल्प भी दिए गए हैं, आप मही विकल्प का चुनाव कीजिए—
 1. स्थानान्तरित होती को कहते हैं—

(अ) साझीदारी होती	(स) जीदारी
(ब) बैटाइदारी	(द) जूम

 [उत्तर- (द)]
 2. तनापगत आन्दोलन का सम्बन्ध किस जनजाति में है?

(अ) मीणा	(स) भील
(ब) ओराव	(द) नागा

 [उत्तर- (ब)]

3. 1991 की जनगणनानुसार भारत में कितने जनजातीय समुदाय हैं ?
 (अ) 212 (स) 650
 (ब) 492 (द) 560
 [उत्तर- (द)]

4. 1991 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या थी—
 (अ) 5 करोड (स) 8.67 करोड
 (ब) 6.78 करोड (द) 4.0 करोड
 [उत्तर- (ब)]

5. अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त है ?
 (अ) 15 प्रतिशत (स) 7.5 प्रतिशत
 (ब) 27 प्रतिशत (द) 5 प्रतिशत
 [उत्तर- (स)]

6. भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं?
 (अ) राजस्थान (स) मध्य प्रदेश
 (ब) बिहार (द) उड़ीसा
 [उत्तर- (स)]

7. सातवीं पञ्चवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सहायतार्थ केन्द्र में कितना रूपया रखा था ?
 (अ) 10.0 करोड (स) 756 करोड
 (ब) 656 करोड (द) 915 करोड
 [उत्तर- (स)]

8. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
 (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे।
 (2) जनजातियों ने अपने उत्थान तथा शोषण के विरुद्ध अनेक किए हैं।
 (3) भारतवर्ष में कुल जनजातीय समुदाय है।
 (4) 1991 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या है।
 (5) विद्यात समाजशास्त्री ने भारत की जनजातियों को 'पिछडे हिन्दू' कहा है।
 [उत्तर- (1) 7.5%, (2) आन्दोलन, (3) 560, (4) 6.78 करोड, (5) थे]

四

अध्याय - 9

अन्य पिछड़े वर्ग

(Other Backward Classes)

भारतीय समाज में जहाँ कुछ लोग समृद्ध हैं, सभी सुख-सुविधाओं से सम्पन्न हैं तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास आवश्यक सुख-सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। वे अन्यविश्वासी, पराम्पराओं और जड़मान्यताओं पर किरण हैं और राष्ट्रीय जीवन की मुद्रण पाया से कटे हुए हैं, इन लोगों को पिछड़े वर्गों में सम्बिलित किया जा सकता है। सामान्यत रिछड़े वर्ग में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, शैषिकों व भूमिहीन शैषिकों को लिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ 'अन्य पिछड़े वर्ग' शब्द प्रयुक्त किया गया है और जहाँ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नयन की अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई हैं, वहीं, 'अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए कोई विशेष कल्याणकारी व्यवस्थाएँ नहीं की गई हैं। अब इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इन 'अन्य पिछड़े वर्गों' में कौनसी जातियाँ हैं, उनके निर्धारण के क्या आधार हैं, और उनके उत्तरण के क्या प्रयास किये जा रहे हैं— इन पर अग्रांकित पृष्ठों में विचार किया जाएगा।

पिछड़े वर्ग : परिभाषा एवं अर्थ

भारतीय समाज में 'पिछड़े वर्ग' की अवधारणा बहुत अस्पष्ट है। समाज के वे वर्ग जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से विचित हैं; आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक हाइ से पिछड़े हैं, माय ही जाति, लिंग व पर्म के भेदभाव के कारण शोषित हो रहे हैं, उन्हे 'पिछड़े वर्ग' में स्थान दिया जा सकता है। विभिन्न आयोगों में 'पिछड़े वर्ग' की क्या अवधारणा मानी गई है, इस पर विचार रहे इनकी कोई सर्वमान्य परिभाषा दी सकती है।

विधिक और कनूनी महायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्गों वर्ग का एक लागत लिए दी. आर वृक्षा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने भौगोलिक स्वयं से विचित, ग्रामीण, दोतिहार मजदूर, औद्योगिक व श्रमिक आदि को इम्ब्रोर वर्ग का रहा। भारतीय समाज में जिन जातियों का जन्म धा अन्य सामाजिक आपार पा महिलों से गोला देना रहा है उन्हे इस वर्ग में रहा जाता है क्योंकि वास्तव में जो लोग गरीबी की गोला से बचे और उन्हें बचाये हैं, उन्हैं रिछड़े हाइ से भी जो अशम माने जाने हैं, सामाजिक मानदण्ड में उन्हे मानवीय मानदण्ड नहीं मिलती, माम्फिशिय हाइ से जिन्हे वे भूमिकाएँ नहीं दी जाती जिन्हे उन्हे समाज में

सम्मान मिले, शिक्षा, धन और योग्यता की दृष्टि से जो दुर्बल होते हैं, उन्हें 'पिछड़े वर्ग' में सम्मिलित किया गया है।

सन् 1934 में 'पिछड़े वर्ग संघ' की स्थापना 'मद्रास' में की गई थी जिसमें 100 से अधिक जातियों को पिछड़े वर्गों में माना गया था और यह गंख्या मद्रास की जनसंख्या का अनुमानत 50 प्रतिशत थी। द्रावनकोर राज्य ने सन् 1937 में 'पिछड़े समुदाय' में शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय को माना था। उसके बाद 1948 में हिंदुओं और मुसलमानों में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित करने का विचार किया गया। इस आयोग का कार्य पिछड़े वर्गों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को जानकर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से उन समस्याओं के सुधार के लिए प्रयत्न करने की सिफारिश करने का भी था। ऐसे आयोग की नियुक्ति 1953 में हुई।

1947 में बिहार सरकार द्वारा 'अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिए कुछ प्रावधान किए गए। बिहार सरकार ने विभिन्न जातियों के 'पिछड़े वर्गों' की एक सूची भी 1951 में घोषित की, जो राज्य की जनसंख्या का 60 प्रतिशत थी। 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनके लिए शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान कीं। इस सरकार ने 56 जातियों की एक सूची बनाई जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 65 प्रतिशत थी। विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (1948-49) ने पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षण रखने की बात कही। अनेक संगठन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए, जैसे—'बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ' 1947 में बनाया गया, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ 1950 में स्थापित हुआ। 1954 में 15 राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन बने। अनेक सूचियाँ बनाई गईं। कर्नाटक की सूची में ब्राह्मणों को छोड़कर सभी गैर-हिन्दू लिए गए, किन्तु अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है कि 'पिछड़े वर्ग' में किन्हें स्थान दिया जाए। भारत के संविधान के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि पिछड़ेपन को आधार बनाया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को संविधान की धारा 340 के आधार पर आयोग का गठन करके पिछड़े वर्गों की स्थिति की जानकारी लेने का अधिकार दिया गया है। धारा 15 (4) और 16 के आधार पर राज्य सरकारों भी इनकी सही स्थिति का पता लगा सकती हैं। इसी धारा के आधार पर 'राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग' प्रदेश में सर्वेक्षण कराकर 'पिछड़े वर्गों' की सूची बनाने का कार्य कर रहा है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिका के चुनाव 1994 में होने हैं उसके लिए 'पिछड़े वर्गों' के लिए आरक्षण का मामला तय करने के लिए पिछड़े वर्गों की नवीन सूची बनाने का सर्वेक्षण-कार्य प्रणाली पर है। राजस्थान की अधिकृत 'पिछड़ा वर्ग' सूची में नई जातियों व वर्गों के नाम जोड़ने के सम्बन्ध में विवार-विमर्श करने के लिए 'राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग' आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश आई.एस. इमरानी की अध्यक्षता में 8 जुलाई, 1994 को एक बैठक आयोजित की गई। सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार 'पिछड़ा वर्ग' की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने एवं हटाने के लिए राज्य सरकार को जो पार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उनके सम्बन्ध में नेशनल कमीशन व अन्य राज्यों के 'पिछड़ा वर्ग' आयोगों में रखे मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मण्डल कमीशन के मापदण्ड, सर्वेक्षण, और विचार-विमर्श करके तय किए जायेंगे, क्योंकि संविधान में 'जाति' शब्द का उल्लेख नहीं है, वर्ग का है और आयोग को पिछड़े वर्गों की सूची बनाते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर विचार करना है। सितम्बर 1994 से मुख्य-मुख्य शहरों और कस्बों में रहने वाली जातियों के नाम जोड़ने के लिए सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है जो 15 अक्टूबर, 1994 तक चलेगा। अब तक भिश्ती, बागड़ा, वैद्य, बावर, पायक, विकोपी का सर्वेक्षण हो चुका है और आदि गौड़, कोटी, हरियाणा, ब्राह्मण, सिन्धी, करी,

गुजराती, राष्ट्रिय विद्या, स्कूली (गद्दामी), चोरदार, परामी, पूर्णिया गढ़वाल, उधार/बन्दूहमार, फिजार मैन, पश्चीमी, मिपी, मुसलमान, कमाई, गोंगार, बाजी, गुंगल, गुण्डी, फली, मरावन, बायमखानी जातियों का सर्वे 15 अवधूत तक पूरा किया जाएगा। इसमें यह आप होता है कि पिछड़ा वर्ग में कौनसी जातियाँ रही जाएँ। अभी तक यह तय नहीं है इसका अर्थ यह भी है कि पिछड़ेगन का निर्धारण सामाजिक और शैक्षिक हृषि में किया जाता है। इसमें उन सभी ममूरों ये जातियों को निया जाता है जो व्यवसाय, शिक्षा आदि में अन्य उच्च वर्गों से पीछे रह रहे हैं। त्रिपंजीयान्यासन करने वाले भी इसी श्रेणी में हैं। अत यह पिछड़ा वर्ग नियाला जा सकता है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के अन्तर्वर्त उच्च वर्गों को निया जा सकता है, जिन्हें अल्पों में कैद्या और ग्राम्याओं से नीचा समस्या जाना है और जो नोग मामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक हृषि में पिछड़े हुए हैं।

पिछड़े वर्गों में सम्बन्धित आयोग— पिछड़े वर्गों का नियोग करने, उनकी मामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को जानने और जानकर केन्द्रीय एवं राज्य समाजाओं में उनके उपयोग के लिए प्रयास करने की मिहानिका करने के लिए देश में अवधूत दो आयोग गठित किए गए हैं, जो इन प्रकार हैं—

1. बाह्यकालनेतृत्व आयोग— पिछड़े वर्गों में सम्बन्धित विभिन्नों को जानने में सम्बन्धित 'अनिवार्य भारतीय स्तर का प्रथम आयोग' बाह्यकालनेतृत्व की अध्यक्षता में गढ़वाल ने 29 जनवरी, 1953 को स्थापित किया था। इसे मिट्टेश दिया गया था कि वह सामाजिक और शैक्षिक हृषि वो व्यापार में गुणवत् पिछड़े वर्गों का निर्धारण करे और उनकी सूची तैयार कर और उनकी मामाजिक और शैक्षिक समस्याओं का भी पता लगाए। इसके निए आयोग को विभिन्नताओं आदेश दिए गए थे—

- (1) उन कमीटियों का निर्धारण करना जो मामाजिक और शैक्षिक आपार पर पिछड़े वर्गों को ज्ञान कर सकें।
- (2) पिछड़े वर्गों की सूची बनाना।
- (3) पिछड़े वर्गों की विभिन्नाइयों को ज्ञान करना।
- (4) पिछड़े वर्गों की विभिन्नाइयों के विवारण एवं उनके कल्याणार्थ केन्द्र एवं राज्य समाजा व्यव प्रयास करे?
- (5) पिछड़े वर्गों को व्या प्रायता उपलब्ध कराएँ जाएँ।

अनुमान दो वर्षों के उपर्याप्त 2,349 जातियों और उपजातियों की सूची आयोग द्वारा तैयार की गई और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कलिकाय सुप्रबल भी प्राप्त किया गया। आयोग ने भाग वी 70 प्रतिशत उदासीन्या को पिछड़ा मारा, जिसके विभिन्नताओं आयोग पांच—

- (1) जारीय-सम्बन्ध में विष्व मामाजिक विभिन्न।
- (2) शैक्षिक-प्रणाली का अभाव।
- (3) गर्भाय में अवरोध प्रतिविधिन।
- (4) व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक प्रतिविधिन।

पिछड़े वर्गों की सूची-सिद्धांश में आयोग ने 'जाति' वा गुणवत् बाबू बाबू मारा है जो जाति की सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं को कुछ सुरक्षा देते हैं वह वस्तु किया जा सकता है। इस कापार पर आयोग ने क्षेत्र में कम 25 प्रतिशत में ग्रामीण आयोग गुणवत् बाबू की सेवाओं के लिए, 33.5

प्रतिशत द्वितीय सेवाओं में, और 40 प्रतिशत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए किये जाने का सुझाव दिया है। आयोग ने मैडिकल, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में 70 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। साथ ही उसने पिछड़ावर्ग कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने का विचार भी रखा।

आयोग ने जाति समूहों के पिछड़े व्यक्तियों को आधार न मानकर 'सम्पूर्ण जाति' को पिछड़ेपन का आधार माना, बाद में उसने 'निर्धनता, मकान और व्यवसाय' को भी पिछड़ापन-निर्धारण का महत्वपूर्ण कारक माना क्योंकि एक तो जाति का आधार अस्पष्ट है, दूसरे जाति की कसौटी, प्रजातंत्र के सिद्धांतों के भी विपरीत है।

आयोग की सिफारिशों पर ध्यान देते समय केन्द्र सरकार ने जाति को आधार मानने से इनकार कर दिया और उसने 1961 में राज्य सरकारों से उनके यहाँ पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए जिसका आधार आर्थिक हो, न कि जाति। इस आदेशानुसार राज्यों ने आय और व्यवसाय को आधार मानकर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की, और उन्हें वर्गीकृत किया।

राज्यों में पिछड़ेपन की कसौटियाँ

1961 में केन्द्र ने स्वयं पिछड़े वर्गों की सूची तैयार न करने का निर्णय लेकर, राज्यों को सूची तैयार करने के आदेश दिए। केन्द्र स्वयं पिछड़ेपन का निर्धारण नहीं कर सका अतः उसने राज्यों को अपनी कसौटी निर्धारित कर, सूचियाँ बनाने के आदेश दिए। राज्यों ने स्थानीय, सामाजिक और आर्थिक आधारों को प्रमुखता देकर अपनी सूचियाँ बनाई। अनेक जातियों ने इसमें समावेश होने के लिए माँग की।

'कर्नाटक सरकार' ने 1960 से जाति, धर्म और प्रजाति को पिछड़ेपन का आधार न मानकर परिवार की आय और व्यवसाय को पिछड़ेपन का आधार माना। 1960 तक 'ब्राह्मणों' के अतिरिक्त सभी जातियों को पिछड़ी माना गया। 1972 में एल.जी. हवानूर की अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने आय और व्यवसाय के स्थान पर 'आर्थिक और जातीय आधार' पर पिछड़ी जातियों की एक सूची बनाई और इनके लिए 32 प्रतिशत नौकरियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की। कर्नाटक में लिंगायत और बोकालिंग जातियाँ पिछड़े वर्ग में अने की माँग कर रही हैं। कर्नाटक सरकार ने 40 प्रतिशत आरक्षण किया है किन्तु वर्तमान समय में कर्नाटक विधान सभा ने आरक्षण से सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें 80 प्रतिशत आरक्षण की माँग की गई। विधान सभा ने 20 सितम्बर, 1994 को आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। इसमें आरक्षण तिहास प्रतिशत करने का प्रावधान है। 'अन्य पिछड़े वर्ग' के लिए पचास और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए तेर्इस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभा में दो प्रस्ताव पारित किए गए हैं—एक तो यह कि राज्य केन्द्र से अनुरोध करेगा कि राज्य के आरक्षण विधेयक को संविधान की नवीं अनुसूचि में शामिल किया जाए और दूसरा यह कि राज्य केन्द्र को उन परिस्थितियों का व्यौरा देगा जिनके कारण पिछड़ा और दलित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए राज्य को 73 प्रतिशत आरक्षण लागू करना पड़ा।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1966 में जाति के बजाय 'परिवार' को पिछड़े समूहों के वर्गीकरण का आधार माना। किन्तु यह निर्णय कुछ कानूनी कठिनाइयों के कारण त्यागना पड़ा। 1970 में 92 समुदायों की एक सूची 'पिछड़े वर्गों की' बनाई गई। इन जातियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

विहार मंत्रकार ने 'काका कालेलकर आयोग' और 'मुंगेरी लाल आयोग' द्वारा प्रभुत्व की गई सिन्हाइज़ों के आपात पर 1978 में 128 रिहड़ी जातियों के लिए आगहन की घोषणा की। विहार की अहीर, कुर्मा और कोइरी जातियों जो बहुत रिहड़ी न होने पर भी रिहडे वर्गों की कुत्त बनसंध्या वा पाँच में से तीनमात्र हिस्सा हैं, आरक्षण का अधिकतम लाभ से लेती हैं। इस वीर्ति से लाभ लेने के लिए 12,000 रु. प्रतिवर्ष परिवार की आश-सामा निश्चिन वीर्ति है। विहार में '26 प्रतिशत आरक्षण' दिशा गशा है।

तमितनाडु में 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया। अब तमितनाडु में '69 प्रतिशत आरक्षण' करने का प्रमाण रखा गया है। इस आगहन के कानून को संविधान की नवीं अधिमूली में शानित करने सम्बन्धी संविधान मंदोधन विधेयक को 24 अगस्त, 1994 को राज्य सभा ने आवश्यक बहुमत से पारित कर दिया। सरकारी नौकरियों व शिक्षण सम्बन्धीओं में 69 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने का प्रावधान है जिसे संविधान की नवीं अनुमूली में शामिल किए जाने से किसी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

कर्नल सरकार ने रिहडे वर्ग आयोग की स्थापना की और 1970 में इसकी गिरोह निर्ती। इसमें शैक्षिक, अधिकारियिति, सामाजिक रिहड़ापन और सरकारी सेवाओं में हिस्सा—कमीटियों मानवर सिफारिश की और आज '25 प्रतिशत आरक्षण' रिहडे वर्गों के निर रखा गया है।

उत्तर प्रदेश मंत्रकार ने 58 समुदायों की जातियों को रिहडा दाया है— वहाँ पर कुर्मा, अहीर और कोइरी भी स्वयंको आक्रित माने जाने के लिए प्रयत्नमान हैं। वहाँ 15 प्रतिशत नौकरियों आरहित है। अब उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य बनाने व वहाँ 27 प्रतिशत आगहन लागू किए जाने के तिर आन्दोलन किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने 14 प्रतिशत आरक्षण रिहडे वर्गों के लिए किया है।

जम्मू-कश्मीर राज्य में रिहडे समुदायों और जातियों के लिए 40 प्रतिशत नौकरियों आरहित की गई है।

राजस्थान-पंचायती गढ़ मंस्ताओं में आरक्षण मीमा 50 प्रतिशत—पंचायती राज सम्बन्धों में और नगरपालिका चुनावों में अनुमूलित जाति, अनुमूलित जनजाति व 'अन्य रिहडे वर्गों' के लिए कुल आरक्षण की मात्रा 50 प्रतिशत रखने का प्रमाण रखा गया है। रहिलाओं को इन सुनावों में एक-तिहाई आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनुमूलित जाति, अनुमूलित जनजाति और 'अन्य रिहडा वर्गों' के लिए निश्चिन आरक्षण में एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरहित होते। वर्नमान में अनुमूलित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुमूलित जनजाति के लिए 125 प्रतिशत आरक्षण है। इस स्थिति के दह व्याप रखा जा रहा है कि इन हीनों वर्गों के लिए प्रोत्तिष्ठित आरक्षण की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक न हो— इस स्थिति के 'अन्य रिहडे वर्गों' के लिए आरक्षण का प्रावधान यह है कि इन दोनों मंस्ताओं द्वारा लिताने के बाद 50 प्रतिशत होने वे शिवाय रिस्ता बदला है, वह 'अन्य रिहडे वर्गों' के लिए होता है। बिनुदर किमी भी स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक वर्गी होता है। राज्यदान के भविनेंडल में आर. अच्छदेश के बारे राज्य सरकार ने इसी वर्ग, राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994 की घटा 2, 15, 16, 64, 74, 101 और 124 में समोचन किए हैं।

राज्य सरकार ने 'अन्य रिहडी जातियों' के लिए मारवारी मंस्ताओं में 21 प्रतिशत आरक्षण प्रोत्तिष्ठित किया है। बिनुदर इन वर्गों के तोतों की न तो दरिश शुल्क में गत प्रतिशत दृट हो जाएगी।

है, न आयु सीमा में कोई छूट है और न ही परीक्षा में बैठने या अस-किराए आदि में कोई छूट दी जाती है इस कारण इन 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पाता। अतः 'पिछड़ा वर्ग आयोग' ने माँग की है कि मण्डल आयोग की मंशा और उच्चातम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकारी नौकरियों के अलावा अर्द्ध-सरकारी उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्वायतंत्रशासी संस्थाओं, तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण दिया जाए।

मण्डल आयोग

सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सहायता देने और जातीय असमानताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से जनता पार्टी ने अपने 1977 के घोषणा-पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33 प्रतिशत तक आरक्षण देने का वायदा किया और लोकसभा के सदस्य धी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया। इसे 'मण्डल आयोग' का नाम दिया। आयोग को निम्नलिखित कार्य करने थे—

(1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के आधार तय करना।

(2) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु किए जा सकने वाले कार्यों के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना।

(3) केन्द्र और राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में उन नौकरियों में आरक्षण की सम्भावनाओं की जाँच करना जिनमें पिछड़े वर्गों का प्रतिरिधित्व कम है।

(4) प्राप्त तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें देना।

मण्डल आयोग ने 30 अप्रैल, 1982 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। मामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया। मण्डल आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 52 प्रतिशत है अतः आयोग ने सुझाव दिया कि इस 52 प्रतिशत जनता के लिए नौकरियों और शैक्षिक सुविधाओं में 52 प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए। परन्तु संविधान की धारा 15 (4) और 16 (4) के अनुसार 50 प्रतिशत स्थान ही आरक्षित किए जा सकते हैं। 22.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित, जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से ही आरक्षित हैं। अतः पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत ही आरक्षण किया जा सकता है। आयोग के सुझाव इस प्रकार थे—

(1) सभी स्तरों पर 27 प्रतिशत नौकरियों का आरक्षण किया जाए।

(2) पदोन्तति के लिए भी 27 प्रतिशत का सिद्धांत लागू किया जाए।

(3) यदि आरक्षित कोटा भरा नहीं जाता तो तीन वर्ष की अवधि के लिए इसे बढ़ा दिया जाए, उसके बाद ही उरो हटाया जाए।

(4) पिछड़े वर्गों को भी आयु में छूट अनुसूचित जाति-जनजातियों के समान दी जाए।

(5) आरक्षण का सिद्धांत केन्द्रीय और राज्य गरकारों से सहायता प्राप्त करने वाले निजी प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, बैंकों और सार्वजनिक थोक्र के प्रतिष्ठानों में लागू किया जाए।

एक और आंदोलन 'श्री नारायण धर्म परिपालन' केरल में हुआ जिसे नारायण गुरुस्वामी ने किया था। इस आंदोलन में गैर-ब्राह्मण नायर जाति के उत्थान पर जोर दिया गया अतः इसे सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। इन आंदोलनों के दो प्रमुख कारण हैं— (1) दंडिण में जितने भी आंदोलन हुए वे या तो ब्राह्मणवाद के विरोध में थे अथवा पिछड़े वर्गों के उत्थान और जातीय संस्तरण में उच्च स्थिति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में थे। ब्राह्मणों को सदैव ही विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, समाज में उच्च स्थिति प्राप्त हुई है और यही अन्य जातियों के विरोध का कारण बना।

ब्राह्मण संख्या में कम होते हुए भी साक्षरता में आगे रहे। इसी कारण इन्हें अन्य जातियों से उच्च माना गया और ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों को पिछड़ा समुदाय भी घोषित किया गया।

(2) इन आंदोलनों का एक अन्य कारण यह भी माना जा सकता है कि ग्रामीण समाज में कृषक जातियाँ अत्यधिक हैं। राजनैतिक दृष्टि से ये 'प्रभु जातियाँ' कही जाती हैं। इन जातियों को एकीकृत ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज वयस्क मताधिकार व हाईत क्राति का सर्वाधिक लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के जाट और गूजर, बिहार की कुर्मों एवं यादव जातियाँ इसके उदाहरण हैं— इन जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार ने पिछड़े वर्गों में आंदोलन को उभारा है।

इन उपर्युक्त आंदोलनों के अतिरिक्त सामाजिक असमर्पिता के विरोध में व नौकरियों और शिक्षा में स्थान रक्षित करने के उद्देश्य से भी आंदोलन किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में पिछड़ेवर्गों के लिए अलग राज्य की माँग ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड आंदोलन को जन्म दिया है।

उत्तराखण्ड आंदोलन

उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड को पृथक् राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उत्तराखण्ड आंदोलन का प्रारम्भ पूर्णतमंत्री गुलामय सिंह यादव के पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आपृथक् सुविधा देने के परिणामस्वरूप हुआ है। वास्तव में 1950 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था तभी इसे पृथक् राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। 1991-92 की योजना अत्योग की रिपोर्ट में भी इसे पिछड़ा राज्य माना गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा ने आठ जिलों को भिलाकर पृथक् उत्तराखण्ड राज्य के गठन के प्रस्ताव को 24 अगस्त, 1994 को स्वीकृति दे दी है। इस उत्तराखण्ड के पृथक् राज्य में— नैनाताल, अलमोड़ा, पिथौरांगढ़, पौड़ी गढ़वाल, चामोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून शामिल हैं। इन आठ जिलों वाले उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें छात्र वर्ग सम्मिलित है। वास्तव में इस आंदोलन के दो पक्ष हैं— (1) एक तो अलग राज्य की स्थापना और (2) दूसरे यह कि चैकिं वहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात तीन प्रतिशत से भी कम है, अतः 27 प्रतिशत आपृथक् उत्तराखण्ड में लागू न किया जाए। अलग राज्य बनाने के पक्ष में राज्य विधानमण्डल प्रस्ताव पारित कर चुका है, और अब यह मामला केन्द्र सरकार के अधीन है किंतु आरक्षण के विषय में केन्द्र सरकार विमुख है जिसके कारण अंदोलन की लहर तीव्रता धारण किए हुए है। उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक-शैक्षिक स्थिति की दृष्टि से वहाँ की जनसंख्या के बड़े भाग को पिछड़ा वर्ग माना जाए या अनुसूचित जनजाति में? दोनों में अतर यह है कि पहली स्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत है और दूसरी में शत प्रतिशत। वैसे सरकार यदि उत्तराखण्ड को अलग राज्य घोषित कर देती है तो जिस प्रकार हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, पंजाब सभी जैसे पृथक् राज्य बनकर फले-फूले हैं, वैसे ही

उत्तराखण्ड भी अपनी मिथ्यति सुदृढ़ कर लेगा। अत पहले उत्तराखण्ड रान्य बनाया जाए, और फिर आरक्षण की नीति तय की जाए।

आरक्षण-विरोधी-आंदोलन एवं आगाधण-नीति

आरक्षण विरोधी धोर आंदोलन एक दराक पूर्व विहार और गुजरात में हुए थे और आज उत्तराखण्ड में आरक्षण-विरोधी आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का मुख्य आपार पट्टे-लिहे लोगों की बेरोजगारी का है। जब गिरिहत वर्ग को पढ़ निष्ठकर भी साकारी नौकरी नहीं मिलती तो उसमें कुछाएं आ जाती हैं जो आगाधण विरोधी आंदोलन का रूप ले लेती हैं। आगाधण के विस्तार पर सभी टन सामग्रियां और सभाएं कर रहे हैं। यह मन्च है कि पट्टे-लिहे लोगों में सर्वांग ज्ञातियों के लोग ज्यादा हैं किन्तु ऐसी मिथ्यति में क्या किया जाए? क्या साकारी नौकरियों के सभी स्थान अनावश्यक बदल दिए जाएं? क्योंकि नौकरियों का शान प्रतिशत आगाधण भी कर दिया जाए तो भी पिछड़े और दलित समुदाय को पूरा सोडगार नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी सम्मुद्रा तो सायगों से भी ज्यादा है। सामाजिक-विषयमात्र को दूर करने के लिए आगाधण का किंवित उत्तरोग अवश्य है किन्तु वास्तव में यह विद्रोह समझा से दूर होगा। वह ममता जिसे गाँधी और विनोद ने अपने झींगन में बीचा था।

आगाधण के प्रमाण की नीति भी सभी प्रदेशों की असरी-अपरी है, जैसे— तमिलनाडु मार्कार ने आगाधा की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर करीब 69 प्रतिशत करने का ऐसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण कानून को कानून की नवी अधिगृही में शामिल करने सम्बन्धी मविपान मण्डपन-विधेयक को 24 अगस्त, 1994 को रान्य सभा में पारित कर दिया। जिसके अनुसार तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण सम्बन्धीओं में 69 प्रतिशत आगाधण जारी करने का प्रावधान है। यानि ये कि मण्डल आयोग ने 27% आगाधण देने की यात कही थी और उन्नतम न्यायालय ने भी 50 प्रतिशत आरक्षण की दैर्घ्यी की थी किन्तु तमिलनाडु की आगाधण की सीमा के मामे तो केंद्र सरकार ने भी समझौता कर लिया। इसमें गड़नैतिक पक्ष प्रबल था? अपरा चुनावी दृष्टिकोण, कहा नहीं जा सकता। किन्तु मुख्य प्रगत यह है कि यदि इस प्रकार आगाधण की सीमा बढ़ाई गई तो उन प्रतिभाओं को आरक्षण जैसे मिलेगा? और आगाधण का यह गिरिमिला क्या तक और चिनना चलेगा? जिन्हे आज नौकरियों में आगाधण दिया गया है, वे कल गिरियां सम्बन्धीओं में भी आरक्षण की दौँग करेंगे। इस प्रकार आगाधण की जैशिक निलंडापन इटाने जारी आपार पर दग के दुखड़े-दुखड़े न बर दे। तब जानिवाद का दिव और फैल जाएगा।

आगाधण की तरफ आज सभी ग्रान्तों में व्याप्त है। विहार के मुख्यगृही लालू प्रमाद यादव गिरा के निए 80 प्रतिशत आगाधण की दौँग कर रहे हैं, उमी भौति कन्नाटक के निए भी 80 प्रतिशत आगाधण की दौँग वही के मुख्य मंडी विधाया मौद्रिकी द्वारा की जा रही है और दिलाक 20 मिलियन, 1993 के कनाटक विधान सभा में आगाधण विधेयक पासन कर दिया। इसमें विहार प्रतिशत आगाधण निलंडी जानियों के निए करने का प्रावधान है। भेषान्तर और नालानीड़ जैसे पूर्णकागायों पे पहले मेरी 80 से 85 प्रतिशत तक आगाधण की व्यवस्था लागू है। अब मुख्यमंडी और ईमां भी आगाधण कोटे की दौँग कर रहे हैं। किन्तु क्या आगाधण मामाडिल विषयमात्र का दूर कर सकेगा? भारत के उन्नतम न्यायालय ने 50 प्रतिशत तक आगाधण नालू करने की व्यवस्था बींची है। भारत की मरण सर्वोच्च विधि-निर्माणी निराजन है। यह कानून बनावर उन्नतम न्यायालय द्वारा भी लड़ा कर दिया

को बदल सकती है और इस अधिकार का संसद ने उपयोग किया है। किंतु आरक्षण बढ़ाने से न तो सबको नौकरियाँ मिल जायेगी और न ही सामाजिक असमानता में कमी होगी, बल्कि युवा पीढ़ी को तो इससे भटकाव ही ज्यादा मिलेगा।

आरक्षण की अलग-अलग राज्यों की नीति से वातावरण में क्रूरता पनपने लगेगी और देश विभाजन की दिशा में बढ़ता चला जाएगा। अत आरक्षण की नीति का निर्धारण करते समय वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े हुए वर्गों को सुविधा दी जानी चाहिए।

पिछड़े वर्गों की समस्याओं का समाधान

पिछड़े वर्ग की समस्याएँ वास्तव में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से सम्बन्धित हैं और इन्हीं के सुधार के लिए समय-समय पर आयोगों के गठन हुए हैं। कुछ लाभ और सुविधाएँ उन्हें प्राप्त भी हुई हैं किंतु वास्तविकता तो यह है कि अभी भी ये वर्ग अनेक निर्णायकताओं के शिकार हैं। आज शैक्षिक, सजनैतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में उनमें पिछड़ापन है— केन्द्र एवं राज्य सरकारें इनके लिए प्रयासात है— भूमि-सुधार कानून, न्यूनतम-मजदूरी निर्धारण, बन्धुआ मजदूरी प्रथा की समाप्ति, रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनेक योजनाओं का निर्णायण, आवास व पेय जल आदि की व्यवस्था करना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था व महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी आदि अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए बनाई जा रही हैं।

यही नहीं राजनैतिक क्षेत्र में भी इन्हें महत्व दिया जा रहा है। पंचायती राज, वयस्क मताधिकार जमींदारी उन्नीसवाँ लाल, हारित क्राति एवं एकीकृत ग्रामीण विकास आदि कार्यक्रमों के द्वारा अब इनकी भागीदारी सभी क्षेत्रों में हो रही है ये उच्च जाति के समान ही सभी क्षेत्रों में लाभान्वित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सुविधाएँ इन्हें उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिनके द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

समस्या-समाधान हेतु कठिपय सुझाव

- (1) मजदूरों की कार्य की दशाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं।
- (2) पिछड़े वर्गों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए।
- (3) सभी प्रकार की नौकरियों में इन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- (4) सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था की जाए।
- (5) विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं ऋण आदि की उचित व्यवस्था की जाए।
- (6) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया जाए।
- (7) इनके लिए आवास की समुचित व्यवस्था की जाए।
- (8) भूमि-सुधार अधिनियम को विधिवत् लागू किया जाए।
- (9) बन्धुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास-व्यवस्था की जाए।

- (viii) काका कालेनकर आयोग की स्थापना में ही गई।
 (29 जनवरी, 1953/30 अप्रैल, 1982)

[उत्तर- (i) ज्योतिराव फुले, (ii) अज्ञादुराई, (iii) गुप्तखादी, (iv) 1970, (v) 27, (vi) 24 अगस्त, 1994, (vii) 30 अप्रैल, 1982, (viii) 29 जनवरी, 1953]

2. नीचे दिए गए चार विकल्पोंमें से सही विकल्प का चयन कर सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दीजिए-

 - (1) द्रविण मुनेत्र कडागम की स्थापना किस सन् में हुई?

(अ) 1873	(ब) 1949
(स) 1857	(द) 1970

 - (2) मण्डल आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

(अ) नरसिंहराव	(ब) नारायण गुरु स्वामी
(स) बी.आर. कृष्ण आचार्य	(द) बी.शी. मण्डल

 - (3) कर्नाटक विधान सभा में पिछड़ी जातियोंके लिए तिहतर प्रतिशत का आरक्षण विधेयक कब पासित हुआ?

(अ) 24.7.94	(ब) 7.9.73
(स) 25.9.84	(द) 20.9.94

 - (4) रात् 1991में तमिलनाडु सरकार ने पिछड़ी जातियोंके लिए कितना प्रतिशत आरक्षण किया है?

(अ) 80 प्रतिशत	(ब) 73 प्रतिशत
(स) 70 प्रतिशत	(द) 69 प्रतिशत

 - (5) काका कालेनकर आयोग कब स्थापित किया गया था?

(अ) 1970	(ब) 1974
(स) 1953	(द) 1961

 - (6) 1951में 15 राज्योंमें पिछड़े वर्गोंके लिए वित्तने संगठन बो?

(अ) 28	(ब) 17
(स) 88	(द) 35

 - (7) 'सार्वजनिक सत्य पर्म' के एथिता कौन थे?

(अ) एम जी रामचन्द्रन	(ब) नारायण गुरुस्वामी
(स) ज्योतिराव फुले	(द) अज्ञादुराई

[उत्तर- 1 (ब), 2 (द), 3 (20.9.94), 4 (द), 5 (1953), 6 (88), 7 (स)]

3. निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए-

(1) 27 प्रतिशत आरक्षण	(A) ज्योतिराव फुले
(2) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग	(B) 1970
(3) असिल भारतीय द्रविण मुनेत्र कडागम	(C) उत्तर प्रदेश
(4) गुहापाली	(D) मण्डल आयोग
(5) उत्तरायण आदोलन	(E) 1948-49

[उत्तर- 1 (D), 2 (E), 3 (B), 4 (A), 5 (C)]

अध्याय - 10

भारत में स्त्रियों : प्रमुख समस्याएँ

(Women in India : Major Problems)

भारत में स्त्रियों की स्थिति' का विषय अनेक दृष्टियों से प्रहृत्पूर्ण है। अगर हम भारतीय समाज को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो उसकी जनसंख्या का लगभग आधा भाग जो स्त्रियों का है, क्यों जानना, देखना और समझना आवश्यक है। भारत में मियों की स्थिति भूतकाल में क्या थी? वर्तमान में क्या है? और भवित्व में क्या होगी? इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना भारतीय समाज का विकास अपूर्ण ही रहेगा। अगर भारतीय सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था को सुहृद बनाना है तो हियों की स्थिति को पुरुषों के संदर्भ में देखना होगा तथा उसमें संतुलन लाना होगा। क्यों और वृहत् दोनों समाज के अधिकार अंग होते हैं। उनमें से किसी एक (री) का जोषण होगा तो वह समाज धुशाहाल तथा मुश्वी नहीं हो सकता है।

अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों, परीक्षणों तथा सर्वेक्षणों से पता चलता है कि समाज के संतुलन, विकास तथा समृद्धि के लिए नारी की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं। एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ है एक परिवार को शिक्षित करना। नारी का प्रभाव अनेक देशों में देखा गया है। वह सन्तानों को जन्म देती है। उन्हें पात-पोस कर बड़ा करती है तथा समाज को भावी सदस्य तथा नागरिक प्रदान करती है। अगर रसी या माता अथवा गृहिणी के सहकार, शिक्षा-दीक्षा आदि उतम नहीं होती तो वह समाज और राष्ट्र को थेषु सदस्य कैसे दे सकती है? समाज के लिए श्री का स्वस्य, धुशाहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहारकुशल, बुद्धिमान आदि होना अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। अब उसकी स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गैसिक आदि दृष्टिकोणों से नियंत्रित होती है तो स्वाभाविक है परिवार, समाज और राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। एक तो मियों स्वयं गढ़ की आपी जनसंख्या है तथा दूसरा बच्चे, युवा, प्रौढ और वृद्धजन उन पर अपनी अनेक परिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर हते हैं। भारत में हियों की स्थिति वा विभिन्न कालों में अव्ययन करना आवश्यक है तभी इनकी वर्तमान स्थिति वा कानूनी विवरण गामने आ पाएंगा।

विभिन्न कालों में श्री की स्थिति

1. वैदिक काल— इम काल के उपलब्ध साहित्य से पता चलता है कि मियों की स्थिति सभी प्रकार से अच्छी थी। श्री-पुरुष में कोई भेद नहीं था तथा दोनों की सामाजिक प्रस्थिति समान थी। लड़कियों वृद्धवर्ष का पालन करती थी। आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती थी। मह-गिरा का प्रवलन था। यजुर्वेद के अनुसार इस काल में कन्या का उन्नयन सम्भव रहा था। उमे संपाद करने का

अधिकार था। पी.एन. प्रभु ने लिखा है कि जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्री-पुरुष की स्थिति सामान्यतः समान थी। स्त्रियों शिक्षा प्राप्त करती थीं तथा शास्त्रों का अध्ययन करती थीं। इस काल में अनेक विदुषी स्त्रियों हुई थीं। लड़कियों का विवाह युवा अवस्था में होता था। स्त्रियों चाहती तो अपना जीवन बिना विवाह किए व्यतीत कर सकती थीं। लड़कियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थीं। पत्नी का अपने परिवार में सम्मान था। महाभारत के अनुसार, 'वह पर घर नहीं आग उस घर में पत्नी नहीं।' गृहिणीहीन घर 'जंगल' है। अर्थवदेद में लिखा है कि "नववधू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साप्राज्ञी है। तेरे श्वसुर, सास, देवर और अन्य व्यक्ति तुझे साप्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हो।" स्त्री सन्तान उत्पन्न नहीं होने पर अथवा उत्तम सन्तान के लिए नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त कर सकती थी। यहुपत्नी विवाहों को मान्यता प्राप्त थी। विष्वा पुनर्विवाह कर सकती थी। देवर या अन्य व्यक्ति से वह इच्छानुसार विवाह कर सकती थी। पर्दा-प्रथा नहीं थी। स्त्रियों सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र थीं। पुरुषों द्वारा रियों की रक्षा करना परम कर्तव्य माना जाता था। उनका अपमान करना लोग पाप समझते थे।

स्त्री-पुरुष समान रूप से धार्मिक कृत्यों को करते थे। किसी भी यज्ञ आदि में पति-पत्नी दोनों का होना आवश्यक था। ऐसेरेय ब्राह्मण में स्त्री को 'जात्या' कहा गया है जिसका अर्थ है कि स्त्री अपने पति को दूरारा जन्म देती है (जायति पुन)। बालमीकि के अनुसार स्त्रियों को अकेले यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। पुत्र के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था। पुत्र का महत्व वंश विस्तार, तर्पण, पिण्डदान आदि के कारण अधिक था। ब्रह्मवेद में वीरा-पुत्रों की कामना के लिए बारबार प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। सारांशत वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान अच्छी थी।

2. उत्तर-वैदिक काल— ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक का काल उत्तर-वैदिक काल कहलाता है। महाभारत की रचना उस काल में प्रारम्भ हुई थी जो एक संस्कृति काल था तथा उसमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में भिन्न-भिन्न तथा विरोधी विचार मिलते हैं। वैदिक काल में तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी पन्नु बाद में उनकी स्थिति में परिवर्तन होने लगा। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के अनुसार स्त्री को सदैव आदरणीय मानकर उससे स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, एमने तप्त्र देवता।" अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यह भी लिखा है कि इनकी अनुपस्थिति में सारे कामकाज पुण्यरहित हो जाते हैं। भीमपितामह ने नारी के दो प्रकारों का उल्लेख किया है—साध्वी और असाध्वी। साध्वी नारी धर्मी की माँ और संरक्षिका है तथा असाध्वी नारियाँ वे हैं जिन्हें उनके पापपूर्ण व्यवहार के कारण कहीं भी पहिचाना जा सकता है। उत्तर वैदिक काल के प्रारम्भिक वर्षों अर्थात् ईसा के कीरी 300 वर्ष पूर्व तक स्थिति टीक थी। सम्पूर्ण परिवार की लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। वे बेटों का अध्ययन कर सकती थीं। वे अपना वर स्वयंवर में पासंद कर सुनती थीं। उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकार यथावत् थे। बाद में नारी की स्थिति में परिवर्तन आए जो निम्नांकित है।

जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव इस काल में प्रभावशाली हो गए। ये धर्म स्त्री को सम्मान देते थे। अनेक रियों ने इन धर्मों के प्रचार का कार्य चिन्हा। बाद में जब इन धर्मों का पतन हआ तो उसके साथ-साथ स्त्रियों की स्थिति भी बिगड़ती नली गई। ए.एस. अल्लोफर्के अनुसार, आयैगुह में अनार्य नारी का प्रवेश नारियों की सामान्य स्थिति की अवनति का मुख्य कारण है। यह अवनति ईसा के कीरी 1000 वर्ष पूर्व से धीरे-धीरे अति सूक्ष्म रूप में प्रारम्भ हुई और कीरी 500 वर्ष पश्चात् काफी स्पष्ट मालूम पड़ने लगी। बाद में मनु परम्परा आ गई। इस काल में नारियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए। यज्ञ करना तथा बेटों का अध्ययन प्रतिबन्धित हो गए। विष्वा पुनर्विवाह

पर रोक लगा दी गई। शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया। इससे उनकी स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ने लगी।

स्मृति युग में शियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। स्मृतिकारों ने श्री को प्रत्येक अवस्था में परतंत्र बना दिया। उसे बब्पन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के आदेश दिए गए। श्री के लिए एक मात्र कर्तव्य पति की सेवा करना रह गया। विष्वापुनर्विवाह बन्द कर दिए गये तथा सती का प्रावधान निश्चित कर दिया। इस प्रकार शियों की स्थिति सिद्धान्त रूप में पूर्ण रूप से घटाव कर दी गई जो आगे चल कर व्यावहारिक रूप में विकसित हो गई।

3. धर्मशास्त्र काल— यह काल ईसा के पश्चात् तीसरी शताब्दी से लेकर ।। वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक का है। जो कुछ मनुस्मृति में शियों के प्रतिवर्त्यों के गारे में लिखा था उसे धर्मशास्त्र काल में व्यावहारिक रूप दिया गया। इस काल में पराशर, विष्णु और यज्ञपलक्ष्मी सहिताओं की रक्षा मनस्मृति को ही आधार भानकर की गई। समाज तथा शियों पर इन्हें अधिक प्रतिक्रिया लागाए गए कि इसे सामाजिक और धार्मिक मंकीर्णता का काल कहते हैं। श्री शिक्षा पर पावनी लग गई। श्री के लिए एकमात्र विवाह संस्कार रह गया। कन्याओं के विवाह की आयु घट कर 10-12 वर्ष रह गई तथा बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ गया। बर के चुनाव में कन्या की भूमिका समाप्त हो गई। मुस्लीम विवाह तथा अनुलोम विवाह का महत्व बढ़ने से बहुगत्नी विवाह होने लगे। सौते राने का विवाह प्रारम्भ हो गया। विष्णु ४ या १० वर्ष की कन्या से विवाह करने लगा। विष्वाभों की संख्या बढ़ने लगी। इस धर्मशास्त्र काल या संकीर्णता के काल में शियों माता से 'सेविका' तथा गृहलक्ष्मी से 'याचिका' बन गई। श्री के लिए पति ही देवता और विवाह ही एकमात्र उम्र के लिए पार्विक सास्कार रह गया। पति की मृत्यु के बाद सती होना शर्वप्रेष्ठ आदर्श स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। शियों के पतन का सबसे अधिक जिम्मेदार धर्मशास्त्र काल रहा है। इस काल ने नारी को उपर्योग की वस्तु मात्र बना दिया है। इस काल में शियों का स्थान सभी थोकों में पुण्य से निज्ञ हो गया।

4. मध्यकाल— ।। वी शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का समय मध्यकाल कहलाता है। ।। वीं शताब्दी के प्रारम्भ से मुसलमानों का प्राप्त भारत पर बढ़ने लगा। हिन्दू धर्म और मासूमि को मुस्लिम धर्म और संस्कृत से मुक्तिप्राप्त राने के लिए अनेक प्रयत्न भिए गए। सर्वेश्वरम् शियों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए। शियों के सतीत्व की लक्ष्य तथा तक की शुद्धता के लिए अब ५ या ६ वर्ष की आयु में ही कन्याओं का विवाह किया जाने लगा। बाल-विवाहों को प्रायमित्ता दी जाने लगी। शियों को घर की बारीबारी में रहा जाने लगा। बाहर निकलने पर पैर का ध्यान रखा जाने लगा। श्री शिक्षा पर रोक लगा दी गई। सती-प्रथा को ग्रोत्साहित किया जाने लगा। सम्मठि में शियों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आर्यक दृष्टिसोल से शियों पानव हो गई। उस काल में विश्व के अन्य समाजों में श्री की स्थिति भारतीय नारी से कही अधिक दुरुपयोग थी। ऐसा उपलब्ध साहित्य से पता चलता है।

मुसलमानों की इस प्रवृत्ति "जेहि की कन्या मुन्दर देखी तेहि पर जाइ परं हमियार" ने बान विवाह को अत्यधिक ग्रोत्साहित किया।

सारांश में यही तथ्य सामने आते हैं कि मध्यकाल में धर्म के नाम पर तथा मुसलमानों से हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की सुरक्षा की आड़ में भारतीय हिन्दू नारी पर अनेक प्रतिबन्ध लगा कर उसका घोर शोषण किया गया था।

5. ब्रिटिश काल— 18वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों से लेकर 1947 तक के समय को ब्रिटिश काल मानते हैं। अंग्रेजी सरकार ने भारत के मुसलमानों से राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी। मुसलमान उनके विरुद्ध थे ही, वे हिन्दुओं को अपने विरुद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने हिन्दुओं के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं करने की नीति अपनाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासन काल में हिन्दू स्थियों के सुधार के लिए भी अंग्रेजी सरकार ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। इस काल में भी स्थियों की स्थिति निम्नलिखित क्षेत्रों में दर्यनीय रही—

5.1 पारिवारिक क्षेत्र— पारिवारिक जीवन में उन्हे कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे; परिवार का मुखिया पुरुष होता था। सारी शक्तियाँ, निर्णय आदि के अधिकार उसी के पास होते थे। स्थियों को परिवार के बाहर जाने का अधिकार नहीं था। वह तो केवल सन्तानों पैदा करती तथा धर-गृहस्थी के कार्य करती। बाल-विवाह होता था। वर के चुनने में उससे पूछा नहीं जाता था। पति कैसा भी हो उसे विवाह विच्छेद करने का अधिकार नहीं था। विधवा होने पर तो उसकी स्थिति चट्ठी करणामय हो जाती थी। मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे।

5.2 सामाजिक क्षेत्र— सामाजिक क्षेत्र में भी स्थियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाल-विवाह तथा पर्दा-प्रथा के फलस्वरूप वह घर के बाहर जाकर कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहिले स्थियों में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 6 प्रतिशत था। समाज में उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं था। बहुपती विवाह सम्पन्न परिवारों में प्रचलित थे। स्त्री को उसके साथ सामंजस्य या व्यवस्थापन करना पड़ता था। धार्मिक और पारम्परिक दृष्टि से स्थियों का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी था।

5.3 आर्थिक क्षेत्र— सन् 1937 से पहिले स्त्री को आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। पणिकर के अनुसार हिन्दू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया, पत्नी पति के परिवार का एक अग बन गई और विधवाओं को मृत समान मान लिया गया। स्थियों को केवल स्त्री धन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियाँ घर के बाहर जाकर कोई आर्थिक कार्य नहीं कर सकती थीं। संयुक्त परिवार में उन्हें कोई भी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियाँ पुरुषों के अत्याचार सहती थीं। अविवाहित लड़की का संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। नारिक परिवार में उसका अधिकार लड़कों और विधवाओं के बाद आता था।

5.4 राजनीतिक क्षेत्र— राजनीतिक क्षेत्र में सन् 1919 तक स्थियों को वोट देने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं था। सन् 1935 में स्थियों को मताधिकार, उनकी शिक्षा, पति की स्थिति, सम्पत्ति आदि के अनुसार दिया गया। किसी भी राजनीतिक कार्य में स्थियों को भाग नहीं लेने दिया जाता था। उनका जीवन घर की चारदीवारी तक ही सीमित था। महात्मा गांधी ने स्थियों को घर के बाहर लाने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप स्थियों ने स्वतंत्रता आनंदोलन आदि में भाग लेना प्रारम्भ किया।

स्थियों की निम्न स्थिति के कारण

ईसा से 300 वर्ष पूर्व से लेकर 1947 तक स्थियों की स्थिति निम्न से निम्नतम होती चली गई। इसके प्रमुख कारण अग्राकृत हैं—

पूर्ण रूप से पराक्रित हो गई परन्तु निम्न जातियों की स्थियाँ क्षयीक बाहर कार्य दरती थीं इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति फिर कुछ ठीक थी। हिन्दू समाज पुरुष प्रधान बनता चला गया तथा स्त्री की स्थिति आर्थिक दृष्टि से इतनी खराब हो गई कि नह अपने अधिकारों की माँग करने योग्य भी नहीं रही।

6. संयुक्त परिवार व्यवस्था— संयुक्त परिवार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मध्यकाल में तथा इसके बाद अनेक प्रयास किए गए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थियों की प्रस्थिति को नियमे में सहायक सिद्ध हुए। संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए आवश्यक था कि स्त्री उसमें सहयोग करे अथवा उसे इतना दबा कर रखा जाए कि वह आवाज नहीं उठा सके। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गईं कि उस पर अनेकानेक प्रतिबन्ध लदते चले गए। पणिकरने भी लिला है कि स्थियों की सामाजिक स्थिति संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी निम्न है। निम्न प्रतिबन्धों, तरीकों तथा व्यवस्थाओं द्वारा स्थियों को संयुक्त परिवार में दबा कर रखा गया। बन्धा को हिन्दू संयुक्त परिवार में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया; उसे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा गया क्योंकि शिक्षित होने पर वह समझदार हो जाती, व्यवसाय करने योग्य हो जाती, स्वावलम्बी हो जाती। इस प्रकार वह संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती। अपने पसंद के योग्य व्यक्ति से विवाह करना पसंद करती या हो सकता है कि अविवाहित जीना पसंद करती। विधवा को सम्पत्ति में अधिकार से वंचित कर दिया गया। इससे उसके पास परिवार में बने रहने के अतिरिक्त और कोई आर्थिक विकल्प नहीं रहा जिसमें वह अपना भरण-पोषण कर सके। परिवार की अट्टूता बनाए रखने के उपर्युक्त प्रयास स्त्री के लिए अभिशाप सिद्ध हुए और वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए भी चाष्प हो गई जो कोडी, पतित, अंगीन, बीमार, कामी और निर्पन ही क्यों नहो। संयुक्त परिवार ने जितना शोषण और हास स्त्री जाति का किया है उतना शायद ही अन्य कारक ने किया हो।

7. ब्राह्मणवाद— हिन्दू धर्म में ब्राह्मणवाद ने स्थियों को एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से शोषण की स्थिति में पहुँचा दिया। इसकी स्थिति का हास मनुस्मृति काल तथा धर्मशास्त्र काल से प्रारम्भ हुआ। धर्मशास्त्र काल में पराशर संहिता, विशु संहिता, और याज्ञवल्क्य संहिता मनुस्मृति के आधार पर लिखी गई। इनमें स्थियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए गए। स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध लगाए गये। पति की मृत्यु के बाद सती होने को आदर्श कृत्य बताया गया। ब्राह्मणवाद को जब-जब अवसर मिला उसने सी पर प्रतिबन्ध तादे तथा पुरुष को देवता हुल्य बताया। स्थियों जो अनपद, अन्यविश्वासी, पर्मिक विश्वास प्रवृत्ति वाली होती हैं उन्होंने भी इन प्रतिबन्धों को सहर्ष स्वीकार करके अपनी स्थिति को दयनीय बनाने में एक प्रकार से सक्रिय योगदान दिया।

8. मुसलमानों के आक्रमण— भारत में मुसलमानों के आगमन और आक्रमण के अनेक प्रभाव पड़े। स्थियों की स्थिति में गिरावट आई। मुसलमान आक्रमणकारियों में स्थियों की कमी थी। उन्होंने हिन्दू स्थियों से विवाह करने के प्रयास किए चाहे वे विधवा ही क्यों न हो। स्थियों पर चारों ओर से प्रतिबन्ध लगा दिए गए। पर्दापूर्णा, शिक्षा परेक, बाल-विवाह, आदि को व्याप्रहारिक, रूप देने दिया गया। स्थियों की सामाजिक स्थिति खराब हो गई।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में हिन्दू स्थियों की स्थिति अनेक क्षेत्रों—पार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि में निम्न हो गई। इसके मुख्य कारण बाल-विवाह, दहेज, अशिक्षा, ब्राह्मणवाद, संयुक्त परिवार प्रणाली, मुर्खों का एकाधिकार, अशिक्षा, पर्दापूर्णा, मुसलमानों का आक्रमण आदि रहे।

हिन्दू रियों की समस्याएँ

हिन्दू रियों पर अनेक प्रतिबन्ध सृजि काल में तथा धर्मशास्र काल में लगने गुरु तुए जो बढ़ते-बढ़ते 19वीं शताब्दी तक सभी क्षेत्रों में फैल गए। रियों के लिए अनेक पारिवारिक और वैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई। सदियों से रियों का शोषण होता रहा। उनके अनेक अधिकार हिन गए। बाल-विवाह, अशिक्षा, विप्रजा पुनर्विवाह पर रोक, दोन, विवाह विच्छेद प, निरेप, बेमेल विवाह, अन्तर्जातीय विवाह पर रोक, बहु-पत्नी विवाह, कन्यादान एक भाटर्णी, पर्दापा आदि अनेक समस्याओं ने उग्र रूप धारण कर लिया इतना ही नहीं, कुछ पारिवारिक समस्याएँ भी इनके लिए अभिशाप बन गई जैसे परिवार का मुख्य प्रधान हो जाना, रियों को सम्पत्ति में अधिकार नहीं देना, पति की सेवा करना उनका एकमात्र धर्म बना देना, परीवार में उसे दासी का दर्जा देना आदि। इन समस्याओं का विवेचन परिवार और विवाह के अध्यायों में भी विस्तार से किया जा सकता है।

सुधार आन्दोलन

I. उत्तीर्णी शताब्दी के सुधार आन्दोलन—19वीं शताब्दी तक हिन्दू री की स्थिति बहुत दयनीय, अमानुषिक और अत्याचारपूर्ण रो गई थी। इसी शताब्दी के प्रारम्भ में रियों की स्थिति बो सुधारने के लिए प्रयासों की शुरूआत हुई। सर्वप्रथम 1813 मे ब्रिटिश पालिसामेन्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को आदेश दिया कि वे सभी बगों में शिक्षा का प्रसार करे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनेक भारतवासियों ने रियों की दयनीय स्थिति को देखकर उसे सुधारने के प्रयास किए। इनमें उत्तेजनीय सुधारक राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, वर्णे, महात्मा गांधी आदि हैं।

भारतवर्ष मे श्री-सुधार आन्दोलन को प्रारम्भ करने वा श्रेय राजा राममोहन राय (1772-1833) को जाता है। आपने सन् 1828 मे ब्रिटिश समाज की स्थापना रियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी थी। आपने सती-प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और आन्दोलन किया। इन्ही के प्रयासों के फलस्वरूप अश्रुजी सरकार ने सन् 1829 मे सती प्रथा को कानून बना कर प्रतिबंधित ही नहीं कर दिया बल्कि वास्तव मे इसके विरुद्ध सरकारी कदम उठाए और समाप्त कर दिया। आपने तथा ब्रिटिश समाज ने रियों पे शिक्षा का प्रसार करने के लिए कार्य किया। रियों को सम्पत्ति में अधिकार दिताने और बाल-विवाह को समाप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू समाज तथा रियों के सुधार के लिए अनेक कार्य किए। आप स्मृतियों के कटु आलोचक थे। स्मृतियां हिन्दू पर्म के कट्टा भिंडी थे। आप वैदिक आदर्शों के परम समर्पक तथा द्रवारक थे। आपने हिन्दू समाज की कुरीतियों को समाप्त करने तथा मुक्ता के बादों को करने के लिए सन् 1875 मे आर्य समाज की स्थापना बन्धूई मे भी थी। आपने उत्तर-भारत मे श्री शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। आर्य समाज के हांग बाल-विदा और दार्शनिक के विरुद्ध साहस्रीय कार्य किए गए। आपने विप्रजा विवाह के पथ मे भी आवाज उठाई।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी एक बड़े समाज सुधारक तुए है। आपने व्यासागर स्प से शिक्षा दिसी स्प की शिक्षा के शिक्षों के शुधार के लिए अनेक कार्य किए। उसमे रियों की स्थिति मे सुधार भी हुए थे। आपने श्री-शिक्षा वो सर्वोच्च प्राप्तिकान्दा दी तथा सर्वाधिक दाता दिया था। आपने सन् 1855 से 1858 के बीच 40 कन्या शिक्षालय खोले। आपना साक्षरता था 15 बय तक,

रियों शिक्षित नहीं होंगी तब तक इनका विकास नहीं हो सकता। रियों की स्थिति को सुधारने के लिए विधवा-विवाह पुनःप्रारम्भ करने के लिए आन्दोलन किया। इसी के परिणामस्वरूप सन् 1856 में आप विधवा-विवाह कानून पास करवाने में सफल हुए। आपने वहु-पत्नी विवाह का घोर विरोध किया। कुलीन विवाह के विरुद्ध भी आपने स्वस्थ जनमत तैयार करने के लिए प्रयास किए।

कर्वे ने पूना में रियों के सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। आपने अनेक विधवा-आश्रम ढोले। इनमें विधवाओं के रहने की व्यवस्था की गई। इन आश्रमों में रियों को शिक्षा देने का कार्य प्रारम्भ किया। 19वीं शताब्दी में दुर्गावाई देशमुख, रामाई और रुद्रमायाई जैसी प्रगतिशील महिलाओं ने भी सुधार के लिए प्रयास किए। आप लोगों ने पुरानी रुदियों को त्यागने की वकालत की थी। रियों को उनके अधिकार माँगने के लिए प्रोत्साहित किया।

II. बीसवीं शताब्दी के सुधार आन्दोलन— 20वीं शताब्दी के ये सुधार आन्दोलन जो भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व हुए थे तथा बाद में कुछ अधिनियम बने थे उनको निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है—

1. महात्मा गांधी द्वारा सुधार आन्दोलन,
2. री संगठनों द्वारा सुधार कार्य, तथा
3. संवैधानिक व्यवस्थाएँ।

1. महात्मा गांधी द्वारा सुधार आन्दोलन— महात्मा गांधी ने रियों की समस्याओं को समझा। उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधारकों का आपने समर्थन किया। गांधी ने रियों की स्थिति को सुधारने के कार्यक्रम को स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग बना लिया। महात्मा गांधी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को रियों की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भिजवाया करते थे। इन प्रस्तावों में रियों की समस्याओं—री शिक्षा के प्रसार, कुत्तीन विवाह और देहज प्रथा पर नियन्त्रण, बाल-विवाह समाप्ति, अन्तर्जातीय विवाह के प्रसार आदि का उल्लेख किया जाता था तथा सरकार का समर्थन माँगा जाता था। आपने महिलाओं को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आपके प्रयासों के फलस्वरूप लाखों महिलाएँ घरों से बाहर निकलीं तथा उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। आपने विधवा पुनर्विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह की वकालत की तथा बाल-विवाह तथा कुलीन विवाह का विरोध किया।

2. री-संगठनोंद्वारा सुधारकार्यक्रम— रियों की स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं रियों द्वारा अनेक री-संगठनों की स्थापना की गई। वैसे तो ऐताप्रथम संगठन 'भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद' सन् 1875 में स्थापित हुआ। लेकिन इनके प्रभावशाली कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शामने आए। भारत में री आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने में मार्येट नोबल, एनी बीरोण्ट तथा मार्येट कुशनस का विशेष योगदान रहा। भारतीय महिला समिति, 1917 में मद्रास प्रेस स्थापित की गई। सन् 1927 में 'अधिल भारतीय महिला सम्मेलन' पूरा में हुआ जिसमें री-शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए गए। इस संगठन ने री-शिक्षा के लिए लेडी इविन कॉलेज 1932 में दिल्ली में स्थापित किया। इसने रियों के लिए सम्पत्ति में अधिकार तथा मताधिकार के लिए प्रयास किए। संगठन ने बहुपत्नी विवाह, बाल-विवाह, देहज प्रथा आदि के विरोध में आन्दोलन किए। उपर्युक्त संगठनों के अतिरिक्त 'विश्व विद्यालय महिला संघ', 'भारतीय ईराई महिला मण्डल', 'अधिल भारतीय री-शिक्षा संस्था' और 'करतूत्या गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट' ने भी भारत में रियों की स्थिति में सुधार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

(5) बाल-विवाह निरोपक अधिनियम में संशोधन सन् 1978 में किया गया जिसके अनुसार अब लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी गई है।

(6) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करके स्त्री को यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर उसका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हुआ है तो वह चाहे तो विवाह को रद्दघोषित कर सकती है।

(7) सती निरोपक अधिनियम 1929 में पासित किया गया था।

(8) अन्तर्विभागीय समन्वय समितियों का गठन केन्द्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों में तालमेल स्थापित करने के लिए किया गया है। ये समितियाँ यह देखती हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए अधिनियमों का पालन ठीक से हो रहा है अथवा नहीं।

(9) राष्ट्रीय आयोग का गठन 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने स्थियों की स्थिति को सुधारने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किया था।

(10) बीमेन्स डबलपरमेण्ट कॉरपोरेशन स्थापित किए गए हैं। इनका कार्य महिलाओं को प्रशिक्षण, ब्रह्मण और बाजार की सुविधाएँ दिलवाना है।

5. प्रीढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा संक्षिप्त पाठ्यक्रम—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सन् 1958 में प्रीढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा में संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमन्द महिलाओं को नौकरी की सुविधाएँ उपलंब्ध कराना है और सुधार्य प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु की स्थियों—अध्यापिका, बाल सेविका, स्वास्थ्य-निर्दिष्टिका, नर्स, दाई आदि का काम कर सके (जो कुछ स्कूली शिक्षा प्राप्त हों) को माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष परीक्षा दिलवाने के लिए तैयार कराता है। अब यह योजना उनके लिए भी है जिनके पति सेना में मारे गए अधवा युद्ध में अपांग हो गए।

6. प्रीढ़ महिलाओं के लिए प्रकार्यात्मक साक्षरता—यह कार्यक्रम सन् 1975-76 में प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 45 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य, भोजन और पोषक तत्वों, गृह-प्रबन्ध और शिशु देख-रेख, पाठशाला और व्यावसायिक योग्यता के बारे में अनौपचारिक शिक्षा देना है।

7. सीमावर्ती क्षेत्र कल्याण केन्द्र—भारत में सीमावर्ती क्षेत्र में कल्याण सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश से 86 कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किए गए हैं। इन केन्द्रों में मातृत्व सेवाएँ, शिशु देखभाल, दस्तकारी प्रशिक्षण और सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ये केन्द्र अरुणाचल प्रदेश; जम्मू और कश्मीर में सेह; उत्तर प्रदेश में चमोली, गुजरात में कच्छ, और बनारसकोठा, राजस्थान में श्री करणपुर और जैसलमेर तथा हिमाचल प्रदेश में लाहौल तथा किन्नौट आदि में खोले गए हैं।

8. पोषण कार्यक्रम—गरीबों, पिलड़े वर्गों, जन-जातीय क्षेत्रों, गन्दी बस्तियों में बच्चों तथा स्थियों में कृपोषण की समस्या है। इसे दूर करने के लिए वर्ष 1970-71 में इन क्षेत्रों में कृपोषण को दूर करने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। पिश्य खाद्य योजना भारत के दस राज्यों में 1976 से चल रही है जिसके द्वारा बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषण दिया जाता है।

9. अन्य कल्याण कार्यक्रम—समाज कल्याण विभाग नगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। महिला कल्याण के लिए सम्मेलन और पैठनें आयोजित की जाती हैं। सन् 1958 से समाज कल्याण बोर्ड अपंग और अनाय रियों की भद्र करता है, उन्हें कार्य दिलवाता है। भारत में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' सन् 1975 में मनाया गया था। भारत में पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भी महिलाओं में जागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है।

10. सातवीं पंचवर्षीय योजना और महिला कल्याण—इस योजना का उद्देश्य रियों की सामाजिक और आर्द्धिक स्थिति को सुधारता रहा। रियों में आत्म-विश्वास बढ़ावत करना, उन्हें विकास के कार्यों में सहयोग देने लायक बनाना तथा राष्ट्रीय विकास की मुश्य पारा में सम्मिलित करना—सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिला के विकास के मुश्य उद्देश्य रहे। स्थियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाए गए। रियों की सिद्धा, नौकरी, पोषण तथा स्वास्थ्य आदि समस्याओं के समाप्तन के लिए प्रयास किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक और महिला कल्याण कार्यक्रमों पर ₹ 8012.36 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। सरकार ने इस योजना के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए राज्य और केन्द्र के स्तर पर धिरोन घ्यान दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में री-कल्याण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

मुस्लिम रियों की स्थिति

भारत में मुस्लिम रियों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्थिति की जानकारी वा मूल स्रोत अर्थी पर्यंत है। ग्राचीन अरब की सामाजिक व्यवस्था ने भारत में मुस्लिम रियों की स्थिति को प्रभावित किया है। मुस्लिम रियों की स्थिति में आज भी उनके अभावों वो देखा जा सकता है। भारत में मुस्लिम रियों की स्थिति जानने के लिए अरबी समाज में रियों की स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। समय-समय पर इनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। मुस्लिम रियों की स्थिति का इतिहास और वर्तमान में स्वरूप निम्नलिखित प्रकार है।

ग्राचीन अरबी समाज में रियों की स्थिति— दोवर्टीन स्थिति के अनुगार ग्राचीन अरब समाज में रियों की स्थिति युगों से उच्च भी जो उत्तर समय ने निवार की विशेषताओं से भ्रष्ट हो जाता है। स्वयं री अपने पति का चयन करने के लिए स्वतंत्र भी। री स्वयं ने पर्सि वो अपने द्वे में चुलाती, उसके साथ ताम्बना रखती और अपनी इच्छानुसार द्वे से बाहर निराल देती भी। उत्तम सन्तानों की के सम्बन्धियों के साथाण में पता करती भी। इस 'बीना' निवार में परिवर्तन हुआ। उपर को प्राप्तना मिली। बाद में बां-पत्नी निवार का प्रचलन हो गया। री की मोहर्कानारीता समाप्त हो गयी। निवार के बाद री पति के निता के पर जाहर रहने सारी। बबो निता के पर पतने सर्गे। रियों द्वारा निवार विच्छेद कर्म हो गए। पुलारी की सत्ता स्थापित हो गई। वरा निता से पुत्र की ओर नलने लगा। पर्वार का मुठिया पुलार बन गया। रियों की सामाजिक स्थिति हीन हो गई तथा पुलार प्रभावशाली। री उपभोग वी वस्तु हो गई। अब पुलार जब चाहे भी को लाग सकता था। आज समाज में पत्नी को सम्मति माना जाये लगा था। आउपर में रियों को लूटना भी एक उद्देश्य हो गया। मुस्लिम री की स्थिति दर्शनीय हो गई।

7वीं शताब्दी के ग्राम्य में हजार मुहम्मद शाहब ने इस्लाम पर्य में परिवर्तन करने वालों की स्थिति वो सुधारने का प्रयास किया। वे री को अधिक सहायता देने के पश्च में नवी सेसीन रियों की परिवर्तनीय सुधारना चाहते थे। आपने रियों वो कई परिवर्तन और सामाजिक अभिन्ना

दिलवाए। मुहम्मद साहब बहु-पत्नी विवाह के पक्ष में नहीं थे। इसलिए आपने आदेश दिया कि 'एक पुरुष एक समय में केवल चार पत्नियाँ तक रख सकता है, उसे सभी के साथ समानता का व्यवहार करना होगा।' स्त्री को विवाह के समय मेहर की व्यवस्था करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान करवाई। खियों को कुरान के द्वारा विवाह-विच्छेद के व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। मुस्लिम स्त्री को सम्पत्ति में भी अधिकार की व्यवस्था है। मुहम्मद साहब के प्रयासों से मुस्लिम स्त्री को अनेक अधिकार प्राप्त हुए जिन्हें निम्नलिखित अधिकारों के वर्णन से समझा जा सकता है—

1. विधवा पुनर्विवाह— मुस्लिम समाज में स्त्री को पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम विवाह एक स्त्री-पुरुष के बीच समझौता है जो पति की मृत्यु से स्वत टूट जाता है। मुस्लिम समाज में विधवा स्त्री द्वारा किया गया पुनर्विवाह इस्लामसम्मत समझा जाता है। विवाह से पहले स्त्री को 'इदत' की अवधि का पालन इसलिए करना पड़ता है कि कहीं वह मृत पति से गर्भवती तो नहीं है।

2. तलाक का अधिकार— मुस्लिम विवाह एक पति-पत्नी के बीच समझौता है जिसे दोनों पक्षों में से कोई अथवा दोनों सहमति से समाप्त कर सकते हैं। मुस्लिम स्त्री भी अपने पति को विशेष परिस्थितियों में तलाक दे सकती है। पत्नी न्यायालय में भी तलाक की माँग कर सकती है तथा समाज द्वारा गए गण अधिकारों के तहत भी विना न्यायालय में गए भी तलाक दे सकती है। कभी-कभी मेहर की राशि को छोड़कर भी तलाक दे सकती है।

3. विवाह से पूर्य स्त्रीकृति— मुस्लिम विवाह में मुल्ला गवाहों की उपस्थिति में वधु से विवाह की स्त्रीकृति प्राप्त करता है, उसके बाद ही विवाह सम्पन्न किया जाता है। इस अधिकार के कारण स्त्री विवाह के लिए भना कर सकती है। विवाह वर-वधु की सहमति से ही होता है।

4. बाल-विवाह का अभाव— इस्लाम धर्म में 15 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह उसके माता-पिता अथवा संरक्षकों की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज में बाल विवाह को अच्छा नहीं मानते हैं। बालिंग होने पर बाल-विवाह को रद्द किया जा सकता है अगर पति ने महवास नहीं किया हो। सिया लोगों में बाल-विवाह की प्रथा नहीं है।

5. सम्पत्ति पर अधिकार— मुस्लिम स्त्री को अपने पिता की सम्पत्ति में भाइयों की तरह सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम स्त्री को पुत्री, पत्नी और माँ रूप में अपने परिवार में सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। पति से पत्नी 'खर्च-ए-पानदान' (पान खाने का खर्च) प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है। पति द्वारा पत्नी को विवाह के अवसर पर 'मेहर' देने के वायदे के अनुसार उसे मेहर माँगने का अधिकार है। तलाक के समय तो इसका भुगतान करना आवश्यक होता है। एक मुस्लिम स्त्री को अपने मृत पुत्र की सम्पत्ति में से $1/3$ से $1/6$ के बीच निर्धारित हिस्सा मिलता है। तथा पत्नी को पति की सम्पत्ति में से $1/4$ से $1/8$ के बीच सम्पत्ति मिलती है। स्त्री अपनी सम्पत्ति का जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकती है। स्त्री जैसे चाहे वैसे प्राप्त मेहर, सम्पत्ति, भन, आभूषण आदि को खर्च कर सकती है।

6. परिवार सम्बन्धी अधिकार— मुस्लिम धर्म सबको समान अधिकार देता है। उसके अनुसार कोई छोटा-बड़ा नहीं है। परन्तु व्यवहार में असमानता है। परिवार पुरुष प्रधान होते हैं। इसमें पितृसंघात्मक (सत्ता पुरुष के पास), पितृस्थानीय (विवाह के बाद वर-वधु, वर के पिता के पास जाकर रहते हैं), और पितृवंशीय (वंश पिता से पुत्र को चलता है) परम्पराएँ मिलती हैं। पुरुषों का स्थान ऊचा तथा रियों का नीचा होता है। पति का स्थान पत्नी से ऊचा होता है। बड़ी आयु के

सदस्य छोटी आयु वाले से ऊँची प्रस्थिति का आनन्द लेते हैं। सियों को अनेक अधिकार प्राप्त नहीं होते। पर्दा प्रथा होने के कारण रियां जनन खाने में रहती हैं। बाहर जाने पर अनेक पावनियां सर्गी होती हैं। हमेशा पर्दा रखना पड़ता है। पुरुषों की तरह सियों को अनेक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि इसके विपरीत अनेक प्रतिबन्ध लगे होते हैं। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष तथा लड़कों में पास्यर सलाह के आधार पर लिए जाते हैं।

मुस्लिम सियों की समस्याएँ

मुस्लिम सियों को सिद्धान्त रूप में तो सम्पत्ति में अधिकार, मेहर, तलाक आदि अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं परन्तु वास्तविक जीवन और व्यवहार में देखा जाए तो ये हिन्दू भी की ताह अनेक सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक समस्याओं से पीड़ित हैं। इनकी मामाजिक स्थिति पुरुष की तुलना में बहुत नीची है। मुस्लिम महिलाएँ मुख्य रूप से पुरुष प्रधान व्यवस्था, बहुपली विवाह, तलाक, पर्दा प्रथा तथा स्त्री पुरुष में असमानता आदि से ग्रसित हैं, जो निम्नलिखित है—

1. बहु-पत्नी प्रथा— मुस्लिम परिवार बहुपली विवाही भी होते हैं। एक समय में एक पुरुष चार सियों से विवाह करने का धार्मिक स्वप से अधिकारी है। इससे मियों में कलह, मनमुटाव, तनाव आदि पैदा हो सकते हैं। स्त्री का पात्रन-पोषण तथा सामाजिक कर्ण ऐसे ही बातावरण में होने से उसे विवाह के बाद कुछ दुरा तथा अटपटा नहीं लगता है। वह इन परिस्थितियों में व्यवस्थापन तथा अनुशूलन कर लेती है। समाज तलाक की सुविधा प्रदान कर रहा है फिर भी पत्नियां तलाक इसलिए नहीं लेती हैं कि वे बचपन से ही पानसिक रूप से इन परिस्थितियों के लिए तैयार हो चुकी होती हैं। पति से सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने की अपेक्षा भी जाती है परन्तु ऐसा सामान्यतया होता नहीं है।

2. पर्दा प्रथा— मुस्लिम समाज तथा परिवार एवं पर्दा-प्रथा एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य है। मुस्लिम परिवार में तथा बाहर सियों को पर्दे में रखा जाता है। घर में सियों के लिए 'जनन खाना' तथा पुरुषों के लिए 'पर्दा न खाना' होता है। मियों घर में भी पुरुषों से विना पर्दा बात नहीं का सकती है। उनके प्यारों की खिड़कियों तथा दरवाजों पर पर्दे और चिके लगी रहती है। मियों घर के बाहर बुर्के, पूँछट आदि में निकलती है। सियों को पर्दे की छूट के बल विरोग परिस्थिति जैसे इताज़ या गवाही के समय दी जाती है। मुस्लिम परिवार में सियों पर पर्दा-प्रथा का विरोग प्रतिबन्ध होता है।

3. तलाक की समस्या— मुस्लिम परिवार में सियों की निन्दा स्थिति होती है। वे अनेक वयस्तों में अपना जीवन व्यक्ति करती हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में अनेक अधिकारों से वयस्ति इन्होंना पड़ता है। तलाक के मामले में पुरुष को अनेक तरीकों से तलाक देने के अधिकार प्राप्त है। पर्दा-प्रथा के कारण सार्वजनिक स्थानों तथा सामाजिक व्यवहार में सियों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। पुरुषों पर आर्थिक किरणता तथा अशिक्षा के कारण तलाक नहीं दे सकती तथा पति के अत्याचार सहन करती रहती है।

4. धार्मिक कद्रूता— मुस्लिम परिवार का आपार धार्मिक है। कुण्ड उनकी धार्मिक पुनर्जन्म है। मुस्लिम परिवार कुरान में दिए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। धोरण्डाद मालव गिरों के सार्वजनिक स्थानों में आने-जाने के कद्रूर विरोधी थे। धार्मिक कद्रूता वे सियों पर अनेक वयस्त लगाए दुर है।

5. अधिकारों की अव्यावरणीकता— मुस्लिम सियों को सिद्धान्त रूप में अधिकार तो अनेक प्राप्त हैं परन्तु व्यवहार में उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वे तनाह नहीं दे सकती, नौहीं नहीं

कर सकतीं, घर के बाहर नहीं जा सकतीं तथा नागरिक अधिकारों आदि से बंचित होना आदि उनकी समस्याएँ हैं। मुस्लिम धर्म बहुत कट्टर है इस कारण मुस्लिम स्थियों को अनेक अधिकारों से बंचित कर रखा है। वह गैर-मुस्लिम पुरुष से विवाह नहीं कर सकती हैं। स्त्री के ऊपर बन्धन ही बन्धन हैं। वह पति की दया पर जीवन व्यतीत करती है।

मुस्लिम स्थियों की समस्या के समाधान हेतु प्रयास—

मुस्लिम स्थियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास बहुत कम हुए हैं। जो प्रयास किए गए हैं उनको भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। ब्रितानिया शासन काल में दो अधिनियम बनाए गए थे—(1) मुस्लिम शरीयत अधिनियम, 1937, और (2) मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939। शरीयत अधिनियम के अनुसार मुस्लिम स्त्री को पति के नपुंसक होने और पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार का दूषा आरोप लगाने पर तलाक भिल सकता है। पत्नी इला और जिहर तलाक भी ले सकती है। दूसरा, मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित आधारों पर तलाक लेने का अधिकार देता है, जैसे—पति पागल, नपुंसक, संक्रामक यौन रोग या कोढ़ से पीड़ित हो, चार साल से लापता हो, सात वा अधिक वर्षों से जेल में हो, दो वर्षों से भरण-पोषण नहीं कर पा रहा हो, वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता हो, क्रूर हो, अधिक पत्नियों होने पर सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा ढालता हो, आदि। दुख इस बात का है कि व्यवहार में मुस्लिम स्थियों को किसी भी प्रकार के समाधान को अपनाने नहीं दिया जाता है। धर्म की कटूतों के कारण स्थियों भी रूढिवादी, अन्धविश्वासी तथा परम्परावादी हैं। मुस्लिम कानून में स्थियों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं उनको कार्य रूप देने की भी बड़ी आवश्यकता है।

स्थियों की समस्याओं हेतु प्रयास—

स्थियों की स्थिति में सुधार के लिए जो प्रयास 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर आज तक किए गए उनके क्रान्तिकारी परिणाम सापेने आए हैं। सिद्धान्त रूप में उन्हे पुरुषों के समान अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक, वैवाहिक और राजनीतिक अधिकार कानून द्वारा दिए गए हैं, उनसे स्थियों की स्थिति के व्यावहारिक रूप में काफी सुधार देखने को मिलता है। स्थियों की स्थिति के सुधार के अनेक औपचारिक और अनौपचारिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लघु और वृहद् कारक रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार परिचिनीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता ने स्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में काफी योग दिया है। स्त्री शिक्षा का काफी प्रसार और प्रचार हुआ है। व्यवसाय के अनेक अवसरों की वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक अधिनियमों तथा संवैधानिक प्रावधानों ने स्थियों के अनेक परम्परागत प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया है। स्थियों को पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया है तथा स्थियों इसका पूर्ण लाभ भी उठा रही है। स्थियों की स्थिति से सम्बन्धित अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जिनमें से महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं।

(1) सुधार आन्दोलन—स्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए 19वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों ने प्रयास किए। 1828 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से स्त्री सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। सोगों को बालविवाह तथा विधवा की हानियाँ बताईं। इसके प्रभाव से 1856 में विधवा पुनर्विवाह बना। इसके बनवाने में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयास उल्लेखनीय हैं। स्त्री-शिक्षा के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती और महर्षि कर्वे के प्रयास सराहनीय हैं। इन समाज सुधारकों ने बाल-विवाह,

प्रदान प्रधा, बहुपन्ती विवाह आदि का भी विरोध किया था। 1872 में 'विशेष विवाह अधिनियम' के प्रावचन्द्र सेन के प्रयासों से बना जिसमें सिद्धों को विषया-पुनर्विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह के अधिकार दिए गए।

सिद्धों की स्थिति को सुधारने में यहिता संगठनों तथा महिलाओं स्वयं ने भी अनेक प्रयास किए हैं, जैसे— 'भारतीय महिला समिति', 'अधिल भारतीय महिला सम्मोहन', 'विश्वविद्यालय महिला संघ', 'कल्पतूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट', 'अधिल भारतीय स्त्री शिक्षा संघ' आदि। इन बाई एनाडे, मेडम कामा, माछेट नोबल, ऐनी बीसेंट आदि महिलाओं ने महिला विज्ञान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महात्मा गांधी ने सिद्धों को राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल किया तथा सिद्धों को पुरुषों के समान लाने के लिए प्रयास किए।

(2) संवैधानिक प्रावधान— सिद्धों की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम चर्चा है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा बाल-विवाह समान किया गया। एक-विवाह, विवाह-विच्छेद, विभवा-पुनर्विवाह तथा सिद्धों को न्यायिक पृथक्करण आदि के अधिकार दिए गए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; सिद्धों और कन्याओं का अनैतिक व्यावहार निगेधक अधिनियम, 1956; देव निरोपक अधिनियम, 1961 तथा इसके संशोधन का अधिनियम, 1968; मातृत्व लाप्त अधिनियम, 1961; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; असरापी संशोधन अधिनियम, 1983 आदि सिद्धों की दशा को सुधारने के लिए पारित किए गए हैं। इन अधिनियमों का सविभाग वर्तमान अध्याय-19 "विवाह, परिवार तथा जाति से सम्बन्धित सामाजिक विधान" में परिदृष्टि।

(3) श्री-शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति— शिक्षा के हितोंग से भारतीय महिला निछड़ी रही थी। इसे पढ़ने के अवसर बहुत कम उपलब्ध थे। सन् 1961 में महिला साक्षरता 0.8 प्रतिशत थी। सन् 1981 में यह बढ़कर 24.82 प्रतिशत हो गई है। सन् 1882 में गिरिजन महिलाओं की कुल संख्या 2,045 थी जो बढ़कर सन् 1981 में सात करोड़ 91.5 लाख में अधिक हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिद्धों अनुसंधान, औद्योगिक संस्थाओं तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने लगी है। विज्ञान और गणित के विद्यों में लड़कियोंने अच्छे अक प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि वे सहजों से कम नहीं हैं। सिद्धों अपना विकास करने के अवसरों का उपयोग कर रही हैं। लड़कियाँ, कला, विज्ञान, गृह विज्ञान, शिल्पकला, इस्तकला, सारी तरफ सिद्धों को पढ़ने लगी हैं। प्राप्तों की तुलना में नारी में सिद्धों का शैक्षिक जगत में विकास अधिक हुआ है।

4. आर्थिक क्षेत्र में प्रगति— 20वीं शताब्दी ने महिलाओं के लिए व्यवसाय के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। अब वे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रगतान सेवा तथा दूसरी केन्द्रीय सेवाओं में कार्यात हैं। पहिले स्थायी वर्ग और उच्च वर्ग की महिलाएँ या के बाहर काम भरी करती थीं। नैरानन्द अव वे काम करने लगी हैं। ग्रामों में 80 प्रतिशत महिलाएँ काम करती हैं। आयुर्विज्ञ शिक्षा, औद्योगिकी विदेश, आधुनिकी करण आदि ने सिद्धों को काम करने के नए-नए अवसर प्रदान करके उन्हें आनंदनिक बनने के लिए प्रेरित किया है। अनु शास्त्र विभाग में सिद्धों की संख्या उत्सुरुर्वत्त है। शिक्षा, समाज कल्याण, पर्यटन आदि विभागों में भी सिद्धों द्वारा काम करने लगी है। टेलीविजन, टेलिकॉम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज-कल्याण, वैक आदि में महिलाओं की महत्वाद्वारा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे— यमुओं की बीमानों का बढ़ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, प्रौद्योगिक यमुओं को प्राप्त करने का आकर्षण आदि।

5. राजनैतिक चेतना में बुद्धि—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थियों में राजनैतिक चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। सन् 1937 में केवल 10 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था जबकि 41 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए थे। स्वतंत्र भारत के संविधान, 1950 में स्थियों और पुरुषों को समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। सन् 1952 के चुनाव में लोकसभा में 23 तथा राज्य सभा में 19 महिलाएँ गई अथवा मनोनीत की गई थीं। इसी वर्ष राज्यों की विधान सभाओं में स्थियों की कुल संख्या 58 थी। सन् 1957 के विधान सभाओं के चुनावों में 342 महिलाएँ खंडी हुई उनमें से 195 निर्वाचित हुईं। सन् 1971, 1977, 1980, 1985 और 1989 के चुनावों से सिद्ध होता है कि स्थियों में अपने मत के अधिकार के प्रति जागरूकता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। ग्राम पचायांते से लेकर प्रधानमंत्री पद के पदों पर स्थियों ने सफलतापूर्वक कार्य कर दिखाया है। भारतवर्ष में महिलाओं ने अनेक पदों, जैसे—मन्त्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि पर काम करके स्पष्ट कर दिया है कि उनमें राजनैतिक चेतना काफी बढ़ी है। अब वे घर की चारदीवारी के बाहर निकलने लगी हैं। इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

6. सामाजिक जागरूकता में बुद्धि—निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि स्थियों में सामाजिक जागरूकता में पिछले वर्षों में काफी विकास हुआ है। स्थियाँ शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं। मतदान देती हैं। नौकरियाँ करती हैं। राजनैतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं। इससे पर्दा-प्रथा के समाप्त होने पर प्रभाव पड़ा है। स्थियाँ घर की चारदीवारी से बाहर निकलने लगी हैं। बाल-विवाह, वेमेल विवाह, दहेज आदि का विरोध करने लगी है। अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह और विलम्ब विवाह को अच्छा समझने लगी है तथा अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे विवाह बरने लगी हैं। विवाह विच्छेद होने लगे हैं। स्थियाँ अब पुरुष की दासी नहीं हैं। वे अनेक सामाजिक सगठनों और महिला कलबों की सदस्या हैं। चुनावों में खंडी होती हैं। रूटियों का विरोध करती हैं। इनके धर्मिक और सामाजिक दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया है। जाति-प्रथा के प्रतिवन्धों तथा रूढ़ियों के प्रति इनका रुख बदल रहा है। विधवा-पुनर्विवाह को अच्छा मानने लगी है।

7. पारिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति—परिवार में स्थियों की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं। संयुक्त पारिवार से एकाकी परिवारों में परिवर्तन हो रहा है। इससे छोटे परिवार में पति-पत्नी की प्रस्थिति समान या बराबर हो गई है। बच्चों के पालन-पोषण, परिवार की आय, बजट, बच्चों की शिक्षा, आद्य का उपयोग आदि पति-पत्नी मिलकर करते हैं। स्थियाँ नौकरी करके आय की बृद्धि में सहयोग देने लगी हैं। विवाह धार्मिक संस्कार नहीं है। वह कानून के आधार पर एक समझौता है। पुरुष के क्रूर, अत्याचारी, व्यभिचारी होने पर पत्नी तलाक ले लेती है। स्थियाँ अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। वे शिक्षित हैं। तर्क करना तथा अधिकारों की माँग करना जानती हैं। विलम्ब विवाह होने लगे हैं। बर्गेस के कथनानुसार पत्नी एकाकी परिवार में पति की मित्र और सहयोगी है। स्थियाँ भी पारिवारिक निर्णयों में अपना मत रखती हैं तथा निर्णयों को प्रभावित करने लगी हैं। निकट भविष्य में स्थियाँ परिवार में पुरुष के समान पद और भूमिका प्राप्त कर लेंगी।

विंगत वर्षों में भारत में स्थियों की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आई है। नगरों और महानगरों में इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया की गति धीमी है। स्थियों की स्थिति को दो भागों में बांट कर देखा जाए तो एक पक्ष में तो आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सकते हैं। यह पक्ष है सैद्धान्तिक पक्ष। स्त्री को एक व्यक्तित्व के रूप में सभी अधिकार सिद्धान्त रूप में प्रदान कर दिए गए हैं। व्यावहारिक पक्ष में परिवर्तन में विलम्ब दृष्टिकोण होता है। इसमें परिवर्तन की गति धीमी है। फिर भी पिछली शताब्दियों की तुलना में काफी सुधार हुआ है।

उपर्युक्त तथ्यों, प्रावधानों तथा उपलब्धियों से स्पष्ट हो जाता है कि स्वनंदना प्रगति के बाद से हिन्दू स्थियों की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। अनेक सुविधाएँ जननु तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों ने देने के प्रयत्न किये हैं। उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परन्तु यह कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई मात्र में ही है। बास्तव में अभी भी नारी पर जो अनेक अत्याखार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, उनका समाधान होना शोष है। जनसंख्या को देखते हुए परिवर्तन काफी कम है। परन्तु समाज की प्रवाजों रुद्धियों, परम्पराओं, धार्मिक मूल्यों, अन्यविश्वास आदि के संदर्भ में सुधार जो कुछ अब तक हुआ है वह प्रशंसनीय तथा उत्साहवर्धक है। उपर्युक्त प्रगति के आधार पर आज्ञा की जा सकती है कि भविष्य में स्थियों की स्थिति में आशातीत परिवर्तन और सुधार हो जाएगा।

समाजता की खोज

सम्पूर्ण विश्व में स्थियों पुरुषों के समान अधिकार तथा पद चाहती है। सदियों से इनका शोषण हो रहा है। नारीवाद की उत्पत्ति ने महिला आनंदोलन और नारी-मुक्ति संगठनों को जन्म दिया है। अब घर के अन्दर पत्नी पति के समान, बहिन भाई के, पुत्री पुत्र के, बहू बेटी के समान अधिकार, सम्मान तथा समाजता की माँग कर रही है। दूसरी ओर घर के बाहर समाज में नारी पुलिम्, डॉक्टर, इन्विनियर, पायलट और ऐसी ही अन्य सेवाओं में अनेक हिस्से की माँग कर रही है। नारी घर और उत्तरके बाहर समाजता चाहती है। जो सुख-सुविधाएँ पुरुषों को प्राप्त हैं नारी भी वैरी सुख-सुविधाएँ और वस्तुएँ चाहती हैं। शिक्षित स्थियों बाहर व्यवसाय करने लगी हैं। अब नारी घर की चारादीवारी में नहीं रहना चाहती है। मूल्यों में वृद्धि का विरोध नारियों भी करने लगी है। रिन्सतात्मक समाज में स्थियों समाजता की माँग कर रही है। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला मणिनों, राजनीतिज्ञों ने मूल्य-वृद्धि, देहेज, बलात्कार, शोषण आदि मामलों को उठाया है। इसमें गिरियों में समाजता के प्रति चागरूकता पैदा हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, नारी उत्पान सम्बन्धी सभाएँ, गोष्ठियाँ, अनुग्राम आदि इसके परिणाम हैं। भारत साकार द्वारा नियुक्त गी प्रस्तुति सम्बन्धी समिति, 1974 की रिपोर्ट का सभी ने स्वागत किया था।

लेकिन कम्तु स्थिति आज भी ध्यानहृत है। बम्बई, दिल्ली, कानपुर आदि महानगरों और नगरों में देहेज, हत्या, स्त्री-हत्या, बलात्कार आदि के विष्ट आए दिन इताल और जुनून निकलते हैं। अछबार ऐसी छशरो से भरे रहते हैं। मध्यम वर्ग, उच्च जातियों आदि में देहेज-हत्या, तथा देहेज के लालच में वपुओं को जला देते हैं, अमानुषिक व्यवहार करते हैं। वस्तु उम्मेके माना-पिता, सम्बन्धियों आदि का आर्थिक तथा अन्य प्रकार में शोषण किया जाता है। अविवाहित-बालकादी महिलाओं को वस्तु तथा धन समझा जाता है और सलतना से कम देहेज में विवाह सम्भव हो जाता है। ये सब घटनाक्रम यहीं स्पष्ट करते हैं कि नगरों में नारियों की स्थिति दर्शाती है। माँग समाजता की अवश्य हो रही है।

श्रावीण शेषों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने में पना चला है। इस वहाँ भी इनका जीवन पर की चारादीवारी में नियम स्थिति में व्यक्त हो रहा है। आदि वेनेद्वे ने पाया है कि उच्च जातियों की देहेज-हत्या मध्यम एवं नियम जातियों के हीक आर्थिकी याने दर्शवारों ने उनसे घर वी महिलाओं को घर के बाहर दौतो पा करने से रोक लिया है। ममाज देहेज विवरों की प्रतिक्रिया बढ़ जानी है। परन्तु ऐसा करने से उन महिलाओं की दर्शावन स्थिति वें कोई अन्वर नहीं पहला

है। स्थियों की दशा सुधारने में, समानता लाने में, अभी अनेक प्रयास करने होंगे तर्था समय भी बहुत लगेगा।

नारी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व

सदियों से नारी को कभी भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थान नहीं दिया गया। धर्मशास्त्रों में नारी को बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के विधान का उल्लेख है। भारतीय समाज में नारी को परिवार में भूमिकाओं के आधार पर पहिचाना जाता है, जैसे—पुत्री, वधु, माता, सास, पत्नी आदि। एक सम्प्रदाय ने नारी शोषण एवं नारी की प्रस्थिति की समानता पूँजीवादी समाज में शोषित श्रमिकों से की है। पुरुष प्रधान परिवार में नारी पुरुषों पर भरण-पोषण के लिए आग्रित होती है। ग्रामों में वह खेतों पर भी काम करती है और घर में भी पूरा काम करती है। पितृसत्तात्मक परिवार में स्थियों पराधीन होती हैं। पुरुषों के अत्याचार सहन करती है। कामकाजी महिलाएँ भी पुरुषों के अधीन जीवनयापन करती हैं।

भारतीय नारी के अपने व्यक्तिगत मित्र नहीं होते हैं। उसके परिवार के बाहर उन्हीं लोगों से सम्बन्ध होते हैं जो परिवार के अन्य सदस्य स्थापित करते हैं। अगर नारी स्वयं स्वतंत्र रूप से मित्र बना लेती है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अन्य पुरुष से सम्बन्धों को समाज हमेशा शक की नजर से देखता है। पर्वा-प्रथा एक अभियाप है। दहेज हत्या, दुलहन-वाह स्थियों की स्थिति को स्पष्ट करता है कि उसकी अलग से पहिचान तो दूर की बात है वह एक जीव प्राणी के रूप में आत्म-रक्षा भी नहीं कर सकती है।

अनुलोद विवाह ने नारी की स्थिति निम्न कर दी है। संविधान ने यौन-भेद और जाति-भेद समाप्त कर दिया है। विवाह, तलाक, दहेज, बलात्कार, विधवा पुनर्विवाह, सम्पत्ति पर अधिकार आदि कानून बन गए हैं परन्तु व्यवहार में नारी इनका ताभ नहीं उठा पा रही है। अनेक तर्क तथा तथ्य देकर सिद्ध किया जाता है कि नारी पुरुष के समान है। परन्तु देखा जाए तो स्त्री-पुरुषों में अन्तर बढ़ गए हैं। साक्षरता, रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण, स्त्री-मृत्यु-दर, स्वास्थ्य रक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग आदि में पुरुष की स्थिति अच्छी है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्थियों का पिछडापन समाप्त नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में बहुत सुधार तथा प्रयास की आवश्यकता है।

स्थियों की दयनीय प्रस्थिति को धनी-निर्धन, शिथित-अरिथित, ग्रामीण-नगरीय संदर्भ में समझना होगा। सेओन ट्रॉटस्की का कथन है, “पुरुषोंचित अहंवाद की कोई सीमा नहीं है। संसार को समझने के लिए हमें इसको नारियों के नेत्रों से देखना होगा।”

प्रश्न

1. भारतीय स्थियों की प्रमुख सामाजिक समस्याओं की विवेचना कीजिए।
(उत्तर तीन पृष्ठों से अधिक नहीं)
2. हिन्दू स्थियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। (मा शि.ओ. अब्देर, 1994)
3. मुस्लिम स्थियों की प्रमुख सामाजिक समस्याएँ कौन-कौन-सी हैं?
4. भारत में नारी की समस्याओं के समापन हेतु किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए।
5. आधुनिक समय में भारतीय नारी की स्थिति में आए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए।
6. स्थियों की सामाजिक प्रस्थिति की विवेचना कीजिए।

वन्मुनिष्ठ प्रस्तुति (उत्तर संकेत सहित)

- (1) नीचे कुछ प्रस्तुति और उनके उत्तर के विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्पों का चयन कीजिए—

1. उत्तर-वैदिक काल का प्रारम्भ कब से माना जाता है ?

- (अ) इसा से 600 वर्ष पूर्व
 (ब) इसा से 400 वर्ष पाद
 (स) इसा से 3,000 वर्ष पूर्व
 (द) इसा से 1000 वर्ष पाद

(उत्तर- (अ))

2. ब्राह्म समाज के संस्थापक थे—

- (अ) विद्येकानन्द
 (ब) राजा राममोहन राय

[उत्तर- (व)]

3. 199] की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत है-

- (अ) 18
(ब) 27

ਤੁਰ- (ਸ)।

4. निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य?

- (1) उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।

[उत्तर- सत्य]

(ii) अनुलोम विवाह में वधु उच्च जाति या वर्ज की होती है।

(उत्तर- असत्य)

5. निम्न में से उन समाज सुधारकों के नाम चुनिए जिन्होंने यारी की स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए थे—

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| (i) चन्द्र शेषाद आजाद | (v) स्वामी दयानन्द समस्तीर्थी |
| (ii) राजा रामसोहन राय | (vi) ईश्वरचन्द्र विद्यासागर |
| (iii) लाल बहादुर शाही | (vii) केराव चन्द्र सेन |
| (iv) महात्मा गांधी | (viii) तात्त्वी लालपते राय |

[उत्तर-(ii), (iv), (v), (vi), (vii)]

6. निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए—

- (i) भारत में वैदिक काल में शियों की स्थिति पुरुषों में निम्न थी।
 (ii) अग्रेजों के शासन काल में शियों की स्थिति पुरुषों से नीची थी।
 (iii) संस्कृत परिवाह में शियों को सम्मान कर मिलता है।

(अ) अपर-स्टॉ- (ii), (iii) एलट- (v)

७. निम्नलिखित के सभी ओंडे साधा-

- (i) मर्यादात
(ii) ब्रेट सपान
(iii) विपदा कुर्विवाह
(iv) विरोध विद्या अभियन्त्र

(अ) 11वीं मे 18वीं शताब्दी
(ब) 1972
(स) 1829
(इ) 1856

|उत्तर- (i) अ, (ii) स, (iii) इ- (iv) उ

8. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (i) ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
- (ii) हिन्दू विवाह अधिनियम सन् में बना था।
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में मनाया गया था।
- (iv) दहेज निरोधक अधिनियम सन् में बना था।
- (v) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन् में बना था।
- (vi) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम सन् में बना था।

[उत्तर- (i) राजा राममोहन राय, (ii) 1955, (iii) 1975, (iv) 1961, (v) 1856, (vi) 1956]

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

- (i) स्थियों की सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने वाले तीन अधिनियम बताइए।
- (ii) स्थियों की निम्न दशा के तीन कारण बताइए।
- (iii) महिलाओं पर किए जाने वाले तीन शोषण/अपराध बताइए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (i) वैदिक काल में स्थियों की स्थिति
- (ii) 'समानता की खोज'
- (iii) 'नारी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व'
- (iv) मुस्लिम स्थियों की समस्या के समाधान हेतु प्रयास।



भारत में जनसंख्या समस्या एवं समाज (Population Problem and Society in India)

किमी देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उस देश की जनसंख्या से प्रभावित होती है। अर्थात् देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध साधनों की तुलना में सनुहित होनी चाहिए। देश को तपृद बढ़ाने में जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के आर्थिक विकास की मरम्मत की बाधा जनसंख्या की अपिकता है। इसकी अनियन्त्रित वृद्धि से आर्थिक विकास, आवास-प्रवास, पारिवारिक समस्याएँ, गरीबी, घेरोजगारी, अरराप एवं जनसंख्या-विष्ट्रित जैसी समस्याओं की समावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत जनसंख्या-नियन्त्रण से देश का उन्नादन, आर्थिक विकास, आवास-प्रवास, राजनीतिक सम्बन्ध, मुनियोजित परिवर्तन एवं समाज की नीति आदि सभी सक्रियात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अत जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारण, जनसंख्या में उत्पन्न समस्याएँ, इसकी वृद्धि के कारण एवं रोकने के उद्दय आदि के विषय में विमान से अध्ययन करना आवश्यक है। इन मध्य पर निम्नलिखित दृष्टि से विचार किया जा सकता है।

जनसंख्या के सिद्धान्त

प्राचीन काल से लेकर आज तक जनसंख्या के सम्बन्ध में समाज के कांडधारे, धार्मिक मुत्तियाओं, राजनेताओं और वैज्ञानिकों आदि ने विचार किया है। अप्राप्ति की मुविधा एवं ड्रमबद्धता के लिये उपलब्ध सामर्थी को निम्नलिखित नी भागों में चाँटकर अध्ययन किया जा सकता है।

1. प्राचीन विवाक, 2. पूर्व मान्यस विवार, 3. मान्यस का मिदात, 4. नव-गार्हीय मिदात, 5. प्राकृतिक या ऐविकीय मिदात, 6. सीटनर का मिदात, 7. धार्मम हृष्णदे वा मिदात 8. ईष्टतम जनसंख्या का मिदात तथा 9. जनार्थकीय भूमिति मिदात।

(1) प्राचीन विवारक — प्राचीन विवारकों—मनु, बौद्ध, वनस्पृगियम, प्लेटो, अर्थ्य आदि ने जनसंख्या की समस्या, परत्व आदि पा अन्ने विचार बना किए हैं। इन सभी विद्वानों ने जनसंख्या की वृद्धि को महत्व दिया था क्योंकि प्राचीनकाल में जनसंख्या की कोई समस्या नहीं

थी। मनु ने पुत्र और पोते के जन्म को महत्वपूर्ण बताया है तथा मोक्ष एवं स्वर्ग प्राप्ति के लिये पुत्र का होना आवश्यक बताया है। विष्णु गुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अधिक जनसंख्या के महत्व को बताते हुये लिखा है कि वृहद् जनसंख्या राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का आधार है। आपने ग्राम की जनसंख्या 100 से 500 तक ठीक मानी है। हिन्दू धर्म में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति है। प्रजा अर्थात् पुत्र प्राप्ति भी विवाह का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो समाज की निन्ताता के लिये आवश्यक है। बाद में यौवनारंभ से पूर्व (बाल-विवाह) कन्या का विवाह करना धार्मिक एवं पावन कृत्य बन गया। पुत्र जन्म, पितृदान अर्पण, बाल-विवाह, कृषि के व्यवसाय आदि ने संयुक्त परिवार को परम्परा बना दिया। प्राचीन काल में भूमि की बाहुल्यता थी। हलीय कृषि होती थी। उसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता के कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता था।

चीनी लेखों में जनसंख्या नियन्त्रण तथा इसमें कमी के कारणों का उल्लेख मिलता है। खाद्यान्न आपूर्ति के अभाव में मृत्यु-दर बढ़ती है। असाध्यिक विवाह से बाल-मृत्यु अधिक होती है। खर्चीले विवाह उत्सवों के कारण विवाह वर्ष होते हैं। इन सबके कारण तथा युद्ध के कारण जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो पाती है। कनफूशीयस के सिद्धान्त भी जनसंख्या वृद्धि का समर्थन करते हैं। इन्होंने जनसंख्या तथा भूमि के अनुपात का सिद्धान्त दिया। इनका सुझाव था कि सरकार अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों को बसाए। रोम के विवाहकों ने भी जनसंख्या वृद्धि का समर्थन किया था। ये लोग रोम साम्राज्य के विस्तार की सोचते थे तथा जनसंख्या वृद्धि के उपाय सोचते थे। प्लेटो और अरस्ट्रने 'इष्टतम' जनसंख्या का वर्णन किया है। प्लेटो ने एक नगर के तिए 5,040 लोगों की जनसंख्या आदर्श बताई है। इन्होंने कम तथा अधिक जनसंख्या के शमापन भी बताए थे।

(II) पूर्व-माल्थस विचार (15 वीं शताब्दी से 1798 तक) — माल्थस से पूर्व के विचारों को तीन बाँड़ों में बैंट कर देख सकते हैं— (1) इस्लामी लेखक, (2) ईसाई लेखक, और (3) 17 वीं तथा 18 वीं शताब्दी को यूरोप का वणिकवाद। "इस्लामी लेखकों" ने कई प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया था और आज भी कर रहे हैं। इस धर्म में एक मुस्लिम चार पत्नियाँ रख सकता है। बाल-विवाह एक प्रथा बन गया है। इब्न खल्दून का कहना था कि प्रति व्यक्ति आय का प्रेरक कारक घनी जनसंख्या है। विशाल सेना, राजनैतिक सुरक्षा और श्रम-विभाजन भी अधिक जनसंख्या से ही सभव है। इस्लाम धर्म आज भी जनसंख्या का विरोधी नहीं है तथा जनसंख्या वृद्धि का समर्थक और पोषक है।

प्रारम्भ में ईसाई धर्म ने जनसंख्या वृद्धि विरोधी नियमों पर जोर दिया था। इस धर्म ने ब्रह्मचर्य एवं जोर दिया। विवाह और प्रजनन को बुरा बताया। कौमार्य की प्रशंसा की। गर्भपात, शिशु-वय, शिशु त्याग, बहु-विवाह एवं तलाक को बुरा समझा। अगे चलकर इस ईसाई धर्म ने भी प्रजनन के तिए विवाह के महत्व को माना। इस धर्म के विचार जनसंख्या के सम्बन्ध में नहीं होकर दार्शनिक, ऐतिक और धार्मिक अधिक थे।

पुनर्जागरण के काल तथा 15वीं शताब्दी से 18 वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तनों तथा आविष्कारों के कारण समाज में लोगों ने आवश्यकता अधिक पढ़ने के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों

बाल-विवाह और आप्रवासन को जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रोत्तमाहित किया गया। इस काल में व्यापार का तेजी से विकास हुआ था। मध्यकाल का सामनवाद समाप्त हो रहा था तथा दैजीवाद का उदय हुआ था। अनेक आविष्कारों के कलात्मक औद्योगिक उन्नति प्राप्त हुई जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता महसूस की गई। एक ओर नए गटों में प्रतिष्पर्द्धा हो रही थी। पाप्या पुढ़ होते थे जिसमें लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। देश उत्पादन अधिक करके राष्ट्रीय आय बढ़ाना चाहते थे। एक ओर अधिक राजनीतिक और आर्थिक ताप्त प्राप्त करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्तमाहित किया जा रहा था और दूसरी ओर प्रतिष्पर्द्धा के बढ़ने के ठर से जनसंख्या को रीमिट करने के विवाह प्रमुख कारण गये।

(III) मान्यस का जनसंख्या का मिदान— सर्वप्रथम मान्यस ने जनसंख्या का मिदान अपनी पुस्तक 'एंड ऐम ग्रिनीपन्न ऑफ पारुनेगन' 1798 में दिया है। आपने यह मिदान यूरोप के कई देशों की जनसंख्या के अध्ययन के आपार पर प्रतिष्पादित किया है। मान्यस ने जनसंख्या के मिदान से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन बातें बताई हैं—

(1) जनसंख्या में रेखांगितीय वृद्धि— जब वृद्धि का क्रम 1,2,4,8,16,32,64 आदि के स्वप्न में होता है तो उसे रेखांगितीय प्रगति कहते हैं। मान्यस वी मान्यता है कि जनसंख्या की वृद्धि रेखांगितीय क्रम में होती है और इस प्रकार से किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है।

(2) साध-मामग्री में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि— जब वृद्धि का क्रम 1,2,3,4,5,6,7,8, आदि के क्रम में होता है तो उसे अंकगणितीय प्रगति कहते हैं। मान्यस की मान्यता है कि खाद्य-मामग्री के उत्पादन में वृद्धि बहुत धीमी तथा अंकगणितीय अनुपात में होती है। जनसंख्या में वृद्धि खाद्य मामग्री की तुलना में तेजी से होती है। जिस आधिपि में खाद्य-मामग्री नार, गुड़ी होगी, एवं अधिपि में जनसंख्या आठ गुड़ी हो जाएगी। इस प्रकार में जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ खाद्य-मामग्री का पहली जारी है। मान्यस की मान्यता है कि देश की जनसंख्या को उत्पाद्य खाद्य-मामग्री के अनुगमान नियमित रूप से चाहिए। आपसा पर भी बहना है कि भूमि की उत्पादकता में भी नियन्त्र कमी आती जाती है। जनसंख्या के खाद्य-मामग्री के अनुपात में अधिक होने पर समाज में अनेक समस्याएँ— भुगतानी, देवतानी, युद्ध आदि— उत्पन्न हो जाएंगी।

(3) जनसंख्या नियन्त्र के तीर्ति— मान्यस ने जनसंख्या के नियन्त्र के दो तीर्तों का उल्लेख किया है— (1) नियन्त्रण के नियन्त्रण और (2) नियन्त्रण के नियन्त्रण।

3.1. नियन्त्रण के नियन्त्रण— जब किसी देश की जनसंख्या खाद्य-मामग्री की तुलना में बहुत अधिक रह जाती है तो प्रह्लिदि उस देश की अविधि के जनसंख्या को भूम्य, बाढ़, मूँगा, लोग, मटामग्री, भुगतानी आदि के द्वारा रोका देती है। इस प्रकार के नियन्त्र के नियन्त्रण का नैतिक नियन्त्रण भी बहते हैं। इस नियन्त्रण में मूल्य-दर बढ़ जाती है।

3.2. निरोधात्मक नियंत्रण— निरोधात्मक नियंत्रण में समाज स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय खोजता है तथा उन्हें लागू करता है, जैसे— ऐतिक संथम, विवाह का परिपक्व आयु तक स्थगित करना, बुराई से दूर रहना, परिवार नियोजन, संतति निरोध, आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य का पालन, कृत्रिम साधनों का प्रयोग आदि। माल्थस की मान्यता है कि जब निरोधात्मक नियंत्रण द्वारा समाज अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं रख पाता है तो प्रकृति निरचयात्मक नियंत्रणों द्वारा जनसंख्या को खाद्य-सामग्री के अनुसूच्य घटा देती है।

माल्थस के सिद्धान्त की आलोचना— माल्थस का सिद्धान्त निराशावादी अधिक लगता है। अपका सिद्धान्त ऐतिहासिक तथ्यों, वैज्ञानिक आविष्कारों, यातायात के साधनों तथा श्रम-शक्ति में वृद्धि के कारण सत्य और प्रमाणित नहीं है।

1. ऐतिहासिक आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि हमेशा रेखागणितीय प्रगति के रूप में नहीं होती है तथा खाद्य-सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय प्रगति के रूप में ही हो यह आवश्यक नहीं है।

2. वैज्ञानिक आविष्कारों, अच्छी पैदावार के बीजों, खाद्यों तथा खेती के उपकरणों के फलस्वरूप खाद्य-सामग्री का उत्पादन जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार काफी मात्रा में बढ़ाया गया है, जैसे— भारत में हरित क्रान्ति के द्वारा पैदावार बढ़ाई गई है।

3. यातायात के साधनों के द्वारा एक स्थान से खाद्य-सामग्री उस स्थान पर भेजना सरल हो गया है जहाँ पर खाद्य-सामग्री का अभाव है।

4. श्रम-शक्ति में वृद्धि का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या की वृद्धि के साथ है। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काम करने वाले हाथों की संख्या भी बढ़ती है जो अपने श्रम द्वारा खाद्य-सामग्री की व्यवस्था कर सकते हैं। आज के युग में माल्थस का सिद्धान्त अवैज्ञानिक, असत्य तथा अग्रामाणिक है।

(IV) नवशास्त्रीय सिद्धान्त— नव-शास्त्रीय काल में दो विचारधाराएँ थीं— (1) राजनैतिक अर्थव्यवस्था का शास्त्रीय सम्प्रदाय और (2) समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाला सम्प्रदाय। इन दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों का मत था कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो मजदूरी (वेतन) कम हो जाती है जो समाज में निर्धनता को बढ़ाती है। याकूब, माल्थस के आलोचक थे तथा उनकी मान्यता थी कि समाज में जनसंख्या की वृद्धि का कारण पूँजीवाद है। जब समाजवाद स्थापित हो जाएगा तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार होगा, जन्म-दर और मृत्यु-दर दोनों घटेंगी, आय का समान वितरण होगा तथा असमानताएँ समाप्त हो जायेंगी। जे.एस. मिल का कहना था कि माल और सेवाओं के प्रवाह से जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है जो जन-संख्या के दबाव को भी कम करेगी। प्रौद्योगिक विकास भी जनसंख्या के दबाव को कम करता है।

(V) प्राकृतिक या जैविकीय सिद्धान्त— इस सिद्धान्त के अनुसार जब जनसंख्या के प्रत्येक में वृद्धि होती है और सुख-सुविधाएँ बढ़ती हैं तो प्रजनन दर घटती है। इसको जनसंख्या का

निश्चित जनसंख्या की आवश्यकता होती है और उस संख्या को इष्टतम जनसंख्या कहा जाता है। जब इस इष्टतम जनसंख्या से जनसंख्या कम होती है तो उसे न्यून-जनसंख्या वाला तथा अधिक होने पर अति-जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। इस इष्टतम जनसंख्या के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस सिद्धान्त में आर्थिक पक्ष को विरोध महत्व दिया गया है जब कि जनसंख्या को अन्य अनेक कारक भी प्रभावित करते हैं।

(IX) जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त— यह सिद्धान्त समाजों (आदिम, मध्यम और आधुनिक) के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। विद्वानों ने जनांकिकीय उद्दिवकास के चरण जन्म और मृत्यु दरों के विभिन्न प्रिश्नों के आधार पर निम्नलिखित बताए हैं— (1) अत्यन्त स्थिर चरण, (2) प्रारंभिक विस्तार की अवस्था, (3) बाद के विस्तार की अवस्था, (4) निम्न स्थिर अवस्था, और (5) गिरती हुई अवस्था। जन्म और मृत्यु दरों में अधिक अन्तर संक्रमण के कारण होता है। इससे जनसंख्या विस्फोट भी होता है।

भारत की जनसंख्या की संरचना

1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.39 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ का आँकड़ा पार कर चुकी है। परिवार कल्याण के भागीरथ प्रयासों के बावजूद सन् 2000 तक एक अब का आँकड़ा पार कर चुकेगी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है तथा थेप्रफल की दृष्टि से सातवां है। सप्ताह में प्रति 100 व्यक्तियों में 15 भारतीय है अर्थात् प्रत्येक सातवां व्यक्ति भारतीय है। ये संसार की 2.4 प्रतिशत भूमि पर निवास करते हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। भारत में प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ जाती है। हमारे देश में सबसे गम्भीर समस्या जनसंख्या और उसकी वृद्धि है। इसी समस्या के कारण अन्य समस्याओं— बेरोजगारी, आवास, स्वास्थ्य कुपोषण, अशिक्षा आदि का समाधान नहीं हो पा रहा है। बढ़ती जनसंख्या पर नियन्त्रण बहुत आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से अवगत रहे तथा जनसंख्या नियंत्रण में अपना पूर्ण सहयोग दे। इसी संदर्भ में यहां पर हम भारत की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं— जन्म-दर, मृत्यु-दर, जनसंख्या पनत्व, प्रत्याशित आयु, आयु रचना, लिंग अनुपात, घर्म, भाषा, साक्षरता, ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या, अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की जनसंख्या आदि का अध्ययन करें।

भारत में जनसंख्या वृद्धि

भारतीय जनगणना के आधार पर देखा जाय तो जनसंख्या वृद्धि की स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि इसमें प्रति दस वर्षों में कितनी वृद्धि होती है— इसे 1891 से नियमित रूप में देखा जा सकता है। जनगणना का कार्य इसी समय प्रारम्भ हुआ है— अग्रलिखित तालिका के आधार पर इनकी तुलना सुगमता से की जा सकती है जिसमें सन् 1891 से सन् 1991 तक की जनसंख्या को प्रति दस वर्ष के अन्तर पर दर्शाया गया है—

तातिका - 1

भारत में जनसंख्या वृद्धि (1891 - 1991)

जनसंख्या वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़)	दमवर्णीय वृद्धि दर%
1891	23.59	-
1901	23.83	1.0
1911	25.20	5.73
1921	25.12	-0.8
1931	27.88	11.00
1941	31.85	14.23
1951	36.09	13.31
1961	43.90	21.64
1971	54.79	24.80
1981	68.97	24.75
1991	84.39	23.50

उपर्युक्त तातिका से स्पष्ट होता है कि सन् 1891 में भारत की जनसंख्या लगभग 23.5 करोड़ थी, वहाँ 1991 में बढ़कर 84.39 करोड़ हो गई। यह वृद्धि 1941 के पश्चात् बहुत तीव्र गति से हुई है। 1947 में भारत पाक विभाजन के कारण पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोग आ गए। इसलिए 1951 से 1961 के बीच वृद्धि दर 21.6 प्रतिशत हो गई। इसके पश्चात् भी वृद्धि अनवरत रूप से जारी है और 1981 से 1991 के मध्य तो इसमें सर्वाधिक तीव्रता दिख रही है, जिसे जनसंख्या विफ्कोट का भूचक अवश्य ही माना जा सकता है। यदि पाश्चात्य देशों की स्थिति देखें तो अमेरिका, रूस, जापान व ग्राजील की जनसंख्या से भी यह कहीं अधिक है। आस्ट्रेलिया की तो कुल आवादी ही भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि के समान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे भारत के क्षेत्रफल से कहीं अधिक बड़े क्षेत्रफल वाला देश माना जा सकता है। अब इमी अनुमान में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान संगाया जा सकता है। 1901 में जनसंख्या का घनत्व 72 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो 1991 में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। भारत का क्षेत्रफल 32,80,483 वर्ग किलोमीटर है। परन्तु जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है।

1. जन्म-दर और मृत्यु-दर— किसी देश की जनसंख्या को निपारित करने के दो प्रमुख आपार है। पहला, उस देश की जन्म-दर और दूसरा उस देश की मृत्यु-दर। तीसरा एक गौण कागज देश में अनेक वाले प्रजासी भी है। भारत में जन्म-दर अधिक रही है। देश में सभी जन्म लेने वाले और मरने वालों के नाम पनीकूल नहीं कराए जाने के कारण सही औंकड़ों का पता लगाना मम्भा रहा है। ये औंकड़े अनुमानित ही हैं जो सकते हैं। तातिका-2 में भारत में विभिन्न दराओं में जन्म एवं मृत्यु-दर प्रदर्शित की गई है।

तालिका - 2

जन्म-दर एवं मृत्यु-दर (1921-1990)

दशक	जन्म-दर	मृत्यु-दर (असुमानित)
	(प्रति हजार प्रति वर्ष)	(प्रति हजार प्रति वर्ष)
1921-30	46.4	36.3
1931-40	35.2	31.2
1941-50	39.3	27.4
1951-60	41.7	28.8
1961-70	41.1	18.9
1971-80	33.6	11.9
1981-90	30.9	10.8

1991 में भारत में जन्म-दर 29.9 व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष है। यह दर चीन को छोड़कर अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक है। ग्रामों में जन्म-दर नगरों की तुलना में अधिक है। अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु-दर भी अधिक है। 1921 से पहले अकाल, महामारी और कई प्रकार की असाध्य एवं सक्रामक बीमारियों, जैसे—प्लेट, मलेरिया और इन्फ्लूएन्जा आदि के कारण मृत्यु-दर बहुत उच्च थी। भारत में गरीबी एवं जीवन-स्तर निम्न है इस कारण पौष्टिक आहार एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता है। 1921 से मृत्यु-दर में निम्नतर कमी आई है और 1991 में 1921 की तुलना में मृत्यु-दर साढ़े तीन गुणा के लागभग घटी है। इसका कारण चिकित्सा विज्ञान के विकसित होने और भारत के भूदूर क्षेत्रों तक फैल गई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करना है। लेकिन धार्मिक कठुनाता, रूढ़िवादिता, अज्ञानता, अशिक्षा आदि के कारण जन्म-दर को मृत्यु-दर की तुलना में कम नहीं कर पाने के कारण जो अन्तर सामने आया है उसमें जनसंख्या विस्फोट का रूप धारण कर लिया है। 1991 के अनुसार मृत्यु-दर 9.6 व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष है तथा जन्मदर 29.9 व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष है। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि लगभग 20.3 व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष है। आज भारतवर्ष में प्रति मिनिट 48 बच्चों का जन्म होता है। निष्पर्त: आज सदसे बड़ी आवश्यकता इस बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए पुढ़ स्तर पर ध्यास करने की है।

2. जनसंख्या का धनत्व—एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति रहते हैं वह जनसंख्या का धनत्व कहलाता है। जनसंख्या के धनत्व का आकलन करने के लिए देश की कुल जनसंख्या में उस देश के कुल भू-भाग का भाग दिया जाता है। भागफल उस देश की जनसंख्या का धनत्व कहलाता है। भारत में जनसंख्या का धनत्व 1901 में 72 व्यक्ति, 1961 में 173, 1981 में 216 और 1991 में 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया। देश में सर्वाधिक जनसंख्या का धनत्व दिल्ली में

7,219 है। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 5,620 है। गन्धो में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व परिचमी बंगाल में 766 व्यक्ति, केरल में 747, उत्तर प्रदेश में 471, राजस्थान में 128 है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व अरुणाचल में 10 व्यक्ति, मिजोरम में 33, नगालैण्ड में 71 व्यक्ति है।

3. प्रत्यागत आयु— किसी देश के निवासियों की प्रत्यागत आयु से तात्पर्य है कि उस देश के निवासी की अन्न के समय कितनी आयु की आशा की जाती है। भारतवर्ष में स्त्रीओं की औसत आयु 1911 में 24 वर्ष, 1951 में 32.1 वर्ष, 1961 में 41.2 वर्ष, 1971 में 46.4 वर्ष, 1981 54 वर्ष, 1991 में 55.4 वर्ष पाई गई। भारतवर्ष में औसत आयु में वृद्धि के कारण अधिकाधिक रिहाई, चिकित्सा की सुविधा, रहन-सहर के स्तर में वृद्धि, मातृत्व एवं शिशु-कल्याण की सम्भाओं की स्थापना तथा सनुलित आहार आदि है।

4. आयु संरचना— जनांकिनीय अध्ययन में आयु संरचना का विषेष महत्व है। इसके अध्ययन एवं विश्लेषण से अनेक तथ्य सामने आते हैं। 1991 की जनगणनानुसार 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग 6.49% हैं। 36 प्रतिशत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं। रो 57 51% जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष की बीच के आयु के लोग हैं। केवल 33.45 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। जनसंख्या की आयु संरचना पिछले दशकों में लगभग स्थिर रहने का कारण प्राकृतिक विपदाओं तथा गुद आदि समस्याओं का प्रकोप नहीं रहना है। इसके कारण मी-पुस्त्रों का अनुपात भी स्थिर रहा है।

5. लिंग अनुपात— सी-पुरुष अनुपात या लिंग अनुपात के द्वारा यह पता चलता है कि समाज में विवाह की दर, मृत्यु-दर तथा बच्चों की दर कितनी है। भारत की जनसंख्या की यौन-संरचना से पता चलता है कि प्रति हजार पुस्त्रों पर शियों की संख्या हमेशा कम रही है। 1991 में 1000 पुस्त्रों पर शियों की संख्या 929 पाई गई है तथा 1981 में 935 शियों थीं। केरल में 1000 पुस्त्रों पर 1036 शियों हैं। यह शियों की संख्या राज्यों में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में 932, राजस्थान में 913, महाराष्ट्र में 916 शियों हैं। विश्व में अमेरिका, स्स और ब्रिटेन में शियों पुस्त्रों से अधिक है। भारत में पुस्त्रों वी तुलना में शियों की संख्या कम होने के कारण है—बाल्यहाल में कन्याओं के उचित पातन-पोर्न का अभाव, बाल-विवाह के कारण शियों का बाल्यहाल में गर्भवती होना तथा प्रसव के समय अधिक भूत्यु होना है। लड़कों की तुलना में कन्याओं के पातन-पोर्न पर कम ध्यान देना है।

6. साक्षरता— साक्षरता का सीधा सम्बन्ध देश के विकास की गति के साथ है। समाज के जितने अधिक लोग साक्षर होंगे उस समाज का विवाह भी उत्तम ही अधिक होगा। 1991 में भारत में साक्षरता 52.21% प्रतिशत अर्थात् आगे से कुछ अधिक है। 1951 की तुलना में यह प्राप्ति तिकाने से भी कुछ अधिक है। पुस्त्रों में साक्षरता 64.13 प्रतिशत तथा शियों में 39.29 प्रतिशत है। 22.42 करोड़ पुरुष तथा 12.77 करोड़ शियों साक्षर हैं। केरल में देश में सर्वाधिक साक्षरता (100%) है। सबसे कम साक्षरता राजस्थान में 39.29% है। प्राप्त के सी-पुस्त्रों की तुलना में नगरों में अधिक साक्षरता मिलती है।

तालिका -
भारत में साक्षरता 1951 से 1991

वर्ष	साक्षरता का प्रतिशत
1951	16.7
1961	24.0
1971	29.5
1981	36.2
1991	52.21

7. धर्म— भारत में कुल जनसंख्या का 82.7% हिन्दू, 11.2% मुसलमान है। तीसरा स्थान 2.4% ईसाइयों का है। सिवाख 1.9%, बौद्ध 0.7% तथा जैन 0.48% हैं। सिवाख प्रथानातः पंजाब में निवास करते हैं। जैन और बौद्ध धर्मावलम्बी हिन्दुओं से मिलते-जुलते हैं। हिन्दुओं में 2.37% तथा मुसलमानों में 3.1% वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। विभिन्न धर्मों में साम्प्रदायिक मतभेद होने से राष्ट्रीयता में बाधाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। इनमें एकता, उदारता तथा पारस्परिक महिमाना की अन्यन्त जावधकता है।

8. भाषा— भारतवर्ष में लगभग 1,652 भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं। भारत में प्रमुख दो भाषाएँ वर्ग हैं—(1) द्रविड़ भाषाएँ एवं (2) इण्डोआर्यान् भाषाएँ। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त है। भाषा के कारण देश में कुछ राज्यों का निर्माण भी हुआ है। देश की एकता में भाषाएँ मतभेद बाधक रहे हैं।

9. प्राचीन तथा नवारीय जनसंख्या— भारत मुख्यतः ग्रामों का देश है। 1991 की जनगणनानुसार देश में 74.3% लोग ग्रामों में तथा 25.7% लोग नगरों में निवास करते हैं। चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नगर में निवास करता है। पिछले बर्षों में ग्रामों से नगरों में प्रवासन की गति तेज़ रही है, जिसके प्रमुख कारण— नगरों में व्यवसाय के अच्छे अवसरों का होना, स्वास्थ्य एवं विकित्सा, शिक्षा, रहन-सहन के अच्छे स्तर आदि का होना, है। ग्राम और नगर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय दो देखिए।

10. अनुमूलित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या— 1991 की जनगणनानुसार देश में अनुमूलित जातियों की जनसंख्या लगभग 13.82 करोड़ है तथा अनुमूलित जनजातियों की जनसंख्या 6.78 करोड़ है। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई (25%) भाग है। सर्वाधिक अनुमूलित जातियाँ 2.34 करोड़ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। सर्वाधिक अनुमूलित जनजातियाँ 1.79 करोड़ मध्यप्रदेश में निवास करती हैं।

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण— उपर्युक्त विलेण के अधार पर यह निष्पर्यग्य निकलता है कि भारत में जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष अनुमानतः 1.3 करोड़ जनसंख्या बढ़ती है, किन्तु इसके साथ ही एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि इस वृद्धि के क्या कारण हैं? पूर्व

के बयों में यह वृद्धि क्यों करती है, और अब निरन्तर वृद्धि क्यों हो रही है? इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने पर विदित होता है कि भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप में तीन कारण हैं—(1) जन्म-दर (2) मृत्यु-दर, और (3) आवास - प्रवास। इनमें भी दो कारण अतिरिक्त महत्वपूर्ण हैं अतः इन पर विचार से विचार करना आवश्यक है।

भारत में जन्मदर एवं मृत्युदर—भारत में जन्मदर एवं मृत्युदर के आकड़ों में पर्याप्त वैकल्पिक दिखाई देता है, क्योंकि यही जन्मे व मृत व्यक्तियों के नाम पंजीकृत नहीं किए जाते हैं। इसी कारण अनुमानित आधार एवं पंजीकृत आधार दोनों में अन्तर है। जन्मदर और मृत्युदर की गणना एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जन्मे और मृत व्यक्तियों की संख्या के स्पष्ट में बीं जाती है। सन् 1921 के पूर्व जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों समान होने के कारण जनसंख्या नियन्त्रित रही। उसमें अधिक वृद्धि नहीं हुई, किन्तु 1931 के दशक में मृत्युदर में कमी होने के परिणामस्वरूप जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई। धीरे-धीरे जन्मदर-मृत्युदर का अन्तर बढ़ता गया। इस नियन्त्रण विदीती जन्मदर और धटकी हुई मृत्युदर के क्या कारण रहे जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाया—इस पर विचार करना आवश्यक है।

उच्च जन्मदर के कारण—सन् 1971-80 के मध्य जन्मदर की जो वृद्धि हुई है, वह विश्व के अनेक देशों की तुलना में अधिक है, यह जन्मदर शियों की प्रजनन क्षमता पर आधारित होती है। भारत में स्त्री की प्रजनन क्षमता 45 वर्ष तक मानी जाती है। यह प्रजनन क्षमता अन्य देशों की तुलना में काफी ऊँची है। इस उच्च प्रजनन क्षमता के मुख्य स्पष्ट से नियन्त्रित कारक उत्तराधारी है—

1. भारत की जनवायु गर्भ है। इस क्षण लड़कियों में परिपत्रना शीघ्र आ जाती है। फिर प्रजनन क्षमता लम्बी अवधि तक चलती रहती है।

2. यात्-विवाह का परिणाम अधिक सनामों को जन्म देता है जो उच्च जन्मदर के लिए सकारात्मक स्पष्ट से उत्तराधारी है।

3. अशिक्षा जन्म की उच्च दर का कारण है। जनसंख्या वृद्धि के भावी परिणामों पर अंशिक्षित लोग विचार नहीं कर पाते हैं।

4. घनोरेवन के माध्यों के अभाव के कारण ग्रामीण विल्ले वर्ग स्त्री वीं ओर अधिक अनुग्रह होता है।

5. मरुकृष्णायां भी एक कारण है। प्राय बड़े लोग अपने बीविन-बाल में पोत्र-प्रातीत देहने की कामना रखते हैं। अत सीमित परिवार की ओर ध्यान न देकर पुत्र-प्राप्ति का उत्तर उनकी हाई में महत्वपूर्ण है, इसमें जन्मदर बढ़ी है और जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है।

6. निम्न जीवन स्तर के व्यक्ति परिवारों की सीमित जन्म ग्रामीण भास्तव्यों तक उनकी हाई में बिन्दे अधिक बचे होंगे, उतना ही वे उत्तराद्वय कार्य करेंगे। उनमें दर्दी हाँ बचा क्षमता है। परिणामस्वरूप जन्मदर में वृद्धि होती जाती है।

7. परिवार नियोजन के माध्यों की जनकारी का अभाव भी जन्म-दर वृद्धि का कारण होता है।

8. स्त्री की तुलना में पुत्र प्राप्ति को महत्व दिया जाता है, इसके दर्दी भावित होती जाती है। धर्मगामी नामांकन अभाव है, इसमें भी जन्म-दर में वृद्धि होती है।

9. कुछ धर्म जन्मदर नियन्त्रण को पाप मानते हैं— इस्लाम धर्म में मान्यता है कि पृथ्वी पर अधिकाधिक मानव वृद्धि हो— इस मान्यता के कारण जन्मदर में वृद्धि उनकी दृष्टि में अच्छी है।

10. विवाह की अनिवार्यता भी जन्मदर वृद्धि का कारण है। हिन्दू धर्म में जीवन-मरण के ब्रह्म से मुक्ति तभी मिल सकती है, जब पुत्र-प्राप्ति हो— उसके लिए वैवाहिक-जीवन की आवश्यकता होती है। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है।

11. व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से मान्यता तभी मिलती है जब वह विवाहित हो, पुत्र वाला हो, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण व पीढ़ी की निरन्तरता आदि को बनाये रखने से ही व्यक्ति को सामाजिक मान्यता मिलती है। इस कारण से जन्म-दर में वृद्धि होती है।

12. चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप जन्मदर बढ़ी है, और मृत्यु-दर में कमी हुई है। इससे जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

इस प्रकार अनेक कारणों से जन्म-दर में वृद्धि हुई है।

गिरावट हुई मृत्यु-दर— जहाँ जन्म-दर में वृद्धि हुई है वहाँ अब मृत्यु-दर में कमी हुई है। भारत में इस सदी के प्रारम्भ में मृत्यु-दर भी 43 प्रति हजार के लागभग थी, जो अब घटकर 14.8 प्रति हजार रह गई है— प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारण मृत्यु-दर में कमी के हो सकते हैं—

1. विज्ञान के विस्तृत ज्ञान के परिणामस्वरूप मानव ने अकाल, बाढ़ व सूखा जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण पा लिया है, जिसके कारण मृत्यु-दर में गिरावट आई है।

2. शारीरिक व्याधियाँ, जैसे— हैजा, प्लेग, मलेरिया व चेचक जैसी बीमारियाँ प्राणघातक बीमारियों की रोकथाम के साथनों की उपलब्धता के कारण मृत्यु-दर में कमी आई है।

3. चिकित्सा मुविधाओं में वृद्धि व सरकार के पर्याप्त प्रयासों के कारण शिशुओं की मृत्यु-दर कम हुई है। अनेक टीके, दवाएँ आदि की जानकारी सचार माध्यमों द्वारा समय-समय पर प्रसारित होने से लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

4. शिक्षा का प्रसार भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का कारण रहा है इससे मृत्यु-दर कम हुई है। इस प्रकार अनेक सरकारी एवं निजी प्रयासों से, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सहायता से, चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार से तथा आवागमन आदि के साथनों के परिणामस्वरूप मृत्यु-दर में कमी आई है।

शिशु मृत्यु-दर में गिरावट— सन् 1921 के परचात् न केवल बाल व शुवा मृत्यु-दर में गिरावट आई है, बल्कि शिशु मृत्यु-दर भी कम हुई है— शिशु से सम्बन्धित आकड़ों से स्पष्ट होता है कि 1921 की अवधि में औसत शिशु मृत्यु-दर 220 के लागभग थी और 1980 के दशक में यह लागभग 123 प्रति हजार है। शिशु मृत्यु-दर में भारी गिरावट आई है। इससे प्रत्याशित-आयु में भी वृद्धि हुई है। सन् 1921 से 30 की अवधि में जहाँ एक बालक केवल 27 वर्ष जीवित रहने की आशा कर सकता था, वही अब भारत में जीवित रहने की आयु लागभग 53.5 वर्षों तक पहुँच गई है।

पूर्वोक्त सम्भावनाओं के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण मृत्यु-दर में कमी का होना है किन्तु जन्मदर में जब तक गिरावट नहीं लाई जायेगी, तब तक

7. परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रयोग करना।
 8. परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए सरकार, स्वीकृत स्थानीय निकाय व स्वयंसेवी संगठन आदि को दान के रूप में दी जाने वाली राशि पर आय-कर में छूट देना।
 9. राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का 8% परिवार कल्याण के कार्यों पर व्यय करना।
 10. भारत सरकार व राज्य सरकारों के सभी मन्त्रालयों एवं विभागों को परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बद्ध करना।
 11. गर्भ-निरोध व प्रजनन जीव-विज्ञान में अनुसंधान कार्य पर बल देना।
 12. राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम का गठन और सावधानीपूर्वक प्रचार तथा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा स्थिति की समीक्षा करना।
- छठी पंचवर्षीय योजना में पुनः इसके सम्बन्ध में योजनाएँ बनाई गईं। इस योजना में 1,010 करोड रुपये व्यय करने का ग्रावधान परिवार नियोजन पर प्रस्तावित हुआ। इस समय मुख्य लक्ष्य इस प्रकार रखे गए—
1. परिवार के 4.2 बच्चों के औसत आकार को घटाकर 2.3 बच्चे करना।
 2. 21 प्रति हजार जन्म-दर का स्तर करना।
 3. 9 प्रति हजार मृत्यु-दर करना।
 4. 36.56% दम्पत्तियों को सुरक्षित करना।
 5. 22 करोड स्त्री-पुरुषों के बन्ध्याकरण ऑपरेशन करना तथा 11 करोड लोगों को परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 3,120.4 करोड रुपये खर्च किए गये थे। 42% गर्भधारण करने वाले दम्पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का अनुमान है। सन् 2000 तक जन्म-दर 21 प्रति हजार, मृत्यु-दर 9 प्रति हजार, शिशु मृत्यु-दर 60 प्रति हजार, प्रत्याशित आयु 64 वर्ष तथा कारगर दम्पत्ति सुरक्षा दर 60% होने की सम्भावना है। देश में मार्च 1991 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 1,923; प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 20,059 तथा उपकेन्द्र 1,30,978 परिवार कल्याण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए खोले जा चुके थे।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति को निम्नलिखित पक्षों के आधार पर देखा जा सकता है—। बन्ध्याकरण — बन्ध्याकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1976-77 में 26.7 लाख बन्ध्याकरण हो चुके थे, वही सन् 1977 के पश्चात् 82.6 लाख ऑपरेशन किए गए। 1980 में ही 17.40 लाख बन्ध्याकरण किए गए। इस प्रकार इस और अधिक कार्य हुआ है। मार्च 1982 तक कुल 361.8 लाख ऑपरेशन किए जा चुके थे। बन्ध्याकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983 तक 402.4 लाख बन्ध्याकरण किए गए और इसके बाद भी इस और प्रगति दिखाई दे रही है। मार्च, 1992 तक 8.08 करोड़ नसबन्दी ऑपरेशन किए जा चुके हैं।

2. लूप तथा निरोप—लूप का प्रयोग चतुर्थ पचवर्षीय योजना से ही विशेष रूप से किया जाने लगा था। सन् 1975-76 में 6.1 लाख और सन् 1976-77 में 5 लाख 80 हजार लूप प्रयुक्त हुए। सन् 1980 में 6.2 लाख व 1983 तक 106 लाख लूप लगाए जा चुके हैं। इस प्रकार लूप की दर इस समय तक 19.9 प्रति सहस्र रही है।

निरोप का प्रयोग सन् 1976-77 की अवधि में 9.8 करोड़ हो चुका था। उसके बाद सन् 1982-83 की अवधि में 12 उपभोक्ता सामग्री विपणन कम्पनियों द्वारा 4.15 लाख से अधिक खुदारा दुकानों के माध्यम से चलाई जा ही योजना के अन्तर्गत 24.12 करोड़ निरोप बेचे गये। मुफ्त वितरण की योजना के अन्तर्गत 17.28 करोड़ निरोप, 938 डायफ्राम, 42,291 जैली-क्रीम द्रव्य तथा 9,270 फोम की टिकियाएं बांटी गई। मार्च 1992 तक 4.7 करोड़ आई.यू.डी. इनसर्वन किये हैं।

3. छाने की गर्भ-निरोपक गोलियाँ—गर्भ निरोपक गोलियों का विताण शहरी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किया गया तथा लोगों ने इसका पालन भी किया है। वर्तमान में 4,719 ग्रामीण व 2515 शहरी केन्द्रों व अस्पतालों द्वारा इन गोलियों का विताण किया जा रहा है। 1991-92 में 30 लाख जनसंख्या इसका प्रयोग कर रही थी।

4. विशेष योजनाएँ—विशेष योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण शेत्रों में तीन योजनाएँ प्रमुख रूप से परिवार कल्याण के अन्तर्गत कार्यरत हैं—(1) अखिल भारतीय अस्पताल प्रसबोतर कार्यक्रम, (2) बन्ध्याकरण शाय्या योजना, तथा (3) बन्ध्याकरण तथा गर्भ-समापन मुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीनीकरण करना।

अखिल भारतीय प्रसबोतर कार्यक्रम 554 अस्पतालों में चलाया जा रहा है। सन् 1982-83 की अवधि में इस कार्यक्रम का विस्तार 50 उपजिला अस्पतालों में किया गया तथा इसके अतिरिक्त छठी पचवर्षीय योजना में 350 उपजिला अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है।

बन्ध्याकरण और गर्भ-समापन मुविधाएँ ग्रामीण व अद्व-शहरी शेत्रों के 275 उपजिला अस्पतालों के 1,650 विस्तरों तथा 1,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदान की जा रही है। विभिन्न राज्यों में 833 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मुरद करने के प्रयास साथ-साथ किये जा रहे हैं। केन्द्रों की पुनर्व्याप्ति योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के अन्य 833 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के दृष्टिकोण के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों व सरकारी संस्थानों पे महिलाओं की बन्ध्याकरण वी सेवाओं के प्रावधान के लिए शाय्या योजना के अन्तर्गत 2,101 शैया लगाई जा रही है। 1983-84 की अवधि में स्वैच्छिक संगठनों में 200 और बन्ध्याकरण शैया वी वृद्धि का प्रस्ताव था।

5. गर्भ-समापन—सन् 1975-76 में 2,06,710 सन् 1976-77 में 3,12,754 तथा सन् 1980-81 में 3,85, 749 गर्भात रिए गये थे। सन् 1982-83 में 4,09,296 गर्भात रिए गये थे। इसकी मुविधा के लिए अच्छे उपकरणों से सुमन्बित/अनुमोदित अस्पतालों में पूर्ण प्रगतिशील होमिटो द्वारा वित्तिमंत्रीय गर्भात रिए जा रहे हैं। इस कार्य के प्रारम्भ होने से अब तक कुल 28,09,817 गर्भात रिए जा चुके हैं। इस कार्य के निए विभिन्न विविन्दा-महारिहालतों द्वा अस्पतालों में 60 से अधिक प्रबन्धन विशेषज्ञों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O) के द्वारा

आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। भारत में 16 केन्द्रों पर इस सम्बन्ध में अनुसंधान व्यवस्था है।

6. प्रेरणा एवं शिक्षा-परिवार कल्याण का उद्देश्य 12 करोड़ प्रजनन योग्य दम्पतियों तक परिवार नियोजन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना है जिससे वे इस ओर जागृत रहकर अपने परिवार को सीमित रख सकें। असर्वत्व के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा पुस्तिकार्पण, पत्रिकाएँ, फोल्डर आदि को नेताओं व कार्मिकों को सीधे ही भेजा जाता है, रेडियो, समाचारपत्र, फिल्म, दूरदर्शन, नाटक, एकांकी व गीत आदि के द्वारा भी इसका प्रचार किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों व प्रौढ़-शिक्षा केन्द्रों के कार्यक्रमों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।

नवीन वीस सूत्री कार्यक्रम में भी परिवार कल्याण से सम्बन्धित निम्नलिखित बातों पर विशेष आग्रह रखा गया है—

- (1) परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर सार्वजनिक अभियान के रूप में चलाया जाए।
- (2) महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण कार्यक्रम को और तीव्रता से किया जाए।
- (3) सामाजिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा-सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि की जाए तथा कुठ, क्षय रोग एवं अन्यता को नियन्त्रित करने के उपाय किए जायें।
- (4) 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की योजना की जाए।

परिवार-कल्याण का सम्बन्ध जनसंख्या नियन्त्रण से है और जनसंख्या पर नियन्त्रण सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि से हितकारी है अतः अब परिवार कल्याण को विभिन्न पक्षों की दृष्टि से देखने का प्रयास किया जायेगा।

जनाधिक्य के प्रभाव (समस्याएँ)

1. आर्थिक—परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रभाव आर्थिक स्तर पर प्रत्यक्षतः दिखाई देता है। आर्थिक दृष्टि से भारत में परिवार-कल्याण अत्यावश्यक है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में निर्पन्ता व बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक जटिल हो गई है। यह वृद्धि भारत की खाद्य-समस्या व राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्षतः प्रभावित कर रही है। जिस रूप में राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि होती है, उसी अनुपात में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो पाती है, अर्थात् राष्ट्रीय आय की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रभावी नहीं रह पाती। उसी प्रकार खाद्य समस्या भी ज्यों की त्यो बढ़नी हुई है जबकि अनेक सरकारी व गैर-सरकारी प्रयासों से खाद्यान्नों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। यह जनसंख्या वृद्धि न केवल खाद्य व आय को प्रभावित कर रही है, बल्कि व्यक्ति के रहन-सहन पर भी इसका प्रभाव पढ़ा है। बढ़े नगरों की स्थिति इस रूप में अधिक शोचनीय है। दिल्ली में 63%; बम्बई में 72.3%; मद्रास में 67.5%; कलकत्ता में 72%; कानपुर में 62% व्यक्ति के रहन एक कम्पो में रहते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवास की समस्या गम्भीर रूप से बढ़ रही है, इससे रहन-सहन के स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः यदि खाद्य, बेरोजगारी व आवास आदि की समस्या पर नियन्त्रण पाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि जनसंख्या को सीमित रखा जाए। जनसंख्या को परिवार नियोजन के माध्यम से

सीमित किया जा सकता है। सारांगतः परिवार नियोजन आर्थिक विकास को पूर्णतया प्रभावित करता है।

2. मापदिक—परिवार- कल्याण का प्रभाव मामूर्ति समाज पर पड़ेगा व ममाज का उन्धान व विकास भी होगा यदि परिवार में कम बच्चे होंगे, तो मबको उचित मात्रा में भोजन, शब्द-शहन व स्वास्थ्य मिलेगा, इससे पारिवारिक शांति बढ़ी होगी। कल्ह, सपर्द, तपाव और दोषानियों नहीं होगी। प्रत्येक महान्य को अपनी आनिक उत्तिके अवधरणात हो सकेगे। विषयों भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सक्षम हो सकेगी। उन्हें केवल मन्नानोत्तरनि का माध्यम ही नहीं माना जा सकेगा, और जब सब प्रवार में मबका उदय होगा तो इससे समाज का उदय घूल ही होगा। इस प्रकार समाज की दृष्टि से परिवार-कल्याण अनि महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है।

3. राजनीतिक—परिवार- कल्याण राजनीतिक दृष्टि में भी श्रेयमहङ्कर है। यदि देश में व्याकरणों का आर्थिक म्भाव उत्तेजित हो तो भी श्रेयमहङ्कर है। यदि देश में व्याकरणों का आर्थिक म्भाव उत्तेजित हो तो भी श्रेयमहङ्कर है। यदि देश में व्याकरणों का आर्थिक म्भाव उत्तेजित हो तो भी श्रेयमहङ्कर है। परिवार का छोटा आकार स्वास्थ्य बालक को जन्म देना है और जब स्वास्थ्य मन्नाप होगी तो स्वास्थ्य प्रदाता होगा। इससे बड़े होकर देश के स्वास्थ्य भावी नागरिक बनना सकेगे। इस स्वर्ग में राजनीतिक कुशलता तभी आ सकेगी जब व्याकरणों की प्रकार की चिनाओं में मुख्त होंगे। इसके निष्ठ परिवार का सीमित होना अत्यावश्यक है। जनसंख्या वृद्धि राजनीतिक ग्राहन में बताता है।

4. स्वास्थ्य की समस्याएँ— बालहों की स्वास्थ्य उत्तरनि के निष्ठ माना जा स्वास्थ्य रहा आवश्यक है। न केवल उत्तरि, बल्कि उनका पालन-पोषण भी तभी सही रूप में हो सकता है जब माना स्वास्थ्य होगी। बार-बार के गर्भपालन से एवं दो बच्चों के बीच पर्याप्त अन्तर न रखने से माना का स्वास्थ्य उत्तरि हो जाता है। जन्मी-जन्मी स्त्री को गर्भवती बनने देने का अर्थ भी और बच्चा दोनों के माय अन्याय करता है। महिलाओं में प्राय शून वीं कर्मी, ब्रह्मणी आदि का करण पुन युन प्रवर्तन है।

उत्तरुक वर्नित परिवार-कल्याण के विविध पक्षों के आधार पर यह निष्ठर्व निश्चिन्ता है कि जनसंख्या वृद्धि में अनेक समस्याओं की उत्पत्ति होती है। यह कुरोगन, ग्राह-समस्या, मूल्य वृद्धि, वेगेजगारी, आवाम-मापस्था, अशिक्षा, आर्थिक हास्त, शिक्षा अवृत्ति म्भाव, पारिवारिक विपर्ति एवं निर्यन्त्रण जैसी अनेक समस्याओं की जन्मशारी पारी जा रहती है। अतः जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करना स्वयमवश्यक है।

परिवार-कल्याण के मार्ग में व्याधारे

भारत में परिवार-कल्याण कार्डिनल को ग्राहम द्वारा अनुवादित 40 वर्ष व्याधारे परि योजनाओं द्वारा इस पर पर्याप्त धनराशि व्यवहारी जा सुनी है। अनेक समस्याएँ इस भोग प्रदानात हैं जिन्हें आगामीत सक्षता नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है कि परिवार-कल्याण सम्बन्धी कार्डिनलों को सोंगों द्वारा स्वेच्छा से अनुवाद नहीं जा रहा है। केवल मार्कार्प्रदानों

से कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक जनता का सहयोग उसे प्राप्त न हो। परिवार-कल्याण के कार्य की सफलता में भी अनेक बाधाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(1) धार्मिक बाधाएँ—परिवार-कल्याण के बीच आने वाली सबसे बड़ी बाधा धर्म है। सभी धर्म-सम्बद्ध संतति-निरोध को अपार्थिक कृत्य करकर उसका विरोध करते हैं। सभी धर्मों के मन में विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है और सन्तानोत्पत्ति इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। विभिन्न धर्मों में इसकी व्याख्या अलग-अलग है किन्तु सार एक ही है—उदाहरणार्थ—

1.1 परिवार-कल्याण और हिन्दू धर्म—हिन्दू धर्म में व्यक्ति के जीवन को चार भागों में बांट दिया गया है जिसे आश्रम-व्यवस्था कहा जाता है। ये आश्रम चार हैं—(1) ब्रह्मचर्याश्रम, (2) गृहस्थाश्रम, (3) वानश्रस्थाश्रम, एवं (4) संन्यासाश्रम। प्रत्येक आश्रम की आयु 25 वर्ष मानी गई है—अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम जन्म से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानश्रस्थाश्रम एवं 75 से प्रत्युपर्यन्त संन्यासाश्रम को माना गया है। चारों आश्रमों के द्वारा हिन्दू धर्म में चार पुरुषार्थों की प्राप्ति की जाती है। ये पुरुषार्थ हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ ही शनुव्य जीवन का सार हैं। ब्रह्मचर्याश्रम में 25 वर्ष विताने के पश्चात् व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। जहाँ वह विवाह करके सन्तानोत्पत्ति करता है और पांच ऋणों (देवऋण, पितृऋण, ऋणिकरण, अतिविकरण और नृकरण) से मुक्ति पाता है। पितृकरण व्यक्ति तभी चुका सकता है जब पुत्रोत्पत्ति हो क्योंकि पुत्र ही पिता को मुक्ति दिताता है। हिन्दू धर्म में श्राद्ध, तर्पण आदि का पवित्र कार्य पुत्र द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकती।

इसी से पुत्र प्राप्ति को मरता स्पष्ट होती है। इस मान्यता के आधार पर लोग विवाह व पुत्र जन्म को आवश्यक मानते हैं किन्तु सन्तति-निग्रह को अच्छा माना जाता है, अथवा कम से कम 10 बच्चों तक वीं अनुमति देंदों हासा भी देय है। अतः धार्मिक व्यक्तियों पर इसका प्रभाव रहता है। वेद, उपनिषद् व मनुस्मृति में पुत्र-प्राप्ति को आवश्यक माना गया है।

त्रिवेद में कई स्थानों पर एक ही सन्तानोत्पत्ति को धर्म माना गया है किन्तु पुत्र-जन्म के दिन मोक्ष नहीं है। इस पर सभी वेद, उपनिषद्, स्मृतियाँ आदि एकमत हैं।

भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण यही है कि हिन्दू धार्मिक मान्यतानुसार उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र जन्म अनिवार्य माना गया है। यदि इस मान्यता को अनिवार्य न मानें तो जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किया जा सकता है। हिन्दू धर्म की यह मान्यता सबसे बड़ी बाधा है।

1.2. परिवार कल्याण और मुस्लिम धर्म—हिन्दू धर्म के समान ही मुस्लिम धर्म में भी परिवार कल्याण को मद्दहब के खिलाफ माना गया है। इस्लाम धर्म की यह मान्यता है कि जब खुदा के बन्दे शादी करते हैं, तो वे इस्लाम धर्म में आये पारात हो जाते हैं। इस्लाम धर्म के अनुमार खुदा बन्दे से बहता है कि “विवाह करो तथा दरावृद्धि करो, ताकि अन्य जातियों की अपेक्षा अपनी जाति को तथा मुझे गौरव प्राप्त हो सके।” इस्लाम धर्म के अनुमार सर्वोत्तम मनुष्य वही है जिसकी अधिक से अधिक पत्नियाँ हों। इसी से इस्लाम धर्म में बहु-पत्नी विवाह प्रचलित है।

इस्लाम धर्म की मान्यतानुमार जन्म, विवाह, तलाक, दहेज आदि से सम्बन्धित समस्याएँ, गरीबत तथा किंकड़ा द्वारा मुझाई जाती हैं। यदि कोई शंका उत्पन्न हो जाती है तो मुसलमान व्यक्ति मुस्ता और कारी से पूछकर उसका ममायान कर सेता है। इसी सम्बन्ध में जब मुस्ता से गाय मौगी

कि दो बच्चों के जन्म के मध्य कितना अन्तर होना चाहिए अद्यता क्या गर्भ-निरोपक उपाय अपनाने चाहिये जिससे पैदा होने वाली संतान के बोझ से मी-बाप के स्वास्थ्य पर तथा परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसमें सुझाव दिया गया कि पति-पत्नी पाप्यर विचार करके निर्णय ले सकते हैं। इस रूप में इस्लाम में परिवार-कल्याण मजहब के खिलाफ नहीं माना गया है। यह मान्यता जब तक मुसलमानों में नहीं होगी तब तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लग सकती।

यद्यपि आज उनकी मान्यताओं में घोड़ा परिवर्तन आया है और वे भी परिवार-कल्याण की ओर प्रवृत्त होने लगे हैं फिर भी इस्लाम धर्म की मान्यता परिवार-कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है।

1.3. परिवार कल्याण और रोमन कैथोलिक धर्म—परिवार-कल्याण के विषय में रोमन कैथोलिक धर्म की भी यही मान्यता है कि सतति-निश्चय ईर्वर तथा प्रकृति के निदम के विरुद्ध है, अतः जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, वे भयंकर पाप करते हैं। रोमन कैथोलिक धर्म के अनुषादियों के अनुमार परिवार-कल्याण के साधनों द्वारा परिवार को निरोधित करना जघन्य अपराध है। किन्तु रोमन कैथोलिक धर्म का विशेष परिवार-कल्याण के साथ से नहीं है, साथन से है। इसका अर्थ है कि ये लोग परिवार-कल्याण को नैतिकता, स्वास्थ्य व आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यक समझते हैं, किन्तु इस कार्य के लिए गर्भ-निरोपक साधनों की अपेक्षा 'आत्म-सद्दर्श' को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार रोमन कैथोलिक धर्म भी परिवार-कल्याण को म्वेच्छ्या स्वीकृता नहीं करता। यह एक बड़ी बाधा है।

यद्यपि वर्तमान में इसमें काफी परिवर्तन हो रहे हैं, इससे भविष्य के लिए अच्छी सम्भावनाएँ दिखाई दे रही हैं।

(II) परिवार कल्याण और नैतिक बाधाएँ— नैतिकता की इटि से भी जन-साधारण की मान्यता है कि मतनि-निश्चय करना पाप है, किन्तु बदलते संदर्भ में इन मान्यताओं का छठन हो रहा है। जो कार्य द्वारा भी मान्यता में उचित था, आत्र की मान्यताओं में उमका घटन किया जाता है, जैसे—मन्त्री प्रधा, बद्यपन्ती विवाह आदि उस ममय कभी मान्य रहे होंगे, किन्तु आज इनका विशेष किया जाता है। उसी प्रकार परिवार-कल्याण भी वयोवृद्ध लोगों के मन में अनैतिक कर्म हो सकता है किन्तु समाज की इटि से इसका पानन करना टिक्कर है।

अतः नैतिकता भी परिवार-कल्याण की बड़ी बाधा है। प्राचीनकालीन आत्र भी परिवार-कल्याण का प्रहृति के बारें दे प्रस्तु द्वारा ईश्वर व्याप्ते वाला हस्तांश भास्तु वर्द्धन अनैतिक व्यक्ति कृत्य करने ते है। फिर भी अनेक प्रदाताओं के कारण मान्यताओं में बदलता आ रहा है।

(III) आर्थिक बाधाएँ— अनेक शोधों से यह दर्शाया जाता है कि ध्रुव विष्य वर्ता अद्यता निर्धन व्यक्ति के परिवारों में बच्चों की अपीक्षा होती है और जैसे-जैसे उच्च वर्ग वर्ता अन्य व्यक्ति जारी हो, वही मतनि-निश्चय लितेगा। इस प्रकार गरीब और गरीब होता जाता है। इसका कारण यह है कि विष्य वर्ता दे हाव्यक आप का छोता होता है अतः विष्ये अर्हात् वर्ता होने उन्होंने ही पर्याप्त का जो सम्मुख श्रेष्ठता होता, इस काल से वे मर्त्ति-सिद्धि के लिए बहुत बढ़ती है। यह एक

बड़ी बाधा है। इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे वे परिवार-कल्याण कार्यक्रम को अपनाकर अपना आर्थिक स्तर उन्नत करें तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकें। इसके लिए उन्हे परिवार-कल्याण के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये तथा उनमें परिवार-कल्याण के प्रति सकारात्मक मानसिकता जागृत करनी चाहिए।

(IV) सामाजिक बाधाएँ—परिवार-कल्याण का विरोध सामाजिक परम्पराओं के कारण भी लोगों द्वारा किया जाता है। प्राचीन परम्परा को मानने वालों की यह धारणा है कि जितने अधिक बच्चे होंगे, उनमें ही परिवार की शक्ति व संगठन दृढ़ होगा। एक बच्चे का क्या भविष्य ? इसलिए परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से अधिक बच्चे होने आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और कारण परिवार-कल्याण न अपनाने का है। वह यह है कि लोगों की धारणा है कि इससे समाज में अनैतिकता व चारित्रिक दुराचारण को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जब लोगों को अवैध मन्तानोत्पत्ति का भय ही नहीं रहेगा तो समाज में दुराचारों को बढ़ावा मिलेगा। इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जायेगी।

किन्तु उपर्युक्त दोनों कारण आज निर्धारक प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि परिवार के कल्याण व सुरक्षा का उद्देश्य, जो प्राचीन समय में था, अब राष्ट्र से सम्बन्धित हो गया है। भारतवादिता का दृष्टिकोण भी अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। 'बच्चे भगवान की देन हैं' अनपढ़ लोगों की यह धारणा भी परिवार-कल्याण के प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप समाप्त हो रही है। साथ ही दुराचार के विकसित होने का भय भी अब नहीं रहा है, क्योंकि परिवार-कल्याण ने तो ऐसी अवैध सन्तानों से मुक्ति दिलाई है। दुराचार, पाप, अवैध सन्तान तो हार युग की देन है किन्तु आज परिवार-कल्याण के परिणामस्वरूप इसमें राहत मिलती है।

इस प्रकार यद्यपि सामाजिक बाधाएँ भी परिवार-कल्याण को सफल नहीं होने देती, किन्तु भविष्य में सामाजिक मान्यताओं में बदलाव आयेगा और लोग परिवार-कल्याण की महत्ता को समझेंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ व्यावहारिक बाधाएँ परिवार-कल्याण को अपनाने में हैं, जैसे—

(V) परिवार नियोजन से सम्बन्धित कार्यकर्ता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, अतः वे लोगों को तार्किक ढांग से समझाने में अक्षम रहते हैं।

(VI) कभी-कभी बन्ध्याकरण के पश्चात् भी सन्तानोत्पत्ति हो जाती है, ऐसी स्थिति में दम्पत्ति के सम्बन्धों में दरार पड़ जाती है; अतः लोग इससे बचते हैं।

(VII) कुछ लोगों की यह मान्यता है कि बन्ध्याकरण के बाद वे शारीरिक श्रम करने में अक्षम हो जायेंगे अतः जिन लोगों को शारीरिक श्रम करना आवश्यक है, जैसे—मजदूर व किसान आदि, वे परिवार-कल्याण के साधनों के विरोधी हो गए हैं। अतः उन्हें सही जानकारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।

(VIII) परिवार-कल्याण के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, वे महंगे हैं अतः निर्धन वर्ग को उन्हें छारीदारे में कठिनाई होती है। साथ ही ये गर्भ-निरोपक के साधन सभी स्थानों पर मुआमला से नहीं मिलते। यह भी परिवार कल्याण के मार्ग में जर्मी बाधा है।

(IX) अशिक्षा भी एक प्रबल कारण है। पति-पत्नी दोनों को इन साधनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके प्रभायों से अवगत होना चाहिए, तभी वे इन उपायों को अपना मद्देश गें।

(X) इस कार्यक्रम को जन-जन तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। विज्ञापनों का अभाव य कर्मचारियों की लापावाही भी एक बड़ी वाघा है।

इम प्रकार उपर्युक्त अनेक वाघाओं के उपगत भी आज इस कार्य में प्रगति है। यदि भविष्य में सरकार न समाज दोनों मिलकर प्रयाप करें, दम्पत्तियों को मही जानकारी दें, उत्तमीता का भाव नहीं रहेंगे तो आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस दिन में पूर्ण सफलता प्राप्त हो गईगी और इसमें जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकेगा।

परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियन्त्रण के पार्श्व में आने वाली वाघाओं का निगरान—परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राप्तम् हुए अनेक वर्ष बीत गए। किन्तु इसमें पूर्ण सफलता अभी भी नहीं मिली। क्योंकि परिवार नियोजन से सम्बन्धित वार्षिकताओं की लापावाही, प्रचार-विज्ञापनों का अभाव, परिवार कन्याण साधनों का द्वारा न उतारा व उत्तरदायित्व की भागता के अभाव के परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों में उसके प्रति अधिक रोष है। किन्तु इन वाघाओं का निगरान धोड़े से प्रयासों में क्रिया जा सकती है। इमके निए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं—

(1) विद्या का अधिकाधिक प्रसार किया जाए जिसमें लोग पट-नियुक्त घोन्क्या से परिवार-कन्याण कार्यक्रम को अपनाएं और मन्त्रानोद्यति बम बरे। इसमें जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है।

(2) विवाह की आयु बढ़ाने से भी प्रजननकालीनता की दा को कम किया जा सकता है। यदि लड़कों के लिए यह आयु 24 वर्ष और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष वा दी जाये तो जन्म दर में कमी की जा सकती है।

(3) परिवार नियोजन के कार्यकर्ताओं को पूर्णतया प्रशिक्षित किया जाय और अन्दे कार्यकर्ताओं को पुरान्कृत किया जाए जिसमें वे उन्माही तो सातांश वो गर्भी जानकारी देने उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करे।

(4) मुद्रन कार्यक्रम प्राप्त किया जाय। मुद्रन कार्यक्रम का अर्थ है कि गर्भाशय एवं मात्रामिक स्पर्श से विकलाग व्यक्तियों को मन्त्रानोद्यति से बचित रहा जा। जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। अर्थात् अणक, अन्य बुद्धि, साक्ष, विकृत मन्त्रिक वर्तने एवं गोरी लक्षियों को मन्त्रान-उन्नति करने से रोका जाना चाहिए।

(5) बन्ध्याकाण कार्यक्रम में विभिन्न सतर्कता यन्त्रों चाहिए जिसमें उत्तम उपाय के परचालन व्यक्ति पुन यन्त्रानोद्यति के दोष न बन जाए।

(6) दृष्टि गतकार वे गर्भरक्ष के विद्यों में दैनिक ही, इसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किन्तु इसमें अर्द्धांश यह भी आवश्यक है कि परिवार द्वारा गर्भरक्ष के विद्यों में उपाय करने का दृष्टि जाए। अर्द्धांश यह परिवार में गोरी मन्त्रिक घोन्क्या में गर्भ समाज उतारा जाए। जो दृष्टि

लोगों के हारा स्थिति की गम्भीरता को स्वीकारते हुए इस कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इससे जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

(7) परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए अधिकाधिक संख्या में लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसके लिए जन-संचार माध्यमों, जैसे—टी.वी., रेडियो, समाचार-पत्र-पत्रिकाओं में अधिकाधिक विज्ञापन, नाटक, गीत आदि दिए जाने चाहिये। साथ ही गौवों में घर-घर जाकर महिलाओं को इस रूप में सही जानकारी देनी चाहिये।

(8) कृषि व औद्योगिक उत्पादनों में नवीन वैज्ञानिक यन्त्रों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे ग्रामीणों की इस प्रकार की भावना में कमी आयेगी कि, कृषि में बड़ा परिवार होना आवश्यक है और वे स्वयं ही धीरे-धीरे परिवार को सीमित रखने पर बल देने लगें।

(9) बालक एवं बालिका के बीच के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिये जिससे दम्पति लड़के की उत्पत्ति को अत्यावश्यक भानकर, सन्तान उत्पन्न करते ही न चले जाएं, जब तक शुत्र प्राप्ति न हो।

(10) मातृ एवं कल्याण केन्द्रों की अधिकाधिक संख्या में स्थापना की जाए।

(11) गर्भ-निरोधक दवाओं को कम कीमत पर एवं सुगमता से उपलब्ध कराया जाए।

(12) परिवार नियोजन से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाए।

(13) कानूनी तौर पर भी परिवार को सीमित रखने का प्रयास किया जाए। इसके लिए सरकारी नीकरी में लगे लोगों पर परिवार नियोजन से सम्बन्धित कुछ नियम लागू किए जा सकते हैं।

(14) सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं प्रारम्भ की जायें जिससे वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना व वैकारी जैसी स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इससे व्यक्ति परिवार पर कम आक्रित रहेगा और उस स्थिति में व्यक्तियों की मानसिकता में बदलाव आएगा और जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किया जा सकेगा।

(15) धार्मिक रूढ़ियों, प्रथाओं व मान्यताओं में बदलाव लाया जाए। इस कार्य के लिए साक्षरता अभियान सही उपाय है। इससे ग्रामवासियों की संकीर्ण मानसिकता में बदलाव आयेगा।

इस प्रकार अनेक प्रयासों से परिवार-कल्याण कार्यक्रम को स्विकर बनाया जा सकता है, इसके महत्व को बढ़ाया जा सकता है जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण रखा जा सके।

भारत में परिवार-कल्याण (परिवारनियोजन) कार्यक्रम का मूल्यांकन—सन् 1952 से सरकार द्वारा भारत में परिवार-कल्याण कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर पाठमभ किया गया है। सरकार परिवार-कल्याण के उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। इस कार्यक्रम पर पर्याप्त आर्थिक व्यय किया जा रहा है। भारत की जनसंख्या नीति वा आपार ही परिवार-कल्याण है। अतः इस कार्यक्रम में जनसंख्या को कम करने वाले साधनों पर बल दिया जा रहा है जिससे जन्मदर में कमी हो सके। अतः इसकी सफलता के विषय में

स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत में कल्याण-कार्यक्रम कहाँ तक सफल रहा है? भारत में परिवार-कल्याण कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन निम्नतिहित बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है—

1. लक्ष्य प्राप्ति— परिवार-कल्याण साधनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अनेक योजनाओं में परिवार-कल्याण का जो लक्ष्य रखा गया है, जिसी आर्थिक सहायता दीरी रही गई है, उसके अनुमान में इसमें सफलता भी मिली है। उदाहरण के लिए सन् 1983 तक 15 से 44 वर्ष की 25.9% युवातियां परिवार-कल्याण के किसी साधन को अपनाकर संतानोत्पत्ति से बची थीं। वार्ष 1992 तक 8.08 करोड़ नवजन्मी ऑपरेशन किये जा चुके हैं।

2. जन्मदरमेंगिरावट—सन् 1951-61 अवधि में जन्मदर 41.7 प्रति हजार थी और योजना आयोग के अनुमान 1991 की अवधि तक इसका अनुमानतः 27.0 प्रति हजार होना सम्भावित है। इसमें स्पष्ट होता है कि जन्मदर में नियन्त्रण गिरावट आ रही है। यह परिवार-कल्याण कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है।

3. वृद्धिदर—सन् 1961 से 1971 तक जनसंख्या की अनुमानित वृद्धिदर 2.6% वार्षिक थी और 1971 से 1981 के मध्य 0.02% की वृद्धि इसमें हुई है। इसका अर्थ है कि भारत में परिवार-कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव के कारण जन्मदर में कमी आई है। यह एक आशानित कदम है।

4. जनसंख्या सम्बन्धी अनुमंधन—नूतनीय पंचवर्षीय योजना के उपान्त परिवार-कल्याण-कार्यक्रम के द्वेष में अनुमधान की दिग्गजे कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में 16 राज्यों में जनाकिकी अनुमधान केन्द्र स्थापित है, जिनमें अनुमधान कार्य हो रहा है। प्रबन्ध बीच विज्ञान व प्रबन्ध शास्त्र नियन्त्रण के द्वेष में भी जैव चिकित्सीय अनुमधान का कार्य भारतीय विकित्सा अनुसंधान परिषद व राष्ट्रीय स्वास्थ्य केन्द्र व परिवार-कल्याण केन्द्र संस्थान में किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयोग और व सदूक राष्ट्र परिवार सहायता कोष आदि भारत को अनेक प्रकार सहायता दे रहे हैं। इसमें जनसंख्या की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

5. परिवार नियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न बगों की डिक्की— 1969 में इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल ऑफीसियल के अनुसार निम्नतिहित अंकड़े परिवार-कल्याण नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं— (i) 72% व्यक्ति (नारीय) तीन या इससे कम बच्चों को परम्परा करते हैं, 66% प्राप्तिन तीन या इससे अधिक बच्चों को परसंद करते हैं। (ii) 85% विश्वविद्यालय डिग्री वाले व्यक्ति, 79% हायर सेकंडरी पास दर्ता तथा 70% प्रायोनिक स्तर तक विद्यित व्यक्ति तीन या उससे कम बच्चों को परम्परा करते हैं। (iii) 21 से 35 वर्ष की उम्र के 72% व्यक्ति हाया 36 से 59 वर्ष के 65% व्यक्ति तीन या कम बच्चों को परम्परा करते हैं।

इसके बाद भी अनेक शोरों हो रही है जिनके परिणाम अभी प्रकाश में नहीं आए बिन्दु अनुमानत अब सभी नारीय जन दो बच्चे या एक बच्चा ही परम्परा करते हैं। यह भी परिवार-कल्याण कार्यक्रम की सफलता ही कही जा सकती है। अब तोगों की विवाहापाराओं में कारी बदलाव आया है।

6. प्रचार-प्रसार का प्रभाव— परिवार कल्याण के अत्यधिक प्रचार-प्रसार के परिणामस्वरूप भी स्थानों में परिवार को नियोजित करने के प्रति दृष्टिकोण बना है— इसके बातावरण को सृष्टि परिवार-कल्याण की सबसे बड़ी सफलता है।

7. गर्भपात को मान्यता— परिवार-कल्याण को लोकप्रिय बनाने के दृष्टिकोण से सरकार ने गर्भपात के नियमों में शिथितता दी है। इसे वैधानिक मान्यता प्रदान करने से जनसामान्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

8. सुदृढ़ संगठनात्मक ढाँचा — परिवार-कल्याण का ढाँचा अब सुदृढ़ हो चुका है। अनेक विभागों की स्थापना की जा चुकी है जहाँ परिवार कल्याण से सम्बन्धित व स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं। यह सब परिवार-कल्याण कार्यक्रम की सफलता का घोतक है।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय

भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों में परिवार नियोजन महत्वपूर्ण साधन है। परिवार को नियोजित करने का अर्थ है जनसंख्या को कम करना, अथवा परिवार को सीमित करना। अर्थात् परिवार नियोजन से आशय दो बच्चों के जन्म के मध्य उपयुक्त अंतर रखने से तथा कम संतान रखने से है।

1. शिक्षा का प्रसार— भारत में शिक्षा का स्तर अति निम्न है, और ग्रामों में इसका प्रतिशत बहुत कम है। इसी कारण अशिक्षित परिवार में अधिक बच्चे उत्पन्न होते हैं। अतः यदि सभी को साक्षर बनाने का प्रयास किया जाये, तो इससे शिक्षित व्यक्ति परिवार नियोजन की वास्तविकता को समझेंगे और कम सन्तानोत्पत्ति करेंगे,

2. विवाह की आयु में वृद्धि— जनसंख्या कम करने के लिए विवाह की आयु में वृद्धि की जानी अत्यावश्यक है। इससे प्रजननशीलता की दर कम होगी। यदि लड़कियों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष एवं लड़कों के लिए विवाह की आयु 24 कर दी जाए तो जन्मदार में अवश्य कमी आयेगी।

3. गर्भपात के नियमों में उदारता— गर्भपात को वैधानिक मान्यता देने के साथ-साथ इसके नियमों में और अधिक शिथिलता लाने की आवश्यकता है, जैसे— वर्तमान समय में कोई स्त्री कानून तभी गर्भपात करा सकती है, जब— (1) गर्भ धारण करना माँ व शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो, (2) जब सन्तान के अपांग होने की सम्भावना हो, तथा (3) जब लड़की के साथ जबर्दस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित किया गया हो।

4. स्त्रियों की स्थिति में सुपार— सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि परिवार के बयोवृद्ध व सभी को अपनी मानसिकता में परिवर्तन हाना होगा, जैसे— ‘पुत्र के बिना मोक्ष नहीं’ जैसी पारणाएँ री को विवरण करती हैं। री स्वयं भी इसके लिए उत्तदायी है अतः इन मान्यताओं में नदलाव लाने की आवश्यकता है। इससे री की स्थिति में सुपार होगा।

5. मनोरंजन-यनोरंजनों का अभाव भी व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। इससे वे यौन सम्बन्धी आकर्षण को ही महत्ता प्रदान करने लगते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे मनोरंजन

के साधन जो सस्ते हों, जनसाधारण की गहुँच के पोरे न हो— सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायें जिससे व्यक्ति बाह्य दुनियाँ में रवि लेना प्रारम्भ करे।

6. प्रेरणा कार्यक्रम— परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसका प्रचार-प्रसार, बातचीत, भाषण, समाचार-पत्र, विज्ञापन आदि द्वारा अनौपचारिक एवं औपचारिक हृषि से अधिकाधिक कराया जाए, जिससे लोगों के मनोमतिक में परिवार नियोजन के प्रति सकारात्मक हृषिकोण उत्पन्न हो।

7. ग्रेटमाहन कार्यक्रम— भारत में भी अन्य देशों के समान परिवार नियोजन को अपनाने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं जिससे जनसंख्या पर नियन्त्रण हो सकेगा। यदि सकारी व गैर-सकारी नौकरियों में एक या दो बच्चों का आदर्श स्थापित करने वालों को अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाएं तो इस समस्या पर नियन्त्रण समय रहते रहा जा सकता है।

8. धौन शिक्षा— परिवार नियोजन का कदा अर्थ है, यह किसके लिए है, इसका क्या परिणाम राष्ट्र के स्तर पर होगा आदि के सम्बन्ध में विष्टार से जनकारी देने के लिए स्कूल, कॉलेजों में धौन-शिक्षा एक विषय के रूप में लागू की जा रही है। इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर चलाए जाने चाहिये जिससे बालकों को वे सही रूप में सम्बन्धित तथ्यों से अवगत करा सके।

9. परिवार नियोजन के माध्यम— परिवार को नियंत्रित करने के लिए नियन्त्रित उपायों में और तीव्रता लाई जानी चाहिए—

(i) गर्भ-निरोपक साधनों को उपलब्ध कराना—ग्रामीण समुदाय व निर्धन वर्ग में गर्भ-निरोपक साधनों को निःशुल्क व पर्याप्त मात्रा में वितरीत किया जाना चाहिये।

(ii) बन्धाकाण के द्वाद सुरक्षा— प्राय बन्धाकाण करने के पावात लोगों में कुछ न कुछ जटिलताएँ हो जाती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य व मानसिक पर बुरा असर पड़ता है। अत बन्धाकाण के उपरान्त व्यक्तियों की उचित देखभाल की जानी चाहिये जिससे वे न केवल स्वास्थ्य ही हृषि से, अग्रिम मानसिक हृषि से भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करे।

(iii) मतति नियंत्रण साधनों के विषय में अनुमधान— मतति नियंत्रण साधनों के विषय में पर्याप्त गांधी की आवश्यकता है। कौनसा माध्यम सर्वाधिक सालता से प्रयुक्त हो सकता है तथा उसके कोई गंभीर प्रभाव नहीं होंगे ऐसे साधनों की और ऊँचाई की जानी चाहिये। परिवार नियोजन के तरींग मात्र व साले छोंगे चाहिये।

(iv) अधिक केन्द्री की स्थापना— परिवार-बन्धाकाण से सम्बन्धित केन्द्र अधिकाधिक साधा में दोनों जाएं जरूर इसमें प्रशिक्षित व्यक्ति रहे जाएं और आवश्यक चिकित्सा व देशभान की अधिकाधिक श्रेष्ठत्वा व्यवस्था की जाए। अधिकाधी वर्ग लोगों में आनंदीदाना का व्यवाह करें।

(v) गोपनीयता— परिवार नियोजन से सम्बन्धित सभी तथ्य गुप्त होने चाहिए क्योंकि वह विषय व्यक्ति के निजी जीवन से सम्बन्धित है इससे परिवार नियोजन की लोकप्रियता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रश्न

1. भारत में अनियन्त्रित जनसंख्या युद्ध या जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए।
2. 'भारत में परिवार-कल्याण' पर एक निवन्ध लिखिए।
3. भारत की जनसंख्यात्मक संचरण का वर्णन कीजिए।
4. जनसंख्या सम्बन्धी माल्यसंकेत के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
5. परिवार-कल्याण के मार्ग में आने वाली चाहाओं का उल्लेख कीजिए। इसके निराकरण के उपाय बताइये।
6. भारत में परिवार-कल्याण कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए।
7. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर प्रकाश ढालिये।
8. जनसंख्या युद्ध को रोकने के उपायों पर प्रकाश ढालिये।
9. भारत में जनसंख्या -विस्फोट के प्रमुख कारण क्या हैं ? (दो पृष्ठों में)

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, 1994)

यस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नांकित के उत्तर दीजिये—

- (अ) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या है ?
- (ब) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में साधारणता की दर क्या है ?
- (स) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या-पनत्ता क्या है ?
- (द) 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है ?
- (च) भारत का सबसे बड़ा शहर कौनसा है ?
- (छ) 1991 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है ?

(मा.शि.बोर्ड, अजमेर, 1994)

[उत्तर :- (अ) 84.39 करोड़, (ब) 52.21, (स) 267, (द) 74.3%, (च) बम्बई, (छ) 929 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष]

2. निम्नांकित यात्राओं में राज्य स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(मा.शि.बो.अजमेर, 1994)

- (क) चाणक्य ने नामक पुस्तक लिखी।
- (घ) माल्यसंकेत के अनुसार जनसंख्या का युद्ध-क्रम है।

लघु- उत्तरीय प्रश्न

1. माल्यस का जनसंख्या का सिद्धान्त क्या है ?
2. जनसंख्या का इष्टतम या आदर्श सिद्धान्त क्या है ?
3. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
4. नवशास्त्रीय सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

□□□

अध्याय - 12

भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एवं दिशा (Nature and Direction of Social Change in India)

परिवर्तन प्रकृति का आवश्यक नियम है। इस ससार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। मानव समाज भी परिवर्तनशील है। आज तक कोई समाज ऐसा नहीं है जहाँ परिवर्तन न हुए हों। परिवर्तन किसे कहते हैं? इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं? परिवर्तन क्यों होता है? अदि अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर खोजने का प्रयास विद्वान् कर रहे हैं।

परिवर्तन का अर्थ किसी क्रिया या वस्तु की पूर्व की स्थिति में बदलाव आना है। समाजगती किंचर ने परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है कि, “परिवर्तन पहले वीं अवस्था या अमिलत के प्रकार में अन्तर को कहते हैं।” परिवर्तन का सम्बन्ध वस्तु, समय एवं प्रित्ता में है।

(1) वस्तु से तात्पर्य यह है कि परिवर्तन किम विषय अद्यता वस्तु में आ रहा है, क्योंकि यिन वस्तु को बताए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता।

(2) परिवर्तन के लिए समय का अन्तराल होना आवश्यक है। एक ही समय में परिवर्तन को स्पष्ट करी किया जा सकता, जैसे—गिरावट-पद्धति में बदलाव का अध्ययन करना है तो वैदिक-काल की शिक्षा वीं तुलना आधुनिक काल की शिक्षा से करके—गिरावट में हुए परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं।

(3) प्रित्ता का अर्थ है विभिन्न समयों में वस्तु या विषय में प्रित्ता का विनाश, क्षोण-दर्द वस्तु के स्थ में किसी प्रकार का अन्तर न आए तो परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन तो वस्तु के रूप, रण, आकार, सरचना आदि से दूरी स्थ से प्रित्ता आ जाने पर माना जाता है। अत परिवर्तन को सम्बन्ध प्रित्ता से भी होता है।

परिवर्तन क्यों होता है? इसके उत्तर में ग्रीन का मानना है कि प्रब्लेम गताव अमनुन्नत के दौर में गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति सम्पूर्ण सन्तुलन की इच्छा प्राप्ति है तथा कुछ इसके निए प्रयास करते हैं।

विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को नियन्त्रितिहित स्थ में परिभासित किया है—

1. मैकाइवर एवं ऐड के अनुगार, “समाजगती होने के नाम तथारी शब्द ताकातिक सम्बन्धों में है। केवल इन सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।”

2. किंसले डेविस के मत में, "सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात् समाज के ढाँचे और प्रकार्यों में घटित होते हैं।" इस प्रकार डेविस ने सामाजिक परिवर्तन को पूर्ण संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखा है अर्थात् उनके मत में सामाजिक परिवर्तन तभी माना जाता है जब समाज की विभिन्न इकाइयों, जैसे—संस्थाओं, समुदायों, समितियों, समूहों आदि में परिवर्तन होता है तथा साथ ही इन परिवर्तनों से इनके प्रकार्यों में भी परिवर्तन आता है।

3. जेन्सन के मत में, "सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपान्तरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

4. जॉन्सन के मतानुसार, "अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन है।"

5. बोटोपोर के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो सामाजिक सरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक सम्बन्धों में घटित होते हैं।"

6. गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई वित्तियों में परिवर्तन को कहते हैं। वाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक सापनों, जनसंस्थायों की त्वचना या विचाराधारा के परिवर्तन से अथवा समूह के अन्दर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों।"

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि—

(1) सामाजिक परिवर्तन समाज की सरचना एवं उसके प्रकार्यों में परिवर्तन को बताते हैं।

(2) सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति विशेष अथवा कुछ ही व्यक्तियों में आए परिवर्तन से नहीं माना जाता, बल्कि समाज के अधिकांश अथवा सभी व्यक्तियों द्वारा उसे जीवन-विधि व विश्वासों में स्वीकार किए जाने पर माना जाता है।

(3) सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है अर्थात् प्रत्येक काल में परिवर्तन होता रहता है।

(4) सामाजिक परिवर्तन मानव के सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन से सम्बन्धित है।

सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ

प्रिभिन्न दिल्लियों ने सामाजिक परिवर्तनों की अनेक विशेषताएँ चलाई हैं जो इसकी अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करती है। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. सामाजिक प्रकृति—सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है न कि व्यक्तिगत स्तर पर ए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। अर्थात् जब सम्पूर्ण समाज की इकाइयों, जैसे—जाति, समूह, समुदाय आदि के स्तर पर परिवर्तन आता है तभी उसे सामाजिक परिवर्तन की सज्जा दी जाती है। फिसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते।

2. सार्वभौमिक प्रथना— सामाजिक परिवर्तन सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं जहाँ परिवर्तन न हुआ हो। यद्यपि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की गति एवं स्वरूप भिन्न हो सकता है।

3. स्वाभाविक एवं अवश्यम्भावी— परिवर्तन चूंकि प्रकृति का शाश्वत सत्य है, आवश्यक रूप से होता है अत यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया कहा जा सकता है। समाज भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता रहता है। प्राय. मानव स्वभाव परिवर्तन का विरोधी होता है लेकिन किर भी परिवर्तन तो होता ही है क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएँ, इच्छाएँ, परिस्थितियाँ स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन समय में मकानों की बनावट भिन्न प्रकार की होती थी लेकिन आधुनिक समय में जबकि सब काम के लिए मशीनों पर निर्भर होना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से ही मकानों के ढाँचे में बदलाव आ गया, जिसका आज्ञा अवश्यम्भावी था, अर्थात् मानव अपनी बदलती परिस्थिति से समाझोजन करने के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है। यह एक स्वाभाविक प्रथना है।

4. तुलनात्मक एवं असमान गति— सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है किन्तु सभी समाजों में इसकी गति अलग-अलग होती है। सामाजिक परिवर्तन देश, काल, परिस्थितियों से भी परिष्ठित्या सम्बन्धित है अर्थात् हर देश की परिस्थितियाँ असमान होती हैं अत हर देश में सामाजिक परिवर्तन भी असमान गति से होता है जिसे तुलनात्मक रूप से ही जाना जा सकता है। अदिप समाजों की तुलना में शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शहरी क्षेत्र में तकनीकी विकास आदिप क्षेत्र की तुलना में तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ हम दोनों समाजों में हुए सामाजिक परिवर्तन की तुलना करके ही उनकी असमान गति का अनुमान लगा पा रहे हैं।

5. जटिल प्रथना— दो समाजों में हुए परिवर्तनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है किन्तु कितना या किस तरह का? इसकी माप-तोल सम्भव नहीं होती। उदाहरण के लिए आज के विचार, भूत्य, परम्पराएँ, रीतिहाव प्राचीन समय से भिन्नता लिए हुए हैं लेकिन कितना अन्तर है इसको मापा नहीं जा सकता क्योंकि परिवर्तन गुणात्मक रूप में होता है अत सामाजिक परिवर्तन की विशेषता ये है कि यह एक जटिल तथ्य है, सरलता से इसका रूप नहीं समझा जा सकता।

6. भविष्यवाणी सम्भव नहीं— परिवर्तन होता तो अवश्य है लेकिन वह किस दिशा में होगा? किस रूप में होगा? किस स्थान पर होगा? आदि स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए तस्नीकी विज्ञान का प्रभाव समूर्ण देश पर पड़ा है। इन-स्टेन, थोरन-ब्वाय्स, आवागमन, पौलिक सुख- सुविधा आदि अनेक क्षेत्र इससे प्रभावित हैं लेकिन व्यक्तियों के विचार, विराम, दून्य किन सीमा तक इससे प्रभावित हैं और होंगे इसकी भविष्यवाणी क्या कठिन है।

सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया के रूप में

विज्ञान में 'परिवर्तन' एक तटस्थ शब्द है। अर्थात् परिवर्तन अच्छा-बुरा, तिकाम-हाम, दिशा, निरन्तरता या किसी सिद्धान्त को व्यक्त नहीं करता है। परिवर्तन में तो समय के आधार पर वेगत अन्तर देखा जाता है। चब परिवर्तन में निरन्तरता का गुण सम्भव हो जाता है तो उसे प्राइव्या कहते हैं। मैराइव ने प्राइव्या की परिभासा देने हुए लिखा है, "प्राइव्या का अर्थ वर्तनाम शर्कियों की क्रियाकालिता हाए एक निश्चित रूप में निरन्तर परिवर्तन से है।" निरन्तर सामाजिक दौरानी ही

सामाजिक उद्विकास और सामाजिक संरचना

सामाजिक उद्विकास द्वारा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या हर्ट्ट ड्यूनर, टायलर भोगन आदि ने की है। स्पेन्सर ने कहा कि जिस प्रकार से जीवों का विकास सरलता से जटिलता, न्यून विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण तथा न्यूनतम निषुणता से अधिकतम निषुणता की ओर होता है उसी प्रकार से समाज, राज्य, धर्म आदि का विकास भी सरलता, न्यून विभेदीकरण तथा न्यून निषुणता से जटिलता, अधिकतम विभेदीकरण तथा अधिकतम निषुणता की ओर होता है। प्रारम्भ में समाज छोटे, सरल, सादा, सीधे, न्यून श्रम विभाजन बाले थे। धीरे-धीरे उनका आकार बड़ा हुआ, श्रम का विभाजन बड़ा, विशेषीकरण आया, परस्पर निर्भरता बढ़ी, सहयोग करना आवश्यक हो गया तथा समाज, संस्कृतियाँ तथा इनके विभिन्न अंग एवं संस्थाएँ सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित हो गई। आदिम सरल समाज जटिल महानगर में परिवर्तित हुए। इसी प्रकार जंगली अवस्था से सभ्य अवस्था, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार, कामाचार से एक-विवाह, बाल-कर्ता से प्रतीकात्मक कला, घु-देवतावाद से एक-देवतावाद, आदि क्षेत्रों में उद्विकास परिवर्तन देखे गए। उद्विकास के सिद्धान्त द्वारा विद्वानों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन की व्याख्या की है। विद्वानों के अनुसार सामाजिक उद्विकास एकरेखीय न होकर बहुरेखीय है तथा सामाजिक परिवर्तन पुनः लौट भी सकता है। जीव जगत में उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है परन्तु सामाजिक परिवर्तन में चरणों की पुनरावृत्ति हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन में बाह्य कारक भी परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक उद्विकास के द्वारा विद्वानों ने अनेक समाजों के परिवर्तन के रूपों तथा दिशा की निश्चित विधि से व्याख्या की है। उद्विकास की दृष्टि से भारतीय समाज एवं सांस्कृति तथा इसके विभिन्न प्रकरणों तथा संस्थाओं (जाति, परिवार, धर्म, विवाह, सम्प्रता आदि) के परिवर्तन की मुनिश्चित तथा क्रमबद्ध व्याख्या एवं मूल्याकान किया गया है। विद्वानों ने उद्विकास की दृष्टि से भारतीय समाज तथा सांस्कृति के परिवर्तन को—(1) पूर्व मुग्ल काल, (2) मुग्ल काल, (3) ब्रितानिया काल, और (4) उत्तर-स्वातन्त्र्य काल में विभाजित करके अध्ययन किया है। सामाजिक उद्विकास के सिद्धान्त ने समाज एवं सांस्कृति के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान की है। सर्वप्रथम इसी सिद्धान्त ने समाज तथा सांस्कृति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया।

(2) क्रान्ति

क्रान्ति सामाजिक परिवर्तन का ऐसा चरण स्वरूप है जिसका उद्देश्य सत्तापारियों को झटका देना होता है या उनको सत्ता से हटाना होता है अथवा उनको जान से मार डालना होता है। क्रान्ति द्वारा विद्यमान सामाजिक व्यवस्था तथा सत्ता को उद्धाइकर केक दिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के अन्य प्रकारों की तुलना में क्रान्ति धीमी नहीं होती है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसके द्वारा सामाजिक स्वरूप, सांस्कृति, सामाजिक व्यवस्था आदि बदलते हैं। यद्यपि इस से देखें तो क्रान्ति विद्रोह, गदर, वलया, बगावत, सेन्य-द्रोह आदि नहीं होती है। क्रान्ति को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक है।

क्रान्ति का अर्थ एवं परिभाषा—

(1) हॉट्टन और हॉट के अनुसार, "क्रान्तिकारी आन्दोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को उगाइ कर उसके स्थान पर एक विलुप्त भिन्न व्यवस्था लाना चाहता है।"

(2) किस्माल संग के अनुसार, "क्रान्ति एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो साधारणत वर्तप्राप्त राजनीतिक व्यवस्था को बलमूर्ख उलट देने से पहिल होता है और विसके फलस्वरूप सामाजिक और कानूनी नियंत्रण के नए स्वरूपों की स्थापना होती है।"

(3) बोगार्डस के अनुसार, "सामाजिक क्रान्ति असद्भागना तथा रक्षात की कीमत पर शक्तिशाली विश्ववैद्य पैदा करके अच्छे व बुरे दोनो प्रकार के मूल्यों को उताइ केरकी है और विनृत सामाजिक पुर्णार्थन की प्रांग करती है।"

(4) वर्धीय लिहाते हैं, "मेरे अनुसार मूल कसौटी यह है कि क्रान्ति सदैव विद्यमन सामाजिक व्यवस्था और वर्तमान सत्ता संत्वना को उताइ केरकी है.... ."

उपर्युक्त परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि "क्रान्ति समाज में आकस्मिक परिवर्तन करती है। इसमें बल का प्रयोग होता है। सामाजिक तथा कानून के नए स्वरूपों को स्थापित करती है। अच्छे-बुरे सभी मूल्यों को उताइ केरकी है। इसमें रक्षात हारा भी परिवर्तन हो सकता है।"

सामाजिक क्रान्ति की विशेषताएँ—सामाजिक क्रान्ति को समझने के लिए इसकी विशेषताओं का झन आवश्यक है, जो निम्नलिखित है—

(1) नव-सामाजिक व्यवस्था की स्थापना—क्रान्ति की सुरानी सामाजिक और राजनीतिक व्याप्त्या तथा सत्ता को उताइ कर केंक देते हैं तथा नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं।

(2) आमूल-चूल परिवर्तन—क्रान्ति के द्वारा समाज के विभिन्न पक्षों उप-व्यक्तियाओं तथा सत्त्वना में आमूल-चूल परिवर्तन आता है।

(3) नेतृत्व में परिवर्तन—क्रान्ति का प्रमुख उद्देश्य नेतृत्व में परिवर्तन होता है। पुराने नेताओं तथा सुधियाओं को हटा कर नए नेता प्रमुख पक्ष पर आसीन होते हैं।

(4) सामाजिक अमंतोष—क्रान्ति का प्रमुख कारण सामाजिक असन्तोष है। यह समाज में अमंतोष बहुत बढ़ जाता है तथा उसे दूर करने के प्रयास नहीं हिए जाते हैं तो समाज में क्रान्ति आती है।

(5) व्यावक क्षेत्र—जब समाज में क्रान्ति होती है तो जागद ही कोई क्षेत्र परिवर्तन में अद्भुत रा पाना है। क्रान्ति के द्वारा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामूहिक, जैविक आदि इन्हीं भी क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन नेत्री से होते हैं।

(6) तीव्र गति—क्रान्ति की सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है। यह सामाजिक परिवर्तन के अन्य सभी प्रकारों से तीव्र परिवर्तन का प्रत्याग है।

(7) मामूर्ति क्रिया—जब समाज में क्रान्ति होती है तो उसमें अनेक जाग भल लेते हैं। सामूर्ति क्रिया में प्रशासन करने पर ही क्रान्ति सम्भव होती है। व्यक्ति क्रिया क्रान्ति नहीं कर सकता है।

(8) ताप-हापि दोसां—क्रान्ति के द्वारा पुगने समाजपर्वानों को हापि उठानी पड़ती है तथा क्रान्ति के महसून हो जाने पर क्रान्तिपर्वानों को अपेक्षा ताप (पर्वा में दह) मिलते हैं।

(9) हिंसात्मक/अहिंसात्मक— सामान्यतया क्रान्ति हिंसात्मक होती है परन्तु यह आवश्यक नहीं है। कई बार क्रान्ति अहिंसात्मक भी होती है, जैसे— गांधी जी ने भारत की अहिंसात्मक क्रान्ति द्वारा स्वतंत्रता दिलाई थी।

(10) सचेत एवं जागरूक प्रयास— सचेत एवं जागरूक प्रयास क्रान्ति करने के लिए आवश्यक होते हैं। क्रान्ति अपने-आए कभी नहीं होती है।

भारत में सामाजिक क्रान्ति

भारत में सामाजिक क्रान्ति हुई है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में दो पत हैं। एक मत को मानने वाले विद्वान् क्रान्ति में हिंसा को एक आवश्यक तल्ल मानते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन अहिंसात्मक तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से हुए हैं। परिवर्तन की गति भी धीमी रही है। जो विद्वान् सामाजिक क्रान्ति में हिंसा, तीव्र गति, आमूलवत्त परिवर्तन शान्त हैं उनके अनुसार भारत में सामाजिक क्रान्तियाँ हुई हैं। औग्यर्थ तथा निमिकौफ के अनुसार “संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रकार के तीव्र परिवर्तन को क्रान्ति कहते हैं।” इस परिभाषा के अनुसार तो भारतीय संस्कृति में क्रान्तिकारी परिवर्तन अनेक बार हुए हैं। ड्रिष्टन जा कथन है, “वर्तमान सामाजिक संरचना के प्रति शरणाओं और मूल्यों में आमूल-चूल परिवर्तन को क्रान्ति कहते हैं।” इन सामाजिकशासियों की परिभाषाओं और क्रान्ति की विशेषताओं के आधार पर भारत में सामाजिक परिवर्तनों का सिंहालोकन करें तो पाएं कि भारत में क्रान्तियाँ हुई हैं। अहिंसक क्रान्तियों में औद्योगिक क्रान्ति, जनांकिकीय क्रान्ति, विद्युदगुणीय क्रान्ति, कम्प्यूटर क्रान्तियों का उल्लेख किया जाता है। 1868 में जापान में मेजी शासन की पुनर्स्थापना, 1948 में चेकोस्लोवाकिया की क्रान्ति, और वर्तमान में चीन में संस्कृतिक क्रान्ति आदि ऐसी क्रान्तियाँ हैं जिनमें बहुत कम खून बहा था।

महात्मा गांधी ने अहिंसक सामाजिक क्रान्ति का सचालन करके ब्रितानिया सरकार से भारत को स्वतंत्र किया। गांधी ने, सविनय, असहयोग, अवजा-आन्दोलन और ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ तथा आमरण अनशन आदि उपायों से अंग्रेजी राजनैतिक व्यवस्था को उत्थाइ फेंका था। उन्हें समकालीन लोगों का जन-समर्थन प्राप्त था। लोकिन गांधी जी भारत की सामाजिक व्यवस्था में दूर्ज्ञानिकारी परिवर्तन नहीं ला पाए। राजा, महाराजा, जमींदारी, जागीरदारी, बड़े व्यापारीयों और उद्योगपतियों पर तुरन्त और प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ा। राजाओं को 1969 तक शाही भत्ता दिया गया। उनको नए कानून के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति और भूमि रखने की भी छूट दी गई थी। उनकी जमीन, जायदाद और जमींदारों के उम्मूलन के बदले पै मुआवजा भी दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे तथा जय प्रकाश नारायण ने भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए गांधीवाद का अनुकरण किया था। विनोबा जी ने भू-दान और ग्रामदान के द्वारा भूमि प्राप्त बत्के उसे गांधीवाद में बौद्धी था। जय प्रकाशजी ने 1980 के दशक में ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ का विदार दिया।

भारत में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रान्ति द्वारा आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। राजनैतिक संरचना में सबसे अधिक परिवर्तन आए हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में नया संविधान द्वारा राजनैतिक अधिकारों, पदों, विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए। सभी को मतदान का अधिकार दिया गया। धर्म, जाति, जन्म, रंग, ठिंग भेद, प्रब्रह्मति आदि असमानताओं को समाप्त किया गया। इसके द्वारा मानव गरिमा की भावना और समाज के दलित वर्गों, जातियों-जनजातियों, में जागृति पैदा हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहिले की

हुलना में आज भारत में नागरिक अधिक म्बतंत्रता, सुखा, समानता, भ्रान्तिता, आदि का अनुभव कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में भनोवैज्ञानिक क्रान्तिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। स्थियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, कारतकारों आदि में क्रान्तिकारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

जाति-व्यवस्था के प्रतिवन्धों में परिवर्तन आया है। प्रदत्त प्रस्त्रियों से अर्जित प्रस्त्रियों की ओर परिवर्तन एक क्रान्तिकारी कदम है। अनेक अधिनियम, विवाह, देव-प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, स्थियों का सम्बति पर अधिकार अधिनियम, आदि समय-समय पर पारित करके सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाता रहा है। नागरियकरण, औद्योगिकीकरण, पंचवर्षीय योजनाएँ, यातायात एवं सचार के साधनों द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, हरित क्रान्ति आदि भी भारत में क्रान्तिकारी परिवर्तन के उदाहरण हैं।

(3) प्रगति

प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें निर्सित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाते हैं। प्रगति ऐसा सामाजिक परिवर्तन है जिसमें मूल्य निर्धारित करके अच्छाई के लिए परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन के द्वारा सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है तथा लाभ अधिक होता है एवं हानि कम। प्रगति का अर्थ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और समाजों में भिन्न-भिन्न मिलता है। एक ही समाज के विभिन्न युगों में भी इसका अर्थ अलग-अलग मिलता है। विद्वानों में भी प्रगति के अर्थ के सम्बन्ध में एक मत नहीं मिलता है। प्राचीन काल से प्रगति से तात्पर्य आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति था। आज आधुनिक युग में भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति एवं वृद्धि प्रगति कहलाती है। प्रगति मूल्य सांख्य अवधारणा है। अब हम प्रगति की अवधारणा, विशेषताएँ, मापदण्ड आदि पढ़ो का अध्ययन करेंगे।

प्रगति का अर्थ एवं परिभाषा—एन.एफ. वार्ड, ऑगवर्न एवं निमकोंक, हार्सेन हार्ट तथा हॉब-हाउस ने प्रगति की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं—

(1) वार्ड के अनुसार, “प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है।”

(2) ऑगवर्न तथा निमकोंक के अनुसार, “प्रगति का अर्थ होता है—अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य-निर्धारण होता है।”

(3) हार्ट के अनुसार, “सामाजिक प्रगति सामाजिक दौने में वे परिवर्तन हैं जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करें, प्रेरणा और सुविधा प्रदान करें तथा उसे सामर्त्य करें।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रगति अच्छाई के लिए किया गया सामाजिक परिवर्तन है जो समाज में सुख में वृद्धि करती है, यह मूल्यों पर आधारित सामाजिक दौने में परिवर्तन करता है तथा समाज को संगठित रखता है। प्रगति समाज के मूल्यों, शक्तियों, तार्किकता, तकनीकी उत्तरिता आदि पर आधारित योजनाबद्ध परिवर्तन होता है।

प्रगति की विशेषताएँ—प्रगति की विशेषताओं का अध्ययन करने में इसका अर्थ और मृट हो जाएगा। इसकी विशेषताएँ अग्रलिखित हैं—

1. निश्चित लक्ष्य- प्रगति एक ऐसा विशिष्ट परिवर्तन है जिसका निश्चित लक्ष्य होता है। भिन्न-भिन्न समाजों के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते हैं। विशिष्ट समाज अपनी आवश्यकतानुसार लक्ष्य एवं दिशा तय करके परिवर्तन की योजना बनाते हैं तथा समाज की प्रगति करते हैं।

2. मूल्य सापेक्ष परिवर्तन- प्रगति मूल्यों पर आधारित एवं निर्धारित सामाजिक परिवर्तन है। समाज अपनी परम्पराओं तथा आदर्शों के आधार पर परिवर्तन के लक्ष्य एवं दिशा निश्चित करते हैं। ऐसे मूल्यों से सम्बन्धित तथा आधारित परिवर्तन प्रगति कहलाते हैं।

3. समाज से सम्बन्धित परिवर्तन- समाज से सम्बन्धित परिवर्तन ही प्रगति हो सकते हैं। क्योंकि प्रगति मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों आदि से सम्बन्धित परिवर्तन है जो केवल मानव समाज में ही सम्भव है। अन्य प्रणियों में प्रगति का होना सम्भव नहीं है। पशु योजना नहीं बना सकते हैं मानव समाज योजनावद् परिवर्तन करके प्रगति करता है।

4. नियोजित एवं सचेत परिवर्तन- प्रगति अन्य प्रकार के परिवर्तनों से इस अर्थ में भी भिन्न है कि इसमें मानव समूह मिल कर सचेत रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना नियोजित करके परिवर्तन करते हैं।

5. तुलनात्मक अवधारणा- प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक तुलनात्मक अवधारणा है। यह समाज एवं समय सापेक्ष है। भिन्न-भिन्न समाजों के मूल्य, आदर्श, परम्परा एवं आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। क्योंकि प्रगति मूल्य सापेक्ष है इसलिए अलग-अलग समाजों की प्रगति के लक्ष्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं। प्रगति के लक्ष्य एक ही समाज के अलग-अलग कालों में भी बदलते रहते हैं। एक समाज में जो प्राचीन काल में प्रगति कहलाती थी आज पछड़ापन हो सकती है। उदाहरण के रूप में आध्यात्मिक लक्ष्य प्राचीन काल में प्रगति थे आज भौतिकवाद की ओर परिवर्तन प्रगति है। प्रगति समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। भारत में जनसंख्या एक समस्या है परन्तु पश्चिम के कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि प्रगति मानी जाती है। प्रगति की अवधारणा परिवर्तनशील है।

6. प्रगति लाभकारी परिवर्तन अधिक एवं हानिकारक कम है। प्रगति समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियोजित की जाती है, इसलिए इसमें लाभ की सम्भावना अधिक रहती है।

सामाजिक प्रगति की कसौटियाँ- विद्वानों ने प्रगति को नापने के लिए कुछ मापदण्ड दिए हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन-सा परिवर्तन सामाजिक प्रगति है। अर्थशास्त्री पीणु आर्थिक कल्याण को तथा अन्य विद्वान आय, जीवन स्तर, उद्योग, उत्पादन, व्यापार तथा वाणिज्य इत्यादि में वृद्धि को प्रगति कहते हैं। समाजशास्त्री बोगार्डस ने प्रगति को नापने के निम्नलिखित चौदह आधार दिए हैं— (1) प्राकृतिक स्रोतों का सार्वजनिक उपयोग, (2) शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता, (3) स्वस्थ वातावरण का विकास, (4) मनोरंजन के उद्योगी साधनों में वृद्धि, (5) संगठित परिवारों में वृद्धि, (6) रचनात्मक कार्यों के अवसरों का विकास, (7) व्यापार एवं उद्योग के अधिकारों में वृद्धि, (8) सामाजिक बीमे की सुविधाओं में वृद्धि, (9) जीवन-स्तर में वृद्धि, (10) साकार और जनता के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि, (11) कला काप्रसार, (12) धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्षों का विकास, (13) व्यावसायिक, गैरिक और कल्याणकारी शिक्षा का विस्तार, तथा (14) सठपोरी तथा सहकारी जीवन में वृद्धि।

सामाजिक प्रगति के लिए महायक दशाएँ—

निम्नांकित कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाएँ हैं जो प्रगति की प्रक्रिया में महायक मिहू होती हैं—

(1) सामाजिक सुरक्षा— जब समाज में लोग अपने को सुरक्षित महसूम करते हैं तो ऐसे समाज में प्रगति के अवसर बढ़ जाते हैं।

(2) आत्म-विस्वास— सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाज के लोगों में म्यवं में आत्मविश्वास होना चाहिए कि वे प्रगति कर सकते हैं।

(3) कार्य में विस्वास— अगर लोग कार्य में विस्वास रखते हैं, मेहनती हैं, तो प्रगति के अवसर बढ़ जाते हैं। समाज के लोग भाष्यवादी होंगे, रूद्धिवादी होंगे, धार्मिक नियतिवादी हैं तो प्रगति के अवसर कम हो जाएंगे।

(4) नैतिक चाहिए— जिस समाज में लोग वेर्इमान, अनैतिक, भ्रष्ट तथा अन्यायी होंगे तो वह समाज प्रगति नहीं कर सकता है। वह समाज तेजी से प्रगति करता है जिस समाज के महसूम नैतिक चाहिए वाले होते हैं।

(5) शिक्षा का मूल— समाज के ब्रितने अधिक लोग गिजित होंगे तथा शिक्षा का मूल ब्रितना उच्च होंगा वह समाज उत्तीर्णी ही तीव्रता में प्रगति करेगा। शिक्षा समाज के महसूमों की नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करने तथा आविष्कार करने के लिए आधार प्रदान करती है।

(6) म्यवंत्रना एवं समानता— म्यवंत्रना एवं समानता लोगों में कर्तव्यप्रणयगता, उतादायिन्व की भावना एवं प्रगति करने के लिए जिज्ञासा एवं अत्मविश्वास पैदा करती है। इमनिए म्यवंत्र देग गुनाम देगों की तुलना में तेजी में प्रगति करने हैं।

(7) राजनीतिक स्थिरता— सामाजिक प्रगति के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिरता आवश्यक है। उसके अभाव में लोगों पे असुरक्षा की भावना रहती है। उनके प्रयास निश्चल हो मजते हैं।

(8) योग्य नेतृत्व— सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाज के जनमाध्यम को कोई दिग्गज निर्देश देने वाला हो। उनको त्याग और वलिदान करने के लिए तैयार करे तथा प्रगति करने के लिए तैयार करे, त्यागी रुद्धा निष्वार्य भाव से जनमाध्यम को नेतृत्व करे। अच्छे नेतृत्व के द्वारा समाज प्रगति करता है।

(9) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति— सामाजिक प्रगति के लिए समाज में आगुनिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक ज्ञान उत्तम होना चाहिए। उब्रत औद्योगिकी के अभाव में समाज धीर्घी प्रगति करता है। समाज की प्रगति का साधा गुण मन्त्र वैज्ञानिक और औद्योगिक विज्ञान के माध्य होता है।

(10) नवीनतम आविष्कार— जब समाज में नवीनतम आविष्कार उत्तम होने हैं तो उसमे अनेक महसूमों का समाधान करने के समाज प्रगति करता है। समाज में मुख्य-मुख्यार्थ बढ़ती हैं तो ये प्रगति के मूलकाक हैं।

(11) अनुकूल पर्यावरण— समाज की तीव्र गति से प्रगति के लिए अनुकूल भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण आवश्यक है। इतिहास इस तथ्य का सार्थी है कि जिन देशों में वर्षा, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक सम्पदा, जैसे— उपजाऊ भूमि, छनिज पदार्थ, चौदी, सोना, तोहा, कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम के विपुल भण्डार रहे उन देशों ने तेजी से प्रगति की है।

(12) इष्टतम जनसंख्या— प्रगति का सम्बन्ध राष्ट्र की भौगोलिक सम्पदा तथा जनसंख्या के साथ सीधा है। जिस देश में जब इष्टतम जनसंख्या होती है उस समय उसकी प्रगति की दर भी अधिकतम होती है। इष्टतम जनसंख्या से जब जनसंख्या अधिक अथवा कम होती है तब प्रगति की दर भी कम हो जाती है। इष्टतम जनसंख्या उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा का अधिकतम दोहन करती है जिसका सामाजिक प्रगति की दर को बढ़ाने में सकारात्मक सहयोग मिलता है।

(13) न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति— सामाजिक प्रगति की न्यूनतम आवश्यकता यह है कि समाज के सभी सदस्यों को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएँ उपलब्ध हों। इन न्यूनतम आवश्यकताओं के अभाव में समाज प्रगति की सोच भी नहीं सकता।

प्रगति के दून्दू— रोमीन ने प्रगति के दून्दू पर प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि समाज में निश्चित दिशा तथा लक्ष्यों के लिए प्रगति होती है तो उसका लाभ एक वर्ग विशेष को अधिक मिलता है। यह वर्ग विशेष तब तक तीव्र गति से प्रगति चाहता है जब तक उसके निहित स्वार्थप्राप नहीं हो जाते हैं। जब इनके स्वार्थों तथा लाभों की पूर्ति की वस्त्र सीमा आ जाती है तब वे प्रगति को रोकते हैं। पुन शीघ्र तथा तीव्र परिवर्तन नहीं होने देते हैं। दूसरी ओर दलित वर्ग की स्थिति दयनीय होती है। वह लाभों से बंचित रहता है। जब दलित वर्ग उत्थान तथा प्रगति करने का प्रयास करता है तो उच्च वर्ग उसमें बाधा पैदा करता है। इसी को रोमीन 'प्रगति का दून्दू' कहते हैं। इसी प्रकार का दून्दू राज्यों के बीच भी देखा जा सकता है। सम्पन्न राज्यों और देशों में अधिक प्रगति होती है तथा कमज़ोर राज्यों और देशों में कम अथवा नहीं के बराबर प्रगति होती है। यह दून्दू वर्गों जातियों, समूहों, परिवारों आदि में भी मिलता है।

सामाजिक प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन—

प्रमुख उठता है कि क्या प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन सामाजिक प्रगति है? प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन प्रगति नहीं होते हैं। वही सामाजिक परिवर्तन प्रगति कहलाते हैं जो समाज के निर्धारित लक्ष्यों एवं लाभ प्राप्ति तथा मानवीय कल्याण एवं सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। जो परिवर्तन प्रगति की कस्तूरियों पर खो उतते हैं उन्हीं परिवर्तनों को प्रगति कहा जाता है। परिवर्तन अपने आप में एक तटस्थ एवं मूल्य-रहित अवधारणा है जो उद्विकास, क्रान्ति, प्रगति, विकास या आन्दोलन कुछ भी हो सकता है।

आधुनिक युग एवं प्रगति— वर्तमान युग प्रगतिशील है या नहीं, इसका मूल्यांकन भौतिक तथा अभौतिक सम्बूद्धि के आधार पर कर सकते हैं। वर्तमान युग में लोगों का चारित्रिक तथा नैतिक पतन हुआ है; सज्जाई, दया, मानवीय मूल्यों में कमी आई है। ज्ञान, बैरामी, धोखाघड़ी, रवेत अपराध, थोन स्वच्छन्दता, आदि बढ़े हैं। इस प्रकार आधुनिक युग में अभौतिक क्षेत्र में प्रगति के स्थान पर अधोगति हुई है। भौतिक सुख-सुविधाओं, साधनों आदि की उपलब्धि के आधार पर आधुनिक युग ने प्रगति की है। विज्ञान, उद्योग, प्रौद्योगिकी, आविष्कार, सचार और यातायात के साधन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है।

भारत में प्रगति— भारत ने प्रगति की है अथवा नहीं ? इसका मूल्यांकन भी भौतिक तथा अभौतिक सम्बन्धियों की उपलब्धि के आधार पर कर सकते हैं। वर्तमान काल में अभौतिक क्षेत्र में भारत में प्रगति नहीं हुई है। हर दोष में घटावाह चढ़ा है। यह दोषों में आच्यात्मक प्रगति के स्थान पर नैतिक चरित्र का हास हुआ है। इस्तु, वे ईमानी, पूजुखोरी, हत्याओं, बाल-अपराध तथा अपराध, चोरी, डकैती आदि में निरन्तर वृद्धि हो रही है। भौतिक क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। भारत अन्य एश्यों—अमेरिका, जापान, आदि की तुलना में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी में बहुत कम प्रगति कर पाया है। वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं, तकनीशियनों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के अनेक वैज्ञानिक, डॉक्टर, अभियन्ता विश्व के अनेक राष्ट्रों में कार्य कर रहे हैं। विज्ञानशील देशों में भारत का स्थान प्रगति के आधार पर कही जा सकता है। कई राज्यों, देशों, द्विलों आदि का विकास किया है तो कई दूर-दराज के राज्य काफी पिछड़े हुए हैं। अनेक प्रदाताओं द्वारा अनुमूलित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े गयों, मर्हलाओं आदि की प्रगति के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इनमें प्रगति भी हो रही है किन्तु उनसंघर्ष विस्फोट के कारण अनेक देशों में प्रगति करने पर भी भारत पिछड़ा हुआ है।

(4) विकास

समाजराज्य में विकास एक नूतन अवधारणा है। यह अवधारणा प्रगति की तरह बांधित दिशा में परिवर्तन की ओर संकेत देती है। विकास एक सम्मिश्र, संदर्भात्मक और सारेष्व अवधारणा है। विकास को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं और विशेषताओं का अध्ययन करें।

विकास का अर्थ एवं परिभाषा—

1. योगेन्द्र सिंह के अनुसार, “समाज के मदस्यों में वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं।” आपने आगे यह भी लिखा है, “अतः विकास की धरणा सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक और भौगोलिक परिवर्तिति के आधार पर प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न पाई जाती है।

2. निर्दल के अनुसार विकास का अर्थ आधुनिकीभूत के आदर्शों को सामाजिक बीवर में उठाने से है। आपके शब्दों में, “विकास या अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवाञ्छनीय अवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अत्य-विकास की स्थिति बनी हुई है।”

3. ए. स्कॉफ के अनुसार, “माप के दैमाने और सम्बद्ध के एक निश्चिन टौंचे में एक निश्चिन प्रकार के परिवर्तनों को बताने वाला शब्द विकास है जो मूल्यों की एक निश्चिन व्यवस्था के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से एक घटना की परिज्ञानक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। आपने इस दार्थाश में विकास की तीन विशेषताएँ बताई हैं, जो निम्नलिखित हैं—(1) विकास देश शब्द है जो निश्चिन दौंचे में निश्चिन प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट करता है, (2) इस परिवर्तन को दैमाने द्वारा परिज्ञानक वृद्धि के रूप में नापा जा सकता है, और (3) विकास मूल्यों से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार विकास प्रगति से मिलता-जुलता है परन्तु प्रगति व्यापक अवधारणा है और विकास निश्चिन अवधारणा है। विकास की अवधारणा प्रकृति सदर्भात्मक और सारेष्वित है। प्रगति की प्रकृति सामाज्य है और ऐचिन्यात्मक कालों पर आपारित है। प्रगति की अवधारणा औद्योगिक क्रान्ति के दुग से जुड़ी हुई है और विकास नवीन अवधारणा है।

4. 'द चैतेंज ऑफ डेवलपमेंट' गोष्ठी के अनुसार विकास एक तुलनात्मक अवधारणा है। इन्होंने विकास शब्द का प्रयोग कम आय वाले देशों और पश्चिमी देशों में हो रहे औद्योगिकीकरण की तुलना करने के लिए किया है। पश्चिमी देश अधिक विकसित हैं तथा कम आय वाले देश कम विकसित हैं।

5. हॉबहाउस के अनुसार, "एक समुदाय का विकास मात्रा, कार्य-क्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि के साथ-साथ होता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ण निकलता है कि विकास ऐसी अवधारणा है जो एक समाज, देश और जनता की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की स्थिति को सापेक्ष रूप में स्थग्न करता है।

सामाजिक विकास की विशेषताएँ—

1. सार्वभौमिक प्रक्रिया— सभी समाजों में सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया होती रहती है। विश्व में जहाँ-जहाँ मानव समाज है वहाँ-वहाँ किसी न किसी रूप में विकास होता रहता है।

2. समिक्षण अवधारणा— विकास एक मिश्रित अवधारणा है जिसमें अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन साथ-साथ होते हैं, जैसे— समाज के विकास में व्यापार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को सम्मिलित करते हैं। विकास एक संयुक्त प्रधटना है। इसमें मानव जीवन के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है।

3. कल्याणकारी परिवर्तन— विकास ऐसा परिवर्तन है जिसमें बच्चों, रियों, वृद्धों, बीमार बेरोजगार लोगों, कमज़ोर वर्गों और अल्पसंख्यकों आदि के कल्याण का ध्यान रखा जाता है।

4. मूल्याधारित परिवर्तन— विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य पिछड़े वर्गों, जातियों तथा जनजातियों, ग्राम और नगरों, महिलाओं, श्रमिकों के कल्याण का होता है इसलिए यह मूल्यों पर आधारित परिवर्तन है।

5. समाज सापेक्ष अवधारणा— विकास की अवधारणा भिन्न-भिन्न समाजों की सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं; राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भिन्न-भिन्न होती है। यह समाजों से सम्बन्धित है इसलिए इसे समाज सापेक्ष अवधारणा कहा गया है।

6. चक्रीय-कार्य-कारण भाव— सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंग अन्तर्रिंपर्फ होते हैं। किसी एक अग अथवा अवस्था में विकास का प्रभाव अन्य अवस्थाओं तथा अंगों में परिवर्तन लाता है। अगर बेरोजगारी को रोका नहीं जाएगा तो अन्य समस्याएँ— निर्धनता, निरक्षता, कुपोषण, आदि बढ़ेंगी। इसे ही चक्रीय-कार्य-कारण भाव कहते हैं जो विकास की प्रक्रिया का विशेष लक्षण है। एक में विकास का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है।

7. अवांछनीय अवस्थाओं का सुधार— मिर्डल ने विकास का अर्थ बताते हुए लिखा, "विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांछनीय अवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अन्य-विकास की स्थिति बनी हुई है।" विकास समाज की अवांछनीय अवस्थाओं का सुधार करता है।

8. उत्तरोत्तर परिवर्तन— सामाजिक विकास एक अवस्था से दूसरी तथा तीसरी अवस्था की ओर आगे बढ़ते रहने वाला परिवर्तन है। इसमें विभेदीकरण की वृद्धि सदैव ऊपर की ओर होती है। उत्तरोत्तर परिवर्तन विकास की विशेषता है।

9. लौकिक परिवर्तन—विकास का सम्बन्ध केवल भौतिक जगत के परिवर्तन से है। इसका धर्म, अध्यात्म या अभीतिक जगत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

10. माप सम्बद्ध—किसी समाज का विकास किसना हुआ है अयवा वह अन्य समाजों की तुलना में किस से भी में कितना अधिक या कम विकसित है इसे मापा जा सकता है। स्कॉफ का कहना है कि विकास एक घटना की परिमाणात्मक वृद्धि को बताता है। माप के दैषाने और सदर्प के एक निश्चित ढाँचे में एक निश्चित प्रकार के परिवर्तन को बताने वाला शब्द विकास है।

विकास के प्रमुख मापदण्ड—

सभी समाजों में विकास का कोई-न-कोई विशिष्ट स्वरूप अवश्य होता है। इसके दो प्रमुख मापदण्ड हैं—(1) समाज का जनजातीय या कृषि की अवस्था से औद्योगिक समाज की ओर परिवर्तन, तथा (2) आर्थिक परिवर्तन।

मिचेल ने विकास की छ प्रमुख क्लौटियों का उल्लेख किया है—(1) अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर परिवर्तन, (2) एकतन्त्र से प्रजातन्त्र और सार्वभौमिक वयस्क मनाधिकार की ओर परिवर्तन, (3) कानून के सामने सभी की समानता में वृद्धि, (4) राष्ट्रोन्य प्रभुमत्ता में वृद्धि, (5) घन के वेन्ट्रीकरण से उचित और व्यायपूर्ण वितरण की ओर परिवर्तन, और (6) रियां की दासी भी स्थिति से साथी की स्थिति में परिवर्तन। इन मापदण्डों के द्वारा किसी भी समाज के विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है।

सामाजिक विकास की दशाएँ—हॉबहाउस ने सामाजिक विकास की निम्नलिखित दशाओं का उल्लेख किया है जो विकास में महायक होती हैं तथा इनके अभाव में विकास करना कठिन होता है—

(1) पर्यावरण सम्बन्धी दशाएँ—अनुकूल पर्यावरण में समाज तीव्र गति से विकास करता है तथा प्रतिकूल पर्यावरण ने विकास की गति भीमी होती है। भौगोलिक पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ, जलवायु, समतल तथा उपजाऊ भूमि आदि का होना विकास के लिए आवश्यक है।

(2) जैविकीय दशाएँ—समाज के सदस्य स्वस्थ, हृषुष, निरोगी, बलवान होने हें तो समाज के विकास में सहायक होते हैं। रुग्ण, कमज़ोर, बीमार, अस्वस्थ जनसंख्या वाला समाज विकास नहीं कर पाता है। समाज की इष्टप्र जनसंख्या होती है तो विकास अधिक्षम गति से होता है। जनदर तथा नृत्य-दर एवं प्राकृतिक संसाधनों में संतुलन होना चाहिए।

(3) मनोवैज्ञानिक दशाएँ—सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है कि समाज के लोग मानसिक रूप से विकास के लिए तैयार हों। इसके लिए सदस्यों को बताना होगा कि परिवर्तन के सहज क्या हैं? उनका नाम क्या है? उस निश्चित परिवर्तन वे अभाव में हारियाँ क्या-क्या हैं? आदि, आदि।

(4) सामाजिक दशाएँ—सामाजिक विकास के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का होना भी आवश्यक है। विकास सामाजिक मूल्यों, प्रवायों, धर्म, रीति-रिवाज, सम्झौता आदि के अनुरूप होना तभी समाज के मतस्थ सहयोग करेगे अन्यथा विकास का विरोध किया जाएगा।

विकास के सम्बन्ध में मिर्डल के विचार-

गुजरात मिर्डल ने सामाजिक विकास के सम्बन्ध में अपने विचार एशियन ड्रामा पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। आपने विकास का अर्थ 'आधुनिकीकरण के आदर्शों' को सामाजिक जीवन में उतारने से लगाया है। मिर्डल आगे लिखते हैं, "विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांछनीय अवस्थाओं का सुधार करना है जिनके अल्प-विकास की स्थिति बनी हुई है।" मिर्डल की मान्यता है कि व्यवस्था का एक समग्र रूप होता है जिसके विभिन्न अंग परस्पर आत्मनिर्भर और सम्बन्धित होते हैं। किसी एक में परिवर्तन का प्रभाव अन्य में परिवर्तन लाता है। आपके अनुसार किसी एक अवस्था में अगर ऊपर की ओर परिवर्तन होता है तो अन्य अंगों या उप-व्यवस्थाओं में भी ऊपर वीं ओर परिवर्तन होता है। आप संस्थागत उपागम के द्वारा अध्ययन पर जोर देते हैं। अध्ययनकर्ता को यह ज्ञात करना चाहिए कि लोग विकास के वितरने उत्तुक हैं? उनकी मनोकामना क्या है? लोग जीवन के स्तर, आय, आदि में परिवर्तन लाने के लिए कितने उत्तुक हैं?

मिर्डल ने विकास की दशाओं को मिन्मलिखित छः भागों में विभक्त किया है—(1) उत्पादन और आय, (2) उत्पादन की अवस्थाएं, (3) जीवन स्तर, (4) जीवन और कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्तियाँ (5) सस्थाएं, और (6) नीतियाँ।

भारत में अनेक योजनाएँ बौद्धित दिशा में परिवर्तन बताने के लिए चलायी गई हैं तथा उनको विकास कार्यक्रम नाम दिया गया है, जैसे—ग्रामीण भारत में 1952 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अनेक आर्थिक विकास कार्यक्रम—रियो, दलित वार्गी, उद्योग-गृहीय, कृषि के विकास के लिए अनेक नीतियों को कार्यान्वित किया गया है। राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि अनेक विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आदि के लिए भी अनेक विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रम चला रखे हैं। विकास कार्यक्रम संयुक्त तथा मिश्रित प्रघटना है इसमें समाज के अनेक पक्षों का ध्यान रखा जाता है।

सामाजिक आन्दोलन

सामाजिक आन्दोलन परिवर्तन का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें समाज अथवा संस्कृति में नवीन परिवर्तन लाने अथवा नवीन परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक अथवा आपूर्ति-चूल परिवर्तन लाना होता है। ये क्षेत्र पार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, आदि होते हैं। सामाजिक आन्दोलन में सामूहिक प्रयास द्वारा समाज अथवा सदस्यों में परिवर्तन लाने या विरोध का गुण होता है। इस आन्दोलन की अपनी विशेषताएँ, प्रकार, उद्देश्य, प्रभाव आदि होते हैं। सर्वप्रथम इसके अर्थ को जानने का प्रयास करें।

सामाजिक आन्दोलन का अर्थ एवं परिभाषा—

1. हार्टन तथा हण्ट के अनुसार, "सामाजिक आन्दोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है।"

2. टर्नर एवं किलियन के अनुसार, "एक सामाजिक आन्दोलन को एक समाज अथवा समूह जिसका कि वह एक भाग है, के अन्तर्गत कुछ निम्नरक्ता से परिवर्तन उत्पन्न करने या एक परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित करते हैं।"

(2) धार्मिक आन्दोलन में दक्षिण भारत में एम.एन.डी.पी. और पंजाब में अकाली आन्दोलन गिने जाते हैं।

(3) साम्प्रदायिक आन्दोलन में कर्नाटक में लिंगायत आन्दोलन तथा उत्तर-पूर्व भारत में वैष्णव आन्दोलन को शामिल किया जाता है।

(4) अनुभागीय आन्दोलन में महिलाओं, विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक समूहों, निम्न जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों के आन्दोलन रुखे जाते हैं।

(5) धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन में सम्पूर्ण समाज अथवा इसके किसी एक भाग की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के लिए किए गए आन्दोलन आते हैं।

(6) राजनैतिक आन्दोलन में सामान्यतः राजनैतिक दलों अथवा विशिष्ट राजनैतिक समूहों द्वारा संचालित आन्दोलन आते हैं।

(7) क्रान्तिकारी आन्दोलन में वे आन्दोलन आते हैं जिनका उद्देश्य विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को जड़मूल से उद्धाइ कर नई समाज-व्यवस्था की स्थापना करना होता है। क्रांति और रूस की क्रान्तियाँ इसके उदाहरण हैं।

भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

भारत में 19वीं शताब्दी से आन्दोलनों की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी। तब से आज तक अनेक सामाजिक और धार्मिक आन्दोलन हुए हैं। जिनकी विस्तार से विवेचना अध्याय 14-“भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन” में की गई है। राजनैतिक आन्दोलन अथवा राष्ट्रीय आन्दोलन की विवेचना अध्याय, 15 में की गई है।

भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएँ

भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन अनेक समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव-शास्त्रियों—श्रीनिवास, रेडफील्ड, पैरिथ, मजूमदार, दुबे, योगेन्द्र सिंह आदि ने किया है। इन्होंने परिवर्तन के अध्ययन के उपागम दिए हैं। योगेन्द्र सिंह ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की विवेचना अपनी पुस्तक मॉडनाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन तथा एक लेख कान्सेप्स एण्ड व्होरीज ऑफ सोशियल चेंज में की है। सिंह ने सामाजिक परिवर्तन के सभी उपागमों को निम्नलिखित तीन उपागमों में वर्णित किया है—(1) उद्विकासीय उपागम, (2) सांस्कृतिक उपागम : संस्कृतिकरण-पश्चिमीकरण, लघु और दीर्घ परम्परा, और बहुल परम्पराएँ, तथा (3) संत्वनात्मक उपागम-विभेदीकरण और गतिशीलता विवरणण और द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम।

(1) उद्विकासीय उपागम

इस उपागम द्वारा भारत में विद्यमान विवाह, परिवार, बन्धुत्व, जाति व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय आदि संस्थाओं का कालांकित अध्ययन किया गया है। इस उपागम के अध्ययन के स्रोत धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य, पौराणिक साहित्य, मौखिक परम्पराएँ रही हैं। जाति की उत्पत्ति और विकास इन्हीं स्रोतों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय ग्रामों का ऐतिहासिक वर्णन सर्वैनरी मैन, बेडेन-पॉवेल, कार्ल मार्क्स आदि ने किया है। इनकी मान्यता थी कि भारतीय ग्राम

परिचय के ग्राम जैसे हे हैं। प्रारम्भ में इनमें प्रत्येक क्षेत्र में मनूह सम्बवाद था तथा संयुक्त सम्पत्ति, संयुक्त-हिस्सेदारी थी फिर एकल स्वामित्व, भूस्वामित्व आदि में परिवर्तन हुआ था। प्रकार्यात्मक उत्पाद के समर्थकों ने उट्टिकास की आलोचना की। प्रकार्यवादी पद्धति ने भारतीय ग्रामों को शम्बिभवित तथा विशेषजूत (जबमानी तथा जाति व्यवस्था) बताया। आत्मनिर्भरता पर बल दिया तथा व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में पारस्परिक निर्भरता तथा एकता को स्पष्ट किया।

(2) सांस्कृतिक उपग्रहण

सांस्कृतिक उपग्रहण में प्रमुख रूप से संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, तथु और दीर्घ तथा बहुशाखी परम्पराएँ हैं। ये निम्नलिखित प्रकार हैं—

2.1 संस्कृतिकरण— एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या और विस्तैरण करने के लिए दो अवधारणाओं—(1) संस्कृतिकरण, और (2) पश्चिमीकरण, का प्रयोग किया है। आपने संस्कृतिकरण की निम्नलिखित परिभाषा दी है—

“संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ‘निम्न’ जाति या जनजाति या अन्य समूह एक उच्च जाति विरोधतः एक द्वितीय जाति की प्रथाओं, धार्मिक कृत्यों, आस्थाओं, विचारणा और जीवन प्रणाली को अपनाता है।”

निम्न जातियाँ अपने से उच्च जातियों की जीवन-पद्धति, ईति-रिकाओ, पवित्र एवं लौकिक मूल्यों को अपनाती हैं। ये निम्न जातियाँ या समूह उच्च जातियों की भाषा कर्म, धर्म, पाप-पुण्य, मोक्ष जैसी शब्दावलियों को भी अपनाती हैं। ये त्योहारों व उत्सवों, जैसे—दीपावली, दशहरा, होली, रक्षा बन्धन, आदि मनाने लगती हैं। उच्च जातियों के देवी-देवताओं, जैसे—राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, सीता, पार्वती आदि की पूजा-पाठ, ब्रह्म आदि करती है। संस्कृतिकरण करने वाली निम्न जातियाँ, जनजातियाँ या समूह एक या दो पीढ़ी के बाद अपने उच्च होने का दावा करती है। धीरे-धीरे उनका दावा स्वीकार कर लिया जाता है तथा उनकी प्रस्तुति में अनन्त आ जाता है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न श्रेणी के समूह सामाजिक स्तरीकरण में अपनी प्रस्तुति ऊँची प्राप्त कर लेते हैं। आपके अनुसार संस्कृतिकरण करने वाली जाति द्वाहणों एवं उच्च जातियों की संस्कृति तथा जीवन के तरीकों का अनुकरण करती है। ये उच्च जातियाँ प्रभु जाति भी हो सकती हैं। “प्रभु जाति” श्रीनिवास उसे कहते हैं जिसे धार्मिक कर्म-काण्डों, अधिक सम्प्रदान, राजनीतिक सत्ता एवं शक्ति (मठों का बाहुल्य) जातीय सत्तरण में उच्च स्थान प्राप्त होता है। शिक्षा भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है।

संस्कृतिकरण की आलोचना—

संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ हैं। यह सामाजिक-साम्जूतिक गतिरीतों की बहुत सीमित व्याख्या करती है। पहिले श्रीनिवास ने लिखा कि निम्न जातियों के बल द्वाहण जातियों का अनुबरण करती है जिसे इन्होंने ‘द्वाहणीकरण’ कहा था। बाद में संस्कृतिकरण में द्वितीय जातियों का अनुकरण करना बताया। निम्न-जातियों उच्च-जातियों के उन लक्षणों का अनुबरण कर रही हैं जो लक्षण, या सांस्कृतिक प्रतिमान उच्च जातियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएँ होती रहती हैं जिसमें उच्च-जातियों निम्न-जातियों को संस्कृतिकरण करने से रोकती है धमकी देती है, उन पर अत्याधिका करती है। श्रीनिवास की मान्यता है कि संस्कृतिकरण से विद्यों,

परिवर्तन आते हैं। आलोचकों का कहना है कि स्थितिगत परिवर्तन जाति के भीतर आते हैं अर्थात् अपनी जाति में उनकी प्रस्थिति ऊँची हो जाती है न कि वे अन्य जातियों से ऊँचा उठते हैं। जाति परिवर्तित नहीं होती है। जाति के अन्दर परिवर्तन होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गतिशीलता आई है—ग्रामों में कम तथा नगरों तथा महानगरों में अधिक। संस्कृतिकरण सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। डी.एन. मजूमदार का कथन है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कुछ स्थानों में ही मिलती है।

संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण— श्रीनिवास ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के कुर्ग-लोगों में पाया कि वे ब्राह्मणों की संस्कृति—वेश-भूषा, जीवन-पद्धति, खान-पान, कर्मकाण्ड आदि का अनुकरण कर रहे थे। उन्होंने मौस खाना तथा पशु-बलि को त्याग दिया था। इस प्रक्रिया को श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण कहा। बाद में उन्होंने देखा कि अनेक स्थानों में निम्न-जातियाँ उच्च-जातियों, ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण के स्तर की जातियों की संस्कृति का भी अनुकरण करती हैं। आपने पाया कि ब्राह्मणीकरण संकीर्ण अवधारणा है उसके स्थान पर संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया तथा सुझाव दिया।

ब्राह्मणीकरण तथा संस्कृतिकरण में अन्तर—

(1) श्रीनिवास ने पहिले ब्राह्मणीकरण की अवधारणा प्रतिपादित की तथा बाद में संस्कृतिकरण की अवधारणा दे तपादित किया। (2) आपने पाया कि ब्राह्मणीकरण संकीर्ण अवधारणा है तथा संस्कृतिकरण का क्षेत्र विस्तृत है। (3) ब्राह्मणीकरण में निम्न-जातियाँ, ब्राह्मण-जाति की संस्कृति का अनुकरण करती हैं तथा संस्कृतिकरण में निम्न-जातियाँ द्विज-जातियों तथा प्रभु-जातियों का अनुकरण करती है। (4) ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया निश्चित समाज, स्थान, प्रदेश, काल आदि से सम्बन्धित है जबकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की कोई सीमा नहीं है, यह वृहद् प्रक्रिया है।

2.2 पश्चिमीकरण—

पश्चिमीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी संस्कृति, विशेष रूप से द्वितानिया संस्कृति के संपर्क में आने से परिवर्तन होते हैं। सरल शब्दों में भारत में पश्चिमी या द्वितानिया संस्कृति के अनुकरण या प्रसार को पश्चिमीकरण कहते हैं। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की निम्नलिखित परिभाषा दी है—

“एक सौ पचास वर्षों के अंग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज में और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए मैंने ‘पश्चिमीकरण’ शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएँ, विचारणा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को समाविष्ट करता है।”

द्वितानिया की सांस्कृतिक विशेषताओं को विभिन्न जातियों, विशेष रूप से उच्च-जातियों ने अपनाया है। इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विचारणा तथा मूल्यों का भी अनुकरण किया है। ऐसा श्रीनिवास की मान्यता है।

पश्चिमीकरण की विशेषताएँ— श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अग्रतिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(1) संस्थाओं में परिवर्तन— श्रीनिवास ने लिखा है कि परिचमीकरण से भारत की प्राचीन संस्थाओं, जैसे—ग्राचीन शिक्षा संस्थाओं, सेना, सरकारी नौकरी, न्याय आदि में परिवर्तन आया है। परिचमीकरण के कारण अनेक नई संस्थाएँ— समाचार-पत्र, ईसाई धर्म, चुनाव आदि का भी प्रसार हुआ है।

(2) मानवतावाद और तर्कबुद्धिवाद— आपकी मान्यता है कि परिचमीकरण की प्रक्रिया मानवतावाद और तर्कबुद्धिवाद के मूल्यों पर आधारित है। श्रीनिवास के अनुसार ये दोनों मूल्य आधुनिकीकरण की अवधारणा में नहीं होते हैं। मानवतावाद में आयु, लिंग, धर्म, जाति, प्रस्थिति के भेद की भावना नहीं होती है। सबको समान माना जाता है। श्रीनिवास की मान्यता है कि ब्रितानिया शासन के 150 वर्ष के फलस्वरूप भारत में मानवतावाद और औचित्यवाद के मूल्यों की उत्पत्ति हुई, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सत्य नहीं है।

(3) समानता के सिद्धान्त की स्थापना और निश्चित अधिकारों की भावना का विचार परिचमीकरण के द्वारा हुआ है।

परिचमीकरण के स्तर— श्री निवास ने परिचमीकरण के तीन स्तर बताए हैं— (1) प्राथमिक स्तर से तात्पर्य उन लोगों से है जो ब्रिटिश के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क में आए, (2) द्वितीय स्तर में अभिग्राय उन लोगों से है जो लोग प्राथमिक स्तर पर आए लोगों से प्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित हुए तथा (3) तृतीय स्तर से अर्थ उन लोगों से है जो परिचमीकरण की प्रक्रिया से परोक्ष रूप में लाभान्वित होते हैं।

संस्कृतिकरण एवं परिचमीकरण द्वारा परिवर्तन—

संस्कृतिकरण और परिचमीकरण के द्वारा भारत में अनेक सामाजिक और सास्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। ब्रितानिया शासन के साथ परिचम की संस्कृति, सम्पत्ति, प्रौद्योगिकी, विज्ञान आदि का भारत में आगमन हुआ। अंग्रेजों के पास सत्ता और शक्ति होने के कारण उनका स्थान ब्राह्मणों से भी उच्च हो गया। श्रीनिवास तथा देविस की मान्यता है कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजी संस्कृति (परिचमीकरण) का अनुकरण किया तथा ब्राह्मणों की संस्कृति का निम्न जातियों ने अनुकरण किया। अंग्रेजी शासन तथा सत्ता से सम्बन्धित लाभ प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा अन्य रिहाइट लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना प्रारम्भ किया। इससे भारत में एक वर्ग परिचमीकरण की प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होने लगा। उस वर्ग की वेश-भूषा, रूप-मह्य के तरीके, खान-पान, सोच-विचार आदि बदले। परिचमीकरण की प्रक्रिया भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा जातियों एवं वागों में भिन्न-भिन्न थी। श्रीनिवास के अनुसार मैसूर में परिचमीकरण की दौड़ में ब्राह्मण सबसे आगे थे। ब्राह्मणों का स्थान लेने के लिए निम्न जातियों में ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन आए। ब्राह्मण अंग्रेजों की संस्कृति तथा अन्य जातियों अंग्रेजों तथा ब्राह्मणों की संस्कृति का अनुकरण कर रही थी।

ब्रितानिया सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, कुटीर उठाए समाप्त हो गए। “फूट डालो और राज्य करो” की रणनीति को अपनाया। एक जाति या समूह को अन्य जाति या समूह के विस्तर भड़काना तथा लडाना ब्रितानिया सरकार का प्रमुख कार्य हो गया था। परिचमीकरण के कारण सामाजिक प्रस्थिति तथा स्तरीकरण में अनार-विभेद पैदा हो गया। श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण तथा परिचमीकरण की प्रक्रियाएँ भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या और विस्तैरण के क्षेत्र में उत्तेजनीय योगदान हैं। तीक्ष्ण ये अवधारणाएँ भारतीय समाज के इन्द्रुष क्षेत्र, जैसे— राजनैतिक व्यवस्था, उसकी सरचना और कार्यों के परिवर्तन की व्याख्या नहीं करनी

हैं। इसी प्रकार वर्ग-संघर्षों, जैसे—धनी-निर्धन, भू-स्वामी और भूमिहीन कृषकों, समर्थ तथा कमज़ोर के मध्य परिवर्तित हो रहे सम्बन्धों की व्याख्या नहीं करते हैं। आपकी इन अवधारणाओं द्वारा परिवर्तन का अध्ययन एक सीमा तक ही किया जा सकता है।

2.3 लघु-परम्परा एवं दीर्घ-परम्परा— रॉबर्ट रेडफिल्ड ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए लघु-परम्परा और दीर्घ-परम्परा की अवधारणाओं का उल्लेख किया है। आपकी मान्यता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का आधार 'परम्परा का सामाजिक संगठन' है। भारत की परम्परा का सामाजिक संगठन लघु-परम्परा और दीर्घ-परम्परा से निर्मित हुआ है। जन-साधारण और अशिक्षित कृषकों से सम्बन्धित परम्परा लघु है। अभिजात या चिन्तनशील तथा गणमान्य लोगों से सम्बन्धित परम्परा दीर्घ है। इन परम्पराओं की संस्थागत भूमिकाएँ, प्रस्थितियाँ और सम्बन्धित लोग होते हैं। इन परम्पराओं में निरंतर अंत किया होती है। रेडफिल्ड के अनुसार जन-साधारण और अभिजात में परस्पर विचारों का प्रवाह, और सम्बन्धों का आदान-प्रदान होता रहता है।

दीर्घ-परम्पराएँ पर्मशास्त्रों में विद्यमान होती हैं तथा इनकी विषय-वस्तु शास्त्रीय तथा सांस्कृतिक होती है। दीर्घ-परम्पराएँ व्यवस्थित, चिन्तनशील तथा लिखित होती हैं।

लघु-परम्पराएँ शास्त्रीय नहीं होती हैं। इनका पर्मशास्त्रों में वर्णन भी नहीं मिलता है। ये कम व्यवस्थित तथा अनिश्चित होती हैं। इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरण मौखिक रूप से होता है। लघु-परम्परा चिन्तनशील कम तथा स्थानीय होती है। यह अशिक्षित कृषक समाज में विद्यमान होती है। इन दोनों परम्पराओं ने परस्पर विचारों का प्रवाह और सामाजिक सम्बन्धों का आदान-प्रदान तथा अन्त क्रिया होती रहती है। इन दोनों लघु एवं दीर्घ परम्पराओं की अन्त क्रिया की विवेचना अनेक विद्वानों ने की है। कुछ प्रमुख विवेचनाएँ निम्नलिखित हैं—

2.4 सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण—

मैरियट ने लघु-परम्परा और दीर्घ-परम्परा में परस्पर अन्त क्रियाओं की प्रक्रियाओं की व्याख्या के लिए दो अवधारणाएँ—(1) सार्वभौमिकरण और (2) स्थानीयकरण—दी हैं। आपका कहना है कि जब लघु परम्पराओं के तत्वों का प्ररारं ऊपर की ओर होता है 'उसका प्रसार या फैलाव बहुद स्तर तक हो जाता है। लघु परम्पराओं के तत्व दीर्घ परम्पराओं के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को मैरियट सार्वभौमिकरण कहते हैं। स्थानीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ-परम्परा के तत्व नीचे की ओर जाते हैं तथा लघु-परम्परा के अंग बन जाते हैं। नीचे की ओर जाने से तात्पर्य है कि दीर्घ-परम्परा के तत्व अशिक्षित जन-साधारण तक पहुँच जाते हैं। जब लघु-परम्परा के तत्व ऊपर की ओर तथा दीर्घ परम्परा के तत्व नीचे की ओर जाते हैं तो उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन भी हो जाता है। मैरियट ने लघु तथा दीर्घ परम्पराओं में परस्पर अन्त क्रिया की सार्वभौमिकरण तथा स्थानीयकरण द्वारा व्याख्या की है।

आलोचना—

सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण का उपागम बहुत सीमित परिवर्तन की व्याख्या कर पाता है। इसके द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन को तो समझा जा सकता है परन्तु सामाजिक संचना की व्याख्या संस्कृति के द्वारा की जाती है। यह उपागम अभिजात और जनसाधारण, या सम्पन्न एवं दमनित के बीच अन्त क्रिया की जो सरल व्याख्या करता है वह इतनी सरल नहीं है जितनी

सरल लघु एवं दीर्घ परम्पराओं के बीच है। इसके अतिरिक्त परम्पराएँ केवल दो ही नहीं हैं बल्कि अनेक हैं।

2.5 बहु-पूर्वीय परम्पराएँ— एम.सी. दुबे का कहना है कि भारत में परम्पराओं का संगठन द्विपूर्वीय (लघु-दीर्घ, सार्वभौमिक-स्थानीय) नहीं है बल्कि बहुपूर्वीय है। आपने भारतीय संस्कृति के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित छ परम्पराओं का उल्लेख किया है— (1) शास्त्रीय परम्पराएँ, (2) उदाहारी राष्ट्रीय परम्परा, (3) क्षेत्रीय परम्परा, (4) स्थानीय परम्परा (5) पश्चिमी परम्परा, तथा (6) सामाजिक समूहों की उप-सांस्कृतिक परम्पराएँ।

दुबे द्वारा वर्णित ये छ. परम्पराएँ भी सांस्कृतिक परिवर्तन के अध्ययन में तो सहायक हैं परन्तु सामाजिक संरचना का अध्ययन सीधे पर जोर नहीं देती है।

(3) संरचनात्मक उपागम

समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन संरचनात्मक उपागम से भी कर सकते हैं। उसमें विचार, मानक, मूल्य आदि चरों के आधार पर अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि समाज का संरचनात्मक विश्लेषण का केंद्र परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। संरचनात्मक विश्लेषण के आधार— भूमिकाएँ और प्रस्थितियों होती हैं तथा इसमें समूह तथा लोगों की श्रेणियों का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक सम्बन्धों की भिन्नता तथा सामाजिक श्रेणियों को इकाइयाँ मानकर अध्ययन किया जाता है। पहिले भूमि, राजनीतिक सत्ता आदि पर जर्मांदारों, जागीरदारों, राजा-महाराजाओं आदि का नियंत्रण था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जर्मांदारी उन्मूलन तथा राज्य सत्ता की प्राचीन परम्पराओं को समाप्त किया गया, इससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आए। संरचनात्मक उपागम के द्वारा जो अध्ययन किए गए उनमें निम्नलिखित परिवर्तन स्पष्ट हुए हैं। पहिले सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। समाज प्रदृढ़त प्रस्थिति पर आधारित था। तेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्जित प्रस्थिति ऊपर कर समाने जाने लगी। कानून द्वारा परम्परात्मक उच्चता और निम्नता को समाप्त कर दिया गया। व्यवहार में भी यह समाप्त हो रही है। खेतिहार मजदूर, किसान तथा कृषक भूस्वामी बन गए। पहिले के भू-स्वामी सामान्य कृषक बन गए। परम्परागत सामाजिक संरचना को आधुनिक जातियात के साथनो— वयस्क मताधिकार, पंचायती राज, विकास कार्यक्रमो, हारित-क्रान्ति आदि ने परिवर्तित किया है। जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है। परम्परागत शक्ति-संरचना में अनेक परिवर्तन आए हैं। सामाजिक संरचना के विभिन्न मानक, भूमिकाएँ, प्रस्थितियाँ, प्रकार्य, आदि में परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक शिक्षा ने भी नवीन परिवर्तन लाने में सहयोग दिया है।

अनेक संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी हुए हैं। उनमें अनेक जातियों और व्यक्तियों ने विकास किया है। पहले जो जातियाँ और लोग दिलत थे, निम्न थे, वे आज प्रमुख और शक्ति के महत्वपूर्ण निर्णायक बन गए हैं। जाति के संरचनात्मक लकड़ों में अनेक परिवर्तन आए हैं। व्यवसाय परम्परागत नहीं रहे हैं, अर्जित हो गए हैं। जाति-व्यवस्था जातिवाद में परिवर्तित हो रही है। अनेक मध्यम जातियाँ पचायद, विधान सभा तथा लोक सभा में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मिठडे वर्गों को कानून अधिकार और भारक्षण मिला है जिससे प्रमुख जातियों तथा भारक्षित जातियों में संघर्ष भी बढ़ा है। ये संघर्ष चिह्न, उत्तर प्रदेश, कनाटक में अधिक बढ़े हैं। द्विज जातियों का अन्य जातियों के साथ संरचना में दृढ़ देखा जा सकता है। इससे संघर्ष बढ़े हैं।

(4) द्वंद्वात्मक-ऐतिहासिक उपागम

कार्त मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक-ऐतिहासिक उपागम प्रतिपादित किया है। आपने परिवर्तन के निम्नलिखित चार चरणों का उल्लेख किया है—(1) ऐश्वार्दि, (2) प्राचीन, (3) सामन्तवादी, और (4) आधुनिक-बुर्जुआ उत्पादन विधियाँ। मार्क्स ने भारत को अपने प्रारम्भिक विचारों में एक स्थिर, ऐतिहासिक और आदिम सामाजिक संरचना बताया। बाद में आपने इस विचार में संशोधन किया तथा निम्नलिखित पांच चरणों का वर्णन किया है—(1) जनजातीय समुदाय, जिसके पास अविभाजित सम्पत्ति के रूप में भूमि और घेती होती है, (2) जनजातीय समुदाय का विघटन और फारिकारिक समुदायों में इसका रूपान्तरण और सामुदायिक सम्पत्ति की समाप्ति होती है, (3) उत्तराधिकार के अधिकारों या गंगुता के अंश के आधार पर भूमि घे भागीदारी का निर्पाण तथा असमानता की स्थापना (असमानता में बुद्धि का कारण जनजातीय युद्ध रहे), (4) नातेदारी पर आधारित असमानता का सम्पत्ति या वास्तविक कृषि-स्वामित्व पर आधारित असमानता में परिवर्तन, और (5) सामुदायिक भूमि के वितरण की व्यवस्था।

डी.पी. मुकर्जी, ए.आर. देसाई, तथा अनेक विद्वानों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक उपागम से किया है। इनमे जाति और राजनीति, उत्पादन की पद्धतियाँ, वर्ग संघर्ष आदि के परिवर्तन का अध्ययन महत्वपूर्ण रहे हैं। डी.पी. मुकर्जी ने कुछ संशोधन के साथ द्वारा द्वारा परिवर्तन का अध्ययन किया था। आपने परम्पराओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा कि भारतीय परम्परा में अनुकूलन करने की शक्ति है। परम्परा सदैव विद्यमान रहने वाली शक्ति है। परम्पराएँ तानाव और संघर्ष के बाद अनुकूलन लाती है। ए.आर. देसाई ने भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पुष्टभूमि के विश्लेषण एवं अध्ययन के लिए मार्क्स के द्वंद्वाद को उपयुक्त ठहराया है। आपका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रकृति के निर्णायक वर्ग पर आधारित असमानताएँ और अन्तर्विरोप हैं। देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का उदय ग्रितानिया सरकार द्वारा लागू की गई आर्थिक अवस्थाएँ रही हैं। रामकृष्ण मुकर्जी ने भी मार्क्सवादी उपागम के आधार पर अध्ययन किया है जो उनकी पुस्तक 'द राइज एण्ड फॉल ऑफ द ईस्ट इण्डिया कम्पनी' में मिलता है।

(5) ज्ञानात्मक-ऐतिहासिक उपागम

भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सुई छप्पांने ज्ञानात्मक-ऐतिहासिक उपागम का सुझाव दिया है। आपकी मान्यता है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए पहिले सांस्कृतिक या वैचारिक परिवर्तन का लाना अत्यावश्यक है। जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा संरचना में परिवर्तन लाना कठिन है।

(6) संस्थात्मक उपागम

इस उपागम के समर्थक गुजार मिर्डल हैं। आपका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन संस्थात्मक उपागम के द्वारा करना चाहिए। मिर्डल का कहना है कि आर्थिक विकास में अन्य कारक जो आर्थिक नहीं हैं परिवर्तन में बाधक होते हैं। आपने संस्थात्मक उपागम में इन्हीं गैर-आर्थिक कारकों की भूमिका का आर्थिक विकास में बाधाओं के रूप में वर्णन किया है। अगर हम निश्चित दिशा में कोई आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उससे पहिले हमें जीवन और कार्य तथा

सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में लोगों की मनोवृत्ति को बदलना होगा। ऐसा करना आपने आवश्यक चताया है। इसके बिना आप परिवर्तन को कठिन मानते हैं।

(7) एकीकृत उपागम

भारत के आधुनिक समाजशास्त्री योगेन्द्र सिंह ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के उपर्युक्त उपागमों की विवेचना एवं पूर्णांकन के बाद "एकीकृत उपागम" प्रस्तुत किया है। आपने इस एकीकृत उपागम में भारत में सामाजिक परिवर्तन के सभी पक्षों को प्रस्तुत किया है जैसे परिवर्तन के स्रोत, साम्नविक सरचना, सामाजिक संरचना, इनके परिवर्तन के स्तर, परिवर्तन के आनंदारिक एवं बाह्य कारक आदि। आपने कहा कि भारत में सामाजिक परिवर्तन— (1) साम्नविक सरचना में देखना चाहिए अर्थात् लघु-परम्परा और दीर्घ-परम्परा में क्या परिवर्तन हुए हैं, (2) सामाजिक सरचना में परिवर्तन का अध्ययन करना चाहिए अर्थात् सूक्ष्म-संरचना और वृहद्-संरचना के परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए, (3) सांस्कृतिक संरचना के स्तर पर आपने विजातीय परिवर्तनों के सदर्भ में इस्तामीकरण और परिगमीकरण की विवेचना की है। आपने लघु-परम्परा और दीर्घ-परम्परा पर जो इनके प्रभाव पढ़े हैं उनका वर्णन किया है, (4) सामाजिक संरचना में भी आपने लघु एवं वृहद् स्तर पर परिवर्तनों की विवेचना की है। लघु स्तर अर्थात् सूक्ष्म परिवर्तनों के रूप में आपने भूमि का विभेदीकरण एवं नव-वैधीकरण का वर्णन किया है तथा वृहद् सामाजिक सरचना में राजनीतिक नवाचारे, अभिजात की नृतन-रचनाएँ, शासनतंत्र, उद्योग आदि को सम्बिलित किया है। सिंह के अनुसार साम्नविक और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन आनंदारिक और बाह्य कारकों द्वारा होते हैं। आपके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारण सामाजिक व्यवस्था की परम्परा के भीतर और बाहर दोनों ही रूपों में होता है। आपने भारत में सामाजिक परिवर्तन के एकीकृत उपागम में सभी पक्षों की व्याख्या की है। अधिकलार वैज्ञानिकों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में साम्नविक संरचना पर नियोग लगान दिया है तथा सामाजिक सरचना पर कम। योगेन्द्र सिंह ने इनमें सम्बन्ध स्थापित किया है।

प्रस्तुति

1. सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। भारतवर्द्ध में सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति एवं दिशा पर एक सोदाहरण टिप्पणी लिहिए। (चार पृष्ठों में)
- (मा.गि.बो., अक्टूबर, 1994)
2. क्रान्ति की परिभाषा दीजिए। वर्तमान में सामाजिक क्रान्ति का वर्णन कीजिए।
3. उद्धिकास की परिभाषा दीजिए तथा विशेषताओं पर प्रसारण ढालिए।
4. प्रगति का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
5. विकास से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
6. सामाजिक आनंदोत्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक आनंदोत्तन के प्रमुख प्रमाणों का वर्णन कीजिए।
7. भारतीय सामाज में सामाजिक परिवर्तन के मदर्भ में सम्नविकरण एवं परिगमीकरण की प्रतिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। (चार पृष्ठों में)

(मा.गि.बो., अक्टूबर, 1994)

8. सामाजिक परिवर्तन के उद्धिकास या एकीकृत उपागम की विवेचना कीजिए।
9. निम्नलिखित विद्वानों के सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी योगदान पर एक पृष्ठ लिखिए—
 - (1) एम.एन. श्रीनिवास
 - (2) योगेन्द्र सिंह
 - (3) एस.सी. दुबे
 - (4) गुत्तार मिर्टल

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर संकेत सहित)

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—
 - (1) सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक है।
 - (2) किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को कहते हैं।
 - (3) सामाजिक परिवर्तन का एकीकृत उपागम ने दिया है।
 - (4) सार्वभौमिक और स्थानीयकरण की अवधारणा ने दी है।
 - (5) किंमतों डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात् समाज के ढाँचे और में परिवर्तन होते हैं।
 - (6) लघु और दीर्घ परम्परा की अवधारणा ने दी है।
 - (7) संस्कृतिकरण की अवधारणा ने प्रतिपादित की है।
 - (8) बहुध्वंशीय परम्पराओं का वर्गीकरण ने दिया है।

[उत्तर- (1) प्रक्रिया, (2) उद्धिकास, (3) योगेन्द्र सिंह, (4) मैकाइम मेरियट, (5) कायी, (6) टॉबर्ट डेफील्ड, (7) एम.एन. श्रीनिवास, (8) एस.सी. दुबे]
2. निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाइए—

(1) सार्वभौमिकरण	(अ) ३६५३१८
(2) बहु-ध्वंशीय परम्पराएं	(ब) एस.सी. दुबे
(3) दीर्घ-परम्परा	(स) योगेन्द्र सिंह
(4) एकीकृत उपागम	(द) स्पेन्सर
(5) उद्धिकास	(क) मैकाइम मेरियट
(6) संस्कृतिकरण	(ख) मार्क्स
(7) द्वद्वाद	(ग) एम.एन. श्रीनिवास

[उत्तर- (1) क, (2) ब, (3) अ, (4) स, (5) द, (6) ग, (7) ख]
3. निम्नलिखित कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों के विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है—
 - (1) “सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।” यह कथन किसका है?
 - (अ) डेविस
 - (ब) श्रीनिवास
 - (स) मैकाइवर और पेज
 - (द) बॉटोपोर
 - (2) सामाजिक उद्धिकास का सिद्धान्त दिया है—
 - (अ) ग्रीन,
 - (ब) स्पेन्सर
 - (स) मैकाइवर
 - (द) डेविस
 - (3) संस्कृतिकरण की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की है?
 - (अ) दुबे
 - (ब) श्रीनिवास
 - (स) योगेन्द्र सिंह
 - (द) ३६५३१८

- (4) लघुतापा दीर्घ परम्परा की अवधारणा का वर्णन किसने किया है ?
 (अ) श्रीनिगारा (ब) गैरिम मेरियट (स) श्रीनिगारा (द) रॉबर्ट रैडमिल्ड
 (5) एस.सी. दुर्यो ने भारत की परम्पराओं को ज्ञाने प्रशारण में बोला है ?
 (अ) चार (ब) पाँच (स) छ
 (6) स्थानीयकरण और सामूहीकरण की प्रतिक्रिया ज्ञाने प्रकार है ?
 (अ) दुर्यो, (ब) योगेन्द्र सिंह (स) गार्फ (द) गैरिम मेरियट
 (उत्तर- (1) स, (2) ब, (3) ब, (4) द, (5) स, (6) द)

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

1. लघु एवं दीर्घ परम्पराओं का अर्थ बताइए। (लाग्याग आपे पुङ में)
 (पा. गि. बो., अजमौर, 1991)
2. ग्राम्यीकरण और संस्कृति करण में अन्तर बताइए। (लाग्याग आपे पुङ में)
 (पा. गि. बो., अजमौर, 1991)
3. सामाजिक प्रगति के कोई दीन यापनश्वर बताइए।
4. ग्राम्यों की कोई एक परिभाषा दीजिए।
5. उद्धिकारा की कोई दीन विशेषताएँ बताइए।
6. उद्धिकारा की एक परिभाषा दीजिए।
7. किंवदन्ते ऐनिस द्वारा दी गई सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए।
8. सामाजिक परिवर्तन की मैमान्दग और खेज की परिभाषा दीजिए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त उत्तरीयी लिखिए,-

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. श्रान्ति | 7. परिवर्ती करण |
| 2. प्रगति | 8. लघु-परम्परा |
| 3. विज्ञास | 9. दीर्घ-परम्परा |
| 4. आन्दोलन | 10. सामूहीकरण |
| 5. उद्धिकारा | 11. स्थानीयकरण |
| 6. सामूहीकरण | 12. एनियून उत्तराग |

□□□

अध्याय - 13

सामाजिक परिवर्तन के कारक (Factors of Social Change)

अनेक समाज विचारकों ने इस तथ्य का अध्ययन किया कि सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है ? वे कौन-से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन पूर्णतया व स्पष्ट कारक अभी भी विवादास्पद व भ्रामक हैं। कोई एक कारक को जिम्मेदार बताता है तो दूसरा अन्य कारक को— सम्भवतः अनेक कारक मिलकर सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। संकेत में सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित कारक हो सकते हैं—

- (1) प्राकृतिक कारक
- (2) प्राणिशास्त्रीय कारक
- (3) जनसंख्यात्मक कारक
- (4) प्रौद्योगिकीय कारक
- (5) आर्थिक कारक
- (6) सांस्कृतिक कारक
- (7) राजनैतिक कारक
- (8) कानूनी कारक
- (9) वैचारिक कारक
- (10) महापुरुषों की भूमिका

इन पर विस्तार से विचार किया जायेगा।

(1) प्राकृतिक कारक— प्राकृतिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे— भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि आदि गाँवों को अपनी चपेट में ले लेते हैं जिससे परिवार उजड़ जाते हैं या इधर-उधर अपनी सुरक्षा के लिए चले जाते हैं जिसके कारण उनके वास्तविक सम्बन्ध भी अदृश्य हो जाते हैं। जिससे परिवार, विवाह, नातेदारी आदि में परिवर्तन आ जाता है। जहाँ प्रकृति का प्रकोप किसी रूप में नहीं होता, प्रकृति शान्त रहती है वहाँ पर समाज प्रगति करते हैं। विज्ञान का विकास होता है, नवीन निर्माण होते हैं। कुषक लोग अच्छी खेती होने पर सामाजिक उत्सव बनते

हैं जिससे उनमें सामाजिक एकता बढ़ती है। समाज सशक्त बनता है। प्रतिष्ठान आदि कम होती है। इस प्रकार प्राकृतिक कारक प्रकार्यात्मक और अप्रकार्यात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन लाते हैं।

भारत कृषि प्रधान देश है। ग्रामों की खुशहाली प्रकृति पर निर्भर होती है। अच्छी वर्षा होने पर खुशहाली आती है। बाढ़ या सूखा के कारण जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। भारत में प्रत्येक भाल कहीं अच्छी वर्षा तो कहीं अतिवृष्टि या सूखा पड़ता है। प्राकृतिक भिन्नता के कारण भारत में विविध संस्कृतियाँ तथा नन्द मिलते हैं।

प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण से भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक मर्यादाओं में भिन्नताएँ मिलती हैं तथा परिवर्तन होते रहते हैं।

(2) प्राणिशास्त्रीय कारक— प्राणिशास्त्रीय कारक वे कारक हैं जो जनसंख्या के प्रकार का नियंत्रण करते हैं। व्यक्तियों का स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मनसिक क्षमता, विवाह की आयु, प्रबन्धन-दा, कद, शारीरिक गठन आदि सभी जीविकीय कारकों से सम्बन्धित है। किसी समाज के लोगों की जन्म एवं मृत्यु-दर, जनसंख्या भी न्यूनता एवं अधिकता, औसत आयु आदि भी प्राणिशास्त्रीय कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ— यदि किसी समाज में पुरुषों की औसत आयु कम है तो वहाँ विधवा-विवाह के रूप में सामाजिक परिवर्तन आ सकता है, इसके परिणामस्वरूप दोनों की प्रस्त्रियता एवं बच्चों की शिक्षा आदि भी प्रभावित होंगी।

इसी तरह जनसंख्या की न्यूनता अथवा अधिकता समाज की संस्थाओं आदि को प्रभावित करेगी। यदि किसी समाज में स्थियों की संख्या अधिक है तो बहु-पत्नी विवाह की प्रवद्ध हो सकती है। लोगों का यानना है कि अन्तर्बाटीय विवाह से प्रतिभाशाली सन्तान उत्पन्न होती है जो नवीन आविष्कार व परिवर्तन ला सकती है। भारत में जाति-व्यवस्था विवाह को संचालित करती है जिससे जनसंख्या का अनुपात संतुलित रहता है।

ऐटो भी यही मानते हैं कि प्राणिशास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों वाला समाज उत्तमता है। विशेष स्थिति होने पर समाज अवनति को प्राप्त होता है।

(3) जनसंख्यात्मक कारक— सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी समाज की जनसंख्या उसकी संरचना को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती है, जैसे— अधिक जनसंख्या होने से उस स्थान में गरीबी होती, जिससे समाज में संघर्ष व तनाव होगा। यदि किसी स्थान की जनसंख्या कम होती है तो इस समाज में योग्य व्यक्तियों की कमी हो जाती है और उपलब्ध मानवी का उपयोग नहीं होने से उस समाज की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो जायेगी।

मैकाइवर एवं पेट्रने अपनी पुस्तक 'सोसाइटी' में लिखा है, "उत्तीर्णी शताब्दी में जनसंख्या की अनुपूर्व वृद्धि के साथ परिवार-नियोजन का विकास हुआ। इन पद्धति का पारिवारिक सम्बन्धों तथा विवाह के प्रति दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ा.... ऐसी विवाह की कमी के साथ विवाह व तलाक की सुविधा, पति-पत्नी के सम्बन्ध व बाता-पिता के प्रति सन्तान का सम्बन्ध, परिवार की आर्थिक निर्भरता आदि में परिवर्तन हो रहे हैं।"

भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हो रही है जिसके कारण देश में गरीबी, अस्थाया, वेकारी, निष्प जीवन स्तर, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, नारों देश आवास की समस्या आदि बढ़ रही

हैं। जब तक देश की जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा ये समस्याएँ भारतीय समाज और संस्कृति को प्रगति नहीं करने देंगी। देश के सभी विकास कार्यक्रम जनसंख्यात्मक कारकों के कारण असफल हो रहे हैं तथा सामाजिक परिवर्तन में बाधा बने हुए हैं।

(4) प्रौद्योगिकीय कारक— सामाजिक परिवर्तन का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकीय कारक है। समाज में आज जो कुछ परिवर्तन सभी दिशाओं में दिखाई देता है, वह सब नवीन तकनीक का प्रभाव है। प्रौद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप नगरीकरण बढ़ा है, नए-नए कल-कारखानों का आविष्कार हुआ है जिसमें सी-पुल्य सभी को काम मिला है। सियां घर के क्षेत्र से निकलकर बाहर आई है जिससे पर्दा-प्रथा, छुआ-छूत व जाति-बन्धनों में ढील हुई है। नवीन संस्थाएँ खुली हैं अर्थात् जब भी किसी नवीन तकनीक का प्रादुर्भाव होता है तो वह हमारे सामाजिक जीवन को अवश्य प्रभावित करती है।

मैकाइवर एवं पेंड्र ने लिखा है कि जब किसी नई मशीन का आविष्कार होता है तो वह अपने साथ सामाजिक जीवन में एक नए परिवर्तन को लाती है। ऑगवर्ड ने केवल रेडियो के आविष्कार के कारण हुए 150 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। स्पाइसर ने अपनी पुस्तक में ऐसे अनेक अध्ययनों की चर्चा की है जिससे स्पष्ट होता है कि छोटे यन्त्र के आ जाने से भी एक समुदाय में विस्तृत व अनपेक्षित परिवर्तन हो सकते हैं।

भारत में अभी इन परिवर्तनों पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया। बोटोमोर ने इसी सन्दर्भ में कहा है कि भारतवर्ष भी अनेक प्रक्रियाएँ एक साथ घटित हो रही हैं। अनेक वांछित एवं अवांछित परिवर्तन दिखाई देते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में औद्योगिकरण तथा नवीनीकरण से उत्पन्न होते हैं।

भारत में औद्योगिकरण के अनेक परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे-नगरों में अनेक घनी बस्तियाँ बस गई हैं, सामाजिक सम्बन्धों में औपचारिकता आगई है, अपराधों में वृद्धि हुई है। श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण बढ़ा है। श्रमिकों की समस्याओं ने संघर्ष को जन्म दिया है। धर्म के प्रभाव में व नैतिकता में कमी आई है। दुर्घटना, बीमारी आदि बढ़े हैं। भारत में जीवन यन्त्रवत् होता जा रहा है। व्यक्ति को अपने व अपने परिवार के लिए भी समय नहीं रहा है। इस प्रकार प्रौद्योगिकरण ने भारतीय समाज को अनेक रूपों में प्रभावित किया है।

(5) आर्थिक कारक— कालं मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक पूँजीपति वर्ग तथा दूसरा श्रमिक वर्ग। ये वर्ग उत्पादन के साधनों व सम्पत्ति पर अधिकार की दृष्टि से हैं। दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष होता रहता है। वर्ग-संघर्ष एक समाज व्यवस्था को समाप्त करता है और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था जन्म ले लेती है, जैसे—यदि समाज पूँजीवाद से साम्यवादी व्यवस्था को अपना लेता है तो नई समाज व्यवस्था जन्म ले लेती है।

विवाह, आवास, स्वास्थ्य, जनसंख्या, विवाह-विच्छेद, बेकारी, गरीबी, आत्म-हत्या, मरणालय आदि समाज की आर्थिक स्थिति से ही सम्बन्धित हैं। आर्थिक परिस्थितियों के कारण राजनीतिक उथल-पुथल, आतंक, क्रान्ति आदि का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का नितरण, लोगों का जीवन-स्तर, वर्ग-संघर्ष, उत्पादन, व्यापार आदि भी आर्थिक कारण से उत्पन्न होते हैं जो सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। कहने का आशय है कि समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन का अर्थ सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था में परिवर्तन होना है।

(7) राजनैतिक कारक—सांस्कृतिक कारकों के समान ही राजनैतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब सत्ता अथवा सरकार बदली है तो उसने अपने अनुसार समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं। प्रत्येक राजनैतिक दल की अपनी-अपनी राजनैतिक नीतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में जब ओंग्रेज सत्ता छोड़कर गए, तो भारतीय सरकार ने समाज में अनेक सुधार किए। चुआळूत की समाप्ति, दास-प्रथा की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के अधिकारों की समाप्ति, जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन आदि कारकों ने भारत में सामाजिक जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया है।

अनेक क्रान्तियाँ व युद्ध भी सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। भारत में 1947 में देश के बैटवारे के कारण अनेक लोग मारे गए और उनकी सिर्याँ व बच्चे, बूढ़े दूसरे स्थानों पर जाकर शरणार्थी बन कर रहे तथा धीरे-धीरे वहाँ की संस्कृति को अपना लिया था। बैटवारे के कारण राजनैतिक व सामाजिक दोनों ही व्यवस्थाएँ बदलीं। इस प्रकार राजनैतिक सत्ता, युद्ध, क्रांति आदि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

स्वतंत्रता प्रगति के बाद देश की राजनैतिक सरचना तथा संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन आया। 1950 में देश का संविधान पारित हुआ। जिसमें आयु, लिंग भेद, जाति, धर्म, वर्ग, प्रजाति आदि का भेदभाव समाप्त किया गया। इन कारकों का प्रभाव भारत की जाति व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं पर पड़ा। राजनैतिक परिवर्तनों ने भारत में चुनाव प्रणाली, मतदान का अधिकार, समानता तथा भ्रातृत्व को बढ़ावा दिया। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, पंचायती राज आदि राजनैतिक प्रणालियाँ स्थापित की गईं। इससे अनेक सामाजिक परिवर्तन आए। संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, प्रामाण्य सामाजिक संरचना आदि परम्परागत विशेषताओं से आपुनिक विशेषताओं पर परिवर्तित होने लगा। एकाकी परिवार, वर्ग व्यवस्था, जातिवाद आदि में बदलि हुई। शक्ति सरचना प्रदत्त से अर्नित में बदली है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों का विकास करने पर ध्यान दिया गया। उनमें परिवर्तन हो रहा है जिससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। अन्य अधिनियम तथा कानून बने हैं जो परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए हैं।

(8) कानूनी कारक—कानून सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में अनेक परिवर्तन भारत के संविधान द्वारा हुए हैं। भारत में कानून द्वारा अनेक आर्थिक, सामाजिक और सरकारी परिवर्तन किए गए हैं। विभिन्न वर्गों, जातियों तथा लोगों में अनेक विभिन्नताओं, जैसे—ऊच-नीच, चुआळूत, प्रतिवर्षों आदि को समाप्त करने के लिए अनेक कानून पारित किए गए हैं। अनेक अन्यविश्वासों, रुद्धियों, मतान्ध्यता आदि को समाप्त करने के लिए कानून का सहाय लिया जाता है। कानून के द्वारा सामाजिक सुधार एवं कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं। सामाजिक समस्याओं तथा अपराधों को रोक कर समाज को विघटन से बचाया जा सकता है।

भारत में सामाजिक सुधार के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। विवाह, परिवार, जाति, लिंगों की सामाजिक स्थिति, पिछड़े वर्गों में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए अनेक अधिनियम बने हैं। कुछ उल्लेखनीय कानून जिनसे समाज में परिवर्तन आया है निम्नलिखित हैं—सती प्रथा पर रोक 1829 में कानून द्वारा लगाई गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1858; विशेष विवाह अधिनियम, 1872; बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929; हिन्दू विवाह अधिनियम, 1925, देहज निरोधक अधिनियम, 1962 आदि के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए गए हैं। इनके अतिरिक्त श्रमिकों की समस्याएँ, कर्मचारियों के चयन, कार्य करने के पट्टे, वेतन, बोनस, भविष्य निधि

आदि से सम्बन्धित नियम बनते रहते हैं। कानून ने भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(9) वैचारिक कारक—विचारधाराएँ भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे किसी समस्या के हल के लिए समाज-विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और जिसके विचार मान्य हो जाते हैं वे सामाजिक संत्वना में परिवर्तन ले आते हैं। विचारों में परिवर्तन अनेक से प्रथाएँ, कानून, शितिहास भी परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे—एक विचारधारा को मानने वाला दल जब सत्ता में आता है तो वह अपने अनुसार समाज में अनेक परिवर्तन कर देता है। कई बार दो विचार परस्पर विरोधी होते हैं और दोनों मान्य भी होते हैं, ऐसी स्थिति में समाज-व्यवस्था दो भागों में बंट जाती है, जैसे—मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर आज सम्पूर्ण विश्व दो मान्यताओं में बंट गया है—एक ओर पूर्जीवादी राष्ट्र हैं तो दूसरी ओर साम्यवादी राष्ट्र हैं। इस प्रकार विचारधाराएँ भी सामाजिक परिवर्तन लाती हैं। भारत में अनेक धर्मों, राजनैतिक दलों, समाज सुधारकों ने अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।

(10) महापुरुषों की भूमिका—समाज की व्यवस्था को सुचारू रूपेण बदलने के लिए महान पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इतिहास में इस बात के प्रणाल मिलते हैं कि समाज कभी भी महापुरुषों से विमुख नहीं रहा है। समाज में जितनी भी क्रान्तियाँ-आन्दोलन आदि हुए हैं, सभी किसी न किसी महापुरुष के मस्तिष्क की उपज थीं। भारत में अद्योदात, विधवा-विवाह, सती-प्रथा-निवारण, पर्दा-प्रथा जैसी बुद्धियों को हटाने में हमारे नेताओं—राजा रामपोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, स्वामी विवेकानन्द, गणेश कृष्ण परमहस, दयानन्द सरस्वती आदि का योगदान रहा है। भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की विदेश नीति पं. नेहरू का भ्राता कहीं जा सकती है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी भारत की समाज-व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। ‘बीस सूत्री कार्यक्रम’ उन्हीं की देन है। विश्व के स्तर पर भी चर्चिल, हिटलर, मुसोलिनी, रूजवेल्ट आदि की भूमिका सामाजिक आन्दोलन में महत्वपूर्ण रही है।

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तनों के लिए समय-समय पर महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं।

सामाजिक परिवर्तन के उपर्युक्त सभी कारक समाज को प्रभावित करते हैं लेकिन कौनसा कारक विशेष है, ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अनेक कारकों के सम्मिलित योग से सामाजिक परिवर्तन थठित होते हैं क्योंकि किसी समाज में परिवर्तन के लिए एक कारक प्रभावी होता है तो दूसरे समाज में कोई अन्य कारक महत्वपूर्ण हो सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि परिवर्तन किस प्रकार का है।

प्रस्तुति

1. सामाजिक परिवर्तन के कौन-कौन से कारक हैं? किन्हीं चार का वर्णन कीजिए।
2. सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
3. सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक कारक के बीच पाए जाने वाले सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

- राजनैतिक कारक का सामाजिक परिवर्तन के साथ क्या सम्बन्ध है ? बताइए।
 - सामाजिक परिवर्तन में कानून किस प्रकार प्रभाव डालता है ? साझ कीजिए।
 - सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक कारकों की विवेचना कीजिए।
 - प्राकृतिक एवं प्राप्तीशास्त्रीय कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर संकेत सहित)

- ### 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (1) कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण..... माना है।
 - (2) सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक ने बताया है।
 - (3) कानून के द्वारा परिवर्तन होता है।
 - (4) जनसंख्या का प्रभाव सामाजिक पर पड़ता है।
 - (5) रेडफील्ड ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या दीर्घ एवं परम्पराओं के द्वारा की है।
 - (6) श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या एवं परिवेशीकरण के द्वारा की है।

[उत्तर-(1) आर्थिक, (2) कार्ल मार्क्स, (3) सामाजिक, (4) परिवर्तन, (5) लघु(6) सस्कृतिकरण]

- ## **2. निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए—**

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| (1) संस्कृतिकरण | (अ) जनसंख्यात्मक कारक |
| (2) आर्थिक कारक | (ब) प्राकृतिक कारक |
| (3) बाढ़, भूकम्प, सूखा | (स) मैट्रिकल मैट्रिएट |
| (4) जन्म-मृत्यु दर (जनसंख्या विस्फोट) | (द) रैडफील्ड |
| (5) सार्वभौमिकरण-स्थानीयकरण | (क) कार्ल मार्क्स |
| (6) लघु-दीर्घ परम्परा | (ख) श्रीनिवास |

[उत्तर- (1) ख, (2) (क), (3) ब, (4) अ, (5) स, (6) द]

3. नीचे कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तरों के विकल्प दिए गए हैं, आपको उनमें से सही विकल्पों का चयन बताया जाएगा।

- (1) हिन्दू विवाह अधिनियम किस सन् में पारित हुआ था ?

- (c) 1955 (d) 1975

- (अ) 1728 (प) 1829

- (3) निम्न में कौनसा कारक जनसंख्यात्मक वृद्धि को बढ़ावा देता है?

- (अ) औद्योगिकीकरण (स) धर्म

- (ब) परिवार का व्यवसाय

- (4) सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक बिंदी

- (अ) डेविस (स) रेडफील्ड

- (ब) महात्मा गांधी

(5) संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था ?

- | | |
|------------------|---------------|
| (अ) डेफील्ड | (स) मार्क्स |
| (ब) मैकिम मैसियर | (द) श्रीनिवास |

(6) भारत का संविधान कब पारित हुआ ।

- | | |
|----------|----------|
| (अ) 1950 | (स) 1947 |
| (ब) 1850 | (द) 1955 |

[उत्तर- (1) ब, (2) स, (3) द, (4) द, (5) अ, (6) अ]

लघु-उत्तरीय प्रम्ल

1. सामाजिक परिवर्तन के निम्न कारकों पर संसिग्र टिप्पणियाँ लिखिए ।-

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (अ) प्राकृतिक कारक | (छ) सांस्कृतिक कारक |
| (ब) प्राणीशरणीय कारक | (ग) प्रौद्योगिकीय कारक |
| (स) जनसंख्यात्मक कारक | (घ) कानूनी कारक |
| (द) आर्थिक कारक | (च) वैज्ञानिक कारक |
| (क) एवं नैतिक कारक | (छ) महामुख्यों की भूमिका |

अतिलघु-उत्तरीय प्रस्त

(अ) सामाजिक परिवर्तन के किन्हीं तीन कारकों को बताइए ।

(ब) सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारकों के दो उदाहरण दीजिए ।

(स) भारत में कानूनी कारक के तीन उदाहरण बताइए ।

(द) किन्हीं दो महामुख्यों के नाम बताइए जिन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन को दिगा दी थी ।



अध्याय - 14

भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आनंदोलन

(Socio-Religious Reform Movements in India)

सामाजिक आनंदोलनों को सामाजिक विकास अथवा प्रगति का एक अंग माना जा सकता है क्योंकि उनका संबोधन समाज एवं संस्कृति में नवीन परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। कभी-कभी नवीन परिवर्तनों का विरोध करने के लिए भी सामाजिक आनंदोलन किए जाते हैं। इन आनंदोलनों का स्वरूप प्रारम्भ में असंगठित होता है, बाद में उनमें संगठन आता है। इन आनंदोलनों का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आदि क्षेत्रों में अंशतः अथवा पूर्णतः परिवर्तन लाना अथवा सुधार करना होता है।

ए.आर. देसाई के अनुसार “सुधार आनंदोलन प्राचीन मूल्य व्यवस्थाओं और नवीन सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं में विरोधाभास के कारण प्रतिफलित राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप है।”

हार्टन एवं हण्ट के मतानुसार “सामाजिक आनंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है।”

सारांशत यह कहा जा सकता है कि सामाजिक आनंदोलन समाज अथवा संस्कृति के किसी एक अंग अथवा उसके सम्पूर्ण रूप में परिवर्तन लाने अथवा परिवर्तन का विरोध करने के लिए किए जाते हैं।

सामाजिक-धार्मिक सुधार आनंदोलन

अंग्रेजों के भारत में आगमन से 19वीं शताब्दी में अनेक धार्मिक और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई थीं। एक ओर पाश्चात्य विचारधारा ने नवयुवकों को अपनी ओर आकृष्ट किया, और वे पश्चिमी वेश-भूषा, रहन-सहन और खान-पान को श्रेयस्कर समझने लगे तो दूसरी ओर ईसाइयत का प्रभाव समाज में बढ़ रहा था। मिशनरी लोग भारतीय धर्मों का विरोध कर रहे थे। अनेक सामाजिक कुरायाओं ने भारतीय समाज को नर्जर बना दिया था। लोग ईसाई धर्म से प्रभावित होकर अपने सामाजिक रीति-रिवाजों को अपनाने में लज्जा का अनुभव करने लगे थे। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप चारों ओर अराजकता, अन्यविश्वास और राजनीतिक अन्धकार फैल रहा था। भारतीयों की परस्पर

कलह के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व यहाँ स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। भारत की ऐसी विषम स्थिति ने यहाँ के बुद्धिजीवियों को अपनी स्थिति पर दृष्टिपात करने के लिए विवरा कर दिया। भारतीय समाज व धर्म के विषय में उनमें नवीन चेतना का संचार हुआ और परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक धर्म एवं समाज-सुधार आनंदोलन हुए। इनमें धर्म की नवीन व्याख्या की जाने लगी और सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया गया। इस प्रक्रिया को धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में नवजागरण अथवा पुनर्जागरण का नाम दिया गया। इन आनंदोलनों में भारत के गौरव की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करके समाज की प्रगति का मार्ग तैयार किया गया।

19वीं शताब्दी में बो धर्म-समाज-सुधार आनंदोलन हुए उनको मुख्यतया तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) पहला चरण 1877 ई. से पूर्व का भाग जा सकता है जब ये आनंदोलन व्यक्तिगत थे। उस समय केशवचन्द्र सेन ने अपने प्रश्नों में 1872 ई. मे 'ब्रह्म मेरिजेज एक्ट' पाम करवाया जिसके आधार पर विधवा-विवाह को कानूनी तौर पर वैध मान लिया गया और बाल-विवाह व बहु-विवाह को निपिद्ध माना गया।

(2) 1877-1919 ई. समाज सुधार आनंदोलनों का द्वितीय चरण था जब समाज सुधार के सांगठित प्रयास किए गए। लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने उस समय राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक माना। इस प्रकार धर्म एवं समाज सुधार आनंदोलनों में राष्ट्रीय जागरण को प्रमुखता दी गई।

(3) 1919 ई. के पश्चात् धर्म-समाज-सुधार आनंदोलन पूर्णतया राजनीतिक आनंदोलनों से सम्बद्ध हो गया और हरिजनों का उद्धार एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया।

पर्म एवं समाज सुधार आनंदोलनों के कारण—

धर्म एवं समाज सुधार आनंदोलनों के प्रमुख कारण सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक थे जिनके विरोध में प्रबुद्ध वर्ग में जागरूकता बढ़ी। इसाइयत का प्रचार, भारतीय धर्मों की निन्दा, भारतीय प्रशासन का विदेशियों के हाथों में जाना व सामाजिक कुप्रथाओं आदि कारणों से जागरणमोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द जैसे समाज सुधारकों ने 19वीं सदी में आनंदोलन किए— मुख्य रूप से इन आनंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे।

1. ईसाइयत का प्रभाव— 19वीं सदी का भारतीय समाज अनेक अन्धविश्वासों में जकड़ा हुआ था। मूर्तिपूजा, जादू-टोना, बहुदेववाद, जातीय बन्धन, त्वियों की हीन दशा आदि अनेक कारणों ने समाज को जर्बर बना दिया था। इसाई मिशनरियों ने हिन्दू धर्म की अत्यधिक आत्मोचना करना प्रारम्भ किया और प्रचलित कुरीतियों के लिए इस धर्म को दोषी ठहराया। इसाई मिशनरियों के इस प्रचार से भारतीयों को चुनौती मिली और उन्होंने ईसाई-धर्म से हिन्दू-धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से आनंदोलन प्रारम्भ किए।

2. पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव— पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण शिक्षित मध्यम वर्ग दूरोपीय विवाहों से प्रभावित हो रहा था। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति द्वारा यूरोपीय विज्ञान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन भारत में होने लगा। उन साहित्यकारों के उत्तेजक विवाहों से भारतीयों ने नवीन

दिशा प्राप्त की, वे यूरोप की उदारवादी विद्वारधारा से परिचित हुए। परिणामस्वरूप शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग भारतीय धर्म और समाज की व्यवस्थाओं के औचित्य को समझकर उनमें निहित रीतिरिवाजों के अन्धानुकरण का विरोध करने लगे, जिससे आंदोलन हुए।

3. पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव— पाश्चात्य सभ्यता ने भी भारतीयों को अत्यधिक प्रभावित किया। पश्चिमी वेशभूषा, खान-पान, विचार आदि से प्रभावित होकर भारतीय समाज से उनका विश्वास उठ गया। ऐसी स्थिति में बौद्धिक वर्ग ने यह अनुभव किया कि यदि भारतीय धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो समाज का अस्तित्व ही छतरे में पड़ जाएगा। फलस्वरूप पाश्चात्य सभ्यता का विरोध कर भारतीय धर्म और समाज में आस्था रखने के लिए आंदोलन किये जाने लगे।

4. भारतीय समाचार-पत्रों का योगदान— भारतीय समाचार-पत्रों ने भी सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया। भारतीयों का प्रथम अंग्रेजी भाषा में समाचार-पत्र 1816 में 'बंगाल गजट' के नाम से प्रकाशित हुआ। 1818 में 'दिदरन' तथा 'समाचार दर्पण' प्रकाशित हुए। 1821 में 'संवाद कौमुदी' नामक साप्ताहिक राजा राममोहन राय ने प्रकाशित किया। 1822 में 'समाचार चन्द्रिका' और अंग्रेजी में 'ब्राह्मनिकन मैगजीन' आदि निकलने प्रारम्भ हुए। इन समाचार-पत्रों के माध्यम से भारतीयों ने सामाजिक-धार्मिक समस्याओं पर विचार-विमर्श प्रारम्भ किए जिससे भारतीयों ने समाज और धर्म की रक्षा के प्रयत्न प्रारम्भ किए।

5. बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्य— 1784 ई. में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने धर्म और समाज सुधार आंदोलनों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सोसाइटी ने भारतीय प्राचीन ग्रन्थों व यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। मैक्समूलर, मोनियर, विल्सन आदि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को विश्व के समुद्र रखकर भारतीयों को अपनी प्राचीन गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराया। साथ ही भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का भी परिचय हुआ जिसमें भारतीयों के आदर्श की भी प्रशंसा की गई थी। इन सबसे भारतीयों में स्वयं के सामाजिक रीतिरिवाजों से दूर चले जाने का अहसास हुआ और उनमें अपने धर्म में निहित युशाइयों को दूर कर उनका कल्याण करने की भावना का विचार जागृत हुआ। समाज व धर्म सुधार की दृष्टि से अंग्रेजी शासन के समय अनेक आंदोलन प्रारम्भ हुए। इन सभी आंदोलनों की विशेषता अथवा उद्देश्य निम्नलिखित थे।

(1) सभी आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारत की सास्कृतिक एकता और प्राचीन गौरव को मुन स्थापित करना था।

(2) सभी सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह की भावना का जन्म हुआ।

(3) इन आंदोलनों की एक विशेषता यह थी कि इन्होंने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं (सती-प्रथा, बाल-वध, अशिक्षा, बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा आदि) का निवारण करने का प्रयत्न किया जिससे देश की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। धार्मिक क्षेत्र में भी इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप मूर्तिपूजा, बहुदेववाद व धार्मिक अन्यविश्वासों का विरोप हुआ।

(4) सभी सुधार आनंदोलनों की विशेषता, प्राचीन एवं आधुनिक मूल्यों में समन्वय प्राप्त करना था। इन्होंने व्यक्ति को आन्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, सामाजिक समानता को महत्व दिया और भारत के विकास में अवशोष उत्पन्न करने वाली बाधाओं को दूर किया।

(5) सभी सुधारगृहोलोगों की प्रकृति जनतानिक थी इसलिए उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विशेषाधिकारों को समाप्त कर संस्थाओं का जननान्वीकरण करना आवश्यक माना।

(6) सभी आनंदोलनों में समाज-सुधार के साथ ही समाज-मेवा को भी महत्व दिया गया। गिरुडे और कमज़ोर वर्गों के उत्थान की ओर उनका ध्यान गया।

(7) सभी आनंदोलनों ने भारतीय समाज और राष्ट्र को नवीन चेतना प्रदान की। ये आनंदोलन विकासगत परिवर्तन के लिए थे इसलिए इन्होंने हिन्दू धर्म को उसके दोषों में धूक कर उसमें जागृति उत्पन्न की किंतु इनका उद्देश्य परम्परागत व्यवस्था को पूर्णतः परिवर्तित करना नहीं था।

भारत के कुछ प्रमुख सुधार आनंदोलन

भारत के कुछ प्रमुख सुधार आनंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ग्राधना समाज, द सेवाण्टस औफ इण्डिया सोसाइटी, विद्योसोफिकल सोसाइटी, सत्यगोदक समाज आनंदोलन, श्रीनारायण धर्म परिषालन आनंदोलन, मिख, पारसी व जनजातीय आनंदोलन एवं गांधी सुधार आनंदोलन प्रमुख हैं जिनका उत्तोष निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है।

ब्रह्म समाज (BRAHMA SAMAJ)

भारतीय पुनर्जीवण के अग्रदूत और समाज सुधार आनंदोलनों के प्रब्रह्मतक राजा रामभोहन राय का जन्म 1772ई में बंगाल के एथानगर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारम्भ से ही वे मेघावी, प्रतिभासम्प्रदायी थे। उन्होंने हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, मस्कूत एवं यूनानी भाषा पर आधिपत्य का लिया था। उन्होंने वेदों, उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने फारसी में एक उपस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मूर्निपूजा का खुल किया और एक ब्रह्मवादी प्रशंसन की। निबत जाकर उन्होंने बौद्ध मत का अध्ययन किया। गज गम्भोहन राय ने हिन्दू, ईमाइ, इस्लाम, बौद्ध आदि सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और भभी धर्मों में निहित कार्यकार्णों को समाप्त करने का प्रयास किया। उन पर ईमाइ धर्म का भी प्रचुर प्रभाव पड़ा। अन्न में चार्टीस वर्षों की अवस्था में अपना माहु जीवन लोकहित में लगाने के टहम्य से मात्राग्री पद में त्याग-पत्र देकर वे 1814 में कलकत्ता में स्थाई हृष्ट से बस गए। 20 अगस्त मन् 1828 में शुद्ध एक ब्रह्मवादी उपासना के लिए याजा रामभोहन राय ने 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। ब्रह्म समाज का आगाय 'एक ईंद्रिय में विश्वाय रथुने वाले लोगों की मस्ता' था। ब्रह्म समाज के प्रमुख मिदान एक ही ईश्वर की उपासना, पानव भास्त्र के प्रति भाईदरों वी भावना एवं सभी धर्मों के द्रुत श्रद्धा उत्पन्न करना था। उन्होंने मूर्ति-पूजा, यज्ञ, वन्नि-प्रथा एवं जाति-वर्णनों वी भल्लना की। वे किसी एक धर्म में निष्ठा भवी रखते थे, वरन् सभी धर्मों की गौत्तिक एकता व मत्त्वता में उभका विश्वास किया। नेताजी सुभाष ने उन्हें 'पार्वतीय पुनर्जीवण का मर्माहा' कहा। के.एम. परिष्कर के शब्दों में "गुजरात रामभोहन राय ने भारत में मर्माहा धर्मोंनिरपेक्ष आनंदोलन को जन्म दिया।"

ब्रह्म समाज के प्रमुख मिदान एवं उम्मेदः पा विविध द्वितीयों में झार, मुण्डारों व दोगदान व अग्निलिखित रूप में देखा जा सकता है—

1. धार्मिक सिद्धान्त एवं सुधार— ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। ब्रह्मसमाज के मुख्य धार्मिक सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(1) ईश्वर एक है, वह संसार का स्थापा, पालक और रक्षक है; उसकी शक्ति, प्रेम, न्याय और पवित्रता अपरिमित है।

(2) आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है और वह अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है।

(3) आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अनित्य की अनुभूति आवश्यक है।

(4) किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न किसी पुस्तक या पुरुष को निर्वाण अथवा मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए।

ब्रह्म समाज में देवों और उपनिषदों को आधार मानकर बताया गया है कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है, मूर्तिपूजा और कर्मकाण्ड निरर्थक हैं तथा सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकाण्डों एवं ईसाप्रसीह के ईश्वरीय अवतार होने के दावे का भी खंडन किया। परिणामस्वरूप जो हिन्दू ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे, वे अपना धर्म-परिवर्तन करने से रुक गए। ब्रह्म समाज ने भारत के अनेक धर्मों के सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए इस समाज का नाम धर्म सुधार के क्षेत्र में अग्रणीय है।

(2) सामाजिक सुधार— समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का योगदान अद्वितीय है। हिन्दू समाज में ऐसी कोई कुरीति नहीं थी जिस पर ब्रह्म समाज ने आक्रमण न किया हो। बाल-विवाह, बहुविवाह, जाति-प्रथा, छुआछूत, नशा आदि कुरीतियों का डटकर विरोध किया गया। साथ ही स्त्री-शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, तलाक और सिविल मैरिज का भरपूर समर्थन किया गया। उस समय के समाज में व्यापावर-विक्रय और कन्या-वध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन छेड़ दिया गया और समता का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए लाखों हिन्दुओं को ईसाई धर्म स्वीकार करने से रोका गया। 1822 और 1830 में दो प्रकाशनों द्वारा राममोहन राय ने स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी और सम्पत्ति के अधिकारों पर प्रकाश ढाला। सती-प्रथा पर रोक लागाने के लिए 1829 में कानून बनाकर उसे गैर-कानूनी घोषित करने में राममोहन राय का ही प्रमुख हाथ था।

(3) साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार— साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी ब्रह्म समाज का कार्य उल्लेखनीय है। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए राममोहन राय ने विभिन्न समाजों की स्थापना की, अनेक पुस्तके लिखीं, और अनेक धार्मिक ग्रन्थों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया। समय-समय पर अनेक पत्र-पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों का प्रकाशन किया गया। ‘संवाद कौमुदी’ और ‘मिरातउल’ नामक अखबार का प्रकाशन किया गया। केशवचंद्र मेन ने भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा ‘तत्त्व कौमुदी’, ‘बाह्य पब्लिक ओफिनियन’ और ‘संजीवनी’ आदि पत्र भी प्रकाशित किए। राममोहन राय ने आंगन भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया। वे आधुनिक युग की प्रगति के लिए अग्रेजी के ज्ञान को आवश्यक मानते थे। ब्रह्म समाज ने विभिन्न स्कूल और कॉलेज खोले। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ‘वेदान्त कॉलेज’, ‘इंडिश स्कूल’ और ‘हिन्दू कॉलेज’ की स्थापना की। ‘युवा बंगल आंदोलन’ को ‘हिन्दू कॉलेज’ ने ही जन्म दिया।

(4) राष्ट्रीय सुधार— ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी योगदान दिया। राममोहन राय ने हिन्दू कानून में सुधार करने के लिए आवाज उठाई। सियों के सामाजिक, कानूनी, और सम्पत्ति के अधिकार पर बल दिया। समाचार-पत्रों पर तो प्रतिबन्धों का विरोध किया। सर्वज्ञथम विचार-स्वतंत्रता का नारा उन्होंने ही बुलाया दिया। अधिकाधिक संघट्या में भारतीयों को शासन और सेना में भर्ती करने की माँग की। उन्होंने न्याय में जूरी प्रथा का समर्थन किया, और न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने की माँग की। राममोहन किसानों के हिमायती थे। साथ ही वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल के भी पक्षधर थे। एडम ने लिखा है, “स्वतंत्रता की लागत उनकी अन्तर्राष्ट्रीयता की सबसे जोखार लागत थी और यह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी कार्यों में फूट-फूट कर निकल पड़ती थी।” इसलिए उन्हे “नए युग का अग्रदृश” कहा गया है।

1833 में राममोहन राय का देहावसान हो गया। इसके बाद ब्रह्म समाज आन्दोलन को देवेन्द्रनाथ टैगोर और केशवचन्द्र सेन से सम्भाला। देवेन्द्र नाथ के प्रयासों से इस आन्दोलन में एक पृथक् सम्प्रदाय का रूप घासण कर लिया। उन्होंने धर्म सुधार की प्रक्रिया में तेजी की और उसे एक मगाठित ढाँचे का रूप प्रदान किया। उपनिषदों से सामग्री एकत्र कर उन्होंने ‘ब्रह्म धर्म’ नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें ब्रह्म समाजियों की उपासना के नियम थे। उनका उद्देश्य इसाइयत के प्रभाव में कथी करना था। इस प्रकार देवेन्द्रनाथ ने ब्रह्म समाज को शक्तिशाली बनाया और उसके सिद्धान्तों की पुनर्व्याख्या की।

1857 के पश्चात् ब्रह्मसमाज में एक नवीन परिवर्तन हुआ। केशवचन्द्र सेन को देवेन्द्र नाथ ने ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य बनाया। केशवचन्द्र कुशाग्र बुद्धिमुक्त, अत्यत उदार व्यक्ति थे, साथ ही यूरोपीय धर्म, शिक्षा और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। वे प्राचीन ऋषियों और धार्मिक बन्धनों के विळद थे। वे जाति-प्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे और धर्म के ऐतिक पक्ष पर अधिक बल देते थे। उन्होंने ‘भारतीय ब्रह्म समाज’ की स्थापना की। स्थान-स्थान पर धूम-धूमकर ब्रह्म समाज का प्रचार-प्रसार भी किया। इस प्रकार केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज की अत्यधिक उन्नति की।

1878 में कुछ ब्रह्म समाजियों ने केशवचन्द्र सेन से अलग होकर ‘साधारण ब्रह्म समाज’ की स्थापना की। इस नए समाज ने सुधारखादी मार्ग चुना और पर्दा-प्रथा वी समाप्ति, विवाह-पुनर्विवाह का शुभारम्भ, बाल-विवाह और बहुविवाह का उच्छेदन और सियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रयास प्रारम्भ किए। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खान-पान आदि को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने उपनिषदों पर आधारित अद्वैतबाद का प्रचार किया— इस प्रकार इस धर्म ने सभी क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की।

प्रार्थना समाज (PRARTHANA SAMAJ)

प्रार्थना समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की एक शाखा के रूप में न्यायाधीश महादेव गोविन्द गणाडे के नेतृत्व में 1867 में हुई। प्रार्थना समाज की प्रेरणा केशवचन्द्र सेन से मिली। इस समाज के प्रमुख कार्यकर्ता पी सी. मजूमदार, महेन्द्र नाथ बोस और नवीन चन्द्र राय आदि थे। इस समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य समाज-सुधार था। इस समाज के सदस्य स्वयं की नवीन सम्प्रदाय का नहीं, वरन् हिन्दू धर्म का ही एक अंग मानते थे। 1882-83 में पण्डित रमा वार्ड ने इस समाज में

समिलित होकर 'आर्य महिला समाज' का गठन किया। 'सुबोध पत्रिका' का प्रकाशन भी इस समाज द्वारा होने लगा। इस समाज के अनुयायियों पर नामदेव, तुकाराम और रामदास आदि संतों का बहुत प्रभाव था। धीरे-धीरे प्रार्थना समाज का प्रचार-प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ। मद्रास प्रेसीडेंसी और तेलगू प्रदेश में इसकी अनेक शाखाएँ भी स्थापित की गईं। प्रार्थना समाज के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं।

- (1) ईश्वर एक है और उसने इस विश्व को रचा है।
- (2) ईश्वर की उपासना से इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है।
- (3) ईश्वर की उपासना प्रेम एवं श्रद्धा के साथ करनी चाहिए।
- (4) मूर्तिपूजा ईश्वर की सच्ची उपासना नहीं है।
- (5) ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, न उसने किसी पुस्तक की रचना की है।
- (6) सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं।

वास्तव में प्रार्थना समाज के सिद्धान्त ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों के ही अनुरूप हैं। इस समाज ने हिन्दू समाज में प्रचलित जाति-प्रथा की समाप्ति पर बल दिया। विधवा-विवाह व स्त्री-शिक्षा का समर्थन किया। अन्तर्जातीय विवाह एवं खान-पान व दलित वर्गों के उत्थान का समर्थन किया और इन कार्यों के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई। अनेक अनाथालय, रात्रि-पाठशालाएँ, विधवा-आश्रम, कन्या-पाठशालाएँ खोली गईं। उन्होंने पंडरपुर में परित्यक्त शिशु-आश्रम भी स्थापित किया। दलित वर्ग के उद्धार के लिए भी भरपूर प्रयास किए गए। इस प्रकार रानाडे ने अपना सम्पूर्ण जीवन इस समाज की सेवार्थ अर्पित कर दिया। वे समाज सुधार को ही धार्मिक कृत्य मानते थे। मजदूरों की दण्डिता का उन्मूलन करने का इस संस्था ने भरसक प्रयास किया।

आर्य समाज

(ARYA SAMAJ)

आर्य समाज के संस्थापक गुजरात के संन्यारी स्वामी दधानद सरस्वती थे। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज आन्दोलन ब्रह्म समाज से भिन्न था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में काठियावाड में मोर्टी के एक कस्बे टंकारा में एक धनी रुढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूलशकर था। जब वे 14 वर्ष के थे तो शिवारात्रि के पर्व पर शिवमंदिर में एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते देखकर मूर्तिपूजा से उनका विश्वास उठ गया। 1845 में 21 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक खोज के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया। 1860 में मथुरा पहुंच कर वहाँ दण्डी स्वामी ब्रजानन्द के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। ब्रजानन्द ने उन्हे वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या समझाई। उन्हे पौराणिक हिन्दू धर्म की कुरीतियों और अन्य विश्वासों का खण्डन वर देश में वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनः स्थापना करने का आदेश दिया, जिसका पालन दयानंद सरस्वती ने जीवन भर किया। सन् 1875 में दयानंद ने घम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 30 अक्टूबर, 1883 में राजस्थान के अजमेर शहर में उन्हें किसी ने विष दे दिया जिससे उनका देहावसान हो गया।

आर्य समाज के मिद्दान्त—स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज के मौत्रिक सिद्धान्तों का परिचय उनके महान ग्रन्थ "सत्यार्थ प्रकाश" में मिलता है। इस प्रगति, आधार पर आर्य समाज के दस सिद्धान्त हैं, जो अग्रलिखित हैं—

(1) ईश्वर एक है तथा वह निषिकार है। वह सर्वशक्तिभान, न्यायकारी, दयालु, निर्विकार, सर्वव्यापी, अजर-अमर है। अतः उसकी उपासना करनी चाहिए।

(2) वेद ही सब्जे ज्ञान के स्रोत है। अत वेद का पढ़ना-पढ़ाना, मुनना-मुनाना सब आयों का परम धर्म है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(4) संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है।

(5) सब कार्य धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए।

(6) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में मतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।

(7) प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।

(8) समस्त ज्ञान का नियमित कारण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है।

(9) सभी को धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए।

(10) व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आवरण की स्वतंत्रता रहे, पन्तु सामाजिक भलाई से मम्बन्धित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए।

उपर्युक्त नियमों अथवा सिद्धान्तों के आधार पर हिन्दू समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से आर्य समाज ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। मूर्तिपूजा व हिन्दू पर्व के अन्यविश्वासों का खण्डन किया और वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार किया। आर्य समाज ने धार्मिक-सामाजिक, शैक्षणिक और गजनैतिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य व सुधार किए। आर्य समाज का योगदान निम्नलिखित है—

1. धार्मिक सुधार— आर्य समाज ने मूर्तिपूजा, कर्मकाण्ड, बलिप्रथा, स्वर्ण-नरक कल्पना और भाग्यवादिता का विरोध किया। वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया ओर हवन, यज्ञ, मन्त्रोच्चारण व कर्म आदि पर चल दिया। हवन नागुमण्डल को शुद्ध करता है। उसने अनेक शवरात्र का भी विरोध किया पौराणिक रुदियों की निन्दा की। ईश्वर की उपासना, अच्छे कर्म और ब्रह्मचर्यव्रत के पालन करने पर जोर दिया क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस समाज ने मृतकों के शाद का विरोध किया। मात्र वैदिक धर्म को ही मानव का सब्जा धर्म बताया। स्वामी दयानन्द ने व्यापक धार्मिक क्रान्ति का श्रीगणेश किया। श्री अर्द्धिंदने कहा था, “राजा राममोहन राय उपनिषदों पर ही ठहर गए, किन्तु दयानन्द ने उपनिषदों से भी आगे देखा और यह जाप लिया कि हमारी मस्कुति का वास्तविक मूल वेद ही है।”

2. साहित्यिक व शैक्षणिक सुधार— आर्य समाज का योगदान साहित्यिक व शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानन्द ने गंगाकृत के अध्ययन-अध्यापन पर चल दिया। अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने प्राचीन गुरुकुल प्रणाली प्रचलित वी जहाँ ब्रह्मचर्यव्रत का निर्वाह करते हुए छात्र विद्याध्ययन कर सकें। उन्होंने वेदों को विद्या का भण्डार बताया और अग्रेजी ज्ञान को धोया बताया। दयानन्द ने नारी के पर्दान-प्रथा का विरोध किया क्योंकि यह शिक्षा में बाधक थी। हरिदार के पास गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की जिसमें हिन्दी के माध्यम से विद्ययों का अध्ययन कराया जाता है। दी.ए.वी. कॉलेज जो आज स्थान-स्थान पर चल रहे हैं, उन्हीं के प्रयास का परिणाम है।

3. सामाजिक सुधार- आर्य समाज ने हिन्दू समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों, जैसे—बाल-विवाह, बहुविवाह, सती-प्रथा, पर्दाग्रिधा व जाति-प्रथा आदि के विरोध में आवाज बुलान्द की। उन्होंने छुआँहूत तथा समुद्र-यात्रा- निषेध के विरोध में आवाज उठाई और प्राचीन वर्ण व्यवस्था को उच्च माना। आर्य समाज ने स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक जीवन में पूरी तरह भाग लेने का अधिकार दिया। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह बंद करने की बात कही। दयानन्द स्वामी ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात कही और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार स्त्रियों को दिया। उन्होंने 'शुद्धि आंदोलन' को जन्म दिया जिसमें गैर-हिन्दुओं, अद्यूतों, दलितों और ईसाई और मुसलमान बनाए गए हिन्दुओं को पुन हिन्दू धर्म में सम्मिलित कर लिया जाता था। आर्य समाज ने ही हिन्दू रामाज में संगठन जागृत किया जिससे हिन्दुओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई।

4. राष्ट्रीय सुधार- आर्य समाज ने भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा करते हुए स्वावलम्बन के विकास को प्रोत्साहित किया। इससे राष्ट्रीयता और स्वराष्ट्र प्रेम को बल मिला। वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने ही प्रथम बार 'विदेशी वस्तुओं' का बहिन्कर करना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' में उन्होंने लिखा है कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य की तुलना नहीं कर सकता। वैदिक कालीन भारत को उन्होंने इसीलिए गौरवमय बताया क्योंकि उस समय भारत में स्वराज्य था। बाल गगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आदोलन का नेतृत्व किया, आर्य समाज से प्रभावित थे। डी.आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, "आर्य समाज आरम्भ से ही उग्रवादी सम्प्रदाय था।" वास्तव में आर्य समाज ने कट्टर राष्ट्रादियों के निर्माण में सहयोग दिया। 'नमम्बे' शब्द का प्रचलन आर्य समाज ने ही किया; जो आज विदेश तक में अभिवादन के लिए मुविल्यात है।

सामाजिक दयानद सरस्वती ने सामाजिक-सांस्कृतिक व धार्मिक आदि क्षेत्रों में अपना अपूर्व योगदान किया। वे भारतीय गौरव के पक्षाधर थे। उन्होंने भारतीयों में स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की अपूर्व लहर उत्पन्न की और धर्म, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया।

रामकृष्ण मिशन

(RAMKRISHNA MISSION)

रामकृष्ण मिशन, अपोलोन के प्रत्यर्तक रामकृष्ण परमहरू थे। यह मिशन प्राचीन भारतीय और आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का संश्लेषण कहा जा सकता है। रामकृष्ण का जन्म 1836 में बगाल में हुगली जिले में गोरीब्राह्मण दरिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदापर चट्टोपाध्याय था। वे कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर के मंदिर के पुजारी थे। काली माँ के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति एवं श्रद्धा थी। उन्होंने राम, कृष्ण और काली माँ के साक्षात् दर्शन किए। रामकृष्ण सभी धर्मों में विश्वास रखते थे। उन्होंने न तो कोई सम्प्रदाय स्थापित किया न आश्रम की स्थापना की। वे भारत की परम्परागत सन्त पद्धति से उपदेश देते थे। उन्हे विद्वानों ने "धर्म का जीता जागता स्वरूप" कहा। वे—निराकार और साकार—ईश्वर के दोनों रूपों के समर्थक थे। मूर्ति-पूजा के विरोधी नहीं

थे। एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद में भेद नहीं मानते थे। उनकी हाइ में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभास्त सभी पवित्र ग्रंथ थे। उन्हे आध्यात्मवाद, रहस्यवाद और उदासता का महान सन्त माना जाता है।

रामकृष्ण की गिक्खाएँ— रामकृष्ण ने वेदान्त के सत्यों की अति सुन्दर व्याख्या की है जिनका सार निम्नलिखित है—

(1) मानव जीनम का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर से साक्षात्कार करना है। व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक जीवन का विकास कर ईश्वर के दर्शन कर सकता है।

(2) गृहमय जीवन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं है। विषय-वासनाओं को स्थानकर, कंचन-कामिनी से मन हटाकर गृहस्थ में रहते हुए भी आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है।

(3) शरीर और आत्मा—दो भिन्न वस्तुएँ हैं। यदि कचन-कामिनी में आसक्ति न रहे तो शरीर और आत्मा दोनों अलग-अलग दिखाई देने लगती हैं।

(4) ईश्वर शास्त्रार्थ की शक्ति से परे है इसलिए तर्क करने से क्या फायदा ?

(5) मूर्ति-पूजा के वे मर्यादक थे ज्योंके ईश्वर की प्रतिया को देखते ही ईश्वर की सूति हो जाती है।

(6) उन्होंने अनुभूति को तर्क, वादविवाद, प्रबन्धन और भाषण से भी अधिक महत्वपूर्ण माना क्योंकि अनुभूति से ही परमतत्त्व का दर्शन सम्भव होता है।

(7) रामकृष्ण के अनुसार सभी मनुष्यों में उस सञ्चिदानन्द का निवास है अत मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं है।

(8) ईश्वर की उपासना के विषय में उनका मानना था कि जब तुम एक हाथ से काम करो तो दूसरे हाथ से भागवन के चारण पकड़ लो। जब काम समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भागवन के चारण पकड़ लो।

(9) उनका मानना था कि विद्वता के साथ-साथ अहकार की समाप्ति हो जाती है।

(10) रामकृष्ण सभी धर्मों की सत्यता में विश्वास करते थे। ज्योंके उनके पत में ईश्वर एक है लेकिन उसके हृषि-पित्र-पितृ हैं।

रामकृष्ण ने भारत के अनेक लोगों का मार्ग दर्शन किया। उनमें विवेकानन्द भी थे। विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी, 1863 में कलकत्ता के एक कार्यस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेन्द्र नायद दत्त था। 1881 में नरेन्द्रनाथ ने रामकृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया और सारे भारत में धूम-धूम कर धर्मपदेश दिए। 1896 में रामकृष्ण की मृत्यु के अनन्तर विवेकानन्द ने कलकत्ता के पाया बैलूर में 'गमकृष्ण प्रिशन' की स्थापना की। जनवरी, 1899 को बैलूर में इस प्रिशन का कार्यालय स्थापित किया गया। वही रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई। प्रिशन एक परामर्शदाती संस्था है जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार करना है। इस प्रिशन को भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त हुई। यह एक परोपकारी संस्था है। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिकता का विकास करना इसका लक्ष्य है। भारत के विभिन्न स्थानों में इसकी शाखाएँ हैं, जो पोरपकारिता, देश-हितकारी और समाज सेवा की भावना से कार्यरत हैं। अस्पताल खोलकर रोगियों की सेवा करना; अनायालयों, आश्रमों द्वारा दीन-दुखियों की सेवा करना, विद्यालयों और वाचनालयों द्वारा शिक्षा

का प्रचार-प्रसार करना इस मिशन के उद्देश्य हैं। इस प्रकार धार्मिक संस्था के साथ-साथ यह एक समाज-कल्याणकारी संस्था भी है। आज यह संस्था एक विश्वव्यापी संगठन बन चुका है। मिशन बाढ़, अकाल, भूकृष्ण आदि प्रकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करता है। इसने लाखों गौणे पुरुष-स्त्रियों की सहायता की है।

मिशन के द्वारा अनेक पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएँ अंग्रेजी, हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं। इनसे मिशन के उद्देश्यों का प्रचार भी होता है। 1961 में मिशन की 138 से अधिक शाखाएँ थीं। भारत के अतिरिक्त अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका व बर्मा आदि अन्य देशों में भी इसकी अनेक शाखाएँ हैं। अनेक लड़के-लंडकियाँ इन मिशनों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। सारांशत यह एक समाज सेवा संस्था है।

विवेकानन्द के नेतृत्व में स्थापित रामकृष्ण मिशन बिना किसी भेदभाव के आज भी समाज सेवा में संलग्न है। विवेकानन्द ने मानव-समाज की सेवा को महत्वपूर्ण माना। वे स्त्री पुनरुद्धार और आर्थिक प्रगति के भी पक्षधर थे। उन्होंने निर्धनता, अशिक्षा, रूढिवादिता व अन्धविश्वास आदि की भर्तर्ना की। उन्होंने मानव-कल्याण में सहायक धर्म के स्वरूप को प्रस्तुत किया। उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया। उनके उपदेशों के परिणामस्वरूप भारतीयों की शारीरिक एवं मानसिक प्रगति हुई। वे नारी-शिक्षा के उन्नयन के प्रबल समर्थक थे। सारांशत उन्होंने राष्ट्रीय, भारतीय सम्पत्ता और सांस्कृति पर बल दिया। उनके उपदेशों से भारतीयों में अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा का सचार हुआ।

थियोसोफिकल सोसाइटी (THEOSOPHICAL SOCIETY)

थियोसोफिकल सोसाइटी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने देश के धार्मिक और सामाजिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। थियोसोफी शब्द 'थियो' (ईश्वर) और 'सोफिया' (ज्ञान) शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है 'ब्रह्म-विद्या' अथवा 'ईश्वर का ज्ञान'। इस संस्था की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई थी और इसके सम्भापक कर्मल एच.एस. आलकाट (अमेरिकन) और एक महिला एच.पी. ब्लेवटास्की (रूसी) थे। सन् 1876 में दोनों संगठनकर्ता भारत आए और मद्रास के निकट अड्डार में इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थापित किया। आयरिश महिला श्रीमती एनी बीसेण्ट 1893 में सोसाइटी की मुख्य सदस्या के रूप में भारत आई और 1910 से 1933 तक इस संस्था की अध्यक्षा रहीं। भारत में इस संस्था को सक्रिय बनाने का श्रेय श्रीमती एनी बीसेण्ट को ही प्राप्त है। वे हिन्दू रीत-रिवाजों और संस्कारों से प्रभावित थीं। हिन्दू धर्म के प्रति उनके मन में अपूर्व श्रद्धा और उत्साह था। उन्होंने थियोसोफिकल समाज के माध्यम से भारतवासियों में प्राचीन धर्मग्रन्थों के प्रति गौरव की भावना जागृत की। यह संस्था कोई साम्प्रदायिक आंदोलन नहीं है वरन् इसका उद्देश्य सभी धर्मों की मूलभूत एकता, आध्यात्मिक जीवन का महत्व और विश्व बन्धुत्व का प्रचार करना है।

थियोसोफिकल समाज की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(1) ब्रह्म की कल्पना, जिससे सभी व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, और जो सभी मनुष्यों में निवास करता है।

(2) धर्म के विभिन्न रूप हैं, परन्तु सभी ब्रह्म के अंग हैं।

- (3) सन्त, महात्मा आदि ब्रह्म की देखभाल में संसार का मार्गदर्शन करते हैं।
- (4) मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार प्रयत्न करके 'निर्वाण' प्राप्त कर मवता है।
- (5) प्रत्येक धर्म किसी न किसी रूप में मनुष्य को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताता है अतः सभी धर्म महत्वपूर्ण हैं।
- (6) स्त्री और पुरुष समान हैं, क्योंकि आत्मा किसी के भी शरीर में जन्म ले सकती है।

भारत में इस संस्था ने संस्कृति की उत्कृष्टता और धार्मिक सहिष्णुता पर अधिक जोर दिया। समाज-सुधार के अनेक कार्य इसके द्वारा किए गए। इस संस्था द्वारा स्थापित किया गया बनाम का 'सेण्टल हिन्दू कॉलेज' अगे चलकर 'बनास हिन्दू यूनिवर्सिटी' में परिवर्तित हो गया। अद्यतों के लिए पाठशालाएँ सर्वप्रथम इसी संस्था द्वारा खोली गई। इस संस्था ने भारतीयों में आत्मगौरव की भावना सचारित की, प्राचीन आदर्शों और परम्पराओं को पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योग दिया। एसी बीसेण्ट ने वाल-विवाह, विधवा-विवाह-नियंत्रण आदि कुरारितियों के विरोध में आवाज बुलान्द की। हिन्दूवाद और बौद्ध-धर्म को पुनर्जीवित करने में भी इस संस्था ने योगदान दिया। उन्होंने स्वराज्य आंदोलन का भी संचालन किया। इस प्रकार इस सोसाइटी द्वारा धर्म और समाज-सुधार आंदोलन के साथ-साथ राष्ट्रीय आंदोलन को भी नवीन दिशा मिली।

द सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी

(THE SERVANTS OF INDIA SOCIETY)

"द सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी" नामक संस्था के सम्बापक भारतीय-राष्ट्रीय-कांग्रेस के उदार नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने इस संस्था की स्थापना सन् 1905 में की। वे स्वयं महान् स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक-राजनीतिक विदारक थे अतः इम संस्था का उद्देश्य भी प्रेम व राष्ट्रीय भावना युक्त साय ही त्याग की भावना रखने वाले लोगों को प्रगतिशिल कर संवैधानिक साधनों द्वारा भारतीय जनता के हितों की रक्षा करना था। यह सोसाइटी देश में वा के लिए तत्पर थी और इसके सदस्यों को धार्मिक भावना के रूप में अपने जीवन को देश-सद्वा के लिए समर्पित कर देने का मदेश दिया गया था। इस संस्था ने अनेक समाज-सुधार के कार्य किए जिनमें समाज-शिक्षा का प्रसार, दलित वर्गों के उत्थान करने का कार्य और स्वतंत्रता संग्राम के सुट्टीकरण का कार्य महत्वपूर्ण है। गोखले की मृत्यु के अनन्तर 1915 में श्रीनिवास शास्त्री ने इम संस्था का अध्यक्ष पद सभाला। संस्था के कुछ मदास्य निम्नार्थ राजनीति में समर्पित हो गए और अन्य सदस्यों ने समाज सेवा में स्वयं को लगा दिया।

संस्था के ही एक सदस्य नारायण मलहार जोशी ने 'सामाजिक सेवा संघ' की स्थापना 1911 में बनवाई है। संस्था का कार्य साधारण जनता के लिए श्रेयम्बर जीवन-सुविधाएँ उपलब्ध कराना थ। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संस्था द्वारा अनेक राष्ट्रिय पाठ्यगानाएँ, पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए, मुक्त स्कूल व नर्सरी भी खोले गए। स्वयं द्वारा सहकारी समितियां स्थापित की गई। इस संस्था में गरीबों को मुक्त कानूनी सलाह देने, गर्नी चम्पियां में रहने वाले लोगों के लिए मनोरजन, खेल-कूद, सफाई, स्वास्थ्य-सेवा, करब व स्काउट आदि वीरिया देने वैसे कार्य मिए गए।

सन् 1920 में इसके सम्बापक द्वारा 'अखिल भारतीय श्रमिक सभ कांग्रेस' की स्थापना की गई।

को संभाला गया। इस आन्दोलन के परीणामस्वरूप कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। कई संचनात्मक परिवर्तन भी हुए। निम्न जातियाँ ऊंचा उठने का प्रयास करने लगी, पिछड़ी जातियों के बड़े-बड़े संघ बनने लगे व शक्ति के वितरण में परिवर्तन आया।

मुसलमानों में सुधार आंदोलन

(REFORM MOVEMENTS AMONG MUSLIMS)

हिन्दुओं के समान ही मुसलमानों ने भी अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से आंदोलन किए। इनमें चार आन्दोलन प्रमुख हैं— (1) अहमदिया आन्दोलन, (2) अलीगढ़ आंदोलन, (3) मुहम्मद इकबाल का आंदोलन, और (4) शेख अब्दुल हलील शरार का आंदोलन। इन आन्दोलनों का वर्णन इस प्रकार है—

1. अहमदिया आन्दोलन— मुस्लिम समाज में नवोत्थान का श्रेय सन् 1889 के अहमदिया आन्दोलन को दिया जा सकता है— उसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। ये अर्द्धी-ज़ारीसी के ज्ञाता थे। आर्य समाज को वे धूणा की दृष्टि से देखते थे। 1880 में उन्होंने 'बराहीमी अहमदिया' नामक ग्रंथ के प्रकाशन के साथ ही मुस्लिम समाज ने उन्हें 'पैगम्बर' पोषित कर दिया। इससे कुछ मुसलमानों पर प्रतिकूल असर पड़ा और उनके अनुयायी जो संहृता में अत्यधिक थे, धीरे-धीरे घटने लगे क्योंकि वे मुहम्मद साहब के अलावा अन्य किसी को पैगम्बर मानने को तैयार ही नहीं थे। यह आंदोलन भी धीरे-धीरे शिथिल होने लगा। इस आंदोलन ने मुसलमानों के लिए स्कूल व कॉलेज खोले और अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं। इसने मुसलमानों को सागिठ करने का भी कार्य किया, साथ ही पश्चिम के प्रभाव का विरोध किया।

2. अलीगढ़ आंदोलन— इस आंदोलन के संस्थापक 'सर सैयद अहमद खाँ' थे। मुसलमानों का यह एक प्रमुख सुधार आंदोलन है जो सामाजिक और सास्कृतिक सुधार की दृष्टि से किया गया। सर सैयद अहमद खाँ भारत के मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी व पारचात्य विज्ञान का ज्ञान कराना चाहते थे। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में "मोहम्मदन ऐंप्लो-इण्डियन कॉलेज" की स्थापना की। इसने 1890 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। यह मुस्लिम सास्कृति और शिक्षा का महान केन्द्र बन गया। मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार हुआ। पुरुषों की शिक्षा के साथ-साथ हिंदूओं की शिक्षा पर यहाँ जोर दिया गया। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए एक "मुस्लिम शिक्षण समिति" की भी स्थापना की। उन्होंने पर्दा-प्रथा का विरोध किया और नारी-शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने मुस्लिम समाज में प्रचलित पद्धति का भी विरोध किया। उन्होंने पवित्र कुरान का उर्दू भाषा में भाष्य भी लिखा जिसमें नवीन निवारो के आधार पर कुरान का तात्पर्य सही रूप में स्पष्ट किया गया।

3. मुहम्मद इकबाल का आंदोलन— सर मुहम्मद इकबाल एक मशहूर शायर थे। उन्होंने इस्लाम के मानवतावादी सिद्धांतों को प्रलेख करने की प्रेरणा दी। अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से उन्होंने धूरोपीय सभ्यता का विरोध किया तथा उदारवादी आंदोलन का समर्थन किया। उनकी दृष्टि में इस्लाम एक व्यापक मानवतावादी धर्म था।

4. शेख अब्दुल हलील शरार का आंदोलन— शेख अब्दुल हलील शरार ने संयुक्त प्रान्त में पर्दा-प्रथा के विरोध में तीक्ष्णता से संघर्ष किया। वे स्वयं एक पत्रकार एवं लेखक थे।

इसके अतिरिक्त 'बहारी आनंदोलन' का सूत्रपात हुआ जिसका उद्देश्य इमानाप को परिवर्तित और परिशुद्ध करना था। इस आनंदोलन के प्रवर्तक मैयद अहमद खालियाँ थे। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के विरोध में इस्तान के सिद्धान्तों का प्रचार किया। इम आनंदोलन के प्रमुख मिलान थे थे— (1) बिलासिता का जीवन इस्लामी शिक्षा के विरुद्ध है, (2) मुसलमानों को परिवर्ती सभ्यता संचड़ा चाहिए, (3) मुसलमान कुरान के सिद्धान्तों पर चलें, और (4) मुसलमानों को धर्मयुद्ध करने का औचित्य है।

इस प्रकार सभी मुस्लिम आनंदोलनों के उद्देश्य स्थितों की स्थिति को सुधारना, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह और बहु-विवाह का नियेष व मी-शिक्षा को बढ़ावा आदि थे।

सिखों एवं पारसियों में सुधार आनंदोलन

(REFORM MOVEMENTS AMONG SIKHS AND PARSIHS)

सिखोंने अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए "रामेश्वणी गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति" की स्थापना की। अपृतमा में प्रछण्ड 'खालमा कॉलेज' की स्थापना सिखोंने की। इसके अतिरिक्त "प्रथान खालमा दीवान" नामक एक केन्द्रीय सम्बन्ध का निर्माण भी किया गया। उसका उद्देश्य समानता व शिक्षा की दृष्टि से सिस्तु समाज में सुधार करना था।

मिथों में शिक्षा का प्रसार करने, गरीब सिखों की आर्थिक सहायता करने और उन्हें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देने का कार्य किया।

सिक्ख बाबा रामसिंह ने "नामधारी आनंदोलन" के द्वारा समाज में प्रबलित कन्या-वध, बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, दरेज, जातीय-भेदभाव आदि समस्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।

पारसियों में समाज-सुधार के लिए दादा भाई नौरोजी और एवं जी बंगाली ने प्रमुख कार्य किया। इन्होंने पारसियों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए तथा पारसी धर्म का पुनरुत्थान का उसे पूर्ण पवित्रता की श्रेणी में लाने हेतु 1851 में 'रहनुशाई-पञ्चदयमीनन सभा' की स्थापना की। सन् 1900 में पारसियों में धर्म सुधार हेतु एक सम्मेलन किया गया जिसमें सुधार आनंदोलनों द्वारा सी-शिक्षा और उनकी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने का निश्चय किया गया। पारसियों ने अपने सुधार के साथ-साथ देश के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में भी योग दिया।

इन आनंदोलनों के अतिरिक्त कुछ और आनंदोलन भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे—पारसियों ने अपने धर्म और समाज सुधार के लिए 'धार्मिक सुधार मंपुदार' की स्थापना की। महादेव गोंदिवाल राना हे ने सामाजिक सुधारों के साथ 1884 में "डंकन एड्वेक्शन सोसाइटी" स्थापित कर राजा के द्वे दो महन्यार्थ कार्य किया।

जनजातीय आनंदोलन (TRIBAL MOVEMENT)

जनजातियाँ १. गान्धी, गांगूत्रिन, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के सुधार के लिए समय-समय पर २. कार्ती ही है। एक ज्यनव गन्य की मीठा व राज मन्त्री परवान उन्होंने आनंदोलन साकारा ३. पर्यावरण, गोपना व आर्थिक सिद्धान्त, आदि को से रस देना नामुना की अनेक जनजाति ४. सामाजिक-राजनीतिक आनंदोलन रिए है। मुख्य जाति में गिरा आनंदोलन, मन्त्रालयों में धीरिंद्र आनंदोलन, और उर्द्ध जनजाति में तनाखात आनंदोलन यदों के

उपयोग और धार्मिक-सास्कृतिक समस्याओं को लेकर किए गए हैं। बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भगत आन्दोलन; बिहार, बंगाल, उडीसा और मध्य प्रदेश की अनेक जन-जातियों के संगठन से 1950 में 'झारखण्ड आन्दोलन' चलाए गए जो भूमि की बेदखली से रोकने, एवं उनके शोषण आदि के विरोध में थे। खासी, गारो, वोडो-कचारी और अहोम जनजातियों ने सांस्कृतिक और राजनैतिक आन्दोलन किए हैं। बहुत से संगठन बनाए गए हैं, जैसे—गारो राष्ट्रीय कौसिल, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेन्स और मिजो यूनियन आदि जिनका उद्देश्य स्वायत्तता की पुनः प्राप्ति था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर इन जन-जातियों की स्थिति में अनेक परिवर्तन आए हैं और जन-जातियों ने स्वयं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अथवा पृथक् राज्य की माँग के लिए पुनर्जागरण किए हैं। सार्वभूत जन-जातियाँ अपनी सामाजिक-राजनैतिक स्थिति के सुधार के लिए सदैव आन्दोलन करती रही हैं।

गांधीजी का सुधार आन्दोलन (REFORM MOVEMENT OF GANDHIJI)

महात्मा गांधी अपने युग के महान नेता थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिये समय-समय पर आन्दोलन किए। बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, विपथा-विवाह-नियेष, नशाखोरी, वेशवाल्ति, दहेज-प्रथा, अस्पृश्यता आदि समस्याओं के विरोध में आन्दोलन किए। उन्होंने हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिए 'हरिजन स्वदं सेवक संघ' की स्थापना की।

'सर्वोदय आन्दोलन' गांधीजी के आदर्शों पर ही चला जिसमें सभी के कल्याण की बात कही गई है। 'सर्वोदय' के कर्मठ कार्यकर्ता विनोदा भावे और जय प्रकाश नारायण थे। इन्होंने स्त्री-पुण्यों की समानता व गरीब-अमीर सभी के कल्याण की हिमायत की।

गांधीजी ने हरिजन बस्तियों की सफाई करने पर जोर दिया और उनकी दशा सुधारने के लिए स्कूल, कॉलेज, विकित्सालय आदि खोलने का कार्य किया।

भारत में समाज सुधार आन्दोलनों का जाति, परिवार, विवाह और महिलाओं पर प्रभाव

(IMPACT OF SOCIAL REFORMS ON CASTE, FAMILY, MARRIAGE AND WOMEN IN INDIA)

भारतवर्ष में जो धर्म-समाज आन्दोलन हुए हैं उन्होंने भारतीय जीवन को धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया। इन आन्दोलनों ने सती-प्रथा पर रोक लगाई। धार्मिक अन्धविश्वास, रुद्धिवादिता व पाखण्ड आदि की समाप्ति हुई। जाति, परिवार, विवाह व महिलाओं को इन आन्दोलनों ने सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया।

जाति पर प्रभाव— भारत में हुए सुधार आन्दोलनों ने जाति-प्रथा में अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए। 19वीं शताब्दी के राष्ट्रीय सुधार आन्दोलनों ने जाति-प्रथा के भेदभाव पर कठोर तुषारापात किया, इससे जाति बन्धनों में शिथितता आई। दलित जातियों में भी नवीन वेतन का प्राप्तुर्भाव हुआ। जो अद्यूत धर्म-प्रचाराको द्वारा इंसाई बना दिए गए थे आर्ब समाज ने 'शुद्धि-आन्दोलन' द्वारा उन्हे पुन हिन्दू समाज में शामिल कर लिया। दलित वर्गों की उन्नति के लिए अनेक संस्थाएँ स्थापित हुईं। सुधारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप जातीय भेदभाव की समाप्ति के साथ-

साथ जातीय आधार पर सामाजिक दूरी के क्षेत्र में शिथिलता आई। खान-पान सम्बन्धी नियेध, अस्पृश्यता आदि में कमी आई। अब अन्तर्जातीय विवाह और खान-पान होने लगे। व्यक्ति को अब उसके गुणों और कार्यों के आधार पर मान्यता मिलने लगी। एक जाति के व्यवसाय को दूसरी जातियाँ स्वीकारने लगीं। सामाजिक मतरीकरण अथवा सोपान में परिवर्तन हुआ अर्थात् निम्न व मध्यम जातियाँ अब ऊँचा उठने का प्रयास करने लगीं। परम्परागत जाति व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव आया। उसमें नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। निम्न जातियों का शोषण कम हुआ और उनकी उन्नति के लिए अनेक समाज सेवी संगठन बने, सरकारी व गैर-सरकारी प्रयास होने लगे जिससे उनका उत्थान भी हुआ। सुधार आन्दोलन का एक प्रभाव यह हुआ कि अब ब्राह्मणों की सर्वोच्चता कम हुई। अब सभी जातियाँ अपने सामाजिक, धार्मिक आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों के लिए संचेष्ट हो गईं।

परिवार पर प्रभाव— धर्म-समाज-सुधार आन्दोलनों का परिवारों की संरचना पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। स्त्रियों को परिवार में सम्पत्ति का अधिकार दिया गया। अब लड़की-लड़के को समानता की दृष्टि में देखा जाने लगा। स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करने लगीं, इससे शिक्षित होकर वे ए-नए व्यवसायों में कार्यरत होने लगीं। घर के कार्यों के साथ-साथ वे बाहर के क्षेत्रों में आने-जाने लगीं। इससे संयुक्त परिवारों का विषयन हुआ। घर के मुखिया की नियंत्रणता में भी कमी आई। अब स्त्री केवल परिवार के सदस्यों की सेविका ही नहीं रह गई, बल्कि उसका भी अस्तित्व प्रकाश में आया।

विवाह पर प्रभाव— धर्म-समाज-सुधार आन्दोलनों का वैवाहिक स्थिति पर भी जलाशयक प्रभाव पड़ा। बाल-विवाह-निरोधक अधिनियम, विधवा-पुनर्विवाह अधिनियम, सती-प्रथा निरोधक नियम, हिन्दू विवाह अधिनियम आदि सबैपादिक अधिनियमों के कल्पनवरूप यह प्रभाव पड़े कि अब बाल-विवाह पर रोक लगी, विधवा-पुनर्विवाह को मान्यता मिली, सती-प्रथा पर रोक लगादी गई और दहेज-प्रथा जैसी कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाई जाने लगी। वेमेत विवाहों की समाप्ति हुई। अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता मिलने लगी—इस प्रकार आन्दोलनों का प्रभाव विवाह पर पड़ा।

महिलाओं पर प्रभाव—समाज-सुधार आन्दोलनों का महिलाओं की स्थिति पर सर्वोपिक प्रभाव पड़ा है। अब महिलाओं की स्थिति समाज में पुरुषों के समान मानी जाती है। स्त्री-शिक्षा की वृद्धि हुई है। पढ़-लिखकर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। अब वे पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हैं, बरन् स्वयं अपना जीवन निर्वाह करने लगी हैं। अब सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्रों में उन्हे समान अधिकार प्राप्त होने लगे हैं। वे पुरुष की जीवन-सीरीजी हैं। महिलाओं में पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा, अवैध-व्यापार आदि पर रोक लगी हैं। अब मुस्लिम महिलाओं ने भी पर्दा-प्रथा का बहिकार कर दिया है।

सारांश यह कहा जा सकता है कि धर्म-समाज-सुधार आन्दोलनों का भारतीय समाज के सभी पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। 19वीं सदी के इन आन्दोलनों ने भारत को नव-जागरण की दिशा दिखाई और एक ऐसे परिवर्तन के मार्ग पर अग्रमर किया जिस पर चलकर उसने अनवरत प्रगति की और अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की।

प्रश्न

1. भारतीय समाज-सुधार आनंदोलनों के कारणों पर प्रकाश डालिए।
2. समाज-सुधार आनंदोलनों के प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
3. ब्रह्म समाज आनंदोलन द्वारा विभिन्न धेत्रों में किए गए सुधारों पर प्रकाश डालिए।
4. आर्य समाज का भारतीय समाज में क्या योगदान है ?
5. समाज-सुधार आनंदोलनों वा समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा ?
6. मुसलमानों के सुधार आनंदोलनों का वर्णन कीजिए।
7. रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए।
8. शियोसोफिकल सोसाइटी पर प्रकाश डालिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए—
 - (i) राजा राममोहन राय ने किस आनंदोलन को जन्म दिया?
 - (ii) प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की?
 - (iii) आर्य समाज के संस्थापक कौन थे ?
 - (iv) गोपाल कृष्ण गोखले का नाम किस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है ?
 - (v) 'सत्यशोधक समाज' नामक संस्था की स्थापना किस सन् में हुई ?
 - (vi) 'नारायण धर्म परिपालन योगम्' कार्यक्रम किसने बनाया ?
 - (vii) 'झारखण्ड आनंदोलन' का सम्बन्ध किससे है ?
 - (viii) 'प्रधान खालसा दीवान' किस आनंदोलन से सम्बन्धित है ?
 - (ix) 'ठक्कन एजूकेशन सोसाइटी' की स्थापना कब हुई ?
 - (x) 'बहाबी आनंदोलन' के प्रवर्तक का नाम बताइए।

[उत्तर—(i) ब्रह्म समाज, (ii) महादेव गोविन्द रामाडे, (iii) दयानन्द सरस्वती, (iv) द मर्वेण्ट्रस ऑफ इण्डिया सोसाइटी, (v) 1873 ई., (vi) श्री नारायण गुलस्वामी, (vii) जनजाति आदोलन, (viii) सिक्ख आनंदोलन, (ix) 1884 ई. (x) सैयद अहमद बरेलवी]
2. कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए—
 - (i) 'प्रार्थना समाज' आदोलन के संस्थापक कौन हैं ?

(नारायण गुलस्वामी/राजा राममोहन राय/महादेव गोविन्द रामाडे/दयानन्द सरस्वती)
 - (ii) दयानन्द सरस्वती के बचपन का नाम क्या था ?

(गगाघर चट्टोपाध्याय/ मूलशक्ति/ ज्योतिबा/ श्री नारायण गुलस्वामी)
 - (iii) 'लोकहितवादी' निम्न संस्था से जुड़े हैं ?

(सत्यशोधक समाज/ स्वदेशी आनंदोलन/ जनजातीय आनंदोलन/ रामकृष्ण मिशन)
 - (iv) भारत में शियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की?

(ज्योतिबा फुले/ श्रीमती एनी बी. टिण्ट/ लोकहितवादी/ मिर्जा गुलाम अहमद)
 - (v) अहमदिया आनंदोलन किसने चलाया।

(सर सैयद अहमदखाँ/ मिर्जा गुलाम अहमद/ सैयद अहमद बरेलवी/ सर मुहम्मद इकबाल)

(vi) रामकृष्ण मिशन का सम्बन्ध किससे है ?

(दयानन्द सरस्वती/रामकृष्ण परमहंस/लोक हितवादी/स्वामी विवेकानन्द)

(vii) 'नामधारी आन्दोलन' का सम्बन्ध किससे है ?

(महादेव गोविन्द रानाडे/गोपाल कृष्ण गोखले/बाबा रामसिंह/कर्नल आल्काट)

(viii) ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई ?

(1875/1864/1870/1828)

(ix) 'डंकन एज्यूकेशन सोसाइटी' किससे सम्बन्धित है ?

(महादेव गोविन्द रानाडे/विवेकानन्द/एच.पी. ब्लेवटास्की)

(x) भार्या समाज की स्थापना का वर्ष बताइए।

(1864/1828/1841/1875)

[उत्तर-(i) महादेव गोविन्द रानाडे, (ii) मूलशंकर, (iii) स्वदेशी आन्दोलन, (iv)

श्रीमती एपी बीसेप्ट, (v) मिर्जा गुलाम अहमद, (vi) रामकृष्ण परमहंस, (vii) बाबा

राम सिंह, (viii) 1828, (ix) महादेव गोविन्द रानाडे, (x) 1875]

3. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्द का चयन करके कीजिए—

(i) राजा राममोहन राय ने की स्थापना की।

(रामकृष्ण मिशन/स्वदेशी आन्दोलन/ब्रह्म समाज)

(ii) रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम..... .. था।

(मूलशंकर/गदाधर चट्टोपाध्याय/एच.एस. आल्काट)

(iii) रामकृष्ण मिशन की स्थापना ने की।

(गोपाल कृष्ण गोखले/महादेव गोविन्द रानाडे/स्वामी विवेकानन्द)

(iv) विवेकानन्द का बचपन का नाम था।

(नरेन्द्र नाथ दत्त/आत्माराम/मुहम्मद इकबाल)

(v) 'द सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी' की स्थापना सन् . . . में हुई।

(1875/1870/1905)

(vi) अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना सन् . . . में हुई।

(1905/1920/1864)

[उत्तर-(i) ब्रह्म समाज, (ii) गदाधर चट्टोपाध्याय, (iii) विवेकानन्द (iv) नरेन्द्र नाथ दत्त, (v) 1905, (vi) 1920]

4. निम्नलिखित के मही जोड़े बनाइए—

1. ज्योतिषकिल सोसाइटी (A) श्री नारायण गुरुमानी

2. द सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी (B) लोक हितवादी

3. स्वदेशी आन्दोलन (C) ज्योतिषा फूले

4. सत्यशोधक समाज (D) गोपाल कृष्ण गोखले

5. श्री नारायण धर्म परिपालन योगम् (E) महान्मा गांधी

6. हरिजन स्वयं सेवक संघ (F) ब्लावटास्की व कर्नल आल्काट

[उत्तर- 1 (F), 2 (D), 3 (B), 4 (C), 5 (A), 6 (E)]

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

1. 19वीं सदी के धर्म-समाज-सुधार आन्दोलन के चरणों पर प्रकाश डालिए।
2. 19वीं सदी में हुए आन्दोलनों की क्या विशेषताएँ थीं?
3. 'ब्रह्म समाज' आन्दोलन के किन्हीं दो सुधारों को बताइए।
4. प्रार्थना समाज के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं?
5. आर्य समाज के पांच सिद्धान्तों को गिनाइये।
6. रामकृष्ण मिशन की पांच गिकारें बताइए।
7. थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्य बताएं क्या हैं?
8. स्वदेशी आन्दोलन पर प्रकाश डालिए।
9. अलीगढ़ आन्दोलन पर प्रकाश डालिए।
10. सुधार आन्दोलन के महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़े?
11. श्री नारायण धर्म धरीपालन आन्दोलन का वर्णन कीजिए।
12. 'अहमदिया आन्दोलन' को समझाइए।
13. गांधी जी के सुधार आन्दोलन को स्पष्ट कीजिए।
14. 'पारसी आन्दोलन' पर प्रकाश डालिए।
15. सुधार आन्दोलन का जाति-प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा?

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

1. स्वदेशी आन्दोलन।
2. नामधारी आन्दोलन।
3. महात्मा न्योतिबा फुले।
4. सती प्रथा।
5. सत्यशोधक समाज।
6. बाल-विवाह।
7. रामकृष्ण मिशन।
8. थियोसोफिकल सोसाइटी।
9. अलीगढ़ आन्दोलन।
10. वहावी आन्दोलन।
11. झारखण्ड आन्दोलन।
12. स्वदेशी आन्दोलन के पांच सुझाव।
13. धर्म व समाज सुधार आन्दोलनों के कारण।
14. आर्य समाज के सिद्धान्त।

अध्याय - 15

राष्ट्रीय आंदोलन : समाजशास्त्रीय आशय

(National Movement : Sociological Implications)

राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रकार मे स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसका उद्देश्य देश को परतंत्रता से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्रता प्राप्त करना और उसकी स्था करना होता है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रारम्भ विदेशी शासन से भारतीयों को मुक्त दिलाने के लिए किया गया था। मूलतः राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिशों की देन है। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से उन्नीसवीं सदी के मध्य तक समूर्य विश्व क्रांति से प्रभावित रहा था। इस राष्ट्रीय क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों का मूल्यपात्र किया, और यही इतिहास भविष्य में होने वाले सभी आंदोलनों का मूलमंत्र सावित हुआ।

इसके अनन्त यूरोप के औद्योगिकण के परिणामस्वरूप वहाँ कच्चे माल के लिए और तैयार माल के लिए कई देशों की खोज की गई जो उनके इस कार्ब को कर सकें। बाद में जब यूरोप वालों ने अन्य देशों मे अपने उभनिवेश म्यापित कर लिए और उन देशों को अपने अधिकार में कर लिया तो उन लोगों में सामाजिक जागृति आई और उन्होंने विदेशी शासन से भवय को स्वतंत्र कराने के लिए आनंदोलन किए। इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी गई। वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं।

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यपात्र अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजों के भारत-आगमन के समय समूर्य राष्ट्र धर्म, भाषा, जाति, बनान्ति आदि के आधार पर अनेक छन्डों मे विभाजित था। अंग्रेजों ने इस विभाजन को बनाए रखा, क्योंकि इसमें उनका यह हित निरहित था कि इन स्थिति मे भारतीय अपने इडटो मे ही उलझ रहे और वे संगठित होकर अंग्रेजी शासन के विरोध मे अपनी आवाज चुलन्त नहीं कर सको। इसके लिए अंग्रेजों ने 'पूर्ण हालो और राज करो' की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने विभिन्न जातियों, पदों और संगठनों आदि बो बनाए सखने की दृष्टि दी। विभिन्न संगठनों, सत्याओं और सेन्य दलों के नाम समुदायों और जातियों के आधार पर रखे गए। उन्होंने मुसलमानों को और हिन्दुओं को परम्पर लडाने का भी काम किया। वर्भी मुसलमानों पृथक निर्वाचन द्वेष की मांग करने लगे तो कभी पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रांतसहित होने लगे और उससे मुस्लिम सम्रदाय की उत्पत्ति हुई।

अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रत्येक क्षेत्र मे प्रभावित किया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पढ़नि प्रारम्भ की, आवागमन के नवीन माध्यन विकसित किए, केन्द्रीय राज व्यवस्था प्रचलित की व अनेक

संस्थाओं की स्थापना की— इससे अनेक सामाजिक वर्गों का निर्माण हुआ। ये सामाजिक तत्त्व ही बाद में अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष करने लगे, भारतीय राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ और देश में राजनैतिक चेतना जागृत हुई जो राष्ट्रीय आनंदोलन की पृष्ठभूमि बनी।

प्रस्तुत अध्याय में राष्ट्रीय आनंदोलन के विभिन्न घरणों पर प्रकाश डाला जाएगा और राजनैतिक चेतना, शिक्षा और जाति आदि पर इसके समाजशास्त्रीय निहिताधोरों (आशयों) को देखा जाएगा।

अंग्रेजों के भारत आगमन के समय की सामाजिक-आर्थिक अवस्थाएँ

अंग्रेजों के भारत आगमन के समय देश धर्म, भाषा और जाति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित था। ब्रिटिश लोग भी इसमें कोई बदलाव लाना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने विभाजनकारी नीतियाँ अपनाकर भारतीयों में एकता न लाने के प्रयास किए।

भारत में उस समय जाति-प्रथा का वर्वस्व था। व्यवसाय का चयन, विवाह-सम्बन्ध व आन्तरिक झगड़ों आदि का निपटारा सभी जाति द्वारा होता था और ये जाति-बन्धन बड़े कठोर थे— इनको तोड़ने का दुस्साहस जातियाँ नहीं कर सकती थीं। मुसलमानों में भी जाति व सम्प्रदाय आदि के आधार पर ही विभाजन प्रचलित था। हिन्दू-मुसलमानों में पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह का प्रचलन था।

उस समय भी अर्ध-व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गाँव आत्मनिर्भर थे। जरूरत के सभी सामान उन्हें वहीं प्राप्त हो जाते थे। खेती हल-बैलों की सहायता से होती थी। सभी के पास जमीन थी पैदावार का कुछ अश कर के रूप में राजा के पास जाता था। व्यवसाय भी गाँव के स्तर पर ही होते थे— नाई, धोबी, बढ़ई, आदि छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय बलाते थे। कारीगरों को कब्जा माल भी गाँव से ही प्राप्त हो जाता और इस प्रकार एक संगठित इकाई के रूप में रहन-सहन होता था। शोषण का नामोनिशान न था। लोगों में एष्ट्रीयता जैसी भावना भी विकसित नहीं थी क्योंकि समाज उस समय आर्थिक दृष्टि से उन्नत न था। कुछ नगर भी थे जिनमें राजनैतिक-आर्थिक व्यापार होता था। ये संगीत, कला और उद्योगों के केन्द्र थे। ब्रिटिशों के आगमन से भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा और उससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ।

राष्ट्रवाद की प्रारम्भिक अवस्था : राजनैतिक जागरूकता

अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 150 वर्ष शासन किया और उस काल में उन्होंने भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, पार्मिक और राजनैतिक स्थितियों में अनेक परिवर्तन किए। इनके फलस्वरूप राजनैतिक जागृति का प्रादुर्भाव हुआ और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया; उन्होंने राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन किए, सचार और यातायात के साधनों में बड़ी क्रान्ति की। ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रचार-प्रसार किया। उनके द्वारा किए गए अनेक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत में स्वतंत्रता आनंदोलन का जन्म हुआ और सन् 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें हिन्दू और मुसलमान सांगठित होकर अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की चेष्टा कर्ने लगे। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अग्रलिखित कारक मुख्यतया उत्तरादायी रहे—

1. 1857 का स्वतंत्रता संग्राम— 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रति विरोधात्मक अधिकार्यका प्रथम प्रयास था। भारतीय विदेशी शासन से छुटकारा पाकर अपनी पूर्व व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे किन्तु यह संग्राम सफल न हो सका क्योंकि भारतीयों के पास सैन्यबल का अभाव था, सुधोम्य नेता न था, अनुशासन का भी अभाव था अतः इस संग्राम में अंग्रेजों ने भारतीयों की अपूरणीय क्षति की। निर्दोष लोगों का कल्पे आम किया गया, गाँवों को जला दिया गया। उनकी इस अमानुषिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना प्रवल हुई और वे अंग्रेजों को समूल उखाड़ केंकने के लिए कटिबद्ध हो गए।

2. राजनैतिक एकता की स्थापना— अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारत में राजनैतिक एकता का अभाव था। अंग्रेजों ने सम्पूर्ण देश में एक समान शासन व्यवस्था स्थापित की। इससे पूर्व राजा-महाराजाओं के समय में शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकृत थी। यातायात के साधन भी विकसित न थे इस कारण राजनैतिक एकता भी न थी। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा की हाइ से संचार और यातायात के साधनों का विकास किया इससे समस्त राष्ट्र एक इकाई के रूप में संगठित हो गया। भारतीयों ने राजनैतिक अधिकारों के लिए संगठित प्रयास किया। सन् 1885 में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना की गई। इस तरह धीर-धीरे जन-साधारण में राष्ट्रीय चेतना विकसित होने लगी।

3. भारतीय समाचार-पत्र-पत्रिका— भारत में मुद्रणालयों की स्थापना से भारतीयों को अपनी महत्वाकांक्षाएँ व्यक्त करने का अवसर मिला। राष्ट्रीय आनंदोलन से भारतीय समाचार-पत्र-पत्रिकाओं ने सक्रात्मक भूमिका निभाई है। समाचार-पत्रों के माध्यम से देश की गिरती स्थिति को जन-साधारण तक पहुँचाया गया। विदेशी शासन की दोष पूर्ण नीति को जन-साधारण ने जाना। लॉर्ड लिटन के शासन के समय में समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। किन्तु इसका भी विपरीत प्रभाव पड़ा। समाचार-पत्रों के अतिरिक्त बंगाली-साहित्य ने भी राष्ट्रीयता जागृत करने में अपना अपूर्व सहयोग दिया।

4. धार्मिक और सामाजिक सुधार आनंदोलन— राष्ट्रीयता जागृत करने में धार्मिक और सामाजिक सुधार आनंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 19वीं सदी में अनेक धार्मिक सामाजिक आनंदोलन हुए जिनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि थी। ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, धियोसोफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज जैसे आनंदोलनों ने भारतीयों में ऐसी जागृति उत्पन्न की कि देश में आशार्तीत परिवर्तन आए। सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति, रुद्धिवादिता, अशिक्षा, पदांग्राम, बाल विवाह, अस्पृश्यता, निरक्षरता और देवदासी जैसी हृदिगत प्रथाओं पर अंकुरा लगा। स्वामी दयानन्द, विदेशीनंद, राजा रामप्रोहन राय, एवं वीसेण्ट जैसे धर्म-समाज सुधारकों के प्रयासों से भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रेरित हुए।

5. आर्थिक कारक— पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया आर्थिक क्षेत्र में भी हुई। अंग्रेज भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। धीर-धीर उन्होंने यहाँ शासन करना प्राप्त कर दिया। लॉर्ड लिटन के शासन काल में 'आयात कर' को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया जिमके परिणामस्वरूप 'मुक्त व्यापार की नीति' प्रचलित हो गई। ब्रिटिश शासन की इस आर्थिक नीति से भारत के परम्परागत उद्योग-धर्मों बंद हो गए। शिल्पकार बेकार हो गए और देश को मुक्त्यतया कृषि पर निर्भर हने को मजबूर होना पड़ा। इससे देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। बेकारी बढ़ती गई और उसने तीव्र आर्थिक असतोष को जन्म दिया। लोगों में यह भावना उत्पन्न हो गई कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति से ही आर्थिक उत्तरि हो सकती है।

6. पाश्चात्य शिक्षा— अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नींव ढाली, अनेक भारतीय इस प्रकार की शिक्षा से शिक्षित हुए और पाश्चात्य विचारधारा के सम्पर्क में आए। मैकाले की नीति के अन्तर्गत देश में अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छोले गए और मैकाले की नीति के विरुद्ध इस भाषा के अध्ययन से भारतीय लोगों को पश्चिमी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस वर्ग ने डाक-तार, प्रेस आदि की सहायता से राष्ट्रीय भावनाओं व विचारों को सम्पूर्ण भारत में फैलाया। इस प्रकार जो ज्ञान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सबल बनाने के लिये दिया जा रहा था, उसका बड़ा लाभ राष्ट्रीय एकता की स्थापना के रूप में मिला। देखा जाए तो ब्रिटिश शिक्षा नीति द्वारा ही राष्ट्रीय जगमण में अधिकाधिक यूद्ध हुई है।

7. सरकार की रंगभेद की नीति— प्रारम्भ में अंग्रेज भारतीयों के प्रति सहिष्णु थे, सदूच्व्यवहार करते थे किन्तु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अनन्तर भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार कटुतापूर्ण हो गया। वे भारतीयों के लिए हब्बी और बनमानुष जैसे विशेषणों का प्रयोग करने लगे। उनका उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना और भारतीयों को भय दिखाकर उन पर शासन करना हो गया। ब्रिटिशों की इस दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप भारतीयों को अवमानना सहन करनी पड़ी, अनेक अत्याचार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध चुपा ज्वालामुखी भड़क उठा। राष्ट्रीयता के उदय में यह एक बहुत बड़ा कारक है।

8. लॉर्ड लिंटन का दमनपूर्ण शासन— लॉर्ड लिंटन ने अपने शासन के दौरान अनेक ऐसे दमनात्मक व्यवहार किए जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध भड़क उठा। उमरने अपने शासन के दौरान ‘भारतीय शरण विधेयक’ लागू किया जिसका अर्थ था कि प्रत्येक भारतीय के लिए शरण रखने के लिए लाइसेंस रखना आवश्यक था, जबकि अंग्रेजों पर यह कानून लागू नहीं होता था। उसके द्वारा ‘वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम’ लागू कर भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। उसने भेनवेस्टर व लंकाशायर के वर्षों को भारत में खुपाने का कार्य किया और विदेशों से आने वाले वस्त्रों पर आयात-कर हटा दिया। इसी तरह के अनेक कार्यों का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता और वैमनस्य भर गया और इस तरह भारतीय राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि तैयार की गई।

9. शिक्षित भारतीयों में असन्तोष— सन् 1858 में एक ब्रिटिश घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया जिसका तात्पर्य था कि भारतीयों को भी योग्यतानुसार उच्च पद प्रदान किए जायेंगे। लेकिन यह आश्वासन कभी पूर्णता प्राप्त न कर सका। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सेवा (आई.सी.एस.) की परीक्षा उस समय इलैण्ड में आयोजित की जाती थी। अत शिक्षित भारतीयों ने लिए इस उच्च पद को प्राप्त करना सम्भव न था। साथ ही इस परीक्षा में प्रवेश की आयु भी 21 वर्ष से पहाड़कर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीय उस परीक्षा में बैठ भी नहीं पाते थे। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने इस पर देशज्यापी आन्दोलन किया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनसत तैयार किया।

10. इल्चर्ट विधेयक सम्बन्धी विवाद— सन् 1883 में एक विधेयक पास किया गया जिसके आधार पर भारतीय जनों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमा मुनने का अधिकार दिया गया। यह विधेयक मि. इल्चर्ट ने जो उस समय विधि रादर्थ थे, व्यवस्थापिका परिषद में रखा। किन्तु अंग्रेजों ने इस विधेयक का विरोध किया और विधेयक के विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। कई माह के

उपरांत कुछ शर्तों के साथ भारतीयों को मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। इससे भारतीयों में यह भावना दृढ़ हो गई कि बिना आंदोलन के उनकी माँगों की पूर्ति नहीं हो सकती, साथ ही भारतीयों ने आंदोलन करना भी सीख लिया।

इन सब कारकों का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासन के विरोध में उनमें राष्ट्रीय चेतना दृढ़ हो गई और इस चेतना के ही फलस्वरूप सन् 1885 में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई।

कांग्रेस की स्थापना

1875 के पश्चात् लॉर्ड लिंटन के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से भारतीयों में राजनैतिक चेतना का उदय हो गया था। बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजों का विरोध करने लगा था व्योक्त उनके साथ अपमानजनक व्यवहार, क्रूर हमले और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए भी भेदभाव पूर्ण नीति और अनेक अत्याचारों के कारण शिक्षित भारतीयों ने 'ब्रिटिश भारतीय संघ' की स्थापना की। राजनैतिक चेतना के इस चरण में दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी व डब्ल्यू. सी. बैनर्जी आदि नेता प्रमुख थे। 1874 में क्रिस्टोदास पाल ने भारत के लिए 'होमस्टॉल' की माँग की।

इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप एक अवकाश प्राप्त अधिकारी 'एलेन ऑफिटेवियन हूम' ने 1885 में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना की। ह्यूम एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहते थे, जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भारतीय स्थिति में सुधार लाए। जब यह योजना नए गवर्नर-जनरल 'डफरिन' के सामने रखी गई तो उन्होंने इस संगठन द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने की सलाह दी। सन् 1885 में 'राष्ट्रीय कांग्रेस' का प्रथम अधिवेशन पूरा में 25 से 27 दिसम्बर को होना निश्चित हुआ किन्तु शाद में इस अधिवेशन को बम्बई में किया गया। 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज' बम्बई में यह अधिवेशन कलकत्ता के प्रसिद्ध वैस्टर 'वोमेशचन्द्र बनर्जी' की अध्यक्षता में किया गया। इस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, नारायण गांधी चन्द्रावरकर, एन. सुब्रह्मण्यम् व महादेव गानडे जैसे महानुभाव उपस्थित थे।

कांग्रेस के उद्देश्य— वोमेशचन्द्र बनर्जी ने कांग्रेस के उद्देश्यों और महत्व को इस अधिवेशन में स्पष्ट किया। ये उद्देश्य निम्नलिखित थे—

(1) देश के विभिन्न भागों में देश हित के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लगान से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ घनिष्ठता व मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाना।

(2) सभी देशवासियों में धर्म, प्रान्त और वश से सम्बन्धित दूषित स्तरों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को पोषित एवं विकसित करना।

(3) भारत के राजनीतिज्ञों के लिए देशहित के लिए कार्य करने वाले तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना।

(4) भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा होने के उपरान्त उनके विवाहों का संग्रह करना।

'एक राष्ट्रीय संगठन'— इस प्रकार सन् 1885 में स्थापित 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस'-अधित भारतीय स्वरूप का एक शक्तिशाली 'राष्ट्रीय संगठन' था जो जाति, वर्ग या धर्म आदि के भेदभाव

से रहित होकर समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसने अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों के राजनैतिक विचारों को दबाता प्रदान की और उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। कांग्रेस के नेताओं ने भी उदारवाद और न्याय की भावना को ही अपना आदर्श माना। कुछ लोगोंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना भी की।

राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के तीन चरण

1885 से 1947 तक की अवधि में भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस द्वारा जो कार्य किए गए उन्हें तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है—

- (1) उदार राष्ट्रीयता का चरण (1885-1905)
- (2) उग्र राष्ट्रीयता का चरण (1906-1919)
- (3) राष्ट्रीयता के गांधी सुग का चरण (1920-1947)

I. उदार राष्ट्रीयता का चरण (1885-1905)—

कांग्रेस ने सन् 1855 से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बहुत कम (कुल 72) प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसके द्वितीय और तृतीय अधिवेशन में 446 और 607 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। चौथे अधिवेशन में इसके प्रतिनिधियों की संख्या 1,248 तक पहुँच गई। इस प्रकार इन प्रतिनिधियों की निरंतर बढ़ती संख्या ने यह सिद्ध किया कि कांग्रेस के इतिहास के प्रथम चरण में उदार राष्ट्रीयता की प्रधानता रही।

उदार राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति—

राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदार राष्ट्रवादियों का था जिनकी कार्य पद्धति की मुख्य विशेषताएँ यह रही कि लोग हिंसा और संघर्ष के पूर्णतया विरोधी थे। अपने सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे 'प्रार्थना-पत्रों', 'सूति-पत्रों', व प्रतिनिधि मण्डलों का मार्ग चुनते थे। इस कारण इनकी आलोचना भी की जाती थी। आलोचकों ने 'राजनैतिक भिक्षावृत्ति' जैसे नाम इन्हे दिए। वास्तव में उदारवादियों का दृष्टिकोण निवेदनवादी था।

उदारवादियों की विचारधारा—

प्रारम्भिक चरणों में कांग्रेस पूर्णतया उदारवादी थी। इसकी विचारधारा की विशेषताएँ इस प्रकार थीं—

1. अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास—उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अदूर विश्वास रखते थे इसलिए उनमें अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की भावना भरी हुई थी।

2. ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति—प्रारम्भिक उदारवादी यद्यपि उच्च श्रेणी के देशभक्त थे किन्तु वे ब्रिटिश सरकार के भी प्रशसक थे। अंग्रेजी सरकार के प्रति वे कृतज्ञता के भाव रखते थे और अंग्रेजी राज्य के प्रति राजभक्ति की भावना उनमें भरी हुई थी।

3. ब्रिटेन के साथ भारत के द्वित पूर्ण सम्बन्ध—इन उदारवादी नेताओं की यह धारणा रही कि ब्रिटिश-साहित्य, शिक्षा पद्धति, संचार व्यवस्था एव स्थार्थीय स्वायत्तशासन आदि प्रगतिशील सम्पत्ता के परिचायक हैं और यह शासन ही बाह्य आक्रमणों से भारत को सुरक्षित रख सकता है।

से रहित होकर समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसने अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों के राजनैतिक विचारों को दृढ़ता प्रदान की और उन्हे एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। कांग्रेस के नेताओं ने भी उदाखाद और न्याय की भावना को ही अपना आदर्श माना। कुछ लोगों ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना भी की।

राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के तीन चरण

1885 से 1947 तक की अवधि में भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस द्वारा जो कार्य किए गए उन्हे तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है—

- (1) उदार राष्ट्रीयता का चरण (1885-1905)
- (2) उग्र राष्ट्रीयता का चरण (1906-1919)
- (3) राष्ट्रीयता के गांधी युग का चरण (1920-1947)

I. उदार राष्ट्रीयता का चरण (1885-1905)—

कांग्रेस ने सन् 1855 से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बहुत कम (कुल 72) प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसके द्वितीय और तृतीय अधिवेशन में 446 और 607 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। जौधे अधिवेशन में इसके प्रतिनिधियों की संख्या 1,248 तक पहुँच गई। इस प्रकार इन प्रतिनिधियों की निरंतर बढ़ती संख्या ने यह सिद्ध किया कि कांग्रेस के इतिहास के प्रथम चरण में उदार राष्ट्रीयता की प्रधानता रही।

उदार राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति—

राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदार राष्ट्रवादियों का था जिनकी कार्य पद्धति की मुख्य विशेषताएँ यह रही कि लोग हिसा और संघर्ष के पूर्णतया विरोधी थे। अपने सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे 'प्रार्थना-पत्रों', 'सृति-पत्रों', व प्रतिनिधि मण्डलों का मार्ग चुनते थे। इस कारण इनकी आलोचना भी की जाती थी। आलोचकों ने 'राजनैतिक भिक्षावृति' ऐसे नाम इन्हे दिए। धास्तव में उदारवादियों का दृष्टिकोण निवेदनवादी था।

उदाखादवादियों की विचारधारा—

प्रारम्भिक चरणों में कांग्रेस पूर्णतया उदाखादी थी। इसकी विचारधारा की विशेषताएँ इस प्रकार थीं—

1. अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास—उदाखादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे इसलिए उनमें अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की भावना भरी हुई थी।

2. ड्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति—प्रारम्भिक उदाखादी यद्यपि उच्च श्रेणी के देशभक्त थे किन्तु वे ड्रिटिश सरकार के भी प्रशसक थे। अंग्रेजी सरकार के प्रति वे कृतज्ञता के भाव रखते थे और अंग्रेजी राज्य के प्रति राजभक्ति की भावना उनमें भरी हुई थी।

3. ड्रिटेन के साथ भारत के हित पूर्ण सम्बन्ध—इन उदाखादी नेताओं की यह पारणा रही कि ड्रिटो-साहित्य, शिक्षा पद्धति, सचार व्यवस्था एव स्थानीय स्वायत्तशासन आदि प्रगतिशील सम्पत्ति के परिचायक हैं और यह शासन ही बाढ़ आक्रमणों से भारत को सुरक्षित रख सकता है।

4. प्रार्थनैतिक मार्गें—उदाहरणीय उस समय के प्रशासनिक मुधार्गों, सेवाओं, रक्षा सेवाओं और न्याय व्यवस्था आदि से सतुष्ट हैं। वे इम बात में भिज थे कि लक्ष्य को एक दम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस लिए क्रमबद्धता की आवश्यकता है।

II. उग्र राष्ट्रीयता का चरण (1906-1919)–

उदाहरणीय अध्यक्ष नरम दल के नेताओं का अग्रेजी शासकों की न्यायप्रियता में विश्वास था और ग्रार्थना-पत्रों के रूप में अपनी मार्गें सरकार के सामने रखते रहे किन्तु जब 20 वर्षों के उपान्त भी कोई सम्नोपयज्ञक परिपालन नहीं मिले, बल्कि अंग्रेज शासक अपनी मरमानी ही करते रहे तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में यह भावना उपर्याकि स्वराज्य मार्गमें से थी, बल्कि सर्वर्य से प्राप्त होगा। सर्वर्य द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की भावना को प्रोत्साहित करने वालों में लोकमान्य तिलक प्रमुख व्यक्ति थे। वाहनगापाठ तिलक, लाला लाजपत गय और विदिन चन्द्र पाल के नेतृत्व में एक और उग्र दल का निर्माण हो गया। इससे नरम-दल और गरम-दल के नेताओं में फूट पड़ गई। अच आनंदोलन का मार्ग अयनाया जाने लगा। इस उग्र राष्ट्रीयतावाद के प्रमुख निम्नलिखित कारण थे—

1. सन् 1892 के मुधार कानून—राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के ब्रयलों के फलमूरुप 1892 में सरैपानिक मुधार की दृष्टि से 'भारतीय परिषद अधिनियम' बनाया गया किन्तु अधिनियम में कुछ त्रुटियाँ थीं, इस कारण ग्रार्थना के स्थान पर आनंदोलन का मार्ग अपनाने पर बोर दिया गया।

2. धार्मिक एवं सांस्कृतिक नवब्रागण—तिलक, आविद घोषणा व विकेकानन्द आदि नेताओं ने धार्मिक युनिलत्यान को जन्म दिया। विकेकानन्द ने 1893 में 'शिक्षागो सर्वपर्यं सम्प्रेसन' में हिन्दू पर्यं की महता बताई। तिलक ने भारतीय स्वाधीनता के लिए हिन्दू उत्सवों पर बल दिया। अगविद घोष ने कहा कि स्वाधीनता द्वारा लक्ष्य है और हिन्दूल ही द्वारा आकाशाओं की पूर्वि कर सकता है। तिलक बिन्हे 'भारतीय असंतोष का उत्सव' कहा जाता है, ने मन् 1893 ई. में गणराति महोत्सव और 1895 में 'शिवाजी महोत्सव' मनाया प्रागम्भ किया जिसमें जनता में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। उग्रवादी नेता सांस्कृतिक और धार्मिक नवब्रागण को स्वतत्रना प्राप्ति का मार्ग मानते थे।

3. ग्राकृतिक प्रकोष्ठ—जब पहाड़ागढ़ में तिलक गणपति एवं गिरावंडी उत्सव को सर्गाइत कर रहे थे उस समय 1896-97 में दिल्ली भारत में भीषण अकाल पड़ा। सरकार ने इस महात के समय कोई सहायता नहीं की। हजारों व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। तिलक ने अपने समाजार-पत्र 'धराठा' और 'कंसरी' के द्वारा सरकार की तीव्र आलोचना की। इस अकाल ने 7 करोंड़ आयादी और 70 हजार वर्ग मील लंबे को प्रभावित किया। जनता भूखों पर्ने लगी और उधर मरकार गर्मी विस्टोरिया का जयनी उत्तरव मनाने में रानी के समान धन लुटा रही थी। इसमें नेताओं में भारती अमनोद द्वारा।

4. भार्थिक अमंतोष—असंतोष का एक और काल यह था कि मन् 1894 में शामन ने दिल्ली माल पर 'आयात कर' समाज कर दिया। परिणामस्वरूप देशी भावन पहुंचा ही गया और विदेशी भाल सस्ते दामों में बिकने लगा। इसी नीति के परिणामस्वरूप 'विदेशी अन्दोलन' बला, जिसमें शिर्यों, प्रमुख मुमलमानों और विद्यार्थियों ने बड़े उत्तमाह में भाग लिया।

5. बाल, लाल और पाल का नेतृत्व—उग्र राष्ट्रीयता के निर्देश में तीन प्रमुख नेताओं—बाल गणपति तिलक, लाला लाजपत गय और विदिन चन्द्र पाल ही विशेष योगदान रखा था। तिलक की ग्रावी भाव बिल्कुल प्रमद न था। उन्होंने कहा "स्वराज्य में ग्रन्थमिद्ध अधिकार है और मे इसे

४. राजनीतिक भागें— उदाधारादी उस समय के प्रशासनिक मुधार्गों, सेवाओं, रक्षा सेवाओं और न्याय व्यवस्था आदि से मंतुष्ट हथे। वे इस बात में भिज़ थे कि लक्ष्य को एक दम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस लिए क्रमबद्धता की आवश्यकता है।

II. उग्र राष्ट्रीयता का चरण (1906-1919) —

उदाधारादी अथवा नरम दल के नेताओं का अंग्रेजी गासको की न्यायप्रियता में विश्वास था और प्रार्थना-पत्रों के रूप में अपनी माँगें साक्षात् के सामने रखने रहे कि इन्हुंने बज 20 बाँड़ों के उपरान्त भी कोई मन्तोप्रबन्धक परिणाम नहीं मिले, बल्कि अंग्रेज गासक अपनी मनमानी ही बरते रहे तो इसकी प्रतिक्रिया म्बुड्ड भारत में यह भावना उपजी कि स्वराज्य माँगने में नहीं, बल्कि मर्याद में प्राप्त होगा। सर्वार्थ द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की भावना को प्रोत्साहित करने वालों में लोकमान्य तिलक प्रभुत्व व्यक्ति थे। बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विश्वनाथन चन्द्र पाल के नेतृत्व में एक और उग्र दल का निर्माण हो गया। इससे नरम-दल और गरम-दल के नेताओं में घट पड़ गई। अब आनंदोलन का मार्ग अपनाया जाने लगा। इस उग्र राष्ट्रीयतावाद के प्रभुत्व निर्माणित कारण थे—

१. मन् 1892 के मुधार कानून— राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 बाँड़ों के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 में मर्यादानिक मुधार की दृष्टि से 'भारतीय परिषद अधिनियम' बनाया गया किन्तु अधिनियम में कुछ त्रुटियाँ थीं, इस कारण प्रार्थना के स्थान पर आदोलन का मार्ग अपनाने पर जोर दिया गया।

२. धार्मिक एवं मानव्यकृतिक नववागण— तिलक, अविद धोप व विवेकानन्द आदि नेताओं ने पार्मिक पुनर्जीवन को जन्म दिया। विवेकानन्द ने 1893 में 'गिराऊ मर्यादमर्म सम्मेलन' में इन्हुंने धर्म की महत्वा बताई। तिलक ने भारतीय स्वाधीनता के लिए हिन्दू उम्मदों पर जल दिया। अविद धोप ने कहा कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिन्दूत्व ही हमारी आकृतिओं की पूर्णि का मरक्ता है। तिलक जिन्हे 'भारतीय असंतोष का जनक' कहा जाता है, ने मन् 1893 ई. में गणपति महोन्मन और 1895 में 'गिराऊ महोन्मन' बनाना प्रारम्भ किया जिसमें जनता में देशभक्ति की भावना प्राप्त हुई। उदाधारादी नेता मानव्यकृतिक और पार्मिक नववागण को स्वतःना प्राप्ति का मार्ग भासने थे।

३. शाकुनिक प्रक्रोट— जब मराठाशू में तिलक गणपति एवं गिराऊ उम्मद को समार्थित कर रहे थे उस समय 1896-97 में दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा। मराठा ने इस मक्टे के समय कोई सहायता नहीं की। हजारों व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। तिलक ने अपने समाजा-पत्र 'मगढ़ा' और 'केमरी' के द्वारा सरकार की तीव्र आलोचना की। इस अकाल ने 7 करोंड़ आधारी और 70 हजार वर्ग मील क्षेत्र को प्रभावित किया। उनका भूजों पाने लागी और उग्र मारकार गर्वी विद्युतियों का जयनी उत्तर बनाने में पार्नी के समान धन लुटा रही थी। इसमें नेताओं में भारी असन्तोष हुआ।

४. आर्थिक जर्मनोप— असंतोष का एक और काला यह था कि मन् 1894 में ग्रामन ने विदेशी माल पर 'आयात कर' मापदंश कर दिया। परिणामस्वरूप देशी मधान पहुँचा तो खाया और विदेशी माल मामने दामों में बिकने लगा। इसी नीति के परिणामस्वरूप 'मदिरांगी आनंदोलन' चला, जिसमें रियो, प्रभुत्व मुमलमानों और विद्यार्थियों ने घड़े उन्माद में खाल लिया।

५. बाल, साल और बाल का नेतृत्व— उग्र राष्ट्रीयता के निर्माण में तीन प्रभुत्व नेताओं— बाल गणपति तिलक, लाला लाजपत राय और विश्वनाथन चन्द्र पाल का विशेष योगदान रहा था। तिलक की प्रार्थी भाव विन्कुल पर्मद न था। उन्होंने कहा "स्वराज्य में ग बम्पिंद अधिकार है और मैं इसे

लेकर रहूंगा ।” लाला लाजपत राय को भी भिक्षावृति का मार्ग पसंद नहीं था । ये तीनों ही नेता आंदोलन के मार्ग को स्वराज्य प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे और इन्होंने पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न की ।

6. लॉर्ड कर्जन का शासन—लॉर्ड कर्जन, 1898 से 1905 तक भारत के गवर्नर बने । ये बड़े क्रूर शासक रहे । 1899 में ‘कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम’ पास कर उसमें भारतीयों की सदस्य सह्या घटाकर आपी कर दी । 1904 में ‘भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम’ पास कर इन्होंने सीनेट और सिण्टीकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया । 1904 में समाचार-न्यूजों की स्वतंत्रता सीमित करने के उद्देश्य से उन्होंने ‘प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम’ पास कराया । इस प्रकार उन्होंने भारतीयों के साथ अनेक दुर्बलबहार किए । निर्धन जनता पर उन्होंने अधिकाधिक कर लगाए । इससे भारतीयों में विद्रोह फैला ।

7. बंगाल विभाजन—20 जुलाई, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया । लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों—(1) ‘पूर्वी बंगाल और असम’ और (2) ‘बंगाल’ में बांटा । इससे उनकी बहुत भर्तसना की गई । बगालियों ने इस विभाजन का विरोध किया । अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार किया गया । कर्जन का उद्देश्य बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त कर देना था । इन सभी कारणों से उग्र राष्ट्रीयता का जन्म हुआ ।

उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा और साधन—

उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा उदारवादी राष्ट्रवादियों से विलक्ष्य विपरीत थी । उग्रवादी जानते थे कि ब्रिटिश और भारतीय हित परस्पर विरोधी हैं अतः सहयोग के सिद्धान्तों पर चलकर स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती जबकि उदारवादियों का मत इसके विपरीत था—ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन में सुधार किया जा सकता है । उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले व दादा भाई नौरोजी आदि से तिलक, लाजपतराय आदि का मत वैभिन्न इम बात में भी था कि तिलक उदारवादियों के प्रार्थनापत्र, स्वतिपत्र आदि सामग्री को व्यर्थ मानते थे और स्वदेशी माल का ग्रहण, विदेशी माल का बहिष्कार व शिक्षा के प्रचार-प्रसार को महत्वपूर्ण मानते थे । स्वराज्य प्राप्ति के लिए तिलक ने कांग्रेस के समक्ष चार सूत्री कार्यक्रम खाली—(1) स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग (2) विदेशी माल, रास्कारी नीकरी और प्रतिष्ठा की उपायियों का बहिष्कार, (3) राष्ट्रीय शिक्षा, और (4) प्रियदर्श प्रतिरोध । इसी आधार पर ही दो दल—उदारवादी या नरम-दल और उग्रवादी या गरम-दल बने । तिलक की तो यह दृढ़ मान्यता थी कि ‘स्वराज्य अपने आप नहीं आएगा वरन् अंग्रेजों से छीना पड़ेगा ।’

होम-स्ल-लीग की स्थापना—

ब्रिटिश गवर्नर ने उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा दराई । 1908 में तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया । 1914 में तिलक जेल से छूट कर वापिस आ गए और उन्होंने पुनराष्ट्रीय जीवन में सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया । उन्होंने महाराष्ट्र में ‘होम-स्ल-लीग’ की स्थापना की । श्रीमती एनी बीसेण्ट ने भी मद्रास में ‘होम-स्ल-लीग’ की स्थापना की । बाद में ये दोनों सम्बंधित एक कर दी गई । इस लीग का उद्देश्य आयरलैण्ड की भाँति भारत में स्वराजासन प्राप्त करना था । 1916 में श्रीमती एनी बीसेण्ट ने गरम-दल और नरम-दल को मिलाने का प्रयत्न किया और सफलता भी प्राप्त की । उन्होंने ‘अखिल भारतीय होम-स्ल-लीग’ स्थापित की । 1916 के ‘लहनऊ

कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों ने मिलकर भारत के लिए स्वायत शासन की माँग की। तिलक ने इस अधिवेशन में भाग लिया और उस समय से कांग्रेस में गण-दल वालों का प्रभाव बढ़ता गया।

III. भारतीय राष्ट्रीयता का गांधीयुग (1920-1947) —

1920 से 1947 तक का युग गांधी युग के नाम से जाना जाता है— वैसे तो 1918 से ही गांधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करना प्रारम्भ कर दिया था। भारत को स्वाधीन कराने में उन्होंने तीन प्रमुख अंहिसाचारी संघर्ष किए- (1) असहयोग आन्दोलन, (2) सविनय अवज्ञा आन्दोलन, और (3) भारत छोड़ो आन्दोलन।

गांधीजी का राजनीति में प्रवेश— महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 में एक पार्मिक परिवार में हुआ था। 19 वर्ष की अवस्था में प्रैटिक पास करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंस्टीट्यूट गए। मर्च 1891 में वैरिस्टर बनकर भारत लौटे और 1893 में दक्षिणी अफ्रीका गए। वहाँ पर रंगभेद के पक्षपात के कारण हुए अत्याचारों को दूर करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह रूपी शरण का प्रयोग किया। दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह में उन्हें सफलता मिली। 1915 में गांधीजी ने भारत आकर साब्द्रमती में एक आश्रम खोला और उन्होंने अग्रेजी साम्राज्य के विष्ट एक अंहिसात्मक आन्दोलन छेड़ दिया। भारतीय जनता उनसे प्रभावित थी। तिलक की अस्वस्थता व गोखले व फिरोजाह के देहावसान के कारण मुरेन्द्रनाथ पैनर्जी व विपिनचंद्र पाल आदि नेताओं का उत्ताह मद हो गया था। गांधीजी ने भारतीय राजनीति का नेतृत्व किया और चम्पारन, दुड़ा और अहमदाबाद में सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया।

गांधीजी का नेतृत्व और असहयोग आन्दोलन (1920) —

महात्मा गांधी ने 1919 से राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ किया। जनरल डायर के द्वारा और नृसंघ कासापो तथा ब्रिटिश सरकार की दमनपूर्ण नीति से भारतीय जनता को स्वराज्य की कोई दिशा न ज्ञानी आ रही थी। भारतीय विरोध के उपरान्त भी 21 मार्च, 1919 को 'रोलेट एक्ट' लागू किया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को शासन द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था और कामूली कार्यवाही किए बिना चाहे वित्ते समय तक नजरबद किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस "रोलेट एक्ट" का विरोध किया और सम्पूर्ण देश में हड़ताल लगाने का निश्चय किया गया— सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण हड़ताल 6 अप्रैल, 1919 तो रुट्टी गई और 7 अप्रैल को ही महात्मा गांधी जो गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पजाव में जनरल माइकेल ऑ' डायर ने बिना किसी कारण के दो नेताओं— सत्यपात और डॉ. किंचलू को नजरबद कर निकासन के आदेश दे दिए। जनता ने इसका विरोध किया और 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के ब्रन्जियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा की जिसमें जनरल डायर ने प्रोलिंगे की वर्ग करके 800 व्यक्तियों को मौजूद के घाट उतार दिया। 2,000 व्यक्ति घायल हुए और सम्पूर्ण पजाव में सैनिक शासन ने अधानवीय अत्याचार किए। इससे भारतीय जन-प्रान्त क्षुब्ध हो उठा। इसे भारतीय इतिहास में जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड कहा जाता है।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की जांच के लिए हृष्टर कमेटी गठित की गई किन्तु इसमें जनरल डायर का समर्थन ही किया गया और उसे 'ब्रिटिश साम्राज्य का शेर' व 'ब्रिटिश राज्य का रुक' कहा गया। इन सबसे भारतीयों को निराशा हुई।

असहयोग आन्दोलन— ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार से पूर्ण असहयोग करने का निश्चय किया। गांधीजी के नेतृत्व में प्रथम कल्कता तथा द्वितीय नागपुर अधिवेशन में असहयोग का भारी बहुमत से स्वागत हुआ। 20 अगस्त, 1920 से यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया—

(1) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, (2) सरकारी उपाधियों और पदों का त्याग, (3) सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, (4) सरकारी अदालतों का बहिष्कार (5) सरकार की नई धारा-सभाओं का बहिष्कार, (6) सरकारी नौकरियों का बहिष्कार और (7) सरकारी दरबारों, स्वागत-समारोहों तथा उत्सवों का बहिष्कार।

इन बहिष्कारों के साथ-साथ कांग्रेस ने कुछ सचनात्मक कार्यक्रम अपनाए, जैसे—(1) बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोलना, (2) विवादों को निपटाने के लिए अपनी पंचायत अदालतें स्थापित करना, (3) छुआछूत को दूर करना, (4) स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा खाद्य बुनने के लिए घर-घर सूत कातना, तथा (5) हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना।

यह आन्दोलन बड़ी तेजी से चला। मोरीलाल नेहरू और विडल भाई पटेल जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत छोड़ दी। सैकड़ों राज्य कर्मचारी नौकरी छोड़ बैठे। मजिस्ट्रेटों ने त्याग-पत्र दे दिए। छात्र भी शिक्षण संस्थाएं छोड़ने में पीछे नहीं रहे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा।

चौरी-चौरा काण्ड और आन्दोलन का अन्त— जब आन्दोलन तेजी पर था और सफलता के साथ चल रहा था, तभी 5 फरवरी, 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ‘चौरी चौरा’ नामक स्थान पर एक उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप धानेदार और 21 सिपाही जल कर राख हो गए। गांधीजी इसके पक्ष में नहीं थे अत उन्होंने तुरंत आन्दोलन को म्यगित करने की घोषणा कर दी। इससे सभी नेताओं ने गांधीजी की तीव्र आलोचना की। 10 मार्च, 1922 को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया और राजन्मोह फैलाने के अपराध में उन्हें 6 साल की कैद की सजा दी गई; किन्तु 3 फरवरी, 1924 को बीमारी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार चौरीचौरा काण्ड के साथ आन्दोलन का अंत हुआ।

आन्दोलन का महत्व— यद्यपि असहयोग आन्दोलन असफल रहा फिर भी भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में इसका महत्व है, यथा—

(1) इस आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को नया मोड़ दिया। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई।

(2) पहले कांग्रेस आन्दोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था अब यह आम जनता में आ गया।

(3) पहले सरकार की आलोचना करते हुए लोग ढरते थे। अब ‘स्वराज्य’ शब्द बच्चों की बुचान पर भी आ गया।

(4) अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार ने सरकार के दमन-चक्र को कुपित कर दिया। भविष्य में होने वाले आन्दोलनों के लिए यह महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

(5) आन्दोलनों के दौरान देश ने रचनात्मक कार्य किए। चर्खा, खादी, आदि के कार्यों से हजारों लोगों को काम मिला।

साइमन कमीशन—

1919 की सुधार योजना पर रिपोर्ट देने के लिए सन् 1927 में 7 अंग्रेज सदस्यों का एक कमीशन 'साइमन कमीशन' नियुक्त किया गया। वैसे तो दस वर्ष बाद भारत में एक आयोग नियुक्त करने की व्यवस्था थी, किन्तु अचानक 8 नवम्बर, 1927 को जब ग्रिट्टिंग प्रधानमंत्री ने कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की तो सभी राजनीतिक दलोंने इसका वहिष्कार किया। जब 3 फरवरी, 1928 को कमीशन चार्चई पहुँचा तो उसके विरुद्ध अनेक प्रदर्शन किए गए। जहाँ भी साइमन कमीशन गया वहाँ काले झण्डे, प्रदर्शन और 'साइमन कमीशन वापिस जाओ' के नारों से उसका वहिष्कार किया गया। इस प्रकार सभी दलों ने इसे नकार दिया।

सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट— जब सभी दल साइमन कमीशन का वहिष्कार कर रहे थे तो सभी भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी गई थी कि यदि वे विभिन्न सम्प्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सकें तो इंग्लैण्ड की सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार रहेंगी। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी, 1928 को दिल्ली में एक 'सर्वदलीय सम्मेलन' बुलाया गया। सम्मेलन में पंडित मोर्तीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए एक समिति गठित की गई जो 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से जानी जाती है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नतिखित थीं—

1. भारत को शीघ्र ही 'ओपनियेशिक स्वशासन' प्रदान किया जाए।
2. भारत में सर्वीय व्यवस्था लागू की जाए और सर्वीय आपार पर शक्तियों का बैटवारा किया जाए।
3. साम्प्रदायिक मताधिकार का अन्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर अत्यमतों को सांस्कृतिक स्वायत्तता, रक्षा आदि प्रदान की जाए।
4. सिन्ध को चार्चई से अताग किया जाए और उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त को दूसरे प्रान्तों के समान दर्जा दिया जाए।
5. प्रान्तों के समान ही केन्द्र में पूर्ण उत्तराधीय शासन की स्थापना हो जिसमें गवर्नर-जनरल एक वैधानिक प्रधान हो।
6. नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसमें 19 अधिकारों का उल्लेख किया गया।
7. भारत एक धर्मनियेस राज्य होना चाहिए।

पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव—

नेहरू रिपोर्ट काफी अच्छी थी किन्तु अंग्रेजी सरकार ने इसे 1929 तक स्वीकार नहीं किया। इससे 1929 के बालोस अधिकार में जो जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एवी नदी पर लाहौर में हुआ था, 31 दिसम्बर, 1929 को रात्रि के 12 बजे 'स्वाधीनता प्रस्ताव' स्वीकृत किया गया और कमटी को यह अधिकार दिया गया कि उपर्युक्त समय में वह 'सर्विय अवज्ञा आन्दोलन' शुरू कर

दे। यह भी निश्चित किया गया कि 26 जनवरी का दिन 'स्वाधीनता दिवस' के रूप में मनाया जाए। इसीलिए 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930)

फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति के लिए 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' प्रारम्भ करने का अधिकार गांधीजी को दे दिया। इससे पूर्व 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली (सूरत जिला) में एक सफल सत्याग्रह किया और सरकार को भूमि-कर देने से इन्कार कर दिया। आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व गांधीजी ने एक बार फिर समझौते का प्रयास किया और लॉर्ड इविन को 2 मार्च, 1930 को एक पत्र लिखकर अपनी 11 माँगों का उल्लेख किया जिन्हें 1930 में सरकार के समक्ष पेश किया गया था, उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन माँगों को पूरा नहीं करेगी तो 12 मार्च, 1930 को वे नमक कामनून का उल्लंघन करेंगे। गांधीजी को इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अत 12 मार्च, 1930 को गांधीजी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ सावरणी आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दाण्डी की ओर दाण्डी कूच किया। 24 दिनों में इस 200 मील की यात्रा को पूरा किया और 6 अप्रैल, 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर 'नमक कामनून' को भांग किया। यह सविनय अवज्ञा के प्रारम्भ का सकेता था। इस समय विदेशी वस्त्र जलाना, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल की दुकानों पर धरना देना आदि कार्य किए गए। इससे काफी नुकसान हुआ, विदेशी वस्त्रों का आयात एक-चौथाई रह गया। 14 मई को गांधीजी वीर गिरफतारी के बाद 'कार-बन्दी' को आन्दोलन में सम्मिलित किया गया।

गोलमेज सम्मेलन-जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन जोरों पर था तो साइमन कमीशन द्वारा भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवम्बर, 1930 को जॉर्ज पचम ने अद्यार्थित किया। इन्लैण्ड के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर, 1931 को तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1932 तक चला। इनमें भी महात्मा गांधी के सभी प्रयत्न निष्कल हुए।

साम्राज्यिक पंचाट- गोलमेज सम्मेलन का कोई महत्वपूर्ण हल न निकल सका; तब 18 अगस्त, 1932 को मैकडोनल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की, इसे 'साम्राज्यिक पंचाट' कहा जाता है। इस पंचाट में मुसलमानों, सिक्खों, ईसाइयों, ऐतो-इण्डियनों, व्यापारिक और औद्योगिक वर्ग, जमीदारों और विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, हरिजन और अल्पमत को अलग वर्ग में लिया गया। यह पंचाट धातक सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें हरिजनों को हिन्दुओं से अलग करने की कोशिश की गई।

पुनर्सविनय अवज्ञा आन्दोलन- लॉर्ड इविन के बाद लॉर्ड विलिंगडन जब भारत के गवर्नर-जनरल बने तो गांधी-इविन समझौते को भा करना प्रारम्भ कर दिया। बाद में उनका व्यवहार बड़ा कटु हो गया और हठात् गांधीजी को पुनर्सविनय अवज्ञा आन्दोलन अपनाना पड़ा। इधर शासन इतना कठोर हो रहा था कि गांधीजी को भी पुनर्सविनय अवज्ञा आन्दोलन चुकेथे। अगस्त 1933 में पुनर्सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया गया। बाद में सरकार ने कांग्रेस पर से प्रतिवन्ध हटा लिया।

खेतपत्र- मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक 'खेतपत्र' प्रकाशित किया, जिसमें उसने उन चिठ्ठिओं का संकेत दिया जिनके आधार पर 1935 का एक ट बनाने वाला था। भारत में इसे नापसंद मिला गया। तब ब्रिटिश सरकार द्वारा "भारतीय शासन अधिनियम" स्थापित किया गया।

1935 का भारतीय शासन अधिनियम

1935 के इस अधिनियम द्वारा 'अखिल भारतीय संघ' की स्थापना की गई। गवर्नर-जनरल ने कुछ विशेष अधिकार देकर संघीय व्यवस्थापिका को शक्तिहीन बना दिया। मुस्लिम लीग ने प्रान्तीय स्वायतता की मौग की अतः इस अधिनियम में प्रान्तों को पूर्ण स्वायतता प्रदान की गई। कांग्रेस और अन्य दल इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं हुए। अतः इसका संघीय भाग लागू नहीं हो सका। 1 अप्रैल, 1937 से इस अधिनियम को प्रान्तीय क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। प्रान्तों में चुनाव करवाए गए और 8 प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत मिला परन्तु 1939 में द्वितीय महायुद्ध के छिन्ने से विना नेताओं की रथ के भारत को मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में लगा दिया गया। इससे रूट होकर सभी कांग्रेसीं मंत्रिमण्डलों ने अपने त्याग-पत्र दे दिए। गांधीजी को कांग्रेस की बागडोर पुनर्सम्भालनी पड़ी और स्वाधीनता संग्राम ने नया मोड़ से लिया।

क्रिप्स प्रस्ताव और उसकी अमफलता

अग्रेजों द्वारा कांग्रेस की मौगों को पूरा न करने के कारण, और ग्रिटिंग साकार को युद्ध में सहायता न देने के लिए गांधीजी ने व्यक्तिगत मत्याग्रह चलाया। 1941 में युद्ध में जापानी मेनाएँ बर्मा में भारत की सीमा तक आ गई तो ऐसी स्थिति में ग्रिटिंग साकार ने भारत की रक्षा का कार्य राजनीतिक शक्तियों के सहयोग से करने के लिए क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसके दो भाग थे—(1) अन्तर्राम योजना और (2) दीर्घ कालीन योजना। योजना में युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई किन्तु युद्ध के होते रहने तक सुखा विभाग ग्रिटिंग शासन के अधीन रहने के लिए कहा गया। भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने इस प्रस्ताव को अमीकार कर दिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन (1942)

क्रिप्स प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' ने 8 अगस्त, 1942 को 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया, “भारत में ग्रिटिंग शासन का तुरन्त अन्त होना चाहिए। परापीन भारत ग्रिटिंग साम्राज्यवाद का चिन्ह यहा हूँआ है, किन्तु स्वतंत्रता की प्राप्ति युद्ध के स्वयं बदल सकती है। अतः कांग्रेस भारत में ग्रिटिंग मत्ता के हट जाने की मौग दोहाती है। यह मौग न मानी जाने पर यह समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है तथा भारतीयों में अपील करती है कि इसका आपार अहिंसा हो।”

इस प्रकार गांधीजी ने 'करो या मरो' का सदेश देकर कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पास कराया तभी शासनात्मक दमन चढ़ा ने गांधीजी को व सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें जेल में फाल दिया गया। तब जनता ने जन-विद्रोह किया, जातिगृहं जलूस, सभाएँ, इडलाले हुड़, बदले में शासन ने उन पर लाठी नार्ज, गोती का व्यवहार किया तब शान्तिगूर्ज विरोध ने दिमातमक रूप धारण कर लिया। इस आंदोलन में सभी देशभक्तों और राजनीतिक दलों ने भाग लिया किन्तु सामनवारी दल और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया और संस्कार का सहयोग किया।

आन्दोलन का स्वरूप— 1942 के आंदोलन की न तो कोई रूपरेखा थी न ही कोई तैयारी थी। यह स्वाभाविक जन-आंदोलन था, जो मुख्यतः विद्यार्थियों, किसानों और निम्न मध्यम वर्ग तक सीमित रहा। 'भारत छोड़ो आंदोलन' चार अवस्थाओं से गुजरा था—

(1) प्रथम अवस्था—प्रथम अवस्था 9 अगस्त, 1942 से लेकर तीन-चार दिन चली। जब हड्डियाँ, प्रदर्शन व जुलूस आदि निकाले गए। इस शान्तिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए 11 अगस्त, 1942 को दिन के ढाई बजे पुलिस ने बाब्बई में 13 बारगोलियाँ चलाई। कई लोग इसमें मारे गए व जखमी हुए। इससे सरकार के विरोध में आग भड़क उठी।

(2) द्वितीय अवस्था—आंदोलन की दूसरी अवस्था में लोगों ने भवनों, सरकारी इमारतों तथा सम्पत्ति पर आक्रमण किए; रेल्वे स्टेशन, पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी, रेत की पट्टीरें उछाड़ दी।

(3) तीसरी अवस्था—आंदोलन की तीसरी अवस्था में लोगों ने पुलिस व सेना के अल्पांशों से क्षुब्ध होकर सरकारी सम्पत्ति, अधिकारी और सचार साधनों पर हथियारों से आक्रमण किए। कुछ स्थानों पर जनता द्वारा बम फेंके गए। यह स्थिति सितम्बर 1942 से फरवरी 1943 तक चलती रही। इसके बाद आंदोलन धीमा पड़ा।

(4) चतुर्थ अवस्था—इस अवस्था में आंदोलन की गति बहुत धीमी रही और यह 9 पर्फ, 1944 तक चला। इसमें गाँधीजी को छोड़ दिया गया। जय प्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली आदि ने इसमें सराहनीय कार्य किए।

आन्दोलन का महत्व— यह आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जनता द्वारा स्वप्रेरणा से चलाया गया था और भारतीयों ने अपनी सहनशीलता और साहस का परिचय दिया। अंग्रेजों ने हिस्सा भड़काने की सारी जिम्मेदारी गाँधीजी पर ढाल दी। इसका विरोध करने के लिए 10 फरवरी, 1943 से 21 दिन का उपवास गाँधीजी द्वारा रखा गया। इस आंदोलन में लाभग 7000 से अधिक व्यक्ति मारे गए, 60 हजार से अधिक व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। यद्यपि यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से असफल रहा, किन्तु लोगों में मुकाबला करने की भावना प्रबल हुई। इसने स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस आंदोलन का विदेशो पर भी प्रभाव पड़ा। वहाँ भी जनसत् प्रबल हुआ।

भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर— 1945 मे ब्रिटेन मे जो आम चुनाव हुए उनके परिणामस्वरूप एट्टी के नेतृत्व मे मजदूर दल की सरकार बनी। उसी समय भारत मे भी आम चुनाव हुए और उनमे काग्रेस को भारी स्तोकप्रियता हासिल हुई। किन्तु हिन्दू-मुस्लिम विद्रोह बढ़ता रहा। 1946 में सुभाष चन्द्र बोस ने 'आजाद हिन्द फौज' का गठन किया। उन्होंने प्रेरणादायक मंदेश देकर जनता को जागरूक किया। 23 मार्च, 1947 मे लॉर्ड माउण्टबेटन भारत के गवर्नर-जनरल बने। उन्होंने भारतीयों से बालबीत की और पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया। काग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर दिया और 3 जून, 1947 को माउण्टबेटन ने अपनी योजना 'माउण्टबेटन योजना' प्रस्तावित की। इस योजना की दो बातें मुख्य थीं—(1) 1947 में ही भारत को सत्ता का हस्तांतरण और (2) हिन्दुस्तान और पाकिस्तान—दो राज्यों मे विभाजित।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947—भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अनुसार भारतीय महादीप पर ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत और पाकिस्तान—दो स्वतंत्र राज्य अस्तित्व मे आए तथा 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का योगदान

1. भारत में आधुनिक शिक्षा के साथनों में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रमुख हाथ है। इसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से आधुनिक शिक्षा-प्रचार का कार्य आरम्भ किया। उन्होंने भारत में व्याप्र बहुदेवबाद और जातिवाद जैसी असमानताओं की तीर्त्ति आतोचना की और सोगों को ईसाई धर्म की ओर आकृष्ण किया। उन्होंने कई मिशनरी स्कूल खोले जिनमें आधुनिक धर्म निरपेक्षता की शिक्षा प्रदान की। इससे कुछ लोग ईसाई धर्म की ओर चंगा आकृष्ण हुए।

2. भारत में ब्रिटिश राजने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय खोले और उन्हें द्वारा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी गई। शिक्षा में सुधार लाने हेतु ब्रिटिश सरकार ने 190 में विश्वविद्यालय स्तर पर एक शिक्षा आयोग का गठन किया। उन्होंने अनेक अच्छे, सामान्य श्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रशासनिक कर्मचारी शिक्षित किए। वास्तव में 'लॉर्ड मैकले की शिक्षानीति' यही थी कि अंग्रेजी के माध्यम से सारे भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो राज-खून में भारती-ओंग-चि, विचार व नैतिकता में अंग्रेज हो। अंग्रेजों ने अपनी राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक अवश्यकताओं के अनुरूप ही आधुनिक शिक्षा प्रदान की। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बड़े स्तर पर शिक्षा का विकास कर बड़े-बड़े बकील, डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक और तजनीकी विशेषज्ञ तैया कराए, किन्तु समय आने पर ये शिक्षित लोग ही ब्रिटिश राज्य के विरोधी बन गए। उन्होंने स्कूल कॉलेजों का बहिकार किया, नौकरियों से त्याग-पत्र दिए और राष्ट्रीय आदोलन का समर्वन किया और स्वदेशी आदोलन को स्वीकार किया।

3. भारत में वैदिक संस्कृति के रक्षार्थ पूरे देश में अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, खोले गए। इन विद्वानों का उद्देश्य समाज में लोगों का एक ऐसा समूह तैयार करना था जो शैक्षणिक सुधार, और देश के उत्थान के लिए राष्ट्रहित के कार्य कर सके, उन्होंने वेदों पर बल दिया। गुजरात, उत्तर प्रदेश और आगामकर आदि स्थानों पर विद्यापीठ खोले गए। शासि निकेतन में विश्वभारती, जायिषा मिलिया और बम्बई में एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय इसी उद्देश्य से खोले गए।

4. प्रगतिशील भारतीयों ने भी शिक्षा प्रसार के लिए अनेक संगठन एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की— ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविंद रामाडै, सैयद अहमद खाँ और मदन मोहन पालबीय ने की। तिलक, गोखले, देशमुख व प्रह्लादा गांधी आदि द्वारा भी शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक संगठन व संस्थाएँ स्थापित की गई।

आधुनिक शिक्षा और प्रगतिशील भारतीय शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि पढ़कर उन्हें स्थिति की सही-सही जानकारी हुई। उनमें व्याकुंगत स्वतंत्रता की भावना जगी, विदेशी सत्ता के प्रति विरोधी भाव जगे, अन्धविश्वास और पम्परागत रुढिवादिता से मुक्त मिली, और वैज्ञानिक व तार्किक ज्ञान को अपनाया जाने लगा।

अंग्रेजी शिक्षा प्रवाद का भी परिणाम विपरीत ही निकला। लोगों ने राष्ट्रीय आदोलन में भाग लिया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया गया। शिक्षा से चुनाव, मताधिकार, भाषण, समाचार-पत्र आदि के प्रति जागरूकता पैदा हुई— अपनी माँगों को अंग्रेजी सरकार से मनवाने के लिए सभी उपायों को अपनाने लगे। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा ने विभिन्न प्रान्तों एवं अन्य भाषाओं के

मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य किया। ब्रिटिश नेताओं का यह दावा निराधार नहीं था कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों द्वारा लाई गई आधुनिक शिक्षा का परिणाम है।

आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप ही भारतीयों में उदारवादी दृष्टिकोण पनपा, उनमें प्रजातांत्रिक विचारधारा जागृत हुई, धर्मनिरपेक्षता के भाव जगे। जिससे उन्होंने सामाजिक-धर्मिक सुधार किए— सती प्रथा निरोध, बाल-विवाह आदि कुरीतियों का विरोध हुआ। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन मिला, किन्तु यह शिक्षा भारतीय समाज की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ रही। इसने भारतीय संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था, चित्रकला व राजनैतिक व्यवस्था आदि पर जोर नहीं दिया। इसके विपरीत इसने आत्मसम्मान को क्षीण ही किया है, भारतीय समस्याओं का हल करने में भी यह अक्षम रही है। इसी कारण यह जन-शिक्षा नहीं बन पाई। इसने शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच की दूरी को बढ़ावा दिया है। सारांश में यह लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करने का साधन मात्र रही है।

मुस्लिम लीग अध्यवा साम्राज्यिकता— ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत जो भारतीय सामाजिक अर्थ-व्यवस्था विकसित हुई एवं सांस्कृतिक विकास हुआ उसके मूल में साम्राज्यिकता थी। एक ओर राष्ट्रीय आंदोलनकारी नेता ब्रिटिश राज्य के विरोध में लड़ रहे थे तो दूसरी ओर कुछ हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने समुदायों में साम्राज्यिक आग भड़का रहे थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग साम्राज्यिक थी और उच्च मुस्लिम वर्ग उसका नेतृत्व कर रहा था—इसने मुसलमानों के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग की। लीग ने अंग्रेज-सरकार के प्रति वफादारी प्रकट की। 1908 में लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए विधान सभा में अधिक स्थान दिए जाने की माँग की, प्रियी कौसिल में प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में एक निश्चित प्रतिशत रखने की माँग की। 1909 में माले बिण्ठो-सुधारों में ब्रिटिश सरकार ने पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार किया जिसका आधार साम्राज्यिकता था। 1919 में दिल्ली अधिवेशन में लीग ने भारत के लिए आत्मनिर्धारण के सिद्धान्त की माँग की किन्तु 1919 में ही भारत सरकार अधिनियम द्वारा अंग्रेजोंने साम्राज्यिक चुनाव पद्धति का विस्तार कर दिया। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान हिन्दू-मुसलमानों में पूर्ण सहयोग था; इसके तुल्त बाद 1922 से 1927 तक हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव हुए और दोनों अलग-अलग हो गए। 31 दिसम्बर, 1928 में दिल्ली में 'सर्वदल मुस्लिम सम्मेलन' का आयोजन किया गया। उसमें जिन्ना ने अपना चीदह सूबीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उस समय कई राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताभी इस ओर आकृष्ट हो गए। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऐज्जे मैकडोनाल्ड ने साम्राज्यिक पंचाट की स्वीकृति दे दी और जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता माने गए। 1935 के अधिनियम में अनेक समुदायों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र स्वीकृत किया गया। 1937 में हुए चुनावों के परिणामों के बारे में जिन्ना ने असन्तोष प्रकट किया और 1938 में मुस्लिम लीग की कार्यकारीणी द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है, कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की संस्था है। इस प्रकार जिन्ना ने साम्राज्यिकता की आग भड़काई और अंग्रेज सरकार ने इसमें धी का काम किया। उसने भारतीयों को विभिन्न समुदायों, हिंदू और बांग्ला में बौट दिया।

1938 में हिन्दू और मुसलमानों को अलग-अलग राष्ट्र बता दिया गया, जिसके आधार पर लीग ने पाकिस्तान की माँग की। 1940 के 'लाहौर अधिवेशन' में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया और भारत के मुसलमानों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक अलग पूर्ण प्रभुत्वसम्पत्र मुस्लिम राज्य स्थापित करने की माँग रखी गई। जिन्ना ने मुसलमानों को पृथक् राष्ट्र का बताकर

उनकी संस्कृति और सभ्यता को भिन्न यताया और अन्ततोगत्वा भारत का विभाजन कर पूर्ण ह पार्किस्तान की स्थापना की गई। यद्यपि गौंथली जी इस साम्प्रदायिकता के विस्तर थे उन्हें अनेक राजनीतिक, आर्थिक और संरचनात्मक काण्डे साम्प्रदायिकता का जहां उगलने में सहायक रहे।

जाति—जाति ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में बापक कार्य किया क्योंकि जाति व्यवस्था हिन्दुओं की ऐसी स्थिति रही है जो जन्म पर आपारित थी। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक असमर्पणताओं पर आपारित थी। उसपे उल्लंघन और निपटन के आवारपर क्षेणी-विभाजन था। विभिन्न जातियों व समूहों के सदस्यों के मध्य रान-पान, रहन-सहन व दैवाहिन-सम्बन्ध आदि वर्जित था। व्यवसाय आदि में भी अपनी जाति को महत्त्व दिया जाता था। जाति पर आपारित पूर्वाग्रह इतना कठोर था कि रेना में भी द्वार्हणों और राजपूतों को अपनी जाति के नियमों का पालन करने की स्वतंत्रता दी जाती थी। जाति पश्चायतों हांग ही जाति के सदस्यों के व्यवसाय चुने जाते थे। इन सब काण्डों से राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ और जब तक जाति-पश्चा का प्रभुत्व स्थगित रहा, तब तक आंदोलन को व्यापकता नहीं मिल सकी।

अग्रेजी शिक्षा ने बुद्धिवाद, वैज्ञानिक स्वतंत्रता और समानता के भाव लोगों में जागृत किए, किंतु यह आगुनिक शिक्षा प्रबुद्ध वर्ग तक ही सीमित रही, समाज के नियम तक इसकी पहुँच नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त अग्रेजों की नीति भी हिन्दुओं को विभाजित करने, उनमें जातिगत भेदभावों को बढ़ाने की व साम्प्रदायिकता की भावना फैलाने की रही। अतः उन्होंने जातिगत भेदभावों को प्रोत्ताहन दी दिया। उन्होंने तो प्रत्येक जाति के विषय में विस्तार से गृहना सकृतित की और जनगणना में इनका पूरा रिकॉर्ड रखा क्योंकि उनका उद्देश्य पात्र अंग्रेजों के विस्तर पार्टी जागरण के प्रभाव को नियंत्रित करना था।

सामाजिक-आर्थिक तुपार आंदोलन (ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन व पार्थना समाज) ने जाति-व्यवस्था पर करार प्रहर किया। परिव्रता-अपरिव्रता, कर्म का मिश्रण, अस्मृश्यता, जन्मगारित प्रसिद्धि निर्धारण और वंशानुगत व्यवसाय आदि पर इन आंदोलनों का सीधा व तीव्र प्रहर हुआ और पारम्परागत परिव्रितियों में बदलाव भी आया, किंतु कलिपय मुपार-आंदोलनों ने जाति-व्यवस्था का समर्थन किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय 1932 में साम्प्रदायिक-पचाट की स्त्रीकृति ने मुसलमानों, सिक्खों और अन्य समूहों के लिए पूर्ण विवरित देन तोल दिए—इससे जातिगत साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इन आंदोलनों से जाति व्यवस्था टूट हुई।

इसके अतिरिक्त सांस्कृतिकरण की प्रतियोगी के परिणामस्वरूप नियम जातियों ने उन जाति के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसका उन जातियों ने लिया: किया, किंतु वितायिता सरकार ने नियम जातियों के इस सांस्कृतिकरण को प्रोत्ताहित किया। इससे जातियों में परामर्श बढ़ा, जो कि राष्ट्रीयता के लिए न करात्मक रहा। इस तरह सांस्कृतिकरण ने भ्रिटिश सरकार के उद्देश्य ने ही सार्थक किया और राष्ट्रीय आंदोलन को हानि पहुँचाई।

महात्मा गांधी ने जाति-प्रभा के पिरोप में सार्वजनिक—‘अस्मृश्य’ या ‘अदृश्य’ जातियों के लिए उन्होंने ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग किया था। 1932 में उनके कल्पणार्थ ‘अधित्त भालीय हरिजन सेवक संघ’ की स्थापना ही। गांधीजी का उद्देश्य हरिजनों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा उनका उल्लान करना था। सभाव सुपार्टो ने भी इसके लिए प्रयास किया और 1955 के ‘अस्मृश्यता

अधिनियम' में इसे अपराध घोषित किया गया। इनमें ची.आर. अच्छेड़कर का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने हरिजनों के विरुद्ध जुलम और अत्याचार करने वालों के विरुद्ध संघर्ष किया।

सारांशत यह कहा जा सकता है कि द्वितीय राज ने भारत में साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीयता एवं धार्मिक शक्तियों को समर्थन दिया जिससे ये लोग पारस्परिक संघर्ष में लगे रहे और अंग्रेजी राज का विरोध न कर सकें, किंतु इन बाधाओं के उपरांत भी राष्ट्रवादी शक्तियों ने भारतीय समाज की उन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बाधा पहुंचाई। वास्तव में इस स्वतंत्रता संग्राम को साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता और निम्न जातियों के शोषण के विरुद्ध एक पुनर्जागरण कहा जा सकता है।

प्रस्तुति

1. अंग्रेजों के भारत-आगमन के समय की सामाजिक-आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारकों की व्याख्या कीजिए।
4. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
5. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय कांग्रेस के योगदान की विवेचना कीजिए।
6. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम-दल और गरम-दल की भूमिका बताइए।
7. भारतीय राष्ट्रीयता के गांधी-युग पर प्रकाश फैलाइए।
8. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जाति प्रथा ने क्या भूमिका अदा की?
9. “भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साम्प्रदायिकता” पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
10. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान की चर्चा कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति

1. निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर एक शब्द में दीजिए—
 - (i) महाराष्ट्र में ‘होमरूल-लीग’ की स्थापना किसने की?
 - (ii) जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौनसी कमेटी गठित ही गई?
 - (iii) 1919 की सुधार योजना पर रिपोर्ट देने के लिए 1927 में कौनसा कमीशन नियुक्त किया गया?
 - (iv) 1928 में दिल्ली में होने वाले सम्प्रेसन दाना नाम बताइए।
 - (v) 1930 में पूर्ण स्वतंत्र्य प्राप्ति के लिए कौनसा आंदोलन ग्रामभीक्षा गया?
 - (vi) ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ की स्थापना कौनसे राज में हुई?
 - (vii) राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को किसने चरणों में विभाजित किया जा सकता है?
 - (viii) जलियाँवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन कब किया गया?
 - (ix) प्रथम गोलमेज सम्प्रेसन कब ऑफिशियल किया गया?

(x) साम्राज्यिक-पंचाट की स्थापना किसने की ?

[उत्तर- (i) बालगंगाधर तिळक, (ii) हस्टर कमेटी, (iii) साइमन कमीशन, (iv) सर्वदीय मम्मेलन, (v) सविनय अवज्ञा आन्दोलन, (vi) 1885, (vii) 3, (viii) 13 अप्रैल, 1919, (ix) 22 नवम्बर, 1930, (x) मैरडोनल्ड]

2. नीचे कोन्ट्रक में कुछ विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए—
 (i) 1947 में भारत के गवर्नर-चनल कौन थे ?

(माउण्ट बेटन/लॉर्ड इरविन/लॉर्ड मैकडीनल्ड/लॉर्ड विलिंगडन)

(ii) आजाद हिन्द कौब की स्थापना किसने की ?

(बाल गंगाधर तिळक/मोतीलाल नेहरू/सुभाष चंद्र बोस/एनी बीसेण्ट)

(iii) 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना किसने की ?

(मोती लाल नेहरू/ए.ओ. हूम/लॉर्ड मैकाले/चित्तरंजनदाम)

(iv) भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ ?

(1885/1857/1934/1928)

(v) बंगाल-विभाजन कब हुआ ?

(1905/1933/1928/1930)

(vi) अखिल भारतीय होम-स्ल-लीग की स्थापना किसने की ?

(बाल गंगाधर तिळक/सुभाषचंद्र बोस/श्रीमती एनी बीसेण्ट/ए.ओ. हूम)

(vii) 'रोलेट एकट' कब बनाया गया ?

(1919/1935/1885/1930)

(viii) 'दाण्डी कूच' किस सन् में किया गया ?

(1905/1930/1929/1825)

(ix) 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का प्रमाण कब स्वीकार हुआ ?

(1905/1935/1942/1900)

(x) 'माउण्ट बेटन-योजना' कब प्रमाणित हुई ?

(1905/1935/1942/1947)

[उत्तर- (i) माउण्ट बेटन, (ii) सुभाष चंद्र बोस, (iii) ए.ओ. हूम, (iv) 1857,

(v) 1905, (vi) श्रीमती एनी बीसेण्ट (vii) 1919, (viii) 1930, (ix) 1942,

(x) 1947]

3. निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए—

1. इन्वर्ट विधेयक (A) 1922

2. वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम (B) 1927

3. लखनऊ कांग्रेस अधिकार (C) 31 दिसम्बर, 1929

4. चौरी चौरा कांड (D) मार्च 1933

5. माइमन कमीशन (E) 1833

6. स्वाधीनता प्रस्ताव (F) 1916

7. श्वेत-पत्र (G) लॉर्ड निंटन

[उत्तर- 1 (E), 2 (G), 3 (F), 4 (A), 5 (B), 6 (C), 7 (D)]

4. निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन छोटाइए—

(i) लॉर्ड टिंटन ने 'भारतीय शश किपेयक' लागू किया।

- (ii) भारत के लिए 'होमरूल' की माँग क्रिस्टोदाम पाल ने की।
 (iii) उग्र राष्ट्रीयता का उदय 'बाल, लाल, पाल' ने किया।
 (iv) उदार राष्ट्रीयता के समर्थक संघर्ष द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे।
 (v) 'प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम' लॉर्ड लिंटन ने लागू किया।
 (vi) बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्बन ने किया।
 (vii) गांधीजी 1891 में दक्षिणी अफ़्रीका गए।

[उत्तर- 1 (V), 2 (V), 3 (V), 4 (X), 5 (X), 6 (V), 7 (X)]

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

- 'क्रिप्स प्रस्ताव' और उसकी असफलता पर प्रकाश ढालिए।
- 'भारत छोड़ो आंदोलन' पर टिप्पणी लिखिए।
- 'साम्यदायिक-पंचाट' से आप क्या समझते हैं ?
- 'गोलमेज सम्मेलन' को स्पष्ट कीजिए।
- 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' को 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
- 'दाण्डी कूच' पर 30 शब्द लिखिए।
- नेहरू रिपोर्ट से सम्बन्धित दो बातें बताइए।
- साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए।
- 'जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड' पर टिप्पणी लिखिए।
- उग्रदल और उदारदल में प्रमुख अंतर क्या थे ?
- 'होमरूल-लीग' पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
- बगाल-विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया ?
- 'बाल, लाल और पाल' से क्या आशय है ?
- 'उदार राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति' पर 30 शब्द लिखिए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—

- असहयोग आदोलन, 1920
- उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा।
- राष्ट्रवाद में सामाजिक-धर्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका।
- मुस्लिम लीग की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका।
- माउण्टबेटन थोर्ना, 1947।
- 'भारतीय शासन अधिनियम, 1935'
- राष्ट्रवाद के उदय में विभिन्न कारकों की भूमिका। (उत्तर एक पृष्ठ में)

अध्याय - 16

ग्रामीण भारत में परिवर्तन और विकास

(Change and Development in Rural India)

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ग्रामों का जीवन अति सार्वजनिक, सरल, सुगम और प्राकृतिक वातावरण के अतिनिकट है। यहाँ किसी प्रकार की कृत्रिमता अथवा जटिलता नहीं है। ग्रामों को समझने के लिए उसके मापेण शब्द शहर से इनकी तुलना करें तो गाँवों की प्रकृति, जीवन, और वहाँ के वातावरण को ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। शहर ग्रामों की तुलना में बाद में बने हैं। उनमें जीवन प्रवृत्ति से परे, कृत्रिमतारूप, औद्योगिकीकरण से परिपूर्ण और जटिल है। शहरों की सम्यता और संस्कृति भी ग्रामों की तुलना में परिपूर्ण, परिमार्जित और संशोधित है। ग्रामीण जीवन का इतिहास अति प्राचीन है। जब लोग आजीविका प्राप्त करने हेतु एक स्थान पर रहकर कृषि करने लगे और अपनी आजगत्यकालियों की पूर्ति और सुविधाएँ वहाँ रहकर जुटाने लगे तो वे स्थान 'गाँव' बन गए। वास्तव में मानव की सम्यता और संस्कृति से पहचान करने वाले 'गाँव' ही है, इसीलिए ग्रामीण संस्कृति ही वास्तविक मानव संस्कृति है। शहरों में तो संस्कृति भी कृत्रिमता से परिपूर्ण है।

ग्रामीण भारत में परिवर्तन और विकास को जानने से पूर्व ग्रामीण भारत की विशेषताओं को जानना अत्यधिकरपक है तभी हम उनमें होने वाले विकास को समझ सकेंगे।

ग्रामीण—‘ग्रामीण’ शब्द को जानने के लिए ‘नगरीय’ शब्द को भी जानना आवश्यक है। प्राय 'ग्रामीण' को 'नगरीय' का विपरीतर्थ माना जाता है अर्थात् जहाँ कृत्रिमता, जटिलता, आडम्बर युक्त जीवन हो, जनसंख्या भी अधिकता हो और आधुनिकता हो वह नगरीय वातावरण है और जहाँ सानता, आडम्बर विहीन जीवन और जनसंख्या की न्यूनता हो वह 'ग्रामीण' जीवन होता है। अनेक विद्वानों ने ग्रामीण क्षेत्र उसे कहा है जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, वहाँ कृषि को प्रमुखता दी गई है। जनसंख्या न्यून है। वास्तव में ये मध्यी विशेषताएँ ग्रामीण जीवन की हैं किंतु भी एक सर्ववान्वय परिभाषा इन विशेषताओं के आधार पर नहीं निर्मित की जा सकती है क्योंकि इनमें कुछ अपवाद भी है, जैसे— सभी का जीवन कृषि आधारित न होकर अन्य व्यवसायों को वहाँ भी अपनाया जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से भी एक रूपता नहीं मानी जा सकती और पिछड़ान शहरों में भी पाया जाता है। इस संदर्भ में दो आपातों को प्रमुखता दी जा सकती है, जिन्हें बाटौर ने निर्धारित किया है—(1) कृषि द्वारा आय अथवा जीवनयापन, (2) कम परन्व वाला जनसंख्या-क्षेत्र।

लैण्डिस ने अपनी कृति 'रूतल लाइक इन प्रोसेस' में 'ग्रामीण' शब्द की व्याख्या तीन आधारों पर की है— (1) प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, (2) सीमित आकार, और (3) घनिष्ठ और प्राथमिक सम्बन्ध।

श्रीनिवास ने ग्रामीण जीवन की व्याख्या इस प्रकार की है— "एक ग्रामीण क्षेत्र वह है, जहाँ जीव किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात् प्रकृति के सहयोग से वे वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों।"

इन उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर 'ग्रामीण' क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ मानव जीवन प्रत्यक्ष रूपेण प्रकृति पर निर्भर हता हो, अर्थात् ग्रामीण लोग कृषि द्वारा पैदावार करके अब उपजाते हैं और इस प्रकार प्रकृति के माथ उनकी प्राथमिक स्तर पर अन्त किया होती है। इसके साथ ही, अर्थात् कृषि पर जीवनव्यापन के साथ ग्रामीण जीवन में सम्बन्धों में घनिष्ठता होती है, ग्रामीण क्षेत्र सीमित आकार वाला और कम घनत्व वाला भी होता है।

सारांशत एक ग्रामीण क्षेत्र प्राथमिक सम्बन्धों की प्रधानता वाला, सीमित क्षेत्र वाला और कृषि पर आधारित होने के कारण प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता वाला होता है।

ग्रामीण भारत में परिवर्तन

मानव समाज एक जटिल व्यवस्था है। यह निरतर परिवर्तित होती रहती है। ग्रामीण समाज भी इस परिवर्तन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। ग्रामीण समाज की संचरना एवं इसके प्रकारों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि इस परिवर्तन की गति शहरों की तुलना में धीमी कही जा सकती है। भारतीय ग्रामों में परिवर्तन किस गति से, किस क्रम से और किस ओर हो रहे हैं, इन्हें जानने के लिए भारतीय ग्रामों के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि ढालना आवश्यक है।

प्राचीन भारतीय ग्राम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से लघु समुदाय थे। सभी जातियाँ परस्पर एक दूसरे के हितों का ध्यान रखती थीं। उनके आर्थिक हित भी एक-दूसरे के सहयोग से पूरे होते थे। राजनैतिक दृष्टि से ग्राम पचायतें बनी हुई थीं जो ग्रामीण-विवादों का निपटाता करती थीं। उनकी अपनी ग्रामीण संस्कृति थी। सभी ग्रामवासी भरस्पर प्रेम-सौहार्द की भावना से रहते थे। उनकी अनेक प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी ग्रामीण-स्तर पर ही हो जाती थी। ये समुदाय परम्परावादी रहे हैं। इन ग्रामीण समाजों में रूढियों की प्रधानता रहती थी। ये परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। जाति-प्रथा का प्रभुत्व था। जजमानी प्रथा के द्वारा ग्राम-विभाजन की व्यवस्था का संचालन होता था। व्यवसाय वंशानुगत ही अपनाए जाते थे। नवाचार अध्यना परिवर्तन कठिनाई से ही कर्ती हो पाता था। इस तरह ग्रामीण भारत में परिवर्तन की गति अतिमद थी, किंतु उनमें संगठन था।

19वीं सदी में अंग्रेज भारत में आए और ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। इसके बाद ग्रामों में अनेक परिवर्तनों की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उनकी लघु सामुदायिकता विछुड़ित होने लगी। ब्रिटिश शासन काल में ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन होने लगे। भूमि पर अब जर्मादारों का अधिकार हो गया। वे भूमिपति होकर मजदूरों से कृषि कराने लगे। इससे जर्मादारी प्रथा का प्रारम्भ हुआ। प्रशासनिक कार्य जो पहले ग्राम पंचायतों के हाथ में था अब अंग्रेजों के पास आ गया। न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा न्याय होने लगा। औद्योगिकरण का विकास

हुआ, इससे ग्रामीण उद्योग-धंधे नष्ट होने लगे। कृषि-व्यवस्था भी अंग्रेजों के हाथ में खत्ती गई। इन सबके परिणामस्वरूप ग्रामों की एकता अब विछिन्न हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों के प्रभाव ने ग्रामों को उनकी संस्कृति से भी दूर कर दिया—अंग्रेजों ने जाति-पंचायत, जजमानी प्रथा, ग्राम पचायत, संसुल शरिकार, कृषि-व्यवसाय, और जनमत जैसी ग्रामीण-विशेषताओं को समाप्त कर दिया। उनमें अशिक्षा, अज्ञान, निर्धनता और बेरोजगारी की वृद्धि की। स्वतंत्रता के पूर्व किसानों का खूब शोषण हुआ। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप बेकारी और निर्धनता का आढ़ियन हुआ जिससे वह कर्जे में डूबते गये। धीरे-धीरे ग्रामों में अनेक समस्याएँ बढ़ी। रुदिवादिता, भिक्षावृत्ति, बेरयावृत्ति, शोषण, मारपीट, जनाधिक्य, बेकारी, अस्वास्थ्यकर आवास और पर्दाग्रिधा जैसी समस्याओं से ग्राम ग्रसित होने लगे। लोग गाँव छोड़कर व्यवसाय की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। इससे शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। अंग्रेजी सभ्यता ने ग्रामों में भी स्वच्छता को बढ़ावा दिया। बुजुर्गों का सम्मान घटने लगा, भारतीय संस्कृति के बंधन शिखिल होने लगे। लोग भव्य बोंगे ग्रामीण कहलाने में लजा का अनुभव करने लगे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर सरकार का ध्यान ग्रामों के उत्थान की ओर गया। पहात्मा गांधी का कथन था कि अमली भारत ग्रामों में ही निवास करता है, अत ग्रामीण व्यवस्था को समुन्नत करने के प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं। अनेक विकाससंगीत योजनाएँ बनाई गई हैं। पचवर्षीय योजनाएँ, जामुदायिक विकास योजनाएँ, पंचायती राज व्यवस्था, अन्त्योदय योजना, और समन्वित ग्रामीण विकास योजनाएँ आदि ग्रामों को उन्नत बनाने के लिए आयोजित की गई हैं। सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप ग्रामों में परिवर्तन आए हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं इससे ग्राम्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। अब वहाँ नल, बिजली, आवास व भौतिक मुख-सुविधा के उपकरण आदि विकसित हो रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ग्रामों में परिवर्तन आया है। अब ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, उनमें नेतृत्व जागृत हुआ है, वे अपनी समस्याओं के प्रति सजग हुए हैं। उनमें आधुनिकता की वृत्ति अब बढ़ने लगी है। अब गाँवों में रोड़ियो, टेलिविजन, सिनेमा, आधुनिक खेल-कूद आदि के साधन विकसित हो गए हैं। इस प्रकार गाँवों में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है—जिसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। ग्रामों में हो रहे परिवर्तनों को विस्तार से इस निम्नलिखित क्रम में देखा जा सकता है—

(1) ग्रामीण जाति व्यवस्था में परिवर्तन—जाति व्यवस्था भारतीय ग्रामों की मुख्य विशेषता रही है। जाति के आधार पर ही गाँवों में मामाजिक स्तरीकरण बीवित था। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित थी। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय था, जाति की पचायत भी, विवाह अपनी ही जाति में होता था, खान-पान के नियम निश्चित थे, जाति में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर थे, अद्यूतों का स्थान निम्नतम् था। जाति के नियमों में किमी प्रकार की अवैत्तना होने पर जाति उसे बहिन्दूत कर देती थी अथवा दण्ड देती थी। स्वतंत्रता-प्राप्ति के अनन्तर जाति की इन विशेषताओं में ग्रामों में काफी बदलाव आया है। शहरों के साथ सम्पर्क होने के कारण अब जाति में सक्तता पर्याप्त हुआ है अब जातीय-सदस्यता जन्मापारित न रहकर कर्म पर आधारित हो गई है। अब जाति का परम्परागत व्यवसाय भी निश्चित नहीं रहा है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को प्राप्त कर सकता है। जाति-पंचायत का अधिकार स्वतंत्र भारत में अब न्यायालयों ने से ले लिया है। अब नवीन

संविधानों का निर्माण हो गया है जिसके परिणामस्वरूप अत्यूत जाति भी धार्थिक स्थानों पर जाने लगी है। तालाबों, कुओं, सार्वजनिक स्थानों, वगीचों आदि का बखूबी उपयोग करने लगी है। जाति के नियमों की अवहेलना करने पर उसे जातिच्युत नहीं किया जा सकता।

अब अन्तर्जातीय विवाहों को भी मान्यता मिल गई है। ग्रामों में अब खान-पान, सहवास आदि में भी शिथितता आई है। अब लोग होटल में, ऑफिस आदि में अन्य जाति के लोगों के साथ खान-पान व सामाजिक सहवास स्थापित करते हैं। अनेक संवैधानिक अधिनियमों के कारण अस्पृश्यता में कभी आई है जिसके कारण अब निम्न-जातियाँ सामाजिक, राजनैतिक और धार्थिक भेदभाव की स्थिति से ऊपर उठी हैं। वे कोई भी व्यवसाय कर सकती हैं। अब राजनीति में भी इनका वर्चस्व हो गया है। इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चली हैं, उनमें शिक्षा का प्रसार हो गया है, और यहाँ तक कि रांगकृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा अब वे उच्चता को प्राप्त करने के प्रयास भी कर रही हैं।

इन सबका परिणाम यह भी हुआ है कि अन्तर्जातीय सम्बन्धों के विश्वृत्तित होने के कारण अब ग्रामों में तनाव संघर्ष, गुटबाजी और दलगत राजनीति का प्रारम्भ हो गया है। जिससे भाईचारे की भावना समाप्त हो गई है।

(2) ग्रामीण जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन— जजमानी-व्यवस्था जाति-प्रथा की विशेषता रही है जिसमें श्रम-विभाजन निश्चित था। सभी जातियाँ परस्पर सेवा करती थीं— द्वाहणों का कार्य विवाह अनुष्ठान आदि करवाना था। धोबी कपड़े धोने, नाई बाल काटने, चमार जूता बनाने और जुलाहा कपड़े बुनने का कार्य करता था, बदले में सभी को उनकी सेवा का भुगतान कुछ नकद, भोजन, वस्त्र अथवा अनाज आदि देकर कर दिया जाता था। इस प्रकार जजमानी प्रथा में उस समय दो जातियाँ थीं— (1) जजमान, और (2) कमीन।

कमीन सेवा प्रदान करने वाली जाति थी और जजमान सेवा प्राप्त करने वाली जाति थी। जजमान लोग विवाह, मृत्यु एवं भोज आदि पर कमीनों की सेवाएँ प्राप्त कर उन्हें बदले में अनाज, दस्त आदि देते थे। इस प्रकार परस्पर सभी जातियाँ एक-दूसरे से जुड़ी थीं।

वर्तमान ग्रामों में इस जजमानी व्यवस्था को समाप्त-सा कर दिया गया है। नगरीकरण और यातायात की सुविधाओं ने ग्राम के सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धों को क्षीणतर कर दिया है। अब लोग शहर में जाकर व्यवसाय करने लगे हैं। जो लोग अभी भी ग्रामों में व्यवसाय कर रहे हैं वे भी अब जजमान और कमीन का सम्बन्ध न रखकर अपना अलग अस्तित्व समझने लगे हैं। धोबी, नाई, चमार आदि जातियाँ भी अपनी दुकानें चलाती हैं और रुपए के बदले कार्य करती हैं। उच्च जाति की सेवा का भाव उनमें नहीं रह गया है। जजमानी व्यवस्था को कमज़ोर करने में कृषि के क्षेत्र में प्राप्त आधुनिक तकनीकी साधनों का भी प्रमुख हाव रहा है। अब मशीनीकरण से औजार तुरत और श्रेष्ठ बनने से लुहार आदि की महत्ता कम हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में औद्योगीकरण, नगरीकरण और यातायात आदि के परिणामस्वरूप ग्रामीण-जजमानी व्यवस्था जो सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों का आधार थी, कमज़ोर पड़ गई है।

(3) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन— ग्रामों में मुख्य व्यवसाय कृषि है। 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर छोटे-छोटे उद्योग भी प्रचलित हैं, जैसे— मिट्टी के बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, चटाई, रस्सी आदि बनाना और घातु के बर्तन बनाने

आदि के कार्य भी होते हैं। इनसे ग्रामीण-अर्थव्यवस्था चलती है। वर्तमान समय में इस अर्थ-व्यवस्था में काफी बदलाव आया है—जो कृषि हत-बैल की सहायता से प्राचीन समय में की जाती थी अब औद्योगिक युग में ट्रैक्टर की सहायता में होती है। पूर्व की तुलना में उत्तर बीज, उत्तम रासायनिक खाद, सिंचाई के अत्यधिक साधन आदि के परिणामस्वरूप पूर्व की तुलना में अब उत्पादन में बढ़ि हुई है। अब प्रति एक हजार उत्पादन बढ़ने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी पूर्व की तुलना में समृद्धतर हुई है। याताशात की मुविधाओं में विनाश होने से गाँवों की स्थिति बद्दी है। अब उत्पादन, व्यापार के लिए ग्रामीण अन्य नगरों में जाते हैं, यहाँ तक कि वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था से भी जुड़ गए हैं।

पर्यानों से उत्पादन का कार्य होने के परिणामस्वरूप अब ग्रामीण उद्योग-धर्घे समाप्त हो रहे हैं। अब सभी कामों शीघ्रता से वे उत्तम गुणवत्ता लिए हुए होते हैं। ग्रामीण लोग अब गहर बाकर व्यवसाय करने लगे हैं। पहले जो बस्तु-विनियोग का प्रचलन था अब उम का स्थान मुद्रा-विनियोग ने ले लिया है—मुद्रा की अधिकता होने से लोग आर्थिक हास्ति से सम्पन्न हो गए हैं और राहीरीकरण के प्रभाव ने उनमें अनेक दुर्व्यस्तों को भी बदावा दिया है। अब ये लोग गहर जाकर सद्य-पान, बैंगनावृति और जुआ आदि प्रवृत्तियों को अपनाने लगे हैं—अधिक धन होने से अब ग्रामीणों में पूँजीवादी प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, वे गरीबों को क्रपण देने हैं और कृषि पर मजदूरी करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। महाजनी-प्रथा का प्रचलन बढ़ा है। जर्मांदार किसानों को क्रपण देकर उनकी भूमि को अधिकृत कर लेते हैं, यद्यपि अब इस स्थिति में सुधार हुआ है। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहाँ एक ओर उत्तरावस्था में है, वहाँ दूसरी ओर इनमें अनेक बुराइयाँ भी उपड़ी हैं। इसका श्रेष्ठ पक्ष यह है कि आपुनिक तकनीकी के कारण कृषि उत्पन्न हुई है, साथूकारी-प्रथा भी अब समाप्त हो चली है, क्योंकि बैंक, सहकारी समितियों की स्थापना अब ग्राम स्तर पर हो गई है, कृषि-श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ा है। हारित-क्रांति के परिणामस्वरूप बीज, खाद आदि में विकास हुआ है—इससे मार्तारीय ग्राम अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है किन्तु इसका दुर्बल पक्ष यह है कि ग्रामीण उद्योगों की समाजिक अनेक कृषकों को बेकाम कर दिया, उनमें शोपल, गर्गीवी व देकारी में बढ़ि हुई और वह गहरों की ओर पलायन करने लगा। मुविधासम्पन्न कृपक अनेक दुर्व्यस्तों का शिकार हो गया।

(4) ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन—प्राचीन ग्रामीण राजनीतिक-व्यवस्था का आधार ग्राम पंचायतें थीं। गाँव का सर्वोच्च प्रतिष्ठित बुद्धु इनका मुखिया होता था। इनका कार्य गाँव की भूमि को परिवारों में वितरित करना, ग्रामीण-समस्याओं का नियन्त्रण करना, सफाई, विकास-कार्य करना और श्रेष्ठ न्याय करना होता था। द्वितीय शामन से पूर्व ग्राम राजनीतिक हास्ति से काफी स्वतंत्र थे, उनके आन्तरित कार्यों में भी किसी को दखल करने का अधिकार नहीं था। ग्राम-पंचायतों के साथ-साथ उम समय ग्रामों में जाति-पंचायत भी जातीय-विवादों के नियन्त्रण के लिए होती थी जो जाति पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती थी। द्वितीय शामन ने ग्रामों की राजनीतिक व्यवस्था को ढीककर उनके प्रशासनिक-अधिकारों को अपने अपील कर निया, जिससे ग्रामीणों में पर्याप्त आङ्कोश और हीन-धारना आई। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में पुनर-पंचायतों के महत्व को स्वीकारा गया और ग्रामीण स्तर पर 'विभागीय पंचायती राज व्यवस्था' गृह की गई। अब सत्कारने ग्रामों के विकास की आवश्यकता को सर्वोपरि मान कर विकास पंचायतों का गठन किया है जो गाँवों में विभिन्न, पानी, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी कार्य करती हैं। ग्रामीण स्तर पर ही पंचायतों का भी गठन स्थिया गया है। इन पंचायतों

में पंच-सरपंच आदि के चयन में प्रजातांत्रिक आधार को अपनाया गया है। अब ग्रामीण नेतृत्व में ग्रामीण बुजुगों के स्थान पर युवा पीढ़ी का अधिकार हो रहा है। व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया जा रहा है, ग्रामीण ग्रामों में अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियाँ भी राजनैतिक व्यवस्था में भागीदार हो रही हैं। अब गौव का प्रशासनिक कार्य इस पंचायती राज व्यवस्था द्वारा नियंत्रित, संचालित और व्यवस्थित किया जाता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि गौवों का विकास हुआ है, अस्पृश्यों को मान्यता मिली है और पिछड़े, निम्न और हीन समझे जाने वाले वर्ग भी गौव की उच्च समझी जाने वाली जातियों के समीप आए हैं। युवा पीढ़ी का राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ा है। ग्रामीणों में राजनैतिक जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं की भागीदारी भी राजनीति में मानी जाने लगी है। बड़े-बड़े न्याय के लिए ग्रामीण लोग पचायतों के अतिरिक्त जिला-न्यायालय, उच्च-न्यायालय और सर्वोच्च-न्यायालय तक का द्वार खटखटाने लगे हैं। इस प्रकार ग्रामीण राजनैतिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(5) ग्रामीण धार्मिक जीवन में परिवर्तन—भारतीय ग्रामीण-जन धार्मिक मान्यताओं में अत्यधिक विश्वास रखते हैं। धर्म उनके जीवन का आधार है। नए व्यवसाय के प्रारम्भ करने में, शादी-विवाह में, जन्म के समय, और यहाँ तक कि फसल बोने-काटने आदि में वे धार्मिक-क्रियाओं का सहारा लेते हैं। धर्म में उनकी अटूट शर्दा होती है। धर्म के अतिरिक्त प्राचीन मान्यताएँ, प्रथाएँ, रुद्धियाँ आदि जितनी ग्रामों में निभाई जाती है उतनी शहर में नहीं। इसका कारण बहुत कुछ अशिक्षा और वैज्ञानिकता का अभाव है। वर्षा न होने पर प्राचीन समय में तो बलि तक चढ़ाई जाती थी, अब यह प्रथा समाप्त हो गई फिर भी प्राकृतिक-प्रकोप (आंधी, बाढ़, सूखा व अकाल आदि) के समय धार्मिक अनुष्ठान—पूजा-पाठ-हवन आदि किया जाना उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को ही इंगित करता है।

वर्तमान समय में ग्रामों में शिक्षा का प्रसार-प्रभाव बढ़ा है इससे युवा वर्ग में वैज्ञानिकता और ताकिंकता बढ़ी है। वे हर कार्य के पीछे उसके मन्तव्य-उद्देश्य को जानना चाहते हैं। अब गौव में धार्मिक पूजा-पाठ, मंदिर, मन्दिर, गुरुद्वारे जाना और आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि का प्रचलन कम हुआ है। नवरात्रि में रात्रि-जागरण, शादी-विवाह के अवसर पर की जाने वाली क्रियाओं आदि में भी अब शिथिलता आई है। युवावर्ग इन धार्मिक क्रियाओं में कम विश्वास करता है। इस प्रकार वर्तमान समय में ग्रामों के धार्मिक-जीवन में बदलाव आया है। यह पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ किन्तु शिथिलता अवश्य आई है।

(6) ग्रामीण परिवारों में परिवर्तन—प्राचीन ग्रामीण-परिवार संयुक्त-परिवार थे जिनमें दो-तीन या उससे भी अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक स्थान पर रहते थे। इनकी सम्पत्ति, भोजन, आवास और धार्मिक कार्य सामूहिक होते थे। परिवार का संचालन परिवार के बयोनुद्ध द्वारा किया जाता था। अन्य सदस्य उम्मीदों आज्ञा का पालन करते थे, उसका सम्मान करते थे।

वर्तमान समय में संयुक्त-परिवार-परम्परा विच्छिन्न हो रही है। अब परिवार की संरचना और कार्यों में काफी बदलाव आया है—संयुक्त परिवारों का विघटन होकर एकाकी परिवार बनने लगे हैं। वयोनुद्ध का नियन्त्रण कम हो रहा है। महत्वपूर्ण निर्णयों में जहाँ पहिले युवा वर्ग की कोई भूमिका नहीं होती थी, अब महत्वपूर्ण कार्य उसकी सलाह से किये जाते हैं। अब हर व्यक्ति अपने हितों के प्रति सजग है। इससे कभी-कभी दो पीढ़ियों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी आ जाती है। अब ग्रामों के स्तर पर भी अनेक कार्य अन्य संस्थाएँ करने लगी हैं, जैसे—आठा पीमने का कार्य जो पहिले घरों

में ही पहिलाएँ करती थीं अब बाहर चलकर यों पर किया जाता है। अब परिवार की लड़कियाँ शिशा प्राप्त करने शिद्धांश संस्थाओं में जाने लगी हैं। इस प्रकार ग्रामीण परिवारों में अब पूर्ण की तुलना में काफी घटलाव आ रहा है।

(7) ग्रामीण विवाह संस्था में परिवर्तन— पाप्पाणत भारतीय ग्रामीण विवाह संस्था में जाति का महत्वपूर्ण स्थान था। व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता था और यह किया जाता था। ग्रामीन ग्रामों में जाति-विवाह का प्रचलन था, विपवा को पुन विवाह करने की स्वीकृति नहीं थी। विवाह को पूर्ण धार्मिक कृत्य माना जाता था। पली के लिए पति का स्थान सर्वोपरि था। उसी आज्ञा का पालन करना उसका पारम दायित्व था। दोज-प्रथा का प्रचलन भी उस संघर्ष में था। शादी-विवाह के अवसर पर अनावश्यक छार्चा भी नहीं किया जाता था। इस प्रकार ग्रामीन ग्रामीण व्यवस्था में विवाह संस्कार एक धार्मिक कृत्य था, जिसे विप्पि-विपान से सम्बन्ध कराया जाता था।

वर्तमान समय में ग्रामों में इस विवाह की परम्परा में भी पर्याप्त तबदीली आई है। अब विवाह धार्मिक कृत्य न रहकर एक प्रकार का समझौता माना जाने लगा है, जिसे सुखन-युवती नामं अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। विवाह बढ़ी उपर्युक्त में होते हैं। विपवा पुनर्विवाह भी अब मौजूदार्थ हो गया है। सामाजिक अधिनियमों, औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिशा और पारगत्य सम्पत्ति के प्रादुर्भाव के कारण विवाह की मान्यताओं में परिवर्तन आया है, अब विवाह में दोज-प्रथा का आधिकार्य हो रहा है। विवाह के अवसर पर सजावट, रोशनी और भोज पर अत्यधिक व्यय हो रहा है। उन जातियों में तो यह एक प्रकार का प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा है। पति-पत्नी के सम्बन्धों में भी परिवर्तन आया है, अब पति के लिए पति-पापेहर की रहनाना व्यर्थ गिरा हो चुकी है। अब वह उसकी साथी, सहायी, सहयोगी और अधिक मित्र है, और वैवाहिक स्थिति में तनाव आने पर अब वह तलाक भी ले सकती है। इस प्रकार आधुनिक ग्रामों में विवाह जैसी संरक्षा में भी अनेक परिवर्तन आए हैं।

(8) ग्रामीण मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन— ग्रामीन ग्रामीण जीवन भाष्यवादी, पाप्पाणतों का निर्याह करने वाला, आत्मतिक्कता से परिषृण, अन्यजितानामी और ग्रामीन सूनियों को मानने वाला था। कहूं सहकर भी ग्रामीण उन ग्रामीन परम्पराओं का निर्याह करते थे, पर्याप्त दृष्टि से भी वे भी होते थे अत कोई भी अनैतिक अथवा रामाज-रियाई कार्य करते हुए भी टाटे थे। यहीं तक कि अपनी निम्न विद्यि के लिए भी वे भाग्य को दोनी छहाते, और सुधार के लिए कोई अनैतिक वाद्य उठाना पसंद नहीं करते थे। हिन्दु अथ इन गर्भी मूल्यों में पर्याप्त पर्याप्ति है। शिशा, आधुनिकीकरण और पारगत्य सम्पत्ति के प्रभाव के परिणामस्वरूप ग्रामों में भी भौतिकज्ञादिता विकसित हुई है। लोग अब अपनी विद्यि को भाग्य के भरोसे न छोड़कर उसे उन बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। श्रम का सहन बढ़ा है। पर्याप्त जल, अर्जी-जग्गाम और ग्रामीन सूनियों का संग्रह अब पैज़ानिक्ता य तार्किक्ता ने से लिया है। प्रयत्न करने के व्यक्ति अब अपनी सामाजिक प्रस्थिति को बदल सकता है। कहने का आगाय यह है कि ग्रामीणों ने अब भाग्यवादिता आदि के मूल्यों को छोड़कर श्रम के महत्व को स्वीकार कर दिया है। उनमें प्रजातांत्रिक मूल्य पाने हैं।

(9) ग्रामीण खाद्य-पान, वेग-भूग्रा और आशाम में परिवर्तन— ग्रामीन ग्राम में ग्रामीणों का जीवन सरल, मादारीपूर्ण, और आटम्यां पर संहित था। यह गाढ़ी खाद्य-पान, वेगभूग्रा और आशाम के स्तर पर भी विद्यमान थी। ग्रामीण लोग चून्हे वा बना सादा भोजन पाते थे— दाल, तम्बी,

अनाज सब उन्हे अपने खेतों से प्राप्त होता था। खाना बनाने के लिए वर्तन भी पीतल अथवा मिट्ठी के बने होते थे। उनकी वेराभूता सामान्य और अपनी संस्कृति को इंगित करने वाली होती थी। सिर्यां साड़ी-ब्लाउज और पुरुष धोती-कुर्ता अथवा कमीज पहिनते थे। उनके मकान कच्चे ब मिट्ठी के बने होते थे। गाँव में बिजली न होने के कारण मिट्ठी के तेल के लोम्प जलाए जाते थे। सिर्यां कुओं से पानी भरकर लाती थीं। इस तरह ग्रामीण जीवन सादगीपूर्ण और कृत्रिमता से रहित था।

वर्तमान समय में ग्रामों में इन सभी में पर्याप्त परिवर्तन आया है। भोजन में अब सब्जी, घी, गेहूं मसालों आदि का प्रयोग बढ़ा है, अब ग्रामीण चाय का सेवन करने लगे हैं। बच्चे बिस्कुट ब्रेड आदि का प्रयोग करने लगे हैं। चूल्हों का स्थान निर्धूम चूल्हों, स्टोव ने ले हिया है; पीतल के स्थान पर स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रचलन बढ़ा है। बस भी अब अच्छी क्वालिटी के प्रयोग में आने लगे हैं। लड़कियां सलवार-कुर्ता, स्कर्ट-ब्लाउज आदि पहिनती हैं; पुरुष वार्ग पेण्ट-बुशशर्ट आदि पहिनता है। अच्छे जूते-मौजे का प्रचलन बढ़ा है। मकानों की स्थिति भी सुधारी है। अब पक्के मकान बनने लगे हैं जिनमें स्नान-गृह और शौचालय भी होता है। ग्रामों में बिजली-पानी की सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। पंचायती राज ने पक्की सड़कें आदि सुविधाएँ जुटाकर उन्हें शहरों से जोड़ दिया है। मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो गए हैं। घरों में बिजली के पंखे, रेडियो, टेलिविजन व मोटर साइकिल आदि सभी आपुनिक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। इस प्रकार गाँव का जीवन अब बहुत कष्टमय नहीं रह गया।

इन सबके अतिरिक्त ग्रामों में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परिवर्तन आए हैं। अब वहाँ चिकित्सालय खुल गए हैं। शिक्षण संस्थाएँ खुल गई हैं जहाँ बालक-बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मनोरंजन के साधन विकसित हुए हैं। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। रोगों से मुक्त होने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं जहाँ लोग अपनी बीमारी की रोकथाम करते हैं।

सारांशत यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण वातावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जिनका प्रभाव ऊर्ध्वगमी है किंतु कुछ प्रभाव जो आपुनिकता का परिणाम हैं उन्होंने ग्रामीण वातावरण को क्षति भी पहुंचाई है। फिर भी पूर्व की तुलना में परिवर्तन विकासात्मक ही अधिक हैं।

ग्रामीण भारत में विकास

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में विकास की प्रक्रिया ग्रामों से प्रारम्भ की गई। ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। विकास से सम्बन्धित प्रमुख कार्य जो ग्रामीणों के विकास के लिए किए गए हैं, निम्नलिखित हैं। ये विकास योजनाएँ भारत में नियोजित परिवर्तन लाने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

1. सामुदायिक विकास योजनाएँ— भारतीय ग्राम अनेक समस्याओं से ग्रसित रहे हैं। ग्रामों में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हो रही है और उत्पादन उसकी तुलना में काफी कम है। निक्षरता का प्राधान्य है, स्वास्थ्य और सफाई की ओर लोगों का रुझान कम है, कृषीकृषि के कारण बच्चों का स्वास्थ्य खाब हो रहा है, ग्रामीण जीवन की इन समस्याओं के समाधान हेतु और ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं विकास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं का विकास किया गया है। एक और कार्यक्रम जिसे 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना' नाम दिया गया है, ग्रामीण-विकास की

हैं ही प्राचीन किया गया है, जिसका उद्देश्य भी अदिक्षा, निर्दोषना, कुपोषन और कृषि के निरुद्देश्य को दूर करना रहा है। इन दोनों ही प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं—

(1) बंजर पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाना, तिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना एवं पशुओं की नमूने सुधारने का कार्य करना।

(2) ग्रामों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना, पौने के पासी की व्यवस्था करना और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना।

(3) बालकों के लिए अनिवार्य एवं नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

(4) ग्रामीणों के लिए रोबगार के अवभर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छोटे-छोटे उद्योग-घंथों की स्थापना करना।

(5) यातायात परिवहन सेवाओं का विकास करना साथ ही सन्देश वाहन के साधनों का विकास करना।

(6) विभिन्न प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

(7) ग्रामीण लोगों को मकान की मुद्रिधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

(8) सामुदायिक मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना।

इस सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम में उपर्युक्त कार्य सम्पन्न किए जाते हैं इसमें ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी सुधारान्वयन परिवर्तन आया है। ग्रामीणों में अपने विकास के प्रति मजबूतता हुई है।

2. पंचायती राज व्यवस्था— भारतीय ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाने में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर लोकतात्त्विक विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था लायू की है जिसे 'विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था' कहा जाता है। इससे ग्राम-स्तर, खण्ड-स्तर और विला-स्तर पर विस्तृत कार्यों को समर्पण करने की अपेक्षा की गई है जिसके माध्यम से अधिकार्यिक जन-सहयोग प्राप्त कर विकास कार्यों को पाति प्रदान की जा सके। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नेतृत्व को विस्तृत करना है जिससे वे ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को गति प्रदान कर उसे आमुनिकीरण की दिशा में आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान दे सकें। इस व्यवस्था में पंचायतों में उम्मीदवार घड़े करने और मन देने का अधिकार सभी लोगों को समान रूप से दिया गया है। निम्न वर्गों एवं नियों के लिए अलांकृत स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, और जन-प्रतिनिधियों के साम्बन्ध से अपने ऐवं का शासन और विकास कार्यों का संचालन समालने का अवसर दिया गया है। इस व्यवस्था ने दुबा वर्ग को भी नेतृत्व सम्पालने का अवसर दिया है। उनमें राजनीतिक चेन्ना जागृत की है, इससे सभी वर्ग राजनीतिक तर और प्रगतिशील की बड़ी से जुड़ गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीणों को उनके अधिकारों में अवगत कराया है। उन्हे जन-सहयोग के लिए प्रेरित किया है। अब वे यह अनुभव करने लगे हैं कि प्रबलत्र के द्वारा साधनों का विकास करना है जिससे लोगों ने राहीं स्तर पर उत्ताह उत्तराह किया जा सके। इस पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि प्रजातंत्र को सम्पालन जनता तक पहुँचाया गया है।

3. शिक्षा—ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाने और इसे विकसित करने में शिक्षा की भूमिका प्रबलतम है। ग्रामीण-जन शिक्षा के अभाव में अपने हितों के प्रति सजग नहीं होते हैं, अपने अस्तित्व को भी नहीं समझ पाते। आधुनिक शिक्षा उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराके, उनके सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन को उत्तर करती है, जिससे वे स्वयं विकसित होकर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दें सकें। शिक्षा ही उन्हें उनमें व्याप्त अन्यविवरासों, रुद्धिवादिता, भाष्यवादिता और मानसिक संकीर्णताओं से मुक्त कराकर उन्हे वैज्ञानिकता, तार्किकता और आधुनिकता के प्रति सजग करती है। शिक्षा ने ग्रामीण परिवर्तन में सराहनीय कार्य किया है। अभी इसमें प्रगति की आवश्यकता है। सरकार इस ओर अत्यधिक प्रयासरत भी है क्योंकि जब तक प्रत्येक ग्रामीण साक्षर नहीं होगा तब तक ग्रामों में परिवर्तन की गति मंद रहेगी अत सभी का शिक्षित होना आवश्यक है।

4. यातायात और संचार के आधुनिकतम साधन—यातायात और संचार के नवीन साधनों के परिणामस्वरूप लोगों में गतिशीलता उत्पन्न हुई है। गौव के स्तर पर एकी सड़कें बनना, लैल, बस, मोटर साइकिल और हवाई जहाज आदि साधनों ने ग्रामों को शहरों से जोड़ दिया है। अब यात्रा करना पूर्व की तुलना में अति सुगम हो गया है और ग्रामीणों का समर्पक अब बाह्य जगत से हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनके विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों और व्यवहारों में प्रगतिशीलता आई है। संकुचित और परम्परागत हृष्टिकोण अब विकसित हो गया है। अब वे परिवर्तन को स्वीकारने लगे हैं, स्वयं को विकसित करने लगे हैं। संचार के नवीन साधनों ने भी उनके हृष्टिकोण को दूरागमी बनाया है। डाक, तार, टेलिफोन, रेडियो, टेलिविजन, पत्र-पत्रिकाएं, अखबार आदि आधुनिक साधनों ने ग्रामीणों को समस्त विश्व से जोड़ दिया है। विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटना की जानकारी इन साधनों से तुरंत हो जाती है। दूर देश में संदेश तुरंत पहुंच जाता है। इन सबसे ग्रामीणों की अज्ञानता घटी है और वैचारिक हृष्टिकोण विस्तृत हुआ है। इस प्रकार भारतीय ग्रामों में परिवर्तन लाने में यातायात और संचार के आधुनिक साधनों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।

5. औद्योगीकरण और नगरीकरण—स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर अधिकांश उत्पादन मशीनों द्वारा होने लगा है। परिणामस्वरूप ग्रामीण कुटीर उद्योगों का हास हुआ। जो किसान इन व्यवसायों द्वारा जीवन-यापन करते थे, वे बेरोजगार हो गए और व्यवसाय की तलाश में नगरों की ओर पलायन करने लगे। औद्योगीकरण का परिणाम नगरीकरण है। नगरों में जब ग्रामीणों को व्यवसाय मिला तो वे वहाँ रहने लगे और धीरे-धीरे वहाँ की संस्कृति से प्रभावित हो गए। जब वे व्यक्ति पुन गौव में आते हैं तो शहरी तंस्कृति को गांवों में कैलाते हैं। ग्रामीण लोग उन्हे महत्वपूर्ण मानकर उनका अनुकरण करते हैं। धीरे-धीरे शहरी जीवन, मूल्य और संस्कृति ग्रामों में विकसित हो जाती है। इस तरह औद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण जीवन में परिवर्तन किए हैं।

6. नवीन सामाजिक विधान—भारत में ग्रामीण व कमज़ोर बांगों की स्थिति सदैव ही दयनीय रही है। उन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए स्वतंत्रता से पूर्व और परचात् समाज सुधारकों ने अनेक प्रावधान किए, अनेक नियम बनाए। सरकार ने इसमें सहयोग दिया और सी-स्थिति, विवाह, जाति और सम्पत्ति सम्बन्धी विधान बनाए। इनमें कुछ प्रमुख विधान ये हैं—सती-प्रथा निरोधक अधिनियम, 1829; हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856; बाल-विवाह निरोधक (संशोधित) अधिनियम 1978; हिन्दू सी-सम्पत्ति-अधिकार अधिनियम, 1937;

अस्मृत्यता अधिनियम, 1955; नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1976, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; देहरा निरोधक अधिनियम, 1961 और हिन्दू नाबहिता लंबा सरकार का अधिनियम, 1956 आदि। इन अधिनियमों का प्रभाव शासकातियों पर पड़ा है। अब बाज़-विकास कम हो गए हैं यद्यपि इसमें अधिक सुधार नहीं हुआ किंतु विप्रवा-पुनर्विकाह को अब दूरी नज़र से नहीं देखा जाता। सबसे अधिक प्रभाव अस्मृत्यता पर पड़ा है—अब निम्न जातियों की स्थिति सुधृढ़ हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि श्रावणीगं जीवन ने ददलने में और उसे विकास भी और ते जाने में विधानों का योगदान है।

7. प्रजातात्त्विक प्रणाली—भारतीय ग्रामों में सोने वाले परिवर्तनों के लिए प्रजातात्त्विक प्रणाली भी उत्तरदायी है। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत ने प्रजातात्त्विक प्रणाली को स्वीकारा। इस प्रणाली ने ग्रामीण व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए हैं, ग्रामीणों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। अब समाजता, स्वतंत्रता और भागुत्व की भावना के अधार पर प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ी है, गाँवों में नेतृत्व को नई दिशा निलंबित किया गया है, ग्रामीणों में राजनीतिक जागृति बढ़ी है, उन्हें नत देने का अधिकार मिला है, उम्मीदवार के रूप में स्वयं छड़े होने जा अधिकार मिला है। सविपान में प्रजातात्त्विक प्रणाली के परिणामस्वरूप अब गैंव राष्ट्रीय शासन से सम्बद्ध हो गए हैं और गाँवों में अनेक विकासात्मक बार्च हो रहे हैं।

8. भूमि सुधार के प्रदासन—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक महत्वदूर्लक बार्च यह किया गया कि जर्मीदारी प्रणा की समाप्ति कर नई फौजायत व्यवस्था लागू की गई। जर्मीदारी-उम्मूलन का प्रभाव यह हुआ कि भूमिहीनों में भूमि का वितान दिया गया और जर्मीदारों द्वारा कृषि-शिक्षियों पर होने वाले शोषण को रोक दिया गया। जर्मीदारी-उम्मूलन के कानून से प्रजातात्त्व की भावना को मार्गदर्शन मिला। ग्रामीणों के पास भूमि आने से उनके आर्थिक स्तर में सुधार हुआ और ग्रामों में नई शर्हि का सचार हुआ। इस प्रकार भूमि-सुधारों के प्रभासों से ग्रामीण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकासात्मक परिवर्तन हुए।

9. कृषि की आधुनिक प्रवृत्तियाँ—ग्रामीण समय में कृषि के साधन अवृत्यक्षावस्था में थे—बैल, हल, हट और चरस आदि से खेतों की जारी थी, बीज और खाद भी उत्तर किन्न की न थी। वज्रों के अधार पर किसान का भविष्य निर्भर था। इसके कारण उत्पादन कम होता था। औद्योगीकरण के दुगे के कृषि के अन्याधुनिक यज्रों से ग्रामीणों को परिवर्तित कराया। अब उत्ती के लिए ट्रैक्टर, उत्तर बीब, खाद, ठूबवैत आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। इससे उत्पादन में पद्धति वृद्धि हुई है। कृषज्ञों की आर्थिक स्थिति उत्तेज हुई है। उनकी दायसिकता विकसित हुई है। अब उनका सम्बन्ध बाहु जगत से बढ़ा है। इस पक्षत कृषि की उत्तरिति के परिणामस्वरूप ग्रामीणों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं।

10. विकासकरी योजनाएँ—ग्रामीण-विकास में उम्मुक्षु वार्षों के अतिरिक्त अनेक विकासकरी योजनाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं में मर्जीदाय कार्यक्रम, समयित्र ग्रामीण विकास योजना, अन्त्योदय योजना, टाइसेम योजना, महाराष्ट्र कार्यक्रम और डगार्का जैती 20 से अधिक योजनाएँ आज सरकार द्वारा लागू की गई हैं जिनमें शामिल नियों की सामाजिक-आर्थिक दराएँ सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन योजनाओं के अतिरिक्त पचासर्वीय योजनाएँ, सत्सुविकरण, आधुनिकीकरण और परिवर्तनों का प्रभाव भी ग्रामीणों पर पड़ा है।

अत यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत में परिवर्तन और विकास लाने में अनेक कारक उत्तरदायी हैं।

प्रश्न

1. 'ग्रामीण भारत में परिवर्तन' पर आपने विचार व्यक्त कीजिए।
2. स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण भारत में घटित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन पर एक सोदाहरण निबन्ध लिखिए। (चार पृष्ठों में) (मा.शि.बो., अजमेर, 1994)
3. 'ग्रामीण भारत में विकास' पर निबन्ध लिखिए।
4. ग्रामीण 'जाति व्यवस्था' एवं 'जजमानी-व्यवस्था' में आए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।
5. ग्रामीण भारत में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 'हौं' अथवा 'नहीं' में दीजिए—
 - (i) संयुक्त परिवार में दो या तीन पीढ़ियाँ साथ-साथ रहती हैं। (हौं/नहीं)
 - (ii) नगरीकरण का विकास औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप हुआ है। (हौं/नहीं)
 - (iii) पचायती राज व्यवस्था लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का परिणाम है। (हौं/नहीं)
 - (iv) सामाजिक विधानों ने ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं पहुँचाया है। (हौं/नहीं)
 - (v) जमीदारी प्रथा का अर्थ भूमि का समान वितरण है। (हौं/नहीं)

[उत्तर- (i) हौं, (ii) हौं, (iii) हौं, (iv) नहीं, (v) नहीं।]
2. निम्न वाक्यों में एक स्थानों की पूर्ति कीजिए—
 - (i) सामुदायिक योजनाओं का उद्देश्य ग्रामों का करना है।
 - (ii) पचायती राज व्यवस्था को कहा जाता है।
 - (iii) जजमानी प्रथा में दो जातियाँ और थीं।
 - (iv) बाल-विवाह निरोधक (संशोधक) अधिनियम सन् में बना था।
 - (v) नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम में पारित हुआ।
 - (vi) भारतीय ग्रामों के विकास के फलस्वरूप जजमानी प्रथा का हुआ है।

[उत्तर- (i) पुर्णिर्णाण, एवं विकास (ii) मिस्टरीय व्यवस्था, (iii) बचपान और कल्पीन, (iv) 1978, (v) 1976, (vi) उन्नूलन]

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

1. 'ग्रामीण' शब्द की व्याख्या कीजिए।
2. 'जजमानी प्रथा' का अर्थ बताइए।
3. 'संयुक्त परिवार' का अर्थ बताइए।

4. सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य बताइए।
5. ग्रामीण परिवारों में हुए कोई तीन परिवर्तन बताइए।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

1. ग्रामीण जाति व्यवस्था में परिवर्तन।
2. ग्रामीण जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन।
3. ग्रामीण परिवारों में परिवर्तन।
4. ग्रामीण मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन।
5. सामुदायिक विकास योजनाएँ।
6. ग्रामीण राज व्यवस्था।
7. भूमि-सुधार के प्रयास।
8. जाति पंचायतें।



अध्याय - 17

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(Integrated Rural Development Programme)

भारत की बहुसंख्यक आबादी गाँवों में रहती आई है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार यह लगभग 74.3 प्रतिशत है और 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भार है। इन लोगों को खेती से पूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता अत ग्रामीण जनसंख्या में एक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी अथवा अल्परोजगार की समस्या विद्यमान है जिसका परिणाम निर्धनता होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर ग्रामीणों की इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अनेक विकासोन्मुखी कार्यक्रम प्रारम्भ किए। पचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। 2 अक्टूबर, 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' का शुभारम्भ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके पश्चात 'लघु कृषक विकास एजेंसी', 'सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक परियोजनाएँ', 'रोजगार गांठी योजना', 'काम के बदले अमाज़', 'सुखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम' आदि गरीबी दूर करने के लिए लगभग 20 कार्य आरम्भ किए गए। किन्तु इन सबसे ग्रामीणों की गरीबी और बेकारी को कम करने में मनवाहित सफलता नहीं मिल सकी। इसका कारण यह रहा कि एक तो इन विकास कार्यक्रमों में आपसी समन्वय का अभाव था। दूसरे, इन विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्धनों को न मिलकर उन्हें मिला जो पहिले से ही साधन सम्पन्न थे, जिनके पास भूमि व उत्पादन के अन्य साधनों की बहतायत थी। अत निर्धन वर्ग के कृषकों— 'सीमान्त कृषकों, 'कृषि श्रमिकों' एवं 'भूमिहीन कृषकों' के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए।

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में व्याप भर्यकर गरीबी और बेकारी के निवारणार्थ बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का सूत्रपात 'सहकारी समिति अधिनियम, 1904' को पारित करने के साथ ही प्रारम्भ हुआ जिसमें ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सुधार करने के लिए उत्पादन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, व्यापार और विशुद्ध पूर्ते जैसे कार्यक्रमों को मन्मित्तित घोषणा की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न्यून आय वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनको आत्मपोरित बनाना है ऐसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' है।

वास्तव में ये कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को गरीबी फ़िराड़ा से ऊपर उठाने, उन्हे मापन उपलब्ध कराने, कल्यान सम्बन्धी सुविधाएँ देने एवं उनकी आप वटाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को एकीकृत ढंग से सुलझाना है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य

‘समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ प्रयुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वाधिक निर्धन परिवारों च चयन कर उन्हें निर्धनता की रैखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से सन् 1978-79 में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित ऐसे कृषि मूलक उद्योगों की स्थापना करना जिससे ऐजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सके।

(2) आपुनिक विश्वान व तकनीकी की सहायता से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना, जिससे फि यह वर्ग सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योग दे सके।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यधिक पिछड़े वर्ग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जिससे फि यह वर्ग सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योग दे सके।

(4) गाँवों में अत्यधिक निर्धन परिवारों का चयन कर उनकी आय के साधनों को बढ़ाना जिससे उन्हें गरीबी की रैखा से ऊपर उठाया जा सके।

(5) कृषि-औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना करना, जिससे करीब 7.5 करोड़ बेकार एवं अर्द्ध-बेकार लोगों को काम पर लगाया जा सके।

(6) ऐसे कार्य-स्तरों का निर्धारण करना जो भूमि और जल साधनों का पर्याप्त विकास का रास्ता

(7) कार्यक्रम का एक उद्देश्य निर्धन किसानों को आत्मनिर्भर बनाना एवं विकास वी प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को भी बढ़ाना है जिससे उनके पश्च पाई जाने वाली आर्थिक असमानताएँ कम हो सके।

(8) पूर्ण ऐजगार एवं भौतिक साधनों के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाना जिससे अमीर और परीवर के बीच के असमूलन को कम किया जा सके।

(9) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम परिवारों के द्वन्द्व-सहन के स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य से उन्हें आय मृद्गत करने वाली परिसम्पत्तियाँ, ब्रह्म तथा अन्य साधन उपलब्ध कराना है जिससे वे गरीबी की रैखा से ऊपर उठ सकें।

सांकेत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य इम एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक-परिविकारी का प्रयोग कर उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही नवीन वैज्ञानिक ज्ञानकारी का प्रयोग कर उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। आम जनता को सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में शामिल कर उन्हें जागरूक व समृद्ध बनाना है। इस प्रकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य ‘स्वरोजगार’ के अनेक अवसर प्रदान कर सर्वाधिक गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यनीति

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन् 1978-79 में प्रारम्भ किया गया था। प्रारम्भ में केवल 16 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। इन्हुंने इसके सफलतापूर्वक विकासन के लिए

जिलों के स्थान पर विकास-खण्डों को इकाई मानना निश्चय किया गया। प्राप्ति में (1978-79 में) देश के 2300 चुने हुए विकास खण्डों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया और इसमें प्रति वर्ष 300 नए ब्लॉक शामिल करने का निर्णय लिया गया। अक्टूबर 1980 तक इस कार्यक्रम को 5011 विकास-खण्डों में लागू किया जा चुका था।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सदसे गरीब परिवारों (जो गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं) को लाभ महुंचाने के उद्देश्य हेतु एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, इसमें महिलाओं पर विशेष वल दिया गया है। एक बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि 'लक्षित वर्ग' के लोगों को ही लाभ प्रदान हो, तथा इसमें व्यक्ति के स्थान पर परिवार पर ध्यान दिया गया है। लक्षित वर्ग में उप समूहों को लिया जाता है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनपान करते हैं। इनमें लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि एवं गैर-कृषि मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को शामिल किया जाता है।

(3) कृषि विस्तार की सेवाएँ सभी किसानों को उपलब्ध नहीं गई हैं और कार्यक्रम में यह निश्चय किया गया है कि छोटे और सीमान्त किसान परिवारों को कृषि के क्षेत्र में उचित मार्ग दर्शन दिया जाए।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कृषि के अतिरिक्त सिवाई योजना, डेयरी उद्योग, परगुपालन, मछली-फलन, बन-उद्योग और स्थानीय खाद और ईंधन आदि भौतिकों के विकास पर जोर दिया गया है।

(5) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए जिला ग्रामीण एजेंसियों की स्थापना की गई है जिसमें परियोजना निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इन एजेंसी को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन वसर कर रहे परिवारों के च्यन, इनके विकास हेतु पचवर्षीय जिला विकास योजना तथा वार्षिक कार्य योजना घोने का काम सौंपा गया है। इन विकास योजनाओं को जिला सलाहकार समिति और विकास से संबद्ध अन्य अधिकारियों के अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। अनुमोदन के उपरांत इसके कार्यान्वयन के लिए इसे वैकों के पास भेजा जाता है।

(6) इस प्रकार इस कार्यक्रम को व्यवस्थित स्प से बताने के लिए जिला-खण्ड और ग्राम-स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों में गरीबों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपयुक्त यन्त्र का भी विकास किया गया है।

(7) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से समन्वित विभिन्न योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' करती है। राज्य का मुख्य सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है।

(8) जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 'जिला ग्रामीण विकास अभियान' द्वारा किया जाता है।

(9) ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी 'खण्ड विकास अधिकारी' की है।

(10) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धनता को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक गरीब परिवारों की उत्पादक सम्पत्तियां, उत्तर तकनीकी,

और विशेष कुशलता प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में गरीब परिवारों के लिए उचित पोषाहार, प्राथमिक शिक्षा, परिवार कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, बाल एवं महिला-कल्याण आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम न केवल गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, बल्कि यह सामाजिक सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।

इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जिनके विषय में प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि ये दोनों ही योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को स्वरोजगार देने के लिए हैं। ये योजनाएँ हैं— (1) ट्राइसम और (2) डबकरा।

(1) ट्राइसम—ग्रामीणों को स्वरोजगार दिलाने हेतु ट्राइसम योजना 15 अगस्त, 1979 में शुरू की गई थी, और अब तक गरीबी की रेखा से नीचे के 6.9 लाख से अधिक परिवारों के लोगों को तकनीकी कार्यकुशलता प्रदान कराई जा चुकी है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के 30 प्रतिशत युवक और 33.33 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए। इसमें चयन के लिए खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के लक्षित वर्ग के लाभार्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है। फिर जांच के बाद जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जो सूची भेज दी जाती है जो विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ पारामर्श करके उनकी थेट्रीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवसायों का चयन करती है। इस प्रकार ट्राइसम के द्वारा अधिक से अधिक युवतियों और युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सातवीं योजना में 1,78,680 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से योजना काल में 1,19,019 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और वर्ष 1992-93 में 57,511 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(2) डबकरा—डबकरा कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा के प्रति एक सुनिश्चित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, विशेषत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और शिशुओं के विकास की योजना है। इस कार्यक्रम को 1982-83 में सभी राज्यों में 50 चुनिंदा जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। 1985-86 के वर्ष में इसे प्रत्येक केन्द्र शासित क्षेत्र के एक जिले में प्रारम्भ किया गया था और अब तक इस योजना को 106 जिलों में कार्यान्वित किया जा चुका है। गरीबी की रेखा से नीचे बसा कर रहे परिवारों की 15-20 महिलाओं के एक समूह को एक गुप्त में आयोजित किया गया, जिससे उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले सभी परिवारों के लिए उपलब्ध सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी दिए जा सकें। इस कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाली 3,93,641 महिलाओं को लाभ भी हुआ है। यह कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सके इसके लिए, महिला और बाल-विकास, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण और शिक्षा, तिथ्याग, से तात्परता एवं गणपति है। यह तात्पर्य यह कार्यक्रम हमों देश की चेतनागति, दूर करने एवं देश की उन्नति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : छठी और सातवीं योजना के लक्ष्य

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस योजना अवधि में 165.6 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई।

छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानत 3000 परिवारों को विशिष्ट सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था— इनमें से 2000 परिवार कृषि से सम्बन्धित, 500 परिवार ग्राम एवं कटीर उद्योगों में तथा 500 परिवार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परियोजना से सम्बन्धित हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों में से चालीस प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार के हैं।

सातवीं परियोजना के अन्तर्गत (1994-95) निर्धनता-अनुपात को कम करके 10 प्रतिशत तक लाने के उद्देश्य से लगभग दो करोड़ परिवारों को सहायता पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। छठी योजना के 50 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच जो लाभार्थी गरीबी की रेखा को पार न कर सके हों, उन्हें सातवीं योजना में सहायता पहुँचाई जायेगी। इस योजना में कुल 1864.4 करोड़ रुपए केन्द्रीय मरम्भन द्वारा खर्च करने का प्रावधान रखा गया। अनुमानत 1609.6 करोड़ रुपए की राशि राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों की सकारे व्यय करेगी। इस तरह इस योजना में कुल 3474 करोड़ रुपए व्यय करने का अनुमान है।

राजस्थान में 1995-96 में गरीबी उम्मूलन एवं ग्रामीण विकास पर 7 अब 67 करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा की गई है। 1994-95 में इम मद्द में पाँच अत्यंत दस करोड़ रुपया खर्च किया गया था। 1995-96 के वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधानों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले एक लाख 46 हजार चयनित परिवारों को इन्द्रिय आवास, नवीन कूप निर्माण और आय के अतिरिक्त ससाधान बुटाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

गाँव को केन्द्र मानकर ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कराने और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कीब दस करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे।

सातवीं योजना में 'समन्वित विकास कार्यक्रम' को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से एक 12-सूचीय योजना तैयार की गई है। इसमें प्रतिवर्ष दस लाख लाभार्थियों को सहायता देना, प्रति परिवार औमत राशि को 3300 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करना, महिलाओं को 30 प्रतिशत लाभ देना, प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी केन्द्र खोलना, बैंकों की कार्यकुशलता सुपारना, स्वयंसेवी सम्पादनों का अधिक सहयोग देना और लाभार्थियों के अधिकारों एवं व्यापों के प्रति अधिक जागरूक रहने आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वित्तीय सहायता— किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसको मिलने वाली वित्तीय सहायता पर अधिक निर्भर करती है। इस कार्यक्रम की मफलता में भी वाणिज्यिक तथा सहायता बैंकिंग सम्पादनों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। कमज़ोर व्यापों के लिए कर्ज लेने के शब्द आने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से बैंकों की कार्य पद्धति में बहुत सुधार किए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ाने और उत्पादक समर्पित करने के लिए बैंक उपलब्ध कराए गए हैं। अब ब्रेंड उपलब्ध कराने के लिए बैंक अधिकारी जिता विकास अभियान द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्रों पर तुरत कार्यवाही करके 15 दिन के अंतर्गत उनका निपटान कर देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को क्रेडिट लाभ दिया जाता है जिसमें क्रेडिट की राशि का पूरा ब्यौदा लिता होता है। कभी-कभी इस कार्य के लिए 'शिविर' नगार जाते हैं। अधिकारी व लाभार्थियों का सीधा समर्क स्पारित होकर क्रेडिट औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अप्रैल 1988 में भारतीय जीवन बीमा के सहयोग से “सामूहिक जीवन बीमा योजना” भी शुरू की गई है जिसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। यह योजना लाभार्थी की अकाल मृत्यु, दुर्घटना अथवा अपांग होने की स्थिति में उसके परिवार की आर्थिक संकट से रक्षा करती है।

इस प्रकार इस कार्यक्रम के लिए ‘व्यावसायिक बैंक’, ‘सहकारी बैंक’ तथा ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक’ द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार लक्षित समूह में से सबसे अधिक जरूरतमद लोगों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक उन्नयन किया जाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर छठी पचवर्षीय योजना में 4,762.78 करोड रुपए खर्च किए गए। योजना अवधि में 165.62 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता पहुँचाई गई। सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवारों का लक्ष्य एक-तिहाई रखा गया, जबकि वास्तविक लक्ष्य 39 प्रतिशत रहा। योजना के दौरान 3101.6 करोड़ का ऋण विताया गया, जो लक्ष्य का 103 प्रतिशत है।

सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8,688.35 करोड रुपए व्यय किए गए और 18 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया। इस कार्यक्रम को 1978-79 में शुरू किया गया था और 2 10.80 से इसे पूरे भारत में लागू किया गया। सन् 1989 तक 81 प्रतिशत परिवारों ने 3,500 रुपए वाली गरीबी-रेखा को और 28 प्रतिशत परिवारों ने 6,400 रुपए सीमा वाली गरीबी की रेखा को पार कर लिया है।

सन् 1991-92 तक अनुसूचित जाति-जनजाति के 49.48 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए हैं। महिलाओं में 1991-92 तक 25.6 प्रतिशत महिलाएँ इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुई हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि यह कार्यक्रम नि संदेह सही दिशा में है। इस समय आवश्यकता केवल इस बात की है कि जिस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, उस परिवार के लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाए जिससे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित से की जा सके। इसके लिए प्रक्रिया में कुछ और सुधार आवश्यक हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना का संगठन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन दिनांक 2.10.80 से सम्पूर्ण भारत में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना को लघु कृषक विकास एजेंसी से संबद्ध करके 20 सूची कार्यक्रम का प्रमुख अंग बनाया गया है। ग्रामीण, गुरुकों के निराम्योजना, परिवासण, देश, भूर, ग्रामीण, थेटों में महिलाओं और बच्चों का विकास— इस कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा और 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाता है। इस कार्यक्रम की मफलता तभी हो सकती है जब अतिनिर्धन परिवारों का चयन बहुत सावधानी व सही रूप में किया जाए, जिससे आर्थिक सहायता का लाभ लक्षित परिवारों को ही मिले। इसके लिए कार्यक्रम को चार स्तरों— केन्द्र, राज्य, जिला और खण्ड— पर विभाजित किया गया है—

(1) केन्द्र स्तर पर 'ग्रामीण विकास मंत्री' इस कार्यक्रम का निर्धारण करता है। वह कार्यक्रम से सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण करता है और उन्हे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ग्रामीण विकास मंत्री की महायतार्थ एक केन्द्रीय समिति का निर्माण किया गया है।

(2) राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' करती है। राज्य का मुख्य सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। समन्वय समितियों की समय-समय पर बैठके होती हैं जिनमें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा कर, इसमें तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

(3) जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरण' द्वारा किया जाता है। इसमें परियोजना निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। नूर्ति यह कार्यक्रम प्रत्येक खण्ड के लिए व्यापक योजना तैयार करने पर बल देता है अतः जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंग के रूप में जिला स्तर पर एक तीन सदस्यों वाली 'योजना टीम' की स्थापना की जाती है जिसमें एक अर्थसाधारी या सांख्यिकीय विद्, एक ऋण योजना बनाने वाला अधिकारी और एक लघु और कुटीर उद्योग अधिकारी होता है। ये एजेसियां या अभिकरण सभी जिलों में स्थापित किए गए हैं।

(4) खण्ड स्तर पर इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने का काम सामुदायिक विकास खण्ड का है। इसके लिए 'खण्ड विकास अधिकारी' को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं के सौजन्य से इसके प्रभावी कार्यान्वयन का प्रयास करता है।

खण्ड विकास अधिकारी निर्धन परिवारों का पता लगाकर उन्हे स्वरोजगार हेतु ऋण दिलवाने की सिफारिश करता है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कुटीर उद्योग आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं जो 3,000 रुपए तक के हो सकते हैं। इनमें से आधा ऋण लाभार्थी परिवार चुकाता है, और आधा ऋण सरकारी महायता के रूप में उन्हे दिया जाता है। इस प्रकार अति निर्धन परिवार इस ऋण से अपने रोजगार को आरंभ कर आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोगिता (महत्व)

(1) गरीबी कम करने में सहायक— ग्रामों में व्याप्र गरीबी ही ग्राम-विकास की सबसे बड़ी वाघा है। छठी पचवर्थी योजना में 165.5 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई और सातवीं योजना में 18.18 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देकर लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है जो गरीबी की रेखा पार करने में सहायता हो रहा है।

(2) बेरोजगारी दूर करने में साधक— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम न केवल गरीबों को दूर करने का साधन है अपितु यह बेरोजगारी दूर कर, लोगों को स्वावलम्बी बनाने में भी साधक सिद्ध हुआ है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन विता रही देश की 48 प्रतिशत जनमरुद्या के जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। कृषि, उद्योग, सेवा व व्यवसाय आदि द्वारा में रोजगार के नए अवसर उटाने में इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छठी पचवर्थी योजना में 165 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए और सातवीं योजना में 200 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम बेरोजगारी दूर करने में साधक का कार्य कर रहा है।

(3) अनुसूचित जातियों-जनजातियों के उत्थान में सहयोगी— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए अनेक उपयोगी योजनाएँ जुटाई हैं। छोटे कृषक, सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन श्रमिकों में अनुसूचित जाति-जनजातियों के परिवारों का चयन किया गया है और उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं— इन वर्गों के लिए 33 प्रतिशत सहायता का लक्ष्य ढाई पंचवर्षीय योजना में रखा गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 45.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार इन जातियों के उत्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुआ है।

(4) विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सहभागिता को बढ़ाने में सहयोगी— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर जुटाने का प्रयत्न करता है। इन रोजगारों का चुनाव लाभार्थी को करना होता है। लाभार्थी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों, उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर रोजगार-योजना निर्मित करता है— ग्रामीणों का सहयोग भी उसे प्राप्त होता है तभी योजना मफल हो पाती है— योजना का सफल क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर को भी उन्नत बनाता है।

(5) महिला एवं शिशु कल्याण में सहयोगी— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने महिलाओं के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका नियाही है। उन्हें आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगारों नुखी बनाया जाता है। कई योजनाएँ जैसे— ट्राइसम, डवाकरा आदि कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं जो महिलाओं और शिशु कल्याण के लाभार्थ कार्यरत हैं। इन स्वरोजगार योजनाओं के परिणामस्वरूप अनेक ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योग व सेवा व्यवसायों में काम मिला है। डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाली 3,79,641 महिलाओं को लाभ पहुँचा है। इससे उनका सामाजिक स्तर भी उन्नत हुआ है।

(6) आर्थिक असमानता को कम करने में सहयोगी— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने निर्धनतम परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, इससे उनका आर्थिक स्तर सुधारा है, वे अपना अस्तित्व समझने लगे हैं— सरकार भी इस विषय में प्रयासारत है कि सहायता का लाभ निर्धनों को ही मिले। इस प्रकार निर्धनतम परिवारों का जीवन-स्तर उन्नयन होगा तो उससे आर्थिक असमानता को कम करने में भी सफलता मिलेगी।

(7) देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहयोगी— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी-रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के आर्थिक उन्नयन का कार्यक्रम है। इसके लिए सरकार ब्रण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हे खाद, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि उपलब्ध कराती है, इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इन रोजगारों से गरीब अपना जीवन-स्तर ऊँचा करेगा तो देश में भी खुशाहाली होगी और समाज के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक-उन्नयन से देश एक दिन प्रगति के पथ पर अवश्य अग्रसर होगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कमियाँ

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिस उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ हुआ है उसकी पूर्ति करने में पूर्णतया सफल नहीं हो सका है, इसका कारण यह है कि इस कार्यक्रम वीं कुछ कमज़ोरियाँ हैं— जो निम्नलिखित हैं—

(1) सही लाभार्थियों का सुनाव न हो पाना— इस कार्यक्रम की एक बड़ी कमज़ोरी यह है कि अनेक बार सही लाभार्थी का चयन नहीं हो पाता। पंच, सरपंच, व प्रधान आदि के दबाव के कारण ग्राम में वक सही परिवार का चयन न करके उनका चयन कर लेते हैं जो पहले से ही गाँवीं की रेखा को पार कर चुके होते हैं अतः निर्धनतम परिवार आर्थिक सहायता से बच्चित रह जाते हैं और अन्य योग लाभ ले लेते हैं।

(2) कार्यक्रम की सही जानकारी न मिलना— अनेक बार सरकारी कर्मचारियों व सक्षम अधिकारियों की विकास कार्यों के प्रति उदासीनता के कारण कार्यक्रमों की जानकारी निर्धन लोगों को नहीं हो पाती और नेताओं और सक्षम अधिकारियों के सम्पर्क में रहने वाले परिवारों को उन योजनाओं का लाभ मिल जाता है। इस रूप में योजनाओं का लाभ निर्धन वर्ग तक कम ही पहुँच पाता है।

(3) व्यावहारिक ज्ञान का अभाव— जिन लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है उनको व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता ऐसी स्थिति में रूपए प्राप्त करके केवल वह उनका दुरुपयोग ही करता है क्योंकि वह अपना रोजगार कैसे शुरू करे ? कैसे बढ़ाए ? जब तक इस बात का व्यावहारिक ज्ञान उसे नहीं होगा तब तक वह कोई भी व्यवसाय मही रूप में नहीं कर सकता अतः स्वरोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान के अभाव में लाभार्थी प्राप्त करण व आर्थिक सहायता का उपयोग सही रूप से नहीं कर पाता।

(4) सरकारी वित्तीय सहायता राशि का कम होना— जो राशि अथवा क्रण गरीब लोगों को स्वरोजगार हेतु सरकार की ओर से दिया जाता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। अनेक बार क्रण के लालच में कुम्हार, बदई आदि अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़ देते हैं और सरकारी वित्त की राशि कम होने के कारण कोई स्वरोजगार भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता का दुरुपयोग ही होता है। क्रण भी खर्च हो जाता है और स्थिति भी नहीं सुधर पाती।

(5) अशिक्षा— ग्रामीण जनसमूह्य प्राय अशिक्षित है। अतः उनकी सहायता के लिए बनाई गई योजनाओं की न तो उन्हे सही जानकारी होती है, न ही उन्हे सही रूप में वे समझते हैं इससे वे शोषण का शिकार होते ही रहते हैं और उनके हिस्से का लाभ दूसरे लोगों को मिल जाता है।

(6) अधिकारियों के पथ्य तालमेल का अभाव— ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कोई भी योजना एकाकी कारण नहीं हो सकती। केन्द्र से लेकर खण्ड स्तर तक उसमें तालमेल बनाए रखना पड़ता है किन्तु प्राप्त देखा जाता है कि खण्ड अथवा जिला-स्तर पर बायरंट अधिकारियों और साथ ही अन्य विभागों, जैसे— कृषि, बागवानी, मछली-पालन व जिला-उद्योग आदि का जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और खण्ड स्तर के अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं हो पाता, इससे योजनाएँ सही रूप में कार्यस्त नहीं हो पाती हैं।

(7) भ्रष्टाचार का प्रसार— आज हमारे समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार कैता हुआ है। गरीब लोगों को सरकार क्रण उपलब्ध कराती है जो वैकों के द्वारा उन्हे प्राप्त होता है तेकिन वैक से क्रण लेते समय वैक अधिकारियों को शिशत देरी पड़ती है। फलस्वरूप वित्तीय सहायता को प्राप्त नहीं में वैक और यहीं तक कि समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यकर्त्ताओं को भी शिशत देने के परचान् जितनी राशि बच पाती है, उसमें लाभार्थी सही रूप में लाभान्वित नहीं हो पाते।

इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक कारण हैं जो इस प्रकार हैं—

(8) लाभार्थियों को सहायता देने से पूर्व व पश्चात् सरकारी एजेंसियों का समर्थन नहीं मिल पाता। परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं रख-रखाव की कोई सुविधाएँ नहीं होतीं।

(9) विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में न तो कर्तव्यपालणता की भावना होती है, न ही उनमें कार्य के प्रति जोश होता है, इससे सही लाभ लाभार्थियों को वे नहीं दे पाते।

(10) विभिन्न स्तरों पर जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण और परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के प्रभारी जैसे मुख्य पदों के खाली रहने के कारण प्रशासनिक ढाँचे की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(11) स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पशुचिकित्सा सेवाओं के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हैं।

(12) द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में अधिक सछ्या में रोजगार की स्थापना के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए हैं।

(13) कार्यक्रम के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सरकारी आँकड़े कार्य की सफलता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। न तो ऐसा है कि निर्धनतम परिवारों को बहुत अधिक लाभ मिला है न ही उन्हें वित्तीय सहायता उस अनुपात में दी गई है। जैसे— सरकारी आँकड़ों के अनुसार छठी योजना के समय में ही 165.5 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, किंतु सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रतिशत बहुत कम है। अत कार्यक्रमों का कमजोर पक्ष अनुवर्ती कार्यक्रमों पर निरानी का अभाव है।

यदि वास्तव में देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो उसके लिए कुछ और प्रयास करने अपेक्षित हैं।

- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए कठिपथ सुझाव— किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम के प्रति सचेतनता और पूर्ण जानकारी का होना अत्यावश्यक है तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अशिक्षित आशार्थियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित किया जाए और उन्हें समय-समय पर कार्यक्रम की गतिविधियों से भलीभांति अवगत कराया जाए।

(2) ग्रामीण तरुण वर्ग को चयन में प्राथमिकता दी जाए, उन्हें आवश्यक त्रण उपलब्ध कराया जाए जिससे वे स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय का भली-भांति चयन कर उसे संचालित कर सकें।

(3) ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन व्यक्तियों को सही लाभ मिले इसके लिए एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। यह संगठन निर्बल पक्ष को योजना का पूरा लाभ पहुँचाएगा और साथ ही विचौलियों की भ्रष्टता को कमजोर करेगा।

(4) त्रण उपलब्ध कराते समय गरीबी की मात्रा को ध्यान में रखा जाए। विकास खण्ड के लिए निर्धारित राशि को प्राथमिकता न दी जाए।

(5) लाभार्थी का सर्वेसप्त उचित ढैंग से किया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत एवं ग्राम्य सहकारी साख समिति के कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग लिया जाए, जिससे किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव न हो सके।

(6) युवकों और महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं और प्रशिक्षण की परिसमाप्ति पर एक कार्य योजना बनाकर उसके अनुसार उन्हें क्रष्ण-सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(7) क्रष्ण मुख्यालय से व्यावसायिक क्षेत्र के लिए मुलभ कराई जाए, जिसके उत्पादन की गाँव के बाहर पर्याप्त मात्रा हो। इसके विक्रय की उचित व्यवस्था की जाए। उचित दर पर कच्चे माल की आपूर्ति तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(8) क्रष्ण राशि को अलाभकारी कारों में न लाना चाहए। यदि ऐसा उदाहरण देखने में आए तो लाभार्थी को कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली छूट से बचित किया जाए और उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी किया जाए।

(9) प्रत्येक लाभार्थी को स्वास्थ्य, मुक्ति एवं पशु पोषण सम्बन्धी अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाए। इसकी व्यवस्था उसी गाँव में की जाए, जिससे प्रशिक्षार्थी को अपना गाँव छोड़कर बाहर जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े।

(10) प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से लोगों में यह प्रेरणा जागृत की जाए कि वे आर्थिक सहायता प्राप्त कर स्वयं को समृद्ध बनाएं। सहायता तो केवल एक बार दी जा सकती है, उसके पश्चात् तो उन्हें ही प्रयासरत रहना है।

(11) एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी हो सकता है कि क्रष्ण उपलब्ध कराने के स्थान पर लक्षित वर्गों को स्थाई सैवेतनिक रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इससे न तो क्रष्ण राशि का अपव्यय होगा और न ही लक्षित वर्ग को स्वरोजगार स्थापित करने के मध्य आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

(12) राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए उनको वम्तु व उपकरण आदि स्वयं सरकार द्वारा खरीदकर दिए जा सकते हैं। किन्तु इस कार्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं का सहयोग अपेक्षित है।

(13) ग्रामीण निर्भीनों के वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक है कि रोजगार विशेष के लिए उम समय के बाजार-मूल्य का पता लगाकर उसके समकक्ष ही जटिलराशि उपलब्ध कराई जाए।

(14) पिछड़े वर्गों में जाति की सामाजिक स्थिति के आधार पर प्रति व्यक्ति औमत रक्षण का बंटन समान हो। इससे जातीय वैमनस्य एवं साम्यदायिकता की भावना को रोका जा सकेगा।

(15) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता में जो कर्मचारी अपना दायित्व कर्तव्य-निष्ठा से निभा रहे हैं उन्हें पारितोषिक दिया जाना चाहिए। इससे उनपे कार्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी।

अन्तत यह कहा जा सकता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी से निपटने का एक अद्वितीय प्रयास है और अपनी दिशा में यह सफलतापूर्वक कार्यरत भी है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कार्यक्रम से सम्बन्धित जिन कमियों को प्रकाश में लाया जा रहा है उनमें अपेक्षित सुधार किया जाए। यदि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कदम सही दिशा में उठते रहेंगे तो यह आशा की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले ग्रामीणों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के समकक्ष लाने में अहम् भूमिका निभा सकेगा।

प्रश्न

1. समन्वित ग्रामीण विकास से आप क्या अर्थ लेते हैं? इस कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। (मा.शि.बो. अजमेर, 1994)
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्ग में क्या-क्या प्रमुख बाधाएँ हैं? (मा.शि. बो. अजमेर, 1994)
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर एक निबन्ध लिखिए।
4. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अर्थ और उसकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए।
5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मध्य आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के प्रगास सुझाइए।
6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यनीति पर प्रकाश डालिए।
7. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए।
8. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
9. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के कठिपय सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए—
 - (i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
 - (ii) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन् में प्रारम्भ किया गया।
 - (iii) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ में जिलों में शुरू किया गया था।
 - (iv) पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभियान द्वारा किया जाता है।
 - (v) ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी की होती है।
 - (vi) राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है।
- [उत्तर-(i) गरीबी की रेखा से नीचे, (ii) 1978-79, (iii) 16, (iv) जिला स्तर, (v) खण्ड विकास अधिकारी, (vi) राज्य स्तरीय समन्वय समिति]

2. निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए—

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. महिला एवं शिशु विकास की योजना | (A) ग्रामीण विकास मंत्री |
| 2. केन्द्र स्तर | (B) 2 अक्टूबर, 1952 |
| 3. जिला स्तर | (C) 1978-79 |
| 4. सामुदायिक विकास कार्यक्रम | (D) डबाकरा |
| 5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | (E) जिला ग्रामीण विकास अभियान |

[उत्तर- (1) (D), (2) (A), (3) (E), (4) (B), (5) (C)]

4. निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए—

- ग्रामन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को निर्धारित की रेखा से ऊपर उठाना है।
- केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए जिला ग्रामीण एजेसियों की स्थापना नहीं की गई है।
- 'ट्राइसम योजना' ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु 15 अगस्त, 1979 को प्रारम्भ की गई थी।
- 'डबाकरा' योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और शिशुओं के विकास की योजना नहीं है।
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य जनसाध्या का नियन्त्रण करना है।

[उत्तर- सत्य कथन (i), (iii), असत्य कथन (ii), (iv), (v)]

4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- लक्षित-समूह।
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तीन उद्देश्य।
- ट्राइसम योजना।
- डबाकरा योजना।
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सातवीं योजना के लक्ष्य।
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वित्तीय सहायता।
- केन्द्र और जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या संगठन।
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तीन प्रमुख कमियाँ।
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तीन उपयोगिताएँ।
- 'रुण्ड स्तर' पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मंगठन।

अध्याय 18

पंचायती राज

(Panchayati Raj)

भारतवर्ष की अधिकाश जनसंख्या सदैव से ग्रामों में निवास करती रही है। आज भी लगभग 75 जनसंख्या भारत के ग्रामों में निवास कर रही है। इसीलिए सभी समाजशास्त्रियों ने भारत को ग्रामीण प्रधान देश कहा है। भारत में ग्रामों का संगठन, व्यवस्था तथा प्रशासन का कार्य आदिकाल से ग्राम-पचायते करती आ रही है। ग्राम पचायते लोकत्रात्मक शासन व्यवस्था एवं संगठन की आधारशिला है। देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान प्राचीनकाल से ही रहा है। ब्रितानिया साप्राज्य स्थापित होने तक ये ग्रामीण पंचायतें सामाजिक, धर्मिक, आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों को संचालित, नियंत्रित और निर्देशित करती रही थी। रामकृष्ण मुकुर्जी के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनैतिक पकड़ सुट्ट लिए के लिए ग्राम पंचायतों को धीरे-धीरे मृतप्राय कर दिया था। आर्थिक शोषण करने के लिए भारत को आधुनिकता, औद्योगीकरण और नगरीकरण का रूप दिया। इससे ग्रामों की अर्धव्यवस्था चरमा गई। भारतीय ग्रामीण अनेक सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों के महत्व को जानते थे। इसीलिए आपने पंचायतों के द्वारा राजनैतिक और आर्थिक विकास करने पर जोर दिया था। अमा प्रत्येक ग्रामीण की राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में सहभागिता स्थापित करना चाहते थे।

महात्मा गांधी के जोर देने के कारण ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने पुन ग्राम पचायतों को ग्रामों के पुनरुत्थान करने का महत्वपूर्ण माध्यन माना। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर पुनर्जीवित करने के लिए अनेक प्रयास किए। इनमें उल्लेखनीय प्रयास संविधान का 40वाँ अनुच्छेद तथा 73वाँ संशोधन है। राज्य सरकार पर राजस्थान सरकार ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। राजस्थान पहला राज्य रहा है जिसने बलवत राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर विस्तृत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया तथा सन् 1944 के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार इस व्यवस्था में तुन्त संशोधन एवं परिवर्तन कार्यान्वित किए। इसी तार्दर्फ में यहाँ पर ग्रामीण समुदायों में ग्राम पचायत, पचायत समिति तथा जिला परिषद के विभिन्न पहलुओं, भूमिका, संगठन, परिवर्तन आदि की विवेचना की जाएगी। सर्वप्रथम प्राचीन भारत में ग्राम पचायतों के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाएगा।

प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों का स्वरूप

भारत की ग्राम पंचायतों का इतिहास अति प्राचीन है। प्राचीनकाल में पंचायतें सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक गतिविधियों का सचालन करती थीं। ग्रामीण जीवन के सभी शैलों पर इनका अधिकार और नियन्त्रण था—उद्योग, व्यापार, प्रशासन, नागरिक-शिक्षा और धर्म आदिकार्यकलाओं का नियमन इनके हाथ में था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पंचायतों के बारे में उद्दरण मिलते हैं। ब्रह्मेद, वाल्मीकि-विचित्र रामायण और महाभारत में ‘पंच’ और ‘पंचायत’ शब्दों का उल्लेख है। ‘पंच परमेश्वर’ के रूप में गाँवों में पंचों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था—सच्च्या में पौंछ होने के कारण ही ये पंच कहलाते थे। ‘कौटिल्य के अर्धशास्त्र’ में इस पर विमतार से लिया गया है। ग्यारहवीं शताब्दी में ‘नीतिसार’ में शुक्रायर्थ ने इनका उल्लेख किया है। ‘बौद्धकाल’ में इस देश में अनेक छोटे-छोटे गणराज्य थे। अत गाँव की इन संस्थाओं का महत्व और बढ़ गया। जातक कथाओं से इनकी पुष्टि होती है। भीर्यकाल में देश में एक शकिशाली सत्ता की स्थापना हो गई थी, फिर भी ग्रामों की स्वायतता को नष्ट नहीं किया गया। पंचायत की शक्तिर्थ्यों की त्यों रखी गई। सच्चिकालीन भारत में मुस्लिम शासकों ने भी ग्रामों वीं स्थानीय स्वतंत्रता को नष्ट नहीं किया।

अग्रेजों ने धीरे-धीरे पंचायतों के सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों को अपने अधिकार में से लिया। इस तरह ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भता समाप्त हो गई और ग्रामीण पंचायतों का महत्व भी समाप्त हो गया। प्रारम्भिक अवस्था में इन पंचायतों को मृतप्राय कर दिया गया था, फिर तोड़ रिपन तथा देयों ने इन स्थानीय संस्थाओं को ग्रामों में पुनर्जीवित करने के लिए बड़ा प्रयास किया। 1901 में विकेन्ड्रीयकरण कर्मीशन ने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की और अनेक प्रान्तों में इसके आधार पर ग्राम पंचायत एक पास किए गए।

ग्रामों में पंचायतें लोकतंत्र की पड़कन होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, “सच्च्या स्वाराज के बल चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने से नहीं बल्कि इसके लिए सभी में क्षमता आने से आएगा। केन्द्र में बैठे केवल 20 व्यक्ति सच्चे लोकतंत्र को नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए निचले स्तर पर ग्रन्त्येक गाँव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा।”

पड़ित नेहरू ने कहा था, “व्यास्तविक बदलाव निस्सदेह गाँव के भीतर से आता है, गाँव में रहने वाले लोगों से ही आता है और वह बाहर से नहीं धोया जाता।”

इस प्रवक्तर गाँधी और नेहरू के सफरों को साकार करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज

भारत के स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त पुनर्गठन की ओर शासन दिया गया। गाँधीजी का मानवा था कि लोकतंत्रिक आजादी को भारत के हर गाँव में स्थानीय सम्प्रभाओं में सिद्धि होना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि सत्ता का विकेन्ड्रीयकरण होना चाहिए। गाँव के ग्रन्त्येक व्यक्ति की मत

में भागीदारी होनी आवश्यक है। उनके इसी विचार को चरितार्थ करने के उद्देश्य से संविधान की धारा 40 में यह व्यवस्था की गई, "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको समस्त अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य हो जाए।"

इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर भारत के ग्रामों में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई। ग्रामीण जनता को स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाने लगी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना का शुभारम्भ ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किया गया। 1957 में बलवन्त राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज की योजना प्रस्तुत की। 12 जनवरी, 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों का समर्थन कर दिया गया। बलवन्त राय मेहता समिति ने ग्रामवासियों में सक्रिय भागिता के उद्देश्य से विकास और पुनर्निर्माण को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना प्रस्तुत की, जिसे सम्पूर्ण देश में 'पंचायती राज' के रूप में जाना गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 'तीन स्तरीय व्यवस्था' प्रस्तुत की गई। इस पंचायती राज के विकास के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम-पंचायत, खण्ड-स्तर पर पंचायत-समिति और जिला-स्तर पर जिला-परिषद् की स्थापना की गई। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य लोकतंत्र को वास्तविक रूप प्रदान करना था।

केन्द्र सरकार ने विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायती राज की मेहता समिति की इम योजना को एक आदर्श प्रतिमान के रूप में स्वीकार तो कर लिया लेकिन यह प्रत्येक राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वह पंचायती राज को जिस रूप में चाहे अपने राज्य में अपना सकता है। ऐसा केन्द्र सरकार ने इसलिए किया था कि स्थानीय स्वायत्त शासन राज्य सूची का विषय था। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने इन संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक स्तर पर प्रदान कर दिया है। इस अधिनियम का प्रस्ताव संसद में 72वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 1991 में रखा गया था लेकिन पारित होते-होते वह 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और प्रवर्तित होते-होते उसमें एक वर्ष और लग गया। इस प्रकार यह 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (पंचायती राज से सम्बन्धित) भारत सरकार के राजपत्र में 26 अप्रैल, 1993 को प्रकाशित और प्रवर्तित हुआ है। इस उपर्युक्त व्यवस्था के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस संविधान संशोधन के पहले एवं अधिनियम, एवं एक संवैधानिक समिति, जिसका वर्तमान रूप ये यथास्थान किया गया है।

राजस्थान भारतीय संघ का ऐसा राज्य है जो पंचायतों की स्थापना करने में सर्वांगीण एवं प्रथम रहा है। राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था 1959 में अपनाई गई थी लेकिन राजस्थान के ग्रामों में ग्राम पंचायतों का औपचारिक गठन राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के द्वारा पहले से ही स्थापित हो चुका था।

इम देश में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पैटिल जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के बिले 'नागौर' में की। पंचायती राज के शुभारम्भ के अवसर पर नेहरू ने कहा था, "गाँवों का रक्त शहरों के ढाँचे को मजबूत करने वाला सीमेण्ट बनाता है। मैं चाहता हूँ कि वह रक्त जो शहरों की धमनियों को फुला रहा है, पुन गाँवों की धमनियों में बहने लगे।"

राजस्थान सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार 23 अप्रैल, 1994 को राजस्थान में पारित अब तक के सभी पंचायती राज अधिनियमों को समेकित और संशोधित करते हुए एक नयी विधि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को स्वीकृति प्रदान की है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में अब तक पारित राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 और उसमें समय-समय पर किए गए समस्त संशोधन तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 एवं उसमें किए गए सभी संशोधन निर्यसित हो गए हैं। अब राजस्थान की पंचायती राज संस्थाएँ राज्य में 23 अप्रैल, 1994 से प्रवर्तित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से नियंत्रित, नियंत्रित एवं संचालित होती हैं।

इस प्रकार राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना के बाद पूरे देश में पंचायती राज संस्था के विकास को संभालात साधन के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्तमान में मेपालता और नागालैण्ड को छोड़कर शेष समस्त राज्यों में पंचायती राज योजना लागू की गई है। सन् 1988 तक भारत में 20,624 ग्राम पंचायतें थीं और इस समय देश में लगभग 2.20 लाख ग्राम पंचायतें, 4,500 पंचायत समितियाँ और 351 जिला परिषदें हैं।

अब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के संरक्षण में विस्तार से विवेचन किया जायेगा।

ग्राम सभा

एक पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में किसी शास्त्र वा क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिक एक स्थान पर एकत्र होकर समय-समय पर समाज के विभिन्न कार्यों का मंचात्मन करते हैं। इस प्रकार ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक स्वरूप है जिसे भारत के ग्रामों में कार्यान्वित किया गया है। महात्मा गाँधी ने भारत में सच्चे लोकतंत्र की कामना की थी। उनके अनुमार केन्द्र में बैठे 20 व्यक्ति सच्चे लोकतंत्र को नहीं चला सकते। गाँधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी जिसमें "गाँव" विकेन्द्रीकृत राजनीतिक सत्ता का एक ऐसा पटक माना गया था जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति शामन के कार्यों में इत्यक्ष भाग ले सके। ग्राम सभा उसी कल्पना को साक्षर रूप प्रदान करने का प्रयास है।

बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढाँचे का जो सुझाव दिया था उसमें उन्होंने ग्राम सभा को कोई प्रावधान रखा था। फिर भी राज्यों ने ग्राम सभा के महत्व को स्वीकार करते हुए पंचायती राज व्यवस्था के आधार के रूप में इसे विकसित किया। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि पंचायती राज में ग्राम सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर जनमत का संष्टीकरण हो जाता है और ग्राम पंचायत को अपने कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है।

राजस्थान में ग्राम-सभा

राजस्थान में ग्राम-सभा का प्रावधान उस समय जोड़ा गया था जब 1959 में राजस्थान ने पंचायती राज विकेन्द्रीकरण की मेहता समिति योजना को कार्यान्वित किया था। मूल ग्राम-पंचायत अधिनियम, 1953 में इस हेतु जो नया प्रावधान सेवशान 23 (ए) जोड़ा गया था उसका सार निम्न है—

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के सभी बण्डक नागरिकों की सभा आमन्त्रित करेगी, जिसके आयोजन का तरीका सरकार द्वारा सुझाया जाएगा।

इस प्रकार बुलाई गई सभा में पंचायत द्वारा किए गए कार्यों और प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसे विषय पर नागरिकों द्वारा सभा में दिए गए सुझावों को ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

73 वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा का प्रावधान

भारत का संविधान 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम-पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियम बनाकर प्रस्तावित किए जायें। राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों ने इसका पालन करते हुए ग्राम सभा का प्रावधान किया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्राम-सभा का प्रावधान

23 अप्रैल, 1994 को प्रवर्तित राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में, अध्याय दो में 'ग्राम-सभा' शीर्षक से उसकी संकल्पना और व्यवस्थाओं का स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण दिया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994, पारा 2 में लिखा है, "प्रत्येक पंचायत संकिलित के लिए एक ग्राम-सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँवों गाँवों के समूह से सम्बन्धित निर्वाचिक नामांकितियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होगे।"

ग्राम सभा की बैठक

सामान्यतया सभी राज्यों में ग्राम सभा की वर्ष में दो बैठके होती हैं। उड़ीसा राज्य में एक

बैठक होती है। राजस्थान में 1953 के अधिनियम में जोड़े गए प्रावधान के अनुसार दो बैठकों की व्यवस्था थी। ग्राम सभा की एक बैठक मई से जुलाई और दूसरी बैठक अक्टूबर से दिसम्बर माह के बीच आयोजित की जानी चाहिए।

नवीन अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में दो बैठकें होंगी। पहली, वित्तीय कार्य के प्रथम त्रिमास में और दूसरी, अन्तिम त्रिमास में होंगी। एक-तिहाई से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित अपेक्षा किए जाने पर या, यदि सम्बन्धित पचायत समिति या जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, तो ग्राम सभा की बैठक, ऐसी अपेक्षा के 30 दिवस के अन्दर आहूत की जाएगी।

विचारार्थ विषय

राजस्थान पचायतीराज अधिनियम, 1994, धारा 2 में ग्राम सभा की वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास की बैठक में निम्न विषय सम्मिलित किए जायेंगे—(क) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण, (ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट, (ग) वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम, और (घ) पिछली सप्तरीका रिपोर्ट और उसके लिए दिए गए उत्तर।

वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रिमास में आयोजित की जाने वाली बैठक में पचायत द्वारा, ग्राम-सभा के समक्ष निम्न विषय विचारार्थ रखे जायेंगे—(क) वर्ष के दौरान उप-व्यय का विवरण, (ख) वर्ष में लिए जाने वाले भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम (ग) वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की गई बैठक में प्रस्तावित क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए किन्हीं भी परिवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्ताव, और (घ) तैयार किया गया पचायत का बजट।

ग्राम सभा की किसी भी बैठक में ऐसे अन्य विषय जिसे पचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार या इस विभिन्न प्राधिकृत कोई भी अधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे, रखे जायेंगे। ग्राम सभा के मुझावों पर पचायत विचार कोगी। ग्राम सभा की बैठक को मुनिशिचल करने के लिए राजस्थान सरकार ने 17 जून, 1994 को तत्कालीन पचायती राज अधिनियम, 1953 में संशोधन किया था कि पंचायत समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में बुलाई जाने वाली ग्राम सभा में या तो विकास अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई अधिकारी उपस्थित रहेगा तथा सभा को सफल बनाएगा। इसी प्रावधान को 1944 के अधिनियम में समाविष्ट कर लिया गया है।

गणपूर्ति

ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या का दरारंग होगी, किन्तु गणपूर्ति के अभाव में एक बार स्थगित की गई बैठक को दुबारा आटूत करने पर गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक का स्थान ग्राम पचायत का कार्यालय या पचायत भवन होता है।

पीठासीन अधिकारी—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1944, धारा 4 में ग्राम सभा की बैठक के बुलाने एवं अध्यक्षता के सम्बन्ध में पूर्व प्रावधानों को दोहराया गया है, जो निम्न है— ग्राम सभा की बैठक पंचायत के सरपंच, उसकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच के द्वारा बुलाई जाएगी और बैठक की अध्यक्षता भी सरपंच, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा की जाएगी। इन दोनों की अनुपस्थिति की दशा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित किए गए ग्राम सभा के किसी सदस्य के द्वारा की जाएगी।

संकल्प—ग्राम सभा का सम्बन्धित विषयों से सम्बन्धित कोई भी सकल्प बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत में पारित करना होगा। ग्राम पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम सभा की बैठक में पंचायत के कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करें। निर्वाचित ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि वह ग्राम सभा द्वारा व्यक्त विचारों का ध्यान रखें।

1 1994 के अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय और कार्य सूची आदि की सूचना ग्रामवानियों को 15 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। यह सूचना पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के प्रमुख स्थानों या लिखित में विषयकारी जानी चाहिए। प्रत्येक ग्राम में ढोल बचाकर बैठक की सूचना प्रसारित करनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित अधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, ग्राम सेवक आदि का यह दायित्व है कि वे क्षमतासु सार बैठक की सूचीना का प्रसारण करें।

बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन—राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम के नियम यह प्रावधान करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही लिखित में अभिलेखन किया जाएगा जो अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा। सरपंच इस विवरण को ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगा। इस नए अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि सम्बन्धित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई प्रसार अधिकारी ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित रहेगा और वह ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों का, पंचायत के सचिव द्वारा सही-सही अभिलेखन किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस व्यवस्था के द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण की आशा की गई है।

ग्राम सभा के सामान्य विचार-विमर्श के विषय-सादिक अली, पंचायती राज अध्ययन दल की रिपोर्ट, 1964 में ग्राम सभा की बैठक में सामान्य विचार विमर्श के लिए निम्न विषयों का सुझाव दिया है—

(1) पंचायत का बजट, (2) पंचायत की ऑफिट रिपोर्ट और उसका अनुपालन, (3) पंचायत की योजना, (4) योजना की प्रगति और विकास की विभिन्न प्रवृत्तियों की रिपोर्ट, (5) पंचायत के कामकाज का विवरण, (6) ग्राम सभा के निर्णयों की क्रियान्विति का सेखा-जोखा,

(7) क्रष्ण और सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि के उपयोग की रिपोर्ट, (8) सहकारी आन्दोलन, सहकारिताओं से सम्बन्ध रखने वाले आम विषय तथा सहकारी समितियों द्वारा सुझाए गए मुद्रों का विवरण, (9) ग्रामीणों के सामान्य हितों के मामले जैसे चरणाह, जलाशय, सार्वजनिक कुर्स, आदि (10) ग्राम पाठशाला का कार्य संचालन और (11) महत्वपूर्ण सूचनाओं और निर्णयों की जानकारी। इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा की बैठकों में प्रारम्भिक एक घटने का समय प्रश्नोत्तर के लिए रखा जाना चाहिए।

ग्राम सभा की अप्रभावी भूमिका : एक मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा 1982 में पंचायती राज की संरचना में ग्राम सभा की भूमिका के अध्ययन के लिए नियुक्त दल का निष्कर्ष है कि जिन राज्यों में ग्राम सभा का प्रावधान था वहाँ ग्राम सभा प्रभावहीन संस्था सिद्ध हुई है। इसने ग्रामीणों गर्कोई प्रभाव नहीं ढाला। राजस्थान में ग्राम सभा को सक्रिय बनाने के समय-समग्र पर अनेक प्रयास किए गए तोकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। सादिक अली प्रतिवेदन, 1964 का निष्कर्ष यही है कि ग्राम सभा प्रभावशाली तस्था नहीं बन पाई है। इसमें कहा गया है कि बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। सामान्यत बैठकों में उपस्थिति अच्छी नहीं होती है तथा अभी तक लोगों में ग्राम सभा ने आवश्यक उत्पाद और सवि पैदा नहीं की है। ग्राम सभा का आयोजन सरकारी पहल से होता है तोकिन ग्रामीणों की उपस्थिति निराजाजनक होती है। महिलाओं की संघर्षा तो नगण्य ही रहती है।

निष्क्रियता के कारण

सादिक अली ग्रतिवेदन में ग्राम सभा की निष्क्रियता के निम्न कारण बताए गए हैं—
 (1) उचित प्रचार का अभाव, (2) अनुपयुक्त समय, (3) सरपंच की उदासीनता, (4) कानूनी मान्यता का अभाव, (5) कार्य और कार्यसेवा की अपर्याप्तता, (6) लोगों की निक्षणता, (7) सचिव सम्बन्धी सहायता का अभाव। 1994 के अधिनियम में इस कमी को पूरा कर दिया गया है। कुछ अन्य अध्ययनों से पता चला है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम सभा नामक भी कोई सम्पादन के ग्राम में है। ऐसा भी पाया गया है कि ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान का अभाव रहता है जबहाँ ग्राम के समस्त वयस्क लोग सुविधाजनक रूप से एकत्र हो सके। सामान्यतया एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव समिलित होते हैं। पंचायत के अन्य गांवों के लिए दूरी की असुविधा के कारण उपस्थिति कम रहती है। पंचायत के निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा के आयोजन में सवि नहीं लेते क्योंकि उनसे सभा में ग्राम पंचायत के कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। इससे बचने के लिए वे ग्राम सभा की उपेक्षा करते हैं। ग्रामीण जनता ग्राम सभा में इसलिए सवि नहीं लेती क्योंकि सत्ता यक्ष अनावश्यक रूप से छाया रहता है, जबसारारण को बोलने वा अवगत नहीं दिया जाता। पराजित पश्च भी ऐसी बैठकों का सामृद्धिक बहिरङ्कार करते हैं।

ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के सुझाव

अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि पंचायती राज व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास को जनतांत्रिक बनाने के लिए ग्राम सभा को सार्थक और प्रभावी बनाना अत्यावश्यक है। इसे प्रभावी, सार्थक तथा सशक्त बनाने के लिए राजस्थान में पंचायती राज पर नियक उच्च स्तरीय गिरधारीलाल व्यास समिति, 1973 ने निम्न सिफारिशों की थीं—

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के ग्राम सेवक, मुप सचिव तथा सरपंच के लिए ग्राम सभा में उपस्थित रहना अनिवार्य कर देना चाहिए। सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना नियमों द्वारा अनिवार्य कर देना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक में प्रसार अधिकारी तथा विकास अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर देना चाहिए। राजस्थान में सुझाव 1994 के अधिनियम द्वारा निर्णायिक सीमा तक कार्यान्वित कर दिए गए हैं।
2. वर्तमान में ग्राम सभा की बैठकें फसल बोने तथा फसल काटने के समय होती हैं। इसे बदल कर मई-जून तथा दिसंबर-जनवरी में आयोजित करनी चाहिए।
3. ग्राम सभा की बैठक के पारिणामों को सार्थक बनाना चाहिए, इससे जनता की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ेगी। ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति निर्धारित नहीं करनी चाहिए।
4. पटकारी ग्रामीण जनता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है। इसलिए उसकी उपस्थिति ग्राम सभा में अनिवार्य कर देनी चाहिए।
5. ग्राम सभा की बैठकों में लघ्वे-चौड़े भाषणों के स्थान पर नागरिकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनकी जिज्ञासा को सतुष्ट करना चाहिए।
6. ग्राम सभा की बैठकों में दिए गए सुझावों और विचारों को लिखा जाए उन पर ग्राम पंचायत की अगली बैठक में विचार किया जाए तथा जो कार्यवाही की जाए उससे अगली ग्राम सभा की बैठक में ग्रामजासियों को अवगत कराया जाए।
7. पंचायत समिति के पदाधिकारियों तथा ग्राम सेवक को ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित हृण चाहिए हथा दीरे के कार्यक्रम सभा की तिथि में नहीं रखने चाहिए।
8. पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए भी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
9. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी को भी इन बैठकों में यथासम्भव उपस्थित रहना चाहिए। प्रसार अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन, एवं विकारविमर्श किया जाना चाहिए।

10. ग्राम सभा की बैठकों को आकर्षक बनाने के लिए बैठकों के समय सिनेमा, कठपुतली का प्रदर्शन, आदि के कार्यक्रम रखने चाहिए।
11. ग्राम सभा ग्राम पंचायत में वैसी ही है जैसे केन्द्रीय सरकार की सरचना में संसद ग्राम सभा की बैठक में पंचायत क्षेत्र की योजना, पाठशालाओं के कार्य, चारागाह, तालाब, कृषि, पंचायत, बजट आदि विषयों पर विचार विमर्श करना चाहिए।

संविधान के 73 वें संशोधन तथा राजस्थान सरकारने इस संशोधन अधिनियम के अनुसार विनिर्मित नए पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्राम सभा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। आशा है अब यह ग्राम सभा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सशक्त इकाई के रूप में कार्य कर सकेगी।

ग्राम-पंचायत

ग्राम-पंचायत ग्राम-सभा की कार्यकारिणी है। ग्राम-पंचायत के सदस्यों—पचों और सरपंच, का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभा के माध्यम से ही साकार हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को बलवत् राय मेहता समिति की अभियांसाओं ने मति प्रदान की। राजस्थान में मेहता समिति द्वारा सुझाया गया पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढाँचा 1959 में अपनाया गया था परन्तु राजस्थान के ग्रामों में पंचायतों का औपचारिक गठन राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के प्रवर्तन के साथ पहले ही हो गया था। अब हम राजस्थान में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न पहलुओं की विवेचना करेंगे।

राजस्थान में ग्राम पंचायत—राजस्थान में ग्राम पंचायत का गठन सर्वप्रथम राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम ने पंचायत के सदस्यों को पच, उप सरपंच और सरपंच के निर्वाचन एवं योग्यताओं का विवरण दिया हुआ था। इस अधिनियम ने पंचायत के सहवरित सदस्यों एवं सह सदस्यों के सम्बन्ध में भी आवश्यक प्रावधानों का उल्लेख दिया हुआ था।

73 वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत का प्रावधान—पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामों के गरीब और सर्वहारा वर्ग को न्याय दिलाना है। जब बेन्द्रीकृत नियोजन असिक्षित और भोले-भाले ग्रामीणों के साथ एकात्मकता का अनुभव नहीं कर पाता तो उसके कल्याणार्थ पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण 1959 में किया गया। पंचायती राज को सही रूप में विद्यान्वित करने में स्वर्णीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण यहल की। 22 दिसंबर, 1992 को लोक सभा ने संविधान में संशोधन का एक विधेयक पारित किया। राज्य-सभा ने उसे अगले ही दिन पास कर दिया और इसे 24 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। इस 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों को सभी स्तरों पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के हस्तांतरण को संवैधानिक मान्यता दें दी गई है। हमारे देश की अनुमानत 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। इन

लोगों के सही विकास के लिए विस्तरीय पंचायती प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत पंचायतों के लिए हर पांच वर्ष बाद चुनाव कराना अनिवार्य होगा। सभी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों ने पंचायती राज कानून बना लिए हैं, जिन्हे अपने यहाँ लागू करने के लिए वे कृत संकल्प हैं।

इस कानून के लागू होने के बाद हर गांव की ग्राम-सभा होगी जिसके अधिकार और कर्तव्य राज्य विधान मण्डल तय करेंगे। प्रत्येक राज्य में “पंचायते”—ग्राम मध्य और जिला-स्तर पर बनाई जायेंगी। इससे पूरे प्रदेश में पंचायती राज का ढाँचा समान हो जाएगा। सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव होंगे। हर स्तर पर अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए सीटें निर्धारित होंगी। महिलाओं के लिए समुचित आरक्षण की व्यवस्था है। ग्राम पंचायतों को कृषि, भूमि, जल-संरक्षण, पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवारकल्याण, महिला कल्याण, संचार, रोजगार कार्यक्रम, गरीबी-उन्मूलन आदि को अपने हाथ में लेना होगा।

इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है और नवीं पंचवर्षीय योजना में यह रकम बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपये करने का विचार किया जा रहा है।

अंतत् ग्रामीणों के भविष्य को सुधारने की दृष्टि से पंचायती राज की पुनर्स्थापना-राजनीतिक सत्ता और आर्थिक विकेन्द्रीकरण का नया अध्याय है जिसमें महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के स्वर्ज को मूर्त रूप देने की दिशा में एक पहल की गई है।

ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न

ग्रामों के विकास एवं पुनर्निर्माण में ग्राम पंचायतों की महती भूमिका है, अत इनके उन्नयन के लिए सरकार समय-समय पर प्रयासरत रहती है। संविधान में संशोधन करके, उनके नियमों की अनुपालन करने का कार्य करती है जिससे ग्रामोत्थान कार्यक्रम को गति मिल सके।

संवैधानिक प्रयास—सन् 1994 में 64वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज विधेयक लाया गया, किन्तु वह पारित नहीं हो सका। अभी हाल में पारित संविधान के 73 वें एवं 74वें संशोधनों के अनुसार इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं के नाम से दो भवीन अध्याय समाविष्ट किए गए तथा इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने वाली दो नई अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, ये संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गए।

(1) संविधान के अनुच्छेद 243 खं में प्रत्येक राज्य के लिए विस्तरीय पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति के प्रधान का निर्वाचन दंच-रारपंच द्वारा न होकर, पंचायत समिति ने उन सदस्यों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है जो दो-तीन पंचायतों पर सीधे जनता द्वारा एक सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आयेंगे। जिला स्तर पर भी प्रमुख का चयन वे सदस्य करेंगे जो जिला परिषद् के लिए जनता से सीधे नुनकर आयेंगे।

(2) संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के कुल स्थानों में से महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आवश्यकता किए गए हैं जिनमें अनुमूलिकता जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी स्थान सुरक्षित होंगे।

(3) संविधान के अनुच्छेद '243 झ' तथा अनुच्छेद '74' द्वारा इन स्वायत्तशासी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।

(4) इन संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संविधान में—ग्राहवीं एवं बारहवीं—दो नई अनुमूलिकताएँ जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद '243 झ' तथा अनुच्छेद '243 झ' के द्वारा इनको आर्थिक विकास और सामाजिक स्वायत्ता के लिए योजना तैयार करने तथा ग्राहवीं और बारहवीं अनुमूलिकताएँ वर्णित किया गया है।

(5) संविधान के अनुच्छेद '243 झ' तथा अनुच्छेद '243 झ' में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को आर्थिक स्वायत्ता देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद '243 झ' तथा '243 झ' में राज्य-वित्त-आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

(6) अनुच्छेद 'झ' तथा अनुच्छेद 'य' में इन संस्थाओं के सेवों के संभारण एवं अंकेश्वरण के बारे में प्रावधान किए गए हैं।

(7) संविधान के 74वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद '243, 21 एवं 243 म' के द्वारा जिला आयोजन समितियों के गठन की व्यवस्था भी गई है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान के लिए राजस्थान विधान सभा में 9 अप्रैल, 1994 को पंचायती राज विधेयक, 1994 संशोधित रूप में पारित हो गया त्रिसमें ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला-परिषदों में महिलाओं, अनुमूलिकता जाति, जनजाति और शिंडे वर्गों के लिए आवश्यक की व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त वर्णित सर्वेधानिक प्रयासों के अनिराक्षर समर्कार द्वारा इनके विकास के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए हैं—

(1) ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(2) ग्राम पंचायत के कार्यों के मूल्यांकन और समर्प्या को जानकर उनके नियामनार्थ समितियों के गठन की व्यवस्था करना।

(3) ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(4) ग्राम पंचायतों को मानवाधिक विकास और राष्ट्रीय विम्नार में व्यवस्था के साथ आबद्ध कर देना, त्रिमसे उनका संचालन सुचारू रूप में हो सके।

(5) ग्राम पंचायतों को न्याय सम्बन्धी कार्य मौजूदकर उनके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करना।

इनके साथ ही केन्द्र सरकार ग्राम पंचायतों के सुचारू रूप से संचालन के लिए संघर्ष-समय पर राज्य सरकारों को निर्दिष्ट करती रहती है, किन्तु पंचायतों के कार्य-क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने का भी प्रयास करती है।

पंचायतों की असफलता के कारण

स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर पंचायतों के कार्यों में मदता आ गई है। अनेक समस्याएँ ऐसी हैं, जिनके कारण ग्राम पंचायतें अपना कार्य सफलतापूर्वक करने में अक्षम रही हैं। वे समस्याएँ अथवा कारण निम्नलिखित हैं—

(1) शिक्षा का अभाव—ग्रामीणों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है और इस कारण से वे अपना हित-अहित भी नहीं समझ पाते। पंचायतों के महत्व, उनके द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के प्रभाव और स्वयं अपनी भूमिका को भी वे नहीं समझ पाते। यह पंचायतों की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है।

(2) जातिचाद एवं साम्प्रदायिकताचाद—पंचायतों में जातिचाद और साम्प्रदायिकताचाद का आधिक्य हो गया है। सशक्त लोग अपने बाहुबल, धन शक्ति, शक्तिशाली जातीय प्रभुत्व के जोर पर पंचायतों पर हावी रहते हैं और गरीब लोग पंचायतों के द्वारा भी भाग नहीं ले पाते।

(3) गुटबन्दी—ग्रामों में गुटबन्दी की अधिकता होती है। भ्रष्टाचार अकुशलता राजनैतिक हस्तक्षेप, भाई-भत्तीजाचाद और गुटबन्दी ने अपनी जड़ें गहराई में कैला दी हैं जिनके कारण कटुता, सर्वर्ष और अनेक अनियमिताएँ उभर रही हैं। लोग दतीय-स्वार्यों की पूर्ति को ही अपना लाश्य समझते हैं। इससे पंचायती राज असफलता की ओर अग्रसर हो रहा है।

(4) वित्त का अभाव—पंचायती राज संस्थाओं के पास स्वयं का निजी बंजट नहीं है। धनाभाव के कारण पंचायती राज द्वारा किए गए विकास कार्यक्रमों से गाँव की प्रगति नहीं हो पाती। सरकार के अधिकाश विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अनिवार्य होती है किन्तु धन की कमी के कारण विकास-कार्य अधूरे ही रह जाते हैं।

(5) सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अभाव—पंचायतों का कार्य यदि सभी की भागीदारी से हो तो उसमें सफलता मिलने की आशा होती है किन्तु अधिकाश ग्रामीण विकासात्मक कार्य उन व्यक्तियों के द्वारा पूर्योगिताद्वारा है जिन्हें धनोपज्यापत्रों में अस्था होती है और उन्हीं विश्वसनीयता। राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को भग कर दिया जाता है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण न होकर पंच और सरपंच का पद प्रमुख हो जाता है। समृद्ध आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग पंचायतों पर हावी रहते हैं, जिनमें सेवा जैसी भावना विलुप्त नहीं होती।

(6) अधिकारियों में परस्पर तनाव—पंचायतों में कार्य करने वाले साधम अधिकारियों में आपसी वैमनस्य व स्वार्थ के कारण तनाव बना रहता है और वे पंचायत के हित के लिए न सोचकर

आपसी संघर्ष में लगे रहते हैं। विधायक और सांसद भी अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए पंचायती राज के अधिकारियों पर दबाव ढालते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं में नाव बना रहता है।

(7) ग्राम पंचायत की अधिकार-विहीनता—ग्राम पंचायत सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति होते हुए भी उसके पास प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का पूर्णतया अभाव है जिसके कारण विभास कार्यों में यह अपनी कोई भूमिका नहीं निभा पाती। इसे विन्दुत कुंठित बना दिया गया है, इसका कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। ग्रामसभा का अस्तित्व साल में एक या दो बार बैठकों का आयोजन कर उसे कागजी कार्यवाही बना देने तक ही सीमित है। फलतः ग्रामीण विभास योजनाओं में उसे जनता का सहयोग भी नहीं मिल पाता।

(8) सामंजस्य का अभाव—ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के मध्य कोई मामलाजन्म नहीं है—जिता स्तर तक भी समन्वय नहीं दिखाई देता। जिस तरह खण्ड-स्तर पर कार्यकर्ताओं में सामंजस्य हो वैष्णा ही जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में होना चाहिए जिसमें विकास में सम्बन्धित कार्यान्वयन सफलतापूर्वक हो सके—चूंकि विभास-खण्ड से जिला स्तर तक मामलाजन्म का अभाव रहता है, इस कारण उनके मध्य उपस्थिति विवाद पंचायती राज की गणिक को क्षीण बना देता है।

(9) योग्य कर्मचारियों का अभाव—अशिक्षा और राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण पंचायती राज सम्प्याओं का सचालन मद गति से हो रहा है—पंचायती में नुवाब भी समय पर नहीं होते, कार्यकर्ता इसके लिए प्रयास भी नहीं करते, न ही वे इसके महत्व के प्रति मजबूत हैं।

(10) योग्य नेतृत्व का अभाव—पंचायती की असफलता का एक कारण यह भी है कि नेता लोग अपने राजनीतिक एवं व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए पंचायत के धन का दुर्घटयोग करते हैं। ग्रामवासियों के कल्याण-कार्यों के स्थान पर वे कुछ लोगों के ही हित के लिए कार्य करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायती राज संस्था देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के अनुकूल नहीं है। कार्यकर्ताओं वो वोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता। माथ ही इनके विकास के लिए उचित वातावरण भी नहीं है।

उपर्युक्त कारणों ने पंचायती राज व्यवस्था को निश्चिय, दीन-हीन और अनुभावी बना दिया है। किसी समय में इन पंचायती की न्याय-प्रक्रिया में वंच-परमेश्वरी दी जानी धी आदि उभे के न्यायिक पक्ष को बिल्कुल ही विष्पृत कर दिया गया है।

पंचायती को मफल बनाने हेतु कठिपय मुझाव

राजस्थान गवर्नर विधि आयोग ने न्यायमूर्ति विनोद शर्मा दये की अप्यसत्ता में गर्भाचितन-मनन के उपरान्त 73वें संशोधन अधिनियम में निर्धारित सामनदण्डों के अनुमत्य बनेंगे पंचायती में संशोधन के लिए बतिपय महत्वपूर्ण मुझाव दिए हैं। इन मुधावों को मर्भी प्रदेशों की पंचायती को सफल बनाने के लिए अपनाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण मुझाव अनुलिपित हैं—

(1) ग्राम-सभा पंचायती राज की आधारिता है। उसकी दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

(2) दो या दो से अधिक गाँवों को मिलाकर किसी पंचायत का गठन किया जाता है, तो सम्पूर्ण गाँव को किसी एक ही पंचायत में समिलित किया जाए। ऐसा न हो कि किसी गाँव का कुछ भाग किसी एक पंचायत में रहे, और कुछ भाग दूसरी पंचायत में।

(3) एक पंचायत के लिए एक सरपंच तथा न्यूनतम 10 व अधिकतम 25 पंच होने चाहिए। सरपंचों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाए, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

(4) पंचों के चुनाव में आगु के साथ-साथ साक्षरता का मापदण्ड भी निर्धारित किया जाए। ज्यादा शैक्षिक योग्यता न हो तो भी पढ़ने-लिखने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति पंच चुना जाए।

(5) महिलाओं को साक्षरता में मापदण्ड में छूट दी जा सकती है किन्तु यदि कोई महिला एक बार पांच वर्ष तक अथवा उससे अधिक अवधि तक किसी पंचायत की पंच रह जाती है तो वह पुनः पंच के लिए तभी प्रत्याशी बन सकती जब उस अवधि में वह कुछ पढ़ना-लिखना सीख जाए।

(6) यदि कोई पंच या सरपंच वर्ष की कुल बैठकों में से एक-तिहाई बैठकों से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहे तो उसका पद रिक्त समझा जाना चाहिए।

(7) सरपंच के विस्तृद अविश्वास प्रस्ताव के लिए तीन-चौथाई बहुमत के स्थान पर दो-तिहाई बहुमत रखा जाना चाहिए।

(8) न्याय उप-समितियों की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए और पक्षकारों में पारस्परिक प्रेम, स्नेह और बधुत्व की भावना पुनः स्थापित करने के लिए राजीनामे के प्रयाग किए जाने चाहिए।

(9) न्याय उप-समिति को एक हजार तक के मूल्यांकन वाले मामलों की सुनवाई करने के बाद दो हजार तक के मूल्यांकन वाले मामलों की सुनवाई का अधिकार देना चाहिए।

(10) न्याय उप-समिति को एक हजार तक के मूल्यांकन वाले मामलों की सुनवाई करने के बाद दो हजार तक के मूल्यांकन वाले मामलों की सुनवाई का अधिकार देना चाहिए।

(11) वादी को ऐसी न्याय समिति में मामला प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाए जहाँ प्रतिवादी निवास करता हो या कारोबार करता हो।

(12) पंचायती राज सम्बांधों को ब्रह्म उपलब्ध कराने के लिए पंचायत राज-वित्त-क्रियम स्थापित करना चाहिए।

(13) प्रत्येक जिले में कम -से -कम एक ऐसे प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए जिससे निरीह व्यक्तियों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

(14) जनता को पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित कानूनों से अवगत कराने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए, जिससे जनता को पंचायतों के अधिकार और सीमाओं की जानकारी हो सके।

(15) पंचायती राज के विषय में वित्तन करने में जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि लोग ही सबसे अधिक अच्छी तरह अपनी समस्याओं व आवश्यकताओं से परिवित रहते हैं।

इम प्रकार जनता के सहयोग से पंचायती राज एक काग्र भूमिका निभा सकता है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्राम पंचायत का प्रावधान

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में एनायतों के गठन के लिए कहा गया है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी गाँव या गाँवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी अन्य क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेंगी, इस रूप में घोषित किए गए प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक पंचायत होगी।

पंचायत की संरचना-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में लिखा है कि पंचायत में एक सरपंच होगा तथा प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्षत निर्वाचित पच होगे। प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचिकों द्वारा विहित रीति से सीधा निर्वाचित किया जाएगा। राज्य सरकार ही प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए वार्डों की संख्या निर्धारित करेगी। इन बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या मामूर्ख पंचायत सर्किल में समान हो। इस अधिनियम के अनुसार तीन हजार लकड़ी जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति में 9 वार्ड होंगे। जिस पंचायत सर्किल की जनसंख्या तीन हजार से अधिक होई वही तीन हजार से अधिक के प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए दो की वृद्धि कर दी जाएंगी। इस नवीन पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत में अब केवल दो कोटि के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे—एक सरपंच और उतने पच जितने पंचायत में वार्ड होंगे। 1953 के पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत में कतिष्य निर्वाचित सदस्य, सहवारित सदस्य, सह सदस्य, उप सरपंच और पच होते थे। अब नवीन संरचना साल है तथा पूर्ववर्ती जटिलताओं को समाप्त कर दिया गया है।

स्थानों का आरसण—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की घाग 15(11) के अनुसार (क) अनुमूलित जातियों, (ख) अनुमूलित जनजातियों और (ग) शिल्डे वर्गों के लिए प्रत्येक पंचायतीराज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान आरक्षित हैं जाएंगे। इन आरक्षित स्थानों की संख्या उस इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ या न्यूनतम वही अनुपात होगा जो कि पंचायती राज संस्था थोक में ऐसे वर्गों की जनसंख्या

का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ हो। ऐसा आरक्षित स्थान, सम्बन्धित संस्था में विभिन्न वाड़ीया निर्वाचन क्षेत्र के किए चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किए जा सकेंगे। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि उपर्युक्त रीति से आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यथास्थिति, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे। इस अधिनियम की धारा 15(3) के अनुमार यह प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान जिनमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और ऐसे स्थान सम्बन्धित संस्था में विभिन्न वाड़ीया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आवंटित किए जायेंगे, जो विहित किए जायें।

सरपंच के पद पर आरक्षण—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 16 में पंचायत के सरपंच पर या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण इन वर्गों की जनसंख्या तथा राज्य की कुल जनसंख्या के निकटतम अनुपात के अनुसार किया जायेगा। आरक्षित जातियों में से कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे और उन्हें विभिन्न पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत का कार्यकाल और निर्वाचन—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17(1) ग्राम पंचायत सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल (इससे अधिक नहीं) का निर्धारण करता है। इस धारा की उपधारा (2) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा उनके सचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

इस अधिनियम की धारा 22 में निर्वाचन अपराधों, धारा 23 में निर्वाचन परिणामों के सम्यक प्रकाशन, धारा 24 में चुने गये सदस्यों तथा अध्यक्ष के शपथ तथा धारा 25 में उनके कार्यभार सम्पादी जाने सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं।

ग्राम पंचायत की बैठकें

ग्राम पंचायत की बैठक 15 दिन में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। कोई पंचायत अपने कार्यों के लिए उतारी बार भी कर सकती है जितनी बार आवश्यक हो। सापारण बैठक के लिए सात दिन तथा विशेष बैठक के लिए तीन दिन का नोटिस आवश्यक है। बैठक की सूचना में स्थान, तारीख, समय तथा विवार किए जाने वाले विषयों का वर्णन करते हुए सभी सदस्यों, सम्बद्ध अधिकारियों को भेजा जाना चाहिये। इसे पंचायत के सूचना पट्ट पर भी लगाना चाहिए। पंचायत के सदस्यों वी कुल्त सरख्या के एक-तिहाई द्वारा तिखित आग्रह पर भी बैठक बुलाई जा रावरी है।

पंचायत की बैठक की अध्यक्षता सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेगे।

ग्राम पंचायत के कार्य और शक्तियाँ

राजस्थान सरकार द्वारा प्रवर्तित पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 50 के अनुसार प्रथम अनुसूची में पंचायतों के लिए निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ निर्णायित की गई हैं—

1. साधारण कार्य—(1) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना, (2) वार्षिक बजट तैयार करना, (3) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना, (4) लोक सम्पत्तियों पर के अधिक्रमण हटाना, (5) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदान का संगठन, और (6) गांव (गांवों) की आवश्यक सांस्थिकी रखना।

2. प्रशासन के क्षेत्र में—(1) परिसरों का संरक्षण, (2) जनगणना करना, (3) पंचायत संकिल्त में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना, (4) ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदायायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना, (5) ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत संकिल्त में पहुंचे, (6) सर्वेश्वर करना, (7) पशुस्टैण्डों, खतिहानों, चरागाहों और सामुदायिक भूमियों पर नियंत्रण, (8) ऐसे मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की, जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है, स्थापना रख-रखाव और विनियमन, (9) बेरोजगारी की सांस्थिकी तैयार करना, (10) ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हों, (11) पंचायत अभिलेखों की तैयारी, संघारण और अनुसंधान करना, (12) जन्म, मृत्यु और विवाहों की ऐसी रीति और ऐसे प्रूप में रंजिस्ट्रीकरण, जो राज्य सरकार द्वारा इस नियमित मापारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना।

3. कृषि विस्तार सहित कृषि—(1) कृषि और बागवानी की प्रोन्ति और विकास, (2) चबार भूमियों का विकास, (3) चरागाहों का विकास और रख-रखाव और उनके प्राप्ति क्रूर अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना।

4. पशुपालन, डेयरी और कुक्कट पालन—(1) पशुओं, कुक्कटों और अन्य पशुपत की नस्त का विकास, (2) डेयरी उद्योग, कुक्कट पालन और सूअर-पालन की प्रोन्ति, और (3) चरागाह विकास।

5. मत्स्य पालन—(1) गांव (गांवों) में मत्स्य पालन का विकास करना।

6. सामाजिक और कार्म वानियों, लघुवन्य उपज, ईपन और चारा—(1) गांव और जिला सङ्कोचों के पाश्वों पर और उसके नियंत्रण के अपील की अन्य लोक भूमियों पर कुशों का रोगल और

परिक्षण, (2) ईंधन रोपण और चारा विकास, (3) कार्म वानिकी की प्रोन्नति, और (4) सामाजिक वानिकी और कृषिक पौधशालाओं का विकास करना।

7. लघु सिंचाई—(1) 50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण और रख-रखाव।

8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग—(1) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना, और (2) ग्रामीण क्षेत्रों के काव्यदे के लिए चेतना शिक्षियों, सेमीनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

9. ग्रामीण आवासन—(1) अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवटन, और (2) आवासों, स्थलों और अन्य निजी तथा लोक सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख रखना।

10. पेयजल—(1) पेयजल कुओं, जलाशयों और ताताबों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव, (2) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, और (3) हैण्ड पम्पों का रखरखाव और पम्प और जलाशय योजनाएं बनाना।

11. सड़कें, भवन, पुलियाएं, पुल, नीपाट, जलपार्श और अन्य संचार साप्तन—(1) ग्राम सड़कों, नालियों और पुलियाओं का निर्माण और रख-रखाव, (2) अपने नियंत्रण के अधीन के या साकार या किसी भी लोक प्राप्तिकरण द्वारा उसे अन्तरित भवनों का रख-रखाव और, (3) नावों, नीपाटों और जल मार्गों का रखरखाव करना।

12. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख-रखाव सम्मिलित है।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत—(1) गैर-परम्परागत ऊर्जा कार्यक्रमों की प्रोन्नति और रख-रखाव, (2) सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमें गोबार गैस संयन्त्र सम्मिलित है, रख-रखाव और (3) विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार करना।

14. गरीबी उम्मूलन कार्यक्रम—(1) अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के मुद्रन के लिए गरीबी उम्मूलन सम्बन्धी जन चेतना को और उसमें भागीदारी को प्रोन्नत करना, (2) ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन, और 3 उम्मूलन के प्रधारी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में भाग लेना।

15. गिरधा प्राथमिक—(1) समग्र साकारता कार्यक्रम के लिए तोग देना प्रोन्नत करना और ग्राम गिरधा समितियां में भाग लेना, और (2) प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध में लड़कों का और गिरोग स्पष्ट में लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति मुनिशित करना।

16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा—(1) प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्त करना और उसका अनुबोधन करना।

17. पुस्तकालय—(1) ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था करना।

18. सांस्कृतिक क्रियाकलाप—(1) सामाजिक और सास्कृतिक क्रियान्वयन वो प्रोन्त करना।

19. बाजार और मेले—(1) मेलों में (पशु मेलो सहित) और उत्तरों का विनियमन करना।

20. ग्रामीण स्वच्छता—(1) सामान्य स्वच्छता रखना, (2) लोक सड़ों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थानों की गफाई, (3) शमशान और कृषिसामान भूमियों का रख-रखाव और विनियमन, (4) ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पार्कों, स्नान स्थलों और सोक पिटों इत्यादि का निर्माण और रख-रखाव। (5) अदावामृत शब्दों और जीव-जन्म शब्दों का निपटान, और (6) धोने और स्नान के पाटों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करना।

21. लोकस्वास्थ्य और पीड़िवारकल्याण—(1) पीड़िवारकल्याण कार्यक्रमों का शियान्वयन, (2) महामारी की धोक और उपचार के उपाय, (3) मौसी, मछली और अन्य विनश्वर राशि पदार्थों के विकाय का विनियमन, (4) मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना, (5) राने और मनोरंजन के स्थानों का अनुशासन, (6) आवारा कुत्तों का नाशन, (7) रातों और घमडों के सामरण, चर्मशोषण और राई का विनियमन, और (8) आपाराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनियमन करना।

22. महिला और बाल विकास—(1) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के शियान्वयन में भाग लेना, (2) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषणाहार कार्यक्रमों वो प्रोन्त करना, और (3) भीगन-बाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण करना।

23. विकासों और मंदसुदृढ़ वातों के कल्याण सहित समाज कल्याण—(1) रिस्ताओं, मंदसुदृढ़ वातों और निराभितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के शियान्वयन में भाग लेना, और (2) तृप्त और शिवाय पेशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

24. कमज़ोर वर्गों और विरोधवत्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण—(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मिलडे वर्गों और अन्य कमज़ोर वर्गों के सम्बन्ध में जनजागृति को प्रोन्त करना, और (2) कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए शिखिरिह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना।

25. लोक विताण व्यवस्था—(1) आवश्यक वस्तुओं के विताण के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्त करना, और (2) लोक विताण व्यवस्था का अनुबोधन करना।

26. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव—(1) सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव करना तथा 2 अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख-रखाव करना।
27. धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का निर्माण और रख-रखाव।
28. पशुओं, पोखरों और गाड़ी स्टेंडों का निर्माण और रख-रखाव।
29. दूचड़खानों का निर्माण और रख-रखाव।
30. तोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रख-रखाव।
31. लोक स्थानों में खाद के गड्ढों का विनियमन।
32. राराव की दुकानों का विनियमन।
33. पंचायतों का सामान्य शक्तियाँ

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना, और विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन विनिर्दिष्ट की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

राज्य सरकार का नियंत्रण—राजस्थान के नवीनतम अधिनियम 1994 की पारा 92 से लेकर भाग 115 द्वारा राज्य सरकार, पंचायत सहित सभी पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासन सम्बन्धी रामस्त विषयों मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी होगी और किसी पंचायतीराज संस्था और उसकी स्थायी समिति द्वारा पारीत सज्जन्य या आदेश को लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकती। इन पाराओं में मुख्यत 1994 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग, शक्तियों के निष्पादन से मानव जीवन, व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा या सम्पत्ति को खतरा होने की संभावना, या शाति भंग होने की संभावना, अधिनियम द्वारा अधिरोपित किसी कृत्य के पालन में पश्चात की दोषी हो, या सशमनहीं है, राज्य सरकार उन्हिं कार्यवाही कर सकती है। राज्य सरकार किसी पंचायतीराज संस्था के स्थानों की सट्टा में भी परिवर्तन कर सकती है।

स्थानीय वित आयोग तथा निर्वाचन आयोग का गठन—राजस्थान सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के ग्रावपानों के अनुसारण में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को गुह्य बनाने एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले करों के सम्बन्ध में राय देने तथा राज्य सरकार के वित्तीय स्रोतों में से स्थानीय संस्थाओं को दिए जाने वाली सहायता के आधार सुझाने हेतु पूर्व मत्री व पूर्व सासद कृष्ण कुमार गोदल की अध्यक्षता में 1994 के प्रारम्भ में प्रथम स्थानीय वित आयोग का गठन कर दिया गया है।

निष्कर्ष—यह कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य सरकार के पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के जारी करने से ग्राम स्तर पर ग्राम-सभा और ग्राम पंचायत की सर्वतों में व्यापक परिवर्तन आ गए हैं।

पंचायत समिति

बलवत राय मेहता समिति ने ग्रामीण विकास के लिए विस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील अथवा खण्ड स्तर पर पचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। कई ग्राम पंचायत मिलकर पचायत समिति का गठन करती है और कई पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद का गठन करती हैं। इस समय सम्पूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 4500 पंचायत समितियाँ कार्यरत हैं।

मेहता सभिति के मुद्दाव के अनुसार पचायती राज के प्रबर्तन के पश्चात् ग्रामीण विकास को गतिशील बनाने की दृष्टि से प्रत्येक जिले को कुछ विकास खण्डों में विभाजित किया गया। इसी विकास खण्ड को पचायत सभिति कहा गया। यह विकास खण्ड इकाई तहसील नामक राजस्व इकाई के भौगोलिक क्षेत्र में मिलती-जुलती है। इनका सेत्राधिकार और भौगोलिक क्षेत्र भिन्न है। तहसील राजस्व कार्य करती है। वही विकास खण्ड नागरिकों का बहुमुखी विकास के लिए नियोजन और योजनाओं को कार्यान्वित करने की एजेंसी है।

73 वे सविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सभी राज्यों में पंचायत समिति में एकरूपता आ गई है। पूर्व में इसमें एकरूपता नहीं थी। सविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व सभी राज्यों में इसकी सरचना में निर्वाचित, पदेन, सहयोगी और सहयोगित सदस्य सम्मिलित किए जाते थे। पंचायत समिति के कार्यकरण में राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों एवं उनकी महिलाओं को पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व देने के लिए उनका सहबरण का प्रावधान था। कुछ राज्यों में पंचायत समिति क्षेत्र की सहकारी समितियों तथा सार्वजनिक जीवन, लोक-प्रशासन तथा श्रामीण विकास का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व देकर उनके विशेष ज्ञान का जनहित में साधन का प्रावधान किया गया था।

अब 73 वें संविधान सभोधन अधिनियम के 1993 में प्रवर्तन के बाद भारत के सभी राज्यों में पचायत समिति की सरचना में परिवर्तन करके एक रूपता स्थापित की गई है।

राजस्थान में पंचायत समिति की संरचना

पहले राजस्थान में पचायत समिति की सत्वना राज्य के 1959 के अधिनियम पर आधारित थी। इस अधिनियम के अनुसार पचायत समिति में उस क्षेत्र की सभी पचायतों के सरपंच, पचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित विद्यान सभा के सदस्य और सम्बन्धित उपराण अधिकारी (एस डी ओ.) पदेन सदस्य होते थे। इनके अतिरिक्त कठिपय निर्वाचित सदस्यों, सहयोगित व गटवरित सदस्यों एवं सह सदस्यों की सदस्यता का भी प्रावधान था।

अब राजस्थान पचाशी राज अधिनियम, 1994 के द्वारा इसमें 73वें संशोधन के अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है तथा इसकी संरचना अग्र प्रकार होगी—

अब पंचायत समिति में उसके अधिकारिता के क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के सरपंच पदेन सदस्य नहीं होंगे अपितु सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र को कतिपय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा और उन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जायेंगे और वे अपने-अपने क्षेत्र का पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि एक लाख तक की बनसंख्या वाली पंचायत समिति के क्षेत्र में प्रत्यक्षत निर्वाचन के लिए 15 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जायेंगे और जिस पंचायत समिति की बनसंख्या एक लाख से अधिक हो, प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिए 15 की उक्त न्यूनतम संख्या में 2 की वृद्धि की जायेगी। पंचायत समिति की उपर्युक्त संचना में प्रत्यक्षत चुने जाने वाले सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

कार्यकाल और निर्वाचन—राज्यों की सरकारों विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव या तो समय पर नहीं करवाती धीं या निर्वाचित निकायों को समय से पूर्व भंग कर देती थीं। केन्द्रीय सरकार के लिए यह गम्भीर चिन्ता का विषय था। इसको नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 73 वे संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होगा तथा संस्थाओं का निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही उसके नए चुनाव करवाए जाने चाहिए। इस प्रावधान का अनुसरण करते हुए राजस्थान सरकार ने अपने नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यही व्यवस्था कर दी है।

पंचायत समिति के पदाधिकारी—पंचायत समिति में ग्राम पंचायत से सीधे चुने गए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रधान, उप-प्रधान, विकास अधिकारी और प्रसार अधिकारी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं जो पंचायत समिति का कार्य संचालन करते हैं। प्रधान और उप-प्रधान पंचायत समिति में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जबकि विकास अधिकारी एवं अन्य प्रसार अधिकारी राज्य की नियमित लोक सेवा के अग होते हैं।

पंचायत समिति की बैठकें, गणपूर्ति और अधिकारी—राजस्थान में 1994 के अधिनियमानुसार पंचायत समिति एक माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी। पंचायत समिति के बुला सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों के निवेदन पर 15 दिन के अन्दर प्रधान को बैठक बुलानी होगी। सामान्य बैठक के लिए 10 दिन तथा विशेष बैठक के लिए 7 दिन का नॉटिस देना आवश्यक है। नॉटिस में बैठक का समय, स्थान, दिन तथा विचार किए जाने वाले विषयों को स्पष्ट करना आवश्यक है।

किसी भी पंचायती राज संस्था की बैठक के लिए एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निरचित समय पर गणपूर्ति न होने पर बैठक का अध्यक्ष 30 मिनट तक प्रतीक्षा करेगा और इसके उपान्त भी गणपूर्ति अर्थात् एक-तिहाई सदस्य नहीं होते हैं तो अगले दिन या नियमित लिए गए भारी दिन तक के लिए स्थगित बार देगा। अगली बैठक में गणपूर्ति होती है या नहीं, विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात् इस बैठक में गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं है।

सम्बन्धित पंचायती राज संस्था की बैठक की अध्यक्षता उस संस्था का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्षता के लिए चुनेंगे। बैठक में सभी प्रस्तों, विषयों आदि का निर्णय बहुमत से किया जाएगा। पक्ष और विपक्ष के मत समान होने पर निर्णयक भी मत दे सकता है।

पंचायत समिति के कार्य एवं शार्कियाँ—ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति को विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दायित्व दिया गया है। 1994 की अधिनियम की द्वितीय अनुमूलिक में राज्य की पंचायत समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं शार्कियों का विवरण दिया गया वो निम्न है—

1. साधारण कृत्य—(1) अधिनियम के आधार पर सौंपिया गये और सरकार द्वारा जिला परिषद द्वारा समनुदेशित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और उन्हें जिला योजना के माध्य एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर जिला परिषद को प्रस्तुत करना, (2) पंचायत समिति क्षेत्र में की सभी पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समेकित करना और जिला परिषद को समेकित योजना प्रस्तुत करना, (3) पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना, (4) ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का नियादन करना जो उसे सरकार द्वारा जिला परिषद द्वारा सौंपे जायें, और (5) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना।

2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि—(1) कृषि और वाणिजीकी की प्रोन्नति और विकास करना, (2) वाणिजीकी पौधशालाओं कारख-रखाव करना, (3) ग्रजटीकृत बीज उगाने वालों को बीजों के वितरण में सहायता करना, (4) खाद्यों और उर्वरकों को तोङ्प्रिय बनाना और उनका वितरण करना, (5) खेती के समुन्नत तरीकों का प्रचार करना, (6) पौध मरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुभाव नकदी प्रसंतों का विकास करना, (7) सन्त्रियों, कल्पों और फूनों की खेती को प्रोन्नत करना, (8) कृषि के विकास के लिए साड़े सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना, और (9) कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसार क्रियाकलाप करना।

3. भूमि सुधार और मृदा संरक्षण—सरकार के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना।

4. लघु मिंचाई, जल-प्रबन्ध और जल-विभाजक विकास—(1) लघु मिंचाई कार्यों, एनिक्टों, लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई कुओं, बौंपों, कच्चे बैंधों का निर्माण और गु-रखाव, और (2) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।

5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम—गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, विशेष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण सुवा भवरोडगांग प्रशिक्षण, मह विकास कार्यक्रम, मृदा मधाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, बनजाति क्षेत्र विकास, परावर्तित क्षेत्र विकास उपगमन, अनुमूलित जाति विकास ग्राम कार्यक्रमों आदि का आयोजन और कार्यान्वयन करना।

6. पशुपालन, डेचरी और कुक्कट पालन—(1) पशु विकित्सा और पशुपालन सेवाओं का निरीक्षण और रख-रखाव, (2) पशु, कुम्कुट और अन्य पशुधन की नस्त को सुधार करना, (3) डेचरी उद्योग, कुक्कट पालन और मूजर पालन की प्रोन्ति, (4) महामारी और सांसार्गिक बीमारियों की रोकथाम, और (5) समुन्नत चारे और दाने का पुनर्स्थापना करना।

7. मत्स्य पालन—मत्स्य पालन विकास को प्रोन्ति करना।

8. छादी, ग्राम और कुटीर उद्योग—(1) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्ति करना, (2) सम्मेलनों, गौष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना, (3) मास्टर शिल्पी से, और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में, बेरोजगारी ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण और, (4) बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का लोकप्रिय बनाना।

9. ग्रामीण आवासन—आवासन योजनाओं का कार्यान्वयन और आवास उधार किस्तों की वसूली करना।

10. पेयजल—(1) हैण्डपम्पों और पंचायतों की पाप्य और जलाशय योजनाओं की देखरेख करना, उनकी मरम्मत और रखरखाव, (2) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का रख-रखाव, (3) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और (4) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

11. सामाजिक और फार्म वानिकी, ईथन और चारा—(1) अपने नियंत्रण के अधीन की सहको के पाश्वों और अन्य लोक भूमियों पर, विशेषत नराणाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण, (2) ईथन रोपण और चारा विकास, (3) फार्म वानिकी की प्रोन्ति और, (4) बंजर भूमि का विकास करना।

12. सइके, भवन, पुलियाएं, पुल, नीपाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन—(1) ऐसी स्तोक सहको, नालियों, पुलियाओं और अन्य संचार साधनों का, जो विस्तीर्णी भी अन्य स्थानीय प्राप्तिकरण या साकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है, निर्माण और रख-रखाव, (2) पचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख-रखाव, और (3) नावों, नौधाटों और जल मार्गों का रख-रखाव करना।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत—गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों विशेषत सौरप्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियों की प्रोन्ति और रख-रखाव करना।

14. प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा—(1) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्प्रिति बरते हुए प्राथमिक शिक्षा, विशेषत बालिका शिक्षा, का संचालन, (2) प्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासों का निर्माण, परम्परत और रख-रखाव, (3) युवा क्लबों और महिला मण्डलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की प्रोन्ति, और (4) अनुसूचित जनगति/अनुसूचित जनगति/

अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्तियों, पोशाकों और अन्य प्रोत्साहनों का वितरण करना।

15. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा—ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति करना।

16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा—(1) सूचना, सामुदायिक मनोरजन केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना, और (2) प्रौढ़ साक्षता का क्रियान्वयन करना।

17. सांस्कृतिक क्रियाकलाप—सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों की प्रोन्नति करना।

18. बाजार और मेले—पशु मेलों सहित मेलों और उत्सवों का विनियमन करना।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण—(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, (2) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों की देखरेख करना, (3) मेलों और उत्सवों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता, और (4) औषधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, धूमादी, होम्योपैथिक) सामुदायिक और ग्राम्यस्थिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों आदि का निरीक्षण और नियंत्रण करना।

20. महिला और बाल विकास—(1) महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, (2) एकीकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषणाहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, (3) महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोन्नत करना, (4) आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूह बनाना और सामग्री के उपापन तथा विपणन में सहायता करना।

21. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित कल्याण—(1) विकलांगों, मंदबुद्धि वालों और निराधितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम करना, और (2) वृद्ध और विषवा पेंशन और विकलांग पेंशन मंजूर करना।

22. कमज़ोर वर्गों और विशिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण—(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमज़ोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति करना, और (2) ऐसी जातियों और वर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से सरक्षा करना।

23. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव—(1) अपने मेरिहित या सरकार द्वारा या किसी भी स्वानीय प्राधिकरण या संगठन द्वारा अन्तरित सभी सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव करना और (2) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिवहन और एउरखाव करना।

24. सांखिकी—ऐसी सांखिकी का संग्रहण और संकलन जो पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पायी जाये।

25. आमात सहायता—अभि, बाढ़, महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले में सहायता करना।

26. सहकारिता—सहकारी गतिविधियों को, सहकारी समितियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण में सहायता करके प्रोनंति करना।

27. पुस्तकालय—पुस्तकालयों की प्रोनंति करना।

28. पंचायतों का उनके सभी क्रियाकलापों और गौव और पंचायत योजनाओं के निर्माण में पर्यवेक्षण और पार्श्वदर्शन।

29. प्रकीर्ण—(1) अन्य बचतों और बीमा के माध्यम से भितव्ययिता को प्रोत्साहित करना, और (2) पशु बीमा सहित दुर्घटना, अभि, मृत्यु आदि के मामलों में सामाजिक बीमा दावे तैयार करने और उनके संदाय में सहायता करना।

30. पंचायत समितियों की साधारण शक्तियाँ—इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये, राजनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुंयांगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्णगामी रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

जिला परिषद

बी आर मेहता ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जो त्रि-स्तरीय योजना का सुझाव दिया था उसमें जिला परिषद सर्वोच्च इकाई थी। मेहता समिति ने छण्ड स्तर पर स्थापित पंचायत समिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इसीलिए इस समिति ने जिला स्तर पर किसी प्रभावशाली सत्था की आवश्यकता नहीं समझी। समिति की यह भी मान्यता थी कि यदि दोनों स्तरों (छण्ड एवं जिला) पर प्रभावशाली सम्याएं स्थापित कर दी गई तो उसमें पास्पर टकराव, सर्पर्य, रिहाव एवं ताव की सम्भावनाएं बढ़ जायेगी। इसीलिए इस मेहता समिति ने जिला स्तर पर जिला परिषद को एक प्रभावशाली एवं केन्द्र पर्यवेक्षकीय इकाई के रूप में घोषे का सुझाव दिया। इस समिति ने इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण वी सर्वोच्च सम्या 'जिला-परिषद' को मीलिक कार्यक्रेत्र एवं महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने के स्थान पर इसे भाग्ने अधीन गठित की जाने वाली पंचायत समितियों, एवं उनके हेत्रों की ग्राम पंचायतों के निदेशन, पर्यवेक्षण, नियन्त्रण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य ही दिया था। बैता कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, 'जिला-परिषद' जिला स्तर पर गठित एक ऐसी सम्या एवं रांगठन है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जिलों में विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन करने में पर्यवेक्षक वी भूमिका कुरातापूर्वक कर रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह बात यान्मो

- अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन विनियमित किए गए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य,
- ऐसे निर्वाचन का प्रतिनिपित्त करने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जिनमें जिला परिषद क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागत समाविष्ट हो, और
- जिला परिषद क्षेत्र के निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य।

छण्ड 'ख' और 'ग' में निर्दिष्ट सदस्यों पिछडे वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवक्षित किए जाएंगे। इन प्रत्येक वर्ग में किए गए आवक्षित स्थानों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आवक्षित किए जायेंगे।

जिला परिषद का कार्यकाल एवं निर्वाचन—अन्य पंचायती राज संस्थाओं की भाँति जिला परिषद का कार्यकाल भी पौँच वर्ष का होगा। राज्य के निर्वाचन आयोग पर इनके चुनाव कराने का दायित्व रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक के अधीन विहित रीति से निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करवाया जायेगा।

जिला परिषद की बैठकें, गणपूर्ति

(1) **बैठकें—**जिला परिषद प्रत्येक त्रिमास में कम-से-कम एक बैठक करेगी। यह बैठक पूर्ववर्ती बैठक में निश्चित किए गए स्थान और समय में होगी। बैठक का स्थान जिला परिषद की स्थानीय सीमा में रखा जाएगा। सेविन किसी नवगठित जिला परिषद की प्रथम बैठक जिला परिषद मुख्यालय पर होगी जिसका समय और स्थान जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रमुख जब उचित समझे बैठक बुला सकता है। जिला परिषद के एक तिहाई सदस्यों की लिखित माँग किए जाने पर प्रमुख 10 दिन के अन्दर बैठक आयोजित करेगा।

(2) **गणपूर्ति—**किसी भी पंचायतीराज संस्था जिसमें जिला परिषद भी सम्मिलित है, की बैठक में गणपूर्ति के लिए एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अध्यक्षता करने वाले अधिकारी बैठक की गणपूर्ति नहीं होने पर निश्चित समय से आधे घण्टे तक इन्तजार करने के बाद बैठक को स्थगित करेगा तथा अगली बैठक का दिन एवं समय निश्चित करेगा। ऐसी बैठक का नोटिस जिला परिषद के कार्यालय पर चिपका दिया जायेगा तथा गणपूर्ति पर विवार नहीं किया जायेगा।

जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख और उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रमुख द्वारा की जाएंगी। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे। यह चुना हुआ व्यक्ति हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए।

जिला परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ—राजस्थान राज्य के नवीनतम अधिनियम में जिला परिषद के अग्र कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान रखा है—

1. साधारण कृत्य—जिते के आधिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, और ऐसी योजनाओं का, अगली मद्दों में प्रगति विषयों सहित विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2. कृषि—(1) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के और समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियों के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायों को प्रोत्तत करना, (2) कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का सचालन करना, (3) कृषि को प्रशिक्षण दिलवाना, एवं (4) भूमि सुधार और भूमि संरक्षण करना।

3. लघु सिंचाई, भू-जल स्रोत और जल-विभाजक विकास—(1) 'ग' और 'घ' वर्ग के 2500 एकड़ तक के लघु सिंचाई संकर्मों और लिटर सिंचाई संकर्मों का सन्निर्माण, नवीकरण और रख-रखाव करना, (2) जिला परिषद के नियंत्रणाधीन सिंचाई योजनाओं के अधीन जल के समय पर और समान वितरण और पूर्ण उपयोग तथा सबस्व वसूली के लिए उपबन्ध करना, (3) भू-जल स्रोतों का विकास, (4) सामुदायिक पर्यावरण सैट लगाना, और (5) जल-विभाजक विकास कार्यक्रम को पूर्ण करना।

4. बागवानी—(1) ग्रामीण पाके और उद्यान, और (2) फलों और सब्जियों की द्वेषी करवाना।

5. सांस्थिकी—(1) पंचायत समितियों और जिला परिषद के क्रियाकलालों से सम्बन्धित सांस्थिकीय और अन्य सूचना का प्रकाशन, (2) पंचायत समितियों और जिला परिषद के क्रियाकलालों के लिए आपेक्षित आँकड़ों और अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग, और (3) पंचायत समितियों और जिला परिषद को सौंपी गयी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का सावधिक पर्याल और मूल्यांकन करना।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण—(1) ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति का मूल्यांकन करना, और (2) कनेक्शन, विशेषरूप से विद्युत कनेक्शन, कुटीर ज्योति और अन्य कनेक्शन करवाना।

7. मृदा संरक्षण—(1) मृदा संरक्षण कार्य, और (2) मृदा विकास कार्य करना।

8. सामाजिक वारिकी—(1) सामाजिक और कार्म वानिकी, बागान और चारा विकास को प्रोत्तत करना, (2) बंबर भूमि का विकास, (3) वृक्षारोपण कंतिल-आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषिक पीधरालालों को प्रोत्साहन, (4) वन भूमियों को छोड़कर, वृक्षों का रोपण और रखरखाव, और (5) राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर, सड़क के किनारों-किनारों वृक्षारोपण करना।

9. पर्यावरण और ढेयरी—(1) जिला और रैफरल अस्तातों को छोड़कर, पर्यावरणिक सालयों की स्थापना और रखरखाव, (2) चारा विकास कार्यक्रम, (3) ढेयरी उद्योग, कुकर

पालन और सुआर पालन को प्रोन्नत करना और (4) महामारी और सांसारिक रोगों की रोकथाम करना।

10. मत्स्य पालन—(1) मत्स्य पालक विकास एजेन्सी के समस्त कार्यक्रम, (2) निर्बी और सामुदायिक जलाशयों के मत्स्य संवर्धन का विकास, (3) पारम्परिक मत्स्यापन में सहायता करना, (4) मत्स्य विषणु सहकारी समितियों का गठन करना, और (5) मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण कार्यक्रम आयोजित करना।

11. घोलू और कुटीर उद्योग—(1) पारिषेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घोलू उद्योगों का विकास करना, (2) कच्चे माल की आवश्यकताओं का निर्धारण करना, (3) पार्वतीनगरील उपभोक्ता माँग के अनुतार डिजाइन और उत्पादन करना, (4) कारीगरों और शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजना करना, (5) उप-मद (4) के अधीन के कार्यक्रम के लिए दैनंदिन दिलवाने हेतु सम्पर्क करना, और (6) खादी, हाथकर्म, हस्तकला और ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना।

12. ग्रामीण सड़कें और भवन—(1) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न सड़कों का निर्माण और रख-रखाव करना, (2) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न मार्गों के नीचे आने वाले पुल और पुलियाएं, (3) जिला परिपद के कार्यालय भवनों का निर्माण और रख-रखाव, (4) बाजार, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य सम्पर्क सड़कों और आन्तरिक देशों से सम्पर्क सड़कों की पहचान, और (5) नयी सड़कों के लिए और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमियों का स्वैच्छिक अप्पर्पण कराना।

13. स्वास्थ्य और स्वास्थिकी—(1) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, उप-केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव, (2) आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनारी औषधालयों की स्थापना और रख-रखाव, (3) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, (4) स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलाप, (5) मातृत्व और शिक्षा क्रियाकलाप, (6) परिवार कल्याण कार्यक्रम, (7) पचायत समितियों और पचायतों की सहायता से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, और (8) पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय करना।

14. ग्रामीण आवासन—(1) बेघर परिवारों की पहचान, (2) जिसे में आवास-निर्माण का क्रियान्वयन, और (3) कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना।

15. शिक्षा—(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रख-रखाव सहित शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोन्नत करना, (2) प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, (3) ग्रामीण देशों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कार्य, और (4) शैक्षणिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना।

16. मपाड़ कल्याण और कमज़ोर वर्गों का कल्याण—(१) अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रवृत्तियों, वृत्तिकार्यों, बोहींग अनुदान और पुण्यकों और अन्य उपमाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा मुद्रियाओं का विस्तार, (२) विद्यारथा उच्चालन और माधारण शिक्षा के लिए नई विद्यालयों, घाल वार्डों, गत्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का संगठन करना, (३) अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए आदर्श कल्याण बेंडों और गिल्ड बेंडों का संचालन, (४) अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के मदम्हा द्वारा उन्नाटित माल के विपणन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, (५) अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महत्वात्मक मिलियों वर्ग गठन करना, और (६) अनुमूलित जातियों, अनुमूलित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का अभियान व क्रियान्वयन, (७) गरीबों उच्चालन कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मूल्यांकन करना और क्रियान्वयन करना।

18. मपाड़ मुधार क्रियाकलाप—(१) मरिला मंगढ़न और कल्याण, (२) घान मंगढ़न और कल्याण, (३) स्थानीय आवागणीय का निवारण, (४) विधवा, वृद्ध और गार्भात्तिक स्वयं से विश्रान्ति निलक्षितों के लिए देशों की और देशों वर्गों और अन्तर्जातीय विवाह के सुरक्षा, जिनमें में एक किमी अनुमूलित जाति या किमी अनुमूलित जनजाति का मदम्हा हो, के लिए भर्तों की मंजूरी और विवाह की देखेगु रक्षा, (५) अमि नियंत्रण, (६) अन्यविवाहम्, जातिवाद, छुआदूत, नगाड़ोंगी, खर्चीले विवाह और मामाकिक ममारों, दंडन तथा दिग्गजवारी उपभोग के विषद् अभियान, (७) मामुदाधिक विवाह और अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्तमाहित करना, (८) आर्थिक अभियान, जैमें तप्तिकी, कर वंचन, घाटा अपर्याप्ति के विषद् मनकर्ता, (९) भूमिकीन श्रमिकों को मौर्गी गर्भी भूमि का विकास करने में महायता, (१०) जनजातियों द्वारा अन्य मंत्रित भूमियों का पुनर्गठन, (११) बन्धुआ मंडडुरे की पहचान करना, उन्हें सुक बनाना और उनका पुनर्वास, (१२) माम्बूलिक और मदोरवन क्रियाकलापों का आयोजन करना, (१३) खेल-कृद और उन्होंनों को प्रोत्तमाहन तथा ग्रामीण स्टेटियनों का निर्माण, (१४) पार्श्वाधिक उन्नयों को नेता मन्त्रदेवा और उन्हें मपाड़-प्रिय बनाना, (१५) निजनितित के काष्ठान में निवृद्धिता और वचन की प्रोत्तनि करना—(क) वचन की आदतों की प्रोत्तनि, (७) अन्य वचन अभियान, (८) कृद मातृतारी प्रदाताओं और ग्रामीण क्रष्णग्रामना के विषद् लक्षण।

19. बिनारामिदों वर्ग माधारण गतियों—इस अधिनियम के अधीन मौन, दात्रयादेवित किये गये कृदों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मर्पी कार्य करना और निवृद्धिति के लिए आवश्यक गतियों का प्रयोग करना—(१) सोक उद्योगिता के किमी भी कार्द का दा उमने निर्माण या उपके विद्युत या ग्राम्य के अधीन की किमी मंस्या का प्रदम्हा और ग्रामीण, (२) ग्रामीण गांवों और बाजारों का अवैन और सु-स्वाच, (३) पक्षायन मिलियों दा पवारनों को नदर्व अनुदानों का

वितण करना और उनके कार्य का समन्वय करना; (4) कष्ट निवारण के उपायों को अंगीकार करना, (5) जिले में पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को समन्वित और एकीकृत करना, (6) जिले में पंचायत समितियों के बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और उन्हें मंजूर करना, (7) एकाधिक खण्डों में विस्तृत किसी कार्यक्रम को हाथ में लेना और निष्पादित करना, (8) जिले में पंचों, सरपंचों, प्रधानों और पंचायत समितियों के सदस्यों के शिविरों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन करना, (9) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा करना, और (10) किन्हीं विकास कार्यक्रमों को जो लगे हुए दो या अधिक जिलों की जिला परिषदों के बीच में परस्पर तथ पायी जायें, संयुक्त रूप से हाथ में लेना और निष्पादित करना।

निष्कर्ष—यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज संस्था का क्रमशः विकास होता रहा है। इसमें राजस्थान राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्य किया गया है। यह सर्वदा इसके विकास में अग्रणी रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि सम्पूर्ण भारत में निकट भविष्य में पंचायती राज द्वारा राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण की सहभागिता स्थापित हो जाएगी तथा गाँधीजी के सब्चे स्वराज की स्थापना की सम्भावना बढ़ती नजर आ रही है।

प्रश्न

1. ग्राम पंचायतों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए।
2. 73वें संविधान संशोधन में किए गए पंचायतीराज से सम्बन्धित प्रावधानों का विवेचन कीजिए।
3. राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में किए गए ग्राम सभा सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।
4. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की समीक्षा कीजिए।
5. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, खिड़डे वांगों एवं महिलाओं के लिए पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।
6. पंचायती राज से आपका क्या आशय है? ग्रामीण पुनर्निर्माण में इसकी क्या भूमिका है?
7. पंचायती राज के इतिहास पर एक दृष्टि ढालते हुए स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों के गठन पर प्रकाश डालिए।
8. पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था को समझाइए। (एक पृष्ठ में)

(मा.शि.बो. अन्नमर, 1994)

9. ग्रामीण पुनर्निर्माण में ग्राम पंचायतों का क्या महत्व है? विभिन्न धरों में इसके कार्यों को बताइए।
10. पंचायतों की अमाफलना के कारणों का उत्तरण कीजिए।
11. पंचायतों को माफल बनाने तेतु क्षिप्रतय मुझाव दर्शिए। (पा.गि.बो. अजया, 1995)
12. ग्राम पंचायत के कार्यों की सिवेचना कीजिए। (एक पृष्ठ में)

(पा.गि.बो. अजया, 1995)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. विस्तारित वाक्यों में कोशकों में दिण् गए गद्यों में मे उपयुक्त उत्तरका चयन करके ग्राम स्थानों की पूर्ण कीजिए—
 - (1) ग्राम मनापर पंचायतों का संगठन तीन भागों में विभाजित है। इने कहते हैं। (ग्राम पंचायत/विस्तारिय व्यवस्था)
 - (2) एक गाँव के सभी वयस्क सदस्य के मदम्य होते हैं। (ग्राम-सभा/व्याय पंचायत)
 - (3) कई ग्राम पंचायतों मिलकर एक का निर्माण करती है। (विकास समूह/ग्राम सभा)
 - (4) बिला मना पर की स्थाना वी जाती है। (बिला परिवद/पंचायत ममिति)
 - (5) छाण मना पर की स्थाना वी जाती है। (ग्राम सभा/पंचायत ममिति)

उत्ता—(1) विस्तारिय व्यवस्था, (2) ग्राम सभा, (3) विकास समूह, (4) बिला परिवद, (5) पंचायत ममिति

2. विस्तारित वाक्यों को पूरा कीजिए—
 - (1) ग्राम में निवास करने वाला पुन्येष वयस्क व्यक्ति का मदम्य होता है।
 - (2) ग्राम सभा का मदम्य बनने के लिए व्यक्ति वी कम-से-कम उम्र होनी चाहिए।
 - (3) पंचायती ग्राम संगोष्ठी अधिकारियम वी गढ़वाली वी मीमुनि मिल गई।

(4) अब सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बना लिए गए हैं।

उत्तर—(1) ग्राम सभा, (2) 18, (3) 24 अप्रैल, 1993, (4) पंचायती राज कानून

लघु-उत्तरीय प्रश्न

1. ग्राम-पंचायतों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
2. ग्राम-सभा को स्पष्ट कीजिए।
3. ग्राम पंचायत के आवश्यक कार्यों पर प्रकाश डालिए।
4. ग्राम पंचायत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान पर प्रकाश डालिए।
5. पंचायत समिति की कार्य प्रणाली बताइए।
6. जिला-परिषद् के कार्य बताइए।

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

1. पंचायती राज अधिनियम, 1993।
2. ग्राम पंचायतों के सामाजिक कार्य।
3. पंचायतों को सफल बनाने हेतु 5 सुझाव दीजिए।
4. ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार द्वारा बनाए गए तीन संवैधानिक प्रयास।
5. पंचायतों की असफलता के तीन कारण बताइए।
6. ग्राम सभा की असफलता के तीन कारण बताइए।
7. ग्राम सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताइए।
8. पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताइए।
9. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताइए।
10. जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताइए।
11. केन्द्र सरकार द्वारा पारित, 13वें मंशोधन, मी. तीम, मुख्य व्यापों बताइए।
12. राजस्थान सरकार द्वारा पारित पंचायती राज से सम्बन्धित दो अधिनियमों को बताइए।

अध्याय - 19

विवाह, परिवार तथा जाति से सम्बन्धित सामाजिक विधान

(Social Legislation related to Marriage,
Family and Caste)

राज्य समय-समय पर सामाजिक समस्याओं के समाधान करने के लिए जो कानून पारित करता है उन्हे सामाजिक विधान कहते हैं। सामाजिक विधानों का उद्देश्य सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखना है। सामाजिक व्यवस्था एक गत्यात्मक संगठन है। इनमें परिवर्तन होता रहता है। नई-नई परिस्थितियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, अन्यविवरास और प्रतिकूल प्रयाएँ, रुदियाँ आदि बनती तथा पनपती रहती हैं। इनको नियंत्रित करने, सुपार करने तथा समाप्त करने के लिए सामाजिक विधानों की आवश्यकता पड़ती रहती है। सामाजिक प्रतिमान, जैसे— जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएँ, संस्थाएँ आदि को सामाजिक विधानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रमुख सामाजिक विधानों अथवा अधिनियमों का अध्ययन करने से पहले इनका अर्थ, परिभाषा और महत्व को समझना आवश्यक है।

सामाजिक विधान का अर्थ एवं महत्व

सामाजिक विधान राज्य द्वारा पास किए गए वे कानून हैं जो सामाजिक-कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक विषयों को रोकने तथा समाज-सुधार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ समुद्यत्व करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। सामाजिक विधान में समाज सुधार सम्बन्धी, सामाजिक-समस्याओं से सम्बन्धित एवं सामाजिक आदर्शों से सम्बन्धित विषयों को प्रतिपादित किया जाता है— इस प्रकार सामाजिक विधानों में आदर्श एवं व्यवहार दोनों सम्बन्धित है। केवल किताबी आदर्श समाज को संगठित नहीं कर सकते अतः ऐसे विधान समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो व्यावहारिक भी हों।

निकर्ता समाज की आवश्यकताओं, समाज कल्याण तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए समय-समय पर राज्य द्वारा जो अधिनियम पारित किए जाते हैं उन्हें सामाजिक विधान कहा जाता है।

भारत में सामाजिक विधानों की आवश्यकता तथा महत्व— सामाजिक सुधार की दृष्टि से भारत में सामाजिक विधानों का अत्यधिक महत्व है। हिन्दू समाज में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हैं जो समाज की प्रगति में बाधक हैं—उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक नियमों की आवश्यकता है जिससे समाज की समस्याओं को नियमबद्ध ढँग से दूर किया जा सके। भारत में सामाजिक विधानों की आवश्यकता एवं महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है।

(1) भारत में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हैं जिनको दूर किए बिना समाज किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता—भारत में विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि के लोग निवास करते हैं जिनके रीति-रिवाज आदि में पर्याप्त भिन्नता है—ये भिन्नताएँ अपराधों का विर्घाण करने में बाधक हैं—सभी देशवासियों को समानता सिखाने के लिए सामाजिक विधान की आवश्यकता है।

(2) भारतीय समाज में अनेक रूढियाँ, प्रथाएँ, अंधविश्वास आदि प्रचलित हैं जिनका विरोप आज की परिस्थिति में होना आवश्यक है। यदि देश को अंधविश्वासों, रूढियों से ऊपर उठा कर प्रगति के पथ पर ले जाना है तो नवीन सामाजिक विधानों का निर्माण करना होगा क्योंकि प्रगति के लिए परिवर्तन आवश्यक है।

(3) भारत में रियों को उच्च सामाजिक परिस्थिति प्रदान नहीं की गई बल्कि प्राचीन काल से ही ये घर की चार्दीवारी में बंद हैं—उन्हें विवाह, सम्पत्ति, परिवार, धर्म, राजनीति आदि से सम्बन्धित सभी प्रकार के अधिकारों से वचित रखा गया है। आधुनिक समय में पुरुषों के समान रियों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए व उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराने के लिए सामाजिक विधानों की निर्मिति अत्यावश्यक है।

(4) समाज को नियमित रूप से संचालित करने के लिए, समाज के कल्याण एवं सुधार के लिए अनेक ऐसे नियन्त्रणों की आवश्यकता है जो सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता, पिछङ्गापन, शोषित वर्ग की समस्या, असमान-खण्ड-विभाजन आदि पर रोक लगाकर समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकें—अत इन असमानताओं के निवारण के लिए सामाजिक विधान आवश्यक है।

(5) भारत में कुछ जातियाँ सर्वांग कहलाती हैं और कुछ अद्भुत व अस्पृश्य जातियाँ हैं जिन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वचित रखा गया है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में ये सर्वांग जाति से निम्न स्तर पर गिनी जाती हैं। इन्हे उच्च जाति के समान अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक विधानों का निर्माण अत्यावश्यक है।

(6) उपर्युक्त भास्याओं के अतिरिक्त बाल-विवाह, विषवा-पुनर्विवाह-निवेद, दहेज प्रथा, अतर्जीतीय विवाह पर रोक, बहुपली विवाह आदि अनेक सामाजिक समस्याएँ इस प्रकार की हैं जो समाज को विर्गिट कर रही हैं—आज इन समस्याओं पर विचार बरके इनमें नवीन परिवर्तन लाना आवश्यक है। देश में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आदि की स्थापना के लिए प्रजातंत्र के नियमों वी स्थापना आवश्यक है। अत सामाजिक अधिनियम समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक अधिनियमों की सामाजिक समस्याओं के निराकरण में अह भूमिका हो सकती है। अब अग्रेजी शासन काल एवं स्वतंत्र भारत में निर्वित सामाजिक विधानों पर प्रकाश छाता जायेगा।

अंग्रेजी शासन काल में बने सामाजिक विद्यान (अधिनियम)

अंग्रेजों ने भारतीय जीवन एवं उनके रीतिरिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों ने यह नीति बना ली थी कि वे भारतीय रीति-नीति से सम्बन्धित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस कारण उनके मामय में बहुत कम सामाजिक विद्यान बने। कुछ अधिनियम दिवाह से सम्बन्धित बने, जिनका उद्देश्य परम्परागत नियोगों को दूर करना, हिन्दू धर्मों को अधिकार प्रदान करना आदि थे। अंग्रेजी शासनकाल में निर्मित कुछ सामाजिक अधिनियम इस प्रकार हैं—

1. सती प्रथा नियेष्ठ अधिनियम, 1829— सन् 1829 से पूर्व भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। विपवा स्त्री को मृत पति के साथ चिता में जल जाने के लिए बाष्प किया जाता था। पार्श्विक दृष्टि से यह उचित माना जाता था क्योंकि सती होने वाली स्त्री को स्वर्वा प्राप्त होता है, ऐसा प्रलोभन दिया जाता था। मुसलमानों के भारत में आने के पश्चात् रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए हिन्दू सियो, लड़कियों के मुसलमानों के साथ विवाहों को रोकने के लिए बाल-विवाह और सती प्रथा का प्रचलन हुआ। मुसलमान हिन्दू विपवाओं से विवाह करने को तत्पर थे— इसलिए विपवाओं से बुटकारा पाने के लिए सती प्रथा का प्रचलन हुआ जहाँ उन्हें जबर्दस्ती चिता में जलने को बाष्प किया जाता था। राजा राम सोहन राय जैसे समाज सुपरको ने इस अमानवीय प्रथा की समाजिके लिए आदोलन किया और 1829 में 'सती प्रथा नियेष्ठ' अधिनियम बना जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विपवा स्त्री को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सती होने में सहायता करता है, तो वह दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

इस अधिनियम के पार्णामावरूप सतीप्रथा में कमी आई और आज यह पूरी तरह समाप्त हो गई है। राजस्थान में 1987 में जयगुरु के समीप दिवाली गाँव में रूपकवर नामक स्त्री के सती होने पर समूर्ध भारत में इसकी आलोचना हुई। 6 दिसम्बर, 1987 को ससद द्वारा सती निवारण विधेयक पारित हुआ जो इस प्रकार है—

(1) सती होने का प्रयास करने पर वही सजा दी जायेगी जो आत्महत्या के प्रयास पर दी जाती है। (2) सती होने के लिए प्रेरित करने वाले को फासी अथवा आजीवन कारावास दिया जायेगा। (3) सती को महिमामण्डित करने पर एक से सात साल वीं सजा तथा पांच से तीस हजार रुपए तक की जुमानी की सजा दी जाएगी। (4) यदि किसी पर सती होने के लिए उक्साने का प्रयास करने के मामले में मुकदमा चलता है तो यह साचित करने का जिम्मा उसी पर होगा कि उसने यह अपराध नहीं किया है। (5) अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति सनी की सम्पत्ति का पैतृक अधिकारी नहीं माना जाएगा। (6) सजा प्राप्त व्यक्ति सजा के दोरान और रिहाई के पांच साल बाद तक समस्त या विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। (7) यान्य सरकारे ऐसे मुकदमों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालय बनाएंगी एवं विशेष सरकारी वकील नियुक्त करेंगी।

2. हिन्दू विपवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856— सन् 1856 से पूर्व हिन्दू समाज में पार्श्विक भान्यताओं के आपार पर विपवा-विवाह पर पूर्ण प्रतिक्रिया था। न तो विपवाओं को पुनर्विवाह वीं स्वीकृति थी, न ही मृत पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त था। बाल-विवाह और कुर्सीन-विवाह के प्रचलन के कारण विपवाओं की सूख्या में तीव्रता से युद्ध हुई—अनेक विपवाएँ घर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बन गई थीं। उनसी दशा वही दयनीय थी।

आर्य समाज, ब्रह्मसमाज, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा राजा राममोहन राय ने इस समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप १८५६ में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार थीं—

(१) दूसरे विवाह के समय यदि किसी स्त्री के पहले पति की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसा विवाह वैध है।

(२) इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतानें वैध होगी।

(३) विधवा के नाबालिंग होने पर एवं पहले पति से उनके यौन सम्बन्ध न होने पर पुनर्विवाह के लिए दादा, पिता, बड़े भाई अथवा निकट के रक्त सम्बन्धी आदि की स्वीकृति की आवश्यकता है।

(४) विधवा के बालिंग होने और पहले पति से उसके यौन सम्बन्ध स्थापित हो चुकने पर पुनर्विवाह के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं।

(५) पुनर्विवाह करने वाली विधवा का अपने पूर्व मृत पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार रोक नहीं रहेगा।

(६) यदि मृत पति ने वसीयतनामे में उसे पुनर्विवाह की आज्ञा प्रदान कर दी है, तो प्रथम पति की सम्पत्ति में उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(७) पुनर्विवाह के परचात् स्त्री को नये परिवार में खें सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो पहली बार विवाह करने पर उसे प्राप्त होते।

३. बाल-विवाह निरोपक अधिनियम, १९२९ (शारदा एक्ट)— भारत में बाल-विवाह की समस्या ब्रिटिश काल तक इतनी बढ़ी कि उसके गंभीर परिणाम सामने आने लगे जिसके निवारण के लिए सन् १८६० और १८९१ में अधिनियम बनाए गए जिनमें लड़की की व्यूनतम आयु १० वर्ष और लड़के की १२ वर्ष निर्धारित की गई किन्तु यह उम्र अधिक उपयोगी नहीं रही फलस्वरूप 'बाल विवाह निरोपक अधिनियम' पारित किया गया जिसे 'शारदा एक्ट' कहा जाता है। यह अप्रैल, १९३० से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया—इस अधिनियम की मुख्य धाराएँ इस प्रकार हैं—

(१) विवाह के समय लड़के की आयु १८ वर्ष और लड़की की आयु १५ वर्ष होना आवश्यक है— इससे कम आयु में होने वाले विवाहों को 'बाल-विवाह' माना जायेगा, जो इस कानून के अनुसार टण्डनीय है।

(२) यदि १८ वर्ष से अधिक और २१ वर्ष में कम आयु का लड़का १६ वर्ष की आयु से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे १३ दिन का कालावास अथवा एक हजार रुपया जुर्माना अद्यगा देना ही सजाएँ हो सकती है।

(३) लड़के की आयु २१ वर्ष से अधिक होने पर जुर्माना के साथ तीन माह की सजा भी हो सकती है (यदि लड़की की आयु १५ वर्ष से कम हो)।

(४) जो व्यक्ति बाल-विवाह करने में सहायता होंगे, जैसे—माता-पिता, पिण्डित, नार्द आदि उन्हें तीन माह का कालावास और जुर्माना भी हो सकता है।

(ii) पिताकुरा से प्रभावित परिवारों में दिनांक सीधत किए, मृतक की विधवा को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अपने पति के हिस्से की सम्पत्ति पर अधिकार होगा किन्तु वह सम्पत्ति का सीमित उपयोग कर सकती है—उसे न तो किसी को दे सकती है, न बेच सकती है।

(iii) अन्य नियमों से नियंत्रित परिवारों में विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति में लड़कों के समान ही हिस्सा दिया जायेगा।

5. अलग रहने और भरण-पोषण हेतु स्थियों का अधिकार अधिनियम, 1946—सन् 1946 में कुछ विवेष परिस्थितियों में पति से अलग रहने वाली रियों को भरण-पोषण सम्बन्धी अधिकार दिए गए। लेकिन श्री को यह अधिकार तभी मिल सकता था, जब—(i) पति किसी ऐसे घृणित रोग से पीड़ित हो जो उसे पत्नी के सर्वांग से न हुआ हो।

(ii) पति निर्दद्वता का व्यवहार करता हो जिससे पत्नी उसके साथ रहना खतरनाक समझती हो।

(iii) पति ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा हो।

(iv) पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो।

(v) पति ने धर्म-परिवर्तन कर लिया हो।

(vi) पति किसी अन्य श्री से सम्बन्ध रखता हो। अलग रहने की डिग्री होने पर न्यायालय को पति की आय व स्थिति के अनुसार श्री को उसके भरण-पोषण की राशि दिलवाने का अधिकार दिया जाता है।

स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दू कानूनों में सुधार करने व नए कानून बनाने की मौग अधिक बढ़ी जिसके परिणामस्वरूप सर्वग्रथम 1948 में 'हिन्दू कोड बिल' पेश किया गया। सन् 1950 में नया सामिपन बना और हिन्दू कोड बिल, जो पहले स्थगित हो गया था, को अब पुनर्पास कराये जाने का प्रयत्न किया गया लेकिन इस समय भी कोई निर्णय नहीं हो सका। बाद में 1955 में भारत में नए सामाजिक अधिनियम बनाए गए और भारत सरकार ने विवाह, परिवार, सामाजिक स्थिति—सम्पत्ति उत्तराधिकार, अस्वयकता, दहेज आदि से सम्बन्धित अनेक अधिनियम पारित किए। कुछ ऐसे अधिनियम इस प्रकार हैं—

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954—पिती भी धर्म को न प्राप्तने वालों को पात्पर विवाह की स्वीकृति देने के लिए 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पासित किया गया। सन् 1923 में इसमें सांस्कृतिक रूप विभिन्न जातियों के बीच होने वाले विवाह को वैध घोषित कर दिया। इसके आगाम पर 1954 में विभिन्न धर्मों व जातियों के लोगों को पात्पर विवाह की अनुमति दे दी गई—इसमें एक-विवाह की व्यवस्था है तथा 21 वर्ष से कम आयु का लड़का व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की वा विवाह माता-पिता/साथक वी स्वीकृति से होगा। इसमें विशेष परिस्थिति के काण दोनों के असहमत हो जाने पर अलग-अलग रहने की भी व्यवस्था है।

2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—सन् 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम, जम्मू व कश्मीर वो टाइका सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से सम्बन्धित पूर्ण में पांग किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और बोद्ध, जैन, सिंहा सत्ति सम्पूर्ण हिन्दू

जाति पर एक समान रूप से इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में इन्द्रु विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है तथा सभी जातियों को तलाक के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

विवाह की शर्तें— किन्हीं दो हिन्दुओं (स्त्री-पुरुषों) के बीच विवाह सम्बन्ध मान्य होगा यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों—

(i) स्त्री एवं पुरुष दोनों में से किसी का दूसरा जीवन-साथी विवाह के समय जीवित न हो। (ii) वर-वधू दोनों में से विवाह के समय कोई भी पागल अथवा बड़ दुर्दि (Idiot) न हो। (iii) विवाह के समय वर-वधू की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 15 वर्ष से कम न हो (अब यह आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गई है)। (iv) दोनों पक्ष नियंत्रणात्मक सम्बन्धों की श्रृंगी में न आते हों अर्थात् उनमें निकट रक्त सम्बन्ध न हों (यदि उनकी प्रवाह इस प्रकार के विवाहों की अनुमति नहीं देती हो)। (v) दोनों पक्ष सफिंड न हों, यदि उनकी परम्परा के अनुसार ऐसे विवाह मान्य है तो उस विवाह को मान्यता दी जायेगी। (vi) यदि वधू की उम्र 18 से कम है तो उसके अभिभावकों की स्वीकृति अवश्यक है, अभिभावक न होने पर अनुमति के विवाह भी ऐसा विवाह वैध है। विवाह वी आयु में वृद्धि के कारण अब यह घारा अपने आप निर्धक हो गई है।

विवाह सम्बन्ध की समाप्ति— निम्नलिखित स्थितियों में विवाह होने पर उसे रद्द किया जा सकता है—

(i) विवाह के समय दोनों में से किसी एक पक्ष का भी जीवन-साथी जीवित हो और उसे तलाक नहीं दिया गया हो। (ii) विवाह के समय एक एक नुस्क हो। (iii) विवाह के समय कोई भी पक्ष बड़ दुर्दि अथवा पागल हो। (iv) विवाह के एक वर्ष के अद्द यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बल्लभूर्क या कष्ट से ली गई है। (v) विवाह के एक वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती धी और प्रार्थी इस बात से भिज न था।

न्यायिक पृथक्करण— इस अधिनियम की घारा 10 के अनुसार कुछ आधारों पर पति-पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे पृथक् रहकर मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक सम्बन्धों की पुनर्नापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के निम्न आपार हैं—

(i) प्रार्थी को यदि दूसरे पक्ष ने विवाह किसी उचित कारण के प्रार्थना-पत्र देने के दो वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। (ii) प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा कुराता से व्यवहार किया जाता हो। (iii) प्रार्थना-पत्र देने के एक वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुठ रोग से पीड़ित हो। (iv) दूसरे पक्ष को कोई ऐसा सक्रामक रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से न हुआ हो। (v) यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना-पत्र देने के एक वर्ष पूर्व से पागल हो। (vi) यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ सभोग किया हो।

यदि दो वर्ष में उनके सम्बन्ध नहीं सुपरते तो वे तलाक के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

विवाह विच्छेद— निम्नलिखित आधारों पर न्यायालय विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दे सकता है। ये आधार घारा 13 के अनुसार हैं।

(i) दूसरा पक्ष व्यभिन्नारी हो। (ii) दूसरे पक्ष ने पर्म-परिवर्तन कर लिया हो। (iii) दूसरा पक्ष असाध्य कुछ रोग से पीड़ित हो। (iv) दूसरा पक्ष संव्याप्ति हो गया हो। (v) पिछले सात वर्षों से दूसरा पक्ष तापता हो या वह जीवित न सुना गया हो। (vi) दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुनर्स्थान न किया हो। (vii) दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थान की डिग्री हो जाने के दो वर्ष बाद तक उस पर अमल न किया हो। (viii) पति बतात्कार, गुदा-मैदून अथवा पशुगमन का दोषी हो।

उपर्युक्त दोनों अधिनियमों से स्पष्ट है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद दो भिन्न घटाते हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायात्य दोनों पक्षों को समझौते के अवसर प्रदान करता है। यदि दोनों सामर रहने को सहमत न हों तो विवाह-विच्छेद की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद की मीठी अनुमति दी जा सकती है।

सामान्य धाराएँ— (i) विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन-पत्र विवाह के एक वर्ष बाद ही दिया जा सकता है। (ii) अदालत द्वारा विवाह-विच्छेद की आज्ञा मिलने के एक वर्ष के अंदर ही अपील नहीं की जाती है तो दोनों पक्षों को पुनर्विवाह करने का अधिकार होगा। (iii) न्यायात्य बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, देवभाल एवं रहने के सम्बन्ध में अन्तरिम और स्थाई आदेश दे सकता है। (iv) इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वासन पत्र की व्यवस्था की गई है। यह शरिंग उरा समय तक दी जायेगी जब तक निर्वासन पत्र प्राप्त करने वाला दूसरा विवाह न कर ले। इस प्रकार पृथक्करण और विवाह-विच्छेद सात कार्य भरी है।

3. अस्पृश्यता (अपराप) अधिनियम, 1955— अस्पृश्यता को दूर करने, अस्पृश्यों पर पिंडित निर्योग्यताओं वो लागू करने वाले व्यक्तियों को मजा देने तथा पिछड़े वर्गों को सामाजिक रामायता प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण भारत में। जून, 1955 से अस्पृश्यता (अपराप) अधिनियम, 1955 लागू हो गया। इसमें 17 धाराओं द्वारा अस्पृश्यों की सभी प्रकार की निर्योग्यताओं को दूर कर दिया गया है, जैसे— अस्पृश्य जातियों को पूजा-स्थानों, मनोरनन के स्थानों, चिकित्सालयों, शिक्षण साम्बांओं आदि में प्रवेश करने एवं उनका उपयोग करने की स्वीकृति मिल गई है तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी आचरण करने वाले व्यक्ति को छः माह का कारावासा अथवा 500 रु. जुर्माना अथवा दोनों संजारे दी जा सकती है।

उपर्युक्त अधिनियम भी कियोंकी बो दूर करने के लिए अथवा इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने एक पृथक नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून, 1976 पास किया है। यह अस्पृश्यता (अपराप) अधिनियम, 1955 का ही संगोष्ठित रूप है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्राप्त है—

(1) प्रथम बार अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराप के लिए 6 माह वीं फैद तथा 500 रु. तक के जुर्मनी की व्यवस्था की गई है। दूसरी बार अपराप करने पर 6 माह से 1 वर्ष की फैद तथा 500 रु. तक जुर्मनी का प्रावधान है।

(2) अस्पृश्यता के अपराप से दण्डित लोग लोकसभा व विधानसभा में जुनाय नहीं लड़ सकते।

(3) असूखता का प्रचार करना और उसे किसी रूप में न्याशेचित ठहराना भी दण्डनीय अपराध होगा।

(4) असूखता को झातब्य अपराध घोषित किया गया है जिसके अनुसार पुलिस बिना किसी रिकादत के सीधी कर्तव्याही कर सकती है। ऐसे अपराध में वादी और प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई सनद्दीता करने की आज्ञा नहीं होगी।

(5) यदि कोई साकारी कर्मचारी असूखता से सम्बन्धित जौव के कार्य की जानवृत्त कर उंडेश करेगा तो उसके इस कार्य को प्रोत्ताहन करने वाला और दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

(6) पूजा स्थानों पर यही सर्वसापाल जनता जाती रहती है किसी भी रूप में असूखता जातना दण्डनीय अपराध होगा।

(7) सामूहिक रूप से असूखता सम्बन्धी अपराध करने पर ऐसे किसी क्षेत्र के लोगों पर सामूहिक तुर्मान करने का अधिकार एवं साकार को दिया जाता है।

(8) इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को टण्ड देने हेतु विशेष अधिकारी की विशुक्ति और मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदातों के गठबंध की व्यवस्था दी गई है।

उपर्युक्त कानून की सफलता के लिए असूखता-मिवाल सम्बन्धी प्रचार-साहित्य, व हस्य-शब्द उपकरणों का प्रबन्ध साकार कर रही है। यदि वास्तव में इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है तो एक गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सकेगा।

5. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956—इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व उत्तराधिकार की दो प्रणालियों प्रबलित थीं—मिताला और दायभाग। इनके अनुसार रियो को सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने में अनेक वैधानिक बाधाएँ थीं। सन् 1937 के उत्तराधिकार अधिनियम से भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ क्योंकि इसके द्वारा रियो को सम्पत्ति में सीमित अधिकार ही दिए गए थे। सम्पत्ति अधिकार की बाधाओं को समाप्त करने के और रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पारित किया गया जिसमें दुहस्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(i) उत्तराधिकार से सम्बन्धित मिताला और दायभाग मिदनों को समाप्त कर मृतक की सम्पत्ति पा लाया होने वाले उत्तराधिकार की समान व्यवस्था दी गई। अर्थात् सभी हिन्दुओं पर एक-सा नियम लागू किया गया।

(ii) विषयाली अपने मृत पति से प्राप्त अपने हिस्से की सम्पत्ति का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकती है। अर्थात् सम्पत्ति को बेकरने और दान देने का भी उसे अधिकार है। किन्तु यदि वह पुनर्विवाह कर लेती है तो मृत पति की सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा।

(iii) इस अधिनियम के द्वारा रियो को पुरुषों के समान ही सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगा।

(iv) लड़की को भी अपने मृत पिता की सम्पत्ति में लड़के के बाबार हिस्सा प्राप्त होगा।

(v) इस अधिनियम में किसी भी को बीशारी, अंग भी रहायी अथवा किसी अन्य शारीरिक दोष के आधार पर उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

(vi) पुत्र की मृत्यु होने पर माता को भी पुत्र की सम्पत्ति में उसकी (विधवा) पत्नी और बचों के समान एक भाग प्राप्त होगा। पत्नी के हस्त में सभी को अपने मृत पति की सम्पत्ति में लड़के के हिस्से के बगवार ही उत्तराधिकार प्राप्त होगा। यदि कोई सन्तान नहीं हो तो विधवा को मृत पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा।

(vii) यदि पिता की मृत्यु के पूर्व ही उसके पुत्र अथवा पुत्री की मृत्यु हो गई हो तो उम पुरुष अवधा पुत्री की सन्तानों को अपने पिता अवधा माता के हिस्सों को प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उनमें बाटवर के अनुपात में बट्टा बाएगा।

6. हिन्दू नाबालिंग संरक्षकना अधिनियम, 1956—इस अधिनियम के पूर्व नाबालिंग बच्चे के पिता की मृत्यु होने पर सरकार बनने का अधिकार केवल पितृ पक्ष को ही था। सम्पत्ति का दुरुपयोग होने पर भी माँ कुछ नहीं कर सकती थी। 1956 से यह अधिनियम लागू हुआ जिसमें उपर्युक्त कमियों को दूर किया गया। इसकी मूल्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा या बच्ची नाबालिंग है।

(ii) सरकारों में यहला स्थान पिता का और दूसरा स्थान माँ का होगा। नाबालिंग विवाहित लड़की का सरकार उसका पति होगा।

(iii) यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो नाबालिंग बच्चे का संरक्षक न्यायालय नियुक्त करेगा यदि माता-पिता द्वी पुत्र के पूर्व किसी को संरक्षक नियुक्त न किया गया हो।

(iv) कोई भी संरक्षक बच्चों की सम्पत्ति को पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता। न्यायालय की अनुमति के बिना संरक्षक न संपत्ति को बेच सकता है, न गिरवी एवं सकता है और न ही उपहार के रूप में दे सकता है।

(v) माता-पिता की मृत्यु होने पर नाबालिंग बच्चे की सम्पत्ति की रका के लिए संरक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में है। संरक्षक नियुक्त करते समय न्यायालय नाबालिंग बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखेगा।

6. हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956—यह अधिनियम 21 दिसम्बर, 1956 से लागू किया गया है। इसमें गोद लेने व दिवियों तथा उनके आश्रितों के भरण-पोषण के विषय में व्यवस्थाएँ की गई है। गोद लेने सम्बन्धी व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं—

(i) गोद लेने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का न हो। वह पाण्डि न हो। यदि वह लड़के को गोद लेता है तो उसके पक्षिते से ही कोई स्वाभाविक या गोद लिया हुआ पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हो। यदि लड़की को गोद लेना हो तो उसकी कोई पुत्री, पौत्री या प्रपौत्री न हो।

(ii) जिस लड़के या लड़की को गोद लिया जाता है वह हिन्दू हो (अब लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी गोद लिया जा सकता है)।

(iii) पत्नी के जीवित होने पर पति द्वारा उसकी सहमति से ही किसी को गोद लिया जा सकता है।

(iv) पहले केवल पुरुष ही गोद ले सकते थे अब स्त्रियाँ भी गोद ले सकती हैं। विवाहित स्त्री को गोद लेने के पूर्व अपने पति की स्वीकृति लेनी होगी। अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा स्त्री भी किसी लड़की अथवा लड़के को गोद ले सकती है।

(v) जिस लड़की अथवा लड़के को गोद लिया जा रहा है वह हिन्दू हो, अविवाहित हो और 15 वर्ष से कम आयु का हो। एक ही बालक को दो व्यक्ति गोद नहीं ले सकते।

(vi) गोद लेने वाला अपने से विषम लिंग के बच्चों (जैसे पुरुष किसी लड़की को या स्त्री किसी लड़के) को गोद ले रहा हो तो उनकी आयु के बीच 21 वर्ष का अन्तर अवश्य हो।

(vii) गोद लेने के लिए बच्चों के मूल माता-पिता को कोई धन न दिया जाए।

(viii) गोद लेने वाले बच्चे का अपने मूल माता-पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता।

(ix) वैष रीति से गोद लेने जाने के बाद गोद गया हुआ बच्चा पुनः अपने मूल परिवार में नहीं लौट सकता है।

7. भरण-पोषण अधिनियम— इसके अन्तर्गत भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार अब स्त्री और पुरुष दोनों को ही दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब केवल स्त्री हीं अपने पति से भरण-पोषण की राशि पाने का दावा नहीं कर सकती, बल्कि पुरुष भी अपनी पत्नी की सम्पत्ति में से भरण-पोषण की राशि पाने का दावा कर सकता है, यदि उसके पास आय के दूसरे साधन न हों।

भरण-पोषण के हकदार व्यक्तियों को पांच भागों में विभाजित किया गया है—(1) पत्नी, (2) विधवा पुत्र-बधू, (3) नाबालिंग सन्तान, (4) बृद्ध एवं रोगाग्रस्त माता-पिता (5) अन्य अधिकृत व्यक्ति।

इस अधिनियम के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को तलाक अथवा पृथक्करण की स्थिति में सरक्षण प्रदान करना उद्देश्य है।

8. स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956— भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यापार को समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य विज्ञान समिति द्वारा सन् 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 1 मई, 1958 से सम्पूर्ण देश में यह अधिनियम वास किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(i) वेश्यावृत्ति एक दण्डनीय अपराध है। इस अधिनियम के अनुसार कोई स्त्री जो धन या वस्तु के बदले अवैध यौन सम्बन्ध के लिए अपना शरीर अप्रिंत करती है, 'वेश्या' है तथा अपने शरीर को इस प्रकार यौन सम्बन्ध के लिए अप्रण करना ही वेश्यावृत्ति है।

(ii) वेश्यालयों में होने वाला व्यक्ति (सन्तान के अतिरिक्त) 18 वर्ष से अधिक का है और वह वेश्या की आय पर अप्रिंत रहता है तो उसे दो वर्ष का कारावास अथवा एक हजार रुपए का दण्ड दिया जा सकता है।

(iii) वेश्यालय चलाने वाले व्यक्ति को 1 से 15 वर्ष तक वी कैद तथा दो हजार रुपये तक का जुर्माना देने की व्यवस्था है।

(iv) वेश्यावृत्ति में लागी 21 वर्ष से कम आय की लड़की जो वेश्यावृत्ति में संलग्न है उसके लिए पनर्वास और सुधार के लिए संरक्षण-गृहों में भेजने की व्यवस्था है।

(v) किसी लड़की को वेश्यावृति के लिए फुरताना, बाय्य करना, नजरबन्द करना और उसके साथ रहना दण्डनीय अपराध है।

9. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961—दहेज की समस्या हिन्दू समाज में अपना भीषण रूप धारण किए हुए है। इस समस्या को हल करने के लिए मई, 1961 में 'दहेज निरोधक अधिनियम' पारित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(i) इस अधिनियम में दहेज को इस रूप में परिभ्राषित किया गया है—“विवाह के पूर्व अथवा पश्चात् विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु ‘दहेज’ कहता थेर्गी।”

(ii) विवाह के अवमर पर दी जाने वाली भेट या उपहार दहेज नहीं माना जाएगा।

(iii) यदि कोई व्यक्ति इस कार्य में मदद करता है या दहेज लेता-देता है तो उसे छः माह का कारावास और पाँच हजार रुपये तक का दण्ड दिया जा सकता है।

(iv) दहेज लेने व देने सम्बन्धी किया गया कोई भी समझौता गैर-कानूनी होगा।

(v) विवाह में भेट-स्वरूप दी गई वस्तुओं पर कन्या का अधिकार होगा।

(vi) धारा 7 के अनुसार न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराधों पर भी विचार किया जायेगा, जब ऐसी शिकायतें किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में विवाह होने के एक वर्ष के अन्दर की जाएँ। इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होगी।

1961 के इस अधिनियम को 1986 में संशोधित कर इसे और सख्त बना दिया गया है जिसमें विवाह किसी शिकायत के भी पूलिस और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों की रिपोर्ट तथा जांच कर सकते हैं। अनेक स्थानों, जैसे—उड़ीसा, बिहार, प. बंगाल, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने उसे संशोधित कर करोर बना दिया है।

हिन्दू विवाह पर नवीन सामाजिक विधानों का प्रभाव तथा विवाह की आपुनिक प्रवृत्तियाँ—स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बने सामाजिक विधानों में विवाह की धारणा, स्वरूप व इसकी मान्यताओं आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं—इनमें हिन्दू विपवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1956, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 व दहेज निरोधक अधिनियम, 1961। आदि को लिया जा सकता है। इन सामाजिक विधानों का हिन्दू विवाह पर अनेक क्षेत्रों में प्रभाव पढ़ा है, जिसे निम्नांकित रूपों में देखा जा सकता है—

1. हिन्दू विवाह एक समझौता—प्राचीन हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार था जिसमें विवाह से सम्बन्धित अनेक धार्मिक क्रियाएँ करनी होती थीं तथा विवाह सम्बन्धों की स्थापना परिवार का दायित्व था किन्तु हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार विवाह को एक समझौते के रूप में देखा जाने लगा है, धार्मेवता से इसका सम्बन्ध अब नहीं रह गया है।

2. एक-विवाह का प्रचलन—हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के पास होने के पूर्व भारत में बहुपली एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था और कुलीन विवाह की शर्त ने उसे खब्र प्रोत्साहित किया था। अब बहु-विवाह के स्थान पर एक-विवाह को मान्यता दी गई है। अब कोई भी पक्ष पहले माधी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इस प्रकार हिन्दू विवाह में एक-विवाह ही प्रमुख समाजिक मूल्य है।

3. विवाह-विच्छेद- इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में स्त्री-पुरुषों को समानतः न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह-विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे पूर्व विवाह को जन्म-जन्मान्तर के सम्बन्ध के रूप में माना जाता था। यह पाण्डा अब समाप्त हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप स्थियों का शोषण अब समाप्त हो गया है और उन्हें अनेक सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनकी स्थिति सभी क्षेत्रों में सुधारी है।

4. विवाह सम्बन्धी नियेथों में अन्तर— पहले विवाह सम्बन्धों की स्थापना के पूर्व गोत्र, शासन, प्रवर जाति आदि अनेक नियमों की पालना करनी पड़ती थी जिसके परिणामस्वरूप विवाह का क्षेत्र बहुत तीमित हो गया था— अब नवीन विधान के अनुसार गोत्र, जाति आदि के बन्धन समाप्त कर दिए गए हैं। अब कोई भी जाति (हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि) परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। इस प्रकार विवाह सम्बन्धी नियेथों में अन्तर के कारण विवाह का क्षेत्र विस्तृत हो गया है।

5. विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन— हिन्दू परिवारों में विधवा स्थियों को पुनर्विवाह के अधिकार न देकर उनका अपानवीय शोषण किया जाता था। अब कानून द्वारा विधवाओं को दूसरा विवाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई है इससे विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। इस प्रकार नए अधिनियमों ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

6. बाल-विवाह की समाप्ति— नवीन अधिनियम में विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित करके बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आधुनिक समय में शिक्षा के प्रसार ने विलम्ब-विवाह को बढ़ावा दिया है। इससे स्त्री-पुरुष दोनों के व्यक्तित्व में अमेक रूपों में आशातीत परिवर्तन हुए हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है व मृत्युदर में भी कमी आई है किन्तु ग्रामों में अभी भी छोटी उम्र के बालक-बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, वहाँ इस नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

7. दहेज प्रथा पर प्रतिबन्ध— दहेज निरोपक अधिनियम, 1961 के द्वारा अब किसी भी रूप में दहेज लेना अथवा दहेज देना एक दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप खुले रूप में तो अब दहेज की मांग नहीं की जाती किन्तु लड़के की शिक्षा व योग्यता के आधार पर इसमें बुद्धि हो रही है— यद्यपि नवयुवक व नवयुवतियाँ इसके पक्ष में नहीं हैं किन्तु अधिनियम पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहा है।

8. अन्तर्जातीय विवाह की स्वीकृति— विलम्ब-विवाह की प्रवृत्ति, दहेज पर प्रतिबन्ध, आदि ने विवाह का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। वर्तमान समाज में अन्तर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाने से अब दूसरी जाति में विवाह होने लगे हैं जिन्हें पहले अमान्य माना जाता था।

9. जीवन-साथी चुनने की स्वतंत्रता— प्राचीन समय में जीवन-साथी का चुनाव परिवार के बड़े लोगों की इच्छा से किया जाता था। लड़की व लड़के को साथी के चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं थी किन्तु अब वे अपनी इच्छा से साथी का चयन कर सकते हैं। यह नवीन अधिनियमों का परिणाम है।

10. बेमेल विवाह की समाप्ति— अचीन समय में कुलीन-विवाह की मान्यता के कारण तथा दहेज से बचने के कारण बेमेल विवाह हो जाया करते थे। माता-पिता इस बात का ध्यान नहीं रखते

थे कि दोनों की उम्र में कितना अन्तर है जिसका परिणाम यह होता था कि लड़की जल्दी विधवा हो जाती या अन्य कोई गम्भीर सामस्या उत्पन्न हो जाती—अब वर-वधू जीवन-साथी को चयन आपस में देखकर स्वयं की इच्छा से करते हैं। अन्तर्जातीय विवाह के कारण भी ऐसे विवाह की समाप्ति हो रही है।

11. प्रेम-विवाह को स्वीकृति— बालविवाह की समाप्ति के कारण अब विलम्ब-विवाह का प्रचलन हो गया है। लड़की-लड़के साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा जीविकोपार्जन करते हैं। औद्योगिकण के परिणामस्वरूप अनेक देशों में लड़की-लड़कों की निकटता होने लगी है जिससे परस्पर प्रेम-रोमांस पर आधारित विवाह होने लगे हैं। चलचित्रों के प्रभाव ने भी इसमें सहयोग किया है—कानून भी इसमें बाधा नहीं है लेकिन अपरोक्ष रूप से सहयोगी या सहायक अवश्य कहा जा सकता है।

12. पत्नी की स्थिति में अन्तर— वर्तमान कानून में पति-पत्नी को समानता का स्तर प्रदान किया गया है। अनेक अधिनियम स्थिरों की स्थिति के सुधार के लिए बनाए गए हैं—अत प्राचीन समय की तुलना में आज स्त्री को पति की सहधर्मिणी, सहचारिणी, भित्र, साथी के रूप में माना जाने लगा है—परिवार में भी उसे प्रतिष्ठा मिलने लगी है। इस प्रकार आज पत्नी की स्थिति में पूर्व की तुलना में अन्तर आया है।

13. समूह विवाह— दहेज से मुक्ति पाने के लिए कई शहरों में अब समूह विवाह होने लगे हैं जिसमें खर्चों की दृष्टि से सुविधा मिली है—गरीबों को राहत मिली है। इनमें अनेक जोड़े (लड़की-लड़के) एक साथ विवाह-बन्धन में बन्ध जाते हैं। ऐसे विवाहों को आज अच्छा माना जाता है।

14. वैवाहिक नियमों में एकरूपता— हिन्दू विवाह अधिनियम के पूर्व विवाह सम्बन्धी नियम भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न थे, जैसे—मिताक्षरा और दायभाग द्वारा नियन्त्रित परिवारों के नियम, रीति-रिवाज अलग-अलग थे—किन्तु अब सम्पूर्ण देश में विवाह के नियमों में एकरूपता आ गई है। सभी पर एक-से विवाह के नियम लागू किए जाते हैं।

15. सामाजिक व मानसिक सुरक्षा— प्राचीन समय में धनी परिवार अपने पागल, गुप्त रोगों से ग्रसित, कोटी व मानसिक दृष्टि से क्षीण रोगी आदि लड़कों का विवाह कर लड़की का जीवन नाकीं बना देते थे किन्तु अब अधिनियम से ऐसे विवाहों पर रोक लगा दी गई है।

16. विवाहों की अनिवार्यता समाप्त— प्राचीन समय में विवाह एक धार्मिक कृत्य समझा जाता था। विशेष रूप से पंच ऋगों से मुक्ति पाने की मान्यता व मोक्ष के सिद्धान्त ने गृहस्थान्नम की अनिवार्यता को विशेष महत्व प्रदान की। किन्तु आज वैवाहिक मान्यताएँ बदल रही हैं। विवाह एक समझौता माना जाने लगा है इसलिए यदि योग्य साथी नहीं मिलता तो युवक-युवतियाँ विवाह नहीं करते हैं और इसे बुरा भी नहीं माना जाता है। इस प्रकार विवाह में परिवार बालों का हस्तक्षेप भी कम हो गया है। अनेक लड़की-लड़के के विवाह को अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं इसलिए वे अविवाहित रहना पसंद करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवीन सामाजिक विद्यानों का प्रभाव हिन्दू विवाह पर अनेक रूपों में परिवर्तित हो रहा है जिसके कारण विवाह की प्रकृति व उसका स्वरूप बदल गया है।

परिवार एवं स्त्रियों की स्थिति परं सामाजिक अधिनियमों का प्रभाव

प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति पर्याप्त दयनीय थी—उन्हें सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। नए सामाजिक अधिनियमों ने उनकी स्थिति में आशातीत परिवर्तन किये हैं। सम्पत्ति उत्तराधिकार, भरण-पोषण, नाबालिंग संरक्षकता, बाल-विवाह, विधवा-पुनर्विवाह, दहेज, तलाक जैसे महत्वपूर्ण विधानों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इन प्रभावों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) सर्वप्रथम हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा बहुपत्नी विवाह की प्रथा को समाप्त कर स्त्रियों को न्यायपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

(2) इस अधिनियम ने स्त्रियों को विवाह-विच्छेद के भी पर्याप्त अधिकार दिए हैं। इसका प्रभाव यह हुआ है कि पुरुष वर्ग परिवार में स्त्रियों को सम्मानपूर्वक स्थान देना अपना कर्तव्य समझने लगे हैं।

(3) शारीरिक दोष के आधार पर स्त्रियों को उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

(4) तलाक प्राप्त स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त हुआ है।

(5) विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त हुआ है।

(6) परिवार में स्त्री व पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं।

(7) निस्संतान स्त्रियों को गोद लेने का अधिकार मिला है।

(8) नाबालिंग संरक्षकता अधिनियम के आधार पर स्त्री को अपने बच्चों की सम्पत्ति का संरक्षक बनने का अधिकार मिला है।

(9) दहेज निरोधक अधिनियम के फलस्वरूप स्त्रियाँ दहेज के विरोध में आवाज उठाने को प्रोत्साहित हुई हैं।

(10) दहेज की सम्पत्ति पर भी उनका अधिकार हो गया है।

(11) विशेष स्थितियों में स्त्रियों को पृथक् रहने पर भरण-पोषण के अधिकार प्राप्त हुए हैं।

(12) बाल-विवाह की समाप्ति हुई है।

(13) सम्पत्ति अधिकार के परिणामस्वरूप स्त्रियों की स्थिति परिवार में सुट्ट हुई है।

इस प्रकार उत्तरांक सभी अधिकारों के प्रावधान का परिणाम यह हुआ है कि अब स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। संयुक्त परिवार से अलग रहकर वे अपना जीवन अपने ढांग से जीने के लिए आग्रह करने लगी हैं, जिससे संयुक्त परिवार विधिटित हो रहे हैं। स्त्रियों ने रिक्षा, व्यवसाय, जागृति में वृद्धि की है। वे धार्मिक रूढियों, मान्यताओं का विरोध करने लगी हैं—उनमें सामाजिक-चेतना विकसित हुई है। अब वे सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगी हैं। स्त्रियों की मनोवृत्तियों में आने वाला यह परिवर्तन आगे आने वाली पीढ़ियों को अवश्य प्रभावित करेगा।

सामाजिक विधानों का जाति पर प्रभाव

समय-समय पर जो सामाजिक विधान पारित हुए हैं उनके जाति-प्रथा पर भी अनेक प्रभाव पड़े हैं, जो निम्नांकित हैं—

1. सामाजिक विधानों ने जाति-प्रथा की सदस्यता को गतिशील बना दिया है। अब व्यक्ति जन्म के स्थान पर अपने गुणों-रिशा, बुद्धिमत्ता आदि के आधार पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। विधानों ने जन्म पर आधारित सदस्यता के महत्व को घटाया है। (2) ये विधान भारतीय समाज को जातिव्यवस्था से वर्ष-व्यवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। (3) उच्च जातियों का महत्व कम होता जा रहा है। (4) पहिले व्यवसाय जन्म पर आधारित थे परन्तु अब व्यवसायों को चुनने की स्वतंत्रता हो गई है। (5) जातिगत खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाजों में भी तेजी से परिवर्तन हुआ है। अब ये प्रतिबन्ध पहिले जैसे कठोर नहीं हैं। (6) विवाह के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है। व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह करने लगे हैं। (7) जजमानी प्रथा प्राय समाप्त-सी हो गई है। (8) सामाजिक विधान अस्पृश्यता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। छुआछूत, पवित्रता-अपवित्रता आदि रूढ़ियाँ एवं अन्यविश्वास कम हो रहे हैं। अस्पृश्य जातियों की सभी नियोग्यताएँ कानूनी दृष्टि से समाप्त होने के साथ-साथ व्यवहार में भी समाप्त हो रही हैं। अब अस्पृश्य जातियों के लोग अस्पृश्य नहीं रहे हैं, वे सभी सार्वजनिक स्थानों, मन्दिरों, धार्मिक स्थानों, कुओं, तालाबों, शिक्षण संस्थाओं, आदि का उपयोग करने लगे हैं जैसे उच्च जातियाँ करती हैं। विधानों ने अस्पृश्यता निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामाजिक विधानों के प्रभाव का मूल्यांकन

सामाजिक अधिनियमों का विस्तार से अध्ययन करने के उपरांत अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ये विधान हमारी सामाजिक समस्या को हल करने में कहाँ तक सफल हुए हैं, सामाजिक विधानों का पिछड़े वर्ग के उत्थान में कितना सहयोग रहा है ?

जहाँ तक सेक्षनात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन विधानों का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर अत्यधिक पड़ा है, जैसे—

(i) सयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों की वृद्धि हुई है।

(ii) परिवार व समाज में पुरुषों का एकाधिकार समाप्त हुआ है।

(iii) स्त्री-पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समानाधिकार मिले हैं।

(iv) दियों की दृष्टि से देखें तो विवाह-विच्छेद, नाबालिङ-संरक्षकता, भरण-पोषण, ग्रीद लेना, सम्पत्ति-अधिकार आदि ने दियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

(v) अस्पृश्य जातियों की सभी नियोग्यताएँ समाप्त हो गई हैं।

(vi) न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अस्पृश्य जातियों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं।

(vii) अस्पृश्य जातियों को शिक्षा की सुविधा दिए जाने से शिक्षा में तेजी से वृद्धि हो रही है।

(viii) सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य जाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है।

इस प्रकार उनीन मिथानों ने भारतीय समाज को समाजाती समाज की स्थिति में पहुँचा दिया है जहाँ सर्वर्ण और अस्पृश्य जातियों के प्रत्य संपर्क की स्थिति कम हुई है—उनमें सामाजिक ऐताना यदी है, शोषण समाप्त हुआ है। स्थितों को भी समाजातीकार प्राप्त हुए हैं।

मिन्यू व्याख्यातार्थिक रूप से इसका मूल्यांकन मिथा जाए तो स्थिति इन्हीं सुदृढ़ स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। कहना न होगा कि स्थितों को परिवार व समाज में अभी भी पुरुषों की गुताना में हेव रहि से ही देखा जाता है। सामाजिक अधिनियमों के उपरांत भी मिथा-मिथाह को आज भी अन्तर्जालीन माना जाता, भाल-मिथाह अभी भी हो रहे हैं। अन्तर्जालीय मिथानों पर कड़े प्रतिक्रिया साग्रह जाते हैं। व्याख्यातार्थिक रूप से मिथी अपने अधिकारों से मनित है। देवेज समस्या आज और भी दिग्गियत होती जा रही है। सम्पत्ति के अधिकारों से महिलाएँ अभी भी अवगति हैं।

मिथी काठियों को भी व्याख्यातार्थिक स्तर पर समाजता नहीं मिल सकती है—उनके पक्षि ऐसा ही भेदभाव रखा जाता है। अस्यानामों की पटकाएँ आज भी सुनाई पड़ती हैं—आसुरी वार्ष के सर्वर्ण के समकक्ष मिसी भी क्षेत्र में मान्यता नहीं मिलती है। सामाजिक मिथानों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षाओं को दूर करना व समाज कल्याण है मिन्यू उत्तरी मित्री व्याख्यातार्थिक उपयोगिता दियाई देती है यह इस तथ्य पर अधिक मिर्च है कि होतों को इन मिथानों के लिये में किती जानकारी है ? ये हास लियत में जागरूक मिलते हैं ? यातानिस्तानों यह है कि इन मिथानों का उतना उपयोग नहीं हुआ मिलता होता पाहिए। सामाजिक ऐताना, शिक्षा आदि ही हो अपने अधिकारों के पक्षि सब्जग बर सकते हैं, यदि इस और सामाजा-जन गूँजे गेतन्य हो।

सामाजिक मिथानों की व्याख्यातार्थिक असफलता का क्षण कारण है, औन-कौरा-से कारक इसके हिए उत्तराधीय हैं, इस पर मिस्तान से अध्ययन मिथा जा सकता है और उन काठियों को जानकर उस दिशा में प्रवाहा मिथा जा सकता है तभी समाजवाद का नारा सही अप्सों में पतिकलित होगा।

सार स्पष्ट में सामाजिक मिथानों की असफलता के लिए मिथानित कारण उत्तराधीय है—
 (i) सारान स्वयं कानूनों की पालना के पक्षि उदासीन रहा है। (ii) जन-साधारण को कानून का भली-भांति ज्ञान नहीं है इसलिए ये कानून का साहशोग ही नहीं से पाते। (iii) पार्विन मिथानार, स्थिरियों आदि समस्ये यदी मापा हैं। (iv) रियों पुरुषों वर अधिक रूप से मिर्च हैं इस कारण पुरुषों के मिस्त अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकती। (v) जातीय-मिथानों की कठोरता के कारण अन्तर्जालीय मिथाह की अवहेलना एवं अस्पृश्य जातियों के साथ आत्मानता का व्याहार हो रहा है जो सामाजिक अधिनियमों की असफलता के कारण है। (vi) मिर्चिता भी सामाजिक मिथानों की असफलता का कारण रही है।

सामाजिक मिथानों की व्याख्यातार्थिक रक्षसता

यदि हम यातान में यह पाहते हैं कि सामाजिक मिथान के ज्ञान रीढ़ानिरुद्ध रूप से ही हो आत्मान न देते रहें, व्याख्यातार्थिक जीवन में भी इनकी रक्षसता हो तो इसके लिए यह आवश्यक है कि—

(i) इसके पक्ष में अवगत तैयार मिथा जाए। ऐटियो, अपधार, टेलीविजन, मिथा गोहियों और रामेन-अधिनय आदि के द्वारा जन-आग्रहि उत्पन्न की जाए मिथानों जन-साधारण में यह

चेतना पैदा हो कि सामाजिक विधान उनके लिए ही निर्मित हैं और इनका उपयोग किन-किन स्थितियों में उनको करना चाहिए।

(ii) ग्रामीण जनता को विशेष रूप से उसके अधिकार-कर्तव्यों से जागृत कराया जाए, इसके लिए उसे कानूनी सहायता नि शुल्क दी जाए व समय-समय पर कानूनी सलाह दी जाए।

(iii) सरकार स्थान-स्थान पर ऐसे सेवा केन्द्र स्थापित करे जहाँ लोगों को उनके अधिकार व कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट किया जाए।

(iv) सम्बन्धित अधिकारियों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन साना आवश्यक है। जनता के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है तभी वे जनता के दुख व कठिनाइयों को आश्वस्त होकर मुन सकेंगे।

(v) शिक्षा का अधिकारिक प्रसार हो तथा प्रारम्भ से ही सामाजिक विधानों की उपयोगिता को शैक्षिक पाठ्यक्रम का विषय बनाया जाए।

(vi) सामाजिक शोध व अनुसंधान किए जायें और शोधकर्ताओं के सहयोग से सामाजिक विधानों के प्रभाव को जन-साधारण तक सरलीकृत रूप में प्रेषित किया जाए।

अत में कहा जा सकता है कि यदि इस दिशा में प्रयास किया जायेगा तो अवश्य सफलता मिलेगी— नियोजित सामाजिक विधान ही सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक विधान ही समाज के पुनर्निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रश्न

1. 'विशेष विवाह अधिनियम, 1954' के प्रमुख सामाजिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
2. 'हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955' के प्रमुख सामाजिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
3. 'भारत में सामाजिक विधान' विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4. हिन्दू विवाह पर नए सामाजिक विधानों का प्रभाव बताइए।
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इन प्रावधानों ने हिन्दू विवाह की समस्याओं को कहाँ तक हल किया है?
6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की विवेचना कीजिए। इसने हिन्दू धर्मों को किस प्रकार प्रभावित किया है?
7. निम्नलिखित अधिनियमों के भारतीय समाज की स्थियों पर क्या प्रभाव पड़े?

(i) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

(ii) हिन्दू नाबालिङ सरकारकर्ता अधिनियम, 1956

(iii) हिन्दू दनक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956

(iv) शियों का अनैतिक व्यापार नियोगक अधिनियम, 1956

8. 'अस्मृशता अधिनियम, 1955' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

9. भारतवर्ष में सामाजिक विधानों के समाजशास्त्रीय महत्व पर प्रकाश ढालिए।

10. अस्पृश्य जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन-कौन-से वैधानिक उपाय किए गए हैं?
11. भारत में सामाजिक विधानों का अस्पृश्यता पर प्रभाव बताइए।
12. भारतीय समाज पर वर्तमान सामाजिक कानूनों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
13. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की प्रमुख घाराओं पर प्रकाश डालिए। (दो पृष्ठों में) (मा.शि.बो. अजमेर, 1994)
14. हिन्दू विवाह से सम्बन्धित तीन प्रमुख अधिनियमों का उल्लेख कीजिए। संक्षेप में इनके प्रभाव भी बताइए।
15. हिन्दू सियों की स्थिति में सुधार से सम्बन्धित तीन प्रमुख अधिनियमों के नाम बताइए। इनके सियों पर क्या प्रभाव पड़े? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
16. उन सामाजिक अधिनियमों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा हिन्दू विवाह में पर्यावर्तन लाने का प्रयत्न किया गया। (दो पृष्ठों में) (मा.शि.बो. अजमेर, 1994)
17. “शारदा एकट” की प्रमुख घासओं का उल्लेख कीजिए। (एक पृष्ठ में) (मा.शि.बो. अजमेर, 1994)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उत्तर सहित)

1. निम्नलिखित अधिनियम किन वर्षों में पारित हुए हैं? उस वर्ष को अधिनियम के मामने लिखिए-
 - (i) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम (.....)
 - (ii) हिन्दू विवाह अधिनियम (.....)
 - (iii) दहेज निरोधक अधिनियम (.....)
 - (iv) विशेष विवाह अधिनियम (.....)
 - (v) हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (.....)

[उत्तर- (i) 1955, (ii) 1955, (iii) 1961, (iv) 1954, (v) 1956]
2. (i) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में विवाह की आयु क्या है? (.....)
- (ii) बाल-विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष में बना? (.....)
- (iii) सियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? (.....)
- (iv) दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? (.....)

[उत्तर- (i) लड़के की 21 वर्ष तथा लड़की की 18 वर्ष, (ii) 1929, (iii) 1956, (iv) 1961]

3. ‘हौ’ अथवा ‘नहीं’ में उत्तर दीजिए-
 - (i) सती-प्रथा को समाप्त करने का प्रयास राजा राममोहन राय ने किया था।
 - (ii) आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे।
 - (iii) बाल-विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 ‘शारदा एकट’ के नाम से जाना जाता है।
 - (iv) ब्रह्म समाज के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे।

[उत्तर- (i) हौ, (ii) हौ, (iii) हौ, (iv) नहीं]

4. निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन-कौन-से अधिनियम समाज-सुधार से सम्बन्धित हैं—

(i) भूमि चक्रवर्ती अधिनियम

(ii) शास्त्रादा एकट

(iii) राजस्वान पंचायत राज अधिनियम

(iv) दंडे नियोगक अधिनियम

[उत्तर-(ii), (iv)]

5. निम्नलिखित कथनों को मर्ही करके लीखिए—

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम सन् 1950 में पारित हुआ।

(ii) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन् 1956 में बना था।

(iii) अस्यूरस्ता (अपराध) अधिनियम सन् 1855 में पारित हुआ था।

[उत्तर-(i) 1955, (ii) 1856, (iii) 1955]

6. निम्नलिखित वाक्यों को पूछ करिए—

(i) दंडे नियोगक अधिनियम सन् में पारित हुआ था।

(ii) हिन्दू विवाहों को सम्पत्ति में अधिकार सर्वध्यवम सन् में मिला।

(iii) वाल-विवाह नियोगक अधिनियम सन् में पारित हुआ था।

[उत्तर-(i) 1961, (ii) 1937, (iii) 1929]

7. निम्नलिखित प्रावधान किन सामाजिक अधिनियमों के अनुर्गत रहे गए हैं—

(i) एक-विवाह की शर्तें।

(ii) धारा 17 के द्वारा अस्यूरस्यों की सभी नियोग्यताओं को समाप्त करना।

(iii) विधवा स्वी अपने मृत पति से प्राप्त अपने हिस्से की सम्पत्ति का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकती है।

[उत्तर-(i) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, (ii) अस्यूरस्ता (अपराध) अधिनियम 1955, (iii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956]

□□□

अध्याय - 20

पंचवर्षीय योजनाएँ तथा सामाजिक परिवर्तन

(Five Year Plans and Social Change)

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्, प्रजातान्त्रिक सरकार का उद्देश्य देश की जनता का जीवन स्तर उन्नत करना रहा है। पंडित नेहरू की यह परिकल्पना थी कि देश की चतुर्मुखी प्रगति के लिये उसकी आधारिता इन प्रकार रखी जाए कि अग्री चलकर वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अतः देश की जनता की आर्थिक स्थिति को सुट्ट बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को गतिशील करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

वास्तव में अंग्रेजी शासन के दौरान देश की आर्थिक स्थिति बड़ी दुर्बल हो गई थी। अर्ध-तंत्र की नींव डागमगाने से अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्याये सामने आने लगी थीं जिनसे उबरने का एक मात्र प्रयास देश का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना था। योजनाबद्ध कार्य के द्वारा एक निरिचित चरण में अपने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आज जब भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने के लिए प्रयासरत है तो उसके लिये यह अत्यावश्यक है कि वह अपने सामाजिक-आर्थिक विकास को योजनाबद्ध रूप से करे, क्योंकि विना सुनियोजन के देश की समस्याओं से नहीं निपटा जा सकता। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ 1951 से किया गया है। अब तक आठ पंचवर्षीय योजनाओं का गठन हो चुका है जिनमें देश के कल्णाणीय अनेक कार्य किए जा चुके हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तार से अध्ययन करने के पूर्व नियोजन का अर्थ और भारत में इसकी आवश्यकता पर एक दृष्टि ढालना आवश्यक है।

नियोजन (आयोजन) का अर्थ और परिपारा—

1. ग्रिफिन और इनास ने कहा है “नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक उपयुक्त साधन है तथा मानवीय डिन्याओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है।”

2. एल. एस. लार्येन के अनुसार, “नियोजन सामान्यतया मानवीय शक्ति को विवेकपूर्ण एवं इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आदेशित करने का एक प्रयत्न है।”

3. गुजरात बिडल ने कहा है, “नियोजन से तात्पर्य एक देश की सरकार द्वारा साधारणतया अन्य सामूहिक समितियों की सहभागितापूर्ण सामाजिक नीतियों को तारिकता सहित समन्वित

करने का चेतन प्रयास है जिससे आगामी विकास के चाहे गए उद्देश्यों, जो राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होते हैं (उन), तक पूर्ण रूप से तथा शीघ्रता से पहुँचा जा सके।”

4. योजना आयोग, भारत सरकार ने कहा है, “नियोजन वास्तव में सुपरिभाषित सामाजिक उद्देश्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये अपने साधनों को संगठित करने तथा उपयोग में लाने की विधि है।”

उपर्युक्त विद्वानों ग्रिफिन, इनास, लारविन, मिर्डल और योजना आयोग की परिभाषाओं से यह मिकर्ख निकलता है कि नियोजन एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध मानव संगठन का प्रयास है जो उपलब्ध साधनों से अधिकतम लक्ष्यों को कम-से-कम समय में प्राप्त करने का प्रयास करता है।

नियोजन के उद्देश्य - नियोजन का उद्देश्य मानवीय स्वतंत्रता और बौद्धिकता का विकास करना है। नियोजन का उद्देश्य सीमित साधनों का इस ढंग से उपयोग करना है जिससे अधिकाधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

नियोजन को प्रमुखतः दो प्रकार का माना जा सकता है—

(1) आर्थिक नियोजन (2) सामाजिक नियोजन।

आर्थिक नियोजन— आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अविकसित क्षेत्रों का विकास करना और आर्थिक असमानता को दूर करना है। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कृषि, व्यापार, उद्योग-धन्ये, यातायात संचार, रोजगार, खनिज-पदार्थ और प्रति व्यक्ति अधिकतम आय आदि उद्देश्यों को लिया जा सकता है।

सामाजिक नियोजन— सामाजिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को क्रियाशील बनाए रखना है। सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों के लिए तथा समाज के पिछडे वर्गों के उन्नयन के लिये कार्यक्रम बनाना व उन्हें क्रियान्वित करना, मातृत्व एवं शिशु कल्याण शारबदंदी, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार और सामाजिक कुरीतियों का निवारण आदि आते हैं।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियोजन का उद्देश्य सम्पूर्ण समाज का सभी प्रकार से कल्याण करना है तथा समाज के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान करना है। समाज में सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता तथा भ्रातृत्व के बातावरण का निर्माण करना है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सविधान तथा पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। एक शब्द में कहें तो समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है। भारत में सामाजिक नियोजन के उद्देश्य, वर्णन तथा व्याख्या समय-समय पर होती रही है। जहाँ तक संविधानिक नियोजन का प्रश्न है, वह तो सन् 1950 में संविधान का निर्माण करके कर दिया गया है। उनको पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया जाता रहा है। पचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों के द्वारा भारत में नियोजन किया जाता रहा है जिसके उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शोषण से रक्षा, कृषि क्षेत्र में सुधार, वास्तविक प्रजातन्त्र की स्थापना व देश को समृद्ध बनाना आदि हैं।

भारत में नियोजन की आवश्यकता तथा महत्व— भारत में नियोजन की आवश्यकता मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और ग्रामीण क्षेत्र तथा समाज कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण आदि में है। इनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है—

1. सामाजिक क्षेत्र— भारत में समय-समय पर सरकारी, अर्द्धसरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के प्रयास किये जाते रहे हैं। विभिन्न नियोजित सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा समाज की अनेक समस्याओं, कुरीतियों, अन्यविश्वासों, प्रथाओं आदि को बदलने का प्रयास किया गया, कानून बनाए गए। सती-प्रथा, विप्रवा-पुनर्विवाह, अनार्जीतीय विवाह, बाल-विवाह निरोपक अधिनियम आदि नियोजित सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सरकार और समाज मुपारकों के प्रयास इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। अभी भी भारत में समाज सम्बन्धित अनेक समस्याएँ हैं जिन्हें नियोजन के द्वारा समाप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, इनमें उल्लेखनीय समस्याएँ— बाल-विवाह, विप्रवा-पुनर्विवाह, अन्त जाति विवाह, पर्दा-प्रथा, दहेज, अशिक्षा, अस्थृत्यता, जाति-व्यवस्था के प्रतिक्रिया आदि हैं।

इनके अतिरिक्त बाल-भिद्यावृत्ति, भिद्यावृत्ति, बाल-अपाप, वेश्यावृत्ति, क्षेत्रवाद, साप्त्रदायिकता, भाषावाद, छात्र-असन्तोष, भ्रष्टाचार, बेकारी आदि अनेक सामाजिक समस्याएँ हैं जिनको समाप्त करने के लिए नियोजन कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता रहा है तथा नई-नई योजनाएँ तैयार की जाती रही हैं। नियोजन का सबसे प्रमुख लक्ष्य उपर्युक्त समस्याओं को समाप्त करके समाज की व्यवस्था को सुधारना है।

2. समाज कल्याण— भारत में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नियोजित समाज कल्याण कार्यक्रमों की विशेष आवश्यकता रही है। आदिम-समाज, गिरिजन समाज, पिछड़ी जातियाँ, दलित वर्ग आदि की स्थिति बहुत दयवीय है। इनके मुपार के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार ने अनेक समाज कल्याण कार्यक्रम चला रहे हैं। नियोजन के द्वारा इन समाजों का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है तथा विभिन्न समस्याएँ, जैसे— अज्ञानता, अन्यनिश्चास, बेकारी, धीमारी, सामाजिक शोषण, दण्डिता, पिछड़ापन, शारीरिक और मानसिक असामर्थ्यता आदि को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के नियोजन कार्यक्रमों को समाज कल्याण के अन्तर्गत रखा गया है। इन उपर्युक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त रिंगु कल्याण, मातृत्व कल्याण, ग्रम-कल्याण, परिवार नियोजन आदि के लिये भारत में नियोजन की विशेष आवश्यकता है।

3. आर्थिक क्षेत्र— कोई भी नियोजित कार्यक्रम आर्थिकी से असम्बन्धित नहीं हो सकता। कोई भी समाज, देश या राष्ट्र कभी भी नियोजित आर्थिक परिवर्तन से स्वतन्त्र नहीं हो सकता। जब से नियोजित परिवर्तन का हथियार मानव के हाथ लगा है तब से आर्थिक स्थिति सर्वोपरि रहा है। सभी समाजों में, सभी कालों में नियोजित आर्थिक परिवर्तन किसी न किसी रूप में सामाजिक धरिवर्तन का अंग रहा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, आर्थिक विप्रमता, आर्थिक तथा सामाजिक असुधारा, वर्ग संघर्ष आदि जटिल समस्याओं का निराकरण नियोजित कार्यक्रम के द्वारा ही अन्यकाल में सम्भव हो सकता है। आर्थिकी से सम्बन्धित जितनी भी समस्याएँ हैं वे समाज के कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित होती हैं तथा उनका आर्थिक कल्याण सरकार ही कर सकती है। इसीलिए विभिन्न योजनाओं द्वारा निर्धारित वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा परिवर्तन करने के लिये सरकार सतत प्रयास करती रही है तथा इसमें आरातीत सफलता भी मिली है। निर्धारित वर्ग की स्थिति में सुधार भी आया है।

4. राजनीतिक क्षेत्र— नियोजन का एक महत्वपूर्ण प्रकार राजनीतिक भी है। सामाजिक परिवर्तन लाने में राजनीतिक नियोजन की भी अहम् भूमिका है जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। समय-समय पर सरकार अनेक नियम तथा अधिकार देकर सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने

के लिये योजनाबद्ध रूप से कार्य करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो संविधान बना तथा पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई तथा कार्यान्वित की गई उनमें मुख्य लक्ष्य भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना रहा है। इसमें रान्य द्वारा समाजवाद लाने का प्रयास किया जाता रहा है। नियोजन द्वारा समाजवाद लाने के लिये प्रजातांत्रिक पद्धति अपनाई गई जो प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, सामाजिक-ध्याय आदि प्रदान करती है। इसमें राजनैतिक क्षेत्र में नियोजित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है।

5. धार्मिक क्षेत्र— धर्म के द्वारा नियोजित सामाजिक परिवर्तन किए गये हैं। धर्म के द्वारा मानव सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित रखा जाता है। हिन्दू समाज में धर्म के द्वारा अनेक योजना-बद्ध विधि से सामाजिक परिवर्तन किए गये जो समाज के लिये लाभदायक अथवा हानिकारक सिद्ध हुये। मध्यकाल तथा स्मृतिकाल में धर्म के नाम से समाज में अनेक परिवर्तन, जैसे—स्त्री-शिक्षा पर प्रतिबन्ध, सती प्रथा, अस्मृत्यता, विधवा पुनर्विवाह प्रतिवन्ध, बाल-विवाह आदि का प्रयास प्रारम्भ किया गया जो कालान्तर में कुरीतियों, कुप्रथाओं के रूप में विकसित हो गया।

दूसरी ओर अनेक धार्मिक सुधार आनंदोलन चले जो एक प्रकार से नियोजित सामाजिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्रारम्भ हुए, जैसे—बौद्ध धर्म (अशोक के शासन काल में), जैन धर्म, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। ब्रह्म समाज के प्रयासों द्वारा सती-प्रथा निरोधक अधिनियम तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सरकार को बनाने पड़े। आर्य समाज के द्वारा हिन्दू धर्म तथा समाज को नियोजित रूप से परिवर्तित करने का प्रयास किया गया जिसमें अन्यविश्वास, हुआद्यूत की भावना (अस्मृत्यता), धार्मिक कट्टरता, कर्म-काण्ड की जटिलता आदि को समाप्त करने का प्रयत्न होता रहा है। भारतवर्ष में अनेक धार्मिक सगठनों द्वारा नियोजित सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। इनमें उल्लेखनीय धार्मिक सगठन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म आदि हैं।

6. जनसंख्या नियंत्रण— जनसंख्या के आकार और धनत्व का सीधा सम्बन्ध समाज की खुगाहाती, जन्म-दर, मृत्यु-दर आदि के साथ है। इसलिए समाज में नियोजन द्वारा जनसंख्या को बढ़ाना अथवा घटाना आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण होता है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है इसलिए अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद भी देश की स्थिति दयनीय है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति का लाभ जनसंख्या की वृद्धि के कारण नाया हो जाता है। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन द्वारा लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब जनसंख्या की वृद्धि को रोका जाए। इसके लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम ललाया जा रहा है। तेजी से जनसंख्या के बढ़ने को रोकने के लिये गर्भपाता को भी वैधानिक मान्यता दे दी गई है। जब तक जनसाधारण परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपना कर जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में महेश्वर नहीं देरी तब तक भारत में चलाए जा रहे अमेरिका, अर्थिन, स्पॉर्टिंग आदि नियोजित परिवर्तन के कार्यक्रमों के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे।

7. नगर नियोजन— कई शताब्दियों तक लोग अपने मकानों को अपनी इच्छानुसार बना लेते थे। 20 वीं शताब्दी तक नगरों के निर्माण की योजनाबद्ध पद्धति से बसावट पर सम्बन्धित ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन आज इसके प्रति जागरूकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। नगर नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। मानव समाज की विभिन्न आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नगरों का निर्माण किया जाता है। इससे सम्बन्धित अनेक कानून पारित किए

प्रथम पंचवर्षीय योजना

(1951-56)

द्वितीय महायुद्ध के कारण एवं देश के विभाजन के परिणामस्वरूप समाज के समक्ष अनेक समस्याएँ आ गई थीं। अनेक शरणार्थी भारत में आ गये थे, जिनको बसाना था। देश की आर्थिक-दशा जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी, खाद्यान्न व कच्चा माल अपर्याप्त था। देश की अधिकांश जनता जो ग्रामों में निवास बर रही थी, उसके लिये कृषि, शिक्षा, कुटीर-उद्योग, यातायात, चिकित्सा व स्वास्थ्य आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करानी थीं, इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिये व देश की अर्थ-व्यवस्था को सुनियोजित करने के उद्देश्य से सन् 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 'सलाहकार योजना बोर्ड' स्थापित हुआ। उसने योजना आयोग गठित करने की सलाह दी, जिसके परिणामस्वरूप 15 मार्च, 1950 को पडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय योजना आयोग' की स्थापना की गई। 16 माह के विचार-विमर्श के उपरांत पांच वर्ष का कार्यक्रम देश के विकास की दृष्टि से बनाया गया। जिसे 'प्रथम पंचवर्षीय योजना' कहा जाता है। इसकी अवधि 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 थी।

योजना व्यय— प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कुल योजना व्यय 1,960 करोड रुपये था। उस समय देश में उपस्थित खाद्य-रांकट के समाधान हेतु एवं औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति के लिये इस योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई और कृषि और सामुदायिक विकास पर 290 करोड रुपये, मिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 430 करोड रुपये व्यय किये गये जो कुल योजना व्यय का 30.6 प्रतिशत था। उद्योग और खनिज पर 55 करोड रुपये, परिवहन और संचार पर 518 करोड रुपये, और अन्य मदों पर 225 करोड रुपये व्यय किये गये।

योजना की उपलब्धियाँ— इस योजना काल में सबसे अधिक महत्व कृषि और सिंचाई को दिया गया। यह सम्पूर्ण योजना -बजट वा 44.6 प्रतिशत था। 'औद्योगिक खेत्र पर योजना-लागत का कुल 5 प्रतिशत व्यय किया गया, जो बहुत कम था। विद्युत-विकास, सामुदायिक विकास और समाज-कल्याण को अधिक महत्व नहीं दिया गया। पिछडे वर्गों के कल्याण पर केवल 2.03 करोड रुपये खर्च किये गये। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये 7.8 करोड रुपये और जनजातियों पर 1.10 करोड रुपये व्यय किये गये। इस समय एक "समाज कल्याण बोर्ड" की स्थापना-दुर्गाचाई देशमुख की अध्यक्षता में की गई जिसका कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अपग्र बच्चों व स्त्रियों के कल्याण के लिये कार्य करना था। इस योजना काल के अन्त में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई और योजना के पूरे बजट में से मात्र दो-तिहाई खर्च हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

(1956- 61)

सन् 1956-61 के मध्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस योजना काल में कृषि की अपेक्षा उद्योग को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई। इस काल में योजना के समक्ष प्रमुख उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को उन्नत करना था। इसके लिये भारी उद्योगों को विकास करना व लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रमुख तक्ष्य रखा गया जिससे राष्ट्रीय

इस योजना काल में कुल राशि का 17 प्रतिशत समाज-कल्याण कार्यों पर व्यय किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, विस्थापितों के पुनर्वास, अपराध- निवारण और जल-पूर्ति आदि के लिये भी पर्याप्त प्रयास किए गये, किन्तु प्रति व्यक्ति आय में कोई अंतर नहीं पड़ा। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय दैक से भी काफी ऋण लेना पड़ा। इस प्रकार इस योजना में अर्थव्यवस्था अति दीन-हीन स्थिति में हो गई।

योजना की छुट्टी का काल अथवा योजना अवकाश

तृतीय योजना के अन्त में अर्थ-व्यवस्था पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा परिणामतः योजना आयोजकों ने चतुर्थ योजना के स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ क्रियान्वित की। इन वार्षिक योजनाओं का मूल लक्ष्य खाद्यान्न संकट को समाप्त करना रखा गया। इस कारण कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। सन् 1966 से 1969 तक के काल में तीन वार्षिक योजनाएँ इस प्रकार बनाई गई— (1) 1966-67 का काल जिसमें 2,082 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित किया गया और वास्तविक व्यय 2,137 करोड़ हुआ, (2) 1967-68 का काल जिसमें 2,246 करोड़ प्रस्तावित व्यय रखा गया और 2,205 करोड़ वास्तविक व्यय हुआ और (3) 1968-69 का काल जिसमें प्रस्तावित व्यय 2,337 करोड़ और वास्तविक व्यय 2,283 करोड़ रहा। इन कालों में तृतीय पचवर्षीय योजना काल की अवधि में हुई कमियों को दूर करने का कार्य किया गया। इसमें तृतीय पचवर्षीय योजना के बचे हुये कार्यों को पूरा किया गया। इसी कारण इस काल को 'योजना की छुट्टी का काल' अथवा 'योजना-अवकाश' कहा जाता है।

इन तीनों कालों का कुल योजना व्यय 6,625 करोड़ रुपये हुआ। कृषि और सिंचाई पर 426 करोड़ और 471 करोड़ रुपये खर्च किये गए। परिवहन व संदेशवाहन पर 1,107 करोड़, शिक्षा पर 207 करोड़, नियोजन पर 752 करोड़, पिछड़े बर्गों के कल्याण पर 68.5 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

चौथी पचवर्षीय योजना

(1969-74)

चौथी पचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई। इस योजना के उद्देश्य— 5.5% वार्षिक वृद्धि दर से आर्थिक विकास करना, आय के वितरण में असमानताओं को कम करना, समानता और सामाजिक न्याय में वृद्धि करना, देश का तीव्रता से विकास करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, इसके लिये पारिवार नियोजन कार्यक्रम को विस्तार से लागू करना, वेरोजगारी को रोकना, आय की असमानता को कम करना और देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करना— थे।

योजना-व्यय— इस योजना काल में 15, 779 करोड़ रुपये व्यय किए गये। इनमें से कृषि पर ₹. 520 करोड़, सिंचाई पर 1,354 करोड़, शाकित पर 1,932 करोड़, पारिवहन एवं संचार पर 3,080 करोड़, स्वास्थ्य पर 403.4 करोड़, पारिवार-नियोजन पर 315 करोड़, जलपूर्ति व सफाई पर 407.3 करोड़ और पिछड़े लोगों के कल्याण पर 142.4 करोड़ रुपये खर्च किए गये।

योजना की उपलब्धियाँ— चौथी पचवर्षीय योजना ने न तो खाद्यान्नों में आत्म-निर्भता प्राप्त की और न ही इस योजना में वेरोजगारी में कमी हुई। मुद्रास्फीति भी और जटिल हो गई। इस प्रकार यह योजना आर्थिक विकास लाने में सफल नहीं रही।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

(1974-79)

इस योजना का मुख्य लक्ष्य, गरीबी- उम्भूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था । निर्धन व्यक्तियों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने के लिये 1972-1973 की कीमतों को आधार मानकर 40 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की आय को निश्चित करने के लिये योजनार के अवसरों का विस्तार, आत्मनिर्भरता, न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना, और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने आदि के लिये प्रयास किए गये ।

योजना-व्यय- इस योजना काल में 53,411 करोड़ रुपये का प्रस्तावित व्यय तय किया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 63,751 करोड़ रुपये कर दिया गया । इसमें कृषि पर 4,805 करोड़, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 3,877 करोड़ रुपये व्यय किये गये । इसमें कृषि-विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य 5.5 प्रतिशत रखा गया, जिसे पूरा कर दिया गया । इस समय उद्योग एवं संचार पर 10,201 करोड़, परिवहन और संचार पर 6,917 करोड़, शिक्षा पर 1,285 करोड़, समाज कल्याण पर 119 करोड़, और अन्य मर्दों पर 5,703 करोड़ रुपये खर्च किये गये । श्रम-कल्याण पर 57 करोड़ और परिवार-नियोजन पर 516 करोड़ रुपये खर्च किये गये ।

योजना की उपलब्धियाँ—यह योजना सन् 74 से 79 तक के लिये थी किन्तु 1977 में कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत के कारण जनता दल सरकार ने इस योजना को 31 मार्च, 1978 को ही समाप्त कर दिया । छठी योजना को उसी समय प्राप्तम्भ कर दिया गया किन्तु जब कांग्रेस सरकार ने जनता पार्टी को हराकर पुनः सत्ता हासिल की तो पांचवीं योजना के काल को 74 से 79 तक बताया ।

वास्तव में इस योजना काल में किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके । ही, खाद्यान्त्र के क्षेत्र में अवश्य सफलता हासिल की गई । फिरभी कृषि उत्पादकता और विकास की दृष्टि से पंचम पंचवर्षीय योजना संतोषजनक नहीं कही जा सकती ।

छठी पंचवर्षीय योजना

(1980- 85)

इस योजना काल में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये गये, वे इस प्रकार हैं— आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ऊर्जा-विकास करना, गरीबी समाप्त करना व विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना ।

योजना-व्यय- इस योजना काल में 8,75,000 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया । इस काल में कुल योजना-व्यय का 28 प्रतिशत ऊर्जा-विकास पर खर्च किया गया, उसके बाद कृषि-विकास पर कुल व्यय का 26 प्रतिशत व्यय किया गया । शिक्षा के विकास की दृष्टि से इस काल में 11 से 14 वर्ष तक के 50 प्रतिशत बालकों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया । 50 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना की गई । इस प्रकार इस काल में शिक्षा पर 2,354 करोड़ रुपये का व्यय किया गया । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,831 करोड़ रुपये,

सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर 272 करोड रुपये, श्रम कल्याण पर 200 करोड रुपये खर्च किये गये। सभी प्रकार के श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के प्रयास किये गये। परिवहन और संचार पर 15,702 करोड और शक्ति पर 15,018 करोड की राशि खर्च की गई।

योजना की उपलब्धियाँ— इस काल में दरिद्रता की समाप्ति का उद्देश्य प्रमुख था अतः इस योजना में आर्थिक विकास, आय की असमानता को कम करना, कमजोर दर्दी को ऊपर उठाना और बेरोजगारी उम्मलन आदि पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में विकास के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की गई। गरीबी की रेखा से भी जीवन जी हें लोगों का अनुपात जो 77-78 में 48.3 प्रतिशत था, अब गिरकर 36.9 प्रतिशत रह गया। जनसंघ्या नियंत्रण पर भी बल दिया गया। इसी काल में ग्रामीण-निर्धनता के निवारण के लिये 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

(1985-90)

इस योजना काल में यह कल्पना की गई कि कृषि में उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग लघु एवं सीमान्त किसानों तथा वर्षा वाले व शुष्क क्षेत्रों से प्राप्त किया जा सकेगा और सिचाई-सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च महत्व दिया जायेगा। इस समय गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने को प्राथमिकता दी गई। इस काल में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि—इन पर अत्यधिक जोर दिया गया।

योजना-व्यय— इस योजना में 34 खरब, 81 अरब 48 करोड रुपए व्यय करने का प्रावधान था। इनमें से कृषि-विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों पर 39,769 करोड रुपये व्यय किये गये जो कुल योजना व्यय का 22.1 प्रतिशत था। कुल व्यय में से 18 खरब रुपये सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण विकास पर 9,074.22 करोड, शक्ति पर 54,821.26 करोड, गतायात पर 22,791.02, विज्ञान और तकनीक पर 2,466 करोड तथा समाज सेवाओं पर 29,350.46 करोड खर्च किया गया।

योजना की उपलब्धियाँ— इस काल में कृषि, ग्रामीण-विकास और सामाजिक सेवाओं पर विशेष बल दिया गया था किन्तु कृषि और ग्रामीण विकास आदि में आराम के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। यद्यपि इस समय सभी विकास कार्यक्रमों पर पर्याप्त राशि व्यय की गई थी। इस योजना में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने, तथा सभी को मकान प्राप्त कराने, एवं स्वास्थ्य संरक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये।

1 अप्रैल 1990 से आठवीं पंचवर्षीय योजना को प्रारम्भ किया जाना था, किन्तु केन्द्रीय सरकार पर राजौतिक अस्थिरता के कारण इसे अप्रैल 1992 से लागू करना पड़ा। इसके बीच के दो वर्षों के अन्तराल को (1990-91 और 1991-92) को 'वार्षिक-योजना-काल' माना गया। 1990-91 में योजना-व्यय 61,523.1 करोड और 1991-92 में योजना पर 2,316.8 करोड रुपये खर्च किए गये।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

(1992-1997)

यह योजना वर्दमान में लागू है जो 1997 तक चलेगी। इस योजना के अत तक ग्रामीण-विकास, निर्धनता की समाप्ति, जनसंख्या-नियंत्रण, शिक्षा एवं अनिवार्य आवश्यकताएँ सबको उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस काल में योजगार को उपलब्ध कराने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। नरसिंहाराव सरकार के काल में प्रणव मुखर्जी ने 22 मई, 1992 को इस योजना को 'राष्ट्रीय विकास परिपद' से पास करवाया।

योजना-व्यय— इस योजना काल में 8,98,000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगे। कृषि-विकास कार्यक्रमों पर 1,48,800 करोड़ प्रस्तावित व्यय है। सार्वजनिक क्षेत्र पर 4,34,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबी-उन्मूलन, अशिक्षा की समाप्ति और सभी स्थानों पर पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि अधिकाधिक पूँजी ऐसे छोटे उद्योगों में लागू जाए, जिनके गहन होने की संभावना हो। कृषि-उद्योग, सेवा क्षेत्र और निर्यात के विकास की दर में पूर्व की तुलना में अधिक वृद्धि की आशा की गई है। देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में इस योजना में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

सभी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता और भूमि सुधार एवं भू-अभिलेख आदि पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त ध्यान व्यय की जाएगी। इलेक्ट्रोनिकी, समन्वित ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम और निर्धनता आदि पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन सब कार्यक्रमों के पारंपरागत देश अवश्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। रोजगार के अवसर प्राप्त कराना, कमज़ोर वर्गों का उन्नयन, निर्धनता की परिसमाप्ति और ऊँच-नीच का भेद मिटाकर समाज को समता की ओर ले जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

पंचवर्षीय योजनाएँ : सामाजिक परिवर्तन एवं समाज कल्याण

पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समाज के कमज़ोर वर्गों का उन्नयन करना है। देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये अनेक कार्यक्रम चलाए गये जिनका उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना करना है। अस्पृश्यता की समाप्ति और ऊँच-नीच की परिसमाप्ति के लिये समाज कल्याण कार्यक्रम की स्थापना की गई है। इन कल्याणकारी कार्यों का उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना है। समाज कल्याणकारी कार्यक्रमों का अर्थ समाज के शोषित, दिछड़े और असहाय लोगों के कल्याणार्थी जने वाली सेवाओं से लिया जाता है, जिससे ये कमज़ोर वर्ग ऐसी स्थिति में आ सकें कि अपना विकास स्वयं कर सकें।

योजना आयोग के अनुसार— "समाज कल्याण कार्यक्रमों से जनता के अनेक पर्फिडित वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में समाज की चिता व्यक्त होती है और इन कार्यों में राष्ट्रीय विकास पर विशेष जोर दिया जाता है।"

दुर्गाबाई देशमुख ने समाज कल्याण कार्यक्रम को जनसंघ्या के दुर्बल एवं पीडित हिस्से के लाभ के लिये किए जाने वाला विशेषकृत कार्य बताया है जिसमें स्त्रियों, बच्चों, अपंगों और मानसिक रूप से विकृत व पीडित व्यक्तियों के कल्याणार्थ की जाने वाली सेवाएं समाविष्ट हैं।

सारांशतः समाजकल्याण कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ विशेष प्रयास किए जाते हैं जिससे ये लोग आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता बाहुत कर समाज के पुनर्गठन में अपना योगदान दे सकें। इन समाज कल्याण कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिये प्रयास किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा किए गए समाज कल्याण कार्य

सामाजिक नियोजन का उद्देश्य समाज कल्याण है। भारत में इस सम्बन्ध में एक तम्बे समय से प्रयास जारी है कि सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा क्या हो ? केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें भी इस ओर विशेष प्रयत्नशील हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सन् 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। 1965 में एक पृथक् समाज-कल्याण मन्त्रालय बनाया गया है। दोनों के समन्वित प्रयास से समाज कल्याण के लिये निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं—

1. बाल-कल्याण— बाल कल्याण सबसे महत्वपूर्ण समाज-कल्याण कार्य है। स्वतन्त्र भारत में सरकार द्वारा अनेक सामाजिक विधानों तथा कार्यक्रमों के द्वारा बाल-कल्याण के क्षेत्र में अत्यन्त सराहनीय कार्य किए गये हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं— पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बालकों को पौष्टिक आहार प्रदान करने तथा संक्रामक बीमारियों से उनकी रक्षा करने व उनके स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित कार्य हो रहे हैं जिससे सभी बालक स्वस्थ रह सकें। इसके लिये सरकार ने बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एम.) प्रारम्भ की है। उस समय 1,605 'समन्वित बाल विकास सेवाएँ' सम्बन्धीय कार्यक्रम देश में चल रहे हैं। सन् 1979 में भारत में 'राष्ट्रीय बाल कोष' की भी स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य बाल-कल्याण कार्यक्रमों की वृद्धि बढ़ाना है। इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रशंसापत्र व 30,000 रुपए देने का प्रोत्साहन सरकार की ओर से दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही संस्था को एक प्रशंसा-पत्र एवं 2 लाख रुपये की राष्ट्रीय पुरस्कार देने की व्यवस्था भी इस हेतु की गई है जिससे अधिकाधिक संख्या में बालकों के उन्नयन के प्रयास किये जा सकें।

'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (आई.एस.ओ.) की प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1980 में 1 करोड 65 लाख बाल - अधिक थे। कारखाना अधिनियम, 1948 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने में काम पर न लगाया जाए। 'भारतीय खान नियम, 1952' के अनुसार किसी भी 15 वर्ष से कम आयु के बालक को खानों में काम न करने दिया जाए। साथ ही 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए काम करने के घटे, वेतन, लुट्रियॉन, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ, कार्य करने की दिशायें आदि भी निर्धारित की गई हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे तथा आर्थिक दृष्टि से उनकी प्रगति हो सके।

सरकार द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के सभी बालकों को अनिवार्य नि शुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग भी अपने बालकों को साक्षर बना सके। अनेक कार्यक्रम इस दृष्टि से समय-समय पर आयोजित किये जा रहे हैं। अनेक प्राथमिक मंत्र की सम्बाधाएँ छाती जा रही हैं जिससे बौद्धिक दृष्टि से बालकों का उन्नयन हो।

‘कल्याण के लिये छात्रावास एवं पहिला मण्डल बनाए गये हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की दृष्टि से अनेक प्रयास सरकारी स्तर पर किये जारहे हैं। सन् 1975 कावर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में माना गया था जिसमें भारतवर्ष में भी अनेक कार्यक्रम महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक हितों की दृष्टि से आयोजित किये गये हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्थियों के कल्याण कार्यक्रमों पर एक बड़ी राशि व्यय की जाती है। छठी योजना में 34.44 करोड़ रुपये महिला कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया और सातवीं योजना में इससे दोगुनी से भी अधिक मात्रा में राशि महिला विकास पर खर्च किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार महिलाओं के उद्ययन हेतु अनेक कार्यक्रमों की आयोजना नियोजित परिवर्तन के अन्तर्गत की जा रही है जिससे उनका शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक आदि दृष्टि से पूर्ण विकास हो सके।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिला कल्याण पर 8,012.36 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है। 1986-87 में ‘महिला विकास निगम’ बनाये गये जिससे महिलाओं को अच्छे रोजगार उपलब्ध हो सके। जनवरी 1992 में एक ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ गठित किया गया। जिसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा सामाजिक-आर्थिक रूप से हो रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाना है। जरूरतमद महिलाओं को क्रषि की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ‘राष्ट्रीय क्रषि कोष’ की स्थापना भी की जा रही है। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

3. अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण— अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये अनेक कार्य किये गये हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों वे हैं जिनका नाम सरिधार की अनुसूचि में दिया गया है और सरकार जिनके लिये विशेष सुविधाएँ प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान कर रही हैं— पिछड़े वर्ग में वे लोग सम्मिलित हैं जो आज भी परम्परागत पेशा अपनाकर जीवन-यापन कर रहे हैं तथा अनेक सुविधाओं से आज भी बचित हैं। इनके लिये सरकार द्वारा हर क्षेत्र में सुविधाएँ दी जा रही हैं।

इन सभी के लिये शिक्षा व्यवस्था में विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये 15 प्रतिशत स्थान और अन्य में 16.66 व 7.5 स्थान क्रमशः सुरक्षित रखे गये हैं। अनेक छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास सुविधा, नि.शुल्क पुस्तके आदि अनेक सहायता दी जाती है। आर्थिक दृष्टि से भी नौकरियों में आरक्षण, कृषि एवं उद्योगों में क्रत्त, भूमि वितरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके लिये सभी योजनाओं में पर्याप्त राशि व्यय की जारही है। अब 1994-95 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये 982 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन वर्गों के लिये केन्द्रीय संसद कानून 1993-94 में 58 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1994-95 में 76 करोड़ रुपये की सहायता की व्यवस्था की जारही है। इन वर्गों के लिये खुली प्रतियोगिताओं एवं पदोन्नति में भी स्थान सुरक्षित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन अनुसूचित जातियों व जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिये लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों आदि में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा इनके उद्ययन के अनेकानेक प्रयास जारी हैं। लोकसभा के 543 स्थानों में से 79 अनुसूचित जातियों और 41 अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं। विधान सभाओं के 4047 स्थानों में से 557 स्थान अनुसूचित जाति और 527 अनुसूचित जनजाति के लिये सुरक्षित हैं। यह व्यवस्था सन् 2000 तक के लिये की गई है।

केन्द्र व राज्य स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन इनके स्वास्थ्य, चिकित्सा, पीने के स्वच्छ पानी आदि की व्यवस्था के लिये किया गया है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इन सभी के कल्याण के लिये अत्यधिक राशि व्यय की जाती है। केन्द्र सरकार अलग से सभी मदों पर राशि व्यय करती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इनके कल्याण के लिये 1,520.43 करोड़ रुपयों का प्रबंधन किया गया है।

कुछ विशेष कार्यक्रम, जैसे—कुटीर-उद्योग एवं कला-कौशल सिखाने के लिये बहुउद्देशीय सहकारी समितियां व जनजातीय विकास छण्ड, जनजातीय अनुसंधान संस्थान एवं समन्वित जनजाति विकास जैसी योजनाएँ स्थापित की गई हैं, जिन पर अत्यधिक धनराशि व्यय की जा रही है जिससे इन वांगों की आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से उन्नति हो सके।

अनेक अधिनियम इनकी सुरक्षा की दृष्टि से पारित किये गये हैं, जैसे—1955 में अस्मृत्युता अधिनियम बनवा गया; इन्हें गरीबी की ऐखा से ऊंचा उठाने के लिये भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं। अनेक केन्द्र, जैसे—‘जनजातीय अनुसंधान केन्द्र’, ‘अनुसूचित जाति विकास’ जैसे नियमों की स्थापना की गई है।

4. श्रम कल्याण— श्रमिकों की स्थिति भारत में सदैव ही निम्न श्रेणी की रही है। पूंजीपति और मजदूर वर्ग के मध्य मतभेद सदैव दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मजदूर मेहनत करता है और लाभ मिलता है पूंजीपति को। इसका शोषण होता रहता है वरिगाम है इनके स्तर में गिरावट। इस कारण सरकार का ध्यान इन लोगों की दशा को सुधारने के लिये गया। समय-समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए व कल्याणकारी योजनाएँ बनीं, जिनसे श्रमिकों को अमुरक्षा, शोषण, कम आयु व कार्यकुशलता कमी आदि पर ध्यान दिया जा सके।

1948 में फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 14 वर्ष की आयु कार्य करने के लिए निर्धारित कर दी और द्रान्सपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 ने 8 घण्टे प्रतिदिन कार्य की व्यवस्था की। 1965 में बेकार व्यक्तियों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई।

1956 में ‘गन्दी बस्तियां से सम्बन्धित अधिनियम’ पारित हुआ जिसके आधार पर किसी क्षेत्र को मनुष्य के रहने के अग्रेष्य बताकर ताफ़ कराया जा सकता है। 1970 में ‘टेका यजदूरी अधिनियम’ बना जिसके अंतर्गत मजदूरी की अदायगी न होने पर मालिक को जिम्मेदार माना गया है।

1976 में ‘औद्योगिक विवाद अधिनियम’ पारित हुआ जिसमें हुद्दी, तात्त्वजटी, आदि पर प्रतिवध लगाए गये हैं।

1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित हुआ जिसके आधार पर स्त्री-पुरुष कर्मचारी समान वेतन के हक्कदार हैं।

1951 में बागान श्रमिकों के सिये आवास, मनोरंजन, चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी नियम निर्धारित किए गये।

बन्धुआ मजदूरों की दृष्टि से 20 सूनी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक मुविधाओं की व्यवस्था की गई और श्रमिकों को कार्य मुक्त कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त टेका मजदूरी अधिनियम, 1970; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1952; कारडाना अधिनियम, 1948; आदि अनेक नियमों व उपनियमों के कार्य किए गये हैं। बोनस अधिनियम व श्रमकल्याण की

व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। मोटर परिवहन मजदूरों एवं गोदी मजदूरों के हित के लिए अधिनियम बनाये गये हैं। राज्य सरकार अनेक श्रमकल्याण केन्द्रों की स्थापना करती है जिनके द्वारा मनोरजन, शिक्षा, खेल और विभिन्न संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों के आयोजन समय-समय पर होते रहते हैं। अनेक योजनाओं में पर्याप्त राशि इन पर व्यय की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में श्रमकल्याण पर 332.72 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक अनेक सुविधाएँ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जिनसे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आदि दृष्टियों से इनकी उन्नति हो सके।

5. मध्य-नियेष— मध्य-पान बड़ी गाम्भीर समस्या है, जिसमें अनेक व्यक्ति अपनी पारिवारिक व आर्थिक स्थिति को क्षीणित बना लेते हैं। मध्यपान के अतिरिक्त निर्धनता, बेकारी, वेश्यावृति व अपराध आदि भी व्यक्ति के जीवन को नक्शय बना देते हैं। अतः इन सब पर रोक लगाने के लिये समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। सरकार ने अनेक आयोगों का गठन किया है। सन् 1945 में 'नशा नियेष और समिति' गठित की गई। 1956 में एक प्रस्ताव पारित कर दूसरी योजना में मध्य-नियेष को आवश्यक अंग बना दिया और 1975-76 तक मध्य-नियेष लागू करने की सिफारिश की गई, जिसे विभिन्न चरणों में पूरा किया गया। अब सभी राज्यों, जैसे-पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि ने मध्य-नियेष को लागू किया है किन्तु इसमें अधिक सफलता अभी नहीं पिली है। इसका कारण है कि केवल अधिनियम बन जाने से ही कार्य नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक समन्वित जनमत की आवश्यकता होती है। यद्यपि अनेक स्वयंसेवी सम्बन्धी भी इस ओर प्रयासरत हैं। विद्यालय स्तर पर, रेडियो व टी.वी. पर भी इसके दुष्प्रभाव अनेक रूपों में बताए जाते हैं, समाज कल्याण मंत्रालय भी इसमें राहायता कर रहा है। सम्भव है भविष्य में इन सब के प्रभाव से मध्य-नियेष लागू हो सके, लेकिन अभी तक तो इस ओर कोई अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है।

6. गाहत और पुनर्वास— भारत एक ऐसी मान्यता बाला देश है जहाँ अनेक बाद्दा लोग समय-समय पर आते हैं और यहीं के अंग होते रहे—प्राचीन समय से यह परम्परा आज भी जीवित है। 1947 में भारत विभाजन के कारण करीब 90 लाख शरणार्थी यहाँ आए जिनको स्थापित करने की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार ने ली। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण अनेक परिवारों को बसाने, रोजगार दिलाने का कार्य राजस्थान व गुजरात ने किया। बहुत बड़ी मात्रा में राशि इन पर व्यय की गई। श्रीलंका से आए विस्थापितों को नगरिकता प्रदान करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं; उनके रहने, खाने व पुनर्वास की समरूप योजना बनाई गई है। इस प्रकार पुनर्वास कार्यक्रम के लिये बजट में भी करोड़ों रुपयों का प्रावधान रखा जाता है जिससे किसी भी अनाश्रित को अपना जीवन अर्थहीन न लगे।

7. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम— भारत में शिक्षा का विकास 19वीं शताब्दी के बाद इसाई मिशनरियों के परिणामस्वरूप हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व शिक्षा का प्रतिशत 7 था। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर इस ओर अधिक ध्यान दिया गया। अनेक स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और यह तय किया गया कि अधिकाधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा सके। इस क्षेत्र में बालकों व बालिकाओं की साक्षरता का प्रतिशत तो कुछ बढ़ा किन्तु प्रौढ़ पर्याप्त शिक्षा से अनभिज्ञ है। अतः प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। अनेक समाज शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना से तो इस पर पर्याप्त राशि व्यय

की जा रही है और उठी योजना तक 10 करोड़ प्रौद्योगिकों को साधार बनाने का प्रयास किया गया है। इन पर 128 करोड़ रुपया एवं करने का प्रावधान किया गया। सातवीं योजना में तो इसी सम्बन्ध में और वृद्धि की गई जिसमें 360 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिससे अधिकाधिक मात्रा में लोगों को साक्षर किया जा सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक चेतना ताने की दृष्टि से भी अनेक कार्यक्रम सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तियों को अपना अस्तित्व समझने, अपना जीवन विधिवत तरीके से व्यतीत करने का है। 1991 में 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थान' का गठन किया गया।

8. स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम— भारत में बीमारी एवं कुपोषण की समस्या गम्भीर रूप से है। लोगों को भोजन, विवास, विकित्सा, मनोरंजन एवं शिक्षा आदि गुणिताएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं जिससे असमय ही लोग दुर्बल, क्षीणकाय एवं वृद्ध दिहाई देने लगते हैं। स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से अनेक प्रशासन सरकारी एवं गैरसरकारी अभिकाळों द्वारा किए जाते रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में इन पर पर्याप्त राशि व्यय की जाती रही है। मत्तेरिया, चंगल उम्मलन, अग्नापन निवारण आदि के लिए विज्ञान प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार नीटामारु दाइयो छिड़कने, कुओं के पानी की शुद्धि करने, वायु प्रदूषण रोकने, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करने, पीलार नियाजन को सफल बनाने तथा क्षय रोग जैसी बीमारियों पर नियन्त्रण पाने के लिये शिरोप ध्यान दे रही है। अग्नापन, फैंसार, गलाण्ड व बालकों की बीमारियों पर धोर भी लारी है और परिणामस्वरूप औसत आयु में वृद्धि हुई है। जन्मदर बढ़ी है व पृथुवर में रक्षी हुई है। सरकारी योजना में स्वास्थ्य पर 3,392,89 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। गैर-सरकारी प्रधापों से भी इनमें सहायता मिली है। स्थान-स्थान पर मुस्त दवाएँ वितरित रखना, फैम्प लागाना, जलपूर्ति व सफाई पर ध्यान देने से इसमें सफलता भी मिली है।

9. असाहायों का कल्याण— ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक अध्ययन मानसिक स्वरूप से अस्वस्थ है उनके लिए गैर-सरकारी एवं सरकारी स्तर पर कार्य किए जाते रहे हैं जिससे समाज में वे अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें। इस दृष्टि से राष्ट्रीय सत्ताहकार समिति की स्थापना की गई है जो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें अपने पैरों पर पढ़े होने योग्य बना सके। अनेक स्कूल अभ्ये, गृणेशु बहो लोगों के लिये पौले गए हैं। 12 अगस्त, 1977 से इजन-चालित याहों को कर-मुक्त कर दिया गया है, जिनके मातिन् अपग हो तथा पैदोत व डीजल भी उन्हें आपी कीमत में उपलब्ध कराया जाता है।

देहादून, बम्बई व कलकत्ता आदि स्थानों पर बड़े-बड़े स्कूलों की स्थापना की गई है जहाँ अपग, गृणे, बहो व अन्ये व्यक्तियों को उपयित प्रशिक्षण देकर साधारण प्रदान किया जाता है। जिससे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होकर ये लोग स्वतंत्र जीवन-यापन कर सकें। इस समय अभ्यों को प्रशिक्षण देने के लिये ही 200 स्कूल पौले जा चुके हैं। बहों लोगों के लिये 'नेशनल सेन्टर फॉर द ईक' हैदराबाद में पौला गया है। देहस्ती में दो फेन्ड हाईयो में विकृत याते व्यक्तियों के लिये तथा एक सास्थान कुछ रोगियों के इलाज के लिये स्थापित है। मानसिक दृष्टि से क्षीज लोगों के प्रशिक्षण के लिए भी एक स्कूल दिल्ली में घोला जा चुका है।

सरकार ने वृद्धावस्था पेशाव की योजना निराशितों के लिए ग्राम्य भी है। प्रति वर्ष अनेक पुस्तकालयों की आयोजना निराशितों के लिए भी जाती है। योजना में इन मर्दों पर पर्याप्त मात्रा में राशि एवं वर्ष की जाती है। तन् 1982-83 में 'बिला गुनर्यास बेन्डो' की स्थापना ग्रामीण विस्तारों के

पुनर्वास हेतु की जा चुकी है। सन् 1983-84 का वर्ष 'राष्ट्रीय विकलांग वर्ष' के रूप में मनाया गया था जिसमें अनेक कल्याणकारी कार्य किये गये। इस प्रकार मानविक हृषि से अस्वस्थ एवं शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को उचित दिशा प्रदान कर उन्हें संतुलित करने के प्रयास अन्यतत किए जा रहे हैं जिससे उत्पादक कार्यों में भाग लेकर ये लोग सामाजिक प्रणति में योगदान दे सकें।

10. अन्य कल्याण कार्यक्रम—उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सामाजिक प्रत्येक वर्ग को सुखा प्रदान करना है। मध्य-पान, जुआखोरी, आत्महत्या, और नरीले पदार्थों पर रोक लगाने की दृष्टि से 1975 में 'राष्ट्रीय सामाजिक मुक्ति संस्थान' बनाया गया।

वन्य जातियों, जो अपराधी हैं उनके उप्रयन के लिये भारत सरकार द्वारा 'क्रिमिनल ट्राइब एस्ट' बनाया गया, जिसमें अपराधी व्यक्तियों को वे गांधी गूँड अग्निकार प्राप्त हैं जो सामाजिक नारीको को है।

अपराधियों के लिये आदर्श जेलों की व्यवस्था है व उन्हें विभिन्न प्रकार के व्याख्यातिक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाती है। प्रोवेशन व पैरेल जैसी सेवाएँ उनकी अपराधी प्रवृत्ति की मुक्ति के लिए दी जाती हैं। बाल अपराधियों एवं महिला अपराधियों के लिये—(i) सर्टफाइड स्कूल, (ii) बाल-अपराधी न्यायालय तथा, (iii) बच्चों के लिए शिक्षा-व्यवस्था व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्त्री अपराधियों के लिये अलग जेल की व्यवस्था है।

भिक्षावृत्ति अधिनियम एवं कई स्थानों पर 'सैन वसेरा' व 'पैगर होम' की सुविधा भिक्षावृत्ति उन्मूलन की दृष्टि से की गई है।

वेरायवृत्ति को रोकने की दृष्टि से भी 1956 में अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें लियों का 'अनैतिक व्यापार' रोकने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय सामाजिक मुक्ति संस्थान' 1975 में स्थापित किया गया है जिससे आत्महत्या व नरीले पदार्थों आदि पर रोक लगाई जा सके।

भारत सरकार द्वारा समाज-कल्याणार्थ अनेक क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं जिससे भारत में नियोजित परिवर्तन की दिशा स्पष्ट हो सके। इन समाज-कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से देश में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में इन समाज कल्याण कार्यक्रमों के कल्याणार्थ पर्याप्त राशि व्यय की गई है। इनका हमारे देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। गरीबी और पिछड़ेपन से जु़दा रहे उपेक्षित वर्गों को विषमताओं से मुकाबला करने के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। शिक्षा का प्रसार सर्वत्र हो गया है। नगरीकरण और औद्योगीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप देश आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, अनेक कल-कारखाने स्थापित हुए हैं, जातीय बन्धनों में शिक्षितता आई है। परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ा है—संयुक्त परिवार टूट कर एकाकी परिवारों का निर्माण हुआ है, विवाह में अब जीवन-साथी के चयन की स्वतंत्रता हो गई है। विधवा-पुनर्विवाह, अतर्जीतीय विवाह का प्रचलन बढ़ा है। स्त्रीयों घर की चालदेवारी से बाहर निकलकर व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रसर हो रही हैं। यही नहीं विकास का प्रभाव अनुमूलित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्गों पर भी यहा है। अब ये लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं और इससे इनमें अपने अपिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सामाजिक और राजनैतिक विकास के परिणाम-स्वरूप ये अब सक्ता में आने लगे हैं, उनमें नेतृत्व की चेतना जगी

है। स्थिति अब प्रदत्त के स्थान पर अर्जित हो गई है अर्थात् संस्तरणात्मक-व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ा है।

इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अनेकानेक उल्लेखनीय कार्य हुये हैं किंतु इसके उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि कमज़ोर बर्गों के उन्नयन के लिये अभी पर्याप्त कार्य करना शेष है क्योंकि सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों का जो ताभ इन्हें मिलना चाहिये था वह मिला नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उपेक्षित बर्गों में व्याप्र विषमताओं को दूर करने के लिये काएर प्रयास किये जाएँ।

प्रश्न

1. सामाजिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। क्या सामाजिक परिवर्तन के लिये सामाजिक नियोजन आवश्यक है?
2. सामाजिक कल्याण का अर्थ बताते हुये अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ किये गये प्रयासों पर विचार स्पष्ट कीजिये।
3. सातवीं पंचवर्षीय योजना पर प्रकाश डालिये।
4. 'पंचवर्षीय योजना और सामाजिक परिवर्तन' पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
5. भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये।
6. 'भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ' विषय पर निबन्ध लिखिए।
7. 'महिला कल्याण' पर प्रकाश डालिये।
8. अनुसूचित जातियों - जनजातियों के कल्याणार्थ किये गये प्रयासों का उल्लेख कीजिये।
9. श्रम-कल्याण पर विस्तार से प्रकाश डालिये।
10. आठवीं पंचवर्षीय योजना का उल्लेख कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:-
 (i) प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् में शुरू की गई।
 (ii) 15 मार्च, 1950 को बवाहलाल नेहरू की अध्यक्षता में की स्थापना की गई।
 (iii) दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक की स्थापना की गई।
 (iv) तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मध्य के काल को कहते हैं।
 (v) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सन् . . . से सन् . . . तक चली।
 (vi) 1990-91 और 1991-92 के दो वर्षों के अन्तराल को माना गया।
 (vii) सन् 1953 में की स्थापना की गई है।
 (viii) राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी में किया गया।
 (ix) आठवीं पंचवर्षीय योजना सन् में प्रारम्भ हुई।

(x) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल करोड़ इपये खर्च किये गये।
 [उत्तर - (i) 1951, (ii) राष्ट्रीय योजना आयोग, (iii) समाज कल्याण योजना
 (iv) योजना अवकाश, (v) 1974 से 1979 तक, (vi) वार्षिक योजना काल,
 (vii) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, (viii) 1992, (ix) 1992 (x) 8,576
 करोड़]

109908

2. निम्नांकित के सही जोड़े बनाइये-

- | | |
|---|----------|
| (1), ठेका पंडित अधिनियम | (A) 1956 |
| (2) गन्दी बस्तियों से सम्बन्धित अधिनियम | (B) 1829 |
| (3) नशा नियेप बैच समिति | (C) 1975 |
| (4) सती नियोगिक अधिनियम | (D) 1945 |
| (5) अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष | (E) 1970 |

[उत्तर - (E), 2 (A), 3 (D), 4 (B), 5 (C)]

3. निम्नलिखित घासों में सत्त्व और असत्त्व वास्तवों का चयन कीजिये-

- (i) अस्थृश्यतो अधिनियम ग्रन् 1955 में बनाया गया।
- (ii) भारत की पाँचवीं पर्यवर्तीय योजना 1976 में शास्त्रम् हुई।
- (iii) आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई।
- (iv) सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केल में है।
- (v) 'राष्ट्रीय बाल कोष' की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं का उत्थान करना है।

[उत्तर - सत्त्व (i), (iii), (iv) तथा असत्त्व (ii), (v)]

4. निम्नलिखित में से कौनसे कार्य 'समाज कल्याण' के अन्तर्गत सम्मिलित किये जायेंगे?

- (1) गरीबी-उन्मूलन करना।
- (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन।
- (iii) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य।
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय थ्रेप समाज।
- (v) बाल विकास सेवाओं का गठन।

[उत्तर - (ii), (iv), (v)]

अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-

- (1) मध्य - नियेप।
- (2) प्रीढ़ शिक्षा कार्यक्रम।
- (3) योजना की छुट्टी का काल।
- (4) चौथी पंचवर्षीय योजना।
- (5) स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम।